त्रयोदश माला, खंड 3, अंक 13

बुधवार, 15 दिसम्बर, 1999
24 अग्रहायण, 1921(शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 60
Date 22/9/24

दूसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 3 में अंक 11 से 19 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1999/1921 (शक)]

अंक 13, बुधवार, 15 दिसम्बर, 1999/24 अग्रहायण, 1921 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	241 से 244	1-64
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	245 और 260	64-80
अतारांकित प्रश्न संख्या	2377 से 2392 और 2394 से 2584	80-310
सभा पटल पर रखे गए पत्र		310-319
राज्य सभा से संदेश		319
कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		320
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) दामोदर रेल परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता — श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय		337
(दो) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की मलाजखंड कॉपर परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता — श्री प्रहलाद सिंह पटेल		337
(तीन) महाराष्ट्र में इरन्दोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मध्य रेलवे के चालीसगांव-पचौरा तथा पश्चिम रेलवे के धर्मगांव-अमवनेर स्टेशनों के बीच शटल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता — श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील		338
(चार) अमृतसर हवाई अड्डे को शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की आवश्यकता — श्री आर०एल० भाटिया		338
(पांच) महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दिगरस स्थान पर कम शक्ति वाला टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता — श्री उत्तमराव पाटील		338
(छह) राजस्थान के जैसलमेर जिले में ताप विद्युत संयंत्रों के सुचारू कार्यकरण के लिए हाई स्पीड डीजल के प्रयोग की आवश्यक अनुमति दिए जाने की आवश्यकता — कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी		338
(सात) केरल के कन्नूर और वायनाड जिलों में जंगली जानवरों के आतंक को रोकने के लिए राज्य सरकार को विशेष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता — श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी		339

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(आठ) तमिलनाडु के विरूवन्नामलाई में रसोई गैस बॉटलिंग संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री डी० वेणुगोपाल 340

(नौ) सेलम रेलवे जंक्शन को डिवीजन का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री टी०एम० सेल्वागनपति 340

(दस) उड़ीसा में हाल ही में आए भीषण तूफान से प्रभावित बुनकरों और दस्तकारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगो 341

(ग्यारह) महाराष्ट्र में रायगढ़ टेलीकॉम सर्कल के महाप्रबंधक का कार्यालय सांताक्रूज मुम्बई से पेण शहर, रायगढ़ में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामशेठ ठाकुर 341

नियम 193 के अधीन चर्चा

राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला और देश के विभिन्न भागों विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में वृद्धि

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 342-358

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती मेनका गांधी 358

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 359

श्रीमती रेणूका चौधरी 365

श्री सोमनाथ चटर्जी 369

श्री अनादि साहू 374

श्रीमती रीना चौधरी 377

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन 389

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह 391

श्री राम मोहन गाड्डे 394

डा० गिरिजा व्यास 395

प्रो० रासा सिंह रावत 405

डा० वी० सरोजा 406

डा० ए०डी०के० जयशीलन 408

श्री के०एच० मुनियप्पा 410

श्री मोहन रावले 411

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 412

श्री त्रिलोचन कानूनगो 413

विषय कॉलम

डा० राम चन्द्र डोम 416

कुंवर अखिलेश सिंह 418

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी 418

खण्ड 2 से 36 और 1 428

पारित करने के लिए प्रस्ताव 432

मंत्री द्वारा वक्तव्य

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली पर 13 दिसम्बर, 1999 को हुई दुर्घटना

प्रो० चमन लाल गुप्त 379-389

आधे घंटे की चर्चा

शिशु देखभाल और सुरक्षित मातृत्व के लिए धनराशि

श्री महेश्वर सिंह 397

प्रो० रासा सिंह रावत 399

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 400

श्री एन०टी० चणमुगम 401

लोक सभा

बुधवार, 15 दिसम्बर, 1999/24 अग्रहायण, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अनुसूचित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता

*241. डा० जयन्त रंगपी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी सहायता-राशि में वृद्धि करने का है; और

(ग) पर्याप्त सरकारी निवेश की कमी के कारण इन अनुसूचित क्षेत्रों का विकास धीमा होने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता में सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता शामिल है। सामान्य केन्द्रीय सहायता में दिसम्बर, 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा यथा-अनुमोदित फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता और अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत विशेष अनुदान शामिल है। बीएमएस, गन्दी बस्ती विकास, एचडीपी, बीएडीपी, एआईबीपी, टीएसपी, परिवर्तनीय कृषि (शिफ्टिंग कल्टीवेशन) के नियंत्रण जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, एनईसी को सहायता और पूर्वोत्तर और सिक्किम आदि के लिए गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता विशिष्ट उद्देश्यों/स्कीमों/परियोजनाओं के लिए है। वित्त मंत्रालय और दाता एजेंसियों द्वारा यथा-अनुमोदित विशिष्ट स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए राज्यों को ईएपी हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र चार पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित हैं और स्वायत्त परिषदों के अधीन हैं।

वे राज्य, जो छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को कवर करते हैं, सहायता की अनुकूल शर्तों के लिए विशेष श्रेणी राज्यों के रूप में वर्गीकृत दस राज्यों में से हैं जिसके अंतर्गत योजना सहायता गैर-विशेष श्रेणी राज्यों पर लागू 30:70 अनुपात की तुलना में 90:10 के अनुपात में अनुदान-ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता सीधे राज्य सरकारों को आबंटित की जाती है। छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों सहित क्षेत्रकों, क्षेत्रों और स्थानीय निकायों के बीच इस राशि का आगे आबंटन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। चार राज्यों, जहां छठी अनुसूची में शमिल क्षेत्र स्थित हैं, के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान दी गई वर्ष-वार केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला एक अनुबंध संलग्न है।

सभी राज्यों, जिनमें वे राज्य भी शामिल हैं जिनके क्षेत्रों को छठी अनुसूची में शामिल किया गया है, को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में वार्षिक योजनाओं के लिए उपलब्ध-बजटीय सहायता में समग्र वृद्धि के आधार पर प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी की जाती है।

छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों का धीमा विकास प्रतिकूल भौगोलिक विशेषताओं, पर्वतीय भू-भाग, आधारिक संरचना और डिलीवरी पद्धति की अपर्याप्तता के कारण है। जबकि केन्द्र सरकार के उपर्युक्त क्षेत्र कार्यक्रम ऐसे क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं की ओर लक्षित हैं, उनके समग्र विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का कर्तव्य है।

अनुबंध

छठी अनुसूची क्षेत्रों को कवर करने वाले राज्यों को केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपए)

केन्द्रीय सहायता का विवरण	असम			मेघालय		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता जिनमें से	1147.63	1006.59	1088.46	243.63	250.00	270.33
(अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत विशेष अनुदान)	3.05	2.10	4.20	2.55	1.66	2.22

1	2	3	4	5	6	7
2. ईएपी के लिए एसीए (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	80.00	97.00	166.77	30.00	30.00	30.00
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए एसीए (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	81.14	339.54	360.88	53.68	96.31	121.44
कुल जोड़ (1+2+3)	1308.77	1443.13	1616.11	327.31	376.31	421.77

केन्द्रीय सहायता का विवरण	मिजोरम			त्रिपुरा		
	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता जिनमें से	236.48	273.17	315.39	310.22	383.32	414.50
(अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत विशेष अनुदान)	1.24	1.07	0.96	2.31	1.62	1.25
2. ईएपी के लिए एसीए (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए एसीए (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	67.60	52.39	59.28	91.78	200.43	226.62
कुल जोड़ (1+2+3)	309.08	335.56	384.67	417.00	598.75	656.12

डा० जयन्त रंगपी : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में इस सभा में अनेक अवसरों पर चर्चा की गई है। किंतु विगत पचास वर्षों में यह पहला अवसर है जब अनुसूचित क्षेत्र में विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अनुसूचित क्षेत्र का प्रश्न इस संसद के समक्ष आया है। मैं सभा पटल पर रखे गए विवरण से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मंत्री जी इस प्रकार का सदुपयोग विगत पचास वर्षों में इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों के बारे में इस सभा के माध्यम से राष्ट्र को अवगत कराने के लिए कर सकते थे। किंतु उसके बजाय उन्होंने बचकाना चाल और सटीक उत्तर नहीं दिया तथा मुझे संदेह है कि उन्होंने अपने कौशल का उपयोग नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रंगपी आपने पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे के बारे में पूछा है।

डा० जयन्त रंगपी: महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मेरा प्रश्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में नहीं था। मेरा प्रश्न अनुसूचित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के बारे में था। संविधान सभा ने न केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उपबंध किया है अपितु यह भी पाया था कि हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें विशेष संरक्षण और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इसीलिए ऐसा क्षेत्र अनुसूचित हैं। इसका अनुसूचित जनजातियों से कोई लेना-देना नहीं है। इसमें किसी जाति या समुदाय का प्रश्न निहित नहीं है। समूचा क्षेत्र अनुसूचित है क्योंकि इस क्षेत्र की एक विशिष्ट, ऐतिहासिक, वित्तीय और जातीय पृष्ठभूमि है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना प्रश्न पूछिए।

डा० जयन्त रंगपी : महोदय, मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा उत्तर तालमटोल वाला है। उत्तर में कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में कहा गया है। मैं इस बात का खंडन नहीं करता हूं कि इन अनुसूचित क्षेत्रों में से कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों में है। मेरा प्रश्न विशिष्ट का है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के उत्थान के लिए क्या कर रही है जिसके बारे में संविधान सभा ने सत्यनिष्ठा से वचन दिया था। इसलिए मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। यह उत्तर पूर्णत: तालमेल वाला है और सटीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं।

डा० जयन्त रंगपी : महोदय, मैं अनुपूरक प्रश्नों को इसलिए उठाना चाहता हूं क्योंकि मेरे मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। अब मैं इस उच्च आशा के साथ अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि माननीय राज्य मंत्री श्री अरुण शौरी देश के उस क्षेत्र में सुपरिचित हैं और वे कुशल भी हैं तथा वे उस क्षेत्र के बारे में जानकारी भी रखते हैं अत: वे मेरे प्रश्न को टालेंगे नहीं और सटीक उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रंगपी, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

डा० जयन्त रंगपी : महोदय, मंत्री जी ने यह कहते हुए अनुच्छेद 275 को उद्धृत किया है कि विशेष श्रेणी के राज्यों को इतना अनुदान

दिया गया है किंतु उसमें भी उन्होंने आधा सच बताया है। उन्होंने अनुच्छेद 275(1) का उल्लेख किया है किंतु उन्होंने अनुच्छेद 275(1)(क) और (ख) का उल्लेख नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पुन: मुख्य प्रश्न से भटक रहे हैं। अपने अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

डा० जयन्त रंगपी : केन्द्र सरकार को अनुच्छेद 275(1)(क) के अन्तर्गत यथाउपबंधित अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से असम सरकार द्वारा भारत सरकार की स्वीकृति से शुरू की गई विकास योजनाओं की लागत के लिए राज्य सरकार को राजस्व में योगदान करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए न केवल अनुच्छेद 275(1) अपितु अनुच्छेद 275(1)(क) और (ख) के अन्तर्गत भी कितनी सहायता राशि दी गई है।

श्री अरुण शौरी : प्रश्न का उत्तर देने में टालमटोल करने का न यह कोई मौका है और न ही कोई कारण है। हमने पूरी सूचना देने का प्रयास किया है। किंतु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि अपनी सीमाओं से बाहर जाकर भी उन्हें ऐसी सभी अपेक्षित सूचनाएं देने का प्रयास करूंगा।

मैं अंतिम बिंदु से शुरू करता हूं। जैसा कि सभा जानती है कि अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत योजना है कि यदि कुछ क्षेत्रों में प्रशासन दोषपूर्ण है तो उस क्षेत्रों के प्रशासन को अन्य क्षेत्र के प्रशासन के स्तर पर लाने के लिए राज्यों को सहायता दी जा सकती है। माननीय सदस्य ने सही कहा है क्योंकि सहायता देने का यह एक कारण है। जिन चार राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र है उन्हें अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत दी गई सहायता का उल्लेख तालिका में दूसरी पंक्ति में स्पष्टतया किया गया है। प्रत्येक मामले में इसका उल्लेख किया गया है।

दूसरा बिन्दु वित्त के अन्तरण की योजना और राज्यों को केन्द्रीय सहायता के बारे में है। अनुसूचित क्षेत्र चार राज्यों में हैं। अत: वह सहायता राज्यों को दी जाती है और राज्य उस राशि को अनुसूचित क्षेत्रों को आवंटित करते हैं। उदाहरण के लिए असम के मामले में जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि केन्द्र से राज्य को दी गई उस 1616 करोड़ रुपए की सहायता में से राज्य सरकार ने 147 करोड़ रुपये कारबी आंगलोग और उत्तरी कछार दो जिलों के लिए आवंटित किए।

तीसरा, असम में इन दो अनुसूचित क्षेत्रों की जनसंख्या 8 लाख है। कारबी आगंलोग को 6.5 लाख और उत्तरी कछार की 1.5 लाख है। 8 लाख की इस जनसंख्या के लिए असम सरकार ने केन्द्र के सहयोग से इन दो जिलों के लिए 147 करोड़ रुपये निर्धारित किए। इसी तरह मेरे पास अन्य राज्यों के आकड़े भी हैं कि उन राज्यों को विशेषतया क्या दिया जा रहा है। इस संबंध में विशेष निर्देश देना संघीय सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

मैं एक बात और कहता हूं कि यह निरन्तर चिंता का विषय है। केन्द्र के साथ उन चार राज्यों की वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान इस संबंध में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया और उन्हें अनुसूचित क्षेत्र के बारे में किये जा रहे कार्यों को स्पष्ट करने या उस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने लिए कहा गया। मेरे पास असम के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इन दो जिलों के बारे में दिया गया वक्तव्य उपलब्ध है और इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि इन जिलों के बारे में क्या किया जा रहा है।

जैसा आप और माननीय सदस्य जानते हैं कि विशेष श्रेणी के राज्यों को और सहायता देने के लिए व्यपगत न होने वाली विधि का सृजन किया गया है। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य शामिल हैं। मैं इस संबंध में व्यक्त की गई चिंता का उत्तर दे रहा हूं। सितम्बर में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें इन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 35 करोड़ रुपये की पांच और परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इस बारे में आपको ब्यौरा दे सकता हूं, असम में उत्तरी कछार में सड़कों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये की योजना और असम विश्वविद्यालय के दीफू परिसर के लिए 10 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई।

तीसरा, 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 8 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इनमें से 16 केन्द्र इन दो जिलों में हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह लम्बा उत्तर है। थोड़ा संक्षेप में उत्तर दीजिए।

श्री अरुण शौरी : केवल दो बिंदु हैं अनुच्छेद 275 के अनुसार सही-सही आंकड़े दिए गए हैं। वे इन्हें गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं। योजना आयोग का इससे ज्यादा सरोकार नहीं है।

दूसरा, इन क्षेत्रों के बारे में हम माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हैं जो यहां वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान और वास्तविक आवंटन में परिलक्षित हुई जो अधिक है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब होना चाहिए, भाषण नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जवाब हो रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात नहीं समझ रहे हैं। माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछा है और वह ब्यौरा दे रहे हैं। अब इस तरह व्यवधान न डालें।

डा० जयन्त रंगपी, दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

डा० जयन्त रंगपी : महोदय, अनुपूरक प्रश्न का उत्तर भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। पहली बात यह है कि मैं न केवल इन दो जिलों के बारे में चिन्तित हूं अपितु देश के सभी अनुसूचित और पिछड़े क्षेत्र के बारे में चिन्तित हूं।

दूसरा, अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि धन का वितरण राज्य सरकार पर निर्भर करता है उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार सहायता दे सकती है और इसका वितरण राज्य सरकार करती है और योजनाओं को भी वही लेती है। उन्होंने आगे कहा कि केन्द्र इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता अन्यथा यह संघीय सिद्धांत का उल्लंघन होगा विद्वान मंत्री ने यही कहा है इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह तथ्यों पर आधारित नहीं है।

मैं मंत्री जी और इस सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 239 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान सभा इस तथ्य से परिचित थी कि भविष्य में इस प्रकार का टालमटोल करने वाला उत्तर दिया जा सकता है इसलिए अनुच्छेद 239 में स्पष्टत: प्रावधान है। मैं अनुच्छेद 339(2) से उद्धृत करता हूं :

"संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्देश में आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है।"

इसलिए, मंत्री महोदय, यह संघीय सिद्धांत के विपरीत नहीं है। बल्कि आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं पता कि संविधान ने आपको अधिकार दिया है। संविधान द्वारा आपको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप संबंधित राज्य को अनुसूचित क्षेत्र के कल्याण की योजना शुरू करने का निर्देश दें। उसके लिए, अगर आपको निधि की आवश्यकता है तो आपको वह निधि अनुच्छेद 275(1)(क) और (ख) के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह जानबूझकर किया गया है। अगर मुझे कुछ कहने की अनुमति है तो मैं यही कहूंगा कि यह सभा को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

अब मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं इस पर माननीय मंत्री जी की प्रतिक्रिया भी जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछिए ।

डा॰ जयन्त रंगपी : माननीय मंत्री जी ने कहा कि लगभग 270 करोड़ रुपये पहाड़ी जिलों को दिए गए हैं। इस तरह की राशि विगत में भी दी गई थी। मंत्री महोदय, क्या आपको पता है कि यह राशि ओटोनोमस हिल काउंसिल को जारी नहीं की गई है ? असम सरकार या उस कार्य के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किसी अन्य राज्य सरकार को ओवरड्राफ्ट की समस्या का सामना करना पड़ता है। जो धन आपने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए दिया था, जो धन आपने जनजातीय क्षेत्रों के लिए भेजा था, जिस राशि का आपने इस प्रश्न में उल्लेख किया था—170 करोड़ रुपये—वह राज्य के खाते में सुरक्षित जमा कर दिया गया है ताकि वे ओवरड्राफ्ट के कारण होने वाली समस्या को दूर कर सकें। जिस कार्य के लिए धन दिया गया है वह ओटोनोमस हिल काउंसिल को जारी नहीं किया गया है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डा॰ रंगपी, कृपया प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

डा॰ जयन्त रंगपी : यह बहुत गंभीर प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए, मैं आपसे अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कह रहा हूँ।

डा॰ जयन्त रंगपी : मंत्री महोदय, क्या आप अनुसूचित क्षेत्रों को भी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की तरह प्रत्यक्ष रूप से निधियां प्रदान करने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं जो आप डी॰ एम॰ को दे रहे थे। क्या आप स्वयंशासी काउंसिल को प्रत्यक्ष रूप से निधि देने वाले हैं ताकि जिस मामूली राशि की आप बात कर रहे हैं वह सही स्थान और लक्षित परियोजनाओं में पहुँच सके ?

श्री अरुण शौरी : महोदय, इस सभा में अक्सर इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी सभी व्यवस्थाएं शासन के विभिन्न स्तरों के बीच होने वाली सदभावना पर निर्भर होती है। केवल अनुच्छेद 339 का सहारा लेना ही हमारे लिए सहायक नहीं होगा। माननीय सदस्य का कहना पूरी तरह सही है कि हम राज्य सरकार को निर्देश जारी कर सकते हैं।

डा॰ जयन्त रंगपी : क्या आपने अभी तक कोई निर्देश जारी किया है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री अरुण शौरी : महोदय, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने उस मांग का विरोध किया था। निर्देश देने और उसके परिणाम-स्वरूप किसी संबंध से अलग होना जो किसी राज्य और राज्य सरकार के बीच अनुसूचित क्षेत्र के बीच होता है, वह निश्चय ही विपरीत फल देने वाला होगा।

जहां तक 147 करोड़ रुपये को जारी न करने के संबंध में पूछे गए विशेष प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है यह बात सरकार के मुख्य सचिव के साथ उठाया गया था और मेरे पास 2 अक्तूबर, 1999 का पत्र है। मैं यह माननीय सदस्य को दिखा सकता हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। उस पत्र में उन्होंने यह बताया था कि इस वर्ष न केवल आबंटन 149 करोड़ रुपये तक अधिक थे क्योंकि संचित ऋण को समाप्त करने के लिए कारबी आंगलोग ओटोनोमस काउन्सिल को पाँच करोड़ रुपये दिए गए थे परन्तु उन्होंने योजना आयोग को यह आश्वासन दिया था कि वास्तव में धन समय पर जारी किया गया था और परियोजनाओं में हो रही प्रगति के अनुसार जारी किया गया था। अब, अगर सभा यह समझती है कि अधिक हस्तक्षेप करके अधिक कार्य किया जाना चाहिए, तो मैं नहीं समझता कि सभा के अधिकांश लोग चाहेंगे कि केन्द्र को ऐसा करने के लिए राज्य सरकार के प्रमुख से संपर्क करें। परन्तु माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि योजना आयोग और अन्य एजेन्सियां इस मामले को असम सरकार के साथ उठाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अब की अपेक्षा राशि अधिक शीघ्रता से जारी की जाती है। अगर किसी विशेष अवसर के लिए कोई विशेष शिकायत होती है और अगर वह सरकार के ध्यान में लाई जाती है तो उसपर तुरंत ध्यान दिया जाएगा।

डा॰ जयन्त रंगपी : महोदय, यह केन्द्र सरकार के अधिकार के अंदर है। राज्य सरकार को निर्देश देना उनकी कार्यकारी शक्ति है। उन्होंने मेरे प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं दिया है।

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने छठी अनुसूची इसलिए बनाई थी ताकि जनजातीय लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य न किए जाने के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न अनैतिक मुद्दों और कष्टों को रोका जा सके। डा॰ रंगपी ने लम्बा भाषण दिया होगा परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा वह वास्तविक रूप से सही है। केन्द्र सरकार

धन दे रही है परन्तु राज्य सरकार का काम यह देखना है कि क्या यह कांग्रेस पार्टी है या ए० जी० पी० या अन्य कोई पार्टी जो इस धन का उपयोग कर रही है। इसलिए समुचित निगरानी की आवश्यकता है। चूंकि ऐसा नहीं किया जा रहा है इसलिए केन्द्र सरकार को अनावश्यक रूप से दोष दिया जा रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले पांच वर्षों के दौरान दिए गए धन का सही ढंग से उपयोग किया गया था या नहीं? अगर इसका प्रयोग सही ढंग से नहीं किया गया था तो दोषी कौन है और वह क्या कारवाई करने वाले हैं?

महोदय, भारत सरकार न केवल अनुसूचित क्षेत्रों को बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों को भी काफी धन दे रही है परन्तु मुख्य समस्या यह है कि इस धन को कुछ नौकरशाहों और राजनेताओं ने अपने लिए उपयोग किया है। यही सही समय है जब छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले इन क्षेत्रों के लिए दिए गए धन की निगरानी होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यही सही समय है जब उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर वह पूर्वोत्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय मुख्यधारा में रखना चाहते हैं तो यह अच्छा होगा कि वह हस्तक्षेप करें। कोई छल-कपट नहीं होना चाहिए और न ही किसी राज्य सरकार के लिए विशेष लगाव।

डा० जयन्त रंगपी : यह हस्तक्षेप नहीं है। केन्द्र सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के उत्थान के लिए कर्त्तव्यबद्ध है।

श्री अरुण शौरी : महोदय, अगर मैंने कहा था कि प्रतिष्ठित सदस्यों ने हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में कहा था तो मुझे विश्वास है कि इस पर काफी विरोध हुआ होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति आवंटन लगभग 6300 रुपये है जबकि देश का औसत लगभग 837 रुपये है। इसलिए यह लगभग राष्ट्रीय औसत का आठ गुणा है। परन्तु अगर श्री संतोष मोहन देव और डा० जयन्त रंगपी अपने अधिक ज्ञान के साथ यह समझते हैं कि यह लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो यह एक बहुत गंभीर समस्या है और इससे वे सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनका वह उल्लेख कर रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : उन्हें योजना मंत्रालय से संपर्क करके यह काम करने दें।

श्री अरुण शौरी : महोदय, मैं कुछ और अधिक ठोस काम करने की बात कहूंगा जिससे कोई समस्या न हो।

यदि उस क्षेत्र के संसद सदस्य यह काम संयुक्त रूप से स्वयं करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अगर हमें प्रतिष्ठित संयुक्त सचिव से मिलने के लिए कहा जाता है तो वे प्रतिक्रिया नहीं करेंगे *(व्यवधान)* आप हमें बुलाएं। हम वहां जाएंगे और यह कहेंगे।

श्री अरुण शौरी : ऐसा कोई भी सुझाव मेरे लिए सम्मान की बात होगी।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी : इस संबंध में मैं प्रधानमंत्री को संबोधित एक बहुत महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

भारत सरकार कुछ अनुसूचित क्षेत्रों को ही धन देती रही है। वर्तमान अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा भारत में कुछ जनजातीय बाहुल्य वाले बड़े-बड़े क्षेत्र भी हैं। अनुसूचित क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति के अनुसार देश के कई अन्य भागों में इन जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों को छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं लाया गया है। हमारे मामले में केवल बोडोलैंड बोडो ओटोनोमस काउंसिल ही दिया गया है जिसके नाम का उल्लेख हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी : उस काउंसिल क्षेत्र की कुल जनसंख्या असम सरकार ने लगभग 21 लाख रुपये दर्शाई है। वह सरकार मुश्किल से प्रति वर्ष लगभग 50 करोड़ रुपये दे रही है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, हमें लगभग 1000 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए थे जबकि अब तक मुश्किल से 100 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं। बोड़ो के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों किया जाता है?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी : इसलिए, मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि जनजातीय बाहुल्य वाले सभी क्षेत्रों को छठी अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत लाया जाए।

श्री अरुण शौरी : माननीय सदस्य ने ये बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। यह प्रश्न अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है और असम में बोड़ो क्षेत्र एक अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस समय व्यवधान न डालें।

श्री अरुण शौरी : निगरानी के संबंध में मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से मैं वहां जाऊंगा और इस कार्य के लिए संसद सदस्यों का मार्ग-दर्शन चाहूंगा कि हम इस आवंटन से वास्तव में लोगों को किस तरह लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं यह काम आप सभी के सहयोग से करूंगा।

श्री पी०आर० किन्डिया : उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषदों का गठन संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत किया गया था। अगर माननीय मंत्री संविधान सभा की बहस को देखें तो वे इस बात की सराहना करेंगे कि जिला परिषदों का गठन इसलिए किया गया था कि लोग अपने ज्ञान के अनुसार विकास कर सकें। उन्हें संविधान ने बनाया है इसका उद्देश्य बहुत विशेष था: "उनके ज्ञान के अनुसार उनका विकास।"

माननीय मंत्री ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में यह बात स्वयं स्वीकार की है कि पूरे अनुसूचित क्षेत्रों में विकास धीमा रहा है। पर्वतीय इलाके में भूगौलिक अविकसित और आधारभूत अवसंरचना के अलावा डिलीवरी पद्धति भी इसका एक कारण है। अब यहां उत्पन्न महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं प्रश्न के रूप में उठाना चाहता हूं। चूंकि यह संविधान की रचना है जिला परिषदों के उद्देश्यों के अनुसार विकास करने के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा जिला परिषद क्षेत्रों की देखभाल करनी चाहिए और उनपर प्रभाव डालना चाहिए इस संदर्भ में मैं यहां उल्लेख करना

चाहता हूं कि कई जिला परिषद प्राधिकारी समय-समय पर भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भेंट करते हैं ... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायक, आप नहीं, मैं सभा का संचालन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को नोट कर लें।

श्री पी०आर० किन्डिया: लेकिन प्रश्न यह है कि इसे माननीय मंत्री जी द्वारा स्वीकार किया गया है कि इन अनुसूचित क्षेत्रों में विकास की गति धीमी है और मैं कहना चाहता हूं कि इसके कारणों में एक कारण *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किन्डिया, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री पी०आर० किन्डिया : मैं उसी पर आ रहा हूं। अत: मेरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार के लिए यह उपयुक्त समय है कि वह प्रत्यक्ष सहायता देने पर विचार करें। क्या वह जिला परिषदों को प्रत्यक्ष सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रत्यक्ष सहायता देने पर विचार करेंगे? इनका प्रश्न यह है।

श्री अरुण शौरी : इस समय प्रत्यक्ष सहायता देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि साधन के लिए धन कहां से आता है। यदि आप दिल्ली से 6½ लाख जनसंख्या वाले एक जिले को 147 करोड़ रुपये भेजते हैं—जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा था—और जिला स्तर पर डिलीवरी पद्धति एक समान होनी चाहिए—तो आपको उसी धीमी गति में विकास प्राप्त होगा। इसलिए गुवाहाटी अथवा कारबी अंगलोग से यहां आने के बजाय उपचार डिलीवरी पद्धति में सुधार करने में ही निहित है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं श्री मोहम्मद अली नायक को अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कह सकता हूं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं पूर्वोत्तर के सदस्यों को ही मौका दे रहा हूं। यह अधिकांशत: उनसे संबंधित है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायक, नहीं नहीं: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बाजू बन रियान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्तशासी जिला परिषद धन की कमी से ग्रस्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाली राशि उतनी नही है जितनी होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार का राज्य सरकार के माध्यम से आवंटित किये जाने के बजाय स्वायत्तशासी जिला परिषद को सीधे केन्द्रीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

श्री अरुण शौरी : महोदय, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नायक इस प्रकार व्यवधान मत डालिए।

अब प्रश्न संख्या 242

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

*242. **श्री नवल किशोर राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की श्रेणी में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य क्षेत्रों की तरह इन उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले ऋण का प्रतिशत भी निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

खाद्य तथा कृषि आधारित प्रसंस्करण क्षेत्र को बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा में शामिल किया गया है। लेकिन, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानक वित्तीय संस्थानों पर लागू नहीं होते।

प्राथमिकता क्षेत्र और इसके उप-क्षेत्रों को भारतीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने के लक्ष्य निम्नलिखित हैं:-

कुल प्राथमिकता क्षेत्र	निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत
इसमें से कृषि को	निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत
कमजोर वर्गों को	निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्कृत क्षेत्र के वास्ते कोई अलग से लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रायर्टी प्राप्त क्षेत्र में डालने का जो सरकार का फैसला है, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जितनी बेरोजगारी है उसको कम किया जा सकता है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित कर के रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन पहले से प्रायर्टी प्राप्त क्षेत्र के लिए व्यवसायिक बैंकों के लिए 40 प्रतिशत की सीमा रखी गई और इसको प्रायर्टी सैक्टर में डालते वक्त सरकार

ने यह ख्याल नहीं रखा है कि इसके लिए प्रतिशत अलग से निर्धारित किया जाए और 40 प्रतिशत से कुछ अलग निर्धारित किया जाए और 40 प्रतिशत को बढ़ाया जाए। कृषि क्षेत्र में 18 प्रतिशत निर्धारित है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों 15 प्रतिशत से अधिक व्यावसायिक बैंकों की तरफ से वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। 18 फीसदी कमी पूरी नहीं हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार के लिए वित्तीय बैंकों द्वारा सहायता के लिए कुछ प्रतिशत निर्धारित करेंगे, यदि हां, तो कब तक जिससे इस क्षेत्र को ठीक से विकसित कर के कुटीर उद्योग के रूप में मान्यता दी जा सके?

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्राथमिकता के क्षेत्र में शामिल किया गया है। माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है, इसमें रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। यह बात सही है कि एक आकड़े के अनुसार अगर फूड प्रोसैसिंग से 1000 करोड़ रुपए का इन्वैस्टमेंट हो, तो लगभग 54 हजार रोजगार पैदा होते हैं जो कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक ज्यादा हैं। सरकार ने इसको प्रायर्टी सैक्टर में डाला है इससे व्यवसायिक बैंकों से ऋण मिलने में सुविधा होगी, लेकिन अलग से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रायर्टी सैक्टर के अंतर्गत कितने यूनिट्स को या कितने प्रतिशत उसमें से दिया जाए, इसके बारे में न कोई निर्णय है न इसके बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं।

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लेकर इस देश में कुटीर उद्योग के रूप में इसे विकसित करने का निर्णय लिया है, लेकिन मैंने पहले ही सवाल पूछा था कि जब तक अलग से इसके लिए व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक कृषि के लिए जो 18 फीसदी निर्धारित है और जो 15 फीसदी कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इसको प्रायर्टी सैक्टर में रखने पर भी आप बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कर पाएंगे जबकि अब वैश्वीकरण का दौर है और मल्टी नैशनल्स आ रहे हैं इस सैक्टर में अगर अलग से निर्धारित करके इसे कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करने का काम नहीं किया जाएगा, तो देश के जो बेरोजगार इस क्षेत्र में कुटीर उद्योग के रूप में रोजगार तलाश रहे हैं, वे मल्टी नैशनल्स के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अलग से प्रतिशत निर्धारित कर के कुटीर उद्योग के रूप में मल्टी नैशनल कंपनीज के सामने प्रतिद्वंद्विता नकार कर, एक सैक्टर बनाकर क्या-क्या इनीशिएटिव दे कर के छोटे-छोटे काम करने वाले गांवों के लोगों को रोजगार तलाशने की व्यवस्था करेंगे और सरकार इस पर क्या इनीशिएटिव देने जा रही है, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री नीतीश कुमार : फूड प्रोसैसिंग सैक्टर में जो स्माल यूनिट्स होंगे, उनको तो एस.एस.आई. के ही हैड में गिना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा उद्योग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लगाना चाहेगा, तो उसकी गणना अलग से होगी। जो स्माल स्केल इंड्स्ट्रीज के मापदंडों के अंतर्गत आते हैं, उनको स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के अन्तर्गत ही गिना जाएगा। जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के बाहर होंगे, उनकी गणना इस प्रायर्टी सैक्टर में अलग से की जाएगी। जैसा मैंने पहले कहा—इसके बारे में न तो प्राथमिकता के क्षेत्र के अंतर्गत इसका कोई प्रतिशत निर्धारित हुआ है और जहां तक कृषि का सवाल है उसके लिए 18 प्रतिशत निर्धारित है।

श्री नवल किशोर राय : निर्धारित करने का विचार करेंगे या नहीं।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, वह उन्हें हमारे बजाय माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहिए। जो परिस्थिति है उसका मैं उल्लेख कर सकता हूं। जो उपलब्ध जानकारी है, उसे मैं यहां दे सकता हूं।

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह एक मंत्री से पूछ रहे हैं। कैबीनेट में रहकर उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए और इसके लिए प्रतिशत निर्धारित करना चाहिए और इंसेंटिव क्या-क्या देंगे इस बारे में उन्हें बताना चाहिए?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इंसेंटिव अनेक हैं—सिर्फ बैंक्स के जरिए ही नहीं, जो डिर्पाटमेंट हैं उसके जरिए भी कई प्रकार के इंसेंटिव दिए जाते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग यूनिट्स के लिए एक सीमा निर्धारित है। अधिकतम मदद की सीमा निर्धारित है। जो कोई यूनिट लगाना चाहता है उसको 50 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन की सीमा जनरल एरिया में निर्धारित है। किसी भी क्षेत्र में वह मदद मिल सकती है। जिनको डिफीकल्ट एरियाज माना जाता है नॉर्थ ईस्टर्न, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ऐसे इलाकों के लिए 75 लाख रुपए की यह सीमा है। इसी प्रकार से यदि कोई स्टेट पब्लिक सैक्टर यूनित करना चाहता है, तो उसके लिए जनरल एरिया में 25 लाख रुपए और डिफीकल्ट एरियाज 50 लाख रुपए की ग्रांट भी मिलती है और पी॰ एस॰ यूज॰ के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए जनरल एरिया में और 2 करोड़ रुपए डिफीकल्ट एरियाज में मिलता है। कई प्रकार की और सहूलियतें दी जाती हैं। एक नई स्कीम चलाई जा रही है—फूड पार्क की, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट होता है, कॉमन तकनीकी डिवेलप करते हैं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वाटर, इलैक्ट्रिसिटी, प्लांट मशीनरी की सरकार मदद करती है। यदि कोई मेजर एरियाज हो, तो उसमें सरकार मदद करती है। इस प्रकार से अगर कोई फूड पार्क बनाएगा, तो 4 करोड़ रुपए तक की मदद कॉमन फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए दी जाएगी।

[अनुवाद]

डा॰ बी॰बी॰ रमैया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में इसे अत्यन्त स्पष्ट कर दिया है। माननीय मंत्री ने यहां बताया है कि यह न केवल काफी सम्भाव्यता प्रदान करती है बल्कि उन्होंने कहा है कि इसे बैंक ऋण लेने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा में शामिल किया गया है। हालांकि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मात्र वित्तीय संस्थानों पर लागू भी होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह देखने का अनुरोध करूंगा कि ऋण

सुविधाएं इस प्राथमिकता क्षेत्र को दी जाए क्योंकि अभी हम कृषि उत्पादन के बारे में चर्चा कर रहे थे और उचित पृथक सुविधाओं के अभाव के कारण बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादन नष्ट हो रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बड़े उद्योगों में से एक है। यह हमारे कृषि उत्पादन को सुधारने में हमारी सहायता करेगी और यह देश के लाभ के लिए प्रयुक्त की जा सकेगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह तो जनरल बात है कि यह बैंकों में किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : महोदय, यह प्रश्न अत्यन्त विशेष है आपको उनके प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है *(व्यवधान)*

डा० बी० बी० रामैया : जैसाकि यहां अत्यन्त स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानक वित्तीय संस्थानों पर लागू नहीं होते। वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है *(व्यवधान)* अत: क्या माननीय मंत्री स्पष्ट करेंगे क्या वह माननीय वित्त मंत्री को सिफारिश करने में समर्थ होंगे कि वह देखे कि यह क्रियान्वित भी हों?

श्री नीतीश कुमार : महोदय, साधारणतया भारतीय रिजर्व बैंक चुनी गई अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न विवेकपूर्ण मानदण्डों के सम्बंध में मार्गनिर्देश जारी करता है। विभिन्न क्षेत्रों और उससे सम्बन्धित मामलों में ऋण के वितरण के संबन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किया गया है।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मैं अत्यन्त मीठे निर्वाचन क्षेत्र से हूं। इस अत्यंत भारी मात्रा में अन्नानास उगाते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश, अन्नानास की कीमतों के 10 रु० से गिर कर 2 रु० पर पहुंच जाने के कारण किसान वास्तव में कठिनाई में हैं। इस कीमत में गिरावट के कारणों में से एक कारण केरल में पर्याप्त संख्या में फल प्रसंस्करण उद्योगों का न होना है। अब प्राथमिकता क्षेत्र में बैंक ऋण नहीं है और वहां विशिष्ट प्राथमिक्ता क्षेत्र नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है।

क्या माननीय मंत्री यह देखेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो हमारे राष्ट्र निर्माण में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, को उचित महत्त्व दिया जाए? विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां अन्नानास उत्पादक और अन्य फल उत्पादक पाए जाते हैं, बैंकों के साथ-साथ भारत सरकार को प्राप्त अनुदानों और अन्य सहायता की मदद से कुछ फल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाएं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही सूचना दे दी है।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : अन्नानास के मूल्य के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को कुछ अवश्य कहना चाहिए। वे अत्यन्त मीठे हैं लेकिन किसान वास्तव में परेशानी में हैं। आप कृषि मंत्री हैं। आपको हमारे बारे में कुछ तो कहना चाहिए। मैं इस संबंध में जानकारी चाहता हूं।

श्री नीतीश कुमार : यह इस प्रश्न से किस प्रकार सम्बन्धित है?

उपाध्यक्ष महोदय : मीठा इस विद्यमान प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री पी० सी० थामस : प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कावरचन्द गेहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मॉडर्न बेकरी जो हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में हमको नाश्ते के लिए ब्रेड उपलब्ध कराती है, ऐसे संस्थानों की कुछ वर्षों से आर्थिक हालत खराब हो रही है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि मॉडर्न बेकरी का सरकारीकरण समाप्त करके उसका प्राइवेटाईजेशन किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई हैं? यदि नहीं कराई हैं तो क्या आप उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए कोई ऋण सहायता उपलब्ध करायेंगे?

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल मॉडर्न फूड इंडस्ट्री से संबंधित है। इस प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं है। जहां तक मॉडर्न फूड इंडस्ट्री का सवाल है, तो इसके बारे में सरकार का फैसला डिसइन्वेस्टमैंट का हो चुका है।

[हिन्दी]

जल प्रबंधन

+

*243. **श्री ब्रजमोहन राम:***
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल संसाधनों में वृद्धि करने एवं उनका दोहन करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने हेतु देश में राज्यवार कौन-कौन-सी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गई और जारी की गई तथा 1999-2000 के दौरान कितनी धनराशि जारी किये जाने का विचार है;

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रत्येक राज्य सरकार ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं; और

(घ) देश में इन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (डा॰ सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जल संसाधनों में वृद्धि करने तथा उन्हें उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के वास्ते देश में दस केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये स्कीमें इस प्रकार है :-

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का कार्यान्वयन करने वाला मंत्रालय	प्रचालनाधीन स्कीमें
1	2
1. जल संसाधन मंत्रालय	(i) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम
	(ii) लघु सिंचाई आंकड़ों का युक्तिकरण
	(iii) सतलज यमुना सम्पर्क नहर
2. कृषि मंत्रालय	(iv) नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
	(v) बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
3. ग्रामीण क्षेत्र मंत्रालय	(vi) वर्षापोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना
	(vii) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
	(viii) मिलियन वेल्स स्कीम
	(ix) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
	(x) गंगा कल्याण योजना

जिन राज्यों में इन स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है उनकी सूची अनुलग्नक-I पर दी गई है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता अनुमोदित वित्त प्रणाली, राज्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए बजट प्रावधान, अनुमोदित मापदण्डों और संबंधित स्कीम के कार्य निष्पादन के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। गत तीन वर्षों (1996-97 से 1998-99 तक) के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत किए गए उल्लेख के अनुसार राज्य-वार और वर्ष-वार जारी की गई निधियों और उपलब्धियों की स्थिति अनुलग्नक-II(क) से II(झ) में दर्शाई गई है। वर्ष 1999-2000 के दौरान सभी स्कीमों के लिए राज्य-वार जारी की जाने वाली वास्तविक केन्द्रीय सहायता वर्ष के दौरान किए गए कार्य निष्पादन (परफौरमेंश) पर निर्भर करेगी। राज्य सरकार द्वारा काम रोकने के कारण इस अवधि के दौरान सतलज-यमुना संपर्क नहर के लिए कोई निधियां जारी नहीं की गई। यह मामला न्यायाधीन है। इन स्कीमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा आवधिक प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा कर बैठकें आयोजित कर और अधिकारियों द्वारा दौरे कर इसकी गहन मानीटरिंग की जाती है।

अनुलग्नक-I

ऐसे राज्य जहां जल संसाधनों को बढ़ाने और काम में लाने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन के केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के नाम								
		कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडीपी)	लघु सिंचाई आंकड़ों का युक्तिकरण (आरएम आईएस)	आरबीपी के आवाहों में मृदा संरक्षण (एससीसी आरबीपी)	एफपीआर के आवाहों में मृदा संरक्षण (एससीसी एफपीआर)	अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडी पीआरए)	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआर डीपी)	मिलियन वेल्स स्कीम (एम डब्ल्यू एस)	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यू एसपी)	गंगा कल्याण योजना (जीकेवाई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
3.	असम	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
4.	बिहार	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	गोवा	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
6.	गुजरात	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
7.	हरियाणा	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	हिमाचल प्रदेश	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	जम्मू और कश्मीर	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
10.	कर्नाटक	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
11.	केरल	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
12.	मध्य प्रदेश	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
13.	महाराष्ट्र	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
14.	मणिपुर	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
15.	मेघालय	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
16.	मिजोरम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
17.	नागालैंड	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
18.	उड़ीसा	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
19.	पंजाब	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
20.	राजस्थान	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
21.	सिक्किम	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
22.	तमिलनाडु	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
23.	त्रिपुरा	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
24.	उत्तर प्रदेश	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
25.	प. बंगाल	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
संघ राज्य क्षेत्र										
1.	अं. और नि. द्वीप समूह	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं
2.	चण्डीगढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3.	दादरा और नगर हवेली	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं
4.	दमन व दीव	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
5.	दिल्ली	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं
6.	लक्षद्वीप	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
7.	पांडिचेरी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं

एमआई—लघु सिंचाई आरबीपी—नदी घाटी परियोजनाएं एफपीआर—बाढ़ प्रवण नदियां

अनुलग्नक-II (क)

वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र द्वारा जारी की गई धनराशि

(इकाई—लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्र द्वारा जारी की गई धनराशि			
		1996-97	1997-98	1998-99	कुल
राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	99.40	3839.57	0.00	3938.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	124.00	0.00	124.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	39.00	20.00	0.00	59.00
6.	गुजरात	444.38	97.11	324.19	865.68
7.	हरियाणा	1247.18	1116.85	1294.63	3658.66
8.	हिमाचल प्रदेश	44.02	73.07	52.90	169.99
9.	जम्मू और कश्मीर	252.23	189.90	233.99	676.12
10.	कर्नाटक	845.59	437.87	668.00	1951.46
11.	केरल	466.96	200.00	806.04	1473.00
12.	मध्य प्रदेश	65.00	6.25	245.99	317.24
13.	महाराष्ट्र	1439.92	298.30	1719.15	3457.37
14.	मणिपुर	130.69	86.91	132.33	349.93
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	6.43	6.43
17.	उड़ीसा	353.99	231.47	774.40	1359.86
18.	पंजाब	0.00	0.00	500.00	500.00
19.	राजस्थान	3948.17	2226.65	3834.87	10009.69
20.	तमिलनाडु	2081.99	552.46	2507.27	5141.72
21.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	2022.60	3057.83	3959.24	9039.67
23.	पश्चिम बंगाल	112.19	90.00	275.00	477.19
	कुल राज्य	13593.31	12648.24	17334.43	43575.98
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	13593.31	12648.24	17334.43	43575.98

अनुलग्नक-

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खेत चैनल				वाराबन्दी			
		1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	0.03	2.15	3.34	5.52	11.49	4.80	10.24	26.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.15	0.44	0.83	1.42	0.02	0.86	0.00	0.88
4.	बिहार	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.10	0.00	0.00	0.10	1.50	0.00	1.44	2.94
6.	गुजरात	10.53	7.24	20.60	38.37	12.43	5.87	8.38	26.68
7.	हरियाणा	35.79	28.21	23.65	87.65	2.17	0.00	0.00	2.17
8.	हिमाचल प्रदेश	0.55	1.41	0.00	1.96	0.25	2.38	0.00	2.63
9.	जम्मू और कश्मीर	4.52	6.97	5.39	16.88	30.92	45.64	90.69	167.25
10.	कर्नाटक	23.75	11.03	10.35	45.13	7.49	16.29	8.20	31.98
11.	केरल	14.39	7.89	7.12	29.40	11.15	9.11	20.28	40.54
12.	मध्य प्रदेश	1.41	4.23	10.86	16.50	0.00	0.17	1.18	1.35
13.	महाराष्ट्र	20.88	25.23	27.67	73.78	4.87	21.24	8.69	34.80
14.	मणिपुर	2.24	3.33	4.48	10.05	0.51	0.57	0.16	1.24
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	18.66	7.00	12.89	38.55	0.00	15.00	13.40	28.40
18.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान	69.39	54.25	65.95	189.59	69.39	54.25	0.00	123.64
20.	तमिलनाडु	41.61	46.61	53.82	142.04	60.84	75.91	81.82	218.57
21.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	126.87	112.20	71.54	310.61	204.61	176.26	89.29	470.16
23.	प. बंगाल	5.35	0.82	3.36	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल राज्य	376.22	319.01	322.44	1017.67	417.64	428.35	333.77	1179.76
संघ	**राज्य क्षेत्र**								
1.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	376.22	319.01	322.44	1017.67	417.64	428.35	333.77	1179.76

II(क)

के लिए खेती संबंधी विकास कार्यों के संबंध में वास्तविक उपलब्धियों के ब्यौरे

(इकाई : हजार हेक्टेयर में)

भूमि समतलन				खेत नालियां			
1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
6.00	3.89	4.30	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.52	0.00	0.53
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.01	0.04	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
0.05	0.03	0.00	0.08	0.00	0.00	0.02	0.02
0.51	0.47	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43
1.91	2.27	1.26	5.44	1.40	2.27	2.45	6.12
0.00	0.00	5.41	5.41	0.66	0.25	2.82	3.73
0.08	0.23	0.12	0.43	4.48	16.37	32.54	53.39
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.45	0.00	0.00	1.45	9.81	0.00	13.27	23.08
0.00	0.35	0.15	0.50	0.47	0.07	0.08	0.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06
0.16	0.00	0.00	0.16	8.23	5.06	3.96	17.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.60	3.98	11.28	15.86	2.60	2.78	9.76	15.14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.76	11.23	22.56	44.55	27.66	27.75	64.96	120.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.76	11.23	22.56	44.55	27.66	27.75	64.96	120.37

दमन गंगा परियोजना, गुजरात, दमन और द्वीव तथा दादरा व नगर हवेली के तहत आती है। इस परियोजना की वास्तविक उपलब्धियां गुजरात के अन्तर्गत दर्शायी गई हैं।

अनुलग्नक-II (ख)

वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान लघु सिंचाई आंकड़ों के युक्तिकरण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत केन्द्र द्वारा जारी की गई धनराशि के ब्यौरे

(इकाई–लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्र द्वारा जारी की गई धनराशि			
		1996-97	1997-98	1998-99	कुल
राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	12.21	10.00	15.22	37.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	4.18	5.08	5.57	14.83
4.	बिहार	0.00	0.00	6.22	6.22
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	13.58	12.91	24.33	50.85
7.	हरियाणा	3.85	0.00	15.84	19.69
8.	हिमाचल प्रदेश	6.39	5.20	13.01	24.60
9.	जम्मू और कश्मीर	8.34	7.66	9.53	25.53
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	8.47	9.94	11.64	30.05
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	21.93	21.93
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	2.89	0.00	0.00	2.89
18.	उड़ीसा	6.67	8.48	9.17	24.32
19.	पंजाब	4.64	9.27	9.33	23.24
20.	राजस्थान	5.25	3.65	1.78	10.68
21.	सिक्किम	0.00	0.00	4.33	4.33
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	6.46	6.46
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	35.13	9.38	10.29	54.80
	कुल राज्य	111.60	81.57	164.65	357.82
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	दादरा और नगर हवेली	0.00	1.87	2.01	3.88
3.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00	1.87	2.01	3.88
	कुल योग :	111.60	83.44	166.66	361.70

अनुलग्नक-II (ग)

वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह में मृदा संरक्षण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता की राशि का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	किया गया आबंटन (लाख रुपये में)				जमा की गई राशि (लाख रुपये)				उपलब्धि हजार हेक्टेयर में			
		1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	773.00	668.00	600.00	2041.00	773.00	668.00	651.50	2092.50	13.29	14.79	12.44	40.52
2.	असम	20.00	20.00	50.00	90.00	20.00	20.00	10.00	50.00	1.54	2.78	0.54	4.86
3.	बिहार	50.00	50.00	100.00	200.00	50.00	50.00	0.00	100.00	0.35	0.10	0.00	0.45
4.	गुजरात	333.00	266.00	403.00	1002.00	333.00	266.00	433.00	1032.00	6.04	5.02	6.57	17.63
5.	हिमाचल प्रदेश	480.00	400.00	500.00	1380.00	480.00	400.00	520.00	1400.00	5.40	5.99	7.75	19.14
6.	जम्मू व कश्मीर	364.00	458.00	550.00	1372.00	364.00	458.00	599.00	1421.00	6.48	7.10	7.88	21.46
7.	कर्नाटक	751.00	950.00	1000.00	2701.00	751.00	950.00	1115.00	2816.00	37.95	40.26	23.35	101.56
8.	केरल	92.00	0.00	50.00	142.00	92.00	0.00	68.88	160.88	1.00	0.53	0.00	1.53
9.	(क) मध्य प्रदेश	650.00	900.00	1050.00	2600.00	500.00	700.00	1032.72	2232.72	25.44	13.67	26.62	65.73
	(ख) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण					150.00	200.00	559.86					
10.	महाराष्ट	600.00	820.00	1000.00	2420.00	600.00	820.00	1300.00	2720.00	40.26	29.63	10.31	80.20
11.	उड़ीसा	260.00	100.00	250.00	610.00	260.00	100.00	112.39	472.39	4.88	3.62	7.22	15.72
12.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	राजस्थान	765.00	870.00	1100.00	2735.00	765.00	870.00	879.00	2514.00	17.19	16.37	17.29	50.85
14.	सिक्किम	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55	0.00	0.00	5.55
15.	तमिलनाडु	600.00	600.00	500.00	1700.00	600.00	600.00	580.00	1780.00	8.24	8.52	7.43	24.19
16.	त्रिपुरा	0.00	31.00	50.00	81.00	0.00	31.00	30.00	61.00	0.00	0.16	0.35	0.51
17.	उत्तर प्रदेश	360.00	100.00	220.00	680.00	360.00	100.00	254.72	714.72	5.08	2.47	3.96	11.51
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	100.00	250.00	350.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2.14	1.01	17.72	20.87
19.	दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)	400.00	400.00	400.00	1200.00	400.00	400.00	400.00					
	कुल	6498.00	6733.00	8123.00	21354.00	6498.00	6733.00	8146.07	19667.21	180.83	152.02	149.43	482.28

अनुलग्नक-II (घ)

वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान बाढ़ प्रवण नदी स्कीम के आवाह में केन्द्र प्रायोजित मृदा संरक्षण के तहत आबंटन, केन्द्रीय सहायता की जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	अवधि के दौरान किया गया आबंटन (लाख रुपये में)				अवधि के दौरान जारी धनराशि (लाख रुपये में)				उपलब्धि हजार हेक्टेयर में			
		1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
1.	बिहार	50.00	48.00	100.00	198.00	50.00	48.00	0.00	98.00	3.72	1.10	0.00	4.82
2.	हरियाणा	70.00	90.00	160.00	320.00	70.00	90.00	218.00	378.00	4.38	3.15	3.25	10.78
3.	हिमाचल प्रदेश	150.00	250.00	300.00	700.00	150.00	250.00	373.20	773.20	4.54	3.12	4.13	11.79
4.	मध्य प्रदेश	450.00	694.00	800.00	1944.00	450.00	694.00	812.01	1956.01	7.46	12.04	15.34	34.84
5.	पंजाब	40.00	30.00	80.00	150.00	40.00	30.00	51.00	121.00	1.81	2.90	0.60	5.31
6.	राजस्थान	758.00	747.00	1000.00	2505.00	758.00	747.00	680.00	2185.00	16.44	17.38	9.21	43.03
7.	उत्तर प्रदेश	1636.00	2000.00	2240.00	5876.00	1636.00	2000.00	2179.72	5815.72	52.44	50.96	50.05	153.45
8.	पश्चिम बंगाल	15.00	0.00	100.00	115.00	15.00	0.00	20.00	35.00	0.68	0.62	0.00	1.30
9.	मुख्यालय					10.00	19.00	20.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	3169.00	3859.00	4780.00	11808.00	3179.00	3878.00	4353.93	11410.93	91.47	91.27	82.58	265.32

अनुलग्नक-II (ङ)

वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत किए गए आबंटनों और जारी की गई राशियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किया गया आबंटन (लाख रुपये में)				केन्द्र द्वारा जारी राशि (लाख रुपये में)				सुधारा गया क्षेत्र हेक्टेयर में			
		1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य													
1.	आंध्र प्रदेश	320.00	700.00	900.00	1920.00	320.00	700.00	900.00	1920.00	21054	29037	36728	86819
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.00	10.00	125.00	176.00	0.00	0.00	31.00	41.00	839	200	830	1869
3.	असम	115.00	15.00	500.00	630.00	0.00	0.00	125.00	125.00	2543	17597	1715	21855
4.	बिहार	300.00	15.00	500.00	815.00	0.00	0.00	125.00	125.00	11707	7976	990	20673
5.	गोवा	10.00	5.00	30.00	45.00	0.00	0.00	8.00	8.00	1260	400	1000	2660
6.	गुजरात	1500.00	700.00	2000.00	4200.00	332.00	700.00	2000.00	3032.00	29557	17901	61780	109238
7.	हरियाणा	125.00	80.00	220.00	425.00	60.00	80.00	220.00	360.00	3622	3337	6544	13503
8.	हिमाचल प्रदेश	280.00	120.00	300.00	700.00	60.00	120.00	175.00	355.00	7551	587	2600	10738
9.	जम्मू और कश्मीर	70.00	108.00	150.00	328.00	0.00	108.00	38.00	146.00	375	52	0	427
10.	कर्नाटक	2100.00	2100.00	2000.00	6200.00	1095.00	2100.00	2000.00	5195.00	85616	5476	92300	183392
11.	केरल	210.00	500.00	1500.00	2210.00	700.00	500.00	1434.00	2634.00	20642	0	0	20642
12.	मध्य प्रदेश	2800.00	1750.00	2500.00	7050.00	3700.00	1434.00	1609.00	6743.00	228063	16955	90230	335248
13.	महाराष्ट्र	5500.00	2500.00	3060.00	11060.00	2754.00	2500.00	3060.00	8314.00	116902	58036	71675	246613
14.	मणिपुर	3.00	250.00	300.00	553.00	100.00	250.00	200.00	550.00	2353	1233	250	3836
15.	मेघालय	7.00	15.00	200.00	222.00	0.00	0.00	200.00	200.00	840	2820	3552	7212
16.	मिजोरम	0.00	225.00	500.00	725.00	0.00	225.00	700.00	925.00	1230	0	11233	12463
17.	नागालैंड	18.00	160.00	500.00	678.00	18.00	160.00	500.00	678.00	0	28000	11149	39149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	उड़ीसा	890.00	1200.00	2200.00	4290.00	1000.00	1200.00	550.00	2750.00	61746	632	13623	76001
19.	पंजाब	17.00	40.00	45.00	102.00	0.00	40.00	45.00	85.00	2497	75950	1125	79572
20.	राजस्थान	3016.00	2850.00	4000.00	9866.00	3016.00	2581.00	4000.00	9597.00	126543	2000	89459	218002
21.	सिक्किम	19.00	90.00	150.00	259.00	41.00	90.00	150.00	281.00	1129	24145	4500	29774
22.	तमिलनाडु	590.00	900.00	1650.00	3140.00	240.00	900.00	1650.00	2790.00	35840	1403	50567	87810
23.	त्रिपुरा	4.00	130.00	200.00	334.00	4.00	130.00	300.00	434.00	463	20311	6412	27186
24.	उत्तर प्रदेश	1050.00	1000.00	2500.00	4550.00	1000.00	1000.00	1750.00	3750.00	38438	13176	699947	751561
25.	पश्चिम बंगाल	790.00	10.00	600.00	1400.00	0.00	10.00	600.00	610.00	18000	0	22408	40408
	कुल राज्य	19775.00	15473.00	26630.00	61878.00	14440.00	14838.00	22370.00	51648.00	818810	327224	1280617	2426651
संघ राज्य क्षेत्र													
1.	अंडमान व निकोबार	65.00	25.00	65.00	155.00	50.00	25.00	65.00	140.00	560	517	972	2049
2.	दादरा और नगर ह०	10.00	2.00	5.00	17.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	75.00	27.00	70.00	172.00	50.00	26.00	66.00	142.00	560	517	972	2049
	कुल जोड़	19850.00	15500.00	26700.00	62050.00	14490.00	14864.00	22436.00	51790.00	819370	327741	1281589	2428700

अनुलग्नक-II (च)

वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए आबंटनों और जारी की गई राशियों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किया गया आबंटन (लाख रुपए में)				केन्द्र द्वारा जारी राशि (लाख रुपए में)			
		1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	8336.41	8612.22	7734.30	24682.93	12065.74	9634.21	3870.32	25570.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	623.43	644.06	403.82	1671.31	471.59	651.30	202.78	1325.67
3.	असम	2743.5	2834.24	10492.72	16070.46	244.47	2038.38	5246.36	7529.21
4.	बिहार	16218.24	16754.8	25336.66	58309.7	10999.78	9090.27	6608.31	26698.36
5.	गोवा	141.87	146.58	17.82	306.27	90.33	120.89	24.43	235.65
6.	गुजरात	3059.22	3160.44	2911.34	9131	3213.83	3850.61	1455.67	8520.11
7.	हरियाणा	735.33	759.66	1712.78	3207.77	767.80	938.04	692.00	2397.84
8.	हिमाचल प्रदेश	239.78	247.72	721.32	1208.82	242.50	386.04	323.26	951.80
9.	जम्मू और कश्मीर	999.09	1032.16	892.74	2923.99	766.69	777.17	319.20	1863.06
10.	कर्नाटक	5594.91	5780	580.48	11955.39	4072.57	4695.63	2439.51	11207.71
11.	केरल	2036.15	2103.5	2620.60	6760.25	2061.12	2226.81	1346.69	5834.62
12.	मध्य प्रदेश	10565.39	10914.94	12842.50	34322.83	9929.21	9328.36	6421.25	25678.82
13.	महाराष्ट्र	9087.73	9388.4	11542.22	30018.35	7281.26	8541.07	5772.63	21594.96
14.	मणिपुर	449.59	464.48	703.42	1617.49	501.56	235.15	87.76	824.47
15.	मेघालय	477.57	493.36	788.10	1759.03	497.86	323.10	144.49	965.45
16.	मिजोरम	201.82	208.5	182.36	592.68	206.07	240.56	104.25	550.88
17.	नागालैंड	335.69	346.8	540.60	1223.09	451.40	208.71	86.70	746.81
18.	उड़ीसा	6763.85	6987.62	8846.44	22597.91	6129.85	6178.52	4384.65	16693.02
19.	पंजाब	521.53	538.78	832.40	1892.71	516.81	716.31	416.18	1649.30
20.	राजस्थान	4388.01	4533.18	4434.88	13356.07	4020.59	3743.08	2084.45	9848.12
21.	सिक्किम	55.95	57.8	201.90	315.65	81.75	126.92	90.57	299.24
22.	तमिलनाडु	7537.14	7786.5	6838.82	22162.46	4517.82	6981.61	3463.58	14963.01
23.	त्रिपुरा	641.42	662.64	1270.06	2574.12	959.87	779.58	635.03	2374.48
24.	उत्तर प्रदेश	20316.5	20988.66	27883.22	69188.38	20212.39	18884.17	13889.50	52986.06
25.	पश्चिम बंगाल	7472.2	7719.42	9831.06	25022.68	3577.38	4525.15	2321.76	10424.29
	कुल राज्य	109542.32	113166.46	140162.56	362871.34	93880.24	95221.64	62431.33	251533.21
संघ राज्य क्षेत्र									
1.	अंडमान व निकोबार	70.94	73.29	69.58	213.81	51.94	41.70	63.00	156.64
2.	दादरा और नगर हवेली	14.99	15.29	41.53	71.81	14.99	31.13	21.88	68.00
3.	दमन और दीव	27.97	28.9	27.43	84.3	13.98	28.91	13.72	56.61
4.	लक्षद्वीप	6.99	7.22	6.85	21.06	6.99	17.78	3.43	28.20
5.	पांडिचेरी	57.95	59.87	56.83	174.65	50.13	83.52	29.93	163.58
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	178.34	184.57	202.22	565.63	138.03	203.04	131.96	473.03
	कुल जोड़	109721.16	113351.03	140364.78	363436.97	94018.27	95424.68	62563.29	252006.24

अनुलग्नक-II (छ)

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान मिलियन वेल्स स्कीम के अंतर्गत किए गए आबंटनों और जारी की गई राशियों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किया गया आबंटन (लाख रुपये में)				केन्द्र द्वारा जारी राशि (लाख रुपये में)				कुओं की उपलब्धता (संख्या)			
		1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य													
1.	आंध्र प्रदेश	4342.14	4342.14	3165.49	11849.77	4342.14	4280.93	3163.08	11786.15	13169	7952	7110	28231
2.	अरुणाचल प्रदेश	44.58	44.58	69.60	158.76	25.56	28.61	102.99	157.18	89	19	80	188
3.	असम	1429.41	1429.41	1808.38	4667.2	1312.68	1512.78	3777.99	6603.45	2332	993	2954	6279
4.	बिहार	8516.94	8516.94	10369.79	27403.67	5811.98	5836.15	7753.78	19401.91	22911	23307	15766	61984
5.	गोवा	48.16	48.16	7.30	103.62	24.08	13.13	3.65	40.86	33	16	51	100
6.	गुजरात	1593.91	1593.91	1191.55	4379.37	1442.70	1216.18	1191.54	3850.42	3148	2773	2498	8419
7.	हरियाणा	382.88	382.77	701.01	1486.77	267.01	225.79	473.00	965.80	363	483	643	1489
8.	हिमाचल प्रदेश	153.04	153.04	295.23	601.31	112.15	120.43	203.49	436.07	670	602	531	1803
9.	जम्मू और कश्मीर	310.99	310.99	365.38	987.36	294.76	241.18	319.71	855.65	1544	1182	1628	4354
10.	कर्नाटक	2915.55	2915.55	2390.40	8221.5	2635.64	2550.56	2390.40	7576.60	3004	3096	2106	8206
11.	केरल	1060.71	1060.71	1072.56	3193.98	880.94	1029.53	1055.09	2965.56	2268	3976	4070	10314
12.	मध्य प्रदेश	5502.11	5502.11	5256.18	16260.4	4296.14	4221.40	4401.39	12918.93	19950	15296	17584	52830
13.	महाराष्ट्र	4733.53	4733.53	4725.23	14192.29	4128.54	4096.46	4725.23	12950.23	8002	8324	8243	24569
14.	मणिपुर	57.14	57.14	121.24	235.52	52.25	33.76	118.94	204.95	429	218	465	1112
15.	मेघालय	66.85	66.85	135.83	269.53	37.68	42.10	274.79	354.57	885	468	809	2162
16.	मिजोरम	28.16	28.16	31.43	87.75	28.16	28.19	70.00	126.35	483	325	865	1673
17.	नागालैंड	71.66	71.66	93.16	236.48	61.76	71.66	104.36	237.78	80	608	256	944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	उड़ीसा	3522.49	3522.49	3620.68	10665.86	2373.35	3581.61	3620.68	9575.64	18349	15798	11124	45271
19.	पंजाब	272.28	272.28	340.69	885.25	243.84	107.71	0.00	351.55	0	0	0	0
20.	राजस्थान	2285.93	2285.93	1815.11	6386.97	1272.96	1630.98	463.06	3367.00	2389	2128	2838	7355
21.	सिक्किम	26.09	26.09	34.80	86.98	21.70	26.09	77.50	125.29	91	89	47	227
22.	तमिलनाडु	3925.23	3925.23	2798.99	10649.45	3459.71	3825.23	2798.99	10183.93	5962	3626	5048	14636
23.	त्रिपुरा	74.21	74.21	218.89	367.31	74.21	74.21	486.16	634.58	1221	801	3870	5892
24.	उत्तर प्रदेश	10581.64	10581.64	11412.05	32575.33	8666.26	9689.41	7446.38	25782.05	43	44	396	483
25.	पश्चिम बंगाल	3891.19	3891.19	4023.65	11806.03	3381.56	2170.89	1969.75	7322.20	1461	403	6154	8018
	कुल राज्य	55836.82	55836.82	56064.62	167738.26	45247.76	46734.97	46791.95	138774.68	108876	92527	95136	296539
संघ राज्य क्षेत्र													
1.	अंडमान व निकोबार	21.11	21.11	13.47	55.69	10.55	0.00	0.00	10.55	13	4	6	23
2.	दादरा और नगर हवेली	11.46	11.46	13.47	36.39	11.07	5.73	13.47	30.27	8	16	22	46
3.	दमन और दीव	6.76	6.76	0.45	13.97	3.38	0.00	0.00	3.38	0	2	0	2
4.	लक्षद्वीप	10.58	10.58	0.90	22.06	5.29	5.29	0.00	10.58	0	140	0	140
5.	पांडिचेरी	20.66	20.66	17.06	58.38	10.32	0.00	0.00	10.32	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	70.57	70.57	45.36	186.49	40.61	11.02	13.47	65.10	21	162	28	211
	कुल जोड़	55907.39	55907.39	56109.97	167924.75	45288.37	46745.99	46805.42	138839.78	108897	92689	95164	296750

अनुलग्नक-II (ङ)

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए आबंटनों और जारी की गई राशियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किया गया आबंटन (करोड़ रुपये में)				केन्द्र द्वारा जारी राशि (करोड़ रुपये में)				शामिल जनसंख्या (लाख में)			
		1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य													
1.	आंध्र प्रदेश	66.180	79.640	99.914	245.734	66.272	88.068	99.914	254.704	27.800	32.260	27.570	87.630
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.000	14.440	36.230	62.670	12.000	24.760	21.638	58.398	0.579	0.490	0.180	1.249
3.	असम	20.260	24.380	61.200	105.840	23.535	23.765	64.170	111.470	3.655	4.850	8.330	16.835
4.	बिहार	77.950	93.800	117.685	269.435	31.130	0.000	0.000	31.130	6.430	30.330	14.710	51.470
5.	गोवा	1.890	2.270	2.837	6.997	5.504	1.965	0.000	7.469	0.364	0.030	0.230	0.624
6.	गुजरात	41.970	49.670	58.605	150.445	41.970	58.866	69.513	170.349	7.060	10.140	19.890	37.090
7.	हरियाणा	24.410	27.360	21.909	73.679	25.500	32.592	20.250	78.342	15.020	16.940	12.820	44.780
8.	हिमाचल प्रदेश	13.310	15.960	19.671	46.941	19.340	17.090	29.133	65.563	1.080	1.520	1.450	4.050
9.	जम्मू और कश्मीर	36.880	44.310	55.146	136.336	37.350	46.940	46.594	130.884	0.003	0.000	1.700	1.703
10.	कर्नाटक	60.870	73.250	91.774	225.894	67.207	99.377	100.706	267.290	22.740	30.700	21.240	74.680
11.	केरल	30.950	37.240	46.735	114.925	32.637	35.647	46.735	115.019	2.377	4.260	5.780	12.417
12.	मध्य प्रदेश	73.270	88.170	110.631	272.071	73.136	83.457	110.611	267.204	21.294	44.490	36.680	102.464
13.	महाराष्ट्र	88.100	106.020	133.015	327.135	91.810	120.872	163.845	376.527	36.413	33.950	56.860	127.223
14.	मणिपुर	4.400	5.290	13.300	22.990	4.786	9.070	6.667	20.523	0.495	1.320	0.000	1.815
15.	मेघालय	4.720	5.680	14.250	24.650	5.720	7.432	17.090	30.242	0.675	0.550	0.570	1.795
16.	मिजोरम	3.370	4.060	10.180	17.610	4.289	5.836	10.177	20.302	0.149	0.320	1.040	1.509
17.	नागालैंड	4.220	4.220	10.580	19.020	4.220	2.110	7.969	14.299	0.000	0.040	0.600	0.640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	उड़ीसा	34.680	41.730	52.365	128.775	41.538	50.384	47.937	139.859	10.681	8.240	6.970	25.891
19.	पंजाब	11.050	13.300	16.686	41.036	12.890	17.140	22.053	52.083	2.341	2.030	1.240	5.611
20.	राजस्थान	103.870	118.630	109.545	332.045	115.870	137.832	119.416	373.118	6.630	7.110	3.710	17.450
21.	सिक्किम	3.720	3.720	4.340	11.780	4.720	4.356	14.011	23.087	0.096	0.090	0.230	0.416
22.	तमिलनाडु	52.470	63.140	79.225	194.835	53.330	58.344	105.275	216.949	20.970	29.590	41.710	92.270
23.	त्रिपुरा	4.180	5.030	12.620	21.830	8.500	7.620	21.289	37.409	2.611	0.950	1.070	4.631
24.	उत्तर प्रदेश	122.780	147.750	185.379	455.909	117.282	151.827	162.971	432.080	26.240	94.110	54.890	175.240
25.	पश्चिम बंगाल	47.400	57.040	71.696	176.436	45.213	44.115	64.259	153.597	11.650	12.400	20.330	44.380
	कुल राज्य	944.900	1126.300	1435.518	3506.718	946.199	1129.465	1372.233	3447.897	227.353	366.710	339.800	933.863
संघ राज्य क्षेत्र													
1.	अंडमान व निकोबार	0.250	0.125	0.125	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.440	0.070	0.020	0.530
2.	दादरा और नगर हवेली	0.150	0.125	0.125	0.400	0.030	0.000	0.000	0.030	0.000	0.040	0.060	0.100
3.	दमन और दीव	0.300	0.050	0.125	0.475	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.	दिल्ली	0.000	0.125	0.050		0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	1.240	1.240
5.	लक्षद्वीप	0.200	0.050	0.125	0.375	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.030	0.000	0.030
6.	पांडिचेरी	0.100	0.125	0.050	0.275	0.100	0.100	0.000	0.200	0.345	0.090	0.150	0.585
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1.000	0.600	0.600	2.025	0.130	0.100	0.000	0.230	0.785	0.230	1.470	2.485
	कुल जोड़	945.900	1126.900	1436.118	3508.918	946.329	1129.565	1372.233	3448.127	228.138	366.940	341.270	936.348

अनुलग्नक-II (ङ)

वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान गंगा कल्याण योजना के अंतर्गत किए गए आबंटनों और जारी की गई राशियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल आबंटन	केन्द्र द्वारा जारी राशि (लाख रुपये में)				व्यक्तिगत परियोजनाएं (लाख रुपये में)				परियोजनाओं का संग्रह (संख्या)			
			1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल	1996-97	1997-98	1998-99	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
राज्य														
1.	आंध्र प्रदेश	929.50	743.60	780.62	0.00	1524.62	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	69.41	55.53	56.67	0.00	112.20	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	306.19	244.95	426.22	0.00	671.17	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	1807.34	1445.87	1531.15	0.00	2977.02	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	गोवा	16.29	13.03	12.89	0.00	25.92	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	341.54	273.23	286.59	0.00	559.82	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	हरियाणा	81.68	65.34	68.85	0.00	134.19	0	22	0	22	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	27.18	21.74	22.49	0.00	44.23	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	102.50	82.00	90.82	0.00	172.82	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	623.33	498.66	524.11	0.00	1022.77	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	केरल	227.25	181.80	190.66	0.00	372.46	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	1177.24	941.79	989.16	0.00	1930.95	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	महाराष्ट्र	1012.56	810.05	850.96	0.00	1661.01	0	21	0	21	0	0	0	0
14.	मणिपुर	50.33	40.26	40.87	0.00	81.13	0	4	0	4	22	0	0	22
15.	मेघालय	53.09	42.47	43.41	0.00	85.88	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0.00	0.00	18.35	0.00	18.35	0	194	0	194	0	0	0	0
17.	नागालैंड	36.79	29.43	30.52	0.00	59.95	0	138	0	138	70	0	0	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	उड़ीसा	753.95	603.16	633.23	0.00	1236.39	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	पंजाब	58.49	46.79	48.96	0.00	95.75	0	135	0	135	0	0	0	0
20.	राजस्थान	488.61	390.89	410.99	0.00	801.88	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	सिक्किम	6.83	5.46	5.09	0.00	10.55	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	257.95	0.00	257.95	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	त्रिपुरा	87.50	70.00	112.98	0.00	182.98	0	1160	0	1160	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	2262.06	1809.65	1846.79	0.00	3656.44	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	832.88	666.30	699.58	0.00	1365.88	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल राज्य	11352.54	9082.00	9979.91	0.00	19061.91	0	1674	0	1674	92	0	0	92
संघ राज्य क्षेत्र														
1.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	दमन और दीव	0.00	0.00	5.09	0.00	5.09	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	1.27	0.00	1.27	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	पांडिचेरी	0.00	0.00	10.55	0.00	10.55	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00	0.00	19.64	0.00	19.64	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल जोड़	11352.54	9082.00	9999.55	0.00	19081.55	0	1674	0	1674	92	0	0	92

[हिन्दी]

श्री ब्रजमोहन राम : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण बिहार के लिए स्वर्ण मल्टी परपस प्रोजैक्ट तो पिछले बीस वर्षों से चल रहा है, अभी तक प्रथम चरण का काम भी पूरा नहीं हो सका है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह योजना अधिक पैसा लगने के कारण अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि स्वर्ण रेखा योजना के पूरा होने का क्या समय है? क्या केन्द्रीय टीम भेजकर स्थिति की जानकारी लेकर सदन को अवगत कराएंगे?

कनहर और ओरंगा सिंचाई योजना जो कई वर्षों से पैसे के अभाव में लंबित पड़ी हुई है, अधूरी है पैसे के अभाव में। हम जानना चाहेंगे कि इसे कब तक पूरा करवाएंगे? जो मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू और गढ़वा में अवस्थित है।

डा० सी० पी० ठाकुर : स्वर्ण रेखा योजना के विषय में माननीय सदस्य ने जो पूछा है, ऐनवायर्नमैंटल क्लीयरेंस न मिलने के कारण वह बंद है। जब क्लीयरेंस हो जाएगी, केन्द्रीय सरकार चाहती है कि उस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो। दूसरी योजना के विषय में भी हम लिखा-पढ़ी कर रहे हैं, राज्य सरकार से भी कर रहे हैं कि जो लंबित योजना है, राष्ट्रपति महोदय ने अभिभाषण में भी उल्लेख किया है, जो भी लंबित योजनाएं हैं, हम उनकी छानबीन कर रहे हैं कि उन्हें कैसे पूरा करें और जो पैसा खर्च हो गया है, उसका सही यूटीलाईजेशन हो।

श्री ब्रजमोहन राम: उपाध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि वह कब तक पूरा हो जाएगा? मंत्री जी यह नहीं बता पा रहे हैं। यदि बताने का कष्ट करते तो ज्यादा अच्छा होता। *(व्यवधान)* कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक क्लीयर हो जाएगा। मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : चार हजार करोड़ रुपये खर्च करके आज दस साल बाद आप कह रहे हैं कि पर्यावरण के लिए मामला फंसा है। यह बहुत बड़ा मामला है। पूरे दक्षिण बिहार का प्रमुख है। इस मामले को स्पष्ट करवाएं क्योंकि जब पर्यावरण में मामला फंस जाता है तो *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

डा० सी०पी० ठाकुर : ऐसा बहुत सी जगह हैं जहाँ पर्यावरण के चलते मामला फंसा हुआ है। माननीय सदस्यों की सहायता से कोई मकैनिजम उसे डैवलप करें ताकि पर्यावरण की क्लीयरेंस की एक अवधि हो। हम निश्चित करके उसे करेंगे। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, बुंदेलखंड क्षेत्र में जब सिंचाई परियोजाओं का सवाल आता है, उस क्षेत्र के साथ पहले ही यह अन्याय हुआ कि उसे दो प्रान्तों में बांट दिया गया। कोई उद्योग नहीं है। वहां जीविकोपार्जन का यदि कोई एकमात्र साधन है तो वह कृषि है। आप पता कर लें, आपके रिकार्ड में है, सर्वेक्षण में है कि देश का न्यूनतम सिंचाई प्रतिशत यदि कहीं है तो वह बुंदेलखंड क्षेत्र में है। उस क्षेत्र में एक बरियारपुर बाई नहर परियोजना 1980 में आरंभ की गई जिसका निर्माण 1986-87 में समाप्त होना था। वह परियोजना आज तक पूरी नहीं की जा सकी है। दूसरी तरफ केन बहुउद्देशीय परियोजना और ओरछा की हाईडल पावर परियोजना 1983 से केन्द्र के स्तर पर सी.डब्ल्यू.सी. और पर्यावरण के क्लीयरेंस के लिए लंबित पड़ी है। आप कल्पना कर सकते हैं, 18-18 साल से परियोजनाएं यहां क्लीयरेंस के लिए पड़ी हों और उनको क्लीयरेंस न मिल रहा हो। आप स्वयं विचार कर लीजिए कि बुंदेलखंड के साथ किस तरह की उपेक्षा हो रही है। इसी वजह से पृथक बुंदेलखंड की मांग उठ रही है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिये।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या कृपा करके आप उन परियोजनाओं को, जो केन्द्र के स्तर पर सी.डब्ल्यू.सी., पर्यावरण में क्लीयरेंस के लिए लंबित पड़ी हैं, ऐक्सपीडाइट करके जल्दी स्वीकृति दिलाएंगे? जो अधूरी परियोजनाएं हैं, क्या उनको समयावधि के अंदर पूरा करवाएंगे? *(व्यवधान)*

डा० सी०पी० ठाकुर : मैं आपको इसकी सूचना दूंगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बाघेला, उन्हें उत्तर देने दीजिए। उन्होंने प्रश्न पूछा था। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

डा० सी०पी० ठाकुर : बुंदेलखंड के विषय में मैं आपको सूचना दूंगा। राजघाट परियोजना वहां कम्प्लीट हुई है और अन्य परियोजनाओं के विषय में यह है कि यह स्टेट सब्जैक्ट है। स्टेट को अपने बजट में उसका प्रोवीजन करना पड़ेगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय मंत्री जी, स्टेट ने जो बजट प्रोवीजंस किये हैं, वे तो हैं, लेकिन आपके स्तर पर यहां पर्यावरण से और सी.डब्ल्यू.सी. से क्लियरेंस में 18 साल से, 1980 से, 1983 से योजनाएं लम्बित पड़ी हैं। *(व्यवधान)*

डा० सी०पी० ठाकुर : माननीय सदस्यों को मैं उसकी सूचना दे दूंगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उन परियोजनाओं में ओरछा परियोजना है, केन्द्रीय बहुउद्देशीय परियोजना है, मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : वह आपकी जिम्मेदारी है। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या आप क्लियरेंस कराएंगे?

डा० सी०पी० ठाकुर : जरूर करायेंगे। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अपने उत्तर में आपने बताया कि दस योजनाएं हैं, जिनके तहत जल संसाधन के दोहन के

सम्बन्ध में कार्यक्रम चालू हैं। इस पर केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र मंत्रालय को दी जा रही सहायता में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मिलियन वैल स्कीम, त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम हमारे जनपद प्रतापगढ़ और जौनपुर में लागू हैं, लेकिल कहीं पेयजल की उपलब्धता नहीं हो रही है, जल स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि सारे कुंए सूख गये हैं। जनता में पानी के लिए बिल्कुल त्राहि-त्राहि मची हुई है। क्या भारत सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी? उत्तर प्रदेश में योजना केवल कागज पर लागू है, क्या आप इस पर कुछ विचार कर रहे हैं? इसके साथ मैं जानना चाहूंगा

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक सवाल पूछ सकते हैं, दो नहीं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : इसी के साथ है, इसी के अन्तर्गत है। वर्षा पोषित क्षेत्र में राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना और बाढ़ के लिए जो योजनाएं हैं, यह इसी से सम्बन्धित है, पिछले वर्ष पूरा गोरखपुर मंडल, पूरा उत्तर प्रदेश बाढ़ में डूब गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि भारत सरकार से कई सौ करोड़ रुपया दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मि. सिंह, आप सवाल पूछिये।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : इस साल प्रतापगढ़ और पूरा जौनपुर जनपद बाढ़ से प्रभावित हो गया। किस चीज में पैसा जा रहा है, सरकार केन्द्रीय दल भेजकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराएगी क्या, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं? दो घटनाएं हुईं, पिछले साल पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश बाढ़ में डूब गया, इस बार वह फिर डूब गया, लेकिन इन योजनाओं के तहत क्या कार्रवाई हो रही है? कहीं सूखा पड़ा है तो जल संसाधन नहीं है। इसमें मंत्री जी क्या करना चाहते हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की जांच कराने के लिए आप कोई केन्द्रीय दल इस मामले में भेजेंगे?

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, हम सभी पश्चिम बंगाल के सदस्य हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० सी०पी० ठाकुर : जिन योजनाओं का माननीय सदस्यों ने जिक्र, किया है, वे योजनाएं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के माध्यम से चलती हैं, लेकिल फिर भी जैसा कि उन्होंने सजेशन दिया है, हम उनकी जानकारी लेंगे और किन योजनाओं का वहां कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, उसका हम *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अगर यह हुआ होता तो कम से कम कई अरब रुपये की जो क्षति हुई है, वह न होती।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया व्यवधान मत डालिये।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती कृष्णा बोस : मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं? *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी जानकारी उपलब्ध है, उन्होंने दी है और वे जानकारी एकत्र करके इसे माननीय मंत्री को दे देंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, मैं सभा का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं क्योंकि मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने का प्रयत्न कर रही हूं?

हम सभी पश्चिम बंगाल से हैं, और मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य, जल प्रबंध नीति के प्रति अत्यधिक चिन्तित हैं क्योंकि हम आर्सेनिक बेल्ट में आते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सात विधानसभा क्षेत्र हैं और उनमें से चार आर्सेनिक बेल्ट में आते हैं। आर्सेनिकि के निकलने से पीने का पानी जहरीला हो गया है। हज़ारों लोग इस जहर से धीमी मौत मर रहे हैं। वहां की स्थिति अत्यधिक गंभीर है।

हमारी राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना में हमारी काफी दिलचस्पी है। यह ऐसी समस्या है जिसके लिए मैं संसद सदस्य के रूप में कुछ नहीं कर सकती। हम कुछ नहीं कर सकते। लोग हमारे पास ट्यूबवेल और पीने के पानी के लिए आते हैं।

जैसा आप सभी जानते हैं, जितनी अधिक ट्यूबवेल लगायी जाती हैं उतना अधिक आर्सेनिक बाहर आएगा। इसलिए, इस समस्या के लिए किसी अन्य पनधारा प्रबंध, भू-जल या बारिश के पानी के प्रबंधन की आवश्यकता है।

मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या वे पश्चिम बंगाल की इस भयंकर स्थिति से अवगत है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यह किसी संसद सदस्य के अकेले के बस की बात नहीं है। साथ ही, राज्य सरकार भी इस स्थिति से नहीं निपट सकती। क्या सरकार कुछ विशेष प्रबंधन और विशेष विनियोजन के संबंध में सोच रही है ताकि पश्चिम बंगाल में उत्पन्न इस आर्सेनिक ज़हर की समस्या से निपटा जा सके?

डा० सी०पी० ठाकुर : महोदय, सरकार को पीने के पानी में मिले दूषित आर्सेनिक ज़हर के बारे में जानकारी है। सच तो यह है कि अनुसंधान इस संबंध में चल रहे हैं कि कुओं को कैसे खोदा जाए कि पीने के पानी में आर्सेनिक न मिलने पाये। अत: हमें पीने के पानी की इस समस्या के बारे में जानकारी है और हम कुछ कदम उठा रहे हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गंभीर है, इस पर पूरी चर्चा कराई जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी. एन. सिंह इस तरह व्यवधान मत डालिये।

डा० सी०पी० ठाकुर : महोदय, हमने पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक समस्या से निपटने के लिए 1,777.56 रुपये मंजूर किए हैं और हम

आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे दो ज़हरीले पदार्थों से उत्पन्न समस्या पर भी ध्यान दे रहे हैं जो हमारे पीने के पानी को दूषित कर रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी.एन. सिंह, कृपया इस तरह व्यवधान मत डालिये। आप मेरी अनुमति के बिना बार-बार खड़े हो जाते हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वाटर मैनेजमैंट से संबंधित है और हमारे देश में पानी के अपार संसाधन नदियों और प्राकृतिक वर्षा के रूप में उपलब्ध है। लेकिन पिछले पचास साल से इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है जिसके कारण हमारे देश में वाटर मैनेजमैंट नहीं हो रहा है बल्कि वाटर मिसमैनेजमैंट हो रहा है। मेरे क्षेत्र में गंगा और यमुना बहती हैं। लोकिन हमारे यहां पीने का पानी नहीं है और खेत सूख रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जिन दस चीजों को लिखा है, जिनके माध्यम से ये वृद्धि करना चाहते हैं, उसमें मेरे दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। हमारे यहां पहाड़ी क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा के पानी से बहुत आसानी से रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सकता है तो क्या आप पहाड़ी क्षेत्रों और विशेषकर उत्तरांचल में केन्द्रीय स्तर पर कोई विशेष टीम बनाकर, विशेष प्रक्रिया चलाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में पीने के पानी की बहुत कमी है। वहां जनरेटर से पानी ले जाना पड़ता है। क्या आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की केन्द्रीय स्तर से कोई व्यवस्था करेंगे?

डा० सी०पी० ठाकुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर हम लोग माननीय सदस्य के सुझाव पर काम करेंगे, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों के अधिक लोगों को पीने का पानी मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. गिरिजा व्यास।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विषय बहुत गंभीर है। कहीं खेत सूख रहे हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस तरह व्यवधान मत डालिये। यह प्रश्नकाल है। मैं आपको चेतावनी देता हूं। इस तरह मत खड़े होइए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह इंटरप्शन नहीं है। यह एक गंभीर मामला है। कहीं जल नहीं है *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कह रहे हैं कि यह इंटरप्शन नहीं है

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष जी, यह गंभीर मामला है, कहीं पीने के लिए जल नहीं और यदि है तो ज़हरीला पानी है। यह आपसे चर्चा कराने की बात कह रहे हैं। आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है फिर भी वे बार-बार खड़े हो जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : यह पानी का सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : पानी का ही सवाल दूसरे मैम्बर्स भी कर रहे हैं। दूसरे मैम्बर्स को भी सवाल पूछने हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : यदि चर्चा की मांग करते हैं तो आप गुस्सा क्यों होते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव जी कृपया इस तरह व्यवधान मत डालिये मुझे आप से यह उम्मीद नहीं है। आपके दल के सदस्य, श्री सी.एन. सिंह बार-बार खड़े हो रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है। मैं उन्हें पहले ही अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे चुका हूँ।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: यह गुस्से की बात नहीं है। आप देखिए वह अभी भी खड़े हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप मुस्करा कर बोलिये, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप मुस्करा कर बोलिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह प्रश्नकाल में सभी को बोलने का कुछ अवसर मिलना चाहिए। डा. गिरिजा व्यास प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं और वह बार-बार खड़े होकर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० गिरिजा व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई राज्य पानी के लिए तरस रहा है तो वह राजस्थान है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान राजस्थान की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। जहां एक तरफ मरूस्थली भाग है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी इलाका है। पश्चिमी राजस्थान मरूस्थल से अटा पड़ा है तो राजस्थान का दक्षिणी भाग पहाड़ों से घिरा है। पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में कितनी बड़ी, मध्यम और छोटी योजनाएं केन्द्र सरकार के पास आई हैं? राजस्थान के लिए केन्द्र सरकार हमेशा माइनर योजनाओं को महत्व देती थी। 1996 और 97 में 5.25 लाख

रुपए के आंकड़े बताए हैं, वहीं यह रशि घटकर 1998-99 में 1.78 लाख रुपये रह गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि राजस्थान ने बड़ी, मध्यम और छोटी योजनाएं कितनी संख्या में केन्द्र सरकार के पास भेजी हैं? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूं कि माइनर इरीगेशन में इस तरह से कट करने का क्या कारण है और क्या सरकार इससे वाकिफ है कि राजस्थान में 11 इलाके फ्लोराइड से ग्रसित हैं तथा इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार क्या कर रही है?

डा० सी०पी० ठाकुर : कितनी योजनाएं बनाई हैं, इसके लिए अलग से प्रश्न आना चाहिए।

डा० गिरिजा व्यास : कितनी योजनाएं आई हैं और माइनर योजनाओं में कटौती करने का क्या कारण है?

डा० सी०पी० ठाकुर : माननीय सदस्या को मैं इसकी खबर करूंगा कि कितनी योजनाएं आई हैं। जहां तक राजस्थान में फ्लोराइड की बात है तो उस पर भी काम हो रहा है। उसके लिए हम आर्सेनिक और फ्लोराइड दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं सदन को इसके बारे में सूचित करूंगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी.एन. सिंह, मुझे सदन में आपके व्यवहार के प्रति मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, देखिए आपके दल के सदस्य कैसा व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

डा० गिरिजा व्यास : महोदय, हमें माननीय मंत्री से उत्तर नहीं मिला। इसका निश्चित उत्तर मिलना चाहिए।

डा० सी०पी० ठाकुर : महोदया, उसके लिये आपको अलग प्रश्न की सूचना देनी होगी।

डा. गिरिजा व्यास : महोदय, मैं यह जानना चहाता हूँ उन्हें राजस्थान की चिन्ता है कि नहीं *(व्यवधान)*

डा० सी०पी० ठाकुर : यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आती है।

श्री के० येरननायडू : महोदय, कृपया इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए। यह अतिमहत्वपूर्ण मामला है। कई परियोजनाएं लंबित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि श्री येरननायडू की आधे घंटे की चर्चा का सुझाव अच्छा है। यह एक अतिमहत्वपूर्ण मामला लगता है इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जा सकती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे मुझे परेशान करना चाहते हैं

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं गुस्सा नहीं हो सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय प्रसन्न रहिए, रमजान का महीना चल रहा है।

[अनुवाद]

निमाणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

\+
***244. श्री पी०डी० एलानगोवन :**
श्री रामदास आठवले :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु कुछ नई योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी सिंचाई क्षमता सृजित की गई और इस्तेमाल की गई;

(घ) इस समय देश में राज्यवार कितनी बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(च) कौन-कौन से राज्य राष्ट्रीय औसत सिंचाई क्षमता प्राप्त करने में पिछड़ रहे हैं; और

(छ) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर): (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (छ) सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और सिंचाई के लिए जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के वास्ते केन्द्र सरकार के समक्ष नई स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 1996-97 के अन्त तक उपलब्ध अद्यतन आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1994-95, 95-96 और 1996-97 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता और इसके उपयोग का

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया हैं। वर्तमान में निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है चूंकि सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इसलिए परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकारों के पास उपलब्ध निधियों तथा उनके द्वारा परियोजनाओं को दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है। जिन राज्यों ने सिंचाई क्षमता का राष्ट्रीय औसत प्राप्त नहीं किया है, उनका ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है। चल रही चुनिंदा वृहद सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करके सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1996-97 में शुरू किए गये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को संशोधित वित्तीय पद्धति और विस्तृत कार्यक्षेत्र के साथ नौवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जा रहा है।

अनुलग्नक-I

वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित सिंचाई क्षमता			उपयोग की गई सिंचाई क्षमता		
		1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	6.28	5.80	29.35	6.58	7.60	29.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.90	4.00	4.27	2.00	2.15	2.20
3.	असम	10.56	3.11	0.51	10.56	3.11	7.01
4.	बिहार	64.00	30.69	16.65	64.51	27.00	14.00
5.	गोवा	0.50	0.35	0.35	0.25	0.17	0.18
6.	गुजरात	32.00	23.40	25.60	40.00	37.40	27.00
7.	हरियाणा	10.96	13.13	22.00	16.40	10.83	13.29
8.	हिमाचल प्रदेश	1.87	2.41	2.65	1.27	0.66	2.11
9.	जम्मू और कश्मीर	2.98	2.80	2.75	2.26	3.36	3.16
10.	कर्नाटक	71.80	61.49	111.47	155.13	22.37	93.19
11.	केरल	39.05	24.82	54.91	39.05	24.82	54.91
12.	मध्य प्रदेश	89.30	94.60	95.00	43.65	77.35	52.15
13.	महाराष्ट्र	81.50	103.40	101.40	80.70	97.00	95.00
14.	मणिपुर	1.80	5.40	3.50	1.80	4.40	2.50
15.	मेघालय	0.71	0.84	0.70	0.53	0.63	0.52
16.	मिजोरम	0.51	0.37	0.32	0.51	0.37	0.32
17.	नागालैंड	0.32	0.36	0.36	0.30	0.35	0.35
18.	उड़ीसा	44.31	65.59	83.53	34.97	44.31	65.59
19.	पंजाब	65.86	57.57	33.60	64.73	52.76	35.69
20.	राजस्थान	66.28	67.31	54.71	44.72	48.26	46.04
21.	सिक्किम	0.66	1.15	0.86	0.53	1.02	0.80

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	1.65	1.65	0.57	2.13	1.65	1.65
23.	त्रिपुरा	1.22	0.69	1.38	1.22	0.69	1.38
24.	उत्तर प्रदेश	1025.00	1249.00	852.00	1119.00	1282.00	809.00
25.	पश्चिम बंगाल	113.19	103.15	131.66	37.46	62.75	84.66
	कुल राज्य	1736.21	1923.08	1630.10	1770.26	1813.01	1442.05
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	5.89	6.54	7.20	4.47	6.06	5.40
	कुल योग	1742.10	1929.62	1637.30	1774.73	1819.07	1447.45

अनुलग्नक–II

चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या		
		वृहद	मध्यम	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12	20	32
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	4	9	13
4.	बिहार	14	29	43
5.	गोवा	1	1	2
6.	गुजरात	9	9	18
7.	हरियाणा	5	0	5
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1	2
9.	जम्मू और कश्मीर	1	9	10
10.	कर्नाटक	14	15	29
11.	केरल	7	5	12
12.	मध्य प्रदेश	23	32	55
13.	महाराष्ट्र	36	66	102
14.	मणिपुर	2	2	4
15.	मेघालय	0	1	1
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	1	0	1
18.	उड़ीसा	5	10	15
19.	पंजाब	0	1	1
20.	राजस्थान	6	6	12
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	0	2	2
23.	त्रिपुरा	0	3	3
24.	उत्तर प्रदेश	18	2	20
25.	पश्चिम बंगाल	3	17	20
	कुल	162	240	402

अनुलग्नक–III

चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में सृजित सिंचाई क्षमता में अन्तर का राज्यवार ब्यौरा (हजार हेक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	सिंचाई क्षमता		यू.आई.पी. % की तुलना में आई.पी.सी.
		चरम सिंचाई क्षमता (यू.आई.पी.)	आठवीं योजना 1996-97 के अंत तक सृजित सिंचाई क्षमता	
1	2	3	4	5
	सम्पूर्ण भारत की स्थिति	139893.00	89558.97	64.02
	पीछे चल रहे राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	11260.00	5946.97	52.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	168.00	83.42	49.65
3.	असम	2870.00	789.43	27.51

1	2	3	4	5
4.	बिहार	13347.00	7910.74	59.27
5.	गोवा	116.00	33.54	28.91
6.	गुजरात	6103.00	3285.30	53.83
7.	हिमाचल प्रदेश	353.00	160.93	45.59
8.	जम्मू व कश्मीर	1358.00	548.32	40.38
9.	कर्नाटक	5974.00	3197.03	53.52
10.	केरल	2679.00	1086.43	40.55
11.	मध्य प्रदेश	17932.00	4975.12	27.74
12.	महाराष्ट्र	8952.00	4932.20	55.10
13.	मणिपुर	604.00	123.39	20.43
14.	मेघालय	168.00	45.55	27.11
15.	मिजोरम	70.00	12.73	18.19
16.	उड़ीसा	8803.00	2915.22	33.12
17.	सिक्किम	70.00	26.23	37.47
18.	त्रिपुरा	281.00	94.88	33.77
	कुल विनिर्दिष्ट राज्य	81108.00	36167.43	44.59

[अनुवाद]

श्री पी०डी० एलानगोवन : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 9वीं योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में अधिक सिंचाई की संभावनाओं का पता लगाएगी अगर हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

डा० सी०पी० ठाकुर : महोदय, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नई परियोजना के लिए नहीं है। लेकिन सरकार का विचार नदियों को जोड़ने के बाबत है।

श्री पी०डी० एलानगोवन : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु में चल रही दो मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या मंत्रालय के पास तमिलनाडु में कोई बड़ी परियोजना और ज्यादा संख्या में मध्यम श्रेणी की परियोजनाएं विशेषकर धरमपुरी और सेलम जिलों में शुरू करने की योजना है?

डा० सी०पी० ठाकुर : महोदय, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव इस बाबत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में सिंचाई क्षमता 139893 हेक्टेयर है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकार के पास नई स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सिंचाई में प्रगति होने के बगैर देश की प्रगति होने वाली नहीं है। सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे का प्रावधान करने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है? महाराष्ट्र में कृष्णापुर प्रोजैक्ट का काम सन् 2000 के अंत तक पूरा करना है, उसके लिए क्या केन्द्रीय सरकार आने वाले बजट में कितनी आर्थिक सहायता का प्रावधान करने वाले हैं? पूरे देश में 402 योजनायें चल रही हैं। महाराष्ट्र में 102 योजनायें हैं। इसके बारे में हमें मंत्री महोदय से जवाब चाहिए। सिंचाई को बढ़ाने के लिए आने वाले बजट में आप कितना प्रावधान करने वाले हैं?

डा० सी०पी० ठाकुर : महोदय, सिंचाई योजनाओं को बढ़ाने के बारे में सरकार सोच रही है। उत्तर-दक्षिण की नदियों को लिंक किया जाएगा, तभी सिंचाई का पोटेंशियल बढ़ेगा। इस पर थोड़ा काम हुआ है और आगे काम हो रहा है। फिजिबल एंड नान-फिजिबल स्टडी हुई है। योजना जब तैयार होगी, तो वह तीन लाख तीस हजार करोड़ की योजना बनेगी और पूरे देश में करीब 35 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई का पोटेंशियल बढ़ेगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ-कुछ काम हो रहा है।

जहां तक महाराष्ट्र कर सवाल है, उसका तरीका यह है कि राज्य सरकार अपने बजट से जो हिस्सा देना है, अगर उसको इन्क्ल्युड करेगी, तो केन्द्र से सहायता मिलेगी। इस संबंध में हम लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हर सरकार को लिख रहे हैं कि लम्बित योजनायें कैसे पूरी होगी, उसके कारण बताइए, क्योंकि लम्बित योजनायें समय पर पूरी होनी चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रक्षित विद्युत संयंत्र

***245. श्री सुनील खाँ: क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्थित रक्षित विद्युत संयंत्रों की एनरॉन/गैर-सरकारी कंपनियों को बेचने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इन संयंत्रों की स्थापना लागत की तुलना में इनका बिक्री मूल्य कितना है; और

(घ) इससे उत्पादन लागत पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) ने निम्नलिखित सुविधाओं को एक नीतिपरक भागीदार के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी को निर्निहित करने की प्रक्रिया शुरू की है:-

(1) केन्द्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सहित राउरकेला इस्पात संयंत्र का विद्युत संयंत्र-II

(2) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विद्युत संयंत्र-II

(3) बोकारो इस्पात संयंत्र के विद्युत-संयंत्र-I और विद्युत संयंत्र-II

(4) कलकत्ता स्थित सेल का सुपरवाइजरी लोड कंट्रोल सेंटर

(ग) और (घ) बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला में निजी विद्युत संयंत्र स्थापित करने की लागत निम्नानुसार है:-

विवरण	राउरकेला	दुर्गापुर	बोकारो		कुल
संयंत्र	विद्युत संयंत्र-II	विद्युत संयंत्र-II	विद्युत संयंत्र-I	विद्युत संयंत्र-II	
क्षमता (मेघावाट)	120	120	122	180	
पहली इकाई स्थापित करने की तारीख	12.4.87	17.2.87	17.4.72	जुलाई, 88	
स्थापित करने की लागत (करोड़ रुपए में)	199.66	124.14	325.76		649.56

परिसंपत्तियों के हस्तांतरण मूल्य का निर्धारण बोलियों को अंतिम रूप देने के समय किया जाएगा और यह स्थापित करने की लागत से अधिक होगा। संयुक्त उद्यम कंपनी के 2:1 के ऋण साम्या अनुपात को अनुकूल बनाया गया है जिसमें 51% साम्या सेल की होगी। सफल बोलीदाता को 49% साम्या और ऋण प्रस्तुत करना होगा। उत्पादन की लागत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र

*246. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के नए इस्पात संयंत्रों की प्रगति की निगरानी हेतु एक निगरानी ग्रुप गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की अनेक इस्पात परियोजनाओं का निर्बाध वित्तपोषण की समस्या के कारण रुका पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार निजी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं की सहायता के लिए क्या कदम उठा रही है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने कोई निगरानी ग्रुप गठित नहीं किया है।

(ग) और (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार उदारीकरण के पश्चात् अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं ने 19 नई/ग्रीन फील्ड इस्पात परियोजनाएं मंजूर की थीं। इनमें से 6 परियोजनाएं चालू हो गई हैं, एक परियोजना प्रवर्तक द्वारा छोड़ दी गई है और शेष 12 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। यह देखा गया है कि कार्यान्वयनाधीन कुछ इस्पात परियोजनाओं में कई घटकों जिनमें निधियन समस्याएं शामिल हैं, के कारण विलम्ब हुआ है। निजी क्षेत्र में स्थापित हो रही इस्पात परियोजनाओं की सहायता करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा यथोचित परिश्रमिता की शर्त पर अन्तिम चरण की परियोजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर सहायता करने के लिए इस उद्योग की समस्याओं को वित्त मंत्रालय/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ उठाया गया है।

भारत-अमरीका के बीच मंत्री स्तर की वार्ता

*247. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार**
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 16 नवम्बर, 1999 को परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में भारत-अमरीका के बीच हुई मंत्री स्तर की बातचीत के दौरान किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ख) क्या सरकार ने अमरीका के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए कई प्रस्ताव किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अमरीका के साथ संबंधों को सुधारने की दृष्टि से अगले दौर की बातचीत कब किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) अमरीका के साथ 16-17 नवम्बर, 1999 को लन्दन में सम्पन्न वार्ता सुरक्षा, अप्रसार और निरस्त्रीकरण के संबंध में थी। विगत वार्ताओं के दौर की तरह यह बातचीत चार मुद्दों, अर्थात् व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, एफ एम सी टी, निर्यात नियंत्रण तथा रक्षा स्थिति पर केन्द्रित रही। भारत ने नाभिकीय परीक्षणों के बाद इन मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखा था। दोनों पक्षों ने प्रमुख क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

(ख) और (ग) सरकार ने अमरीका के साथ संबंधों को और व्यापक तथा गहन बनाने के संबंध में अपनी मंशा जाहिर की है। भारत-अमरीकी वार्ता उसी दिशा में चल रही है। अमरीका और अन्य प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत उस व्यापक मंच के आधार पर आयोजित की जा रही है जिसे भारत ने निरस्त्रीकरण और अप्रसार से संबंधित मसलों के संबंध में आगे बढ़ाया था अर्थात् विस्फोटक नाभिकीय परीक्षणों के संबंध में हमारी एकतरफा रोक, उसे विधित: बाध्यता में बदलने के बारे में बातचीत की इच्छा, एफ एम सी टी के संबंध में सकारात्मक बातचीतों के लिए हमारी पेशकश और संवेदनशील प्राद्योगिकियों के निर्यात पर कठोर नियंत्रण की हमारी नीतियों की पुन: पुष्टि।

(घ) और (ङ) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस समय चल रही वार्ता का प्रयोजन अपने-अपने दृष्टिकोणों की समझ-बूझ को

बढ़ाने तथा व्यापक, प्रगतिशील और परस्पर लाभकारी संबंधों की आधारशिला रखना है। दोनों पक्ष यह वार्ता जारी रखने के लिए सहमत हो गए हैं। वार्ताओं को पुन: शुरू करने की तारीखें परस्पर परामर्श के जरिए तय की जाएंगी।

श्रम संबंधी कानून

*248. **श्री किरीट सोमैया:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा श्रम कानूनों को और अधिक लचीला बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) श्रम कानूनों को औद्योगिक संबंधों; मजदूरी; कार्यघटों; सेवा तथा रोजगार की शर्तों; महिलाओं की समानता तथा उन्हें अधिकार देने; समाज के वंचित तथा दीन-हीन वर्गों से संबंधित; तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों जैसे विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इन कानूनों के शीर्षक और विषय वस्तु से यह पता चलता है कि मूल रूप से इन्हें संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के विभिन्न उद्योगों/व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के संरक्षण तथा सुरक्षा उपाय करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

उत्पादकता किसी उद्योग में उत्पादन के विभिन्न कारकों के अंतर्निविष्ट साधनों और उत्पादों का अनुपात होती है तथा यह अवसंरचना, कच्चे माल, उपस्कर प्रौद्योगिकी, ऋण, बाजार आदि जैसे विविध कारकों पर निर्भर करती है।

बीजों का विकास

*249. **श्री कृष्णमराजू :**
श्री भर्तृहरि मेहताब :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को बीजों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान घाटे में चल रहे सरकारी कृषि फार्मों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित कर रही है जिनके अधीन इसने वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान बीजों के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(लाख रु० में)

राज्यों का नाम	प्रदत्त वित्तीय सहायता		
	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	514.86	518.90	533.45
अंडमान व निकोबार	0.60	0.60	0.50
अरुणाचल प्रदेश	23.00	23.70	25.00
असम	68.30	81.90	120.60
बिहार	100.30	109.00	126.75
दादरा और नगर हवेली	—	—	—
दिल्ली	0.60	0.60	0.50
दमन व दीव	—	—	—
गोवा	1.82	2.35	5.10
गुजरात	354.30	519.50	676.00
हरियाणा	95.92	118.22	151.50
हिमाचल प्रदेश	39.75	46.75	44.20
जम्मू व कश्मीर	53.00	58.50	92.88
कर्नाटक	391.75	396.90	419.00
केरल	27.325	46.25	40.00
लक्षद्वीप	—	—	—
मध्य प्रदेश	1033.92	1079.76	1126.50
महाराष्ट्र	665.50	707.16	954.00
मणिपुर	65.36	68.50	75.65
मेघालय	13.50	18.08	20.96
मिजोरम	0.12	0.225	43.88
नागालैंड	10.06	24.15	43.65
उड़ीसा	349.70	373.75	379.00
पाण्डिचेरी	11.45	0.30	1.00
पंजाब	63.20	72.90	86.15
राजस्थान	591.72	611.20	1029.70
सिक्किम	33.50	49.00	30.00
तमिलनाडु	462.80	383.00	423.00

1	2	3	4
त्रिपुरा	30.06	47.28	48.50
उत्तर प्रदेश	599.20	554.50	810.00
पश्चिम बंगाल	201.95	226.60	163.50
असम राज्य बीज निगम	—	554.49	4.14
साधारण बीमा निगम	—	—	26.00
राष्ट्रीय बीज निगम	9.88	24.55	119.76
राष्ट्रीय बागवानी विकास संस्थान	—	—	46.85
भारतीय राज्य फार्म निगम	5.25	2.84	75.21
उत्तर प्रदेश बीज सेवा तराई विकास निगम	4.93	—	0.52
पश्चिम बंगाल बीज निगम	1.93	—	0.78
कुल योग :	5824.915	6222.455	7744.23

(ग) विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में घाटे में चल रहे सरकारी कृषि फार्मों की कुल संख्या निम्नवत है:-

आंध्र प्रदेश (26*), अरुणाचल प्रदेश (6*), असम (21*) दमन व दीव (3), गुजरात (65), हरियाणा (4), हिमाचल प्रदेश (23*), जम्मू व कश्मीर (26* जम्मू मण्डल में), केरल (51*), मध्य प्रदेश (29*), महाराष्ट्र (112), मणिपुर (9*), नागालैण्ड (3*) उड़ीसा (13*), पंजाब (15), तमिलनाडु (8*), उत्तर प्रदेश (59*) और पश्चिम बंगाल (135)।

निधियों की अनुपलब्धता के कारण बिहार राज्य सरकार ने अपने फार्मों पर बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू नहीं किए हैं। पाण्डिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) प्रशासन/सरकार ने फार्मों का कार्य निष्पादन लेखा तैयार नहीं किया है अत: इसकी लाभकारिता या अन्य बातों का आंकलन नहीं किया जा सकता है। त्रिपुरा में सरकारी कृषि फार्मों का प्रयोग किसानों के लिए प्रदर्शनों का आयोजन करने तथा गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। किसानों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले गुणवत्ता वाले बीजों से प्राप्त लाभ की तुलना लाभ/हानि की दृष्टि से किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती है। सिक्किम राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी है।

केन्द्र सरकार के फार्मों में से राष्ट्रीय बीज निगम लि० के 3 फार्म और भारतीय राज्य फार्म निगम के 10 फार्म घाटे में चल रहे हैं।

(घ) जहां तक राज्य सरकारों के कृषि फार्मों का संबंध है, उपचारात्मक उपाय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। जहां तक केन्द्र सरकार के फार्मों का संबंध है, निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं :-

- उच्च मूल्य निम्न मात्रा वाली फसलों के अधीन अधिक क्षेत्र लाने के लिए फसल मिश्रण में परिवर्तन।
- प्रजनक और आधारी बीजों का वर्धित उत्पादन।
- अतिरिक्त प्रभारों को कम करने के उपाय।
- फार्म आधुनिकीकरण और अन्य प्रौद्योगिकीय सुधार।

लोक सभा के 16.12.1998 को प्रश्न सं० 247* के दिए गए उत्तर में राज्य सरकारों द्वारा यह सूचना दी गई है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का निजीकरण

*250. **श्रीमती श्यामा सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री फर्म मैसर्स मैक किनसी एण्ड कंपनी ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का निजीकरण किए जाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो किसी अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री फर्म द्वारा किस आधार पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के निजीकरण की सिफारिश की गई है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) और (ख) मेसर्स मैकिन्से एण्ड कम्पनी से अपनी रिपोर्ट "सेल के लिए प्रतिस्पर्धी योजना" में सिफारिश की है कि भारत सरकार को उनके द्वारा सुझाई गई प्रतिस्पर्धी योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् अन्तत: सेल का निजीकरण करने पर विचार करना चाहिए। इस फर्म द्वारा बताए गए कारण निम्नलिखित हैं :-

(1) अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग में सेल के दीर्घकाल तक बने रहने और उसकी लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए सेल को सरकारी स्वामित्व की अड़चनों से मुक्त किया जाना चाहिए।

(2) सेल के संयंत्र कम लागत के होने के कारण प्रतिस्पर्धी योजना के कार्यान्वयन से सेल निजी निवेशकों को आकर्षित करेगा जिसके परिणामस्वरूप इसके शेयरधारकों को अच्छी प्राप्ति होगी।

(ग) सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

छोटे और सीमान्त किसान

*251. **डा० सुशील कुमार इंदौरा** :
श्री जे०एस० वराड़ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे और सीमान्त किसानों की जोतों के आकार कम हो जाने से उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप देश में कृषि उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में 1980 के दशक के प्रारम्भ में तथा 1990 के दशक के अंत में छोटे और सीमान्त किसानों की अनुमानित संख्या कितनी-कितनी थी;

(ग) क्या देश में आजकल छोटे और सीमान्त किसानों के लिए खेती करना अर्थक्षम नहीं रह गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) 1980 के दशक के प्रारम्भ में छोटे और सीमान्त किसानों की प्रतिव्यक्ति आय कितनी थी और 1990 के दशक के अंत तक उनकी अनुमानत: प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) जैसाकि उत्तरवर्ती कृषि संगणनाओं में आंका गया है, देश में सीमान्त भू-जोतों (1.0 हेक्टेयर से कम) की संख्या वर्ष 1980-81 के 50.12 मिलियन से बढ़कर वर्ष 1990-91 में 63.39 मिलियन हो गई। छोटी जोतों (1.0-2.0 हेक्टेयर) की संख्या जो वर्ष 1980-81 में 16.07 मिलियन थी, वर्ष 1990-91 में बढ़कर 20.09 मिलियन हो गई। प्रचालन जोतों में हुई वृद्धि का कारण जोतों का बंटवारा एवं/अथवा भूमिहीनों को अतिरिक्त भूमि का वितरण है। देश में कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि होती रही है और वर्ष 1998-99 में खाद्यान उत्पादन बढ़कर 202.54 मिलियन मी. टन हो गया है।

(ग) से (ङ) छोटी और सीमान्त जोतों पर खेती प्रमुखत: स्वयं-उपभोग के लिए की जाती है, न कि बाजार में बिक्री के लिए, अत: इन जोतों से होने वाली आय का आकलन कर पाना संभव नहीं है जो अन्य बातों के अलावा, बोई गई फसल, मृदा के प्रकार तथा कृषि-मौसम परिस्थितियों पर निर्भर होती है। यह कहना भी सही नहीं है कि छोटी और सीमान्त जोतों पर खेती करना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है, क्योंकि छोटे खेतों पर भी आदानों एवं प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग की संभावनाएं होती हैं जिनसे अन्त: उत्पादकता स्तर तथा राजस्व वृद्धि में मदद मिलती है। कृषि उत्पादन में मदद करने के लिए सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ छोटे और सीमान्त किसानों को मिलता है।

[अनुवाद]

मणिसाना वेतन बोर्ड

*252. **श्री सुरेश रामराव राघव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिसाना मत्रकार वेतन बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड द्वारा क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट पेश करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) बोर्ड द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक पेश किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यद्यपि सितम्बर, 1994 में पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड के गठन के समय रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी किन्तु पत्रकारों के लिए वेतन ढांचे की रूपरेखा संबंधी अनंतिम प्रस्ताव दिसम्बर, 1999 के अन्त तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों से खाद

*253. **श्री अशोक ना० मोहोल:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नगरपालिका के खतरनाक और विषाक्त ठोस अपशिष्ट पदार्थों से बनायी गई खाद का प्रयोग विभिन्न प्रकार की खेती के लिए किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन फसलों में इनका प्रयोग किया जा रहा है और उनकी मात्रा एवं गुणवत्ता संबंधी एवं अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी खादों से उगायी फसलों का भूमि की उर्वरा शक्ति, पैदावार, विषाक्तता और पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी खाद के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) नगरपालिका के खतरनाक और विषाक्त ठोस अपशिष्ट पदार्थों से खाद बनाने के बारे में कोई सूचना नहीं है। जहाँ तक कम्पोस्ट/खाद का संबंध है, उत्पादित शहरी कम्पोस्ट की अनुमानित मात्रा 4.8 मिलियन मी. टन और ग्रामीण कम्पोस्ट/खाद की मात्रा 132.5 मिलियन मी. टन है (वर्ष 1996-97)।

कम्पोस्ट/खाद के प्रयोग से मृदा की उर्वरता, उत्पादकता और फसल की उपज में सुधार होता है।

(घ) नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट पदार्थों के संग्रह और निपटान को नियमित करने की दृष्टि से भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका अपशिष्ट (प्रबंध और रखरखाव) नियमावली, 1999 का प्रारूप अधिसूचित किया है। इस प्रारूप नियमावली में अन्य बातों के साथ-साथ नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट पदार्थों और निपटान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस नियमावली में बूचड़खानों, फल और सब्जी बाजारों, जैव-चिकित्सा कचरे और औद्योगिक कचरे जैसे विभिन्न स्रोतों से अपशिष्ट पदार्थों का अलग से संग्रह करने का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये विषाक्त और खतरनाक पदार्थ जैव-अवक्रमित कचरे में मिश्रित न हो पाए जिसे कम्पोस्ट बनाने तथा कृषि में प्रयोग किया जा सकता है।

उत्तरी कोरिया द्वारा पाकिस्तान को प्रक्षेपास्त्रों की आपूर्ति

*254. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी कोरिया ने लम्बी दूरी के आधुनिक प्रक्षेपास्त्र पाकिस्तान को उपलब्ध करने में चीन का स्थान ले लिया है और क्या ये संबंध बने रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन पाकिस्तान को एम-II मिसाइल उपलब्ध करा रहा था;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने इस मुद्दे पर अमरीकी सरकार से चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) ऐसा समझा जाता है कि उत्तरी कोरिया ने पाकिस्तान को तरल ईंधन, लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्रों, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी एवं संघटकों से सहायता की है और गौरी उत्तरी कोरिया के ''नौदॉम'' प्रक्षेपास्त्र का एक पाकिस्तानी रूप है। पाकिस्तान ने चीन से एक एम-II ठोस ईंधन प्रक्षेपास्त्र भी प्राप्त किया है। इसने चीन सहित अन्य देशों से ठोस ईंधन प्रक्षेपास्त्र के उत्पादन से संबंधित प्रौद्योगिकी और संघटक भी प्राप्त किए हैं। समझा जाता है कि पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को विदेशी सहायता जारी है।

(ग) जी, हां।

(घ) बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं और साथ ही साथ आपूर्ति देशों द्वारा निरोध और नियंत्रण की एकपक्षीय घोषणाओं के बावजूद पाकिस्तान के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को लगातार दिए जा रहे समर्थन के मामले को सरकार ने विभिन्न मंचों पर उजागर किया है। सरकार ने चीन और कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य सहित विभिन्न देशों को इन आपूर्तियों और सहायता से उत्पन्न परिणामी सुरक्षा चिंताओं के बारे में अवगत कराया है। सरकार खतरों के प्रति अपनी अवधारणाओं के अनुरूप भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के प्रभावी संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पूर्णरूप से कृतसंकल्प रहती है।

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

*255. श्री सी० श्रीनिवासन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की सभी अन्तर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के स्थायी समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर): (क) से (ग) वर्तमान में सरकार की देश में अन्तर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय संविधान की अनुसूची-7 की सूची-II की प्रविष्टि-17 के अनुसार सूची-I की प्रविष्टि के प्रावधानों के अधीन ''जल, अर्थात्, जल आपूर्ति, सिंचाई तथा नहरों, जल निकास तथा तटबंधों, जल भंडारण तथा जल विद्युत राज्य का विषय है''। तथापि, सूची-I (अर्थात् संघ सूची) की प्रविष्टि-56 के अनुसार केन्द्र सरकार के पास अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी-घाटियों का उस सीमा तक विकास करने की शक्ति है जिस सीमा तक केन्द्र के नियंत्रणाधीन ऐसा विनियमन और विकास, संसद कानून द्वारा लोक हित में घोषित करे। इनके अलावा, अनुच्छेद-262 के अधीन संसद कानून द्वारा किसी अन्तर्राज्यीय नदी अथवा नदी-घाटियों में जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण सम्बन्धी किसी विवाद अथवा शिकायत के निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद-262 के तहत भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी-घाटियों के जल से संबंधित विवादों का निर्णय करने के लिए अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया है। इसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में अन्तर्राज्यीय मुद्दों संबंधी एक स्थायी समिति गठित की है। स्थायी समिति का एक कार्य राज्यों द्वारा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय को भेजे गये अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल करने के लिए उपाय सुझाना है।

सरदार सरोवर परियोजना

*256. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:
श्री पी०एस० गढ़वी:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरदार सरोवर परियोजना की वर्तमान स्थिति, संशोधित लागत और इसे पूरा करने की समयावधि क्या है;

(ख) आज तक इस पर कितना व्यय हो चुका है;

(ग) क्या इस परियोजना को पूरा करने में अत्यधिक समय लग रहा है और इसकी लागत काफी बढ़ गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सहभागी राज्यों को पेयजल कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर) : (क) से (ङ) योजना आयोग द्वारा 6406.04 करोड़ रुपये की अनुमोदित अनुमानित लागत (1986-87 के मूल्य स्तर पर) से सरदार सरोवर परियोजना अक्तूबर, 1988 में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की गई थी। परियोजना की अनन्तिम संशोधित लागत को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। निर्माण की मूल योजना के अनुसार, इस परियोजना को जून, 1998 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम था। नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा दायर मामले

के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 5.5.1995 के अपने आदेश में बांध की प्रभावी ऊंचाई आर.एल. 81.5 मी. बनाये रखने का निदेश दिया था। बाद में, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18.2.99 के अन्तरिम आदेश में बांध की सुरक्षा के लिए अपेक्षित हम्पस को छोड़कर बांध की ऊंचाई आर. एल. 85 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दी थी। तदानुसार गुजरात सरकार ने 19.2.99 से सरदार सरोवर बांध पर पुन: कार्य शुरू किया और बांध की ऊंचाई आर. एल. 85 मीटर तक बढ़ा दी और बांध की सुरक्षा के लिए 3 मीटर ऊंचे हम्पस की व्यवस्था की। सरदार सरोवर परियोजना पर सितम्बर, 1999 तक 8879.76 करोड़ रुपये व्यय किए गये हैं। चूंकि यह मामला न्यायाधीन है इसलिए इस परियोजना में लगने वाला समय और लागत बढ़ गई है। अधिक समय लगने से निर्माण की लागत में वृद्धि हुई है और लाभ-ग्राहियों/विस्थापितों की संख्या बढ़ने के कारण पुनर्स्थापना और पुनर्वास की लागत बढ़ गई है। इसके अलावा, नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट में उल्लेखित पैकेज की तुलना में विस्थापितों के लिए बेहतर पुनर्स्थापना और पुनर्वास पैकेज के प्रावधान करने से भी परियोजना की लागत और बढ़ जायेगी। बांध का पूरा होना उच्चतम न्यायालय में नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा दायर मामले के परिणाम, कार्य के अनुपात में पुनर्स्थापना और पुनर्वास का कार्यान्वयन, राज्य सरकारों के पास निधियों की उपलब्धता और पक्षकार राज्यों के बीच परस्पर सहयोग पर निर्भर करेगा। सरदार सरोवर परियोजना के आंशिक लाभ बांध की ऊंचाई आर. एल. 112.5 मीटर होने पर प्राप्त होंगे।

डेरी परियोजना की समीक्षा

*257. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुग्धक्रांति "ऑपरेशन फ्लड" योजनाओं के अंतर्गत देश में अब तक शुरू की गई परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन की राज्यवार समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो लाभ/हानि में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे में चल रही डेरी/तेल परियोजनाओं को अर्थक्षम बनाने हेतु अब तक क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को इस हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ङ) योजना को सफल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी, हां।

(ख) 170 संघों में से 148 संघों के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1997-98 के दौरान 100 संघों ने निवल लाभ अर्जित किया है तथा 48 संघों ने 1997-98 के दौरान निवल घाटा उठाया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने रुग्ण डेयरी संघों के पुनर्वास के लिए सहकारिताओं को सहायता नामित केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना तैयार की है। योजना अभी तक अनुमोदित नहीं हुई है और इसलिए इस उद्देश्य के लिए किसी भी राज्य को कोई आबंटन नहीं किया है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने अपने संसाधनों से तेल संघों/परिसंघों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया है। विगत तीन वर्षों अर्थात् 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान, गुजरात में 3916.49 लाख रुपए, कर्नाटक में 2060.84 लाख रुपए, आंध्र प्रदेश में 858.00 लाख रुपए, महाराष्ट्र में 1941.26 लाख रुपए तथा राजस्थान में 550.67 लाख रुपए वितरित किए हैं।

भूमिगत जल

*258. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए० वैंकटेश नायक :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमिगत जल को कृत्रिम रूप से पूरित करने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कृत्रिम भूमिजल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक को, कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी धनराशि जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने समयबद्ध तरीके से भूमिगत जल को पूरित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (डा० सी०पी० ठाकुर): (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण का प्रायोगिक आधार पर अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अन्तर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की ओर से पुनर्भरण संरचनाओं के लिए लागत-जमा आधार पर सिविल कार्यों का निर्माण करने के वास्ते राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सहित अन्य राज्यों को नौवीं पंचवर्षीय योजना के तीन वर्षों (1997-98 से 1999-2000) के दौरान दी गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में राज्यों की सहायता करने के लिए 101.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है। इस स्कीम पर विचार-विमर्श चल रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर एक मैनुअल तैयार कर राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को भेजा है ताकि वे राज्य निधियों का उपयोग करके क्षेत्र विशेष के लिए कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम तैयार कर सकें।

विवरण

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों पर केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दी गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निधियों का वर्षवार आबंटन (रु० में)			कुल
		1997-98	1998-99	1999-2000	
1.	रा. राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5,12,361	–	5,00,000	10,12,361
2.	हरियाणा	–	9,24,000	33,10,000	42,34,000
3.	हिमाचल प्रदेश	–	–	25,37,000	25,37,000
4.	जम्मू और कश्मीर	–	–	39,60,000	39,60,000
5.	कर्नाटक	6,60,265	–	–	6,60,265
6.	केरल	24,35,000	6,25,000	–	30,60,000
7.	मध्य प्रदेश	4,64,000	8,27,000	–	12,91,000
8.	महाराष्ट्र	2,20,820	12,99,000	24,33,000	39,52,820
9.	पंजाब	–	10,75,000	97,47,000	1,08,22,000
10.	राजस्थान	–	4,50,000	3,48,000	7,98,000
11.	तमिलनाडु	6,50,000	8,00,000	–	14,50,000
12.	उत्तर प्रदेश	–	–	7,00,000	7,00,000
13.	पश्चिम बंगाल	38,250	–	29,37,000	29,75,000
14.	चंडीगढ़	5,28,000	–	–	5,28,000

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास

*259. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुमुखी रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से 60 बिलियन अमेरिकी डालर मूल्य का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी पूंजी और अन्य बुनियादी ढांचे की योजना बनाई गई है, उसका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की है जिससे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी प्रकार के प्रयासों को सहायता प्रदान की जा सके जिसमें भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने तथा सॉफ्टवेयर निर्यात में वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के लिए व्यापक कार्य योजना का कार्यान्वयन शामिल है। सॉफ्टवेयर निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया है :-

1. सॉफ्टवेयर उत्पादकता सुधार
2. सॉफ्टवेयर विकास की गुणवत्ता
3. मानव संसाधन विकास
4. संचार की मूल संरचनात्मक सुविधाएं
5. राष्ट्रीय सूचना मूलसंरचना
6. ई-कॉमर्स विनियामक ढांचा
7. प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश का संवर्धन
8. उद्यम पूंजी का संवर्धन
9. पूंजी खातों में परिवर्तनीयता
10. ब्रांड इक्विटी का संवर्धन
11. सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण

12. इलेक्ट्रॉनिक शासन

13. सशक्त डेटा बेस का निर्माण

14. वैयक्तिक कम्प्यूटरों की संख्या में वृद्धि

15. सशक्त घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी सेवा बाजार

16. व्यवसाय विकास की नीति

17. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का सृजन

मछुआरों और मत्स्यपालकों हेतु योजना

*260. श्री बाजू बन रियान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन सी डी सी) ने गरीब मछुआरों और छोटे मत्स्य पालकों के आर्थिक उत्थान के लिए कुछ योजनाएं प्रायोजित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्रिपुरा में ऐसी कोई योजना आरंभ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम बहुत सी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जो अन्य बातों के साथ-साथ गरीब मछुआरों तथा मत्स्य पालकों के आर्थिक उत्थान में सहायता करती हैं।

भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं:-

(1) निम्नलिखित के माध्यम से तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास:

(क) पारंपरिक जलयानों का मोटरीकरण ; तथा

(ख) 20 मीटर से कम लम्बाई वाले मोटरीकृत मत्स्यन जलपोतों द्वारा खरीदे गए एच. एस. डी. की खरीद पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।

(2) ताजा जल जलकृषि का विकास

(3) समेकित तटवर्ती जलकृषि का विकास

(4) बड़े तथा छोटे पत्तनों और मछली उतारने के केन्द्रों पर मत्स्यन बंदरगाहों की सुविधाएं प्रदान करना

(5) प्रशिक्षण तथा विस्तार

(6) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण

(7) झींगा तथा मछली पालन संबंधी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा क्रियान्वित योजनाएं अन्य बातों के साथ-साथ मात्स्यिकी सहकारिताओं को निम्नलिखित क्रियाकलापों को करने के लिए सहायता प्रदान करती हैं :-

(1) मत्स्यन नौकाएं, जाल तथा इंजनों जैसे संचालन आदानों की खरीद।

(2) विपणन (परिवहन वाहन, कोल्ड स्टोरेज, खुदरा केन्द्र, आदि) के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन।

(3) बर्फ संयंत्र, कोल्ड स्टोरेज, आदि सहित प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना।

(4) अंतर्देशीय मात्स्यिकी, बीज फार्मों, हैचरियों, आदि का विकास।

(5) समेकित मात्स्यिकी परियोजनाएं।

(ग) और (घ) भारत सरकार त्रिपुरा में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित करती है :-

(क) ताजा जल जलकृषि का विकास।

(ख) प्रशिक्षण तथा विस्तार।

(ग) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम त्रिपुरा में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायता प्रदान करती है:-

(क) मत्स्यन नौकाओं, जाल, आदि जैसी संचालन आदानों की खरीद।

(ख) परिवहन वाहन, खुदरा केन्द्र, आदि।

(ग) प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना।

(घ) अंतर्देशीय मात्स्यिकी, बीज फार्मों, आदि का विकास।

[हिन्दी]

सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2377. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रवर्तन अधिकारियों तथा साथ ही राजस्थान के भविष्य निधि संगठन के लेखा अधिकारियों के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो में उनके खिलाफ दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) से (घ) एक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, तीन सहायक भविष्य निधि आयुक्तों

तथा चार प्रवर्तन अधिकारियों/सहायक लेखा अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ऐसी शिकायतों पर आवश्यक विभागीय कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तीन सहायक भविष्य निधि आयुक्तों तथा तीन सहायक लेखा अधिकारियों/प्रवर्तन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा एक सहायक लेखा अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके मुख्यालय बदल दिए गए हैं। चार अन्य अधिकारियों के मुख्यालय भी बदल दिए गए हैं। एक सहायक लेखा अधिकारी पर अभियोग चलाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आवश्यक मंजूरी दी जा चुकी है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार में भष्टाचार

2378. **श्री रामसागर रावत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार द्वारा इस वर्ष के आरंभ में सीधे अपनी शाखाओं को आपूर्ति हेतु अभ्यास-पुस्तिकाओं की खरीद हेतु कागज की गुणवत्ता का उल्लेख करते हुए कोई निविदा आमंत्रित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या निविदा न्यूनतम बोलीदाता को नहीं दी गई थी;

(ग) क्या 1999 के दौरान कुछ संसद-सदस्यों द्वारा लिखे गए कुछ पत्रों का अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पैंशन और पैंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) इस बारे में स्थिति, संलग्न विवरण में दर्शाई गयी है।

(ग) और (घ) अभ्यास-पुस्तिकाओं की आपूर्ति से संबंधित भुगतान की प्रक्रिया के बारे में दो पूर्व सांसदों से मिले पत्रों का जवाब केन्द्रीय भण्डार ने भेज दिया है।

विवरण

भण्डारों को आपूर्ति करने के क्रम में, अभ्यास-पुस्तिकाओं के लिए केन्द्रीय भण्डार ने 16.11.1998 को एक निविदा जारी की थी। उपर्युक्त अभ्यास-पुस्तिकाओं के लक्ष्य-खरीददार, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे थे। उपर्युक्त अभ्यास-पुस्तिकाओं की आपूर्ति की पेशकश की एक खरीद-समिति द्वारा जांच की गई जिसने अभ्यास-पुस्तिकाएं तैयार करने हेतु बैलारपुर तथा सेंचुरी मिल का कागज अनुमोदित किया। कागज के ये दोनों ही ब्रैंड बहुत प्रतिष्ठित हैं तथा इन के कागज से बनने वाली अभ्यास-पुस्तिकाएं विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उपर्युक्त समझी गई हैं। हालांकि यह खास पेशकश, सबसे कम दर वाली नहीं थी, फिर भी, उपर्युक्त अनुमोदित कागज की आपूर्ति से, विद्यार्थियों को बढ़िया अभ्यास-पुस्तिकाएं बेचना अपेक्षाकृत अधिक उपर्युक्त समझा गया।

केन्द्रीय भंण्डार में वस्तुओं की गुणवत्ता

2379. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को अच्छे उत्पाद उपलब्ध नहीं करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने प्रत्येक खुदरा बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पैंशन और पैंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) केन्द्रीय भण्डार अपने विभिन्न बिक्री-केन्द्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बढ़िया वस्तुएं मुहैया कराने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य से केन्द्रीय भण्डार द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने की दृष्टि से भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैम्बर के परिसंघ (फेडरेशन ऑव इंडियन चैम्बर्स ऑव कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री) द्वारा स्थापित खाद्य-अनुसंधान और विश्लेषण-केन्द्र-प्रयोगशाला में इन वस्तुओं की नियमित रूप से जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, भण्डारों का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के परिणामस्वरूप कम बिकने वाली तथा नहीं बिकने वाली वस्तुएं चुनी जाती हैं तथा उन्हें बिक्री से हटा दिया जाता है। नए ब्रैंड की वस्तुओं की बिक्री आरंभ करने से पूर्व उनकी लोकप्रियता तथा कीमत की जांच-पड़ताल करने की दृष्टि से बाजार का सर्वेक्षण भी किया जाता है।

लेखन सामग्री की आपूर्ति

2380. **श्री चन्द्र नाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार की तुलना में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एन सी सी एफ) और सुपर बाजार सरकारी विभागों को उनके कार्यालयों के उपयोग हेतु लेखन सामग्री और अन्य चीजों की आपूर्ति अधिक कीमत पर करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अनावश्यक खर्चों की जांच करने और सरकारी खर्चों में मितव्ययता बरतने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पैंशन और पैंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुओं की कीमतें,

वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके बारे में किए गए विनिर्देशों पर निर्भर करती हैं और ये कीमतें, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता-संघ द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में केन्द्रीय-भंडार की तुलना में भिन्न हो सकती हैं। इस बारे में मिली रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता-संघ और सुपर बाजार सरकारी विभागों को लेखन-सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति उचित और प्रतियोगी कीमतों पर करते आ रहे हैं और इस बारे में उन्हें किसी भी सरकारी विभाग से कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठते।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

2381. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई. एस. आई.) के अंतर्गत श्रमिकों की चिकित्सा परिचर्या की क्या सीमा है;

(ख) सीमा में अंतिम वृद्धि कब हुई थी और वृद्धि की सीमा क्या थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार सीमा की अगली वृद्धि पर विचार करने का है क्योंकि इस समय यह सीमा बहुत कम है और चिकित्सा खर्चों में लगातार वृद्धि हुई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत किसी कामगार की चिकित्सा देखरेख पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। बीमित लोग और उनके परिवार सम्पूर्ण चिकित्सा देखरेख के पात्र हैं तथा उस पर होने वाले व्यय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, राज्यों में धन का उचित वितरण सुनिश्चित करने तथा चिकित्सा के मद में हुए खर्च को नियंत्रित करने के लिए राज्य बीमा निगम ने प्रति व्यक्ति पर प्रतिवर्ष होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। चिकित्सा व्यय के मद में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष किए जा सकने वाले अधिकतम व्यय की राशि को 1.4.99 को 500/- रुपये से बढ़ाकर 600/- रुपये किया गया था। फिलहाल इस सीमा को और अधिक बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खेत मजदूर

2382. **श्री लक्ष्मण सेठ** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक केंद्रीय विधान पुर:स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) से (ग) कृषि कामगारों के नियोजन तथा सेवा शर्तों के विनियमन हेतु तथा विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने हेतु कल्याण निधि के गठन के लिए एक व्यापक कानून के प्रवर्तन के प्रस्ताव की रूपरेखा बनाई गई है। इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है तथा यह सरकार के विचाराधीन है।

मुंबई स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में मामले

2383. **श्री अनादि साहू** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों से मुंबई स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) सऊदी अरब एयरलाइन्स, नई दिल्ली से संबंधित लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मामलों को न निपटाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ संसद सदस्यों ने उक्त मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु मंत्री जी को भी लिखा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) शून्य।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) संसद सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है जो सऊदी अरब एयरलाइन्स के एक कर्मचारी को भविष्य निधि धनराशि को विलम्ब से जमा करवाने के कारण ब्याज की अदायगी किए जाने के बारे में है। चूंकि भविष्य निधि की धनराधि को जमा करवाने में विलम्ब किए जाने सम्बन्धी कारणों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को उत्तरदायी नहीं माना जाता है अत: विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत सऊदी अरब एयरलाइन्स नई दिल्ली के कर्मचारी को कोई ब्याज देय नहीं है।

केरल को दी जाने वाली धनराशि

2384. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केरल राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या आवंटित धनराशि अन्य विकसित राज्यों को आवंटित धनराशि की तुलना में कम है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत

और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल के वार्षिक योजना परिव्यय निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपये)

9वीं योजना	वार्षिक योजना 1997-98		वार्षिक योजना 1998-99		वार्षिक योजना 1999-2000	
	अनुमोदित	संशोधित	अनुमोदित	संशोधित	अनुमोदित	
16100.00	2851.10	2698.66	3100.00	3044.39	3250.00	संशोधित होनी है।

(ख) से (घ) किसी राज्य के वार्षिक योजना अनुमोदित परिव्यय राज्य के स्वयं के संसाधनों और उस राज्य को उपलब्ध केन्द्रीय सहायता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

किसी राज्य के स्वयं संसाधनों में दो मुख्य घटक अर्थात् राज्य की स्वयं की निधियां और राज्य के उधार शामिल होते हैं।

राज्य की स्वयं की निधियों और राज्य के उधारों से राज्य की वित्तीय संसाधन जुटाने की क्षमता का पता चलता है। इन घटकों के माध्यम से उपलब्ध निधियों में राज्य-दर-राज्य अधिक विभिन्नता हो सकती है।

दूसरी ओर, केन्द्रीय सहायता का आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित एक निर्धारित फार्मूले के अनुसार किया जाता है, जिसे गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले के नाम से जाना जाता है। इस फार्मूले के विभिन्न घटकों के अंतर्गत, किसी राज्य के उपलब्ध निधियों में उस राज्य से संबंधित परिवर्तियों (वेरिएबल्स) के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रदान की गयी सहायता

2385. श्री पवन कुमार बंसल: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चंडीगढ़ को प्रदान की गयी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान (आज तक) कितने व्यक्तियों को ऋण का लाभ प्राप्त हुआ और उनका ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): (क) चंडीगढ़ को खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अभी तक उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु० लाख में)

अनुदान	ऋण	योग
672.79	197.56	870.35

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान 6 मामलों में 16.68 लाख रुपये संवितरित किये गये हैं तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान 30 नवम्बर, 1999 तक 3 मामलों में 6.44 लाख रुपये संवितरित किये गये हैं।

[हिन्दी]

बानसागर बांध

2386. श्री रामानन्द सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बानसागर अन्तर-राज्यीय सिंचाई परियोजना से प्रभावित लोगों का पुनर्वास करने और उन्हें मुआवजा देने पर अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है;

(ग) क्या प्रभावित परिवारों को मुआवजा प्रदान करने में कुछ अनियमितताओं तथा धन के दुरुपयोग से संबंधित मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) बाणसागर अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना के तहत प्रभावित लोगों को मुआवजा देने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए सितम्बर, 1999 तक 278.66 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए 57 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पशुधन और डेयरी विकास

2387. श्री राजो सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के जनजातीय बहुल पिछड़े जिलों में पशुधन और डेयरी विकास के लिए कोई केन्द्रीय योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना कब से शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत बिहार के कितने जिलों के आने की संभावना है; और

(घ) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सरकार देश के आदिवासी बाहुल्य वाले जिलों में पशुधन एवं डेयरी विकास के लिए कोई विशेष योजना नहीं चला रही है। इन जिलों को चालू केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में पहले ही शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

गहन सहकारी विकास कार्यक्रम

2388. श्री वाई० एस० विवेकानन्द रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में प्रत्येक जिले में गहन सहकारी विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की मदद से सहकारी क्षेत्र में कम्प्यूटरीकरण में निवेश करने के लिए भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम के प्रमुख लाभान्वितों में से एक है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पूर्वी गोदावरी, निजामाबाद, चित्तूर, कृष्णा, नलगोण्डा तथा कुर्नूल जिलों में कुल 51.08 करोड़ रुपये लागत की छः परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। गुंटूर जिले के लिए भी एक परियोजना अनुमोदित की गई है। राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति बहुत धीमी है। संसाधनों की कमी से निपटने में राज्य सरकार की मदद करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अग्रिम धनराशि जारी करके सहायता की है। उपर्युक्त परिस्थितियों एवं अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इस समय आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम लागू कर पाने की स्थिति में नहीं है।

(ग) से (ङ) इस समय सहकारी क्षेत्र में कम्प्यूटरीकरण पर निवेश करने संबंधी कोई स्कीम नहीं है।

अमरीका द्वारा विश्व बैंक ऋण पर लगाए गए प्रतिबंध

2389. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लॉ-मेकर्स के, भारत को दिए जाने वाले विश्व बैंक के कुछ ऋणों को बाधित करने की क्लिंटन प्रशासन की नीति के विरुद्ध छेड़े अभियान को इस बात से बल मिला है कि डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य श्री चार्ल्स बी० रांगेल ने राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से 1.235 बिलियन डालर राशि वाले इन ऋणों को मुक्त करने के लिए उन्हें हाल ही में प्रदान किए गए ऋण माफी के प्राधिकार का उपयोग करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) अमरीकी कांग्रेस ने अक्तूबर, 1999 में रक्षा विनियोजन अधिनियम 2000 पारित किया जो अमरीकी राष्ट्रपति को भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में छूट देने का प्राधिकार प्रदान करता है। छूट देने के प्राधिकार का आंशिक प्रयोग करते हुए अमरीका ने 27 अक्तूबर, 1999 को अमरीकी एक्सिम बैंक, ओ. पी. आई. सी. और टीडीए क्रियाकलाप, अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, अमरीकी बैंकों द्वारा भारत सरकार को ऋण देने, खाद्य-सामग्री की खरीद में सहायता देने हेतु कृषि विभाग द्वारा ऋण और वित्तीय सहायता, और वन्य जीवन संरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए कतिपय सहायता पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। अमरीकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने अमरीकी राष्ट्रपति से अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत को ऋण देने सहित शेष प्रतिबंधों को हटा लेने का अनुरोध किया है।

(ख) अमरीकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने राष्ट्रपति क्लिंटन से विश्व बैंक सहित अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत को ऋण देने से संबद्ध प्रतिबंधों को हटाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से लिखित अनुरोध भी किया है। इनमें यू एस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अन्तर्राष्ट्रीय संबंध समिति के अध्यक्ष श्री बेंजामिन गिलमैन, शेएड ब्राऊन, चार्ल्स बी रांगिल, राबर्ट एंड्रयूस, जिम ग्रीनवुड, इलियट ऐंजल, फ्रैंक पैलन, कैरोलिन मैककार्थी, डेविड बोनियर और जिम मैक डर्मोट शामिल हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

2390. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन. सी. डी. सी.) द्वारा विभिन्न उद्योगों और संस्थानों को संवितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकार को बीच में लाए बिना बैंक गारंटी के आधार पर आवधिक ऋण सीधे उद्योग/संस्थाओं को मुहैया कराने में क्या कठिनाइयां हैं;

(ग) क्या एन. सी. डी. सी. के किसी नियम/उपनियमों में संशोधन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपये)
1996-97	289.22
1997-98	323.70
1998-99	464.23

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की शर्तों के अनुसरण में, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों एवं अन्य सहकारी समितियों को, जिसके कार्य क्षेत्र में एक से अधिक राज्य आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ऋण तथा सहायता प्रदान करता है। उन सहकारी समितियों के मामले में जिनका कार्यक्षेत्र संबंधित राज्य के अन्तर्गत है, अधिनियम में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायता राज्य सरकार की गारन्टी पर अथवा राज्य सरकार के मार्फत प्रदान की जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

शुक्ला आयोग

2391. श्री समर चौधरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित शुक्ला आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शुक्ला आयोग द्वारा अब तक पता लगाये गये तथा कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ढांचागत विकास मुद्दों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर के लिए एस. पी. शुक्ला, तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय आयोग (एचएलसी) ने 7 मार्च, 1997 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर दी थी। उच्च स्तरीय आयोग ने न्यूनतम बुनियादी सेवाओं (बीएमएस) में बैकलॉग (पिछला बकाया) और विद्युत, संचार सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि जैसे आधारिक संरचना के विकास में अंतरालों की गम्भीरता से जांच की थी और संस्थागत सुधारों के उपायों, अतिरिक्त संसाधनों के जुटाव और विकासात्मक कार्य-कलापों में लोगों की भागीदारी सहित, इन अंतरालों को पूरा करने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था का नवीकरण करने के लिए नीतिगत पहलों और कार्यक्रमों की सिफारिश की थी। उच्च स्तरीय आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों को न्यूनतम बुनियादी सेवाएं (बीएमएस) उपलब्ध कराने की कुल लागत और नौवीं पंचवर्षीय योजना में आधारिक संरचना विकास के लिए निधियों की निर्देशात्मक आवश्यकताओं का भी अनुमान लगाया है।

उच्च स्तरीय आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के तत्काल बाद संबंधित राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों की योजनाओं के साथ उनका सामंजस्य स्थापित करके इसकी विभिन्न सिफारिशों को लागू करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आधारिक संरचना परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर परिषद और सिक्किम में आधारिक संरचना क्षेत्रक सहित, विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए गठित गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल के माध्यम से भी निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। परियोजना प्रस्तावों की, जो अन्य बातों के साथ-साथ उच्च स्तरीय आयोग की सिफारिशों से संबंधित हैं, गुणावगुण के आधार पर केन्द्रीय पूल से सहायता के लिए समय-समय पर पहचान किए जाने पर विचार किया गया है। 1998-99 के दौरान पूर्वोत्तर और सिक्किम में कुछ परियोजनाओं को (उच्च स्तरीय आयोग द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं को शामिल करते हुए) सहायता प्रदान की गई है। 1998-99 के दौरान, पूर्वोत्तर में सात राज्यों के संबंध में विभिन्न आधारिक संरचना क्षेत्रकों जैसेकि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा परिवहन और बी एम एस हेतु आबंटित की गई धनराशि निम्नानुसान है:-

(करोड़ रुपए)

1998-99 के दौरान आबंटन

1.	न्यूनतम बुनियादी सेवाएं (बी एम एस)	1009.16
2.	आधारित संरचना	
	(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	361.27
	(ख) ऊर्जा	645.10
	(ग) परिवहन	606.65

ड्रिप सिंचाई

2392. श्री मोहन रावले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ड्रिप सिंचाई सैटों को स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या निर्णय है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने टपका सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु अतिरिक्त धनराशि की मांग की है। हालांकि पिछले वर्ष में निर्मुक्त धन में से अव्ययित शेष धनराशि पर विचार करने के बाद इस स्कीम के अन्तर्गत आबंटित निधि से ही राज्य सरकारों को धनराशि जारी की जाती है।

कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जारी धनराशि निम्नवत् है:-

लाख रुपये

वर्ष	पूल आबंटन	वास्तविक निर्मुक्त धनराशि
1997-98	1956.55	2447.00
1998-99	2818.65	3194.13
1999-2000 (परिव्यय)	2703.90	1690.75 (अद्यतन)

प्रति व्यक्ति निवेश

2394. **श्री अधीर चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान योजना परिव्यय के संबंध में प्रति व्यक्ति निवेश क्या है; और

(ख) इनमें पश्चिम बंगाल राज्य का स्थान क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) वर्तमान प्रणाली में राज्यों के योजना परिव्यय में प्रति व्यक्ति निवेश संबंधी आंकड़े तैयार नहीं किए जाते। वर्ष 1998-99 के दौरान प्रतिव्यक्ति योजना परिव्यय का ब्यौरा, साथ ही विभिन्न राज्यों के रैंक दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वार्षिक योजना 1998-99 के लिए राज्यवार प्रति व्यक्ति परिव्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय•	रैंक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	622	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	6033	1
3.	असम	633	21
4.	बिहार	374	25
5.	गोवा	2155	5
6.	गुजरात	1161	13
7.	हरियाणा	1181	12
8.	हिमाचल प्रदेश	2420	4
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2105	6
10.	कर्नाटक	1070	15
11.	केरल	964	16
12.	मध्य प्रदेश	486	24
13.	महाराष्ट्र	1277	11
14.	मणिपुर	1949	8
15.	मेघालय	1902	9
16.	मिजोरम	3841	3
17.	नागालैण्ड	1967	7
18.	उड़ीसा	855	17
19.	पंजाब	1109	14
20.	राजस्थान	844	18
21.	सिक्किम	4611	2
22.	तमिलनाडु	751	19
23.	त्रिपुरा	1346	10
24.	उत्तर प्रदेश	651	20
25.	पश्चिम बंगाल	599	23

•जनसंख्या अनुमान वर्ष 1998 के मध्य के अनुमानों पर आधारित है।

कृषि विकास योजना

2395. **श्री आर०एल० भाटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कृषि विकास योजना के लिए पंजाब राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सरकार को कृषि विकास के लिए निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा निम्नवत् है:-

वर्ष	धनराशि (करोड़ रु०)
1997-98	25.38
1998-99	32.31
1999-2000 (30-9-99 तक)	8.47

[हिन्दी]

डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन

2396. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री होलखोमांग हौकिप:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन राज्यों में डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है;

(ख) शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस योजनाओं से देश के विशेषकर मणिपुर तथा मध्य प्रदेश राज्यों के पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक उत्थान में किस तरह सहायता मिलेगी?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) डेयरी विकास संबंधी मिशन 1988 में आरंभ हुआ था और इसे 31.3.1997 को समाप्त होना था। नौवीं योजना अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष के आधार पर 31.3.1999 तक इसका कार्यान्वयन जारी रखने के उद्देश्य से मिशन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। नौवीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित 14 राज्यों में इसके क्रियाकलाप जारी रहे:

आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

मिशन के 31.3.1999 को इस शर्त पर बंद माना गया कि अधूरे क्रियाकलाप 1999-2000 के दौरान पूरे किए जाएंगे।

नौवीं योजना अवधि के दौरान मिशन के क्रियाकलाप निम्नानुसार जारी रहे :

आबंटित राशि (लाख रुपए में)

क्र.सं.	क्रियाकलाप	1997-98	1998-99
1.	ऑपरेशनल लिंकेज (मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	72.70	—
2.	सरकारी कर्मचारियों का अभिमुखीकरण	9.30	—
3.	हिमित वीर्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	196.00	—
4.	चारा बीज उत्पादन	120.00	50.00
	कुल	398.00	50.00

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो मिशन की क्रियान्वयन एजेंसी है, ने सूचित किया है कि आबंटन राज्यवार नहीं किया गया है।

(ग) मिशन के क्रियाकलाप ऑपरेशन फ्लड जिलों में चलाए गए जिनमें से कुछ में आदिवासी क्षेत्र भी शामिल थे। ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में विकासीय गतिविधियों का पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों सहित लगभग पूरे देश में बहुमुखी प्रभाव पड़ा है। मणिपुर को डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन में कवर नहीं किया गया था।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास लंबित मामले

2397. श्री हरिभाई चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास बड़ी संख्या में निपटान हेतु लंबित मामलों को देखते हुए इसको पुनर्गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी मामलों को निर्धारित समय-सीमा में निपटाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) उच्चतम न्यायालय ने (1998) 1 एस० सी० सी० 226 में रिपोर्ट किए गए, विनीत नारायण एवं अन्य के मामले में दिए गए अपने निर्णय में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो की संरचना एवं उसके काम-काज के बारे में व्यापक निर्देश दिए थे। सरकार ने उपर्युक्त निर्णय कार्यान्वित करना तय किया। केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो की पुनर्संरचना किए जाने का कोई भी पृथक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) इस बारे में विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो की अपराध-नियम-पुस्तिका में जांच के अधीन चल रहे मामलों के निबटाए जाने और उनकी जांच में हासिल प्रगति की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। जांच, सुनवाई और नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए लंबित चल रहे मामलों की विभिन्न स्तरों पर, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, समय-समय पर समीक्षा की जाती है और मामलों का शीघ्र ही निबटाया जाना सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

31.12.1996, 31.12.1997, 31.12.1998 और 31.10.1999 को मौजूद स्थिति के अनुसार लंबित (अनिर्णीत) चल रहे मामलों की कुल संख्या से संबंधित जानकारी

मामलों का विवरण

को मौजूद स्थिति	जांच के लिए लंबित चल रहे मामलों की संख्या	सुनवाई के लिए लंबित चल रहे मामलों की संख्या	नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए लंबित चल रहे (जांच-पड़ताल पूरी होने पर नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए भेजे गए) मामलों की संख्या
1	2	3	4
31.12.96	1775	5434	2655
31.12.97	1893	5676	2784

1	2	3	4
31.12.98	1874	5794	2683
31.10.99	2021	5858	2480

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण

2398. **श्री अशोक प्रधान :**
श्री अजित सिंह :
श्री रामसागर रावत :
योगी आदित्यनाथ :
श्रीमती रानी नरह :
श्री जे० एस० बराड़ :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री प्रवीन राष्ट्रपाल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई भाग प्रति वर्ष बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य बाढ़ तथा अत्यधिक भू-क्षरण से बुरी तरह प्रभावित होते हैं;

(ग) क्या बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए नदी की तलहटी को और गहरा करने तथा तटबन्धों का निर्माण/मरम्मत करने के लिए भी कई योजनाएं कार्यान्वित को जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु कितना धन दिया गया तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) असम, बिहार; उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य बाढ़ और नदी कटाव से गंभीर रूप से प्रभावित हैं।

(ग) और (घ) नदी तल को गहरा करने संबंधी स्कीमें बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कुशल और सक्षम बाढ़ प्रबन्धन उपाय के रूप में उचित नहीं समझी जाती है। राज्यों द्वारा बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नदी तटबंधों के निर्माण/मरम्मत की स्कीमों का सामान्यत: बाढ़ प्रबंधन के एक संरचनात्मक उपाय के रूप में सहारा लिया जाता है। बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की आयोजना और क्रियान्वयन राज्यों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार आयोग द्वारा आवंटित उनकी योजना निधियों में से किया जाता है। गत पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों द्वारा तटबंधों के निर्माण और मरम्मत सहित विभिन्न बाढ़ प्रबंधन स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं। अब तक 16,200 कि. मी. तटबंधों का निर्माण किया गया है जिससे संपूर्ण देश के 40 मिलियन हेक्टे. बाढ़ प्रवण क्षेत्र की तुलना में 14.4 मिलियन हेक्टे. क्षेत्र को उचित स्तर पर बाढ़ सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ङ) केन्द्र सरकार तटबंधों के निर्माण/मरम्मत के लिए राज्य सरकार को अलग से धनराशि प्रदान नहीं करती है और ये बाढ़ नियंत्रण उप-क्षेत्र आबंटन में शामिल होती है। राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा राज्यों द्वारा सूचित नहीं किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण उप-क्षेत्र में योजना आयोग द्वारा आबंटित राज्यवार निधियों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

बाढ़ नियंत्रण उप-क्षेत्र में राज्यवार वार्षिक परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिव्यय (संशोधित) 1996-97	परिव्यय (संशोधित) 1997-98	अनुमोदित परिव्यय 1998-99	अनुमोदित परिव्यय 1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10.00	13.58	20.27	उप.न.
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.27	3.76	4.61	उप.न.
3.	असम	20.17	19.90	20.27	27.57
4.	बिहार	41.35	44.00	63.00	110.00
5.	गोवा	0.80	0.84	0.60	उप.न.
6.	गुजरात	1.60	5.00	5.00	5.00
7.	हरियाणा	11.00	12.00	23.40	20.00
8.	हिमाचल प्रदेश	3.54	3.86	5.74	8.12
9.	जम्मू एवं कश्मीर	15.71	17.27	26.52	32.11
10.	कर्नाटक	10.00	8.00	7.00	उप.न.
11.	केरल	35.50	25.50	24.00	उप.न.
12.	मध्य प्रदेश	1.08	0.68	1.00	0.01
13.	महाराष्ट्र	103.21	6.37	1.16	52.78
14.	मणिपुर	6.69	6.75	5.10	उप.न.
15.	मेघालय	1.43	1.50	3.00	उप. न.
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	उप. न.
17.	नागालैंड	0.16	0.20	0.09	उप.न.
18.	उड़ीसा	13.00	16.85	15.00	उप.न.

1	2	3	4	5	6
19.	पंजाब	65.90	100.00	182.83	105.39
20.	राजस्थान	43.45	7.42	4.93	3.75
21.	सिक्किम	2.34	2.30	0.50	उप.न.
22.	तमिलनाडु	1.59	2.03	0.00	उप.न.
23.	त्रिपुरा	2.04	4.64	3.21	उप.न.
24.	उत्तर प्रदेश	10.81	8.11	20.00	23.53
25.	प. बंगाल	35.00	48.35	145.90	उप.न.
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.00	0.00	0.00	उप.न.
27.	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	उप.न.
28.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	उप.न.
29.	दिल्ली	14.31	11.00	24.00	20.00
30.	दमन और द्वीव	0.35	0.23	0.28	उप.न.
31.	लक्षद्वीप	1.86	4.00	0.00	उप.न.
32.	पांडिचेरी	3.77	3.00	3.80	उप.न.
	कुल	461.20	377.14	611.21	—

उप.न. : (उपलब्ध नहीं)

सुपर चावल

2399. श्री पी०सी० थामस: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मनीला स्थित "इन्टरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट" (आई० आर० आर० आई०) ने 20 प्रतिशत अधिक उत्पादकता और उच्च पौष्टिकता वाले चावल की संकर किस्म "सुपर राइस" विकसित की है:

(ख) क्या भारत ने इस संबंध में अनुसंधान किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत ने कम क्षेत्रफल में अधिक चावल उत्पादन के लिए "हाइड्रोपॉनिक" तरीके से प्रयोग किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। "इन्टरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट" मनीला, फिलिपिंस ने वर्तमान किस्मों की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत अधिक पैदावार देने वाली "सुपर चावल" किस्मों को विकसित किया है। इन किस्मों का खेतों में परीक्षण किया जा रहा है और दाने की गुणवत्ता में सुधार लाने और इनमें कीट नाशीकीट और रोगों की प्रतिरोधिता उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन, सुपर चावल को व्यावसायिक कृषि के लिए अभी जारी नहीं किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) अधिक पैदावार देने वाली इंडिका किस्मों और उष्णकटिबंधीय जेपोनिका वंशक्रमों जिनका सुपर चावल की कुछ किस्मों के लिए दाता के रूप में प्रयोग होता है, के बीच संकरीकरण किया गया है। आशाजनक किस्मों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं। चूंकि चावल देश के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है इसलिए "हाइड्रोपोनिक चावल" को व्यावहारिक रूप से संभाव्य नहीं समझा जाता है।

(ङ) लागू नहीं।

(च) सरकार ने चावल की वर्तमान उपज सीमाओं को तोड़ने की आवश्यकता को समझा है तथा इसके लिए उच्च उपज क्षमता वाली चावल की संकर किस्मों तथा अन्य सुधरी किस्मों को विकसित करके उपज की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किये हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड हेतु कोयले का आयात

2400. श्री एन.आर.के. रेड्डी:
श्री जी. गंगा रेड्डी:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 1999 के "एशियन ऐज" में "सेल्स ऑस्ट्रेलियन कोल इम्पोर्ट माएर्ड इन कन्ट्रोवर्सी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाही की जा रही है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) जी, हां।

(ख) समाचार में बताए गए तथ्य अधिकांशत: सही नहीं हैं। सेल कोयले की अधिप्राप्ति एजेंटों के माध्यम से नहीं करता है। सेल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से दीर्घकालिक करारों के अन्तर्गत सीधे ही कोयले का आयात उन मूल्यों पर और विनिर्दिष्टियों के तहत् करता है जो जापानी इस्पात मिल (जे.एस.एम.) मूल्यों से जुड़े होते हैं। कोयले के प्रत्येक ग्रांड के जे.एस.एम. मूल्यों और विनिर्दिष्टियों को विभिन्न प्रकाशनों में प्रकाशित करने के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रमाणित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी

अधिप्राप्ति के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुमति अपेक्षित नहीं है। 1998 में कायले के मूल्य हेतु दीर्घकालिक करारों के संबंध में पुन: समझौता किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के समतुल्य मूल्यों पर इन करारों को अन्तिम रूप दिया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गये आयात की मात्रा और इसका मूल्य निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा (मिलियन टन)	मूल्य (समुद्री भाड़ा सहित)
1996-97	6.610	1566 करोड़ रुपए
1997-98	6.176	1488 करोड़ रुपए
1998-99	5.629	1363 करोड़ रुपए

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खादी बोर्डों को आवंटित की गई राशि

2401. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान खादी व ग्राम उद्योग आयोग द्वारा उनकी गतिविधियों के लिए खादी बोर्डों को राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऋण के रूप में और अनुदानों के रूप में आवंटित राशि का पृथकत: राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान "सीमांत धनराशि योजना" के अंतर्गत जारी की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन खादी बोर्डों के कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): (क) और (ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश में खादी ग्रामोद्योग कार्यकलापों को आयोजित करने के लिए वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान राज्यवार निधियों का आवंटन दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, मार्जिन मनी स्कीम के अन्तर्गत जारी की गई राशि विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) खादी ग्रामोद्योग आयोग, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के निष्पादन का विश्लेषण करता है। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए उत्पादन, बिक्री, रोजगार और आय का ब्यौरा, विवरण-III के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

खादी तथा ग्रामोद्योग के अंतर्गत वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के लिए आबंटित निधियां

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का नाम	1997-98				1998-99			
		ऋण		अनुदान		ऋण		अनुदान	
		केवीआईसी	सीबीसी	अन्य अनुदान	एम.एम. अनुदान	केवीआईसी	सीबीसी	अन्य अनुदान	एम.एम. अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	दिल्ली	0	550.49	0	201.11	0	550.49	0	201.11
2.	हिमाचल प्रदेश	0	118.73	0.19	42.41	0	118.73	0.19	42.41
3.	हरियाणा	30.85	1010.17	0	337.43	30.85	1010.17	0	337.43
4.	पंजाब	0	2765.59	0.04	998.04	0	2765.59	0.04	998.04
5.	जम्मू एवं कश्मीर	43.00	377.90	0.25	171.10	43.00	377.90	0.25	171.10
6.	चंडीगढ़ (यू.टी.)	0	23.05	0	8.86	0	23.05	0	8.86
7.	राजस्थान	102.38	1692.32	9.03	665.45	102.38	1692.32	9.03	665.45
8.	आन्ध्र प्रदेश	68.02	4518.24	9.25	1659.00	68.02	4518.24	9.25	1659.00
9.	कर्नाटक	79.29	6279.33	0	2243.67	79.29	6278.33	0	2243.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	केरल	65.47	1499.85	7.62	537.57	65.47	1499.85	7.62	537.57
11.	तमिलनाडु	100.00	0	48.13	0	100.00	0	48.13	0
12.	पांडिचेरी (यू.टी.)	0	69.18	0.63	26.36	0	69.18	0.63	26.36
13.	लक्षद्वीप (यू.टी.)	0	153.41	0	60.15	0	153.41	0	60.15
14.	महाराष्ट्र	0	2126.77	0.29	845.86	0	2126.77	0.29	845.86
15.	गुजरात	77.59	639.65	50.05	62.55	77.59	639.65	50.05	62.55
16.	गोवा	0	116.12	0	38.45	0	116.12	0	38.45
17.	बिहार	21.92	1291.46	2.65	464.68	21.92	1291.46	2.65	464.68
18.	उड़ीसा	0	2135.46	1.18	851.88	0	2135.46	1.18	851.88
19.	पश्चिम बंगाल	126.56	1436.55	0.19	526.17	126.56	1436.55	0.19	526.17
20.	अंडमान एवं निकोबार	0	81.13	0.02	39.67	0	81.13	0.02	39.67
21.	सिक्किम	0	21.88	0	9.26	0	21.88	0	9.26
22.	असम	0	266.35	0.37	117.64	0	266.35	0.37	117.64
23.	अरुणाचल प्रदेश	0	15.74	0	7.27	0	15.74	0	7.27
24.	मेघालय	0	1546.39	76.62	92.44	0	1546.39	76.62	92.44
25.	मणिपुर	0	583.70	0.27	261.93	0	583.70	0.27	261.93
26.	मिजोरम	0	417.95	0.01	192.50	0	417.95	0.01	192.50
27.	नागालैंड	12.00	1023.30	5.74	713.82	12.00	1023.30	5.74	713.82
28.	त्रिपुरा	0	27.66	1.99	12.61	0	27.66	1.99	12.61
29.	उत्तर प्रदेश	160.40	2849.38	0.46	1031.73	160.40	2849.38	0.46	1031.73
30.	मध्य प्रदेश	0	1719.43	0.19	656.45	0	1719.43	0.19	656.45
	कुल	887.48	35356.18	215.17	12876.06	887.48	35356.18	215.17	12876.06

विवरण-II

राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के लिए मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत जारी की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य बोर्ड	1997-98	1998-99
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश, केवीआईबी	1004.54	3788.85
2.	मध्य प्रदेश, केवीआईबी	315.92	2715.25
3.	उड़ीसा, केवीआईबी	207.33	275.69
4.	बिहार, केवीआईबी	—	—
5.	सिक्किम	—	—
6.	पश्चिम बंगाल	—	12.50
7.	अंडमान एवं निको. केवीआईबी	—	6.91
8.	गुजरात	—	287.28
9.	महाराष्ट्र	743.34	782.30
10.	गोवा दमन एवं दीव	—	40.00

1	2	3	4
11.	जम्मू एवं कश्मीर	169.26	645.71
12.	पंजाब	438.83	1839.27
13.	चंडीगढ़ (यू.टी.)	—	—
14.	हरियाणा	139.04	506.57
15.	हिमाचल प्रदेश, केवीआईबी	269.75	514.98
16.	राजस्थान, केवीआईबी	575.42	551.22
17.	दिल्ली, केवीआईबी	—	95.71
18.	असम केवीआईबी	—	5.00
19.	मेघालय, केवीआईबी	—	142.36
20.	त्रिपुरा, केवीआईबी	—	—
21.	नागालैंड, केवीआईबी	90.00	396.11
22.	मिजोरम, केवीआईबी	180.34	1072.95
23.	मणिपुर, केवीआईबी	867.34	850.62
24.	अरुणाचल प्रदेश केवीआईबी	—	—
25.	पांडिचेरी, केवीआईबी	—	94.58
26.	आन्ध्र प्रदेश, केवीआईबी	2529.32	810.58
27.	कर्नाटक, केवीआईबी	2172.61	4763.38
28.	केरल, केवीआईबी	—	1208.26
29.	तमिलनाडु, केवीआईबी	—	12.50
30.	लक्षद्वीप, केवीआईबी	—	109.68
	कुल	9702.94	21528.26

विवरण–III (क)

राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड-वार उत्पादन तथा बिक्री 1997-98

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ	उत्पादन			बिक्री		
		खादी	ग्रामोद्योग	योग	खादी	ग्रामोद्योग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2.65	214.28	216.93	2.00	218.74	220.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	0.77	0.77	—	0.79	0.79
3.	असम	0.69	35.78	36.47	1.01	30.31	31.32
4.	बिहार	2.40	145.38	147.78	1.75	129.31	131.06
5.	गोवा	—	8.04	8.04	—	10.37	10.37
6.	गुजरात	55.54	136.39	191.93	91.21	115.68	206.89
7.	हरियाणा	3.88	53.52	57.40	1.16	57.67	58.83
8.	हिमाचल प्रदेश	0.04	60.56	60.60	0.57	64.47	65.04
9.	जम्मू और कश्मीर	0.03	72.64	72.67	0.03	79.54	79.57
10.	कर्नाटक	21.73	242.63	264.36	16.72	248.06	264.78
11.	केरल	3.99	145.24	149.23	6.34	155.18	161.52
12.	मध्य प्रदेश	3.69	124.22	127.91	3.70	133.62	137.32
13.	महाराष्ट्र	17.20	466.64	483.84	23.87	561.31	585.18
14.	मणिपुर	—	29.39	29.39	—	31.00	31.00

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	0.04	14.15	14.19	0.01	17.53	17.54
16.	मिजोरम	—	20.81	20.81	0.12	19.58	19.70
17.	नागालैंड	—	18.92	18.92	0.07	21.15	21.22
18.	उड़ीसा	—	65.12	65.12	—	67.10	67.10
19.	पंजाब	—	167.47	167.47	—	187.94	187.94
20.	राजस्थान	11.19	352.86	364.05	15.91	467.96	483.87
21.	सिक्किम	0.09	2.65	2.74	0.07	2.60	2.67
22.	तमिलनाडु	18.86	397.52	416.38	30.50	395.71	426.21
23.	त्रिपुरा	0.19	12.13	12.32	0.06	12.59	12.65
24.	उत्तर प्रदेश	28.56	541.80	570.36	29.22	557.55	586.77
25.	पश्चिम बंगाल	15.92	142.60	158.52	3.43	146.78	150.21
26.	अंडमान और निकोबार	—	1.08	1.08	—	0.98	0.98
27.	चण्डीगढ़	—	6.03	6.03	—	6.96	6.96
28.	दिल्ली	—	25.65	25.65	—	28.01	28.01
29.	लक्षद्वीप	—	0.06	0.06	—	0.06	0.06
30.	पांडिचेरी	0.22	4.66	4.88	0.41	4.69	5.10
	कुल	186.91	3508.99	3695.90	228.16	3773.24	4001.40

विवरण-III (ख)

राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड-वार उत्पादन तथा बिक्री 1998-99

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन			बिक्री		
		खादी	ग्रामोद्योग	योग	खादी	ग्रामोद्योग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.77	238.97	239.74	0.64	249.96	250.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	0.31	0.31	—	0.30	0.30
3.	असम	0.99	34.10	35.09	1.14	29.85	30.99
4.	बिहार	2.37	140.35	142.72	2.42	129.52	131.94
5.	गोवा	—	11.43	11.43	—	14.06	14.06
6.	गुजरात	41.03	141.39	182.42	48.68	127.37	176.05
7.	हरियाणा	3.91	51.33	55.24	1.28	55.18	56.46
8.	हिमाचल प्रदेश	0.06	75.17	75.23	0.23	80.42	80.65

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू और कश्मीर	—	80.09	80.09	—	104.52	104.52
10.	कर्नाटक	19.74	270.20	289.94	18.77	284.97	303.74
11.	केरल	4.36	151.62	155.98	3.13	154.35	157.48
12.	मध्य प्रदेश	2.00	160.80	162.80	3.69	159.31	163.00
13.	महाराष्ट्र	18.40	763.07	781.47	25.05	995.96	1021.01
14.	मणिपुर	—	44.29	44.29	—	45.76	45.76
15.	मेघालय	—	11.18	11.18	—	14.41	14.41
16.	मिजोरम	—	24.08	24.08	—	22.68	22.68
17.	नागालैंड	—	17.60	17.60	0.04	19.52	19.56
18.	उड़ीसा	0.14	45.88	46.02	0.15	50.82	50.97
19.	पंजाब	—	188.61	188.61	—	197.34	197.34
20.	राजस्थान	11.74	418.63	430.37	12.92	544.53	557.45
21.	सिक्किम	0.20	2.98	3.18	0.11	3.01	3.12
22.	तमिलनाडु	15.75	403.83	419.58	21.94	411.41	433.35
23.	त्रिपुरा	—	11.61	11.61	—	12.51	12.51
24.	उत्तर प्रदेश	33.35	558.18	591.53	35.23	599.96	635.19
25.	पश्चिम बंगाल	14.10	149.32	163.42	2.96	156.94	159.90
26.	अंडमान और निकोबार	—	0.68	0.68	—	0.93	0.93
27.	चण्डीगढ़	—	2.90	2.90	—	3.34	3.34
28.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
29.	दमन एवं द्वीव	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	—	26.00	26.00	—	28.71	28.71
31.	लक्षद्वीप	—	0.91	0.91	—	1.11	1.11
32.	पांडिचेरी	0.10	4.37	4.47	0.45	4.55	5.00
	कुल	169.01	4029.88	4198.89	178.83	4503.30	4682.13

विवरण-III (ग)

राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड-वार रोजगार तथा आय 1997-98

(रोजगार लाख व्यक्तियों में) (करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	रोजगार			आय		
		खादी	ग्रामोद्योग	योग	खादी	ग्रामोद्योग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.07	3.15	3.22	1.50	89.03	90.53

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	0.01	0.01	—	0.32	0.32
3.	असम	0.07	0.94	1.01	0.35	10.05	10.40
4.	बिहार	0.13	1.04	1.17	1.29	25.15	26.44
5.	गोवा	—	0.05	0.05	—	3.33	3.33
6.	गुजरात	0.53	0.53	1.06	28.64	32.23	60.87
7.	हरियाणा	0.06	0.39	0.45	0.85	12.89	13.74
8.	हिमाचल प्रदेश	*	0.65	0.65	0.02	22.98	23.00
9.	जम्मू और कश्मीर	*	0.70	0.70	0.02	23.33	23.35
10.	कर्नाटक	0.26	1.51	1.77	5.48	63.23	68.71
11.	केरल	0.07	2.16	2.23	2.00	43.31	45.31
12.	मध्य प्रदेश	0.04	0.94	0.98	1.05	50.17	51.22
13.	महाराष्ट्र	0.13	3.52	3.65	6.00	178.47	184.47
14.	मणिपुर	—	0.42	0.42	—	9.45	9.45
15.	मेघालय	*	0.13	0.13	—	8.75	8.75
16.	मिजोरम	—	0.13	0.13	0.03	5.12	5.15
17.	नागालैंड	*	0.18	0.18	0.01	10.46	10.47
18.	उड़ीसा	—	2.01	2.01	—	24.97	24.97
19.	पंजाब	—	0.95	0.95	—	47.46	47.46
20.	राजस्थान	0.63	3.01	3.64	5.58	149.56	155.14
21.	सिक्किम	*	0.05	0.05	0.14	0.81	0.95
22.	तमिलनाडु	0.19	10.10	10.29	7.81	188.02	195.83
23.	त्रिपुरा	*	0.27	0.27	0.09	4.60	4.69
24.	उत्तर प्रदेश	0.64	4.80	5.44	12.45	160.44	172.89
25.	पश्चिम बंगाल	0.29	2.78	3.07	3.29	36.54	39.83
26.	अंडमान और निकोबार	—	*	*	—	0.54	0.54
27.	चण्डीगढ़	—	0.04	0.04	—	1.36	1.36
28.	दिल्ली	—	0.15	0.15	—	11.81	11.81
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	0.03	0.03
30.	पांडिचेरी	0.01	0.04	0.05	0.34	2.02	2.36
	कुल	3.12	40.65	43.77	76.94	1216.43	1293.37

*500 से कम

विवरण-III (घ)

वर्ष 1998-99 में राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड वार रोजगार एवं अर्जन

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य एवं संघ शासित	रोजगार			अर्जन		
		खादी	ग्रामोद्योग	योग	खादी	ग्रामोद्योग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.04	3.16	3.20	0.59	92.89	93.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	*	*	—	0.07	0.07
3.	असम	0.14	0.96	1.10	0.39	9.08	9.47
4.	बिहार	0.11	1.02	1.13	1.28	24.95	26.23
5.	गोवा	—	0.05	0.05	—	4.02	4.02
6.	गुजरात	0.46	0.53	0.99	23.87	33.48	57.35
7.	हरियाणा	0.06	0.36	0.42	1.18	12.09	13.27
8.	हिमाचल प्रदेश	*	0.68	0.68	0.01	25.54	25.55
9.	जम्मू और कश्मीर	—	0.88	0.88	—	29.40	29.40
10.	कर्नाटक	0.28	1.81	2.09	4.88	69.89	74.77
11.	केरल	0.07	1.92	1.99	1.92	39.80	41.72
12.	मध्य प्रदेश	0.03	1.08	1.11	1.36	55.79	57.15
13.	महाराष्ट्र	0.13	4.20	4.33	6.99	243.12	250.11
14.	मणिपुर	—	0.42	0.42	—	13.64	13.64
15.	मेघालय	—	0.11	0.11	—	6.67	6.67
16.	मिजोरम	—	1.15	0.15	—	5.76	5.76
17.	नागालैंड	*	0.18	0.18	0.02	9.33	9.35
18.	उड़ीसा	*	1.82	1.82	0.06	21.57	21.63
19.	पंजाब	—	0.96	0.96	—	51.61	51.61
20.	राजस्थान	0.56	3.22	3.78	4.76	189.61	194.37
21.	सिक्किम	*	0.06	0.06	0.05	0.85	0.90
22.	तमिलनाडु	0.02	10.11	10.13	2.56	190.51	193.07
23.	त्रिपुरा	—	0.23	0.23	—	3.73	3.73
24.	उत्तर प्रदेश	0.59	5.04	5.63	1.72	183.65	185.37
25.	पश्चिम बंगाल	0.08	3.20	3.28	4.32	48.29	52.60
26.	अंडमान और निकोबार	—	*	*	—	0.28	0.28

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	चण्डीगढ़	—	0.04	0.04	—	1.85	1.85
28.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
29.	दमन एवं द्वीव	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	—	0.10	0.10	—	12.11	12.11
31.	लक्षद्वीप	—	*	*	—	0.10	0.10
32.	पांडिचेरी	0.01	0.03	0.04	0.01	2.43	2.44
	कुल	2.58	42.32	44.90	55.97	1382.11	1438.08

*500 से कम

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मधुमक्खी पालन

2402. डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग और ऐसे अन्य संगठनों द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन उद्योग की सुरक्षा के बारे में सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) 1997-98 के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मधुमक्खी पालन पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :

(रु॰ लाखों में)

वर्ष	अनुदान	ऋण	योग
1997-98	06.66	04.26	10.92
1998-99	18.22	02.80	21.02

इसके अतिरिक्त कृषि एवं सहकारिता विभाग ने भी मधुमक्खी पालन में लगी बहुत सी एजेंसियों को 1997-98 के दौरान रु. 117.87 लाख तथा 1998-99 के दौरान रु. 118.28 लाख रिलीज किए हैं।

(ख) खादी ग्रामोद्योग द्वारा कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किए गए हैं लेकिन मध्यप्रदेश तथा हिमाचल में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पुणे, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मधुमक्खियों की बीमारियों का पता लगाने तथा उनके रोकथाम के लिए सर्वेक्षण किए गए हैं। केरल और तमिलनाडु में मधुमक्खियों के झुंड में 'ऐपिस मेलिफेरा' रोग जोकि भारतीय नहीं है, के अभिस्वीकरण का पता लगाने का भी अध्ययन किया गया तथा महाराष्ट्र में "थाई सेक ब्रूड" द्वारा होने वाली क्षति का मूल्यांकन करने के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया।

लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता

2403. श्रीमती शीला गौतम : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रुग्ण लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योगों के संघों के परिसंघ से कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन इकाइयों को बचाने के लिए मियादी ऋणों के पुनर्भुगतान और देय ब्याज को पुन: निर्धारित करने और अतिरिक्त सुविधाओं को स्वीकृत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग संघों के परिसंघ ने सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक विकास की मंदी का उल्लेख है, जिससे औद्योगिक रुग्णता उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने समस्या के हल के लिए सावधि ऋण के पुनर्निर्धारण और न्यूनतम कार्यशील पूंजी की संस्वीकृति आदि जैसे उपाय सुझाए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और राज्य वित्त निगमों के लिए रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की पहचान

व पुनर्वास के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों का पुनर्निर्धारण, निधिबद्ध सावधि ब्याज ऋण, आवश्यकता आधारित अतिरिक्त वित्त इत्यादि शामिल हैं।

योजना के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग

2404. **श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बिहार समेत कुछ राज्यों ने योजना के लिए आबंटित धनराशि का सबसे कम उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन राज्यों को कम धनराशि समवितरण का मुख्य कारण उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना है;

(घ) क्या इन राज्यों में योजना राशि को बड़े पैमाने पर दूसरी मदों में खर्च करने की बात का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी जांच के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; योजना राशि का सही और त्वरित गति से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) पिछले 3 वर्ष के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय के राज्यवार — ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। बिहार उन राज्यों में है जहां योजना परिव्यय का उपयोग निम्न रहा है।

योजना आयोग के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अंतर्गत राज्यों को पूरी सामान्य केन्द्रीय सहायता तभी दी जाती है यदि कुल योजना व्यय मूल रूप से अनुमोदित/संशोधित परिव्यय से कम न हो और उद्दिष्ट क्षेत्रकों/स्कीमों का व्यय उसके लिए अनुमोदित परिव्यय से कम न हो। कुल परिव्यय/उद्दीष्ट परिव्यय को उपलब्ध न किए जाने के मामले में सामान्य केन्द्रीय सहायता में आनुपातिक कटौती की जाती है। विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में, उन्हें गैर-योजना अंतराल को पूरा करने के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता का 20% तक उपयोग करने की अनुमति दी जाती है और उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता में कटौती की जाती है। उपर्युक्त मार्गनिर्देशों के आधार पर केन्द्रीय सहायता में वित्त मंत्रालय द्वारा लागू की गई कटौती के ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

कुछ राज्यों में निधियों के कम उपयोग का कारण राज्यों द्वारा उनके अपने संसाधन अनुमानित सीमा तक जुटाने में उनकी असमर्थता है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग को इन राज्यों में बड़े पैमाने पर योजना निधियों के विपथन की कोई जानकारी नहीं है।

योजना आयोग कर और गैर-कर राजस्वों में वृद्धि और गैर-योजना राजस्व व्यय में कमी द्वारा भी अपने स्वयं के उच्च स्तर के संसाधन सृजित करने के लिए राज्यों पर बल देता रहा है।

विवरण-I

वार्षिक योजनाओं 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के लिए अनुमोदित परिव्यय/ वास्तविक व्यय संबंधी ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय			वास्तविक व्यय			अनुमोदित परिव्यय के प्रतिशत के रूप में वास्तविक व्यय		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99*	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2989.00	3579.55	4678.95	3052.26	3707.23	4678.95	102.12	103.57	100.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	520.00	600.00	625.00	430.93	489.38	471.58	82.87	81.56	75.45
3.	असम	1434.00	1510.28	1650.00	1101.62	1283.18	1389.37	76.82	84.96	84.20
4.	बिहार	2143.91	2268.42	3768.74	1549.28	1711.43	1850.00	72.26	75.45	49.09
5.	गोवा	250.00	230.56	291.34	199.12	185.99*	234.77	79.65	80.67	80.58
6.	गुजरात	3378.00	4509.62	5450.00	3080.13	3905.07	5450.00	91.18	86.59	100.00
7.	हरियाणा	1433.65	1576.04	2260.00	1235.29	1303.61	1800.00	86.16	82.71	79.65
8.	हिमाचल प्रदेश	900.50	1008.00	1440.00	918.33	1294.33	1444.00	101.98	128.41	100.28
9.	जम्मू और कश्मीर	1250.00	1551.81	1900.00	1260.46	1496.28	1750.00	100.84	96.42	92.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	4360.00	4153.59	5353.00	3972.54	4424.48	5131.54	91.11	106.52	95.86
11.	केरल	2207.27	2851.10	3100.00	2106.73	2867.62	3039.09	95.45	100.58	98.04
12.	मध्य प्रदेश	3144.80	3718.15	3700.00	2759.71	3343.91	3426.12	87.75	89.93	92.60
13.	महाराष्ट्र	8319.67	8393.19	11600.73	6856.77	7938.03	11600.73	82.42	94.58	100.00
14.	मणिपुर	350.00	410.00	425.00	367.17	345.28	406.08	104.91	84.21	95.55
15.	मेघालय	370.00	382.00	400.00	253.88	248.83	302.50	68.62	65.14	75.63
16.	मिजोरम	281.00	290.00	333.00	286.77	295.25	284.55	102.05	101.81	85.45
17.	नागालैंड	290.00	291.00	300.00	265.67	236.13	300.00	91.61	81.14	100.00
18.	उड़ीसा	2205.50	2529.46	3084.43	2003.97	2037.14	3084.43	90.86	80.54	100.00
19.	पंजाब	1857.05	2100.01	2500.00	1794.39	2008.80	2500.00	96.63	95.66	100.00
20.	राजस्थान	3310.49	3514.42	4300.00	3131.41	3987.35	4025.00	94.59	113.46	93.60
21.	सिक्किम	192.00	220.00	237.00	192.79	190.12	218.00	100.41	86.42	91.98
22.	तमिलनाडु	3719.05	4004.90	4500.00	3726.37	4010.63	4500.00	100.20	100.14	100.00
23.	त्रिपुरा	370.00	439.91	440.00	369.96	412.59	379.00	99.99	93.79	86.14
24.	उत्तर प्रदेश	6549.03	7246.57	10260.00	5674.73	5652.36	5887.32	86.65	78.00	57.38
25.	पश्चिम बंगाल	3158.63	3907.62	4595.85	2426.51	2840.10	2749.45	76.82	72.68	59.84
	जोड़ (राज्य)	54983.55	61286.20	77192.04	49016.79	56215.12	66902.48	89.15	91.73	86.67

*वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं है, संशोधित परिव्यय लिया गया है।

विवरण-I

वार्षिक योजनाओं में केन्द्रीय सहायता में राज्यवार कटौती

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.47	0.35	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	6.67
3.	असम	22.49	10.50	19.49
4.	बिहार	—	33.40	—
5.	गोवा	3.29	2.07	0.47
6.	गुजरात	—	—	61.09
7.	हरियाणा	15.72	16.08	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	—	—	—
11.	केरल	15.34	20.32	—
12.	मध्य प्रदेश	15.95	11.21	—
13.	महाराष्ट्र	14.66	63.40	19.98
14.	मणिपुर	—	2.08	—
15.	मेघालय	17.13	15.12	—
16.	मिजोरम	0.30	0.02	6.63
17.	नागालैंड	—	—	5.18
18.	उड़ीसा	1.78	44.04	—
19.	पंजाब	12.74	5.85	—

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	9.56	8.69	34.11
21.	सिक्किम	—	1.55	—
22.	तमिलनाडु	—	—	0.02
23.	त्रिपुरा	—	—	22.42
24.	उत्तर प्रदेश	72.43	0.23	74.62
25.	प. बंगाल	—	8.64	13.83
	जोड़	201.86	243.55	264.51

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी

2405. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना प्रौद्योगिकी को ले जाने हेतु सरकार द्वारा प्रारंभ की जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस, उद्देश्य के लिए कितनी धन-राशि नियत की गई है;

(ग) ग्रामीण लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नये अवसरों से परिचित कराने में किस सीमा तक मदद मिलेगी; और

(घ) इंटरनेट के संचालन हेतु विद्युत की निरन्तर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) ये परियोजनाएं पूरी कर रहा है: (i) जिलों को मूलभूत उपादान उपलब्ध कराना (ग्रिड) जिसमें ब्लॉक स्तर पर निकनेट तथा इन्टरनेट उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है तथा (ii) भूमि रिकॉर्डों का कम्प्यूटरीकरण। एन आई सी ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दूर करने संबधी योजना की निगरानी भी कर रहा है।

2. वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रिड परियोजना तथा भूमि रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का पूंजीगत प्रावधान किया गया है।

3. इन्टरनेट के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कृषि उत्पादन तथा कृषि आधारित अन्य उद्योग शामिल हैं।

(घ) अबाधित विद्युत आपूर्ति इन्टरनेट सेवा प्रदानकर्त्ताओं द्वारा इन्टरनेट सेवाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली का एक भाग है।

फालतू कर्मचारियों का समायोजन

2406. श्री राधा मोहन सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालयों/विभागों में यदि कतिपय कारणों से कर्मचारी फालतू हो जाते हैं तो उन्हें समायोजित करने के दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने दिशा-निर्देश स्वयं तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्र-सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि में कार्यरत कर्मचारियों के अधिशेष होने पर उनके समायोजन का विनियमन केन्द्रीय सिविल सेवा (अधिशेष कर्मचारियों की फिर से तैनाती) नियमावली, 1990 और कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों द्वारा किया जाता है।

समूह "क" तथा "ख" (राजपत्रित) तथा समूह "ख" (अराजपत्रित) में रिक्तियां होने की स्थिति में, अधिशेष अधिकारियों/कर्मचारियों का नामांकन क्रमश: संघ-लोक-आयोग तथा कर्मचारी-चयन-आयोग को किया जाता है। भर्ती करने वाले विभागों द्वारा रिक्तियां सीधे संघ-लोक-सेवा-आयोग/कर्मचारी-चयन-आयोग को सूचित कर दी जाती हैं तथा इस बारे में प्रेषित रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के अधिशेष कर्मचारी-प्रकोष्ठ को भेज दी जाती है। रिक्ति की सूचना प्राप्त होने पर, अपनी फिर से तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे अधिशेष अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची में दर्ज अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके वेतनमान, उनकी शैक्षिक योग्यता और उनके अनुभव आदि को ध्यान में रखते हुए संघ-लोक-सेवा-आयोग/कर्मचारी-चयन-आयोग को नामित कर दिया जाता है।

समूह "ग" के अधिशेष कर्मचारियों के मामले में भर्ती करने वाले विभागों द्वारा, रिक्तियां सीधे ही कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के अधीन स्थापित, अधिशेष कर्मचारी-प्रकोष्ठ को सूचित कर दी जाती हैं। रिक्ति की सूचना मिलने पर, अपनी फिर से तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे, अधिशेष कर्मचारियों की सूचि में दर्ज समूह "ग" के उपयुक्त कर्मचारी, सीधे ही भर्ती करने वाले विभाग को नामित कर दिए जाते हैं। समूह "ग" के किसी पद पर तैनाती के लिए किसी अधिशेष कर्मचारी को नामित करते समय भी वेतनमान, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव आदि के उन्हीं मानदण्डों को ध्यान में रखा जाता है जिन्हें समूह "क" तथा समूह "ख" के कर्मचारियों के मामले में ध्यान में रखा जाता है। समूह "ग" कर्मचारियों के मामले में, भर्ती करने वाला विभाग, नियुक्ति-प्रस्ताव, संबंधित प्रकोष्ठ को उसके बारे में सूचित करते

हुए, कर्मचारी के मूल विभाग को सीधे भेज देता है। फिर भी, इस विभाग द्वारा किए जाने वाले, समूह "क" तथा "ख" के अधिशेष कर्मचारियों के नामांकन पर, संघ-लोक-सेवा-आयोग/कर्मचारी-चयन-आयोग, जो भी संबंधित हो, द्वारा विचार किया जाता है और उनके उपयुक्त पाये जाने पर, अधिशेष कर्मचारी-प्रकोष्ठ को सूचित करते हुए इस प्रकार नामित अधिशेष कर्मचारियों की नियुक्ति की सिफारिश, भर्ती करने वाले विभाग से कर दी जाती है। फिर भी, इस विभाग द्वारा नामित अधिशेष कर्मचारियों के, संघ-लोक-सेवा-आयोग द्वारा संबंधित पद हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर, उसे (संघ-लोक-सेवा-आयोग को) उनका नामांकन रद्द कर देने का विवेकाधिकार है।

समूह "घ" कर्मचारियों के मामले में अधिशेष कर्मचारियों की फिर से तैनाती, श्रम-मंत्रालय के रोजगार तथा प्रशिक्षण-महानिदेशालय के अधिशेष कर्मचारी-प्रकोष्ठ के माध्यम से की जाती है जिसे उन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिशेष समूह "घ" कर्मचारियों के नाम सीधे भेजे जाते हैं जहां वे अधिशेष हो गए हों। फिर भी, समूह "घ" कर्मचारियों के मामले में वे ही दिशा-निर्देश लागू होते हैं जो कि समूह "ग" कर्मचारियों के मामले में लागू होते हैं।

(ख) तथा (ग) सरकारी उपक्रमों इत्यादि के अधिशेष कर्मचारियों के समायोजन के बारे में दिशानिर्देशों का तैयार किया जाना, उद्योग-मंत्रालय, लोक-उद्यम-विभाग के क्षेत्राधिकार में आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिशेष कर्मचारियों के समायोजन के बारे में कोई सामान्य दिशा-निर्देश नहीं हैं। किसी उपक्रम के अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन, सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उपक्रम के प्रबंधन के अधिकार में होता है।

[अनुवाद]

फलों एवं सब्जियों का उत्पादन

2407. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में फलों एवं सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने की बहुत संभावना है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सहायता आबंटित की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय योजना का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य को इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० पी० बी० के० सत्यनारायण राव): (क) से (घ) जी, हां। सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को फलों तथा सब्जियों के उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है। विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को प्रदत्त सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

स्कीम का नाम	निर्मुक्त धनराशि (लाख रुपये)		
	1997-98	1998-99	1999-2000
शीतोष्ण, उच्च कटिबंधीय तथा शुष्क क्षेत्रीय फलों के विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	22.00	0.00	71.00
सब्जी बीजों के उत्पादन तथा आपूर्ति संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	3.00	3.00	13.50
कन्द तथा मूल फसलों के विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम	1.50	0.85	0.85

मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड में विनिवेश

2408. **श्री इंद्रजीत गुप्त:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज कर्मचारी संघ ने सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा निर्धारित की गई 109 करोड़ रुपये की मॉडर्न फूड की वर्तमान परिसंपत्तियों के मूल्य को लेकर विवाद किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) विनिवेश आयोग ने सरकारी इक्विटी की शत-प्रतिशत (100%) बिक्री की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने अपनी 74% तक इक्विटी का विनिवेश एक स्ट्रेटजिक पार्टनर को करने का निर्णय लिया है।

(ग) सरकार को मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज कर्मचारी संघ से ऐसा कोई प्रतिवेदन/सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नकली खाद और बीज

2409. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़े पैमाने पर नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचे जा रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादन कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कई राज्यों में किसानों को खाद और बीज समय पर नहीं मिल रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बीजों, उर्वरकों तथा कृमिनाशियों जैसे आदानों के लिए राज्यों की आवश्यकता का मूल्यांकन क्षेत्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलन तथा राज्य सरकारों से प्राप्त आवधिक प्रतिवेदनों पर किया जाता है। उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985), बीज अधिनियम (1968) और कीटनाशी अधिनियम (1968) जैसे नियम एवं विनियम आदानों की गुणवत्ता अपेक्षित मानकों/विनिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

मत्स्य संरक्षण और प्रसंस्करण

2410. श्री अनंत गंगाराम गीते :
श्री समशेठ ठाकुर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शीतागारों के निर्माण और निजी उद्यमियों और अन्य अभिकरणों द्वारा मत्स्य प्रसंस्करण मशीनें खरीदने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार विशेष रूप से महाराष्ट्र में मत्स्य प्रसंस्करण मशीनें खरीदने हेतु कम्पनियों/निजी उद्यमियों और अन्य अभिकरणों को कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता मंजूर की गई और रिलीज की गई?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) मछली के संरक्षण तथा प्रसंस्करण के लिए देश में मूलभूत सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित दो योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है:-

(1) पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा क्रियान्वित अंतर्देशीय मत्स्य विपणन के लिए बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना प्रशीतन भंडारों, आईस-संयंत्रों, रेफ्रिजरेटेड/इंसुलेटेड ट्रकों तथा सहायक उपकरणों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सहित 19 राज्यों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की है। विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित मछली संरक्षण तथा प्रसंस्करण के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास संबंधी यह योजना प्रशीतन भंडारों, आईस-संयंत्रों, मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्रों आदि की स्थापना के लिए गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों तथा संयुक्त/सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र की यूनिटों को अनुदान तथा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विगत तीन वर्षों के दौरान क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रदान किए गए अनुदानों/ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कृषि मंत्रालय द्वारा अंतर्देशीय मत्स्य विपणन के लिए बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत राज्य सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल मंजूरी	विगत तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि		
			1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	74.00	—	—	—
2.	बिहार	49.00	15.00	—	—
3.	गुजरात	103.00	50.00	32.00	—
4.	हरियाणा	138.00	—	—	—
5.	हिमाचल प्रदेश	49.00	—	9.00	—
6.	जम्मू एवं कश्मीर	172.00	44.00	48.00	—
7.	कर्नाटक	139.00	50.00	19.00	—
8.	केरल	196.00	9.00	17.00	—
9.	मध्य प्रदेश	252.00	53.50	36.00	—
10.	मणिपुर	45.00	10.00	5.00	—
11.	मिजोरम	49.00	4.50	—	—
12.	नागालैण्ड	46.00	—	—	—
13.	उड़ीसा	175.25	16.25	—	—
14.	पंजाब	91.32	—	11.32	—
15.	राजस्थान	98.00	19.00	—	—

1	2	3	4	5	6
16.	तमिलनाडु	48.24	—	—	—
17.	उत्तर प्रदेश	431.00	140.00	26.00	—
18.	पश्चिम बंगाल	172.00	40.00	5.00	—
19.	महाराष्ट्र	148.00	80.00	—	—
	कुल	2475.81	531.25	208.32	—

विवरण-II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा मत्स्य संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित योजना के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता (अनुदान/ऋण) का विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1996-97	1997-98	1998-99
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	25.00(ऋण)	—
2.	कर्नाटक	70.00	30.00	—
3.	केरल	13.79	—	197.56
4.	लक्षद्वीप	—	22.00	—
5.	महाराष्ट्र	55.75	83.00	—
6.	मणिपुर	—	4.34	—
7.	उड़ीसा	24.63	—	—
8.	तमिलनाडु	—	40.77	—
9.	पश्चिम बंगाल	—	20.91	200.00
	कुल	189.17	230.02	397.56

राष्ट्र मंण्डल मंत्रि-स्तरीय कार्यदल की सदस्यता

2411. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन के राष्ट्रमंडल मंत्रि-स्तरीय कार्यदल का सदस्य बनने से इंकार कर दिया है जिसे पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री के मुकदमे और वहां प्रजातंत्र के बहाल करने की प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत से दल का सदस्य बनने के लिए अन्य सदस्य देशों द्वारा प्रस्ताव किया गया है;

(घ) यदि हां, तो दल के विचारार्थ विषय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) राष्ट्रमंडल मंत्रि-स्तरीय कार्यदल की सदस्यता के लिए भारत को अभी तक कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

अफ्रीका कोष के सम्बन्ध में नीति

2412. **श्री नारायण दत्त तिवारी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अफ्रीका कोष में उपलब्ध निधियों के माध्यम से कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों की स्थिति क्या है और इस कोष के संबंध में सरकार की नीति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : अफ्रीका कोष की स्थापना तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी शासन की पृथग्वासन की नीति के विरुद्ध संघर्ष के लिए विश्व-व्यापी समर्थन जुटाने के लिए सितम्बर, 1986 में हरारे में सम्पन्न हुए आठवें गुटनिरपेक्ष शिखर-सम्मेलन में हुई थी। इस कोष की अनिवार्यता को दक्षिण अफ्रीका में बदलती हुई स्थिति और कोष की स्थिति के कमजोर होने को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, 1992 में जकार्ता में हुए दसवें शिखर-सम्मेलन में समाप्त कर दिया गया था।

[हिन्दी]

सोयाबीन का समर्थन-मूल्य

2413. **श्री थावर चन्द गेहलोत:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा किसानों से कृषि फसलों की खरीद करने हेतु वर्ष 1998-99 हेतु घोषित समर्थन मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में समर्थन-मूल्य पर सोयाबीन खरीदने हेतु की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सोयाबीन खरीदने के लिए राज्य सरकार को कोई सहायतानुदान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश के किसानों को सोयाबीन का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यानारायण राव): (क) सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार ने सोयाबीन के मूल्यों में गिरावट आने या मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आने की स्थिति में राष्ट्रीय कृषि सहकारी एवं विपणन संघ (नेफेड) को मध्य प्रदेश सहित भारत में कहीं भी सोयाबीन की खरीद के लिए केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण नामित किया है।

6-12-99 तक चालू वर्ष में (नेफेड) ने 2,20,025 मी. टन सोयाबीन का प्रापण किया है, जिसमें 1,71,588 मी. टन मध्य प्रदेश से है। प्रापण अब भी चल रहा है।

(ग) और (घ) मूल्य समर्थन कार्यकलापों के कारण हुए नुकसान को भारत सरकार वहन करती है। इसलिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) से (छ) कुछ मण्डियों में सोयाबीन के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर गए हैं। तथापि, केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण नेफेड मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में मूल्य समर्थन कार्यकलाप कर रहा है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

(20.7.99. तक)
(रु० प्रति क्विंटल)

क्रम सं.	जिंस	किस्म	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999 2000	पिछले वर्ष को कवर करते हुए नवीनतम मूल्यों में वृद्धि	
											निरपेक्ष	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	धान	सामान्य	270	310	340	360	380	415	440	490	50	11.4
		उत्तम	280	330	360	375	395					
		अति उत्तम श्रेणी 'क'	290	350	380	395	415	445#	470	520	50	10.6
2.	मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, एवं रागी)		240	260	280	300	310	360	390	415	25	6.4
3.	मक्का		245	265	290	310	320	360	390	415	25	6.4
4.	गेहूं		330$	350	360	380	475*	510x	550		40	7.8
5.	जौ		260	275	285	295	305	350	385		35	10
6.	चना		600	640	670	700	740	815	895		80	9.8
7.	अरहर		640	700	760	800	840	900	960	1105	145	15.1
8.	मूंग		640	700	760	800	840	900	960	1105	145	15.1
9.	उड़द		640	700	760	800	840	900	960	1105	145	15.1
10.	गन्ना		31.00	34.50	39.10	42.50	45.90	48.45	52.70		4.25	8.8
11.	कपास	एफ-414/ एच-777 एच-4	800	900	1000	1150	1180	1330	1440++	1575++	135	9.4
12.	छिलके वाली मूंगफली		950	1050	1200	1350	1380	1530	1650	1775	125	7.6
13.	पटसन	टीडी-5 श्रेणी	750	800	860	900	920	980	1040	1155	115	11.1
14.	तोरिया/सरसों		400	450	470	490	510	570	650	750	100	15.4
15.	सूरजमुखी के बीज		760	810	830	860	890	940	1000		60	6.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	सोयाबीन		800	850	900	950	960	1000	1060	1155	95	9.00
17.	कुसुम		475	525	570	600	620	670	705	755	50	7.1
18.	तोरिया		525	580	650	680	700	750	795	845	50	6.3
19.	तंबाकू (वीएचसी)	काली मिट्टी (एफ-2 श्रेणी)	720	760	780	800	830	910	990		80	8.8
	(रु. प्रतिकि.)	हल्की मिट्टी (एल-2 श्रेणी)	725	780	800	826	856	905	965		60	6.6
20.	खोपरा	मिलिंग	16.00	18.00	18.50	19.00	19.00	20.50	22.50		2	9.8
	कैलेंडर वर्ष	साबुत	17.00	20.00	21.00	21.50	22.00	23.50	25.50		2	8.5
21.	तिल		एन.ए.	2150	2350	2500	2500	2700	2900	3100	200	6.9
22.	रामतिल		एन.ए.	2350	2575	2725	2725	2925	3125	3325	200	6.4
						850	870	950	1060	1205	145	13.7
						720	720	800	850	915	65	7.6

$ 25.00 रु० प्रति क्विंटल केन्द्रीय बोनस सहित।

एन.ए. घोषित नहीं

खरीफ मौसम 1997-98 की वर्तमान 3 किस्मों के बजाय न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 2 श्रेणियों में वर्गीकृत।

* 30 जून, 1997 तक देय 60.00 रु० प्रति क्विंटल केन्द्रीय बोनस सहित।

x 01.04.98 से 30.06.98 तक देय 55.00 रु० प्रति क्विंटल केन्द्रीय बोनस सहित।

++ 1-34 किस्म के लिए भी।

[अनुवाद]

हांड्रो-नीवा सिंचाई परियोजना

2414. श्री जी० गंगा रेड्डी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के संसद सदस्यों ने केन्द्र सरकार से आन्ध्र प्रदेश को हांड्रो-नीवा सिंचाई योजना को केन्द्रीय परियोजना के रूप में शुरू करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अप्रयुक्त पड़ी परमाणु सामग्री

2415. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1366 करोड़ रुपए की परमाणु सामग्री गत वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी है और उसके कुछ अंश का उचित रूप से भंडारण भी नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सामान की खरीद के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

अफगानिस्तान संबंधी विदेश नीति

2416. श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री आर०एल० भाटिया:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अफगानिस्तान में पाक समर्थित तालिबान आन्दोलन के कारण भारत को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार की अफगान नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सफलता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) अफगानिस्तान के साथ भारत मित्रता और सहयोग के संबंधों की जड़ें इतिहास और सांस्कृतिक समानताओं में गहरी जमी हुई हैं। निरन्तर चल रहा असैनिक संघर्ष, जिसे अफगानिस्तान के दक्षिणी सीमा पार से प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसलिए वह और भी शोचनीय है। इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान भारत की नीति सैद्धान्तिक और अटल रही है। हम अफगानिस्तान की एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता और प्रादेशिक अखण्डता के प्रति वचनबद्ध हैं। हम अफगान लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक रूप से समान शांति, सुरक्षा और स्थायित्व बहाल करने तथा अपने क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के इच्छुक हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि तालिबान और उनके विदेशी परामर्शदाता, अफगान संघर्ष के संकल्प के लिए सैनिक साधनों का अनुसरण करना बंद कर दें। यह भी आवश्यक है कि अफगानिस्तान के सभी लोगों को पूर्ण भागीदारी के साथ एक व्यापक आधारित सरकार की स्थापना की जाए।

भारत राष्ट्रपति रब्बानी की सरकार को मान्यता देता है, जिन्हें हमारा पूर्ण समर्थन मिलता रहेगा। भारत अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर भी सहायता देना जारी रखेगा।

[अनुवाद]

कीट द्वारा नारियल के वृक्षों को नष्ट किया जाना

2417. श्री के॰ मुरलीधरन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक और तमिलनाडु में एक नए किस्म का कीट "एयरोफिस गेरिरोनिस" बड़े पैमाने पर नारियल के वृक्ष को नष्ट कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में नारियल उगाने वाले किसानों की मदद करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनारायण राव): (क) कोकोनट माइट, अकेरिया (इरियोफाइज) ग्वेरेरोनिस तमिलनाडु तथा कर्नाटक में नारियल के वृक्ष को क्षति पहुंचा रहा है।

(ख) तमिलनाडु तथा कर्नाटक में नारियल की खेती करने वाले किसानों को मदद करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए रोकथाम संबंधी उपायों में निम्नलिखित उपाय शमिल हैं:-

(1) प्रबन्धकीय नीति के निरूपण हेतु सचिव (कृषि एवं सहकारिता) ने कोच्चि में दिनांक 2-9-99 को कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों, नारियल विकास बोर्ड के अधिकारियों तथा तमिलनाडु के कृषि/बागवानी निदेशकों के साथ एक बैठक में विचार-विमर्श किया। समस्या के लिए समुचित नियंत्रण उपाय विकसित करने तथा उनके प्रबंध संबंधी प्रयासों की समीक्षा एवं समन्वय हेतु बागवानी आयुक्त की अध्यक्षता में एक कार्य समिति गठित की गई जिसमें तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक के कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड; जैविक नियंत्रण संबंधी परियोजना निदेशालय तथा कृषि एकेरोलाजी संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है।

(2) नारियल विकास बोर्ड द्वारा "उत्पादकता सुधार हेतु नारियल की जोतों में समेकित खेती" स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए तमिलनाडु को 79.42 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें पौध संरक्षण संबंधी घटक भी शामिल है।

(3) जैविक नियंत्रण संबंधी परियोजना निदेशालय को कारगर जैविक नियंत्रण के उपायों के विकास हेतु अनुसंधान परियोजना के लिए 3.00 लाख रुपये स्कीकृत किए गए हैं।

(4) नारियल विकास बोर्ड द्वारा माइट संबंधी पुस्तिकाओं/वितरण पत्रों के प्रकाशन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता के माध्यम से विस्तार प्रयास भी किए जा रहे हैं। कोकोनट माइट के प्रबंध में जागृति अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

उर्वरकों की मांग और आपूर्ति

2418. चौधरी तेजवीर सिंह: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997, 1998 और चालू वर्ष के दौरान मांगी गई उर्वरकों की किस्मों और मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आपूर्ति की गई उर्वरकों की मात्रा और किस्मों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न किस्मों का भंडारण कितना है और वर्तमान में उनका बाजार मूल्य क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ बी॰ पी॰ बी॰ के॰ सत्यनारायण राव): (क) और (ख) यूरिया ही एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत आता है और जिसकी मांग तथा आबंटन दोनों का आकलन किया जाता है। खरीफ, 1997 से रबी 1999-2000 मौसम के दौरान यूरिया की राज्यवार आकलित मांग के अनुरूप इसकी उपलब्धता/आपूर्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) दिनांक 31-10-99 की स्थितिनुसार प्रमुख उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट तथा म्यूरिएट ऑफ पोटाश के राज्यवार स्टॉक का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

यूरिया का मूल्य इस समय 4000 रुपये प्रति मी॰ टन है। संघ सरकार द्वारा विनियंत्रित उर्वरकों के लिए घोषित अधिकतम खुदरा मूल्य नीचे दिए गए हैं :-

उर्वरकों के नाम	रुपये प्रति मी॰ टन
डाई-अमोनियम फॉस्फेट	8300
म्यूरिएट ऑफ पोटाश	3700
एन॰पी॰के॰ मिश्रण (विभिन्न ग्रेडों के)	6200 से 8000

विवरण-I

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान यूरिया की मौसमवार आकलित आवश्यकता/मांग तथा उपलब्धता/आपूर्ति

(हजार मी० टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	खरीफ 97		रबी 97-98		खरीफ 98		रबी 98-99		खरीफ 99		रबी 99-2000	
		आकलित आवश्यकता	उपलब्धता/ आपूर्ति	आकलित आवश्यकता	उपलब्धता/ आपूर्ति	आकलित आवश्यकता	उपलब्धता/ आपूर्ति	आकलित आवश्यकता	उपलब्धता/ आपूर्ति	आकलित आवश्यकता	उपलब्धता/ आपूर्ति	आकलित आवश्यकता	उपलब्धता/ आपूर्ति (31.10.99 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	985.00	1110.62	1020.00	1165.60	960.00	1080.73	1050.00	1212.03	1000.00	1148.64	1101.50	341.87
2.	कर्नाटक	550.00	604.61	356.00	411.62	590.00	595.91	360.00	438.15	600.00	651.39	396.00	136.96
3.	केरल	80.00	81.02	63.36	64.57	72.00	77.73	65.00	66.71	70.00	68.44	60.00	19.91
4.	तमिलनाडु	340.00	406.69	550.00	606.68	375.00	400.72	525.00	581.11	360.00	408.91	510.00	144.26
5.	गुजरात	605.00	629.20	615.00	659.43	600.00	611.61	700.00	721.14	600.00	653.44	690.00	126.58
6.	मध्य प्रदेश	695.00	787.17	750.00	946.64	700.00	780.95	780.00	828.74	675.00	730.26	700.00	336.54
7.	महाराष्ट्र	1100.00	1209.22	635.00	789.91	1125.00	1207.03	650.00	748.55	1100.00	1285.92	730.00	253.98
8.	राजस्थान	460.00	527.71	750.00	832.60	485.00	552.43	800.00	785.52	450.00	537.70	650.00	178.96
9.	गोवा	4.50	2.46	2.20	1.48	4.50	2.29	2.00	2.00	4.20	2.17	2.20	0.04
10.	हरियाणा	580.00	655.42	750.00	835.42	600.00	671.44	760.00	916.24	580.00	662.06	800.00	294.22
11.	पंजाब	980.00	1151.66	1030.00	1169.61	1000.00	1164.09	1050.00	1185.40	1055.00	1083.54	1125.00	339.79
12.	उत्तर प्रदेश	2120.00	2487.68	2700.00	3154.14	2225.00	2769.20	2730.00	3037.04	2400.00	2756.08	2700.00	788.96
13.	हिमाचल प्रदेश	30.00	22.05	22.00	22.87	30.00	33.89	22.00	20.93	30.00	33.96	22.00	2.98
14.	जम्मू व कश्मीर	62.25	55.57	43.00	46.49	75.00	61.82	45.00	53.36	60.00	52.89	44.96	11.82
15.	दिल्ली	11.55	10.11	30.00	25.57	13.50	13.22	30.00	27.99	13.00	15.27	20.00	4.76
16.	बिहार	725.00	878.82	700.00	833.75	700.00	924.27	630.00	787.41	725.00	861.65	650.00	286.40
17.	उड़ीसा	300.00	310.85	158.00	181.82	325.00	372.00	145.00	192.76	300.00	375.85	120.00	81.27
18.	पश्चिम बंगाल	430.00	521.59	625.00	740.10	460.00	534.25	600.00	669.70	460.00	533.61	675.00	118.53
19.	असम	40.00	43.04	46.00	50.49	50.00	61.85	50.00	69.54	85.00	90.82	65.00	33.87
20.	त्रिपुरा	13.00	10.64	12.00	11.54	12.00	9.30	13.00	8.13	10.00	8.06	13.00	2.29
21.	मणिपुर	23.35	20.61	5.50	9.04	23.00	24.72	7.50	10.63	24.00	26.52	7.50	0.72
22.	मेघालय	3.00	2.41	3.00	3.72	3.00	2.73	3.00	3.42	3.00	3.56	2.75	0.18
23.	नागालैण्ड	0.50	0.55	0.50	0.62	0.50	0.62	0.55	1.10	0.50	1.40	0.50	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.27	0.19	0.35	0.47	0.35	0.46	0.50	0.96	0.50	1.42	0.35	0.00
25.	मिजोरम	0.55	0.60	0.50	0.88	0.40	0.73	0.50	1.28	0.50	1.45	0.50	0.00
26.	सिक्किम	0.90	0.98	0.45	0.50	0.50	0.55	0.55	0.93	0.65	1.18	0.55	0.00
27.	अन्य	48.07	44.38	50.06	41.46	49.94	33.38	54.47	31.28	12.92	13.80	12.06	2.79
	अखिल भारत	10187.94	11575.85	10917.92	12607.02	10479.69	11987.92	11074.07	12402.05	10619.27	12009.99	11098.87	3507.68

विवरण-II

प्रमुख उर्वरकों अर्थात यूरिया, डी.ए.वी. तथा एम.ओ.पी. के राज्यवार स्टॉक की दिनांक 31.10.1999 के अनुसार स्थिति

(हजार मी. टन)

क्र.सं.	राज्य	यूरिया	डी.ए.वी.	एम.ओ.पी.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	169.63	70.49	21.43
2.	कर्नाटक	75.31	15.12	25.74
3.	केरल	9.01	2.21	10.42
4.	तमिलनाडु	70.80	21.21	22.19
5.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00
6.	पाण्डिचेरी	2.10	0.48	0.55
7.	गुजरात	90.62	34.55	15.38
8.	मध्य प्रदेश	296.28	95.58	9.99
9.	महाराष्ट्र	220.97	72.21	18.04
10.	राजस्थान	132.63	57.45	0.74
11.	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00	0.00
12.	गोवा	0.01	0.00	0.02
13.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
14.	हरियाणा	208.30	68.10	0.50
15.	हिमाचल प्रदेश	2.79	0.44	0.00
16.	जम्मू व कश्मीर	11.59	0.58	0.01
17.	पंजाब	201.14	78.40	3.53
18.	उत्तर प्रदेश	631.60	230.71	30.28
19.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
20.	दिल्ली	4.54	0.00	0.00
21.	बिहार	230.14	63.88	12.25
22.	उड़ीसा	76.18	9.98	10.55
23.	पश्चिम बंगाल	101.78	58.80	45.75
24.	असम	30.95	7.37	6.02
25.	मणिपुर	0.33	0.00	0.00

1	2	3	4	5
26.	मेघालय	0.18	0.00	0.00
27.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00
28.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
29.	त्रिपुरा	1.80	0.00	0.00
30.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
31.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00
	कुल	2568.68	887.56	233.39

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

2419. **श्री रामशकल:**
श्री राजो सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जापान तथा अन्य देशों के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्वयं नहीं लगाता। लेकिन सरकार जापानी कंपनियों समेत विदेशी सहयोग से उद्योगों की स्थापना के लिए इजाजत और प्रोत्साहन दे रही है। अगस्त 1991 से सितम्बर 1999 तक जापानी कंपनियों के 53 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश वाले 13 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार इन 13 मंजूरियों में से 5 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

[अनुवाद]

परियोजनाओं में विलम्ब

2420. **श्री दिनशा पटेल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार की निगरानी में एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये सभी परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से काफी पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजनाओं को पूरा करने में होने वाले विलंब को कम करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) नवंबर, 1999 तक 100 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक लागत वाली 198 परियोजनाएं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रबोधन पर थी। कुछ परियोजनाओं का राज्यवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन 198 परियोजनाओं में से 101 परियोजनाओं में उनकी अद्यतन अनुमोदित अनुसूची की तुलना में समय वृद्धि होने की सूचना मिली है।

(ग) विलंब के कारण परियोजना दर परियोजना भिन्न होते हैं। सामान्य तौर पर कारणों में भूमि अधिग्रहण में विलंब, परियोजनाओं का कार्य देरी से प्रारंभ होना, कार्य ठेके देने में विलंब, उपस्करों की आपूर्ति में विलंब, खराब परियोजना प्रबंधन तथा निधियों की कमी शामिल हैं।

(घ) विलंब में कमी लाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

(1) सरकार द्वारा मासिक तथा त्रैमासिक प्रबोधन अवरोधों को अभिज्ञात करने में ये प्रबोधन अभिकरणों को समर्थ बनाते हैं तथा प्रबंधकों को उपाचारात्मक उपाय करने में सहायता प्रदान करते हैं।

(2) परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन आलोचनात्मक समीक्षा, विलंब को कम कराने के लिए संबंधित राज्य सरकारों, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ समन्वय।

(3) आपूर्तिकर्ताओं तथा टर्नकी ठेकेदारों के साथ उपस्करों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा।

(4) अंतर मंत्रालयी समन्वय तथा संबंधित पक्षों के बीच सुविधा बैठकें बुलाना।

(5) संविदा पैकेजों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत समितियों का गठन।

(6) परियोजनाओं को समय अनुसूची के अनुसार पूरा करने हेतु निधियां उपलब्ध कराना।

विवरण

(1.11.99 तक) 100 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का क्षेत्र-वार/राज्यवार विवरण

राज्य का नाम	आ.प्र.	अ.प्र.	अस.	बि.	गुज.	हरि.	हि.प्र.	ज.क.	कर्ना.	केरल	म.प्र.	महा.	नागा.	उड़ी.	पंज.	राज.	सिकि.	त.ना.	त्रि.	उ.प्र.	प.ब.	दि.	लक्ष.	पांडि.	बहु.रा.	कु.
1. परमाणु ऊर्जा	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
2. कोयला	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	3	–	–	4	–	–	–	1	15
3. वित्त	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
4. खानें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
5. इस्पात	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
6. पेट्रोरसायन	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
7. पेट्रोलियम	2	–	2	–	2	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	13
8. विद्युत	–	1	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	8	16
9. रेलवे	2	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	4	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	14	26
10. भूतल परिवहन	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	1	3	–	2	1	–	–	1	–	1	3	–	–	–	1	17
11. दूरसंचार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
12. अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
कुल	7	1	3	6	4	1	1	2	1	2	6	12	1	4	2	1	1	7	–	4	8	1	–	–	26	101

संकेत

आ.प्र. : आन्ध्र प्रदेश
अ.प्र. : अरुणाचल प्रदेश
हरि. : हरियाणा
हि.प्र. : हिमाचल प्रदेश
ज.क. : जम्मू और कश्मीर
कर्ना. : कर्नाटक
के. : केरल
म.प्र. : मध्य प्रदेश
महा. : महाराष्ट्र
राज. : राजस्थान
त.ना. : तमिलनाडु
उ.प्र. : उत्तर प्रदेश
प.ब. : पश्चिम बंगाल
दि. : दिल्ली
कु. : कुल

[अनुवाद]

शून्य भ्रष्टाचार योजना

2421. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शून्य भ्रष्टाचार योजना की सफलता के लिए कोई कार्य योजना बनाई गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) प्रधान मंत्री ने दिनांक 16.10.1999 को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में यह घोषित किया था कि भ्रष्टाचार से निबटते समय सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने के सिद्धांत पर अमल करेगी।

(ख) भ्रष्टाचार के उन्मूलन की दिशा में सरकार द्वारा हाल ही में की गई पहल के तौर पर उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं :-

1. वर्ष, 1998 के दिनांक 25.08.98 और 27.10.98 के केन्द्रीय सतर्कता-आयोग-अध्यादेशों और वर्ष, 1999 के दिनांक 08.01.1999 के केन्द्रीय सतर्कता-आयोग-आध्यादेश द्वारा केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को सांविधिक दरजा दिया गया। लोक सभा में दिनांक 07.12.98 को प्रस्तुत किया गया और दिनांक 15.03.99 को लोक-सभा द्वारा पारित कर दिया गया, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग विधेयक, दिनांक 26.04.99 को बारहवीं लोक-सभा के भंग हो जाने के कारण व्यपगत हो गया। उपर्युक्त विधेयक को पुन: प्रस्तुत करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

2. केन्द्रीय सतर्कता-आयोग को सतर्कता-प्रशासन की देख-रेख करने का अधिकार है। केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने भ्रष्टाचार नहीं पनपने देने की दृष्टि से ईमानदारी की संस्कृति पनपाने, प्रशासन में अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता लाने, इलैक्ट्रानिक माध्यमों के जरिए सतर्कता संबंधी मामले निबटाने की पद्धति विकसित करने और बैंकों के कम्प्यूटरीकरण, जनता को संवेदनशील बनाने जैसे कदम उठाए जाने के विभिन्न अनुदेश जारी किए हैं। केन्द्रीय सतर्कता-आयोग ने सार्वजनिक-क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों में सतर्कता-प्रबंधन के बारे में विशेष अध्याय भी जारी किए हैं।

3. प्रधान मंत्री के कार्यालय में प्राप्त, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर लगातार कड़ी नजर रखने के लिए वर्ष, 1997 से एक भ्रष्टाचार-निरोधी एकक कार्य करता आ रहा है।

4. सरकार ने भ्रष्टाचार के संकट से निबटने के लिए निवारण, निगरानी और निवारक दंडात्मक कार्रवाई की त्रिसूत्री नीति अपनाई है।

5. यह मानते हुए कि निवारक सतर्कता का एक महत्वपूर्ण पहलू, लोक-प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, नागरिक चार्टरों का चलन शुरू करने और सूचना-सुविधा केन्द्र स्थापित करने जैसे प्रशासनिक सुधारों के उपाय किए जाने आरंभ कर दिए गए हैं। कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और उनके सरलीकरण से संबंधित कार्य किया जाना भी आरंभ कर दिया गया है।

6. जनवरी, 1997 में सरकार ने "सूचना और पारदर्शिता का अधिकार" से संबंधित विषय पर एक कार्यदल गठित किया था। उपर्युक्त दल द्वारा "सूचना का स्वातंत्र्य विधेयक" संबंधी विधान लाने के बारे में की गई सिफारिश पर विचार प्रगत अवस्था में चल रहा है।

7. लोकपाल विधेयक, दिनांक 03.08.98 को लोक-सभा में प्रस्तुत किया गया था परन्तु दिनांक 26.04.1999 को बारहवीं लोक-सभा के भंग हो जाने के कारण वह व्यपगत हो गया। उपर्युक्त विधेयक को पुन: प्रस्तुत किए जाने के कदम उठाए जा रहे हैं।

पांच सूत्री कार्यक्रम

2422. श्री बाबू बन रियान: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों की संपन्नता सुनिश्चित करने हेतु कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में पांच-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या खाद्य और कृषि उद्योग प्रबंधन नीति संबंधी एक कृतिक बल गठित किया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पांच सूत्री कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) केन्द्र तथा राज्यों में कृषि व्यवसाय में निवेश के संवर्धन हेतु लघु किसान कृषि व्यवसाय संकाय (एस एफ ए सी) को उच्च स्तरीय समन्वय निकाय में विकसित करना।

(2) अधिकाधिक वस्तुओं में अग्रिम लेन देन बढ़ाने हेतु फारवर्ड मार्केट्स कमीशन का सुदृढ़ीकरण।

(3) कृषि उत्पाद के निर्यात हेतु एक विस्तृत योजना सहित संयुक्त उद्यमों का संवर्धन।

(4) कृषि सहकारिता को शासित करने वाले नियमों व विनियमों को सरलीकृत करने तथा बहु राजीय सहकारिता अधिनियम को बनाने हेतु एक राष्ट्रीय ग्रामीण सहकारी नीति बनाना/प्रकट करना।

(5) कृषि तथा कृषि व्यवसाय में सूचना प्रौद्योगिकी का संवर्धन।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान और खाड़ी के देशों में भारतीयों पर अत्याचार

2423. योगि आदित्यनाथ: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान, सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों, कामकाजी भारतीय महिलाओं पर अत्याचार करने के बारे में घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन देशों में मानवीय अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे को इन देशों के साथ की गई वार्ता और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है;

(घ) यदि हां, तो उन देशों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार से कोई शिकायतें/सुझाव भी प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (छ) खाड़ी के देशों (सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान) में तीस लाख से अधिक भारतीय रह रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भारतीय कामगार के होने की कोई सूचना नहीं है। कुल मिलाकर खाड़ी में काम कर रहे भारतीय कामगारों के रहन-सहन और कार्य करने की स्थितियाँ संतोषजनक हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय कामगार खाड़ी में बाहर से आने वाला सबसे बड़ा समुदाय है, शिकायतों की संख्या यथानुपात कम है।

2. हालांकि कुछ कामगारों की उनकी कार्य अथवा रहन-सहन की स्थितियों के संबंध में वाजिब शिकायतें हैं, हमें खाड़ी के देशों में हमारे राष्ट्रिकों पर हो रहे अत्याचार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सामान्यतया खाड़ी में भारतीय कामगारों के समक्ष, सहमत मजदूरी का भुगतान न किये जाने, भुगतान में विलम्ब अपर्याप्त आवास अथवा भोजन-व्यवस्थाएं और घरेलू नौकरों के संबंध में प्रायोजकों अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा परेशान किये जाने अथवा दुर्व्यवहार से संबंधित समस्याएं आती हैं।

3. इनमें से अधिकतर समस्याओं का समाधान स्थानीय तौर पर संबंधित नियोक्ताओं के सहयोग से किया जा सकता है और अन्यथा खाड़ी देशों के प्राधिकारियों के सहयोग से संभव हो सकता है। इस प्रयोजन के लिए खाड़ी के भारतीय मिशनों को स्थायी अनुदेश होते हैं कि वे भारतीय कामगारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें सभी संभव सहायता प्रदान करें। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय मिशन संबद्ध स्थानीय प्राधिकारियों से उनके हस्तक्षेप के लिए भी संपर्क करते हैं यदि विवाद का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है तो भारतीय मिशन स्थानीय न्यायालय में मामले को चलाए जाने के लिए कामगारों की सहायता करते हैं।

4. सरकार हमारे कामगारों के कल्याण के प्रति पूर्णत: संवेदनशील है और उच्च-स्तरीय दौरों तथा संयुक्त आयोग की बैठकों के दौरान सभी उपयुक्त अवसरों पर खाड़ी के देशों की सरकारों को इस संबंध में अपनी चिंताओं से अवगत कराती है। राज्य सरकारें विशेषकर केरल सरकार समय-समय पर कामगारों की समस्याओं से संबंधित सुझाव भेजती है जिन पर हर दृष्टिकोण से विचार किया जाता है।

4. हमारे श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) एक केन्द्रीय मानवशक्ति निर्यात परिषद का गठन, और

(ii) श्रम मंत्रालय द्वारा भारतीय विदेश श्रमिक कल्याण निधि की स्थापना।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में रह रहे भारतीयों तथा वहां स्थित भारतीय मिशनों की सुरक्षा

2424. श्री नरेश पुगलिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 12 नवम्बर, 1999 को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी-सांस्कृतिक केन्द्र और संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय पर राकेट दागे जाने के बाद से पाकिस्तान में कार्यरत भारतीयों और भारतीय मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): राजनयिक संबंधों से सम्बद्ध वियना अभिसमय, 1961 के अन्तर्गत राजनयिक मिशनों और उनके कार्मिकों की सुरक्षा और संरक्षा मेजबान सरकार का उत्तरदायित्व है। इस्लामाबाद में हाल ही में राकेट द्वारा हमलों के परिणामस्वरूप एक बार फिर पाकिस्तान के प्राधिकारियों का ध्यान इस संबंध में उनके उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं की ओर आकर्षित किया गया है।

सरकार ने अपनी ओर से सदैव इस्लामाबाद स्थित अपने मिशन और उसके सभी कार्मिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

बरगी बांध परियोजना

2425. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध के दिसम्बर माह में 418 मीटर तक जल स्तर बनाए रखने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रति वर्ष मई-जून महीने के दौरान बरगी बांध से अधिक जल छोड़े जाने के कारण जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होती है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा ऑपरेशन मैनुअल में निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न किए जाने हेतु कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन मंत्रालय को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है।

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक कार्मिकों की वापसी

2426. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1980 से भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक कार्मिकों की निरंतर वापसी के अवसरों की संख्या क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) कराची में राजनयिक मिशन पुन: खोलने की स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) 1980 के बाद से सरकार ने पाकिस्तान से भारत स्थित उनके मिशन में कार्यरत 48 अधिकारियों को उनके सरकारी पद के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न होने के लिए वापस बुला लिये जाने को कहा। इसी अवधि के दौरान पाकिस्तान ने झूठे और आधारहीन आरोप लगाकर पाकिस्तान स्थित भारतीय मिशन में कार्यरत 42 अधिकारियों को वापस बुला लेने की मांग की।

(ख) पाकिस्तान सरकार के कहने पर कराची स्थित भारत का प्रधान कॉंसलावास 1995 से ही बंद है।

चक्रवात की पूर्व सूचना देने वाला राडार

2427. डॉ० अशोक पटेल :
कर्नल (सेवा निवृत्त) डॉ० धनी राम शांडिल्य :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और फ्रांस चक्रवात की पूर्व सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक उपग्रह का निर्माण करने हेतु राजी हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चक्रवात प्रभावित राज्यों में राडार स्थापित करने के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चक्रवात की पूर्व सूचना देने वाले एक स्वदेशी राडार का विकास किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथ्य क्या हैं;

(ङ) उक्त राडार पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(च) इस राडार के कब तक कार्य करने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत और फ्रांस ने वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए एक वैज्ञानिक उपग्रह, जोकि जलवायु और मौसम संबंधी परिघटना के बारे में कुछ सूचना प्रदान करेगा, का संयुक्त रूप में विकास करने की संभावना का अध्ययन करने की केवल अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ग) और (घ) जी, हां। चक्रवात की पूर्व सूचना तथा प्रचण्ड मौसम के बारे में चेतावनी प्रदान करने हेतु भारतीय मौसमविज्ञान विभाग (आई० एम० डी०) के लिए भारत में शैक्षिक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं एवं उद्योगों की सहायता से, नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा एक डॉप्लर मौसम राडार का विकास किया जा रहा है। एक बार विकास कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद राडार की संस्थापन योजना के बारे में भारतीय मौसमविज्ञान विभाग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) इस राडार प्रणाली की अनुमानित लागत 9.00 करोड़ रुपये है।

(च) प्रणाली का समाकलन और जांच कार्यों के सन् 2000 की प्रथम तिमाही तक पूरा करने की योजना बनाई गई है। तत्पश्चात्, राडार का चरणबद्ध रूप में प्रचालनीकरण किया जाएगा।

फिलीपींस के पर्यटकों को चेतावनी

2428. श्री मोहम्मद हसन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिलीपींस सरकार के विदेश विभाग ने अपने देश के पर्यटकों को भारत भ्रमण के दौरान भारत में धार्मिक हिंसा की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एहतियाती उपाय करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) फिलीपींस की सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध दर्ज करा दिया गया है।

पाकिस्तानी एजेंटों को पासपोर्ट जारी करना

2429. **श्री अमीर आलम:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी एजेंटों को भारतीय पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तानी एजेंटों को पासपोर्ट जारी करने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, कई अवसरों पर पासपोर्ट कार्यालयों की जानकारी में ऐसे मामले आते हैं जहां संदिग्ध पाकिस्तानी राष्ट्रिक जाली दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

(ग) सभी पासपोर्ट अपेक्षित पुलिस सत्यापन जो अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक की भारतीय राष्ट्रिकता स्थापित करता है, के बाद ही जारी किए जाते हैं। केवल तत्काल प्रकृति के अल्पावधि के वैध पासपोर्ट ही पश्च-पुलिस सत्यापन के आधार पर और भारत सरकार के कम से कम उपसचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किए गए सत्यापन प्रमाण-पत्र के आधार पर ही जारी किए जा सकते हैं।

ई॰ एस॰ आई॰ द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम

2430. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ई॰ एस॰ आई॰ कार्पोरेशन ने महाराष्ट्र के नए क्षेत्रों में ई॰ एस॰ आई॰ के विस्तार के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने अभी तक इस उद्देश्य के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार ई॰ एस॰ आई॰ द्वारा निर्मित अस्पतालों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष तथा अगले वित्त वर्ष के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने महाराष्ट्र के 21 नए क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यान्वयन की योजना बनाई है।

(ग) मौजूदा नीति के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नए क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन पर पहले तीन वर्षों में चिकित्सा देखरेख पर आने वाली सम्पूर्ण लागत को वहन करने का निर्णय लिया है।

(घ) तैयार/कार्य शुरू कर चुने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों से संबंधित विवरण निम्नवत् है:-

राज्य का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
आंध्र प्रदेश	–	–	1
गुजरात	1	–	1
महाराष्ट्र	1	–	3
उड़ीसा	–	1	–
हरियाणा	–	1	–
तमिलनाडु	–	–	1

[हिन्दी]

श्रम न्यायालयों में लंबित मामले

2431. **श्री मानसिंह पटेल :**
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रमिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए और अधिक श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना करने और अधिक लोक अदालतें आयोजित की हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) फरवरी, 1997 तक कितने मामले लंबित थे और गत दो वर्षों के दौरान कितने नए मामले आए और पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन न्यायालयों द्वारा कितने मामले निपटाए गए?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) श्रम विवादों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार ने अब तक 17 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों की स्थापना की है, जिनमें से 5 की स्थापना पिछले दो वर्षों में हुई है। श्रम मामलों के निपटान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा लोक अदालत गठित नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 के दौरान प्राप्त तथा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों के माध्यम से निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 के दौरान प्राप्त तथा केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों द्वारा निपटाए गए व लंबित मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	1 जनवरी, 1997 के अनुसार पिछले मामले	वर्ष 1997 के दौरान प्राप्त मामले	वर्ष 1997 के दौरान निपटाए गए	31.12.97 के अनुसार लंबित मामले
1997	6310	1460	977	6793
वर्ष	1 जनवरी, 1998 के अनुसार पिछले मामले	वर्ष 1998 के दौरान प्राप्त मामले	वर्ष 1998 के दौरान निपटाए गए	31.12.98 के अनुसार लंबित मामले
1998	6793	1534	1025	7302
वर्ष	1 जनवरी, 1999 के अनुसार पिछले मामले	वर्ष 1999 के दौरान प्राप्त मामले (31.10.99 तक)	वर्ष 1999 के दौरान निपटाए गए (31.10.99 तक)	31.10.99 के अनुसार लंबित मामले
1999	7302	1557	785	8074

फलों एवं सब्जियों की बर्बादी

2432. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण की पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण फलों एवं सब्जियों की वार्षिक बर्बादी का कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या फलों एवं सब्जियों की बर्बादी के संबंध में राज्यवार कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (घ) यद्यपि, उचित खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में फल और सब्जियों के वार्षिक अपव्यय के मूल्यांकन के लिए राज्यवार कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी नौवीं योजना के लिए कटाई उपरांत प्रबंध, विपणन तथा निर्यात संबंधी उपकार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार, अनुमान है कि कटाई के बाद विभिन्न स्तरों पर विभिन्न फसलों में नुकसान का प्रतिशत 8 से 37 है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्व:रोजगार

2433. **श्री कांतिलाल भूरिया: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित विकलांगों और अनुसूचित जातियों के लोगों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना द्वारा राज्य-वार और श्रेणी-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुधरा राजे): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने सिर्फ अनुसूचित जाति/विकलांग तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के स्वरोजगार के लिए कोई योजना नहीं चलाई है तथापि खादी ग्रामोद्योग आयोग इन वर्गों के लोगों को उदार वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मार्जिन मनी स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं विकलांग आदि के मामले व्यवहार्य ग्रामोद्योग परियोजनाओं के निधियन के लिए 10.00 लाख रु० तक की परियोजना लागत के लिए सामान्य वर्ग को दी जा रही 25% मार्जिन मनी ग्रांट के विरुद्ध इस वर्ग के लाभार्थियों को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी ग्रांट प्रदान की जाती है।

(ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत राज्यवार, वर्गवार प्राप्त रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वर्तमान में कोई नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है तथापि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकलांग एवं अनुसूचित जातियों सहित गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का स्वरोजगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1.4.99 के प्रभाव से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की विस्तृत स्वरोजगार कार्यक्रम-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के रुप में पुन: संरचना की गई है।

विवरण

खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत कमजोर वर्ग की भागीदारी

(रोजगार प्राप्त व्यक्ति लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रोजगार		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	महिलाएं
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.89	0.24	1.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	•	•	•
3.	असम	0.31	0.08	0.52
4.	बिहार	0.94	0.25	1.59

1	2	3	4	5
5.	गोवा	0.01	•	0.02
6.	गुजरात	0.25	0.07	0.42
7.	हरियाणा	0.23	0.06	0.38
8.	हिमाचल प्रदेश	0.20	0.05	0.35
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.31	0.08	0.52
10.	कर्नाटक	0.60	0.16	1.01
11.	केरल	0.52	0.14	0.87
12.	मध्य प्रदेश	0.32	0.09	0.54
13.	महाराष्ट्र	1.16	0.31	1.95
14.	मणिपुर	0.10	0.03	0.18
15.	मेघालय	0.03	0.02	0.05
16.	मिजोरम	0.04	0.01	0.06
17.	नागालैण्ड	0.05	0.01	0.08
18.	उड़ीसा	0.49	0.13	0.83
19.	पंजाब	0.43	0.12	0.72
20.	राजस्थान	1.07	0.29	1.81
21.	सिक्किम	0.02	•	0.03
22.	तमिलनाडु	2.77	0.75	4.67
23.	त्रिपुरा	0.06	0.03	0.10
24.	उत्तर प्रदेश	2.60	0.70	4.40
25.	पश्चिम बंगाल	1.00	0.27	0.70
संघ शासित क्षेत्र				
26.	अंडमान और निकोबार	•	•	•
27.	चंडीगढ़	0.01	•	0.01
28.	दादर एवं नगर हवेली	•	•	•
29.	दमन एवं द्वीप	•	•	•
30.	दिल्ली	0.04	0.01	0.08
31.	लक्षद्वीप	•	•	•
32.	पांडिचेरी	0.01	•	0.02
	योग	14.46	3.90	24.41

•पांच सौ से कम

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

2434. श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी. एल.ए.डी.एस.) में हाल ही में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा एम. पी. एल. ए. डी. एस. योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यवार क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकार द्वारा अद्यतन दिशा-निर्देश सितंबर, 1999 में जारी किए गए थे। यह सभी सांसदों को 11 अक्तूबर, 1999 को परिचालित किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित परिवर्तनों को शामिल किया गया है:-

1. प्रति सांसद प्रति वर्ष पात्रता को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया जाना।

2. एक राज्य विशेष में पूर्ववर्ती राज्य सभा सांसदों के अधिशेष को उत्तरवर्ती सांसदों में बराबर-बराबर वितरित किया जाना।

3. राष्ट्रीय बैंकों में जमा निधियों पर अर्जित ब्याज का दिशा-निर्देशों के अतंर्गत अनुमोदित कार्यों के लिए उपयोग।

4. गैर सहायता प्राप्त परन्तु प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के लिए विद्यालय भवनों का निर्माण।

5. कर्मचारी रहित रेलवे क्रासिंग पर लैवल क्रासिंग का निर्माण।

(ग) हाल ही में सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत कार्य की गति तीव्र करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जैसे जिला कलेक्टरों को सांसदों द्वारा उनकी वार्षिक पात्रता की सीमा के अनुसार अनुशंसित कार्यों पर प्रक्रिया करने और संस्वीकृति देने का सुझाव, सांसदों से चरणबद्ध तरीके से अनुशंसाएं समय रहते देने, पहले से स्वीकृत कार्यों को रद्द न करने का अनुरोध तथा सभी राज्य सरकारों से योजना के अतंर्गत कार्यों को शीघ्र करने तथा उनके प्रबोधन का अनुरोध।

[हिन्दी]

सब्जियों के उत्पादन हेतु केंद्रीय योजना

2435. श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए आलू, आँवला, धारा, आदि के उत्पादन की पहचान के लिए कोई केन्द्रीय योजना तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने आलू, सब्जियों और फलों की स्थानीय पैदावार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा प्रयुक्त की जा रही मात्रा का प्रतिशत जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) भारत सरकार फल और सब्जी जिसमें आंवला, आलू आदि शामिल हैं, से संबंधित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। ये स्कीमें 8वीं योजना अवधि से लागू की जा रही हैं।

(ग) और (घ) कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन आंकड़ों के आधार पर 1988 से पहले फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण कुल उत्पादन का 0.5% से कम था। 1997 में यह बढ़कर लगभग 1.8% हो गया है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

2436. श्री राम मोहन गाइडे : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को आन्ध्र प्रदेश राज्य विशेषकर विजयवाड़ा से प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें कितने आवेदनों को मंजूर किया गया है;

(ग) शेष आवेदनों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन लंबित आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बैंकों को स्पोंसर किए गए आवेदनों की संख्या में से आबंटित किए गए लक्ष्य में केवल 125 प्रतिशत तक सीमित की गई है। पिछले वर्ष के शेष आवेदनों पर अगले वर्ष विचार किया जाएगा।

विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान आंध्र प्रदेश तथा विजयवाड़ा (कृष्णा जिला) में प्राप्त तथा निपटाए (बैंकों को स्पोंसर) गए आवेदनों की संख्या

(संख्या अंकों में)

क्र.सं.	मदें	1996-97		1997-98		1998-99	
		आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा (कृष्णा जिला)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा (जिला कृष्णा)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा (जिला कृष्णा)
1.	लक्ष्य	31900	2500	34200	2600	34200	2600
2.	प्राप्त हुए आवेदन पत्र	145125	13219	97523	6343	108096	8214
3.	जिला उद्योग केन्द्रों, कार्यबल समितियों द्वारा बैंकों को स्पोंसर किए गये आवेदन	52958	5354	54741	4576	60280	5869

आस्ट्रेलिया में हिन्दू देवताओं का अनादर

2437. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 नवम्बर, 1999 के 'एशियन एज' में 'हिन्दू गॉडस इन्सल्टेड इन आस्ट्रेलिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर आस्ट्रेलिया की सरकार से बात की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) भारतीय हाई कमीशन के प्रयासों के परिणामस्वरूप आयोजकों ने आस्ट्रेलिया की हिन्दू परिषद से क्षमा याचना की है तथा सभी आपत्तिजनक पोस्टर हटा लिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

2438. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारतीय प्रशासनिक सेवा-अधिकारी संबंधी विवादों के अतिरिक्त राज्य-अधिकारी संबंधी विवादों का भी निपटान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों के अपने प्रशासनिक न्यायाधिकरण हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14 के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सेवा संबंधी मामले केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आते हैं चाहे वे केन्द्र सरकार में कार्यरत हों अथवा किसी राज्य सरकार में। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा निबटाए जाने वाले, राज्य-सरकार में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सेवा संबंधी मामलों सहित, अखिल भारतीय सेवा के सभी सदस्यों के सेवा संबंधी मामलों की जानकारी अलग से नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) अब तक प्रशासनिक अधिकरण, अधिनियम 1985 के अंतर्गत आठ राज्यों में प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए गए हैं। ये राज्य आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल हैं। दो और राज्यों अर्थात् गुजरात और पंजाब ने अपने यहाँ प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए जाने का अनुरोध किया है।

(ङ) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 4(2) के तहत, किसी भी राज्य में प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना केवल संबंधित राज्य सरकार से इस बारे में अनुरोध प्राप्त होने पर ही की जाती है।

औद्योगिक समितियां

2439. श्री विकास चौधरी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक समितियों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके लिए समितियों का गठन किया गया;

(ग) इन छः समितियों की बैठकें किन-किन तिथियों को हुई; और

(घ) समितियों की बैठकों को नियमित रूप से आयोजित न करने के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत गठित औद्योगिक समितियां और उनकी पिछली बैठक की तारीख नीचे दी गई है :

क्र. सं.	समिति का नाम	पिछली बैठक की तारीख
1.	चीनी सम्बन्धी औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति	18.01.99
2.	सूती कपड़ा सम्बन्धी औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति	26.07.99
3.	जूट उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति	18.07.95
4.	इंजीनियरिंग उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति	30.11.94
5.	रसायन उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति	04.02.94
6.	विद्युत उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति	13.11.92
7.	सड़क परिवहन सम्बन्धी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति	13.03.93

(घ) उन समितियों के मामले में जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं, नियोजक/कर्मचारी संगठनों से त्रिपक्षीय मंच पर विचार-विमर्श करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यसूची प्राप्त नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

परामर्शदात्री समितियां

2440. डा॰ चरणदास महंत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा निष्पादित कार्यों के नियमित मूल्यांकन के लिए क्या तंत्र उपलब्ध हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए राज्य स्तर पर परामर्शदात्री समितियाँ गठित करने का है जिनमें जनता का भी प्रतिनिधित्व होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) विभिन्न राज्यों में स्थित संघ सरकार के सभी कार्यालय संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों के अंग हैं। अत: देश के विभिन्न भागों में स्थित उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालय/विभाग की है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा भी, समय-समय पर, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके कार्यालयों द्वारा अपनाई जा रही पद्धतियों/प्रक्रियाओं का नमूने के तौर पर अध्ययन किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ नियंत्रण

2441. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के आमंत्रण पर जापान सरकार के एक अध्ययन दल ने बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु नेपाल में कोसी नदी पर बहुद्देश्यीय बांध बनाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण रिपोर्ट का यदि कोई परिणाम निकला हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

[अनुवाद]

आई. ए. एस./आई. पी. एस. अधिकारियों का निलम्बन

2442. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों तथा कुछ और जिलाधीशों, जिला दण्डाधिकारियों, को निलंबित/बर्खास्त किया गया था;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के 84 अधिकारी निलंबित किए गए। भारतीय प्रशासनिक-सेवा/भारतीय पुलिस-सेवा के अधिकारियों के निलंबन/ उनकी सेवा की समाप्ति का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) इस बारे में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त अधिकारियों में से 26 अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस-सेवा के अधिकारी

संवर्ग	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	कारण
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (ए.जी.एम.यू.टी.)	2	0	आपराधिक मामले के अनिर्णीत (लंबित) रहने के कारण
आंध्र प्रदेश	1	1	अनुशासनिक कार्यवाही के अनिर्णीत (लंबित) रहने/कर्त्तव्य-पालन के प्रति लापरवाही बरते जाने के कारण
असम-मेघालय	0	4	विभागीय कार्यवाही के कारण
बिहार	5	2	आपराधिक मामले के अनिर्णीत (लंबित) रहने/कर्त्तव्य-पालन के प्रति लापरवाही के कारण
गुजरात	1	3	अनुशासनिक कार्यवाही/भ्रष्टाचार के आरोपों के अनिर्णीत (लंबित) रहने/कर्त्तव्य-पालन के प्रति लापरवाही के कारण
हरियाणा	1	3	अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक मामलों की जांच-पड़ताल के अनिर्णीत(लंबित) रहने/न्यायालय की समुक्ति (टिप्पणी)/ भ्रष्टाचार के मामले/कर्त्तव्य-पालन के प्रति लापरवाही के कारण

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	1	2	अनुशासनिक कार्यवाही के अनिर्णीत (लंबित) रहने/कर्त्तव्य-पालन के प्रति लापरवाही के कारण
जम्मू और कश्मीर	2	1	आपराधिक मामलों के अनिर्णीत (लंबित) रहने/भर्ती में अनियमितता बरतने के कारण
कर्नाटक	1	0	अनुशासनिक कार्यवाही के अनिर्णीत (लंबित) रहने के कारण
केरल	6	4	अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक मामलों/भ्रष्टाचार के आरोपों के अनिर्णीत (लंबित) रहने/कर्त्तव्य-पालन के प्रति लापरवाही के कारण
मध्य प्रदेश	4	4	अनुशासनिक कार्यवाही/भ्रष्टाचार के आरोपों के अनिर्णीत (लंबित) रहने/कर्त्तव्य-पालन के प्रति लापरवाही के कारण
महाराष्ट्र	3	1	अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक मामलों के अनिर्णीत (लंबित) रहने के कारण
मणीपुर-त्रिपुरा	0	0	
नागालैण्ड	0	0	
उड़ीसा	3	2	अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक मामले के अनिर्णीत (लंबित) रहने/कर्त्तव्य-पालन के प्रति लापरवाही के कारण
पंजाब	0	2	हत्या के मामले में कथित रूप से संलिप्त होने/कर्त्तव्य-पालन के प्रति लापरवाही के कारण
राजस्थान	1	2	आपराधिक मामले/कथित बलात्कार के मामले/न्यायिक जांच के अनिर्णीत (लंबित) रहने के कारण
सिक्किम	1	0	अनुशासनिक कार्यवाही/न्यायालय-मामले के अनिर्णीत (लंबित) रहने के कारण
तमिलनाडु	0	2	भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ·
उत्तर प्रदेश	11	8	अनुशासनिक कार्यवाही/आपराधिक मामलों के अनिर्णीत (लंबित) रहने/सरकार के खिलाफ बयान/कर्त्तव्य-पालन के प्रति लापरवाही/पुलिस-हिरासत में मृत्यु/हत्या के मामले में कथित रूप से संलिप्त होने के कारण
पश्चिम बंगाल	0	0	
योग	43	41	

भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों का ब्यौरा जिनकी सेवा, दंड-स्वरूप समाप्त कर दी गई

1997

एस. एस. जामवाल (महाराष्ट्र : 68) अनुशासनिक कार्यवाही के पूर्ण होने पर (के निष्कर्ष पर) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति।

1998

बिजेन्द्र कुमार (हिमाचल प्रदेश : 87) अनुशासनिक कार्यवाही के पूर्ण होने पर (के निष्कर्ष पर) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति।

1999 शून्य

भारतीय पुलिस-सेवा के उन अधिकारियों का ब्यौरा जिनकी सेवा, दंड-स्वरूप समाप्त कर दी गई

1997

श्री हेम चन्द (पश्चिम बंगाल : 71) - भ्रष्टाचार के आरोपों पर।

1998

श्री के० नारायण (कर्नाटक : 76) - हत्या के मामले में दोष-सिद्धि पर।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का निजीकरण

2443. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि, हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्मचारियों के हितों की रक्षा किस तरह की जाएगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (ग) विनिवेश आयोग की कम्पनी की आबंटन के लिए लंबित शेयर राशि और तरजीही शेयर पूंजी और साम्य पूंजी के भाग के लिए कम्पनी की समूचि संचित हानि को बट्टे खाते में डालने की सिफारिश की है। इसके साथ-साथ सरकार को आर आई एन एल में इसके शेष साम्या के 51% से अनधिक का विनिवेश एक कार्यनीति क्रेता को करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

इन सिफारिशों पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अनधिकृत भर्ती

2444. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में रोजगार चाहने वाले व्यक्ति बेईमान स्थानीय एजेंटों और विदेश स्थित प्रायोजकों के हाथों अब भी ठगे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अनधिकृत भर्ती और धोखेबाज लोगों द्वारा की जा रही भर्ती पर नियंत्रण पाने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ग) क्या सरकार की कामगारों और नौकरानियों को विदेश में काम करने की अनुमति देने के लिए कार्य परमिट को दूतावास/वाणिज्य दूतावास से साक्ष्यांकित करने की प्रणाली को फिर से शुरू करने संबंधी कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल) : (क) से (घ) धोखेबाज एजेंटों तथा विदेशी आयोजकों के विरुद्ध छुटपुट शिकायतों को भारतीय मिशनों अथवा प्रभावित कर्मकारों द्वारा सरकार के ध्यान में लाया जाता है ऐसे कार्यकलापों पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य को ऐसे पत्र लिखे हैं कि वे गैर पंजीकृत ऐजेंसियों पर नजर रखे और उनके विरुद्ध मामले दर्ज करें।

2. अनधिकृत एजेन्सियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने के मामलों को समूचित कानूनी कार्रवाई किए जाने हेतु संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के पास संदर्भित किए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।

3. पंजीकृत एजेन्टों द्वारा भर्ती किए गए कर्मकारों के मामले में, भारतीय मिशनों/पंजीकृत भर्ती एजेन्टों से संबंधित सरकार/प्रायोजकों की सहायता से कामगारों की समस्याओं का निराकरण करने का अनुरोध किया जाता है निर्देश दिए जाते हैं।

4. ऐसे पंजीकृत एजेन्टों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित/निरस्त कर दिए जाते हैं जो विदेशी नियोजकों के पास तैनात कामगारों की समस्याओं का समाधान करने संबंधी मामलों में पंजीकरण प्राधिकारी के निदेशों का पालन नहीं करते हैं।

5. जो विदेशी प्रायोजक रोजगार संविदा की शर्तों का उल्लंघन करते हैं उन्हें पूर्व अनुमोदन की श्रेणी में रखा जाता है।

घरेलू नौकरानियों सहित अकुशल श्रेणी से संबंधित सभी कामगारों को संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित रोजगार संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना पहले ही आवश्यक है। अर्ध-कुशल/कुशल श्रेणी से संबंधित कर्मकारों के संबंध में, भर्ती एजेन्टों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि उत्प्रवास संरक्षियों द्वारा उत्प्रवास अनुमतियां जारी करने से पूर्व कामगारों का ट्रेड परीक्षण कर लिया गया है और वे अन्य सेवा शर्तों को पूरा करते हैं। यदि बाद में शपथपत्र की किसी भी बात को झूठा/गलत पाया जाता है तो पंजीकृत भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय

2445. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरित क्रांति के जनक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पी० ए० यू०) संकट में है और इसकी अनुसंधान संबंधी सभी गतिविधियां धन की कमी के कारण रुकी पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे फिर से प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। विश्वविद्यालय की अनुसंधान गतिविधियां अपनी सामान्य गति से चल रही हैं। अनुसंधान की प्राथमिकताएं राज्य में कृषि की समस्याओं के अनुसार निर्धारित की गई हैं। किस्मगत सुधार पर हाल की उपलब्धियां एक उल्लेखनीय घटना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

2446. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत वर्तमान में कितने औद्योगिक श्रमिक हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में जिला-वार इस समय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पताल और औषधालय हैं और वर्ष 1999 में कितने अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत औषधालय को अपग्रेड करने अथवा आधुनिक बनाने का है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल) : (क) और (ख) 31.03.99 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में कर्मचारी बीमा योजना के दायरे में 15.04 लाख कर्मचारियों को लाया गया था, जिसके कारण पिछले तीन वर्षों में योजना में शामिल किए गए लोगों की संख्या में 39.9% की वृद्धि हुई।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगम ने एक कार्रवाई योजना बनाई है, जिसके अनुसार महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों के कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों में आवश्यक बुनियादी उपकरण मुहैया कराये जाएंगे।

विवरण

महाराष्ट्र के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा औषधालयों की जिलावार संख्या

क्र. सं.	जिला का नाम	अस्पतालों की संख्या	औषधालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	बम्बई तथा थाणे	8	20
2.	पुणे	1	4
3.	शोलापुर	1	4
4.	कोल्हापुर	—	5
5.	सतारा	—	1
6.	नासिक	1	5
7.	सांगली	—	2
8.	जलगांव	—	4
9.	धुले	—	2
10.	औरंगाबाद	1	4
11.	नान्देड़	—	2
12.	नागपुर	1	16
13.	अकोला	—	3
14.	वर्धा	—	2
15.	अमरावती	—	1
16.	चन्द्रपुर	—	1
	कुल	13	76

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 1999 में धहानू रोड, थाणे जिले में एक नया औषधालय खोलने की मंजूरी दे दी है। निगम ने बिवेवाडी, चिंचवाड़ तथा कोल्हापुर में एक-एक नए अस्पताल का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया है तथा उनका कार्य शुरू करवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार में भ्रष्टाचार

2447. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत 6 माह में दौरान केन्द्रीय भंडार के उपभोक्ता प्रभाग में बिक्री काफी कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भंडार-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1998 और 1999 के दौरान उपभोक्ता प्रभाग में शुरू किए गए सामान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार में सामान की बिक्री और खरीद में भ्रष्टाचार व्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) उपभोक्ता प्रभाग में वर्ष, 1999 के पिछले 6 माह के दौरान हुई बिक्री के आंकड़ों में, संलग्न विवरण के अनुसार, मामूली गिरावट आई है।

(ग) वर्ष, 1998 तथा 1999 के दौरान, केन्द्रीय भंडार में शैम्पू, क्रीम, वाशिंग पाउडर, बिस्किट, ब्लेड आदि की श्रेणी में आने वाली 100 से ज्यादा उपभोक्ता-वस्तुओं की बिक्री शुरू कर दी गई है।

(घ) और (ङ) हाल ही में कोई गम्भीर अनियमितता केन्द्रीय भंडार के ध्यान में नहीं आई है। फिर भी, ऐसी शिकायतों की जाँच के लिए केन्द्रीय भंडार में एक पूर्ण विकसित सतर्कता-एकक है। प्रत्येक छः महीने के अन्तराल पर हर एक भण्डार की वस्तु-सूची का कड़ाई से सत्यापन किया जाता है।

केन्द्रीय भण्डार

शाखा-भंडारों में उपभोक्ता-वस्तुओं की बिक्री

क्र. सं.	बिक्री केन्द्र का नाम	अप्रैल से अक्तूबर, 98 तक	अप्रैल से अक्तूबर, 99 तक
1	2	3	4
1.	पंडारा रोड	4077144.71	3757325.04
2.	रायसीना रोड	3935408.00	3385348.00
3.	सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स	3618467.00	3414179.00
4.	पुष्प विहार, सेक्टर-4	3105969.56	2993051.75
5.	आई.एस.यू. (मुख्य कार्यालय)	3055639.67	4360311.82
6.	सी.आर. भवन	2760266.76	2614494.40
7.	हरि नगर	2394095.00	2180968.00
8.	योजना-भवन	2276930.15	2236711.26
9.	एन्ड्यूज गंज	2235938.40	2071820.42
10.	बसन्त विहार	2225503.00	2094167.00
11.	सरोजनी नगर बी (ब्लॉक)	2224150.30	2302219.79
12.	लोदी कॉलोनी	2203235.50	2077455.40
13.	पेशवा रोड	2181347.04	2129294.22
14.	मिन्टो रोड	2189554.37	2071876.78
15.	आई.ए.आर.आई. पूसा	2107403.16	2226272.20
16.	माल रोड	2092277.96	2030361.56
17.	पटपड़ गंज	1916886.26	1993479.52
18.	आर.के. पुरम-4	1798844.20	1783117.80
19.	ए. ब्लॉक स्टोर	1790070.70	1619117.91
20.	तिमारपुर	1779083.92	1506419.26
21.	कृषि-कुंज	1680399.00	1398369.00
22.	मोतीबाग-1	1592632.26	1353330.40
23.	किदवई नगर	1573909.15	1149215.00
24.	बी.बी. मार्ग	1554636.53	1596706.40
25.	प्रगति विहार	1653669.75	1565811.74
26.	पुष्प-भवन	1517446.70	1572996.45
27.	सरोजनी नगर एच. ब्लॉक	1509677.35	1580653.80
28.	श्रीनिवासपुरी	1500783.77	1485053.08
29.	पुष्प विहार	1482263.68	1272575.71
30.	प्रीतम पुरा	1451081.30	1243495.80
31.	नेताजी नगर	1436966.15	1323948.80
32.	एन.टी.पी.सी.	1414190.40	1403862.00
33.	चितरंजन पार्क	1329695.07	1249132.25
34.	बापा नगर	1297775.30	1353984.80
35.	काली बाड़ी	1295590.90	1350437.25
36.	आर.के. पुरम-9 (बी)	1272265.00	1190938.30
37.	कृषि विहार	1228428.30	1211941.55
38.	सेंट स्टीफन	1186441.95	1177726.00
39.	आर.के. पुरम (वेस्ट)	1131216.10	968661.55
40.	आर.के. पुरम-9	1115497.02	868772.76
41.	नरौजी नगर	1092651.10	1096265.95
42.	संघ-लोक-सेवा-आयोग	1064216.30	977552.95
43.	आई.एन.ए. कालोनी	1053035.00	1152377.00
44.	डी.आई.जेड. एरिया	1015116.95	1022153.88
45.	आई.आई.टी. (हौजखास)	990383.00	997648.75
46.	आर.के. पुरम-7	977340.88	984692.90
47.	ए.एस.आई.	951276.56	1276928.00
48.	उत्तर-पश्चिम मोतीबाग	858235.75	738310.05
49.	कस्तूरबा नगर	846135.43	1055480.45
50.	आर.के. पुरम-3	844228.40	808671.55
51.	एशिया हाउस	820342.29	729976.60

1	2	3	4
52.	आर.के. पुरम-5	810752.45	719852.50
53.	कर्जन रोड	789807.10	756020.50
54.	वजीरपुर डिपो	787502.15	736144.50
55.	एन.सी.ई.आर.टी.	726701.27	697347.09
56.	पटेल-धाम	715450.00	786356.30
57.	नानकपुरा	713203.48	682117.60
58.	पंचवटी	706141.75	706283.65
59.	कालकाजी	597203.33	741772.25
60.	नोर्थ ब्लॉक केन्द्रीय सचिवालय	678857.65	570161.15
61.	नोएडा सेक्टर-36	674321.10	
62.	मोती बाग-II (दक्षिण)	632362.56	572073.50
63.	सादिक नगर	622450.26	695232.15
64.	जल विहार	540980.13	485450.96
65.	आर.के. पुरम-2	515005.53	676536.95
66.	आई.ए.ए.आई.	506873.60	1008728.05
67.	प्रेम नगर	477207.71	497482.67
68.	आर.के. पुरम-1	475874.39	454641.60
69.	एफ.सी.आई. बाराखम्भा रोड	345404.25	388553.90
70.	मोबाइल वैन-II	228320.00	243250.00
71.	मानासेर	220773.15	170942.25
72.	मोबाइल वैन-IV	164199.00	318747.00
73.	मोबाइल वैन-III	161222.75	355856.00
74.	मोबाइल वैन-I	98167.00	270927.00
	योग	10,08,76,827	9,84,10,322.00

केन्द्रीय भंडार के संबंध में संसद-सदस्यों के पत्र

2448. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ तत्कालीन संसद-सदस्यों ने केन्द्रीय भंडार के निदेशक-बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष से कुछ कर्मचारियों के तत्काल स्थानांतरण के लिए लिखा था;

(ख) यदि हां, तो की गई कार्यवाही के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद-सदस्यों ने केन्द्रीय भंडार के अध्यक्ष को अनेक पत्र भी लिखे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) एक पूर्व संसद-सदस्य ने लेखन सामग्री काउन्टर के प्रबन्धकों, ग्राहकों के कम्प्यूटरीकृत बिल बनाने वाले लिपिकों तथा पेन, पेन्सिलें आदि जैसे सामान्य वस्तुएँ बेचने वाले हेल्परों का स्थानान्तरण चाहा था।

कुछ शर्तों पर प्रचालन-कर्मचारियों के बारी-बारी से स्थानान्तरण के बारे में केन्द्रीय भण्डार ने नवम्बर, 1998 में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाए। प्रचालन कर्मचारियों का बारी-बारी से स्थानान्तरण करते समय, कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में अपनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त ध्यान मे रखे जाएंगे।

(ग) और (घ) संसद-सदस्यों द्वारा लेखन सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की गुणवत्ता, कर्मचारियों के स्थानान्तरण जैसे, केन्द्रीय भंडार के काम से जुड़े मुद्दे, समय-समय पर उठाए जाते हैं। ऐसे सभी पत्रों का उत्तर शीघ्रातिशीघ्र भेज दिया जाता है।

असम को जारी की गई धनराशि

2449. डा॰ जयन्त रंगपी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके लिए इस धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) 1996-97 से 1998-99 तक के वर्षों के दौरान असम सरकार को जारी की गई निधियों को दर्शाता एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकार को योजना निधियां ब्लाक ऋण व ब्लाक अनुदान के रूप में, एक समन्वित तरीके से जारी की जाती है जो किसी विशेष स्कीम/सैक्टर/कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं है।

(ग) जी, हां। राज्य सरकार वार्षिक योजनाओं हेतु अनुमोदित क्षेत्रकीय परिव्ययों के आधार पर विभागीय व्यय के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार से असम राज्य सरकार को जारी की गई निधियों को दर्शाता एक विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	असम राज्य को जारी की गई निधियों के ब्यौरे	1996-97	1997-98	1998-99
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता (बीएमएसए, एसडीएस हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित आरईसी के माध्यम से जारी किया गया ऋण तथा जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से अनुदान)	1072.99	1124.78	1152.13
2.	इएपी हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	7.34	22.10	33.16
3.	एचएडीपी	46.32	46.32	50.16
4.	बीएडीपी	4.12	2.06	4.27
5.	सीआरएफ	37.51	39.58	41.60
6.	एनपीआरडीजी	249.94	92.08	27.81
7.	एनएफसीआर से सहायता	21.20	—	59.90
8.	एआईबीपी	—	12.40	13.95
9.	केन्द्रीय संसाधनों का गैर-व्यपगत पूल	—	—	23.96
10.	एसीए	—	—	65.49
11.	टीएफसी अवार्ड के अंतर्गत–			
	1) उन्नयन व विशेष समस्याओं के अतर्गत अनुदान राशि	30.47	33.7	50.68
	2) स्थानीय निकायों को जारी किए गए अनुदान	36.89	9.22	0.00
12.	केन्द्रीय करों में अंश	1180.76	1480.45	1354.53
13.	अनुमोदित/संशोधित परिव्ययों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विभागीय वास्तविक व्यय	1101.62	1217.26	1295.50

कर्नाटक के लिए पृथक कर्मचारी चयन आयोग

2450. श्री ए॰ वेंकटेश नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में कन्नड़ सरकारी भाषा है और कर्नाटक में केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में कन्नड़ में कामकाज किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समूह ख और ग के लिए सभी लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में कन्नड़ का एक प्रश्न पत्र देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कन्नड़ भाषी लोगों की सुविधा के लिए एक पृथक कर्मचारी चयन आयोग गठित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) हालांकि कन्नड़, कर्नाटक राज्य की राजभाषा है, लेकिन कर्नाटक में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय अपना कार्य राजभाषा-अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करते हैं।

(ख) और (ग) कर्मचारी-चयन-आयोग द्वारा भर्ती, एक जैसी श्रेणी के पदों के भर्ती-नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। अभी तक किसी भी समूह "ख" तथा "ग" के, एक जैसी श्रेणी के पद के भर्ती-नियमों मे उम्मीदवारों से कन्नड़ भाषा के प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा किए जाने का प्रावधान नहीं है। अत: कन्नड़ भाषा के प्रश्न-पत्र का चलन आरंभ किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

(घ) से (च) कर्मचारी-चयन-आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय, एक मार्च, 1990 से, बैंगलूर में पहले से ही कार्य कर रहा है।

बराज से गाद निकालना

2451. श्री सुनील खां : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर बराज (डी॰वी॰सी॰) से गाद निकालने और इसके दाएं किनारे की नहर को चौड़ा करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बराज से गाद निकालने का काम कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) दुर्गापुर बराज के प्रचालन और रखरखाव के कार्यों का उत्तरदायित्व पश्चिम बंगाल सरकार का है। राज्य सरकार ने दुर्गापुर बराज से गाद निकालने का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है।

(ग) बराज से गाद निकालने का कार्य इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकार द्वारा बराज से गाद निकालने संबंधी पद्धति अपनाई

जाती है और इसके कार्यान्वयन क्षेत्र का कितनी जल्दी निर्णय लिया जाता है तथा कितनी जल्दी गाद निकालने के कार्य के लिए राज्य सरकार निधियों की व्यवस्था करती है।

आंध्र प्रदेश में के० वी० आई० सी०

2452. **श्री कृष्णम राजू : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश राज्य में खादी और उद्योग आयोग द्वारा कितनी औद्योगिक इकाइयों का प्रायोजन/संचालन किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के अन्तर्गत चल रहे कुल कितने ग्रामीण उद्योगों/संस्थाओं को खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्डों द्वारा सहायता दी गई ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 31.03.1999 के अनुसार आंध्र प्रदेश खादी ग्रामोद्योग आयोग से सीधे पंजीकृत 284 संस्थान, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से पंजीकृत 3062 संस्थान तथा 1,39,943 वैयक्तिक, कार्य कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के निष्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	उत्पादन (रु० लाख में)	रोजगार (लाख में)
1996-97	23517.24	3.59
1997-98	25898.07	3.60
1998-99	28433.43	3.59

(ग) आंध्र प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग आयोग से पंजीकृत सभी 284 संस्थानों को खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

बानसागर बांध

2453. **श्री रामानन्द सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बानसागर अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पर कार्य कब आरम्भ हुआ और इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत बाँध तथा नहरों के निर्माण और विद्युत उत्पादन पर कितना-कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या इस परियोजना को पूरा करने हेतु उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सरकारें अपना-अपना लागत हिस्सा नहीं दे रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों से लागत हिस्सा प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं और इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या पहल की जा रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) बाणसागर परियोजना का कार्य वर्ष 1979 के दौरान प्रारम्भ किया गया था और इस परियोजना के जून, 2002 तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बांध नहरों के निर्माण एवं जल विद्युत उत्पादन पर क्रमश: 604.08 करोड़ रु०, 174.62 करोड़ रु० एवं 710.60 करोड़ रु० व्यय किया गया है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें परियोजना के निर्माण के संबंध में अपने अद्यतन लागत हिस्सा प्रदान कर दिए हैं। तथापि, बिहार राज्य को अभी भी 70.5 करोड़ रु० के अपने बकाया लागत हिस्से का भुगतान करना है। लम्बित लागत हिस्से के निपटान के लिए बिहार सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है। केन्द्र सरकार इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत निधियां उपलब्ध करा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत इस परियोजना के लिए कुल 282.96 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत कर दी गई है।

बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह सर्वेक्षण

2454. **श्री रामदास आठवले : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र के पिछले जिलों में बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह के माध्यम से कोई सर्वेक्षण कराया गया अथवा कराए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि सूखा मूल्यांकन प्रणाली (एन ए डी ए एम एस) के तहत, राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी अभिकरण (एन आर एस ए) उपग्रह आंकड़ों के प्रयोग से कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा सूखा संवेदनशील 11 राज्यों मे 1992 से मासिक जिला स्तरीय फसल एवं मौसमी परिस्थितियों संबंधी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इन रिपोर्टों में महाराष्ट्र के सभी जिले शामिल हैं। राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी अभिकरण चयनित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो के उपग्रह आधारित जलाप्लावन मानचित्रण एवं क्षति मूल्यांकन का कार्य भी करता है। महाराष्ट्र के मामले में, पिछले तीन सालों में ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि राज्य में कोई खास बाढ़ नहीं आई है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में बीड़ी मजदूरों का कल्याण और भवनों का निर्माण

2455. **श्री टी० गोविन्दन:**
श्री ए० ब्रह्मनैया:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बड़ी सिगरेट निर्माता कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दी जा रही रियायतों से देश में बीड़ी उद्योगों व मजदूरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में रोजगार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय मजदूर संघों के अभ्यावेदन पर की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश बीड़ी मजदूरों के लिए मकान बनाने हेतु आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार का क्या निर्णय है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, हां।

(ङ) आंध्र प्रदेश के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अंतर्गत बीड़ी कर्मकारों के लिए 5,081 मकानों हेतु प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी गई है।

विवरण

(क) से (ग) अनेकों केन्द्रीय श्रमिक संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उत्पाद शुल्क तथा विदेशी इक्विटी की सहभागिता के संबंध में सिगरेट विनिर्माताओं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी गयी रियायतों के प्रतिकूल प्रभावों पर चिन्ता व्यक्त की गई है। तथापि, सरकार को इन रियायतों के कारण किसी भी बीड़ी उद्योग के विस्थापन तथा बीड़ी कर्मकारों की छंटनी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उल्लिखित रियायतों का असम और त्रिपुरा राज्यों में कतिपय विशिष्ट स्थानों से माल की निकासी के बारे में सामान्य नीति के एक भाग के रूप में दिया गया है। इस माल में तम्बाकू के सभी उत्पाद आ जाते हैं जिनमें सिगरेटें भी शामिल हैं।

जहां तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के लिए रियायतों से संबंधित मुद्दे का संबंध है, सरकार द्वारा तैयार किये गये दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ सिगरेटों सहित उपभोक्ता से संबंधित गैर टिकाऊ क्षेत्रों में विदेशी इक्विटी सहभागिता की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य

2456. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1999-2000 के लिए धान और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनके समर्थन मूल्य की घोषणा कब तक कर दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव): (क) से (घ) सरकार वर्ष 1999-2000 के लिए धान (सामान्य) के लिए 490 रु० प्रति क्विंटल तथा धान (श्रेणी 'क') के लिए 520 रु० प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही निर्धारित कर चुकी है। वर्ष 2000-2001 में बेचे जाने वाले गेहूं का फसल वर्ष 1999-2000 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के सक्रिय विचाराधीन है तथा शीघ्र ही घोषित किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

फल और सब्जी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

2457. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार की कम्यूनिटी फूड एंड न्यूट्रीशन एक्सटेंशन यूनिट ने नागपुर, महाराष्ट्र में नवम्बर, 1999 में फल और सब्जी संरक्षण में इक्यावन प्रतिशत अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रशिक्षण भारत के अन्य भागों में आयोजित किया जा रहा है अथवा केवल महाराष्ट्र में ही; और

(ग) यह प्रशिक्षण कृषकों के लिए किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० पी० बी० के० सत्यनारायण राव) : (क) महिला एवं बाल विकास विभाग भारत साकार के अधीन खाद्य एवं पोषण बोर्ड के अंतर्गत नागपुर स्थित सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार एकक द्वारा फल तथा सब्जियों के घरेलू स्तर पर परिरक्षण के संबंध में नवम्बर, 1999 में 55 प्रतिभागियों के लिए दो प्रशिक्षण पाठयक्रम (न कि 51 प्रतिशत लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) आयोजित किए गए।

(ख) खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थित 33 सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार एककों के माध्यम से फलों एवं सब्जियों के घरेलू स्तर पर परिरक्षण हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक माह दो सप्ताह की अवधि के दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ग) यह प्रशिक्षण प्रमुखत: गृहणियों तथा किशोरियों हेतु आयोजित किए जाते हैं ताकि वे फलों एवं सब्जियों की बहुतायत के समय कम लागत पर परिरक्षण कर सकें और पूरे वर्ष उनका उपयोग कर सकें और अत्यन्त आवश्यक विटामिनों तथा खनिजों (सूक्ष्मपोषक तत्वों) के प्राप्त करने की दृष्टि से फलों एवं सब्जियों की खपत को बढ़ावा मिल सके। समुदाय को अपना कच्चा माल केन्द्र में लाने और तकनीकी कर्मचारियों की मदद से परिरक्षित उत्पाद बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

समुद्र के साथ दीवार

2458. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ तटवर्ती राज्य सरकारों ने समुद्र के साथ दीवार का निर्माण करने हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसम्बर, 1991 में हुई 43वीं बैठक में लिए गये निर्णयों के कारण समुद्री दीवार सहित समुद्री कटाव रोधी कार्य करने के लिए तटीय राज्यों को इस समय कोई केन्द्रीय सहायता नहीं की जा रही है।

तथापि, नौ तटीय राज्यों यथा गुजरात, महाराष्ट्र, गोआ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से समुद्री कटाव रोधी कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने संबंधी प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना तैयार की गई है जो विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों को भेजी गई है। मूल्यांकन अभिकरणों ने मूल प्रस्तावों को संशोधित करने की आवश्यकता बताते हुए अपनी टिप्पणियां भेजी हैं। केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर तटीय राज्यों ने मूल्यांकन अभिकरणों को टिप्पणियों की अनुपालना के बाद संशोधित प्रस्ताव नहीं भेजे हैं जो राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा परियोजना तैयार करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है।

इनके अलावा, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जोखिम पूर्ण धाराओं पर तट कटाव नियंत्रण करने के लिए तटीय राज्यों को सहायता देने के वास्ते 10.00 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय को एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम नौवीं योजना के दौरान तैयार की जा रही है। तटीय राज्यों द्वारा भेजी गई स्कीमों की जाँच की गई है और उन्हें संशोधन के लिए राज्यों को भेजा गया है। किसी भी तटीय राज्य ने अपने संशोधित प्रस्ता : नहीं भेजे हैं।

पशु-वध

2459. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान देश में मांस की आवश्यकता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मांस और दूध दोनों की गुणवत्ता में सुधार हेतु तथा इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या गाय, बछड़े और भैंस सहित मवेशी के वध को बढ़ावा देना भारत के संविधान का उल्लंघन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में विशेषकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मद्देनजर कि मांस खाने से कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह विभाग मीट की स्वास्थ्यकर दशाओं और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए "बूचड़खानों का आधुनिकीकरण/सुधार" नामक एक योजना क्रियान्वित कर रहा है। विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत दुग्ध और उत्पाद आदेश 1992 लागू किया है, जिसमें दुग्ध उत्पादों का रख-रखाव करने वाले डेयरी संयंत्रों की स्वास्थ्यकर दशाओं की व्यवस्था है।

इसके अलावा, कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा) ने कच्चे तथा प्रशीतित मीट और प्रसंस्कृत मीट के निर्यात के लिए मानक निर्धारित किए हैं। एपिडा ने दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए भी मानक तैयार किए हैं जिन्हें अधिसूचना के लिए सरकार के पास भेजा गया है।

(घ) से (च) जी, नहीं। पशु वध राज्य का विषय है तथा यह राज्य अधिनियमों के अनुसार नियमित होता है, जिन्हें राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार बनाया जाता है।

ध्रुव श्रेणी का रिएक्टर

2460. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत की प्लूटोनियम उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ट्राम्बे में एक और ध्रुव श्रेणी का रिएक्टर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो संचालन अनुभव पर डिजाइन में किये गये संशोधनों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित रिएक्टर के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) अनुसंधान तथा रेडियो आइसोटोप उत्पादन की पूर्वानुमानित भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में

एक और रिएक्टर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। तथापि, रिएक्टर की किस्म और उसके स्थल के बारे में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। अत: इससे संबंधित ब्यौरा इस समय नहीं दिया जा सकता।

(ग) ऊपर (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुए, अभी से यह बताना मुश्किल है कि प्रस्तावित रिएक्टर के कब तक क्रांतिक होने की संभावना है।

कार्यस्थल सुरक्षोपाय

2461. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काम-काज के माहौल को बेहतर बनाने और संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्य स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों में हो रही बीमारियों पर कोई निगरानी रखी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल) : (क) और (ख) कारखानों में कार्यरत कामगारों की कामकाजी दशाओं को बेहतर बनाने तथा उनके स्वास्थ्य को संरक्षण देने संबंधी प्रावधान कारखाना अधिनियम, 1948 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों में पहले ही से मौजूद हैं। अधिनियम के अध्याय-IV-क में, जोखिमकारी प्रक्रम वाले कारखानों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसी प्रकार, कारखाना अधिनियम की धारा 7-क में अधिष्ठाता के सामान्य कर्तव्यों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कार्यरत कामगारों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा और संगठन के ब्यौरे व उस नीति के कार्यान्वयन की व्यवस्था के विषय में लिखित विवरण तैयार करना अधिष्ठाता की जिम्मेदारी है। अधिष्ठाता द्वारा कामगारों को साफ-सुथरा माहौल उपलब्ध कराने तथा उसे बनाए रखने संबंधी प्रावधान भी हैं।

केन्द्र सरकार ने कई विधान भी अधिनियमित किए हैं, जैसे—बीड़ी व सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966; ठेका श्रम (विनियमन व उत्सादन) अधिनियम, 1970; बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976; अंतर्राज्यीय आप्रवास कर्मकार अधिनियम, 1979; भवन व अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 आदि। इन विधानों में कार्य की शर्तों, कार्य के घंटों, न्यूनतम मजदूरी, कैण्टीन सुविधाओं का प्रावधान, बाल गृह, प्राथमिक उपचार, रात्रि आरामगृह तथा कुछ मामलों में रिहायशी आवास के प्रावधान, बाल गृह, प्राथमिक उपचार, रात्रि आरामगृह तथा कुछ मामलों में रिहायशी आवास के प्रावधान, समयोपरि/अतिरिक्त शुल्क के प्रावधान आदि के विनियमन की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41-ग में जोखिमकारी प्रक्रमों के संबंध में अधिष्ठाता की खास जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार, वह निर्धारित सुविधायुक्त व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करेगा, जिसमें चौन्थ डॉक्टर तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ होंगे। इस अधिनियम में जोखिमकारी प्रक्रमों में ऐसे काम से पहले, काम के दौरान तथा काम के बाद कामगारों की डॉक्टरी जाँच किए जाने की व्यवस्था की गई है। साल में कम से कम एक बार डॉक्टरी जाँच किया जाना अपेक्षित है। यह अपेक्षा भी की गई है कि ऐसे डॉक्टरी जाँच का रिकार्ड रखा जाए, उन्हें अद्यतन किया जाए तथा स्वास्थ्य अनुवीक्षण के उद्देश्य से उन्हें एक खास अवधि तक सुरक्षित रखा जाए।

बीड़ी उद्योग के कामगारों को बीड़ी कामगार कल्याण निधि के तहत कतिपय लाभ प्रदान किए जाते हैं। इन लाभों में कुछ केन्द्रीय स्थानों के अस्पतालों व औषधालयों में उपचार करवाने की पात्रता देना शामिल है। इन सुविधाओं में, तपेदिक अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण, तपेदिकग्रस्त बीड़ी कामगारों के घरेलू उपचार, कैंसर के उपचार, मानसिक रोगों के उपचार, कुष्ठ के उपचार, हृदय रोगों के उपचार तथा गुर्दा प्रत्यारोपण आदि के लिए वित्तीय सहायता देना शामिल है।

व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर

2462. श्री आर॰ एल॰ भाटिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 दिसम्बर, 1999 के "पायनियर" में "बैरिंग वाइसेस ऑन सी. टी. बी. टी." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह संकेत दिया था कि भारत विवादास्पद व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर "अधिकतम संभव" राष्ट्रीय सहमति होने के बाद हस्ताक्षर करेगा;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस वक्तव्य से यह सकारात्मक संकेत मिला कि भारत "सी. टी. बी. टी." के रास्ते में आने का इच्छुक नहीं है;

(घ) क्या सी. टी. बी. टी. पर (दोनों नीति निर्माताओं द्वारा) जारी बयानों ने विवादास्पद संधि पर सरकार की वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ प्रश्न उठाए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) 29 नवम्बर, 1999 को "हिन्दु" में प्रकाशित एक साक्षात्कार में विदेश मंत्री ने कहा था कि "देश की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं को हल करने की अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के बाद सरकार का यह विश्वास है कि अब हमें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को पुन: आश्वासन देने और इस संबंध में राष्ट्रीय मतैक्य विकसित करने की इच्छा की आवश्यकता है।"

27 नवम्बर को फाइनेन्सियल टाइम्स में प्रकाशित साक्षात्कार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी सरकार के इसी पक्ष को दोहराया है कि भारत सी. टी. बी. टी. के मार्ग में बाधक नहीं बनेगा और राष्ट्रीय मतैक्य पैदा किए जाने की आवश्यकता पर बल देगा।

दोनों ही साक्षात्कारों में प्रधान मंत्री द्वारा दिसम्बर, 1998 में संसद में दिए गए बयानों के अनुरूप सी. टी. बी. टी. के संबंध में सरकार के पक्ष को दोहरया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जल नीति

2463. श्री अधीर चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय जल नीति में कतिपय संशोधन लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कई राज्यों के बीच जल बंटवारे संबंधी विवाद को किस हद तक सुलझा लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां।

वर्ष 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को अपनाए जाने के पश्चात् जल संसाधन क्षेत्र के विकास और प्रबन्धन में अनेक समस्याएं/चुनौतियां सामने आई हैं। इसलिए मौजूदा समस्याओं/उत्पन्न हो रही चुनौतियों के संदर्भ में तथा इस नीति के कार्यान्वयन के 10 वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा करने तथा इसे अद्यतन करने की आवश्यकता है। वर्तमान राष्ट्रीय जल नीति में जिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों/पहलुओं को शामिल करने पर विचार किया जाना है उनमें संसाधनों की आयोजना और प्रबन्धन के लिए बहु-क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य तथा सहभागिता दृष्टिकोण, निजी क्षेत्र की भागीदारी, जल संसाधन प्रबन्धन में मात्रा, गुणवत्ता और पर्यावरणीय पहलुओं का एकीकरण, अनिवार्य प्रचालन और रखरखाव, वित्तीय व्यवस्था करना तथा राजस्व जुटाने के लिए सम्बन्धित नीतियां बनाना तथा कानून बनाने, संस्थाओं को प्रोत्साहन देने, दंडात्मक कार्रवाई करने, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से संबंधित सुधार करना शामिल है। अद्यतन राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा शीघ्र ही विचारार्थ तथा स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

(ग) राज्यों के बीच जल आवंटन के राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश के मसौदे को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने के वास्ते राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप दे दिया गया है।

बाढ़ नियंत्रण

2464. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेपाल से बिहार की ओर बहने वाली नदियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन नदियों के कारण बिहार में प्रति वर्ष भारी बाढ़ आती है;

(ग) क्या सरकार ने नेपाल सरकार से पानी की हिस्सेदारी और इन नदियों के कारण बिहार में आने वाली बाढ़ के नियंत्रण के बारे में कोई बात-चीत की है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले कुछ वर्षों से इसमें क्या प्रगति हुई है साथ ही इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) नेपाल से बिहार की ओर बहने वाली नदियां घाघरा, गंडक, बागमती, लालबकिया, अधवरा, कमला तथा कोसी हैं।

(ख) प्रत्येक वर्ष बिहार में घाघरा, गंडक तथा कोसी नदियों में अत्यधिक बाढ़ आती है।

(ग) और (घ) सप्तकोसी उच्च बांध, कमला तथा बागमति की भांति सर्वाधिक बाढ़ लाभ घटकों के साथ कुछ जल संसाधन परियोजनाओं पर वर्षों से भारत सरकार और नेपाल सरकार विचार कर रही है। सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते गठित विशेषज्ञों की संयुक्त समिति द्वारा वर्ष 1992 से सक्रिय विचार किया जा रहा है। कमला और बागमती परियोजनाओं पर विशेषज्ञों की संयुक्त समिति जिसे वर्ष 1996 में विशेषज्ञों के संयुक्त दल के रूप में गठित किया गया है, द्वारा भी विचार किया जा रहा है। समस्त तीनों परियोजनाओं पर प्रारंभिक विचार-विमर्श चल रहा है। नेपाल से बिहार को बहने वाली नदियों के जल की भागीदारी से संबंधित पहलुओं पर भारत तथा नेपाल की सरकारों के बीच विचार-विमर्श नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

ब्रिटिश शासन के दौरान लूटी गई धरोहर

2465. श्री मोहन रावले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत से लूटकर ब्रिटेन ले जाई गई धरोहर को वापस लाए जाने के लिए कोई नई पहल करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) ब्रिटेन से इस प्रकार की धरोहर की वापसी के लिए सरकारी स्तर पर हाल ही में किए गए किसी प्रयास की जानकारी हमें नहीं है। तथापि, हमें कतिपय ऐसे अलग-अलग मामलों की जानकारी है जिनमें भारत के तत्कालीन रजवाड़ों के वंशजों ने अपनी पारिवारिक सम्पत्ति वापस लेने के प्रयास किए हैं।

[अनुवाद]

नगर पालिका सीमा के भीतर इकाइयाँ

2466. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योग जगत ने दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नगरपालिका सीमाओं के भीतर और 25 कि.मी. तक कुछ उद्योगों की नई इकाइयाँ स्थापित न करने देने संबंधी प्रारूप नियमों का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर उद्योग जगत की क्या प्रतिक्रिया है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ। दिनांक 21.6.99 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एवं जारी किए गए मसौदा नियमों के विरुद्ध आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं।

(ख) इस संबंध में उद्योगों की आशंकाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं:-

(1) ऐसे निषेध के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों में हानि होगी।

(2) राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा पहले ही विकसित, वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों तथा सम्पदा पार्कों में ऐसे निषेध के द्वारा अनुबंध-1 में सूचीबद्ध औद्योगिक इकाइयों के स्थापना की अनुमति नहीं मिलेगी।

(3) दूरी और जनसंख्या के मानदंड बहुत कठोर हैं।

(4) उद्योगों की स्थापना के लिए ऐसा निषेध छोटे राज्यों और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के मामले में अधिक गंभीर होगा।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम नियमों के अनुसार नियमों को लागू करने से इन आपत्तियों पर विचार करेगा।

फ्लाई ऐश का उपयोग

2467. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा) के वैज्ञानिकों ने कृषि उत्पादन में ताप विद्युत संयंत्रों के फ्लाई ऐश के उपयोग से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्लाई ऐश का उपयोग मृदा में जल धारण की क्षमता को बढ़ा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह मृदा में भूतल निर्माण को रोकता है जो कि कपास, बाजरा और सरसों की खेती में प्रमुख समस्या है;

(घ) यदि हां, तो क्या फ्लाई ऐश का काला रंग भी फसलों के पक्ष में मृदा ताप परिवर्तन में सहायता करता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने मृदा परीक्षण की कोई योजना बनाई है और फ्लाई ऐश के उचित उपयोग के लिए किसानों को इसकी जानकारी प्रदान की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) उड़न राख (फ्लाई ऐश) डालने से हल्के ढांचे की मिट्टियों में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है।

(ग) अध्ययन से पता चला है कि 5-20% की दर से उड़न राख डालने पर मिट्टी की परत की सार्मथ्य में कमी आती है और इस प्रकार दुमट और बलुई दुमट मिट्टियों में बाजरा, कपास और सरसों की फसल के अंकुरण, उसकी बढ़वार और उपज में सुधार आता है।

(घ) अध्ययन के दौरान सर्दियों के मौसम में मिट्टी के तापमान में हल्की वृद्धि देखी गई। फिर भी फसलों पर इसके अनुकूल प्रभाव का संकेत नहीं मिला है।

(ङ) भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत, एक उड़न राख मिशन का गठन किया है ताकि कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

फलों और सब्जियों को क्षति

2468. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपर्याप्त भण्डारण और विपणन सुविधा के अभाव में हर वर्ष बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां खराब हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भण्डारण और विपणन सुविधा में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) और (ख) यद्यपि अपर्याप्त भंडारण और विपणन सुविधाओं के कारण फलों और सब्जियों के नुकसान का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है तथापि अनुमान है कि नौवीं योजना के लिए कटाई पश्चात् प्रबंध, विपणन और निर्यात पर उप कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार कटाई के पश्चात् विभिन्न चरणों पर विभिन्न फसलों का नुकसान 8 से 37 प्रतिशत के बीच है।

(ग) कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बागवानी फसलों की कटाई पश्चात् अवसंरचना के प्रबंध पर समेकित परियोजना की स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जिसके अधीन पूर्व शीतन एकाकों/शीत स्टोरों और शीतागारों सहित कटाई पश्चात् अवसंरचना के सृजन के लिए सुगम ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भी सरकारी क्षेत्र में शीतागार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देता है। इसके अलावा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए एक स्कीम है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम का एक घटक बागवानी उत्पाद और अन्य मदों के लिए शीत श्रृंखला सुविधाओं और शीतागारों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देना है। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) भी निर्यात प्रयोजनों के संशोधित/नियंत्रित वातावरण वाले शीतागारों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान दे रहा है। शीतागारों और भंडारों के विकास पर मुख्य रूप से जोर देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली, नौवीं पंचवर्षीय योजना (1999-2000) के दौरान क्रियान्वयन के लिए बागवानी उत्पादों हेतु शीतागारों और भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूँजी निवेश राजसहायता को हाल में ही मंजूरी दी है।

चीन को इस्राइली हथियार

2469. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस्राइल द्वारा चीन को 'एअर बोर्न रडार सिस्टम' विमान दिए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या चीन को ए-वी-आर-एस- बेचे जाने से काफी हद तक भारत की सुरक्षा विशेषकर हवाई सुरक्षा प्रभावित हो सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस्राइल द्वारा चीन को इस प्रणाली के बेचे जाने का अमेरिका ने भी विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका प्रभाव विशेषकर पड़ोसी देशों की चीनी हथियारों एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के प्रभावों का अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (च) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि इजरायल चीनी वायु सेना के लिए विमानवाहित रडार प्रणाली का निर्माण कर रहा है। हमारी सूचना यह है कि चीन को इसे बेचने पर अमरीका ने आपत्ति उठाई है। सरकार ने चीनी शस्त्रों और प्रौद्योगिकी का अन्य देशों को अंतरण किए जाने से सम्बद्ध समाचार भी देखे हैं।

सरकार भारत की सुरक्षा से सम्बद्ध सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखती है और देश की सुरक्षा, संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता

2470. श्री अशोक प्रधान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक उत्तर प्रदेश, विशेषत: इसके पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को वित्तीय सहायता के दुरुपयोग के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस संबंध में किसी निगरानी दल के गठन का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के तहत महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के तहत् उत्तर प्रदेश में वित्तीय सहायता से खोले गए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ विद्यमान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरम्भ किए गए नए व्यवसायों संबंधी ब्यौरे

1. नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

स्थल	1996-97	1997-98	1998-99
		(व्यय रु- लाख में)	
कानपुर, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली और झांसी	86.820	149.327	33.78

2. विद्यमान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए व्यवसायों को आरम्भ करना

स्थल	1996-97	1997-98	1998-99
		(व्यय रु- लाख में)	
मिर्जापुर, रामपुर, देहरादून, काशीपुर, अलीगढ़, बिजनौर, मथुरा और गाजियाबाद	27.943	20.431	3.72

कॉयर-कामगारों के कल्याण के लिए सहायता

2471. **श्री जी०एम० बनातवाला:** क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान केरल सरकार को कॉयर-कामगारों के कल्याण हेतु राशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चालू वर्ष के लिए कितनी अनुदान राशि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या सरकार राज्य में गरीब कॉयर-कामगारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के वास्ते अनुदान राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने केरल कॉयर कर्मचारी कल्याण निधि बोर्ड के लिए निम्नांकित अनुदान जारी किया है:-

1996-97	—	50.00 लाख रु.
1997-98	—	शून्य
1998-99	—	10.00 लाख रु.

(घ) 10.00 लाख रुपये की राशि चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित की गई है।

(ङ) और (च) सरकार के पास कोई भी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मातृत्व अवकाश

2472. **श्री किरीट सोमैया :**
श्री अनन्त गंगाराम गीते :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गोद लिए गए बच्चों की माता को मातृत्व अवकाश देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में सामाजिक संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) किसी प्रसूता महिला कर्मचारी को, प्रसूती छुट्टी लेने देने का मुख्य उद्देश्य नैसर्गिक रूप से माँ बनी किसी महिला कर्मचारी को बच्चे के जन्म के बाद, अपेक्षित आराम करने देना और पुन: सामान्य रूप से स्वस्थ होने देना है। केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में, डॉक्टरी प्रमाण पत्र के बिना ही 60 दिन तक की गैर बकाया और परिवर्तित छुट्टी सहित, एक वर्ष तक की अथवा बच्चे का एक वर्ष का हो जाने तक के बकाया और देय छुट्टी लेने देने का प्रावधान पहले से ही है, इस स्थिति में, बच्चा गोद ले लेने वाली, महिला सरकारी कर्मचारियों को प्रसूति-छुट्टी दिए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं हैं।

पहले कुछ संगठनों/व्यक्तियों से इस बारे में कुछ अभ्यावेदन मिले थे और उन्हें तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

जल प्रबन्धन

2473. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री अजित सिंह :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 नवम्बर, 1999 के "द इकॉनॉमिक टाइम्स" में "इन्क्लूड वाटर इन कनकरेन्ट लिस्ट—महाजन ने कहा" शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित खबर में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार जल प्रबन्धन को राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से हटाकर केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में लाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी हाँ, भारत-फ्रांस जल सप्ताह का 19 नवम्बर, 1999 को उद्घाटन करते समय तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन और संसदीय कार्य) ने उल्लेख किया कि चूंकि जल राज्य दर राज्य बहता है इसलिए यह आवश्यक था कि जल को भारत के संविधान की संवर्ती सूची में लाया जाए ताकि देश में उचित जल प्रबंधन के लिए प्रभावी निर्णय ले सके।

(ग) और (घ) इस समय जल प्रबंधन को राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार से हटाकर केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कृषि उत्पादन

2474. **श्री अजय सिंह चौटाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व में कृषि उत्पादन के संदर्भ में भारत का कौन-सा स्थान है;

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत धनराशि नियत की गई है;

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कितना हिस्सा है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत धनराशि नियत की गई है;

(ङ) वर्ष 1999 के दौरान कृषि विकास कार्य के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी प्रतिशत धनराशि प्रधान की गई है;

(च) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पश्चिमी देशों में अपनाई गयी नवीनतम तकनीकों को अपनाने हेतु योजनाएं तैयार की हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) इन योजनाओं को कब तक लागू कर लिए-जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) खाद्य और कृषि संगठन उत्पादन वार्षिक पुस्तक 1997 के अनुसार, प्रमुख कृषि उत्पादों के मामले में विश्व में भारत का स्थान इस प्रकार है:-

उत्पाद	स्थान
गेहूं	दूसरा
चावल	दूसरा
कुल अनाज	तीसरा
कुल दलहन	पहला
मूंगफली	दूसरा
रेपसीड एवं सरसों	दूसरा
सब्जियां (तरबूज सहित)	दूसरा
प्याज	दूसरा
फल (तरबूज को छोड़कर)	तीसरा
गन्ना	दूसरा
कपास	तीसरा
कुल दूध	पहला

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार, चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए 4.9% सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के नवीनतम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1997-98 के दौरान प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादों में कृषि क्षेत्र का योगदान 27.5% था।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय योजना हेतु बजट अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष के लिए कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए निर्धारित धनराशि कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय की 3.6% है।

(ङ) योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1999-2000 के लिए कृषि क्षेत्र को आबंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) से (झ) कृषि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त अनेक स्कीमें निरूपित की गई हैं और इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। कृषि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार चावल/गेहूं/मोटा अनाज आधारित फसल क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, गहन कपास विकास कार्यक्रम, विशेष पटसन विकास कार्यक्रम एवं गन्ना आधारित फसल क्षेत्रों का सतत् विकास कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत किसानों को उच्च पैदावार देने वाली किस्मों के बीजों के उपयोग, समेकित कीट प्रबंध के अनुप्रयोग, लघु सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध के प्रचार-प्रसार, उन्नत कृषि उपस्करों के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इनके अलावा प्रौद्योगिकी के कारगर अन्तरण के लिए किसानों के खेतों पर प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं जिसमें किसानों तथा कृषि मजदूरों का प्रशिक्षण भी शामिल है। उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए ऊतक संवर्धन के उपयोग टपका सिंचाई, हरित गृह प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

विवरण

वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आबंटन (वानिकी तथा वन्य जीवन सहित)

(लाख रुपये)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि क्षेत्र के लिए आबंटन
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	18127.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5277.00
3.	असम	20263.00

1	2	3
4.	बिहार	8265.00
5.	गोवा	955.00
6.	गुजरात	41490.00
7.	हरियाणा	11808.00
8.	हिमाचल प्रदेश	20203.00
9.	जम्मू और कश्मीर	18549.29
10.	कर्नाटक	30334.86
11.	केरल	25850.00
12.	मध्य प्रदेश	30225.24
13.	महाराष्ट्र	41535.32
14.	मणिपुर	2988.31
15.	मेघालय	4600.00
16.	मिजोरम	3849.00
17.	नागालैंड	2687.00
18.	उड़ीसा	13264.47
19.	पंजाब	15105.63
20.	राजस्थान	33669.06
21.	सिक्किम	•
22.	तमिलनाडु	34337.99
23.	त्रिपुरा	3281.83
24.	उत्तर प्रदेश	83945.00
25.	पश्चिम बंगाल	23992.65
26.	अ.नि. द्वीपसमूह	2140.00
27.	चण्डीगढ़	366.00
28.	दा.ना. हवेली	508.00
29.	दमन और द्वीव	113.00
30.	दिल्ली	2169.00
31.	लक्ष्यद्वीप	729.93
32.	पांडिचेरी	3398.00

•क्षेत्रवार आंकड़ों को अन्तिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

2475. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई० सी० ए० आर०) द्वारा राज्यों को मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या वर्ष 2000 तक समान धनराशि के आबंटन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्यों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इमली का उत्पादन

2476. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इमली का राज्य-वार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में इमली का उत्पादन बेहतर बनाने और इसे बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में इमली के बागान विकसित करने के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इमली के उत्पादन के लिए कोई अलग से बोर्ड है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव): (क) इस समय, इमली के पेड़ सीमान्त भूमि पर तथा जंगलों में स्वयमेव लगे हुए हैं। हाल ही में कर्नाटक तथा तमिलनाडु में वाणिज्यिक रोपण शुरू किया गया है। इमली के उत्पादन के संबंध में कोई व्यवस्थित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) इमली की खेती को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है। अधिक पैदावार देने वाले कल्टिवारों के चयन तथा वानस्पतिक प्रसार हेतु कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम

शुरू किया गया है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के पेरियाकुलम स्थित क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा पी. के. एम.-1 को उच्च पैदावार देने वाली किस्म के तौर पर निर्गमित किया गया है।

(घ) और (ङ) देश में इमली के उद्यानों के विकास के लिए विदेशी सहायता प्राप्त कोई स्कीम नहीं है।

(च) और (छ) इमली के उत्पादन के लिए अलग से कोई बोर्ड गठित नहीं है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद

2477. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कृषि और उद्योग क्षेत्र के योगदान की अपेक्षा बढ़ा है;

(ख) यदि नहीं, तो गत वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का अलग-अलग कितना योगदान रहा है; और

(ग) कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी प्रतिशत आबादी अपनी जीविका का उपार्जन कर रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) पहली अक्तूबर, 1993 के अनुसार, प्रमुख तथा सहायक कामगारों (मुख्य अन्य कार्य कामगारों सहित) का प्रतिशत, कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में क्रमश: 64.3, 15.4 और 20.3 है।

रोजगार के अवसर

2478. **श्री अशोक नाथ मोहोल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उदारीकरण के बाद रोजगार के अवसर कम हो गए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या रोजगार के अवसर कम होने से महिलाओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि इनसे महिलाओं को स्थायी रोजगार के बजाय अल्पकालीन रोजगार ही मिल पाएगा;

(घ) क्या देश में बेरोजगार महिलाओं की संख्या बढ़ गई है; और

(ङ) यदि, हां तो महिलाओं की रोजगार संबंधी रोजगार समस्याएं हल करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पिछले दो पंचवार्षिक दौरों (राउंड्स) से उपलब्ध सामान्य स्थिति के अनुसार रोजगार अनुमान दर्शाते हैं कि रोजगार में 1987-88 (43वां दौर) में 324.29 मिलियन से बढ़कर 1993-94 (50वां दौर) में 374.45 मिलियन तक की वृद्धि हुई है।

(ख) बेरोजगारी के अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 1973-73 से किए जा रहे रोजगार और बेरोजगारी संबंधी व्यापक पंचवार्षिक सर्वेक्षण से उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग करते हुए लगाए जाते हैं। अंतिम सर्वेक्षण, जिसके परिणाम उपलब्ध हैं, 1993-94 में (एनएसएस 50वां दौर) में किया गया था।

(ग) से (ङ) महिलाओं में बेरोजगारी, 1987-88 में 3.23 मिलियन से घटकर 1993-94 में 1.99 मिलियन हो गई है।

श्रम कानून में संशोधन

2479. **श्री अनंत गंगाराम गीते** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बीड़ी कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए श्रमिक कल्याण और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम व अन्य श्रम कानूनों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन करने से पहले संबंधित मंत्रालयों/विशेशज्ञों की राय पर विचार किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) से (ङ) बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 इन कर्मकारों के नियोजन को विनियमित करता है। इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है जो अपने संबंधित भौगोलिक/क्षेत्राधिकार के भीतर बीड़ी कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित करने के लिए भी उत्तरदायी है। बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 में व्यवस्था है कि उन उपायों और सुविधाओं जो ऐसे कर्मकारों को कल्याण मुहैया कराने के लिए जरूरी है, के संबंध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार निधियों की व्यवस्था करेगी।

श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और संशोधन/नए विधान समीक्षा के परिणामों के आधार पर किए जाते हैं/बनाए जाते हैं। सम्बद्ध मंत्रालयों/विशेषज्ञों आदि सहित सभी संबंधित

लोगों के विचार विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन करते समय ध्यान में रखे जाते हैं। तथापि, सरकार द्वारा हाल ही में गठित द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग संगठित क्षेत्र में श्रम से सम्बंधित मौजूदा कानूनों के सुव्यवस्थीकरण और असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के संरक्षण के न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए एक विधान का सुझाव देगा।

लौह अयस्क टुकड़ा उद्योग

2480. श्री सी॰ श्रीनिवासन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के सलेम, नमक्कल, धरमपुरी और तिरूवन्नमलई जिलों में उपलब्ध 45 करोड़ टन लौह अयस्क के उपयोग हेतु सलेम में लौह अयस्क टुकड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ बहुराष्ट्रीय कंम्पनियों के प्रस्ताव आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में उपलब्ध लौह अयस्क का उपयोग कर सलेम में इस्पात विनिर्माण के लिए इस्पात उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम, टी॰ आई. डी. सी. ओ. ने तमिलनाडु में लौह अयस्क निक्षेप विकसित करने का प्रस्ताव किया है। पैलेटों का उत्पादन करने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 30 लाख टन कच्चे लौह अयस्क का खनन करने के लिए मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लगभग 600 करोड़ रुपए है।

लौह अयस्क के ये निक्षेप आरक्षित वन क्षेत्र सेलम जिले में कंजामलाई में और थिरुवनामलाई जिले में वेडियाप्पनमलाई में हैं, इसलिए टी आई डी सी ओ ने वृक्षारोपण के लिए वैकल्पिक भूमि अभिज्ञात की है। ई आई ए अध्ययन के लिए उन्होंने परामर्शदाता भी नियुक्त किए हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा खान मंत्रालय भारत सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनें के पश्चात् टी आई डी सी ओ सम्बद्ध क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वित करने के लिए सह-प्रवर्तक का चयन करने के लिए कदम उठाएगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को शामिल करने का प्रश्न उसी चरण पर ही उठेगा और इस समय सम्भावित प्रवर्तक का उल्लेख करना असामयिक है।

(ग) जी, नहीं।

बीड़ी मजदूरों के लिए मकान

2481. श्री माधवराव सिंधिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सोलापुर बीड़ी मजदूरों के लिए 10,000 मकानों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिन पर आने वाली लागत का व्यय-भार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और उन मजदूरों द्वारा वहन किए जाने का प्रस्ताव है जिन्हें मकान आबंटित किए जाने हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया है कि इस संयुक्त व्यय में केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला व्यय भार का हिस्सा बढ़ाकर 20,000/- रुपये तक किया जाये;

(ग) क्या केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित मजदूर प्रतिनिधियों के बीच सितम्बर, 1998 में बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय लिए गये हैं; और

(ङ) इस परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच सितम्बर, 1998 में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें आवास निर्माण के लिए 9,000/- रुपये की मौजूदा आर्थिक सहायता दर को किस हद तक बढ़ाया जाए, जांच करने का निर्णय लिया गया।

(ङ) प्रति मकान 9,000/- रुपये से 20,000/- रुपये बढ़ाकर आर्थिक सहायता अथवा प्रति मकान वास्तविक निर्माण लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो करने के लिए अब 11.11.1999 को आवश्यक आदेश निर्गत किए गए हैं।

[हिन्दी]

सोया उद्योग संकट

2482. श्री थावर चंद गेहलोत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोया उद्योग सोयाबीन खाद्य तेल की कीमत में एकदम गिरावट आने के कारण भारी संकट का सामना कर रहा है;

(ख) क्या खाद्य तेलों के आयातित मूल्य में लगातार गिरावट, आयात शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों में कमी के कारण आई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार सोयाबीन संयंत्रों की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए कोई उपचारात्मक कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) सूचना प्राप्त हुई है कि सोया उद्योग सोयाबीन खाद्य तेल तथा तेल रहित खली के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहा है।

(ख) आयातित खाद्य तेलों के मूल्य में लगातार गिरावट का एक कारण आयात शुल्क तथा अन्य संबद्ध शुल्क कम होना हो सकता है।

(ग) सोया तेल पर आयात शुल्क कम होने के कारण सोया उद्योग तथा अन्य तेल एककों के सामने आई समस्याओं को सरकार

समझती है तथा स्थिति को सुधारने के लिए वांछनीय कदम उठाने की पहल कर चुकी है।

(घ) और (ङ) सोयाबीन संयंत्र की बिगड़ती दशा को सुधारने के लिए कोई उपचारात्मक उपायों संबंधी प्रस्ताव को सुधारने के लिए सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि संस्थापित क्षमता की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा रहा है:-

(1) तिलहन विकास तथा आयल पाम विकास कार्यक्रमों संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से तिलहन एवं आयल पाम का उत्पादन बढ़ाना।

(2) क्षमता उपयोगिता बढ़ाना।

(3) प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने के लिए उद्योग को प्रेरित करना।

(4) स्वदेशी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध तेलों के अनुसार प्रतिस्पर्द्धा में लाना।

[अनुवाद]

बाल विकास कार्यक्रम

2483. श्री भर्तृहरि महताब : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में बाल मजदूरी को कम करने हेतु उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) क्या विश्व बैंक अथवा कोई अन्य वित्तीय संस्थाएं समेकित बाल विकास सेवा में उड़ीसा सरकार की सहायता कर रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एन सी एल पी) की स्कीम के माध्यम से बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अन्तर्गत 32,250 कामकाजी बच्चों को काम से हटाने एवं उनका पुनर्वास करने के लिए उड़ीसा के 16 जिलों में 450 विशेष स्कूलों/केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य स्तर और जिला स्तर पर बाल श्रम निवारण एवं पुनर्वास सोसाइटियां गठित की गई हैं। जोखिमकारी व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बाल श्रम को नियोजित करने वाले चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ 138 अभियोजन दायर किए गए हैं।

(ग) विश्व बैंक, यूनीसेफ, केयर इंडिया और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू एफ पी) उड़ीसा सरकार को महिला और बाल विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से एकीकृत बाल विकास योजना (आई सी डी एस) के लिए सहायता मुहैया करा रहे हैं।

पान के पत्तों का उत्पादन

2484. चौधरी तेजवीर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पान के पत्तों का उत्पादन करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ख) देश में पान के पत्तों का अनुमानित वार्षिक उत्पादन और खपत कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा त्रिपुरा जैसे राज्यों में पान की बेल की खेती वाणिज्यिक दृष्टि से की जाती है।

(ख) देश में पान के पत्तों के उत्पादन एवं उपभोग का आधिकारिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि देश में इस समय लगभग 45,000 हैक्टेयर क्षेत्र पान की खेती के तहत है।

लघु उद्योग में निवेश की सीमा

2485. श्री दिनेश पटेल : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी पर निवेश की सीमा बढ़ायी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सीमा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप राज्यवार कितनी लघु उद्योग इकाइयों को लाभ पहुँचा है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बेहतर बनाने और लघु उद्योग के उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) लघु उद्योग में निवेश सीमा जो पहले 60 लाख रु० थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 300 लाख रु० कर दिया गया था, उसको अब घटाकर 100 लाख रु० किया जा रहा है। वे सभी इकाइयाँ जो लघु उद्योग सीमा तथा इसके लिए निर्धारित अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं वे जिला उद्योग केन्द्र/राज्य उद्योग निदेशालय में लघु उद्योग इकाई के रूप में अपना पंजीकरण कराने के पात्र हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उठाये गये कदमों सहित लघु उद्योगों का प्रतिस्पर्धात्मक तथा निर्यातोन्मुखी बनाने क लिए सरकार द्वारा उठाये कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं जैसे प्रौद्योगिकी विकास तथ आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत पात्र इकाइयों के लिए उदार वित्त व्यवस्था करना, यूनिडो तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी प्रौद्योगिकी ब्यूरो, ऑटोमोटिव कम्पोनेंट कार्यक्रम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम आदि के सहयोग से विभिन्न

क्षेत्रों के लिए विशिष्ट विकास कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विपणन, उत्पाद शुल्क से छूट, ड्यूटी ड्रॉबैक सुविधा के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों को निष्प्रभावी बनाना कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निर्यात अर्जनों को कर मुक्त बनाना आदि।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

2486. श्री रामसागर रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिस लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, उन्हें पूरा करने में यह न्यायाधिकरण असफल रहा है क्योंकि यह किसी मुकदमें को निपटाने में उच्च न्यायालय द्वारा पहले लिए जाने वाले समय से कहीं अधिक समय ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें होने वाले विलंब को कम करने तथा कर्मचारियों को न्याय सुलभ कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का उद्देश्य, सरकारी कर्मचारियों को सेवा संबंधी मामलों में अविलंब और सस्ते में न्याय दिलवाना रहा है। उपर्युक्त उद्देश्य, सामान्यत: पूरा कर लिया गया है क्योंकि:-

(1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए जाने से अब तक इसमें दायर मामलों में से सितम्बर 30, 1999 तक लगभग 85 प्रतिशत मामले निबटा दिए गए हैं; और

(2) किसी आवेदनकर्त्ता से, आवेदन के साथ 50 रुपये का नाममात्र का शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित होता है और वह अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए स्वयं भी हाजिर हो सकता है।

फिर भी, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकरण के समक्ष मामलों का तुरंत और सही ढ़ंग से लाया-पेश किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं। अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के पदों से संबंधित रिक्तियां शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने के भी प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

सोयाबीन की फसल में फफूंदी

2487. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोयाबीन की फसल को फफूंदी रोग से नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आई० ए० आर० आई० द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त जो जिले वर्ष 1994 से रतुआ रोग से संक्रमित हैं वे इस प्रकार हैं: बेतूल, छिंदवाड़ा, सेवनी, जबलपुर, नरसिंह पुर, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन एवं धार।

(ग) और (घ) जी, हां। भरतीय कृषि अनुसंधान परिषद को "सोयाबीन के रतुआ रोग का महामारी विज्ञान एवं प्रबंध" शीर्षक से एक परियोजना जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई थी जिसे 29.3.99 को स्वीकृति दे दी गई थी।

"सोयाबीन का रतुआ रोग एवं इसका प्रबंध" शीर्षक से एक अन्य परियोजना भा. कृ. अ. प. की राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत निधि प्रदान करने के लिए दिनांक 18.11.1999 को प्राप्त हुई है जिस पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

बीजों का विकास

2488. श्री बाबू बन रियान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ऐसी दो योजनायें क्रियान्वित करने का विचार है जिनके अंतर्गत राज्यों को सहायता प्रदान की जाएगी और जिसका एक भाग कृषि फार्मों में बीजों के विकास पर व्यय किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बीजों के विकास के लिए कोई नयी योजना घोषित की गई है/घोषित करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) भारत सरकार ने चयनित फसलों के लिए अभिज्ञात बीज उत्पादक राज्यों में रबी 1999-2000 से एक केन्द्रीय क्षेत्र की "बीज फसल बीमा पर पायलट स्कीम" शुरू की है ताकि अप्रत्याशित स्थितियों में बीज उत्पादन में निहित जोखिम घटक को कवर किया जा सके। स्कीम भारतीय साधारण बीमा निगम के जरिए क्रियान्वित की जा रही है।

अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग

2489. श्री नरेश पुगलिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका, बंगलादेश और नेपाल सरकार ने अपने वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने, एकत्र किए गए आंकड़ों का आदान-प्रदान करने

और अपने स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम का उन्नयन करने के वास्ते भारत सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत ने अन्तरिक्ष के क्षेत्र में अनुभव की भागीदारी (शेयर्स) कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा भारत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित अन्तरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केन्द्र में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोगों के क्षेत्र में विकासशील देशों के वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है तथा अन्तरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उपयोगों के विभिन्न पहलुओं में द्विपक्षीय सहयोग के बारे में विचार करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। इस प्रस्ताव पर श्रीलंका, बंगलादेश और नेपाल सहित विविध देशों ने अपनी रुचि प्रकट की है।

(ग) भारत सरकार इस संबंध में इन देशों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार करने हेतु इच्छुक है।

मध्यावधि मूल्यांकन

2490. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत विकास संबंधी लक्ष्य कितना प्राप्त किया है?

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है। मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज के लिए गठित योजना आयोग की संपादकीय समिति प्रारूप अध्यायों को अंतिम रूप दे रही है।

(ख) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) मे नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की लक्षित औसत वृद्धि दर की तुलना में योजना में प्रथम दो वर्षों—1997-98 एवं 1998-99 में प्राप्त वृद्धि दर क्रमश: 5 व 6 प्रतिशत थी।

लघु उद्योगों में रुग्णता और बेरोजगारी

2491. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील** : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) रूग्णता और बेरोजगारी के संबंध में इस उद्योग की स्थिति क्या है;

(ग) रूग्णता के क्या कारण हैं; और

(घ) इस उद्योग को लाभप्रद बनाए रखने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) देश में 31.3.99 को लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 31.21 लाख होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित रिपोर्ट के अनुसार 31.3.98 को 2,21,536 इकाइयों के रूग्ण होने की पहचान की गई थी।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र में रूग्णता का प्रभाव विभिन्न कारणों से है जैसे—ऋण की अपर्याप्तता, विपणन समस्या, अपर्याप्त प्रबंधन आदि।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने जीवनक्षम रूग्ण उद्योगों की शीघ्र तथा पुनर्वास करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा राज्य वित्तीय निगमों के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने लघु उद्योगों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, उद्यमिता विकास, तकनीकी परामर्शदात्री सेवा, सामान्य परीक्षण सुविधाएं तथा गुणवत्ता नियंत्रण तथा उत्पाद-सह-प्रक्रिया विकास, राजकोषीय रियायतें, आधारित संरचना सहायता, विपणन सहायता आदि शामिल हैं।

सलेम इस्पात संयंत्र

2492. **श्री टी. एम. सेल्वागनपति** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सलेम इस्पात संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संयंत्र में कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नकदी फसलों के लिए विशेष पैकेज

2493. **श्री अनादि साहू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से अक्टूबर, 1999 के महाचक्रवात के दौरान उड़ीसा से पान की बेलों, सुपारी के बगीचों और नारियल बागानों को हुई भारी क्षति हेतु राहत उपलब्ध कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य को कितनी राहत दी गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन नकदी फसलों में शीघ्र सुधार हेतु कोई विशेष पैकेज घोषित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां। अक्तूबर 1999 के दौरान आए महाचक्रवात के दौरान पान की बेलों तथा नारियल को हुए नुकसान के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में राज्य सरकार ने पान की खेती करने वाले 2000 किसानों को 1000/- रुपये प्रति किसान की दर से तथा नारियल की खेती करने वाले एक लाख किसानों को 500/- रुपये प्रति किसान की. दर से आदान के रूप में सहायता देने का अनुरोध किया गया है।

(ख) से (घ) सरकार ने नारियल स्कीम के अनुमोदित घटकों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए नारियल विकास बोर्ड की मार्फत उड़ीसा सरकार को जारी करने के लिए 2.00 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चूंकि पान की खेती करने वाले किसानों से संबंधित कोई स्कीम अनुमोदित नहीं है। अत: उनके लिए सहायता प्रदान कर पाना संभव नहीं था।

सभी क्षेत्रों में राहत पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण हेतु राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से 500 करोड़ रुपये की तदर्थ अतिरिक्त सहायता जारी की गई है।

[हिन्दी]

जोवट सिंचाई परियोजना

2494. श्री कान्तिलाल भूरिया: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की जोवट सिंचाई परियोजना की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) इस परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 110.45 करोड़ रुपये (98-99 के मूल्य के आधार पर) की तुलना में दिसम्बर, 98 तक इस परियोजना पर 27.73 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इसके पूरा होने में विलम्ब का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया अपर्याप्त वित्तीय परिव्यय, भूमि अधिग्रहण में देरी, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना में विलम्ब है।

(घ) राज्य सरकार का जून, 2002 तक इस परियोजना को पूरा करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

लागत में वृद्धि

2495. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कई सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदम/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1999 तक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रबोधन पर 20 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक लागत वाली 446 परियोजनाओं में से 182 परियोजनाओं में लागत वृद्धि की सूचना मिली है। लागत वृद्धि के कारण परियोजना दर परियोजना भिन्न होते हैं। तथापि सामान्य तौर पर कारणों में शामिल है:- परियोजना लागत का कम अनुमान, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, विनिमय दर में परिवर्तन, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में वृद्धि, निर्माण के दौरान ब्याज में वृद्धि तथा भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण समयवृद्धि, परियोजना का कार्य देर से शुरू होना, ठेके देने में विलंब, सिविल ठेकेदारों की असफलता, उपस्करों की आपूर्ति में विलंब, खराब परियोजना प्रबंधन तथा निधियों में कमी।

(ग) इन परियोजनाओं की लागतवृद्धि में कमी लाने के लिए उठाए गए उपचारी कदम निम्नलिखित हैं:-

1. परियोजनाओ का वास्तविक मूल्य निरूपण।
2. सरकार द्वारा मासिक तथा त्रैमासिक प्रबोधन अवरोधों को अभिज्ञात करने में ये प्रबोधन अधिकरणों को समर्थ बनाते हैं तथा प्रबंधाकों को उपाचारात्मक उपाय करने में सहायता प्रदान करते हैं।
3. परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन आलोचनात्मक समीक्षा, विलंब को कम कराने के लिए संबंधित राज्य सरकारों, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अधिकरणों के साथ समन्वय।
4. आपूर्तिकर्ताओं तथा टर्नकी ठेकेदारों के साथ उपस्करों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा।

5. अंतरमंत्रालयी समन्वय तथा संबंधित पक्षों के बीच सुविधा बैठकें बुलाना।

6. संविदा पैकेजों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अभिग्रहण तथा अन्य समस्याओं के समापन के लिए अधिकृत समितियों का गठन।

7. परियोजनाओं को समय अनुसूची के अनुसार पूरा करने हेतु निधियां उपलब्ध कराना।

[हिन्दी]

समेकित सहकारी विकास परियोजना

2496. डा० चरणदास महंत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास समेकित सहकारी विकास परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश से प्राप्त कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं, उनके नाम तथा प्राप्ति की तिथि क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव) : (क) विवरण निम्नवत है :

स्थान	दिनांक
जबलपुर	30.9.99 और 22.9.99
रतलाम	25.5.99, 9.7.99 और 19.8.99
राजगढ़	9.7.99, 19.8.99 और 22.9.99
मंदसौर	6.8.99
धार	19.8.99
बिलासपुर	22.9.99

(ख) जबलपुर परियोजना को अनुमोदित तथा स्वीकृत कर दिया गया है। राजगढ़ एवं रतलाम के लिए परियोजनाओं को अक्तूबर, 1999 में अनुमोदित कर दिया गया था। जहां तक शेष परियोजनाओं का सवाल है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकार द्वारा चल रहे कार्यक्रम के धीमे कार्यान्वयन, स्कीम के लिए संसाधनों की समग्र उपलब्धता तथा अन्य राज्यों में जिलों को कवर करने की आवश्यकता के कारण इस चरण ने समेकित अनाज विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वार्षिक कारोबार

2497. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों सहित भारतीय कंपनियों का वार्षिक कारोबार कितना है;

(ख) इसमें फलों एवं सब्जियों का अलग-अलग हिस्सा कितना है; और

(ग) शीतागारों एवं "डीप-फ्रीजिंग स्टोरेज" को क्या प्रोहत्साहन दिए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं। प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में कार्यरत विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियों के वार्षिक कारोबार से संबंधित सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) विभाग बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी अपनी योजना स्कीम के तहत प्रशीतन पूर्व, प्रशीतन भंडार, प्रशीतित ढुलाई आदि जैसी फसलोत्तर कोल्ड चेन बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त/सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्र की कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों और सहकारिताओं को उपलब्ध है।

[हिन्दी]

कोनार सिंचाई परियोजना

2498. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कोनार सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य केन्द्रीय जल आयोग, दामोदर घाटी निगम और बिहार राज्य सरकार के बीच सहमति के अभाव में रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त विवाद के कारण परियोजना की अनुमानित लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले का समाधान करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) परियोजना के कार्य को दुबारा कब तक आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) बिहार को गिरीडीह और हजारीबाग में 93.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कोनाड सिंचाई परियोजना पर जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने मार्च, 1984 में विचार किया। यह परियोजना अन्तर्राज्यीय विवाद के कारण स्वीकार नहीं की गई; इसमें मुख्य अंतर्राज्यीय विवाद हैं—(1) बिहार द्वारा कोनाड बांध की अंश लागत को दामोदर घाटी निगम द्वारा स्वीकृत करना (2) पंचेट जलाशय पर भूमि अधिग्रहण करना। अंतर्राज्यीय बैठक 2 जून, 1988, 16 नवम्बर, 1989 तथा 5 दिसम्बर, 1997 को आयोजित की गई थी लेकिन इन मुद्दों का समाधान नहीं हो सका। इसी बीच राज्य सरकार ने पहले अगस्त, 1988 में इस परियोजना का अध्ययन अनुमान 187.76 करोड़ रुपये प्रस्तुत किया था तथा बाद में जुलाई, 1999 में

इसका अनुमान 350.55 करोड़ रुपये प्रस्तुत किया गया। बाद में प्राप्त अनुमानों संबंधी वित्तीय पहलुओं पर टिप्पणियां सितम्बर, 1999 में राज्य सरकार के अनुपालन के लिए भेजी गई, इनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

मलमाथा जल परियोजना

2499. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में पुरानी मलमाथा जल परियोजना को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना का कब तक विस्तार किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्टेशनरी सामग्रियों के मूल्य

2500. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार और एन.सी.सी.एफ. में गंभीर किस्म की अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं और सी.बी. आई./सी.वी.सी. इन अनियमितताओं की जाँच कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि तीनों संस्थाओं की दर तकरीबन समान हो और वे सरकारी विभागों को उचित दरों पर उत्तम किस्म के ब्रांड वाले उत्पाद ही बेचें, सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) केन्द्रीय भंडार और सुपर बाजार ने यह सूचित किया है कि किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितता उनके ध्यान में नहीं आई है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता-संघ के मामले में कुछ अनियमितताएं ध्यान में आई थीं और उनके संबंध में जहां कहीं आवश्यक था, केन्द्रीय सतर्कता-आयोग के परामर्श से अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

(ख) यह सुनिश्चित करने के पयोजन से केन्द्रीय भंडार से लेखन-सामग्री की आपूर्ति में विभिन्न उपभोक्ता मंत्रालयों/विभागों/अन्य कार्यालयों को अपने द्वारा प्रदान की गई उपभोक्ता-संतुष्टि के स्तर का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया है कि वह बढ़िया उत्पाद प्रतियोगी कीमतों पर बेचें। वस्तुओं की गुणवत्ता और उनकी कीमत पर नियंत्रण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से केन्द्रीय भंडार से एक निगरानी (मॉनीटरिंग) समिति गठित करने पर विचार करने को भी कहा गया है। उपभोक्ता-कार्यविभाग से भी, सुपर बाजार तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता-संघ के संबंध में इसी तरह के कदम उठाने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

कम्प्यूटरों की कीमत

2501. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 नवम्बर, 1999 के इंडियन एक्सप्रेस में "पी.सी. प्राइसेस वर फालिंग नाट ऐनी मोर : ब्लेम द ताइवान क्वेक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भंडार में कम्प्यूटरों की खरीद तथा बिक्री मूल्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार ने कम्प्यूटरों की कीमतों में कमी की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हाँ।

(ख) उस समाचार में यह उल्लेख किया गया है कि पहले कम्प्यूटर की कीमतें गिर रही थीं लेकिन ताईवान भूकम्प के बाद इस रूझान का पलट जाना संभाव्य है।

(ग) विन्यास-ढ़ाँचे के नानाविधि होने और प्रत्येक विन्यास-ढ़ाँचे के उपसाधनों/कलपुर्जों-घटकों की कीमतें अलग-अलग होने के कारण विभिन्न प्रकार के कम्प्यूटरों की तुलनात्मक कीमतें बता पाना संभव नहीं है।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी-उद्योग-जगत में लगातार नये मॉडलों का चलन आरम्भ किया जाता रहता है। इसी दौरान, पुराने मॉडलों की कीमतें गिरती रहती हैं और आखिरकार पहले आये, पहले गये (फीफो) के सिद्धांत के आधार पर इनका चलन खत्म कर दिया जाता है। इस बारे में केन्द्रीय भण्डार कोई अपवाद नहीं है और यहाँ भी कम्प्यूटरों के पुराने मॉडलों की कीमतें लगातार गिर रही हैं, जिनकी जगह नये मॉडल आते जा रहे हैं। फिर भी, हाल ही में, मेमरी चिप सी. डी. आर. ओ. एम., डाइव आदि जैसे उपसाधनों-कलपुर्जों की कीमतें बढ़ गई हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति को रद्द करना

2502. **श्री ए० वेंकटेश नायक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने कर्नाटक में महा-लेखाकार कार्यालय में चयनित 19 लोगों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारी चयन आयोग इन लोगों को कुछ और कार्यालयों में नियुक्त करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) चूंकि, कर्मचारी-चयन-आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड परीक्षा, 1996 के आधार पर, अवर श्रेणी-लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए महालेखाकार, कर्नाटक के कार्यालय को आबंटित 19 उम्मीदवारों की नियुक्ति में अत्यधिक विलम्ब हो गया था, अत: उनके नामांकन पत्र वापस ले लिए गए थे और उन्हें कर्नाटक में स्थित केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में पुन: नामित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत निर्गत धनराशि

2503. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि निर्गत की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में उपरोक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए समीक्षा की है; और

(घ) क्या इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हो रही हैं और क्या इससे बेरोजगार और शिक्षित बेरोजगार लाभान्वित नहीं हो रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान रु० 1,32,55,380 तथा 1999-2000 के दौरान (08.12.99 तक) रु० 1,02,88,200 जारी किए हैं।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से वर्ष 1998-99, 1999-2000 के लिए जारी की गई राशियों के लिए "उपयोगिता प्रमाण पत्र" प्रतीक्षित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में वर्ष 1993-94 से 1998-99 तक 1,03,426 शिक्षित बेरोजगार युवाओं की सहायता की गई है। वर्ष 1998-99 के लिए संवितरण 31.12.99 तक जारी रहेगा। योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी अनियमितता की सूचना सरकार की जानकारी में नहीं है।

[अनुवाद]

शिक्षित बेरोजगार युवक

2504. **श्री टी० गोविन्दन :**
श्री ए० ब्रह्मनैया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार युवकों का पंजीकरण किया गया; और

(ख) सरकार ने देश में बेरोजगारी को कम करने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) सितम्बर 1994, 1995 एवं 1996 (नवीनतम उपलब्ध) के अंत में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित (10वीं पास एवं अधिक) रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की कुल संख्या क्रमश: 239.8, 248.0 तथा 252.7 लाख थी।

(ख) नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार सृजन करना है। नौवीं योजना में उच्च बेरोजगारी एवं श्रमिकों के उत्तरोत्तर नैमित्तिकरण को देखते हुए एक राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना आरम्भ की गई । हो रहे रोजगार सृजन का अवलोकन करने तथा 10 वर्ष की अवधि में कम से कम 100 मिलियन प्रतिवर्ष (प्रत्येक वर्ष में 10 मिलियन) रोजगार के अवसरों के सृजन के उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग के सदस्य डा० मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक श्रम बल का गठन किया गया है।

पशुओं की संकर नस्ल

2505. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अंतिम रूप से तैयार किए गए प्रजनन कार्यक्रम के फलस्वरूप संकर नस्ल के मवेशियों की संख्या में अच्छी वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मवेशी संसाधन विकास प्रतिष्ठान ने इस पर कड़ी आपत्ति प्रकट की है और स्वदेशी नस्लों के विकास का पक्ष लिया है; और

(ग) स्वदेशी नस्लों के प्रजनन के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा संकर नस्लों के प्रजनन हेतु बनाए गए कार्यक्रम का औचित्य क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। दूध की बढ़ती मांग की पूर्ति के उद्देश्य से वयस्क वर्ण-संकर गायों की संख्या 1992 की 6.5 मिलियन से बढ़ाकर लगभग 10.00 मिलियन करने का विचार है।

(ख) यह विभाग भारतीय गोपशु संसाधन विकास फाउंडेशन के विचारों से सहमत नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम में देशी नस्लों पर भी साथ-साथ ध्यान देने की बात शामिल है।

(ग) केन्द्रीय यूथ पंजीयन योजना गिर, कंकरेज, हरियाणा एवं थारपारकर नस्लों के विशिष्ट पशुओं की पहचान करने में लगी हुई है। चिपलिमा एवं सूरतगढ़ में केवल थारपारकार और लाल सिंधी देशी नस्लों के रख-रखाव के लिए दो केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म हैं।

नौवीं योजना में प्रस्तावित "राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना" में देशी नस्लों के प्रजनन क्षेत्रों के लिए कार्य करने की व्यवस्था है तथा इस उद्देश्य से इसमें, राज्य सरकारों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, गैर-सरकारी संस्थाओं, गोशालाओं इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। यह योजना दूध की बढ़ती मांग, भारवाही शक्ति की आवश्यकता तथा देशी नस्लों के संरक्षण के मध्य संतुलत बनाए रखने का प्रयास करती है। इस योजना को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति की औपचारिक स्वीकृति अभी मिलनी है।

इस्पात का उत्पादन

2506. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99 और वित्त वर्ष 1999-2000 की पहली छमाही के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में कितने इस्पात का उत्पादन हुआ;

(ख) इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(ग) क्या लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) 1997-98, 1998-99 तथा वित्तीय वर्ष 1999-2000 की प्रथम छमाही के दौरान विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुआ विक्रेय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है:-

(हजार टन)

	1997-98	1998-99	1999-2000 (अप्रैल-सितम्बर)
विक्रेय इस्पात	2250	1933	1078

(ख) और (ग) विक्रेय इस्पात के उत्पादन के लिए कम्पनी और इस्पात मंत्रालय के बीच हुए 1999-2000 के दौरान समझौता ज्ञापन के अनुसार कम्पनी के लिए निर्धारित लक्ष्य 23,05,000 टन है। कम्पनी द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सम्भावना है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

2507. **श्री रामदास आठवले :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए एक संहिता बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों और निजी नियोक्ताओं द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने हेतु क्या अनुदेश जारी किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13.08.1997 के अपने निर्णय में कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए थे। सरकार ने इन दिशा-निर्देशों को प्रभावी रूप देने के लिए अनेक पहल की हैं। इनमें, उपर्युक्त अनुसार कार्रवाई के लिए भारत सरकार के सभी सचिवों, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशकों को दिशा-निर्देशों का परिचालन शामिल है। इनमें से अधिकांश प्राधिकरणों ने अब तक सूचित किया है कि निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

सरकार ने सरकारी कार्यालयों में दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू सेवा नियमों में संशोधन किया है। औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 में भी संशोधन किए गए हैं ताकि निजी क्षेत्र में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को एक अपराध माना जा सके जिसके लिए एक कामगार को अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उत्तरदायी ठहराया जाए।

साइबर कानून पर विधेयक

2508. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में इलेक्ट्रॉनिक कामर्स को तेज करने के लिए साइबर कानून पर एक विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक कामर्स को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) जी, हां। विधेयक की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अन्यथा सहमति न होने पर, संविदा की अभिस्वीकृति को संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है और सूचना के वैधानिक प्रभाव, वैधता, प्रवर्तन का मात्र इस आधार पर प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में है।

- विधेयक में सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में सुरक्षित अंकीय हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रयोग का प्रावधान है। कम्प्यूटर डेटा नेटवर्क के अनधिकृत प्रयोग, कम्प्यूटर स्रोत दस्तावेज आदि के साथ छेड़छाड़ जैसे कम्प्यूटर अपराधों को भी विधेयक में परिभाषित किया गया है।

- विधेयक में विद्यमान अधिनियमों जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872; भारतीय दंड संहिता, 1860; भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2509. श्री अशोक प्रधान: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों और प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को संघ सरकार द्वारा जारी निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	जारी निधियां (लाख रुपये में)
1996-97	2022.60
1997-98	3057.83
1998-99	3959.24

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के अर्न्तगत फील्ड चैनल, फील्ड जल निकास तथा बाराबंदी गतिविधियों के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(क्षेत्र 000 हेक्टेयर)

वर्ष	फील्ड चैनल		फील्ड ड्रेन्स		बाराबंदी	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1996-97	121.00	126.00	65.42	53.77	225.00	205.79
1997-98	99.63	112.82	58.45	45.64	155.00	170.26
1998-99	102.13	114.27	67.45	61.37	158.50	152.23

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास

2510. श्री नवल किशोर राय :
श्री जे०एस० वराड़ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास और विस्तार की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ फल इतने बहुतायत में होते हैं कि उनका उत्पादन उनकी क्षेत्रीय मांग से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो उन फलों के नाम सहित उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां इनका उत्पादन उनकी क्षेत्रीय मांग से अधिक होता है;

(घ) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) सरकार ने देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

1. अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों हेतु 51% तक विदेशी इक्विटी के लिए स्वत: मंजूरी उपलब्ध है।

2. बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया है।

3. अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों को उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के तहत लाइसेंसिंग की सीमा से बाहर रखा गया है।

4. खाद्य प्रसंस्करण मदों के लिए उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क को युक्तिसंगत किया गया है।

5. राज्य सरकार की नोडल एजेन्सियों के साथ निकट संपर्क कायम रखा जाता है।

(ख) और (ग) अलग-अलग प्रदेशों में विभिन्न फलों के उत्पादन और खपत का पता लगाने हेतु कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) से (च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के तहत, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, मानव संसाधन विकास संगठनों और अनुसंधान और विकास संस्थानों आदि को आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष/विभाग किसी राज्य में स्वयं किसी यूनिट की स्थापना नहीं करता।

कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्योग

2511. **श्री अजय सिंह चौटाला : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए कौन-कौन सी योजनाएं और इसके सतत् विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई है/दी जाएगी; और

(ग) गत वर्ष हरियाणा में कितने उद्योग लगाए गए और वर्ष 1999-2000 के दौरान कितने उद्योग लगाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने कृषि आधारित तथा अन्य ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु उपांत राशि (मार्जिन मनी) योजना प्रारम्भ की है। योजना के अनुसार 10.00 लाख रु० तक की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा 10.00 लाख रु० से अधिक परन्तु 25.00 लाख रु० तक की परियोजना लागत के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत उपांत राशि (मार्जिन मनी) के रूप में दी जा रही है।

उपांत राशि योजना (मार्जिन मनी स्कीम) के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों के स्थिर विकास के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(1) इसने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी शामिल किया है।

(2) व्यवहार्य ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए 27 सार्वजनिक क्षेत्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उपांत राशि (मार्जिन मनी) अग्रिम में दिया जा चुका है।

(3) राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को भी इस योजना के कार्यान्वयन के लिए संबद्ध किया गया है तथा उन्हें 25.00 लाख रु० तक की परियोजनाओं को संस्वीकृत प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(4) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने इस योजना के बारे में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार किया है।

(5) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण उद्यमियों के लाभ पहुँचाने हेतु योजना का विस्तृत ब्यौरा क्षेत्रीय भाषाओं में छपवा कर वितरित किया है।

(6) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने खादी ग्रामोद्योग बोर्डों तथा राज्य उद्योग निदेशालयों को संवर्धन सहायता उपलब्ध कराई है।

(7) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए जिला, राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

(8) खादी ग्रामोद्योग बैंकों के माध्यम से लगातार योजना के बारे में पुनरीक्षण एवं मॉनीटर करता रहता है।

(ख) उपांत राशि योजना (मार्जिन मनी स्कीम) के अधीन प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश को कुल आवंटित की गई तथा वर्ष 1999-2000 (30 नवंबर, 1999 तक) की अवधि में रिलीज की गई राशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) 1998-99 के दौरान हरियाणा राज्य में 229 इकाइयां स्थापित की गई तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान 462 नई व्यवहार्य औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

विवरण

1999-2000 की अवधि में उपांत राशि योजना के लिए प्रदान की जाने वाली राशि तथा 30 नवम्बर, 1999 तक वितरित की गई राशि का विवरण

क्रम सं०	राज्य	1999-2000 की अवधि में प्रदान की जाने वाली राशि	30 नवम्बर, 1999 तक प्रदान की गई राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	467.18	1.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.50
3.	असम	0	0.27

1	2	3	4
4.	बिहार	0	0
5.	चण्डीगढ़	0	0
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	580.32	0
8.	हरियाणा	246.60	172.36
9.	हिमाचल प्रदेश	86.19	0
10.	जम्मू एवं कश्मीर	227.83	20.62
11.	कर्नाटक	0	744.33
12.	केरल	870.29	0
13.	मध्य प्रदेश	714.00	23.32
14.	महाराष्ट्र	658.06	152.57
15.	मणिपुर	573.53	0
16.	मेघालय	0	5.00
17.	मिजोरम	308.80	90.50
18.	नागालैण्ड	229.65	0
19.	उड़ीसा	2413.92	159.12
20.	पंजाब	0	75.56
21.	राजस्थान	484.76	200.00
22.	सिक्किम	0	0
23.	तमिलनाडु	0	0.55
24.	त्रिपुरा	32.69	0.50
25.	उत्तर प्रदेश	798.83	350.67
26.	पश्चिम बंगाल	138.97	0
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	19.38	4.36
28.	दिल्ली	223.98	38.23
29.	पाण्डिचेरी	421.36	0.50
30.	लक्षद्वीप	0	0
	कुल	9496.34	2040.71

[अनुवाद]

प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण

2512. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को वितरित किए गए प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीजों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2000 तक किसानों को प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान किसानों को वितरित प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान, किसानों को वितरित किए जाने वाले प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों के वितरण का लक्ष्य 91 लाख क्विंटल है।

(घ) लागू नहीं होता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को वितरित प्रमाणित/ बीजों का वर्षवार तथा राज्यवार विवरण

(मात्रा लाख क्विंटल में)

क्रम सं.	राज्य	वितरित प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की मात्रा		
		1996-97	1997-98	198-99 (प्रत्याशित)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.27	11.34	12.45
2.	असम	0.48	0.42	0.42
3.	बिहार	1.26	3.18	2.90
4.	गुजरात	2.98	3.16	3.41
5.	हरियाणा	3.93	3.17	4.23
6.	हिमाचल प्रदेश	3.08	2.91	3.06
7.	जम्मू और कश्मीर	0.46	0.62	0.41
8.	कर्नाटक	5.18	5.21	4.83
9.	केरल	0.38	0.43	0.33
10.	मध्य प्रदेश	5.16	5.42	5.93
11.	महाराष्ट्र	8.12	8.42	11.40
12.	उड़ीसा	2.20	2.89	3.41
13.	पंजाब	2.28	2.29	3.26

1	2	3	4	5
14.	राजस्थान	4.03	4.23	4.52
15.	तमिलनाडु	4.30	4.18	4.46
16.	उत्तर प्रदेश	12.37	13.16	12.07
17.	पश्चिम बंगाल	5.91	6.66	6.79
18.	अन्य	0.88	1.10	1.09
	कुल	73.27	78.79	84.97

बाल श्रम का उन्मूलन

2513. **श्री पी० डी० एलानगोवन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए स्थापित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एन०सी०एल०पी०) के अंतर्गत राज्यवार निष्पादन कैसा रहा;

(ख) तमिलनाडु में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की स्थिति क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में कितनी स्वयंसेवी एजेंसियों को इस योजना के तहत सहायता अनुदान मिला है?

श्रम मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल) : (क) और (ख) बाल श्रमिकों को कार्यमुक्त कराने तथा पुनर्वास हेतु स्थापित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की राज्यवार (तमिलनाडु सहित) संख्या निम्नवत् है:-

क्रम सं०	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत विद्यालय	बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंन्ध्र प्रदेश	22	915	58050
2.	बिहार	08	194	12200
3.	कर्नाटक	03	110	5500
4.	महाराष्ट्र	02	114	5700
5.	मध्य प्रदेश	06	137	9500
6.	उड़ीसा	16	450	32250
7.	राजस्थान	04	120	6000
8.	तमिलनाडु	09	425	21900
9.	उत्तर प्रदेश	08	230	16500
10.	पश्चिम बंगाल	07	279	14000

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कामकाज का अनुवीक्षण केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तर पर किए गए निरीक्षणों तथा परियोजना कार्यकलापों की अवधिक रिपोर्टों के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन हेतु एक अनुवीक्षण समिति का भी गठन किया गया है।

(ग) मंत्रालय की आर्थिक सहायता अनुदान योजना के तहत तमिलनाडु की दो स्वयंसेवी एजेंसियों को धन उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस्पात में छूट प्रणाली

2514. **श्री सुनील खां** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात की बिक्री पर छूट प्रणाली लागू की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान कितनी छूट दी गई है; और

(ग) छूट प्रणाली से इस्पात की बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हुई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (ग) जनवरी, 1992 में इस्पात का नियन्त्रण समाप्त किए जाने के पश्चात् इस्पात के मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रमुख उत्पादकों द्वारा उत्पादित इस्पात के मूल्य निर्धारण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। गौण उत्पादक 1992 से पहले भी अपने मूल्य स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र थे।

तथापि, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 1978 से सेल और टिस्को से माल उठाने के लिए प्रत्येक राज्य के लघु उद्योग निगमों के जरिए इस प्रकार की इकाइयों को छूट दे रही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान दी गई छूट की कुल राशि नीचे दी गई है:-

वर्ष	लाख रुपये
1996-97	1816.21
1997-98	3296.38
1998-99	1949.26

इस प्रकार की छूट से इस्पात का उपयोग करने वाली लघु इकाइयों को सहायता मिली है।

अमरीका द्वारा काली-सूची में शामिल किए गए भारतीय संगठन

2515. **श्री एस०डी०एन०आर० चाडिचार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा कुछ भारतीय संगठनों को काली-सूची में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) मई 1998 में नाभिकीय परीक्षणों के पश्चात्, अमरीका ने अपनी राष्ट्रीय विधि के तहत भारत पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाए। इसके अतिरिक्त अमरीका ने 13 नवम्बर, 1998 को भारतीय सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और निजी कम्पनियों की एक सूची प्रकाशित की—तथाकथित निकाय सूची—जिन पर अधिक कठोर निर्यात नियंत्रण लगाए जाने थे।

(ग) सरकार ने अमरीका को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है कि इस प्रकार के उपाय अनौचित्यपूर्ण हैं और भारत अमरीका संबंधों के विकास की दिशा में अहितकर हैं।

(घ) अमरीकी कांग्रेस ने एक ऐसा संकल्प पारित किया है, जो अक्तूबर, 1999 में अधिनियमित, अमरीकी रक्षा विनियोग अधिनियम 2000 में समाविष्ट है, जिसमें यह बात कही है कि नियंत्रण बहुत अधिक व्यापक रूप से लगाए हैं और यह कि नियंत्रण सूची में संशोधन और इसको सीमित करना अपेक्षित है।

कृत्रिम फ्लेवर और रंग

2516. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से उन लघु उद्योगों द्वारा जिनके पास शोध और विकास की आधुनिक ढांचागत सुविधाएं नहीं हैं, में मिलाए जाने वाले कृत्रिम फ्लेवरों और रंगों के प्रयोग जिन्हें इस समय न केवल शीतल पेय पदार्थों बल्कि मिष्ठानों में भी मिलाया जा रहा है, में खाद्य उत्पाद आदेशों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा ऐसे कृत्रिम फ्लेवरों और रंगों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां।

(ख) किसी भी खाद्य को तैयार करने के लिए कृत्रिम रंग का इस्तेमाल या बिक्री तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि वह विशिष्ट रंग हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनरूप न हो। इसी प्रकार, कृत्रिम खुशबू के इस्तेमाल को भी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है। भारतीय दंड संहिता, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और फल उत्पाद आदेश के प्रावधानों के तहत अधिनियम और आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई जिसमें दंडात्मक कार्रवाई शामिल है, की जा सकती है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और फल उत्पाद आदेश को राज्यों और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षकों और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा लागू कराया जाता है।

(ग) खाद्य व्यंजनों में कृत्रिम खुशबू और रंगों के इस्तेमाल को स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर उसके संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सतत् आधार पर कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है।

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग

2517. **श्री कृष्णमराजू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग को, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत की समीक्षा करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषकर आंध्र प्रदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने अनुमानों में संशोधन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां। योजना आयोग को इस संबंध में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारें से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने राज्य के राजकोष से वित्त पोषित, खाद्य सब्सिडी स्कीम के मूल्यह्रास प्रभाव के संघात का विलोपन करने के उपरांत गरीबी के अनुमान के लिए अभ्यावेदन किया था । आंध्र प्रदेश सरकार ने भी बाद में गरीबी अनुमान की पूर्व कार्यप्रणाली, जो कार्यदल प्रणाली के रूप में जानी जाती है, में संशोधन के लिए अभ्यावेदन किया था। उड़ीसा सरकार ने राज्य में गरीबी अनुमान के लिए राष्ट्रीय स्तर की गरीबी रेखा को अपनाने के लिए अभ्यावेदन किया है।

तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में योजना आयोग ने निर्णय लिया कि गरीबों के अनुपात और संख्या के अनुपात संबंधी विशेषज्ञ दल (लकड़ावाला समिति) की रिपोर्ट में निहित कार्यप्रणाली के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाया जाए। अभ्यावेदन पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत, इसने निर्णय लिया है कि गरीबी अनुमान के लिए सरकारी कार्य प्रणाली में परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है।

[हिन्दी]

आमों का उत्पादन

2518. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आमों का उत्पादन बढ़ाने और विकास करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन०एच०बी०) द्वारा कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य सरकार को कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में आमों के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(घ) क्या बढ़ा हुआ उत्पादन निर्यात हेतु पर्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार आमों का निर्यात बढ़ाने के लिए आम बोर्ड के गठन पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जहां तक आम के उत्पादन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता का प्रश्न है, केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम नामत: उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण ओर शुष्क क्षेत्रीय फल के अधीन इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आम सहित बागवानी फसलों के लिए कटाई पश्चात् प्रबंध अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देती है। पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों के लिए 'उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और शुष्क क्षेत्रीय फल' नामक स्कीम के अधीन दी गई सहायता इस प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

वर्ष	महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों को दी गई सहायता	महाराष्ट्र सरकार को दी गई सहायता
1996-97	1527,00	124,20
1997-98	1672,00	100,00
1998-99	1984,00	214,00

(ग) वित्तीय वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान आम के राज्यवार उत्पादन की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। आम का निर्यात उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है। यह कुल उत्पादन का 4 प्रतिशत है।

(ङ) आम बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आम का उत्पादन

उत्पादन (मी. टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आंन्ध्र प्रदेश	3256320	3314340	1865636
2.	अरुणाचल प्रदेश	112	112	112
3.	असम	7811	8005	17173
4.	बिहार	910410	1838844	1858069
5.	गोवा	12000	3990	12000
6.	गुजरात	288928	288928	382539
7.	हरियाणा	24780	28100	29188
8.	हिमाचल प्रदेश	19144	4024	4024
9.	जम्मू व कश्मीर	10066	14028	13068
10.	कर्नाटक	1106683	1176460	1176460
11.	केरल	266346	266345	249679
12.	मध्य प्रदेश	154000	162000	153000
13.	महाराष्ट्र	196488	196488	197000
14.	मणिपुर	613	613	990
15.	मिजोरम	2555	2611	2994
16.	नागालैण्ड	1416	1982	534
17.	उड़ीसा	409435	417420	490681
18.	पंजाब	96674	96674	100506
19.	राजस्थान	45856	41544	41544
20.	तमिलनाडु	413900	135905	559260
21.	त्रिपुरा	44444	44444	44444
22.	उत्तर प्रदेश (पहाड़ी)	71139	71630	66834
23.	उत्तर प्रदेश (मैदानी)	2418714	1659499	1775052

1	2	3	4	5
24.	पश्चिम बंगाल	211660	502272	339370
25.	अंडमान निकोबार	3611	3611	3611
26.	चण्डीगढ़	1310	1250	1250
27.	दमन और द्वीव	1115	1115	1115
28.	पांडिचेरी	5720	5720	5720
	कुल	9981250	10287954	9391853

[अनुवाद]

नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेन्टर

2519. श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेन्टर को सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनी बनाने का विचार कर रही है;

(ख) एन. आई. सी. की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किन क्षेत्रों को चुना गया है;

(ग) देश में नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेन्टर के कितने कार्यालय चल रहे हैं और साथ ही प्रत्येक सेन्टर में राज्यवार कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर तमिलनाडु में नये राष्ट्रीय सूचना केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके लिए किन क्षेत्रों को चुना गया?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघशासित क्षेत्रों, जिला प्रशासन एवं अन्य सरकारी कार्यालयों को कम्प्यूटर आधारित सहायता उपलब्ध कराता है। इसने 6000 से अधिक प्रबंध सूचना प्रणाली/डेटाबेस का विकास किया है, तथा इन्हें कार्यान्वित किया है। इनमें 7,000 से ज्यादा सॉफ्टवेयर पैकेजों का विकास शामिल है। इलेक्ट्रानिक वाणिज्य, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ऑन लाइन अनुप्रयोग, वेब सेवाएँ, इंटरनेट तथा ई-मेल सेवाएँ और कम्प्यूटर साधित डिजाइन के नए क्षेत्र कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) एनआईसी कार्यालयों तथा प्रत्येक कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) एनआईसी का चेन्नई स्थित राज्य स्तरीय केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है।

विवरण

एनआईसी के राज्य स्तरीय केन्द्रों की सूची

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कर्मचारियों की कुल संख्या
1	2
अंडमान एवं निकोबार	13
आंध्र प्रदेश	164
अरूणाचल प्रदेश	22
असम	57
बिहार	104
चण्डीगढ़ संघशासित क्षेत्र	13
दादर एवं नागर हवेली	1
दमन	3
एनआईसी मुख्यालय (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित)	1380
गोवा	33
गुजरात	71
हरियाणा	70
हिमाचल प्रदेश	54
जम्मू कश्मीर	55
कर्नाटक	121
केरल	74
लक्षद्वीप	13
मध्य प्रदेश	139
महाराष्ट्र (केन्द्र सरकार की परियोजनाओं सहित)	279
मणिपुर	25
मेघालय	27
मिजोरम	11
नागालैंड	20
उड़ीसा	110
पांडिचेरी	19
पंजाब	63
राजस्थान	101

1	2
सिक्किम	20
तमिलनाडु	131
त्रिपुरा	15
उत्तर प्रदेश	183
पश्चिम बंगाल	102
कर्मचारियों की कुल संख्या	3493

सरस्वती नदी का पुन: अस्तित्व में आना

2520. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री पी. एस. गढ़वी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1999 के "राष्ट्रीय सहारा" में "सरस्वती नदी के पुन: अस्तित्व में आने की संभावना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले की सच्चाई क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) जी, हाँ। सरकार ने समाचार पत्रों में "सरस्वती नदी के पुन: अस्तित्व में आने की संभावना" नामक समाचार देखा है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने राज्य भू-जल बोर्ड, राजस्थान तथा अन्य संगठनों के साथ मिलकर सरस्वती नदी की प्राचीन धारा के अस्तित्व की पुष्टि के लिए अध्ययन किए हैं।

राजस्थान के लिए पैकेज

2521. **श्री कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान लगातार तीसरे वर्ष भंयकर सूखे/अकाल की स्थिति से गुजर रहा है;

(ख) क्या पश्चिम राजस्थान (थार रेगिस्तान) के 55 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं;

(ग) क्या लोग अपने जीवन-यापन की खोज के लिए पड़ौसी राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनकी फसल और मवेशी चारे तथा पेयजल की सख्त कमी के कारण बर्बाद हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या थार रेगिस्तान के लोगों की समस्या को कम करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) पश्चिमी राजस्थान में 25 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

(ग) राज्य के 26 जिले, वर्षा न होने की वजह से सूखे की स्थिति से ग्रस्त हैं जिससे फसल को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार, चारे एवं पेयजल की घोर कमी है। चारे व पेयज़ल के उपलब्ध न होने के कारण विशेषकर पश्चिमी जिलों की स्थिति और भी गम्भीर है। इन क्षेत्रों के लोग कठिन समय में सामान्यत: रोजगार की खोज में पलायन कर जाते हैं परन्तु इस वर्ष पलायन अधिक बड़े पैमाने पर हुआ है।

(घ) राज्य सरकार ने विनाश को कम करने के लिए 1311 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।

भारतीय विदेश नीति

2522. **श्री आर०एल० भाटिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका भारत की विदेश नीति की कार्यनितिक चिन्ता समझ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमेरिका के नीति निर्माताओं की समझ भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों के अनुरूप है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा और अप्रसार से सम्बन्धित मसलों पर वार्ता जारी हैं। 16 और 17 नवम्बर, 1999 को लंदन में अन्तिम वार्ता संपन्न हुई थी। वार्ता अभी जारी है। हमारा मानना है कि अमरीकी प्राधिकारियों में भारत के सुरक्षा हितों के प्रति एक बेहतर समझ बूझ और सहमति उत्पन्न करने में कुछ प्रगति हुई है। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि इस संवाद का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक व्यापक और प्रगतिशील आधार बनाना है।

(ग) सरकार ने अमरीका के साथ संबंधों को गहन और विस्तृत करने, अपने-अपने दृष्टिकोणों की समझ संबर्धित करने और परस्पर लाभदायक संबंधों को बढ़ाने संबंधी अपनी मंशा व्यक्त की है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित औद्योगिक इकाइयाँ

2523. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित/प्रशासित औद्योगिक इकाइयां कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और आज तक इन उद्योगों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत कार्य कर रहे उन खादी और ग्राम उद्योग/संस्थानों की संख्या कितनी है जिन्हें उक्त अवधि के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता प्रदान की गई थी?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) 31.3.1999 के अनुसार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से सीधे पंजीकृत 61 संस्थान, राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, उड़ीसा से पंजीकृत 3 सहकारी समितियां तथा 408 वैयक्तिक, राज्य में कार्य कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	उत्पादन (रु० लाख में)	रोजगार (लाख में)
1996-97	7206.19	2.05
1997-98	7604.47	2.10
1998-99	6051.70	1.98

(ग) उड़ीसा में खादी ग्रामोद्योग आयोग से सीधे पंजीकृत सभी 61 संस्थानों को खादी ग्रामोद्योग द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

कृषि अनुसंधान पर व्यय

2524. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि अनुसंधान पर कुल व्यय अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) यदि हाँ, (1) दक्षेस देशों (2) पश्चिमी देशों की तुलना में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत कृषि अनुसंधान पर व्यय किया जा रहा है;

(ग) कृषि अनुसंधान कार्य में कृषि विज्ञान केन्द्र कितने सहायक सिद्ध हो रहे हैं; और

(घ) कृषि अनुसंधान के लिए निधियों के आबंटन में वृद्धि हेतु केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कृषि अनुसंधान पर भारत का खर्चा अन्य विकासशील देशों के तुलनीय है।

(ख) आठवीं योजना के अंत तक कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर भारत का खर्च, कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 0.66% था। विकसित पश्चिमी देशों के तदनुरूपी आंकड़े लगभग 2.4% हैं। कृषि अनुसंधान पर ''सार्क'' देशों द्वारा किया जा रहा खर्च कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 0.55% है।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों को, कार्य करते हुए प्रशिक्षण देने के सिद्धान्त पर किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है और वे अनुसंधान कार्य नहीं करते हैं।

(घ) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, योजना आयोग से नौवीं पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजना से संबंधित योजना निधि का आबंटन बढ़वाने के ठोस प्रयास कर रही है ताकि कुछ नई पहलों के साथ-साथ पहले चल रही संस्थाओं/योजनाओं/परियोजनाओं की धन संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके जिससे कि कृषि अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार के क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के प्रचलित क्षेत्रों के काम को पूरा किया जा सके।

फिर भी, उपलब्ध सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजना ओयोग स्पर्धी आधार पर धन का आबंटन कर रहा है। इसके बावजूद कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नौवीं योजना के 1600 करोड़ रुपये के मूल आबंटन को बढ़वाकर 2100 करोड़ रुपये करवाने में सफल रहा है और इसके साथ ही 400 करोड़ रुपये की एक बार की कैचअप ग्राण्ट, उपस्करों को बदलने के साथ-साथ संस्थानों/योजनाओं के मौजूदा बुनियादी ढांचे एवं भवनों के पुन: नवीनीकरण का काम करने के लिए मिली है। नौवीं योजना के आबंटन में आगे और वृद्धि करवाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अभी भी प्रयास जारी हैं जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक योजना आबंटन में भी बढ़ोत्तरी हो सकेगी।

[हिन्दी]

सिंचाई योजना

2525. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ड्रिप सिंचाई योजना के तहत मध्य प्रदेश को 'ग' श्रेणी में रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के किसानों को इस वर्गीकरण के परिणाम-स्वरूप फव्वारा प्रणाली की खरीद पर महाराष्ट्र की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है;

(च) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को बी श्रेणी में रखने के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध मे गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) जी, हाँ। चूँकि जानकारी के स्तर, राज्य की

कारखाने से निकटता, परिवहन के प्रयोजनार्थ शामिल दूरी, राज्य में टपका (ड्रिप) सिंचाई की संभावना तथा लगाए जाने वाले करों की वजह से विभिन्न घटकों की कीमतों में अन्तर होने के कारण टपका ड्रिप विनिर्माता पूरे देश में एक समान दरों पर ड्रिप प्रणाली उपलब्ध करा पाने में असमर्थ थे, अत: देश के राज्यों को 'क' 'ख' तथा 'ग' श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कृषि में प्लास्टिक के उपयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सरकार द्वारा शुरू किए जाने के समय मध्य प्रदेश में ड्रिप सिंचाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी बहुत कम होने के कारण उक्त राज्य को 'ग' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था। इस स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार 'ग' श्रेणी के सभी राज्यों में प्रणाली लागत में 'क' श्रेणी के राज्य अर्थात् महाराष्ट्र की तुलना में, 25% की वृद्धि की जा सकती है।

(ङ) से (छ) मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश को 'ख' श्रेणी के अंतर्गत रखने के लिए जनवरी 1997 में एक प्रस्ताव भेजा था। राज्यों के पुन: श्रेणीकरण का प्रस्ताव ड्रिप सिंचाई प्रणाली की मूल्य संरचना के समीक्षार्थ गठित एक समिति के विचाराधीन था। इस समिति की रिपोर्ट सरकार को जुलाई 1999 में प्राप्त हुई और इसकी संस्तुतियां नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों में पहले ही शामिल कर ली गई है। इस कार्यक्रम तथा संशोधित श्रेणीकरण के संबंध में सरकार द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम

2526. **श्री बाजू बन रियान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावलों के लिए एकीकृत खाद्यान्न विकास कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत क्या प्रगति हुई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भी उक्त कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) जी, हां। चावल आधारित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों में "समेकित अनाज विकास कार्यक्रम" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 1994-95 से चलाई जा रही है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य मुख्य चावल उत्पादक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चावल का उत्पादन बढ़ाना है।

(ख) पिछले 3 वर्षों में चावल के उत्पादन का राज्यवार अनुमान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समेकित अनाज विकास कार्यक्रम चावल के लिए अब तक निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपये)

वर्ष	निर्मुक्त धनराशि भारत सरकार का हिस्सा
1996-97	3411.96
1997-98	4141.00
1998-99	3595.30
1999-2000	2554.11

विवरण

(हजार मीटरी टन)

राज्य का नाम	अनुमानित चावल उत्पादन		
	1996-97	1997-98	1998-99 (अग्रिम)
आन्ध्र प्रदेश	10686.0	8510.0	11434
असम	3328.2	3382.9	3269
बिहार	7280.7	6774.9	6461
गुजरात	946.0	1042.3	1016
हरियाणा	2463.0	2545.0	2425
हिमाचल प्रदेश	108.6	120.4	119
जम्मू और कश्मीर	431.4	549.3	549
कर्नाटक	3211.6	3334.3	3144
केरल	831.6	661.0	852
मध्य प्रदेश	5939.1	4488.0	5374
महाराष्ट्र	2614.4	2394.6	2459
उड़ीसा	4438.4	6204.6	5345
पंजाब	7334.0	7897.0	7940
राजस्थान	174.2	190.2	205
तमिलनाडु	5805.3	7052.0	7118
उत्तर प्रदेश	11770.7	12165.4	11620
पश्चिम बंगाल	12636.8	13236.5	13656
अन्य	1736.7	1751.3	1753
कुल	81736.7	82299.7	84739

अल्पसंख्यकों के लिए पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम

2527. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जीवन में अल्पसंख्यकों के पूर्ण एकीकरण हेतु अल्पसंख्यकों के लिए पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में रोजगार केन्द्रों द्वारा नौकरी तलाश करने वाले अल्पसंख्यकों के पंजीकरण और नियुक्ति के बारे में राज्यों को अनुदेश/दिशानिर्देश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन अनुदेशों/दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल हो गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष रोजगार केन्द्रों (राज्य-वार) द्वारा नौकरी तलाश करने वाले अल्पसंख्यकों के बारे में कितने पंजीकरण/निवेदन और नियुक्तियां की गई, और इन तीन वर्षों में प्रति वर्ष के अंत में प्राप्त (लाइव) रजिस्टर में नौकरी तलाश करने वाले अल्पसंख्यकों की कुल संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) रोजगार कार्यालय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। राष्ट्रीय जीवन के समस्त पहलुओं में अल्संख्यकों के पूर्ण रूप से एकीकरण हेतु अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण एवं नामों को प्रवर्तित करने के संबंध में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा। राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकों के पंजीकरण एवं नियोजन संबंधी मामले में प्रगति का प्रबोधन करने हेतु प्रबोधन प्रकोष्ठ स्थापित करने की सलाह दी गई है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने नियंत्रणाधीन रोजगार कार्यालयों को अल्पसंख्यक संकेन्द्रण क्षेत्रों में चल पंजीकरण कैम्पों के आयोजन का अनुदेश दें।

(ग) भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकरण, निवेदन, नियोजन तथा रोजगार चाहने वालों की संख्या क्रमशः 4.6, 1.9, 0.2 तथा 53.8 लाख थी। वर्ष 1990 एवं 1994 के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं।

विवरण

वर्ष 1990 एवं 1994 हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध में रोजगार कार्यालयों के सांख्यिकीय आंकड़े

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1990 (हजार में)				1994 (हजार में)			
		पंजीकरण	नियोजन	निवेदन	चालू रजिस्टर	पंजीकरण	नियोजन	निवेदन	चालू रजिस्टर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश	32.7	0.9	21.5	241.1	31.4	0.5	47.3	250.1
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.1		@	0.3	3.5	@	0.1	0.2
3.	असम	27.5	1.4	24.4	165.5	21.2	0.5	6.7	205.1
4.	बिहार	60.1	2.1	36.8	249.2	65.8	1.4	15.1	292.9
5.	गोवा	3.5	0.1	5.7	20.8	3.1	0.1	4.1	24.3
6.	गुजरात	11.2	0.9	6.5	70.5	5.1	0.8	6.5	12.6
7.	हरियाणा	4.9	0.6	1.8	17.0	5.9	0.4	2.6	19.7
8.	हिमाचल प्रदेश	1.4	0.2	2.2	9.2	2.4	0.1	4.6	12.4
9.	जम्मू और कश्मीर	11.7	1.3	5.5	47.5	14.4	0.3	5.9	62.1
10.	कर्नाटक	22.5	0.7	10.4	128.1	26.4	1.7	15.8	178.2
11.	केरल	131.5	3.8	46.8	1109.4	77.5	3.4	38.4	1312.8
12.	मध्य प्रदेश	22.9	1.2	6.2	117.1	23.7	0.9	5.9	127.7
13.	महाराष्ट्र	54.2	2.3	39.5	340.5	47.9	2.1	26.7	387.1
14.	मणिपुर	8.5	0.1	9.7	50.9	11.3	0.1	12.2	75.9
15.	मेघालय	5.2	0.3	4.1	16.6	6.1	0.5	3.0	21.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मिजोरम	7.7	0.9	5.0	36.5	7.8	0.2	3.6	42.6
17.	नागालैंड	5.7	0.3	4.9	20.3	6.4	0.1	1.9	20.6
18.	उड़ीसा	5.8	0.6	6.6	29.6	5.0	0.1	2.2	31.9
19.	पंजाब	1.7	0.1	2.0	7.3	44.3	0.8	28.2	227.3
20.	राजस्थान	8.7	0.4	6.7	54.9	8.2	0.4	2.8	53.4
21.	सिक्किम*								
22.	तमिलनाडु	94.0	3.9	94.1	434.8	50.3	1.3	33.0	549.5
23.	त्रिपुरा	0.5	@	0.2	3.2	0.3	@	0.2	4.3
24.	उत्तर प्रदेश	37.0	1.7	9.8	256.8	60.9	0.5	17.3	238.8
25.	प. बंगाल	46.7	0.6	11.2	648.5	24.6	0.3	7.5	669.9
	संघ शासित प्रदेश								
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.9	0.2	2.8	2.7	—	—	—	3.0
27.	चण्डीगढ़	3.8	0.5	8.7	12.1	5.5	0.4	2.7	23.7
28.	दादरा और नागर हवेली	@		@	0.1	@	@	0.1	0.1
29.	दिल्ली	8.2	4.0	12.9	33.9	8.4	1.5	8.6	34.0
30.	दमन और द्वीव	@	@	@	0.1	0.1	@	0.6	0.6
31.	लक्षद्वीप					1.1	0.3	2.5	8.5
32.	पांडिचेरी	0.8	0.1	1.0	21.6	1.3	@	1.4	24.0
	योग	619.5	29.2	387.1	4146.2	569.9	18.8	307.2	4974.3

टिप्पणी : *इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

@ आंकड़े पचास से कम।

भूमि का इष्टतम उपयोग

2528. **श्री अन्नासाहेब एम० के० पाटील:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बढ़ती जनसंख्या की सहायता के लिए भूमि के अधिकतम उपयोग हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिकतम उपयोग के लिए उपलब्ध भूमि का ब्यौरा क्या है;

(घ) मृदा-क्षरण के कारण देश में कुल कितनी भूमि प्रभावित हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय भू उपयोग नीति की रूप रेखा को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कार्यरत राष्ट्रीय भू उपयोग एवं बंजर भूमि विकास परिषद ने फरवरी, 1986 में अनुमोदित कर दिया था (विवरण-I) चूंकि भूमि राज्यों का विषय है अत: राष्ट्रीय भू उपयोग नीति की रूपरेखा को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में परिचालित कर दिया गया था ताकि राज्य अपनी भू उपयोग नीति तैयार करते समय इसे एक कार्य ढ़ाँचे के रूप में इस्तेमाल कर सकें।

(ग) देश में उपलब्ध भूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कृषि मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 173.6 मिलियन हैक्टेयर भूमि भू अपरदन और अवक्रमण की समस्या से ग्रस्त है। भू उपयोग और जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न स्कीमें अवक्रमित भूमि के विकास के लिए चलाई जा रही हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय भू उपयोग नीति--रूपरेखा

1. राज्य स्तर पर भू उपयोग बोर्डों का पुनरूद्धार किया जाना चाहिए और जहां ये नहीं हैं वहां इनका सृजन किया जाना चाहिए ।

2. भू उपयोग नीति को सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी उपयोगकर्त्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिये और इसको भूमि उपयोग को लागू करने वाले नियमों और उनके संवर्द्धनात्मक तभी संरक्षणात्मक विधियों, दोनों के रूप में लागू किया जाना चाहिये।

3. शहरी नीति को इस प्रकार से दुबारा तैयार किया जाय कि उच्च उत्पादक भूमि समाप्त न होने पाये। शहरों के नियोजन में भी हरित पहियों की व्यवस्था होनी चाहिये।

4. समेकित भू उपयोग नीति के अनुपालन की आवश्यकता के बारे में किसानों और सरकारी विभागों को जानकारी देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाना चाहिए।

5. विशेषकर सूखा प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों में फसल प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिये ताकि सुधारी गयी मृदा तथा प्रबन्ध तकनीकों का अधिकाधिक लाभ लिया जा सके।

6. प्रत्येक राज्य में भू खण्ड एवं मृदा सर्वेक्षण कार्य को पूरा कर किया जाना चाहिये तथा भू संसाधनों की सूची तैयार की जानी चाहिये ताकि संसाधनों का आवंटन विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर किये जा सकें।

7. जो भी भू संसाधनों या इसकी उत्पादकता में हस्तक्षेप करता है उस पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिये। यह बात मान लेनी चाहिए कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता है पर्यावरण के संरक्षण में सफलता नहीं मिल सकती है।

8. समुचित प्रौद्योगिकी को अपनाकर तथा समुचित जल प्रबंध के तरीकों का इस्तेमाल करके जलभरण, लवणता और क्षारीयता की समस्या पर नियंत्रण किया जाना चाहिये।

9. एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंतर्गत कमान क्षेत्रों के प्रबन्ध की समीक्षा की जानी चाहिये, उसको फिर से तैयार किया जाना चाहिए और पुनरूद्धार किया जाना चाहिए ताकि पानी का सक्षम उपयोग किया जा सके। स्रवण क्षेत्रों के उपचार में जरूरी निवेश किये जाने चाहिए ताकि समय पूर्व होने वाले अवसादन से सिंचाई प्रणाली को नष्ट होने से बचाया जा सके।

10. शुष्क खेती, भू समतलीकरण और जल कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए तथा इसे नमी संरक्षण और अनुकूलतम उपयोग के लिए अपनाया जाना चाहिये।

11. वायु और जल अपरदन से बचने के लिए मरूभूमि वाले क्षेत्रों में संरक्षण और वनरोपण तथा बीहड़ क्षेत्रों में सुधार और पुनर्वास का विशेष कार्यक्रम और अधिक उत्साह से शुरू किया जाए।

12. बहुमूल्य वनों की रक्षा के लिए झूम खेती की पद्धति पर नियंत्रण करना चाहिए।

13. भूमि उपयोग नियोजन को ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के साथ इस प्रकार जोड़ा जाए कि ऋण और राजसहायता केवल उन्हीं उत्पादक कार्यकलापों के लिए दिया जाए जहां भूमि का कुशलता से उपयोग किया जा रहा हो।

14. विधिक और प्रशासनिक संरचनाओं के जरिये जनजातियों और बेहद गरीब वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

15. खासकर ऐसे क्षेत्रों में, जहां चारागाह पहले ही समाप्त हो गये हों, खूंटे पर ही खिलाने की व्यवस्था को लोक-प्रिय बनाया जाए।

16. पशुधन विकास कार्यक्रम के साथ-साथ चुनींदा प्रखं । में विशेष चारा विकास कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहि्।

17. निवास से बहुत दूर वाणिज्यिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बगान लगाये जाने चाहिए।

18. ग्रामीण निर्धनों के अलावा प्रयोक्ताओं को राजसहायता के आधार पर वनों के कच्चे माल की सप्लाई की नीति की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि कच्चा माल प्रचलित बाजार मूल्य पर आपूर्त किया जा सके जिसे प्रयोक्ताओं को व्यापक वन रोपण कार्यक्रमों के लिए प्रेरित किया जा सके तथा साथ ही छोटे और सीमान्त किसानों को लाभकारी मूल्यों पर उद्योग के लिए कच्चा माल आधारित वन लगाने के लिए उत्साहित किया जा सके।

19. लकड़ी से पैकेजिंग के बदले कौरूगेटेड़ कार्ड जैसी पैकेजिंग सामग्री के उपयोग की खोज की जाए तथा उसे बढ़ावा दिया जाए।

विवरण-II

उपलब्ध भूमि का ब्यौरा

(मिलियन हैक्टेयर)

	शीर्षक	1994-95 (अनंतिम)
	1	2
I.	भौगोलिक क्षेत्र	328.73
II.	भूमि उपयोग सांख्यिकी के लिए क्षेत्र की सूचना देना (1 से 5)	304.88
	1. वन	68.39
	2. खेती के लिए उपलब्ध नहीं (क+ख)	41.28
	(क) गैर कृषि उपयोग के अधीन क्षेत्र	22.51

1		2
	(ख) बंजर और अकृष्ठ भूमि	18.77
3.	परती भूमि को छोड़कर अन्य अकृष्ट भूमि (क+ख+ग)	29.08
	(क) स्थायी चारागाह और अन्य चारा भूमि	11.24
	(ख) विविध वृक्ष फसलों और बाग के अधीन भूमि जिसे निवल बुवाई क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।	3.63
	(ग) कृषि योग्य बंजर	14.21
4.	परती भूमि (क+ख)	23.30
	(क) वर्तमान परती के अलावा परती भूमि	9.77
	(ख) वर्तमान परती भूमि	13.53
5.	बुवाई का निवल क्षेत्र	142.82

पी-अनन्तिम

समेकित काट प्रबंधन

2529. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, चीन और पाकिस्तान में कपास उत्पादकों द्वारा कीटनाशकों के प्रयोग की अधिकता को देखते हुए खाद्य और कृषि संगठन ने इन देशों में किसानों की सहायता के लिए 12.7 मिलियन डालर की परियोजना पेश की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इससे भारत के कपास उत्पादकों को किस सीमा तक मदद मिलेगी; और

(ग) योजना के अधीन समेकित कीट प्रबंधन में अब तक कितने कपास उत्पादकों को प्रशिक्षित किया गया है/प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) और (ख) "एशिया में कपास के लिए समेकित कीट प्रबंध" नामक क्षेत्रीय परियोजना के लिए 12,000,000 लूरो (13.7 मिलियन अमेरिकी डालर) की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के लिये यूरोपीय आयोग ने खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ पांच वर्ष का एक समझौता किया है। इस परियोजना को जिसे अभी प्रचालनात्मक बनाया जाना है। खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से निम्नलिखित 6 देशों में क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है यथा—बंगलादेश, चीन, भारत, पाकिस्तान, फिलीपीन्स और वियतनाम। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों और विस्तार कर्मचारियों द्वारा विकास संवर्द्धन और समेकित कीट प्रबंध पद्धतियों को अपनाकर सहभागी देशों में कपास का सतत, लाभकारी व पर्याप्त उत्पादन करना, कृषकों के प्रशिक्षकों के लिए समेकित कीट प्रबंध संवर्ग विकसित करना, सरकारों, अनुसंधान संस्थानों, विकास अभिकरणों और अन्य गैर सरकारी संगठनों में कपास पर समेकित कीट प्रबंध के क्षेत्र में सहयोग देना है। इस परियोजना से प्रायोगिक समेकित कीट प्रबंध कपास क्षेत्रों में उत्पादन जोखिम कम करके, आर्थिक सक्षमता बढ़ाकर, सुरक्षित उत्पादन विधियां प्रारम्भ करके और पर्यावरण क्षति को कम करके भारत में कपास उत्पादकों को मदद मिलने की संभावना है।

(ग) इस परियोजना में परियोजना के अन्त तक कपास पर समेकित कीट प्रबंध में 6 देशों के लगभग 90,000 किसानों को प्रशिक्षित किये जाने की परिकल्पना की गयी है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण

2530. श्री कांतिलाल भूरिया :
श्री राजो सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में विस्तार, जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) वाली बड़ी तथा मझौली सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत तथा व्यय की गई धनराशि का परियोजनावार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ नौवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि नियत की गई है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान इस पर संभवत: कितना व्यय किये जाने की संभावना है;

(घ) परियोजना की परियोजना-वार तथा राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को किसी राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) वृहद, मध्यम, विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या तथा उनकी अद्यतन अनुमानित लागत और आठवीं योजना के अन्त तक संचयी व्यय संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना के दौरान राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। एक वर्ष में हुई कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं हुई है क्योंकि दूसरे वर्ष जब वार्षिक योजना विचार-विमर्श योजना आयोग द्वारा किए जाते हैं तो पूरे वर्ष की सूचना उपलब्ध होती है।

(ङ) और (च) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से 78 सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अधिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना के साथ जुड़ी हुई है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	नौवीं योजना के दौरान चल रही वृहद परियोजनाओं की संख्या	वीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	आठवीं योजना के अंत तक संचयी व्यय (करोड़ रु.) (प्रत्याशित)	नौवीं योजना के दौरान चल रही मध्यम परियोजनाएं	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	आठवीं योजना के अन्त तक संचयी व्यय (करोड़ रु.) (प्रत्याशित)	नौवीं योजना के दौरान चल रही ईआर एम पारि. के नाम	एल.ई.सी. (करोड़ रु०)	आठवीं योजना के अन्त तक संचयी व्यय (करोड़ रु.) (प्रत्याशित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	12	10130.44	4754.95	20	623.34	323.51	4	1337.53	78.57
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	असम	4	432.82	211.48	9	155.92	99.72	3	60.00	0.64
4.	बिहार	15(-1)*	7365.53	2105.21	29	1065.18	429.37	1	304.07	69.13
5.	गोवा	2(-1)*	678.59	258.61	1	40.00	2.40	1	4.08	—
6.	गुजरात	—9	23309.92	6522.47	9	337.53	260.02	9	1501.18	429.39
7.	हरियाणा	5	1013.51	725.60	शून्य	—	—	4	1751.88	676.56
8.	हिमाचल प्रदेश	1	150.78	7.47	1	11.30	11.26	1	11.42	11.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1	151.18	122.80	9	223.55	55.88	9	127.15	48.36
10.	कर्नाटक	14	11190.19	5131.61	15	943.67	510.72	3	3754.67	399.61
11.	केरल	7	1879.50	942.11	5	478.93	150.56	2	75.43	9.23
12.	मध्य प्रदेश	25(-2)*	10729.55	3131.15	32	1012.09	733.15	4	79.55	27.98
13.	महाराष्ट्र	36	12958.17	5374.43	66	2076.06	1021.98	6	193.47	—
14.	मणिपुर	2	491.65	25.85	2	66.58	56.50	4	17.14	5.17
15.	मेघालय	शून्य	—	—	1	17.81	8.14	—	—	—
16.	मिजोरम	शून्य	—	—	शून्य	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	1	111.02	2.95	शून्य	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	6(-1)*	4953.85	1156.55	10	499.95	410.23	1	1409.90	177.70
19.	पंजाब	1(-1)*	3379.53	2704.93	1	88.49	0.20	8	1025.06	298.10
20.	राजस्थान	8(-2)*	4692.81	2346.01	6	240.24	12.22	5	395.99	122.70
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	—	—	2	103.75	29.53	1	1143.30	23.91
23.	त्रिपुरा	—	—	—	3	154.00	92.96	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	19(-1)*	7539.44	3339.74	2	54.81	39.99	6	986.51	770.92
25.	प. बंगाल	4(-1)*	2037.41	930.83	17	90.42	60.78	6	669.38	20.49
	कुल	172 -10* 162	103186.89	39003.29	240	8283.62	4424.12	74	14,847.71	3569.42

*अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए कटौती की गणना एक से अधिक बार की गई है।

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	नौवीं योजना के वास्ते वृहद परिव्यय (करोड़ रुपये)	नौवीं योजना के वास्ते मध्यम परिव्यय (करोड़ रुपये)	नौवीं योजना के वास्ते ई.आर.एम. परिव्यय (करोड़ रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	3142.12	316.63	511.25
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	85.10	59.60	0.10
4.	बिहार	1123.00	147.50	175.00
5.	गोवा	280.00	0.30	0.00
6.	गुजरात	11060.09	67.43	208.13
7.	हरियाणा	221.00	—	1117.62
8.	हिमाचल प्रदेश	43.37	0.20	0.50
9.	जम्मू और कश्मीर	33.00	39.65	54.69
10.	कर्नाटक	2600.00	173.35	2344.00
11.	केरल	480.00	50.00	—
12.	मध्य प्रदेश	1504.39	133.24	—
13.	महाराष्ट्र	7051.83	946.00	—
14.	मणिपुर	181.59	23.11	8.50
15.	मेघालय	—	13.50	—
16.	मिजोरम	—	—	—
17.	नागालैंड	10.85	—	—
18.	उड़ीसा	1063.60	154.60	1216.68
19.	पंजाब	18.00	77.00	263.31
20.	राजस्थान	1709.64	88.25	129.00
21.	सिक्किम	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	82.21	1179.37
23.	त्रिपुरा	—	60.66	—
24.	उत्तर प्रदेश	2340.35	14.96	121.12
25.	पश्चिम बंगाल	724.03	31.96	19.70
	कुल	36671.96	2480.15	7349.97

कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों हेतु सुविधाएं

2531. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों को खाने और ठहरने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस सहायता को बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) कैलाश मानसरोवर यात्रा का समन्वय कार्य उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के आर-पार परम्परागत मार्ग के साथ-साथ विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह यात्रा विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी अभिकरणों की सहायता से संचालित की जाती है। भारतीय पक्ष की ओर कुमांऊ मंडल विकास निगम यात्रियों के भोजन और आवास की व्यवस्था करता है। विदेश मंत्रालय यात्रियों द्वारा किए गए व्यय की आंशिक क्षतिपूर्ति करने के लिए कुमांऊ मंडल विकास निगम को 3250/- रु० प्रति यात्री के हिसाब से भुगतान करता है। सरकार, यात्रा के दौरान मुफ्त चिकित्सा परीक्षण और सहायता, सुरक्षा और मार्गरक्षण, बीमा सुविधा तथा संचार सम्पर्क की व्यवस्था करती है। सरकार यात्रियों के प्रत्येक जत्थे के साथ एक सम्पर्क अधिकारी और डाक्टर भी भेजती है। दिल्ली सरकार यात्रियों को आने और जाने की अवधि के दौरान 4-5 दिन के लिए नई दिल्ली स्थित अशोक यात्री निवास में मुफ्त आवास की व्यवस्था करती है। यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार लाने और उन्हें उन्नत बनाने का सरकार का सतत प्रयास रहता है।

[अनुवाद]

सरकारी खरीददारी

2532. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कार्यालय प्रयोग में लाई जाने वाली सस्ती और गुणवत्ता वाली वस्तुएं नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय भंडार/सुपर बाजार/एनसीसीएफ के बजाय सहकारी भंडार, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस भंडार से सरकारी खरीददारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) इस बारे में मौजूदा हिदायतों के अनुसार,

सरकारी कार्यालय, लेखनसामग्री तथा अन्य वस्तुएं भारत-सरकार द्वारा स्थापित किए गए तीन उपभोक्ता सहकारी भंडारों अर्थात् केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार और राष्ट्रीय उपभोक्ता-संघ तथा फाइल कवर केवल के. वी.आई.सी. से ही खरीदने के लिए प्राधिकृत हैं। इन समितियों को शेयर पूंजी में सरकार का भारी निवेश होता है और उपदान (सब्सिडी), ऋणों आदि के जरिए भी इन्हें भारत-सरकार से समय-समय पर वित्तीय सहायता मिलती रहती है। इनके कार्य-कलापों पर भारत-सरकार का सीधा तथा व्यापक नियंत्रण रहता है तथा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इनके निदेशक-मंडल में प्रतिनिधि के रूप में होते हैं।

नौर्थ ब्लॉक में स्थित सहकारी भंडार उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आता। अत: यह इस बारे में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के दायरे में नहीं आता।

[हिन्दी]

बूचड़खाने और मांस का निर्यात

2533. **डा० चरणदास महंत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत आधुनिक मशीनीकृत बूचड़खानों और इनमें से प्रत्येक की मांस निर्यात क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत वर्ष 1998-99 के दौरान निर्यात किए गए मांग की मात्रा कितनी थी;

(ग) वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां उक्त अवधि के दौरान आधुनिक मशीनरीकृत बूचड़खानों की स्थापना की गई है और इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(घ) क्या देश के मशीनीकृत बूचड़खानों में से किसने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत क्षमता से अधिक मांस का निर्यात किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लेखन-सामग्री की खरीद

2534. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कार्यालय लेखन-सामग्री और अन्य सामग्री की भारतीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड से ऊंची दरों पर खरीद में सरकारी कार्यालय द्वारा सार्वजनिक धन के बड़े पैमाने पर अपव्यय की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसकी जांच का आदेश देने का विचार है कि अधिकांश सरकारी कार्यालय इन वस्तुओं को एन. सी. सी. एफ. से ही क्यों खरीद रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता-संघ, सरकारी विभागों इत्यादि को लेखन-सामग्री और अन्य मदों की आपूर्ति, प्रतियोगी मूल्यों पर करता है। राष्ट्रीय सहकारी अपभोक्ता-संघ, आपूर्तिकर्ताओं को उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमतें जाँचने-परखने के बाद पंजीकृत करता है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता-संघ द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति ऊंची दरों पर किए जाने के आरोप ठीक नहीं हैं।

(ख) सरकारी विभाग इत्यादि, किसी भी अनुमोदित अभिकरण (एजेंसी) अर्थात् केन्द्रीय भंडार/सुपर बाजार/राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता-संघ से खरीद करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मछुआरों का कल्याण

2535. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण" को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र के हिस्से के 80.25 लाख रुपये जारी करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के आदर्श मछुआरा गांवों के विकास के अंतर्गत कर्नाटक सरकार ने 1998-99 के दौरान एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें सहायता की केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में 80.25 लाख रुपये जारी करने का प्रस्ताव था।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के पास दिनांक 1.4.99 को उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि तथा राज्य बजट में उपलब्ध बराबर हिस्सेदारी के प्रावधान को ध्यान में रखने के बाद, राज्य सरकार के उक्त प्रस्ताव पर केन्द्रीय हिस्सेदारी की पहली किश्त के रूप में राज्य सरकार को 50 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य में संतोषजनक प्रगति हासिल कर लिए जाने के बाद जारी की जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं को मंजूरी

2536. **श्री टी० गोविन्दन:**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशुपालन विकास से संबंधित मध्य प्रदेश और केरल राज्य सरकारों के उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके लंबित पड़े होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आदानों का आयात

2537. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रयोग हेतु कोकिंग कोयले का भारी मात्रा में आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1998:99 में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए कुल कितने आदानों का आयात हुआ;

(ग) क्या कोई अन्य किफायती विकल्प तैयार किया गया है; और

(घ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रचालन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (आर. आई. एन. एल.)/ विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ने 1.795 एम टी कोककर कोयले का आयात किया।

(ख) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा 1998-99 में आदानों का किया गया कुल आयात निम्नानुसार है:-

एस एम एस चूना-पत्थर	-	379921 टन
सी वाटर मैग्नेशिया	-	12168 टन
फैरो सिलकॉन	-	1657 टन
फैरो मैगनीज	-	220 टन
कोक	-	162000 टन

(ग) वी. एस. पी. ने निम्नलिखित लागत-प्रभावी प्रतिस्थापन उपाय किए हैं:-

(1) महंगे कोकर कोयले के आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में आयातित मृदु कोककर कोयले का उपयोग जो अपेक्षाकृत सस्ता है।

(2) धमन भट्टी (बी. एफ.) धातुकर्मीय कोक के आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में नट कोक का उपयोग।

(3) चूने के स्थान पर एल डी स्लैग का उपयोग।

(घ) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रचालन में सुधार करने के लिए आर. आई. एन. एल./वी एस पी ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) उत्पादकता में सुधार करने के लिए धमन भट्टी में उच्च प्रतिशतता के सिंटर का उपयोग।

(2) कोक की खपत कम करने के लिए तप्त धमन ताप में वृद्धि।

(3) कनवर्टर के जीवन काल में वृद्धि के लिए स्लैग स्प्लैशिंग को अपनाना।

(4) इस्पात गलन शाला (एस एम एस) में लैडल हीटिंग भट्टी का प्रावधान।

(5) इस्पात गलन शाला में इस्पात लैडलों को लाने-ले जाने के लिए अतिरिक्त ट्रैक का प्रावधान।

(6) इस्पात के अधिक उत्पादन और उत्पादकता के लिए रिफ्रैक्ट्री लाइनिंग जीवन में सुधार।

(7) अपेक्षित प्राचलों को बनाए रखने के लिए धमन भट्टी टॉप में अमेनोस्कोप शुरू करना।

(8) निजी विद्युत सृजन में वृद्धि।

(9) बेल्लन प्रक्रियाओं में सुधार।

(10) दोषपूर्ण मदों के सृजन में कमी।

बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस

2538. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस भारत में यूरोपीय नस्ल के साथ संकर प्रजनन के कारण आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। भारत में गोपशु के आयात की अनुमति तभी दी जाती है जबकि पशु की प्रजाति का यूथ ल्यूकोसिस रोग से मुक्त हो। इसके अतिरिक्त, संगरोधन नियमों के अनुसार आयातित पशु के अगर जेल इम्यूनोडिफ्यूजन (ए जी आई डी) एवं एन्जाइम लिंक्ड इम्यूनोसोरबंट एसे (ई एल आई एस ए) परीक्षण किए जाते हैं। इसके पश्चात्, भारत में पशु को मुक्त करने से पहले संगरोधन स्टेशन में 30 दिनों तक इसकी निकट से निगरानी की जाती है।

[हिन्दी]

विधवाओं के लिए रोजगार

2539. श्री रामदास आठवले: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार कार्यालय के माध्यम से विधवाओं को शीघ्र रोजगार मुहैया कराये जा रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विधवाओं को शीघ्र रोजगार मुहैया कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल) : (क) से (ङ) सरकार ने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से समूह "ग" एवं "घ" पदों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुछ विशेष प्रकार के रोजगार चाहने वालों को 4 वरीयता श्रेणियों नामत: श्रेणी-I, श्रेणी-II(क), श्रेणी-II(ख) तथा श्रेणी-III के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं को वरीयता-III प्रदान की गई है तथा रोजगार कार्यालय तदनुरूप उनके लिए अधिसूचित वरीयता रिक्तियों के लिए सूची प्रस्तुत करें।

[अनुवाद]

प्रशासन में गुणवत्ता

2540. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार में गुणवत्ता पर हाल ही में एक विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें देश की शासन-व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विचार किए गये तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी विभागों और उपभोक्ता सहकारी समितियों की शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) भारतीय उद्योग परिसंघ की गुणवत्ता विषय पर सातवीं विचार-गोष्ठी का आयोजन दिनांक 17 से 19 नवम्बर, 1999 के दौरान किया गया था। इस विचार-गोष्ठी के दौरान, भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के सहयोग से 18 नवम्बर, 1999 को "सरकार में गुणवत्ता" विषय पर एक समवर्ती सत्र का आयोजन भी किया।

(ख) इस समवर्ती सत्र के दौरान, निम्नलिखित विषयों पर अनुभव प्रस्तुत किये गए:-

(1) जवाबदेही और उत्तरदायित्व;

(2) सरकार में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन की रूप रेखा;

(3) रक्षा लेखा नियंत्रक के कार्यालय में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली;

(4) सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी; और

(5) नागरिक चार्टर।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रशासनिक कार्य-कुशलता और प्रभावकारिता ऐसे मामले हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान निरंतर रहता है। दिनांक 24 मई, 1997 को आयोजित राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में एक कार्य-योजना पर चर्चा की गई थी जिसमें प्रशासन को जवाबदेह और नागरिक-हितैषी बनाना, पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करना तथा सिविल सेवाओं को साफ-सुथरा बनाना और प्रेरित करने के उपाय करना शामिल था। सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि केन्द्र और राज्य सरकारें निम्नलिखित विषयों के बारे में कार्य-योजना को मूर्त रूप देने के लिए मिलकर कार्य करेंगी:-

(1) जवाबदेह और नागरिक हितैषी सरकार;

(2) पारदर्शिता और सूचना का अधिकार; और

(3) सार्वजनिक सेवाओं के कार्य-निष्पादन और सत्यनिष्ठा में सुधार लाना।

तद्नुसार प्रशासन को जवाबदेह, पारदर्शी और लोगों की जरूरतों तथा आशाओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए उपाय किये गए हैं। व्यापक जन संपर्क वाले कई मंत्रालयों/विभागों/संगठनों ने पहले ही नागरिक चार्टर तैयार कर लिये हैं जिनमें मोटे तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर जनता किस तरह की सेवा पाने की हकदार होगी। 45 मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकार के संगठनों द्वारा सूचना और सुविधा काउन्टर स्थापित किए गए हैं ताकि उनके द्वारा संबंधित संगठन की कार्य-विधियों और योजनाओं तथा व्यक्तिगत मामलों की स्थिति से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

2. लोक शिकायतों के निवारण के लिए मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठाये गए हैं। अधिकांश मत्रालयों/विभागों ने संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के नामों का प्रचार किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सभी शिकायतों को वर्गीकृत करने तथा कंप्यूटर के द्वारा उन पर निगरानी रखने की प्रणाली स्थापित की गई है और इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में मुख्य टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है।

3. सरकार ने कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए भी उपाय किये हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 40 से अधिक विभागों ने विशेषज्ञ कार्य-बलों अथवा आंतरिक कार्रवाई के जरिए, उनके द्वारा नियंत्रित सभी कानूनों, विनियमों और कार्य-विधियों की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है।

4. अंतर्क्षेत्रीय प्रभाव वाले मौजूदा कानूनों, विनियमों और कार्य-विधियों को संशोधित/निरस्त करने हेतु प्रस्तावों का पता लगाने

के लिए श्री पी.सी. जैन की अध्यक्षता में दिनांक 8 मई, 1998 को प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया था ताकि उन्हें उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी और पूर्वानुमान-योग्य बनाया जा सके। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 1998 को प्रस्तुत की।

5. उपर्युक्त आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों में, केन्द्रीय कानूनों के लगभग 50% (2500 कानूनों में से 1382) कानूनों को निरस्त करना, 109 निर्दिष्ट अधिनियमों की सूची में शीघ्र संशोधन करना, सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासनिक कानूनों (नियमों, विनियमों, कार्यकारी अनुदेशों) का प्रलेखन, अंतर्देशीय और विदेशी निवेशकों, व्यापार और उद्योग, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और आयातकों की संभावनाओं के संदर्भ में सांविधियों और कानूनों की सामंजस्यीकरण करना तथा एक व्यवहार्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का विकास करना शामिल है।

6. सरकार ने रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी रखने हेतु सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया है। इस समिति ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ समूहों में पंद्रह बैठकें कर ली हैं। अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने सेवा सुपुर्दगी में सुधार करने और सरकार की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से उनके द्वारा नियंत्रित अधिनियमों और कानूनों में समुचित संशोधन/फेरबदल करने अथवा उन्हें निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

7. ऊपर उल्लिखित विशिष्ट उपायों के अलावा, सरकार ने अपनी कार्य-कुशलता और प्रभावकारिता में सुधार करने की दृष्टि से कुछ अन्य उपाय भी किये हैं। इन उपायों में, सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण, फाइलों के संचालन पर नजर रखने के लिए साफ्टवेयर पैकेज का विकास, कर्मचारियों की समग्र कार्यकुशलता, उत्पादकता और कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु सुझाव देने के लिए जनता के लोगों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने संबंधी योजना तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार के संगठनों में उत्तम पद्धतियों का प्रलेखन आदि शामिल है।

8. उपभोक्ता सहकारी समितियां बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 अथवा संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के अधीन कार्य कर रही हैं। सरकार, इन सहकारी समितियों की हिस्सा पूंजी में अंशदान करके, ऋण और राज सहायता देकर तथा रियायती दरों पर आवास की व्यवस्था करके और इनमें वरिष्ठ स्तर के पदों पर सरकारी अधिकारियों को (इन सहकारी समितियों के साथ सरकार के समझौते के अनुसार) तैनात करके इन्हें सुदृढ़ करने में मदद करती है। हालांकि, सहकारी समितियां स्वायत-शासी हैं और दिन-प्रतिदिन के प्रशासकीय और कारोबार संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए उनके अपने ही निदेशक मंडल हैं, परन्तु सरकार का यह प्रयास रहता है कि सहकारी समितियों के मूल स्वरूप को प्रभावित किये बिना, उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य कार्यक्रम

2541. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य कार्यक्रम ने देश में चल रही एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाओं के अन्तर्गत पौष्टिक खाद्य पदार्थों की सप्लाई जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अब तक कितनी धनराशि मुहैया कराई गई है;

(घ) क्या सरकार ने इस धनराशि का उपयोग किया है; और

(ङ) संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा मुहैया कराई गई धनराशि से भारत में शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०वी०पी०वी०के० सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना पर सक्रियात्मक संविदा के अनुसार भारत सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच 2206 विस्तार-VII 30.6.99 को हस्ताक्षरित किए गए। विश्व खाद्य कार्यक्रम 01.04.1999 से असम, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 3 वर्ष की अवधि के लिए 1,55,000 मी०टन सूक्ष्मपोषक तत्व से पुष्ट सम्मिश्रित खाद्य पदार्थ देगा।

(ग) और (घ) विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता के रूप में केवल खाद्य पदार्थ देता है। परियोजना 2206 (जुलाई, 1995 से मार्च, 1999) के विस्तार VI के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम ने आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम के अधीन 1,55,840 मी० टन खाद्य पदार्थ दिया है तथा उसका उपयोग किया गया है।

(ङ) वर्ष 1993-94 से विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से कार्यान्वित/क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) 2206 विस्तार-VI—असम, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों में समेकित बाल विकास सेवा को सहायता।

(2) 2303 विस्तार-VII—कृष्णा बेसिन क्षेत्र, कर्नाटक में ग्रामीण विकास।

(3) 2600—इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, राजस्थान में नए अधिवासियों को सहायता।

(4) 2773.01—राजस्थान में वानिकी कार्यकलापों के जरिए रोजगार और जनजातीय विकास।

(5) 2774—केरल में वानिकी और जनजातीय क्षेत्र का विकास।

(6) 2783.01—गुजरात में वानिकी कार्यकलापों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जन जातीय विकास।

(7) 5569—बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों मे वानिकी कार्यकलापों के जरिए खाद्य सुरक्षा में सुधार।

(8) 2206 विस्तार-VII—असम, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश के राज्यों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम को सहायता।

कृषि को उद्योग का दर्जा

2542 श्री अजय सिंह चौटाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त दर्जा कब कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव) : (क) से (ग) कृषि के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि नीति प्रारूपण के अन्तिम चरण में है। इस प्रारूप में कृषि क्षेत्र को यथासंभव सभी पहलुओं से उद्योग क्षेत्र के समान लाभ दिलाने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना

2543. श्री पी० डी० एलानगोवन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में वर्षा-सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.) के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई/उपयोग की गई;

(ख) देश में वर्षा पर आधारित कृषि प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय/द्विपक्षीय सहयोग से चलने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशों की सहायता से चलने वाली विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई/उपयोग की गई; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु में डी०ए०एन०आई० डी०ए० के सहयोग से चलने वाली परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है और चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत धनराशि के आवंटन/उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त दो परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(1) समेकित पनधारा विकास परियोजना (पर्वतीय)

(2) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त दून घाटी परियोजना

इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

डेनिडा, के० एफ० डब्ल्यू० (जर्मनी), ओ०डी०ए० (यू०के०) द्वारा द्विपक्षीय सहायता प्राप्त पनधारा विकास परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) डैनिडा की सहायता से व्यापक पनधारा विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन तमिलनाडु में किया जा रहा है। इसका कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत जारी धनराशि तथा किया गया व्यय

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000		रिपोर्ट की अवधि
		केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी धनराशि	राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी धनराशि	राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी धनराशि	राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी धनराशि	राज्य सरकार द्वारा सूचित व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	320.00	661.717*	700.00	731.40*	900.00	717.375	600.00	626.860*	10/99
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	37.600*	10.00	45.29*	31.00	41.287*	17.00	—	10/99
3.	असम	—	665.364*	—	431.50*	125.00	40.000	—	125.000*	10/99
4.	बिहार	—	289.040*	—	170.84*	125.00	34.235	—	13.871*	9/99
5.	गोवा	—	15.867*	—	1.70*	8.00	19.278*	3.000	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गुजरात	332.00	997.900*	700.00	350.29	2000.00	1270.100	2000.000	1325.000	10/99
7.	हरियाणा	60.00	92.100*	80.00	42.57	220.00	138.670	35.000	39.500*	6/99
8.	हिमाचल प्रदेश	60.00	219.290*	120.00	80.00	175.00	194.250*	106.000	142.000*	10/99
9.	जम्मू और कश्मीर	—	20.991*	108.00	—	38.00	शून्य	15.000	—	
10.	कर्नाटक	1095.00	1548.360*	2100.00	1705.29	2000.00	2427.280*	1308.000	606.790	10/99
11.	केरल	700.00	698.481	500.00	13.57	1434.00	300.000	350.000	749.000*	10/99
12.	मध्य प्रदेश	3700.00	3613.340	1434.00	1208.00	1609.00	1819.890*	1683.000	1220.000	11/99
13.	महाराष्ट्र	2754.00	2816.720*	2500.00	2549.40*	3060.00	2150.240	650.000	350.000	10/99
14.	मणिपुर	100.00	100.000	250.00	75.00	200.00	30.000	100.000	225.000*	10/99
15.	मेघालय	—	40.530*	—	67.78*	200.00	200.000	165.000	—	
16.	मिजोरम	—	37.030*	225.00	147.28	700.00	577.710	260.000	330.000*	10/99
17.	नागालैंड	18.00	18.000	160.00	117.89	500.00	500.000	337.000	390.180*	10/99
18.	उड़ीसा	1000.00	1422.830*	1200.00	1500.00*	550.00	914.970*	200.000	—	
19.	पंजाब	—	51.240	40.00	24.71	45.00	50.650*	8.000	—	6/99
20.	राजस्थान	3016.00	3539.600*	2581.00	2577.58	4000.00	3827.978	1990.000	1840.000	10/99
21.	सिक्किम	41.00	52.610*	90.00	74.46	150.00	138.270	97.660	6.000	6/99
22.	तमिलनाडु	240.00	810.918*	900.00	414.80	1650.00	1769.838*	1070.000	686.240	10/99
23.	त्रिपुरा	4.00	16.985*	130.00	80.00	300.00	266.650	240.000	224.430	8/99
24.	उत्तर प्रदेश	1000.00	1956.190*	1000.00	1200.00*	1750.00	2982.860*	850.000	507.000	10/99
25.	पश्चिम बंगाल	—	873.814*	10.00	—	600.00	674.923*	425.000	—	
26.	दादरा और नगर हवेली	—	—	1.00	शून्य	1.00	0.573	—	—	
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	50.00	26.924	25.00	24.42	65.00	34.295	32.000	10.750	10/99
	कुल	14490.00	20623.441	14864.00	13633.77	22436.00	21121.322	12541.660	9417.620	

*जारी धनराशि की तुलना में अतिरिक्त व्यय पिछले वर्ष के अत्ययित शेष के कारण है।

विवरण-II

विश्व बैंक तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त पनधारा विकास परियोजना का परियोजनावार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	दानदाता	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत (रु०)	मार्च, 1999 तक संचित व्यय	वर्ष 1999-2000 के दौरान व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	समेकित पनधारा विकास परियोजना—पर्वतीय चरण-2	विश्व बैंक	15.9.99. से 30.6.2004	954.60	शून्य*	18.79 9/99 तक

1	2	3	4	5	6	7
2.	दून घाटी	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	1.4.93 से 31.12.2001	82.95	51.4	6.44 10.99 तक

*परियोजना सितम्बर, 1999 में शुरू हुई।

विवरण-III

डेनिडा, के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मनी) तथा ओ.डी.ए. (यू.के.) से द्विपक्षीय सहायता प्राप्त पनधारा विकास परियोजनाएं

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि	अनुमोदित परियोजना लागत	सूचित समय तक संचित उपयोग	कार्यान्वयन वाला राज्य
	डेनिडा से सहायता प्राप्त				
1.	कर्नाटक व्यापक पनधारा विकास परियोजना, चरण-2	2.6.97 से 2.6.2004	21.01	1.56 10/99	कर्नाटक
2.	तमिलनाडु व्यापक पनधारा विकास परियोजना, तिरुनेलवेली चरण-2	5.8.97 से 4.8.2001	41.72	19.76 10/99	तमिलनाडु
3.	तमिलनाडु व्यापक पनधारा विकास परियोजना, रामनाथपुरम	8.11.94 से 31.12.99	13.00	8.10 10/99	तमिलनाडु
4.	पश्चिमी मध्य प्रदेश में पनधारा विकास परियोजना	13.3.97 से 13.3.2002	13.15	1.16 8/99	मध्य प्रदेश
5.	व्यापक पनधारा विकास परियोजना, कोरापुट उड़ीसा	5.10.92 से 4.10.99	13.25	7.08 3/99	उड़ीसा
	के०एफ०डब्ल्यू० (जर्मनी) से सहायता प्राप्त				
6.	एफ.आर.जी. (के.एफ.डब्ल्यू.) से सहायता प्राप्त पनधारा विकास परियोजना, कर्नाटक	1994-95 से 2001-02	55.08	11.09	कर्नाटक
7.	महाराष्ट्र में भारत-जर्मन पनधारा विकास परियोजना, चरण-I	12/91 से 12/2000	19.73	29.65	महाराष्ट्र
	ओ०डी०ए० (यू०के०) से सहायता प्राप्त				
8.	कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना समिति	1.4.98 से 1.10.2003	81.17	0.82	कर्नाटक

विवरण-IV

तमिलनाडु में डैनिडा से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन

क्र. सं.	परियोजना का नाम	1997-98 के दौरान कार्य-निष्पादन		1998-99 के दौरान कार्य-निष्पादन		1999-2000 के लिए लक्ष्य	
		वास्तविक (हैक्टेयर में)	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक (हैक्टेयर में)	वित्तीय (लाख रु.)	वास्तविक (हैक्टेयर में)	वित्तीय (लाख रु.)
1.	व्यापक पनधारा विकास परियोजना, तिरुनेलवेली, चरण-2	5000	436.10	6813	561.10	5812	635.06
2.	व्यापक पनधारा विकास परियोजना, रामनाथपुरम	1200	182.78	1492	245.42	912	241.50

छोटे और सीमान्त किसान

2544. श्री कृष्णमराजू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में छोटे और सीमान्त किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में छोटे और सीमान्त किसानों की औसतन संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों का पता लगाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) और (ख) छोटे और सीमान्त किसानों की संख्या के वर्षवार आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं। तथापि, पंचवार्षिक कृषि संगणना के माध्यम से छोटी और सीमान्त जोतों की सूचना एकत्र की गई है तथा संदर्भित वर्षों 1985-86 (जुलाई-जून) तथा 1990-91 सहित पंचवार्षिक कृषि संगणना पर आधारित छोटी और सीमान्त जोतों की संख्या का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) कृषि संगणना में खेत की एक हैक्टेयर से कम की प्रचालित जोत को सीमान्त जोत कहा जाता है। एक से दो हैक्टेयर के बीच कृषि क्षेत्र की प्रचालित जोत को छोटी जोत कहा जाता है।

विवरण

छोटी और सीमान्त जोतों की संख्या

(जोतों की संख्या '000 में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छोटी		सीमान्त	
		1985-86	1990-91	1985-86	1990-91
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1714	1972	4461	5211
2.	असम	546	560	1451	1521
3.	बिहार	1327	1438	8976	10193
4.	गुजरात	737	915	801	924
5.	हरियाणा	265	304	502	622
6.	हिमाचल प्रदेश	155	166	463	532
7.	जम्मू और कश्मीर	187	197	875	902
8.	कर्नाटक	1293	1586	1792	2262
9.	केरल	282	280	3993	5016
10.	मध्य प्रदेश	1613	1917	2733	3136
11.	महाराष्ट्र	2104	2728	2488	3275
12.	मणिपुर	48	49	67	69
13.	मेघालय	51	51	59	59
14.	नागालैंड	19	21	8	13
15.	उड़ीसा	910	1035	1868	2118
16.	पंजाब	208	204	256	296
17.	राजस्थान	920	1019	1358	1517
18.	सिक्किम	10	11	13	26
19.	तमिलनाडु	1260	1275	5498	5848
20.	त्रिपुरा	70	69	211	217
21.	उत्तर प्रदेश	2964	3118	13782	14819
22.	पश्चिम बंगाल	1175	1107	4343	4639
23.	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	1	2
24.	अरूणाचल प्रदेश	16	17	14	16
25.	चण्डीगढ़	*	*	2	1
26.	दादर और नगर हवेली	4	4	6	6
27.	दिल्ली	5	8	15	26
28.	गोआ	10	8	58	58
29.	लक्षद्वीप	*	*	5	6
30.	मिजोरम	19	23	21	29
31.	पाण्डिचेरी	5	5	25	26
32.	दमन और दीव	*	*	3	3
	कुल:	17922	20092	56147	63389

*500 जोतों से कम; अंकों को पूर्ण कर देने के कारण योग अनुरूप नहीं हो सकते।

चोगम बैठक में बाल श्रम का मुद्दा उठा

2545. श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिन्दे:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू०के० ने अभी हाल ही में लंदन में हुए राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में भारत और अन्य विकासशील देशों में बाल श्रम के मुद्दे को उठाया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत का क्या रवैया था; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने बच्चे विभिन्न खतरनाक उद्योगों में कार्यरत हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 11.28 मिलियन है। कामकाजी बच्चों की उद्योग-वार संख्या नहीं रखी जाती है।

भूमिगत जल

2546. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बैड न्यूज फ्राम पंजाब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि भारत जल संकट की ओर बढ़ रहा है, पर चर्चा के लिये हाल ही में विशेषज्ञों की बैठक हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) जी, हाँ। सरकार ने "बैड न्यूज फ्राम पंजाब" नामक शीर्षक से समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार को देखा है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पंजाब राज्य के कुछ भागों में भू-जल स्तर में गिरावट पायी गयी है। संलग्न विवरण में विस्तृत ब्यौरा दर्शाया गया है। भू-जल स्तर में आ रही गिरावट की समस्या को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने राज्य के अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, संगरूर, पटियाला और लुधियाना जिलों में पंजाब राज्य के सहयोग से "भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण" के संबंध में प्रायोगिक आधार पर अध्ययन प्रारंभ किए हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, कुछ अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरणों ने अनुमान लगाया है कि भारत में प्रति व्यक्ति ताजा जल की उपलब्धता में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है और वर्ष 2017 ई. तक 1600 घन मीटर तक गिरावट आ सकती है जिससे जल का संकट आ सकता है।

जल संसाधन स्कीमों की आयोजना, तैयारी एवं उनके निष्पादन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। योजना अवधि के प्रारंभ से उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। बहुत से छोटे एवं बड़े बाँधों का निर्माण प्रारंभ किया गया तथा जिसके परिणामस्वरूप कुल वास्तविक भण्डारण क्षमता योजना अवधि के प्रारंभ में जो 15.64 बी.सी.एम. थी वह वर्ष 1995 में बढ़कर लगभग 177 बी.सी.एम. हो गयी।

वर्ष 2025 के लिए प्रक्षेपित 1050 बी.सी.एम. कुल जल की आवश्यकता को 690 बी.सी.एम. उपयोग करने योग्य सतही जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके एवं लगभग 360 बी.सी.एम. दोहन योग्य जल का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है।

विवरण

पंजाब के कुछ भागों में भू-जल स्तर में गिरावट की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिले	भू-जल स्तर में गिरावट की दर (से.मी./वर्ष) (जिलों के कुछ भागों में भू-जल स्तर के गिरावट की दर में भिन्नता है जो इस प्रकार है)
1.	अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, गुरूदासपुर, नवान शहर, लुधियाना, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब का पश्चिमी भाग, भटिण्डा का उत्तरी भाग, मोगा का पूर्वी भाग, फिरोजपुर का उत्तरी भाग।	0-10
2.	अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, गुरूदासपुर, नवान शहर, लुधियाना, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब का पश्चिमी भाग, भटिण्डा का उत्तरी भाग, मोगा का पूर्वी भाग, फिरोजपुर का उत्तरी भाग।	10-20
3.	संगरूर, पटियाला, उत्तरी भटिण्डा, लुधियाना का पश्चिमी भाग, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर का उत्तरी भाग।	20-40
4.	संगरूर, पटियाला	40 से ऊपर

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

2547. श्री भर्तृहरि महताब : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के प्रत्येक संसद सदस्य को कितनी धनराशि मंजूर की गई, आवंटित की गई और जारी की गई;

(ख) क्या कोई धनराशि अनुपयुक्त पड़ी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के संसद द्वारा अनुशासित कार्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर विचार किया गया और पूरा किया गया; और

(ङ) अधूरे कार्यों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 6.12.1999 तक वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान उड़ीसा के सांसदों को जारी की गई निधियों को इंगित करते हुए ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विवरण के विभिन्न कॉलमों में दी गई तिथियां 50 लाख रुपये प्रति किश्त की दर से उन सांसदों को जारी की गई किश्तों के जारी होने की तिथियां इंगित करती है, जिनके नाम विवरण के कालम-2 में दिये गये हैं।

(ख) चूंकि निधियां अव्यपगत होती है, एक वर्ष विशेष में जारी नहीं की गई निधियां अनुवर्ती वर्षों में जारी करने हेतु अग्रेनित की जाती है। इसलिए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है तथा व्यय की गई निधियों की संचयी स्थिति ही उपलब्ध है। योजना के लागू होने से अब तक उड़ीसा राज्य में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र-वार तथा राज्य सभा जिला-वार जारी निधियां संबंधित कलेक्टरों द्वारा स्वीकृति तथा कलेक्टरों से प्राप्त वास्तविक व्यय रिपोर्ट का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) चूंकि निर्वाचन क्षेत्र में जैसे ही अधिशेष 50 लाख रुपये से कम हो जाता है 50 लाख रुपये की अनुवर्ती किश्त जारी कर दी जाती है, इसलिए वहाँ हमेशा कुछ अनुयुक्त राशि रहेगी।

(घ) और (ङ) सांसदों द्वारा अनुशासित कार्यों के कार्यवार विवरण की स्वीकृति तथा इनके पूर्ण होने का कार्यवार ब्यौरा जिला अभिकरणों द्वारा राखा जाता है।

विवरण-I

6.12.1999 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जारी की गई वर्ष 1997-98 की पहली और दूसरी किश्तों, 1998-99 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किश्तों, और 1999-2000 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किश्तों का ब्यौरा

क्र. सं	निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ जिले का नाम संसद सदस्य का नाम	(1997-98) किश्त		(1998-99) किश्त				(1999-2000) किश्त			
		पहली	दूसरी	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
राज्य : उड़ीसा (लोक सभा)											
1.	असका										
	बीजू पटनायक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	नवीन पटनायक	7/7/97	4/12/97	10/11/98	7/7/99	–	–	–	–	–	–
	नवीन पटनायक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	बालासोर										
	कार्तिक महोपात्र	7/7/97	4/12/97	–	–	–	–	–	–	–	–
	महामेधामान अईरा खराबेला द.प.			25/6/98	1/2/99	30/3/99	26/4/99	–	–	–	–
	महामेधामान अईरा खराबेला द.प.	–	–	–	–	–	–	4/11/99	–	–	–
3.	बहराम पुर										
	पी.वी. नरसिंम्हा राव	10/11/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	जयंती पटनायक	–	10/11/98	7/7/99	–	–	–	–	–	–	–
	अनादि चरण साहू	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	भद्रक (अ.जा.)										
	मुरलीधर जैना	27/8/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	अर्जुन चरण सेठी		10/7/98	23/2/99	7/7/99	–	–	–	–	–	–
	अर्जुन चरण सेठी	–	–	–	–	22/11/99	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	भुवनेश्वर										
	सोम्या रंजन पटनायक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	प्रसन्ना कुमार पटासानी	16/10/98	26/3/99	7/7/99	–	–	–	–	–	–	–
	प्रसन्ना कुमार पटासानी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	बोलनगीर										
	शरद पटनायक	12/9/97	3/12/97	–	–	–	–	–	–	–	–
	संगीता कुमारी सिंह देव	–	–	25/1/99	26/4/99	7/7/99	–	–	–	–	–
	संगीता कुमारी सिंह देव	–	–	–	–	–	2/12/99	–	–	–	–
7.	कटक										
	अनादि चरण साहू	7/7/97	4/12/97	–	–	–	–	–	–	–	–
	भर्तृहरि महताब	–	–	10/11/98	17/3/99	7/7/99	–	–	–	–	–
	भर्तृहरि महताब	–	–	–	–	–	4/11/99	22/11/99	22/11/99	–	–
8.	देवगढ़										
	श्री बल्लावा पांडिग्रही	28/11/97	1/12/97	–	–	–	–	–	–	–	–
	देवेन्द्र प्रधान	–	–	26/10/98	15/2/99	26/4/99	–	–	–	–	–
	देवेन्द्र प्रधान	–	–	–	–	–	2/12/99	–	–	–	–
9.	धेनकनाल										
	के.पी. सिंहदेव	11/9/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	टाथागटा सत्पती	–	25/6/98	9/2/99	26/4/99	7/7/99	7/7/99	–	–	–	–
	कामाख्या प्रसाद सिंह देव	–	–	–	–	–	–	4/11/99	–	–	–
10.	जगत सिंह पुर										
	रंजीब बिस्वाल	4/11/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	रंजीब बिस्वाल	–	8/9/98	18/9/98	–	–	–	–	–	–	–
	त्रिलोचन कानूनगो	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	जजपुर (अ.जा.)										
	अंचन दास	4/11/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	रामा चन्द्र मलिक	–	5/8/98	27/11/98	26/4/99	–	–	–	–	–	–
	जगन्नाथ मलिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	कालाहाडी										
	बी.सी. दास	7/7/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	विक्रम केसरी देव	–	16/12/98	7/7/99	–	–	–	–	–	–	–
	विक्रम केसरी देव	–	–	–	2/12/99	–	–	–	–	–	–
13.	केन्द्रपाडा										
	श्रीकान्ता कुमार जैना	7/8/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	प्रभात कुमार सामंतारे	–	10/11/98	3/3/99	26/4/99	7/7/99	7/7/99	–	–	–	–
	प्रभात कुमार सामंतारे	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	क्योंझार (अ.जन.जा.)										
	माधवा सरदार	7/7/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	उपेन्द्र नाथ नायक	–	25/6/98	26/11/98	26/3/99	–	–	–	–	–	–
	अनन्त नायक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	कोरापुट्ट (अ.जन.जा.)										
	गिरधारी गमंग	25/11/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	गिरधारी गमंग	–	15/7/98	26/3/99	–	–	–	–	–	–	–
	हेमा गमंग	–	–	–	4/11/99	2/12/99	2/12/99	–	–	–	–
16.	मयूरभंज (अ.जन.जा.)										
	सुशीला त्रिया	1/10/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	सलखान मुरमु	–	24/3/98	26/11/98	26/4/99	7/7/99	7/7/99	–	–	–	–
	सलखान मुरमु	–	–	–	–	–	–	4/11/99	–	–	–
17.	नवरंगपुर (अ.जन.जा.)										
	खगपति प्रधानी	25/11/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	खगपति प्रधानी	–	21/8/98	18/1/99	7/7/99	–	–	–	–	–	–
	मरझू राम माझी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	फूलबनी (अ.जा.)										
	मृत्युंज्य नायक	4/11/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	पद्मानाभा बहरा	–	27/11/98	20/5/98	26/3/99	26/4/99	–	–	–	–	–
	पद्मानाभा बहरा	–	–	–	–	–	2/12/99	–	–	–	–
19.	पूरी										
	पिनाकी मिश्रा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ब्रजकिशोर त्रिपाठी	16/10/98	27/3/99	7/7/99	–	–	–	–	–	–	–
	ब्रजकिशोर त्रिपाठी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	संबलपुर										
	कृपासिन्धु भूई	25/11/97	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	प्रसन्ना आचार्य	–	25/6/98	27/3/99	9/7/99	–	–	–	–	–	–
	प्रसन्ना आचार्य	–	–	–	–	22/11/99	–	–	–	–	–
21.	सुन्दरगढ़ (अ.जन.जा.)										
	फरीदा टोपना	7/8/97	4/12/97	–	–	–	–	–	–	–	–
	जुआल ओराम	–	–	10/11/98	1/2/99	30/3/99	26/4/99	–	–	–	–
	जुआल ओराम	–	–	–	–	–	–	4/11/99	–	–	–

नोट : पहला नाम 11वीं लोक सभा के सांसद का है।
दूसरा नाम 12वीं लोक सभा के सांसद का है।
तीसरा नाम 13वीं लोक सभा के सांसद का है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

6.12.1999 तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जारी की गई वर्ष 1997-98 की पहली और दूसरी किश्तों, 1998-99 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किश्तों, और 1999-2000 की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किश्तों का ब्यौरा

क्र. सं	निर्वाचन क्षेत्र का नाम/ जिले का नाम संसद सदस्य का नाम	(1997-98) किश्त		(1998-99) किश्त				(1999-2000) किश्त			
		पहली	दूसरी	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी
राज्य : उड़ीसा (राज्य सभा) संसद के वर्तमान सदस्य											
1.	भद्रक										
	अनंता सेठी	27/8/97	28/8/98	10/11/98	23/2/99	26/4/99	23/6/99	—	—	—	—
2.	नवरंगपुर										
	भगवान माझी	12/9/97	18/3/98	10/11/98	26/3/99	23/6/99	—	—	—	—	—
3.	सुन्दरगढ़										
	दलीप कुमार रे	7/7/97	4/12/97	25/6/98	10/11/98	30/3/99	31/5/99	—	—	—	—
4.	सुन्दरगढ़										
	फरीदा टोपनो	—	—	1/12/98	3/3/99	26/4/99	23/6/99	—	—	—	—
5.	बालासौर										
	एम.एन. दास	—	—	7/9/98	26/4/99	—	—	28/6/99	11/10/99	—	—
6.	सुन्दरगढ़										
	मोरिस कूजर	7/7/97	18/3/98	10/11/98	1/2/99	26/4/99	23/6/99	—	—	—	—
7.	क्योंझार										
	रासबिहारी बारिक	7/7/97	4/12/97	25/6/98	26/11/98	30/3/99	10/6/99	11/10/99	15/11/99	—	—
8.	जजपुर										
	रामाचन्द्र खुन्तिया	—	—	10/11/98	26/4/99	—	—	8/7/99	—	—	—
9.	कटक										
	रंगनाथ मिश्रा	—	—	7/9/98	26/4/99	—	—	28/6/99	—	—	—
10.	संबलपुर										
	सनातन बस्सी	26/3/98	9/2/99	31/5/99	11/10/99	—	—	—	—	—	—
राज्य सभा के पूर्व सांसद											
11.	रायगढ़										
	ईला पांडा	27/3/98	1/11/98	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	कटक										
	जयंती पटनायक	7/7/97	4/12/97	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	कटक										
	नरेन्द्र प्रधान	18/3/98	11/6/98	20/5/98	—	—	—	—	—	—	—
14.	खुरदा										
	सोमापा आर. बोम्मई	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

विवरण-II

क्र. सं	सांसदों के नाम (13वीं लोक सभा) निर्वाचन क्षेत्र	1993-2000 भारत सरकार द्वारा जारी (लाख रु. में)	संस्वीकृत राशि (लाख रु. में)	किया गया व्यय (लाख रु. में)	जारी निधियों के उपयोगिता का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
राज्य उड़ीसा (18)					
1.	श्री नवीन पटनायक (लो.स.) असका	505.0	449.9	336.5	66.6
2.	श्री महामेद्याबहन ऐरा खारबेला स्वैन (लो.स.) बालासोर	655.0	604.0	428.1	65.4
3.	श्री अनादि चरण साहू (लो.स.) बहरमपुर	455.0	403.4	320.4	70.4
4.	श्री अर्जुन चरण सेठी (लो.स.) भद्रक (अ.जा.)	455.0	399.2	221.7	48.7
5.	श्री प्रसन्ना कुमार पटासनी (लो.स.) भुवनेश्वर	455.0	387.7	286.8	63.0
6.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (लो.स.) बोलनगीर	555.0	511.3	409.2	73.7
7.	श्री भर्तृहरि महताब (लो.स.) कटक	705.0	605.0	429.1	59.4
8.	श्री देवेन्द्र प्रधान (लो.स.) देवगढ़	555.0	543.9	355.5	64.1
9.	श्री कामाख्या प्रसाद सिंह देव (लो.स.) धेनकनाल	655.0	653.9	301.5	46.0
10.	श्री त्रिलोचन कानूनगो (लो.स.) जगतसिंहपुर	455.0	457.7	388.3	85.3
11.	श्री जगन्नाथ मलिक (लो.स.) जजपुर (अ.जा.)	505.0	418.2	322.0	63.8
12.	श्री विक्रम केशरी देव (लो.स.) कालाहांडी	455.0	375.1	281.6	61.9
13.	श्री प्रभात कुमार सांमरे (लो.स.) केन्द्रपाड़ा	605.0	512.1	320.9	53.0
14.	अनन्त नायक (लो.स.) क्योंझार (अ.जन.जा.)	505.0	452.0	236.4	46.8
15.	श्री हेमा गंमाग (लो.स.) कोरापुट्ट (अ.जन.जा.)	505.0	518.4	436.1	86.4

1	2	3	4	5	6
16.	श्री सलखान मूरमू (लो.स.) मयूरभंज (अ.जन.जा.)	650.0	600.0	345.8	53.2
17.	श्री परशुराम मांझी (लो.स.) नवरंगपुर (अ.जन.जा.)	505.0	455.0	358.4	71.0
18.	श्री पद्मानाभा बेहरा (लो.स.) फूलबनी (अ.जा.)	555.0	465.0	230.1	41.5
19.	श्री ब्रजा किशोर त्रिपाठी (लो.स.) पूरी	455.0	417.9	350.6	77.1
20.	श्री प्रसन्ना आचार्य (लो.स.) संभलपुर	555.0	466.1	277.0	49.9
21.	श्री जूआल ओरम (लो.स.) सुन्दरगढ़ (अ.जन.जा.)	655.0	610.9	395.3	60.3
	कुल राज्य	11400.0	10307	7020.9	61.6
संसद के वर्तमान सदस्य					
1.	श्री सनातन बसी (रा.स.) संभलपुर	500.0	423.7	187.3	37.5
2.	श्री रास बिहारी बारीक (रा.स.) कोनझार	705.0	681.0	391.7	55.6
3.	श्री भगवान माझी (रा.स.) नवरंगपुर	550.0	500.0	409.0	74.4
4.	श्री एम.एन. दास (रा.स.) बालासोर	200.0	148.4	44.3	22.2
5.	श्री रामचन्द्र खुन्टिया (रा.स.) जजपुर	150.0	78.1	13.6	9.1
6.	श्री रंगनाथ मिश्रा (रा.स.) कटक	150.0	62.8	13.1	8.7
7.	श्री दिलीप कुमार रे (रा.स.) सुन्दरगढ़	400.0	343.4	141.0	35.3
8.	श्री मोरिस कूजर (रा.स.) सुन्दरगढ़	400.0	313.7	171.7	42.9
9.	श्री अनंता सेठी (रा.स.) भद्रक	400.0	305.5	133.9	33.5
10.	सुश्री फरीदा टोपनो (रा.स.) सुन्दरगढ़	200.0	120.0	22.1	11.0

1	2	3	4	5	6
	राज्य सभा के पूर्व संसद सदस्य				
11.	श्रीमती ईला पांडा (रा.स.) रायगढ़	405.0	355.0	241.4	59.6
12.	श्री सोमप्पा आर. बुम्मई (रा.स.) खुरदा	305.0	139.4	56.3	18.5
13.	श्री नरेन्द्र प्रधान (रा.स.) कटक	455.0	455.0	332.3	73.0
14.	श्री बसंत कुमार दास (रा.स.) कालाहांडी	205.0	202.1	175.7	85.7
15.	श्रीमती मीरा दास (रा.स.) जगतसिंहपुर	205.0	105.0	105.0	51.2
16.	श्री शारदा मोहंती (रा.स.) कटक	205.0	205.0	175.9	85.8
17.	श्री प्रभात कुमार सामंत रे (रा.स.) केन्द्रपाडा	205.0	191.8	179.9	87.7
18.	श्री के.सी. लेंका (रा.स.) कटक	5.0	5.0	5.0	100.0
19.	श्री मनमोहन माथुर (रा.स.) कालाहांडी	5.0	3.0	0.0	0.0
20.	श्री जयंती पटनायक (रा.स.) कटक	200.0	102.5	30.1	15.1
	कुल राज्य	5850.0	4740.9	2329.3	48.4

पशु चिकित्सालयों की दयनीय स्थिति

2548. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में पशु चिकित्सालयों और औषधालयों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्यवार ऐसे कितने अस्पताल हैं जहां गर्भाधान, टीकाकरण आदि हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार और अधिक क्षेत्रों को सम्मिलित करने हेतु देश भर में कुछ और अस्पताल और गर्भाधान, टीकाकरण केन्द्र खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कौन से स्थानों की पहचान की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं और इनके सुधार हेतु तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक धनराशि आबंटन हेतु सरकार ने क्या योजनाएं तैयार की हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (च) पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवाएं राज्य का विषय है और इसमें पशुचिकित्सा क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना और रख-रखाव शामिल है। केन्द्र सरकार, पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता और राष्ट्रीय पशु रोग उन्मूलन परियोजना जैसी केन्द्रीय योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करके पशु रोगों के नियंत्रण में राज्यों के प्रयासों की पूर्ति करती है। पशु स्वास्थ्य कवर को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अस्पताल, डिस्पेंसरी, गर्भाधान और टीकाकरण केन्द्रों आदि की स्थापना की जाती है।

(ङ) और (च) ऊपर लिखित योजनाओं के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार, राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम, समेकित डेयरी विकास कार्यक्रम आदि जैसी अन्य संबंधित योजनाओं के जरिए भी राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। ये तीनों योजनाएं

विशेष कार्य योजना का एक अंग है जिसके लिए नौवीं योजना के अंतर्गत उच्च बजट आबंटन रखा गया है।

[हिन्दी]

समेकित औद्योगिक क्षेत्र विकास (आंई आई ए डी) योजना

2549. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को केन्द्र सरकार के समेकित औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत चुना गया है जिन्हें लघु औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार के अनुदेशों का अनुसरण करना है और अग्रिम ऋण भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये मामले उपरोक्त योजना के अंतर्गत विचाराधीन है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों के लिए एकीकृत आधारभूत विकास (आई आई डी) योजना केन्द्र सरकार द्वारा पूरे देश में कार्यान्वित की जा रहीं है जिसके अंतर्गत आई आई डी केन्दों (5.00 करोड़ रु० की अनुमानित लागत तक) की स्थापना की जाती है। परियोजना लागत भारत सरकार तथा सिडबी द्वारा 2:3 के अनुपान में वहन की जाती है। केन्द्र सरकार का हिस्सा अनुदान के रूप में तथा सिडबी का हिस्सा ऋण के रूप में दिया जाता है। 5.00 करोड रु० से अधिक की लागत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों द्वारा वहन की जाती है। आई आई डी योजना के अंतर्गत, अभी तक दो केन्द्र–एक ग्राम नदनटोला जिला सतना तथा दूसरा ग्राम बंदौल जिला सिओनी में स्वीकृत किए गए हैं। नदनटोला, आई आई डी प्रगति पर है तथा केन्द्र सरकार द्वारा 89.00 लाख रु० का अनुदान पहले ही दिया जा चुका है।

(ग) आई आई डी के दो केन्द्रों की स्थापना, एक जिला मंदसौर में तथा दूसरा जिला खरगोन में, करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

भारत और बांग्लादेश के बीच सामान के परिवहन हेतु एजेन्सी

2550. श्री समर चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश सरकार ने कलकत्ता से पूर्वोत्तर क्षेत्र को सामान के परिवहन के लिए अपनी एजेन्सी नामित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भू-जल पारगमन और व्यापार से संबद्ध भारत-बंगलादेश प्रोतोकोल के प्रावधानों के तहत, इस प्रोतोकोल के प्रयोजन के लिए बंगलादेश की ओर से बंगलादेश भू-जल परिवहन निगम (बी आई डब्ल्यू टी सी) सक्षम प्राधिकारी है।

मई 1999 में बंगलादेश के वाणिज्य मंत्री की यात्रा के दौरान, इस बात पर समझौता हुआ था कि 1980 के भारत-बंगलादेश व्यापार करार के अनुच्छेद-8 और 1993 के साप्टा संबंधी करार के अनुच्छेद-12 के अनुसरण में, अन्य बातों के साथ-साथ बंगलादेश के वाहनों द्वारा बंगलादेश होकर भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं के संचालन के लिए रूप-रेखाओं पर विचार करने के लिए एक संयुक्त विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा।

[हिन्दी]

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हिन्दी को मान्यता

2551. श्री रामानन्द सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कई भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है जिनके बोलने वालों की संख्या हिन्दी बोलने वालों की संख्या से भी कम है; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हिन्दी को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हाँ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिलाने के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान गया है। इस समय संयुक्त राष्ट्र में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रूसी और चीनी 6 आधिकारिक भाषाएँ हैं। किसी और भाषा को स्थान दिलाने का मामला संगठन की सुस्थापित प्रक्रिया नियम के अन्तर्गत अधिशासित होता है और इसके लिए सयुंक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। समुचित मात्रा में समर्थन हासिल करने में महत्वपूर्ण बात राष्ट्रीय शिष्टमण्डलों की वह संख्या होगी जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कदम के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ होगा। एक और भाषा को स्थान दिए जाने में संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से भारी मात्रा में व्यय करना पड़ेगा जिसका कि वित्त पोषण पूरी तरह से उसके सदस्य राज्यों के निर्धारित अंशदानों से होता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद-17(2) में यह प्रावधान है कि संगठन का खर्च सदस्यों द्वारा महा सभा द्वारा किए गए प्रभाजन के अनुसार वहन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के समक्ष आ रहे वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए एक और आधिकारिक भाषा का प्रस्ताव रखना व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, सरकार संयुक्त राष्ट्र महा सभा में भारतीय नेताओं द्वारा हिन्दी में दिए गए भाषणों के तात्कालिक अनुवाद के लिए व्यवस्था करती रही है।

[अनुवाद]

अंतरिक्ष क्षमताएं

2552. **श्री अन्ना साहेब एम०के० पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों को अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को वाणिज्यिक दृष्टि से उपलब्ध कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन्सेट तीन उपग्रहों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर छोड़ने के चीन सरकार के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) अन्तरिक्ष विभाग अपने वाणिज्यिक अंग, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बेंगलूर में स्थित है, के माध्यम से इसरो से उपलब्ध विविध उत्पादों और सेवाओं का विपणन करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्पेस इमेजिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक करार के माध्यम से आई.आर.एस. आंकड़ा उत्पादों के विपणन तथा आई.आर.एस. उपग्रहों के समूह के माध्यम से सुदूर संवेदन आंकड़ों को उपलब्ध कराना। इस समय सम्पूर्ण विश्व में सात केन्द्र आई.आर.एस. उपग्रहों से आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं।
- ह्यूजिज स्पेस एण्ड कम्युनिकेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका, मत्रा मार्कोनी स्पेस, फ्रांस इत्यादि जैसी विविध अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष एजेंसियों को उपग्रह के उपस्करों और उप-प्रणालियों की आपूर्ति करना।
- वर्ल्ड स्पेस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी (इ.एस.ए.) और अन्यों को भू-प्रणाली संबंधी सहायता प्रदान की जाती है।
- दक्षिण कोरिया और जर्मनी को प्रमोचन सेवाएं प्रदान की गई।
- अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री उपग्रह (इन्मारसैट) और अन्यों के लिए प्रणाली अध्ययन आयोजित किए गए।
- दक्षिण कोरिया एवं अरब उपग्रह संचार संगठन (अरबसैट) को पारदर्शिता और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की गई।

(ग) और (घ) एरियनस्पेस, फ्रांस के द्वारा इन्सैट-3ए और इन्सैट-3बी के लिए प्रमोचन सेवाओं को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इसके बाद की प्रमोचन सेवाओं की आवश्यकता के प्रश्न पर अभी विचार किया जाना बाकी है। प्रमोचक राकेटों के सभी आवेदनों, जिसमें चीन के प्रमोचक राकेटों का प्रस्ताव भी शामिल हैं, पर उपयुक्त रूप में विचार किया जाएगा।

बीज नीति समीक्षा दल की सिफारिशें

2553. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीज नीति समीक्षा दल ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि केन्द्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार का 5 से 10 प्रतिशत तक पर आधिपत्य रखने के उद्देश्य से निर्यात के लिए एक दीर्घकालिक नीति तैयार की जाए;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है; और

(घ) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) जी, हाँ।

(ख) 10 वर्ष की अवधि में बीजों के 5-10% विश्व व्यापार पर कब्जा करने के उद्देश्य से बीजों के निर्यात के बारे में निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की गयी हैं:-

(1) निर्यात प्रस्तावों पर निर्णय तदर्थ आधार पर नहीं लिये जाने चाहिये।

(2) प्रतिबन्धित सूची की मदों के निर्यात प्रस्तावों पर निर्णय शीघ्र लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए, वार्षिक प्रमात्रात्मक सीमा लगानी चाहिये। ये सीमाएं संशोधित की जानी चाहिये और प्रतिबंधित सूची न्यूनतम होनी चाहिए।

(3) बीज नीति से निर्यात के लिए सीमा शुल्क (कस्टम) उत्पादन में सुविधा होनी चाहिए।

(4) 4-5 क्षेत्र स्तरीय बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को अन्तर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (इण्टरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोशिएशन) की सदस्यता प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए।

(5) बीज उद्योगों और इनके संगठनों को केन्द्र सरकार की सीमित सहायता से बीज प्रवर्द्धन परिषद (सीड प्रमोशन कौन्सिल) की स्थापना की संभावना की जाँच करनी चाहिए।

(ग) और (घ) शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार इस पर सक्रियता से विचार कर रही है।

केन्द्रीय सचिवालय परिसर में सहकारी भंडार

2554. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सचिवालय परिसर में चलाए जा रहे सहकारी भंडारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत में नॉर्थ ब्लॉक सहकारी भंडार से लेखन और अन्य कार्यालयी सामग्रियों की खरीददारी के लिए केन्द्रीय/दिल्ली सरकार और अर्ध-सरकारी विभागों का प्रयोग किया जाता था;

(ग) क्या कार्मिक विभाग के आदेशानुसार सरकारी खरीदारी केवल केन्द्रीय भंडार/सुपर बाजार/एन.सी.सी.एफ. से ही हो सकती थी और क्या इसके परिणामस्वरूप इन संगठनों की सरकारी खरीदारी के मामले में एकाधिकार व्याप्त है जो इन संगठनों में भ्रष्टाचार के जनक हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय भंडार/सुपर बाजार/एन.सी.सी.एफ. को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और वर्तमान सरकारी खरीद प्रणाली में सुधार लाने हेतु अन्य सहकारी भंडारों से सरकारी-खरीदारी करने की अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) पंजीयक, सहकारी समितियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा सूचित स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) केन्द्रीय/दिल्ली-सरकार के कार्यालयों आदि को नोर्थ ब्लॉक के सहकारी भंडारों से लेखन सामग्री तथा कार्यालय से संबंधित अन्य वस्तुएं खरीदने के लिए प्राधिकृत करने के बारे में सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं।

(ग) से (च) केन्द्रीय भंडार, सुपर बाजार और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता-संघ की शेयर पूंजी में किए गए भारी निवेश और उक्त तीनों सहकारी उपभोक्ता-समितियों के कार्य-कलापों पर सरकार के व्यापक नियंत्रण के मद्देनजर, दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से यह अपेक्षित है कि वे लेखन-सामग्री तथा अन्य वस्तुएं उपर्युक्त सहकारी समितियों से खरीदें। मंत्रालयों/विभागों आदि को इन सहकारी समितियों से की जाने वाली खरीद के लिए टेंडर-प्रक्रिया का अनुपालन किए जाने से भी छूट दी गई है। इन सहकारी समितियों में यदि भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत मिले तो उसकी जाँच-पड़ताल के लिए अपने-अपने पूर्ण विकसित सतर्कता-एकक हैं।

इन अनुदेशों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त अन्य सहकारी भंडारों पर भी लागू करने की दृष्टि से, इनका दायरा बढ़ाए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय सचिवालय-परिसर में चलाए जा रहे सहकारी भंडारों की सूची

क्रम सं०	भंडारों के नाम एवं पते	पंजीकरण संख्या
1	2	3
1.	केन्द्रीय सचिवालय-उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली	143
2.	कृषि विभाग का उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, कृषि भवन, नई दिल्ली	659
3.	खाद्य विभाग, उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, कृषि भवन, नई दिल्ली	785
4.	सिविल आपूर्ति-मंत्रालय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, कृषि भवन, नई दिल्ली	551
5.	सी. एंड आई. कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, उद्योग भवन, नई दिल्ली	359
6.	नया संगम उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, उद्योग भवन, नई दिल्ली	574
7.	स्वास्थ्य और परिवार-कल्याण-मंत्रालय, उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, निर्माण भवन, नई दिल्ली	248
8.	वित्त-मंत्रालय, उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, नोर्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली	753
9.	रेल-मंत्रालय, उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, रेल भवन, नई दिल्ली	1
10.	राष्ट्रपति संपदा, उपभोक्ता सहकारी भंडार लि०, दुकान सं०-3, नई दिल्ली	1658

[हिन्दी]

मत्स्यन, मुर्गीपालन और पशु-धन का विकास

2555. डा० चरण दास महंत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश को मत्स्यन, मुर्गीपालन और पशु-धन के विकास हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इस संबंध में चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश में मत्स्यन, मुर्गीपालन और पशु-धन के विकास के लिए इनकी विशाल क्षमताओं के बावजूद सहकारी क्षेत्र द्वारा पर्याप्त प्रयास नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में उपयुक्त सर्वेक्षण के द्वारा योजनाएं/परियोजनाएं तैयार कर गरीब और कमजोर वर्गों के विकास के लिए तुरन्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) मध्य प्रदेश सरकार ने मात्स्यिकी विकास के लिए दिनांक 31 मार्च, 1999 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लगभग 1.262 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

(ख) राज्य सरकार की सिफारिश पर, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने मध्य प्रदेश राज्य में मात्स्यिकी, कुक्कुट तथा डेयरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के क्रियाकलापों के लिए सहायता के रूप में 474.19 लाख रुपये की मंजूरी दी है। उक्त राशि की मंजूरी एकीकृत सहकारी विकास परियोजना स्कीमों के तहत दी गई है।

(ग) और (घ) सहकारी समितियों का विकास राज्य का विषय है। राज्य सरकारें प्राथमिक तौर पर सर्वेक्षण करने, विभिन्न सहकारी गतिविधियों के विकास के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने तथा संभावित क्षेत्रों के दोहन के लिए उपयुक्त प्रस्तावों/परियोजनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्य सरकारों की गारन्टी पर सहकारी क्रियाकलापों के लिए सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करता है।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

2556. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बारहवीं लोक सभा के सदस्यों द्वारा 26 अप्रैल, 1999 से पहले अनुशासित कार्यों को 1 नवम्बर, 1999 तक कार्यान्वित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिला अधिकारियों को आवश्यक निदेश जारी कर दिएं गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों की प्रति सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ङ) इस मंत्रालय के पत्र सं० सी/48/97 एम पी लैड्स, दिनांक 1/11/99 द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को सुझाव दिया गया था कि वे बारहवीं लोक सभा के सांसदों द्वारा अनुशासित तथा जिला कलेक्टरों को 26.4.1999 तक प्राप्त सभी कार्यों को, निर्देश जारी होने की तिथि 1.11.99 से 30 दिनों के अंन्दर स्वीकृति प्रदान करें बशर्ते कि दिशा-निर्देशों की अन्य सभी शर्तों को पूरा किया गया हो। निर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

सं.सी/48/97-एमपीलेड्स
बी. के. अरोड़ा निदेशक
टेलीफोन : 3344933

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
ई० मेल : एम.पी.आई. एम.पी.आई. दिल्ली एन.एस.आई.एन.

दिनांक: 01, नवम्बर/1999

सेवा मे,

सभी जिला मजिस्ट्रेटों/
जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों।

विषय : 12वीं लोकसभा के सांसदों द्वारा अनुशासित कार्यों के कराए जाने हेतु सिद्धांत।

महोदय/महोदया,

यह पत्र इस विभाग के उपरोक्त विधायक समसंख्यक पत्र दिनांक 6 जुलाई, 1999 के अनुक्रम में है।

2. अपरोक्त संदर्भित स्पष्टीकरण के जारी किए जाने के बाद अधिकतर कलेक्टर 12वीं लोकसभा के सांसदों द्वारा अनुशासित कार्यों को स्वीकृति प्रदान नहीं कर सके क्योंकि भारत के चुनाव आयोग द्वारा 11 जुलाई, 99 को चुनावों की आदर्श आचार संहिता को लागू करने की घोषणा कर दी गई थी।

3. अब जब चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गई है, जिलों द्वारा 12वीं लोकसभा के आंकड़ों से प्राप्त अनुशंसाओं जो कि संचित हो गई हैं के बारे में कार्रवाई करने हेतु स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है।

4. मामले पर विचार किया गया है और ये निर्णय लिया गया है कि 12वीं लोकसभा के सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों जो कि जिला कलेक्टरों द्वारा 26 अप्रैल, 99 तक प्राप्त किए गए हों के लिए वर्तमान स्पष्टीकरण के जारी होने के 30 (तीस) दिन के अंदर-अंदर स्वीकृति जारी की जाए बशर्ते कि ये दिशा-निर्देशों की अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

भवदीय
ह०/-
(बी. के. अरोड़ा)

सेन्ट्रल स्टेट फार्म, रायचूर

2557. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक के रायचूर जिले में जावलगेरे में सेन्ट्रल स्टेट फार्म द्वारा कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ख) उसमें से कितने एकड़ भूमि में कृषि कार्य किया जा रहा है और कितने एकड़ भूमि का अनुसंधान कार्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है;

(ग) अब तक कितनी भूमि का उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) केन्द्र सरकार ने अप्रयुक्त भूमि के उचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) और (ख) उक्त फार्म के लिये 1969 में 7400 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था । इस फार्म में कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया जाता है। निम्न वर्षों में खेती के तहत लाये गये क्षेत्र इस प्रकार हैं :-

वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1995-96	3555
1996-97	3482
1997-98	2222
1998-99	1877

(ग) अनप्रयुक्त भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1995-96	3845
1996-97	3918
1997-98	5178
1998-99	5523

(घ) इस फार्म पर सिंचाई सुविधा संवर्द्धन के लिए, निगम ने तुंगभद्रा से 31.5 क्यूसेक पानी निकालने के लिये एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया है। इससे विश्वसनीय सिंचाई सुविधा के अन्तर्गत 3500 एकड़ भूमि के लाये जाने की आशा है। इसके अलावा, 2500 एकड़ गैर कृष्य योग्य भूमि के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस मामले की जाँच चल रही हैं।

गंगावरम पत्तन

2558. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गंगावरम पत्तन के विकास के लिए विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्राधिकारियों से 1100 एकड़ भूमि मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्राधिकारियों ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों के परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है। अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

नकदी फसलों का उत्पादन

2559. **श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नकदी फसल को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित धनराशि, वास्तव में जारी की गई धनराशि और खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यों में विशेषकर हरियाणा में नकदी फसलों के विकास हेतु इन योजनाओं को कहां तक लागू किया गया है;

(घ) हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों में वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में नकदी फसलों के उत्पादन हेतु क्या प्रोत्साहन दिया गया है/दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में नकदी फसल के उत्पादन में हरियाणा की क्या स्थिति है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०वी०पी०वी०के० सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नकदी फसलों के विकास के लिये, देश में तीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें यथा गहन कपास विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०) विशेष जूट विकास कार्यक्रम (एस०जे०डी०पी०) और गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास (एस० यू०बी०ए०सी०एस०), चलाई जा रही हैं। विशेष जूट विकास कार्यक्रम का 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। जबकि अन्य दोनों स्कीमों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें 75:25 के आधार पर भागीदारी निभाती हैं। वर्ष 1998-99 के दौरान केन्द्रीय हिस्से के रूप में किया गया राज्यवार आवंटन, निर्मुक्ति और व्यय और चालू वर्ष अर्थात् 1999-2000 नवम्बर 1999 तक की आवंटित राशि और निर्मुक्ति को संलग्न विवरण I, II और III में दर्शाया गया है।

हरियाणा में, केवल कपास और गन्ने की स्कीमें चलायी जा रही हैं क्योंकि इस राज्य में जूट का उत्पादन नहीं होता है। इन नकदी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये किसानों को प्रौद्योगिकी के अंतरण के माध्यम से, जिसमें खेत पर प्रदर्शन, किसानों को प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण आदानों जैसे कि नयी किस्म के प्रमाणित बीज, अभिज्ञात उपकरणों आदि, की आपूर्ति भी शामिल है,—सहायता की जा रही है। 1999-2000 के लिए किये गये आबंटन को संलग्न विवरण I, II और III में दर्शाया गया है जबकि वर्ष 2000-2001 के लिए आबंटन राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के बाद किया जायेगा।

(ङ) 1998-99 को समाप्त होने वाले त्रिवर्षीय अवधि में हरियाणा तथा पूरे देश में नकदी फसलों का औसत उत्पादन इस प्रकार रहा है :-

फसल	भारत	हरियाणा	कुल का %
कपास (लाख गांठें)	124.20	11.70	9.42
गन्ना (लाख टन)	2814.93	78.16	2.78

विवरण-I

गहन कपास विकास कार्यक्रम (आई०सी०डी०पी०) के अंतर्गत 1998-99 के दौरान किये गये राज्यवार केन्द्रीय आवंटन निर्मुक्ति और व्यय तथा 1999-2000 के लिए (नवम्बर, 99 तक) किये गये आवंटन और निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)(केन्द्रीय हिस्सा)

राज्य	1998-99			1999-2000	
	आवंटन	जारी धनराशि	व्यय	आवंटन	जारी धनराशि
आन्ध्र प्रदेश	195.37	153.00	165.18	208.97	144.10
गुजरात	118.69	104.00	83.38	86.58	26.00
हरियाणा	103.69	66.77	57.87	126.61	39.00
कर्नाटक	98.14	92.00	95.96	122.50	76.60
मध्य प्रदेश	106.81	60.00	59.70	59.56	18.00
महाराष्ट्र	406.59	307.00	317.78	361.53	108.00
उड़ीसा	64.39	41.00	40.88	48.05	48.05
पंजाब	456.38	259.00	131.04	570.47	171.00
राजस्थान	440.27	323.00	178.49	99.36	30.00
तमिलनाडु	221.63	112.00	221.29	206.71	62.00
उत्तर प्रदेश	89.10	64.00	41.56	76.31	23.00

विवरण-II

विशेष जूट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1998-99 के दौरान किये गए राज्यवार केन्द्रीय आवंटन, निर्मुक्ति, व्यय और 1999-2000 (नवम्बर, 99 तक) के आवंटन और निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में) (केन्द्रीय हिस्सा)

राज्य	1998-99			1999-2000	
	आवंटन	जारी धनराशि	व्यय	आवंटन	जारी धनराशि
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	37.79	12.50	25.94	26.03	21.24
असम	100.00	88.00	9.30	87.05	20.00
बिहार	29.65		24.09	44.22	6.47
मेघालय	50.00	51.00	36.00	8.90	5.00
उड़ीसा	45.10	68.00	42.85	33.49	33.42
त्रिपुरा	15.00		18.74	12.41	5.00
उत्तर प्रदेश	20.30		9.58	12.55	5.00
पश्चिम बंगाल	195.78	180.78	109.11	182.35	55.00

विवरण-III

गन्ना आधरित फसल प्रणाली वाले क्षेत्रों के सतत विकास के अंतर्गत 1998-99 के दौरान किये गये राज्यवार केन्द्रीय आवंटन, निर्मुक्ति, व्यय और 1999-2000 (नवम्बर, 99 तक) के आवंटन और निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में) (केन्द्रीय हिस्सा)

राज्य	1998-99			1999-2000	
	आवंटन	जारी धनराशि	व्यय	आवंटन	जारी धनराशि
आन्ध्र प्रदेश	166.70	148.00	115.45	135.00	58.18
असम	48.42			18.00	5.00
बिहार	156.32		135.15	78.00	39.78
गोआ	12.95		5.17	5.26	3.00
गुजरात	137.57	105.00	84.62	96.00	29.00
हरियाणा	93.29	76.00	44.21	75.00	23.00
कर्नाटक	213.42	127.00	102.35	198.00	60.31
केरल	40.38	38.00	10.29	30.00	16.68
मध्य प्रदेश	106.93	73.00	63.81	78.00	23.00
महाराष्ट्र	580.27	580.00	417.09	447.00	201.63
मणिपुर	30.00	20.00	18.59	21.00	8.13
मिजोरम	30.00	21.30	19.73	21.00	10.72
नागालैण्ड	22.51	17.10	9.83	21.00	6.00
उड़ीसा	49.64	27.00	25.51	33.00	33.00
पंजाब	82.80	43.00	10.02	51.00	15.00
राजस्थान	116.05	69.00	28.86	81.00	24.00
तमिलनाडु	165.30	94.00	121.87	126.00	59.63
त्रिपुरा	15.01		6.22	15.00	5.00
उत्तर प्रदेश	541.49	91.00	144.30	450.00	186.30
पश्चिम बंगाल	46.04	24.00		30.00	9.00
पांडिचेरी	19.98		2.72	10.00	3.00

बाल विकास सेवा

2560. श्री कृष्णमराजू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आंध्र प्रदेश राज्य से बाल श्रम का उन्मूलन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया कोई कार्यक्रम केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समेकित बाल विकास सेवा विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में बाल श्रम के शीघ्र उन्मूलन हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आंध्र प्रदेश के 22 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है इन परियोजनाओं के तहत् 58,050 कामकाजी बच्चों को कार्यमुक्त कराने या उनके पुनर्वास हेतु 515 विशिष्ट विद्यालयों/केन्द्रों को मंजूरी दी जा चुकी है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत महबूबनगर तथा आदिलाबाद जिलों के बाल श्रमिकों को कार्यमुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दो परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे थे। सरकार ने दोनों जिलों में 40 विशिष्ट विद्यालयों/केन्द्रों की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिनमें से प्रत्येक में 50 बच्चे होंगे।

(ङ) और (च) सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित बाल विकास सेवा परियोजना (आई सी डी एस) को 23.3.99 को मंजूरी दे दी है। परियोजना में 143 नए प्रखंडों में आई सी डी एस योजना के विस्तार तथा आंध्र प्रदेश के मौजूद 108 आई सी डी एस प्रखंडों में सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर बल दिया गया है। 5 वर्षों के लिए कुल परियोजना लागत 392.75 करोड़ रुपये है। परियोजना के लिए विश्व बैंक की 75 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की सहायता उपलब्ध है।

नेफेड में अनियमितताएं/भ्रष्टाचार

2561. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री शीश राम सिंह रवि :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष आपातकालीन प्याज व्यवस्था संबंधी (हैंडलिंग) कार्यों के दौरान करोड़ों रुपये के घोटाले में संलिप्त भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ में हुई कोई अनियमितताएं/भ्रष्टाचार सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध कोई जाँच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) ने सूचना दी है कि उनके सतर्कता कक्ष ने वर्ष 1998 के दौरान खरीदे गए प्याज की प्रारंभिक जांच-पड़ताल कर ली है तथा इस रिपोर्ट की जांच चल रही है। यदि नेफेड के किसी अधिकारी के विरूद्ध आरोप सिद्ध हो जाता है, तो संघ की आचार, अनुशासनिक तथा अपील नियमावली के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

अपराधियों का प्रत्यर्पण

2562. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपराधियों के प्रत्यर्पण में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ख) प्रत्यर्पित अपराधियों की संख्या कितनी है;

(ग) भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि वाले देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्यर्पण संधि सूची वाले उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनसे निकट भविष्य में ऐसी संधि किए जाने की संभावना है;

(ङ) आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार को किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) प्रत्यर्पण संबंधी सभी अनुरोध राजनयिक माध्यमों से संबंधित देश को विचारार्थ भेजे जाते हैं। तब प्रार्थित राज्य की सरकार तथा सक्षम न्यायालय इन अनुरोधों पर इस दृष्टि से विचार करते हैं कि क्या प्रथम दृष्टता में मामला बनता है और क्या भगोड़े अपराधी को प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में अक्सर समय लगता है क्योंकि जिस व्यक्ति का प्रत्यर्पण मांगा जाता है वह विधि द्वारा उपलब्ध उपायों का सहारा लेता है इससे प्रत्यर्पण में देरी होती है।

(ख) और (च) 1995-99 की अवधि में सात भगोड़े अपराधियों का भारत में प्रत्यर्पण किया गया। हाल में भारत ने 10 अन्य भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण का भी अनुरोध किया है इन पर विभिन्न देशों में विचार किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान भारत ने भी 4 भगोड़े अपराधियों का अन्य देशों को प्रत्यावर्तन किया है।

(ग) भारत ने निम्नलिखित ग्यारह देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की है: बेल्जियम, भूटान, कनाडा, हांगकांग, नेपाल, नीदरलैण्ड, रूसी परिसंघ, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यू.के. और अमेरिका।

(घ) भारत की 5 देशों फ्रांस, मंगोलिया, ओमान, पोलैंड और ट्यूनीशिया के साथ आधिकारिक स्तर पर प्रत्यर्पण संधियों के संबंध

में सहमति हो गई है। इन देशों के साथ निकट भविष्य में संधि सम्पन्न होने की संभावना है।

(ङ) आर्थिक अपराध, चाहे वे कर से संबंधित है या राजस्व से अथवा पूर्णतया राजकोषीय है, प्रत्यर्पण संधियों के तहत वे प्रत्यर्पणीय अपराध हैं अत: प्रत्यर्पण संधि के सभी प्रावधान आर्थिक अपराधों पर भी लागू होते हैं।

जी-8 शिखर सम्मेलन में कारगिल मुद्दे पर चर्चा

2563. श्री माधवराव सिंधिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का ध्यान हाल ही के कॉलोन में हुए जी-8 शिखर सम्मेलन में कारगिल मुद्दा संबंधी विचार-विमर्श के बारे में जर्मनी के विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जी-8 के विदेश मंत्रियों ने इस बैठक में कारगिल में पाक समर्थित घुसपैठियों का कोई उल्लेख नहीं किया और इस बात पर जोर दिया कि "पश्चिमी देश कारगिल पर दर्शक की भूमिका अदा नहीं कर सकते";

(ग) यदि हाँ, तो क्या अमरीका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसी परमाणु शक्तियों ने शिखर सम्मेलन में इस संघर्ष में मध्यस्थता करने की आवश्यकता पर बल दिया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) भरत के विरूद्ध जम्मू और कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तान के आक्रमण की निंदा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गयी है जिससे जी-8 के देश भी शामिल हैं। जी-8 ने सैन्य कार्रवाई के जरिए नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति का उल्लंघन करने की पाकिस्तान की कोशिश की आलोचना की है। उन्होंने इस कार्रवाई को "गैर-जिम्मेदाराना" ठहराया है तथा नियंत्रण रेखा पर तत्काल यथास्थिति बहाल किये जाने की मांग की है। उन्होंने पाकिस्तान से लाहौर घोषणा की भावना के अनुरूप भारत के साथ पुन: वार्ता आरंभ करने का भी आह्वान किया है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान से भारत के साथ सभी मसलों को द्विपक्षीय चर्चाओं के आधार पर हल किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

जर्मनी के विदेश मंत्री द्वारा की गयी टिप्पणी के संबंध में जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मंत्री पर जो आरोप लगाया गया था वह गलत था।

सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय, जिनमें जी-8 के देश भी शामिल हैं, की प्रतिक्रियाओं का स्वागत किया है। हमने पाकिस्तान के साथ सभी अनसुलझे मसलों का हल शिमला समझौते तथा लाहौर घोषणा के अनुरूप निकालने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। इसके लिए पाकिस्तान को सीमा-पार के आतंकवाद और भारत के विरूद्ध शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार को छोड़कर इन करारों के अनुपालन करने का परिचय देना होगा। सरकार ने यह भी दोहराया है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो भारत पाकिस्तान के संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी के लिए कोई स्थान नहीं है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले

2564. श्री भर्तृहरि महताब : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता में संशोधन करने हेतु योजना आयोग को कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उड़ीसा के लोगों की प्रतिशतता के अपने अनुमान में संशोधन किया है;

(ग) उड़ीसा में इस समय कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने राज्य में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की गरीबी रेखा अंगीकार करने हेतु अभ्यावेदन किया था।

(ख) और (घ) योजना आयोग ने गरीबों के अनुपात व संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल (लकड़ावाला समिति) की सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत, गरीबी का अनुमान लगाने हेतु विशेष दल द्वारा सुझायी गई पद्धति को अपनाया है। इस पद्धति के अंतर्गत, गरीबी का अनुमान लगाने के लिए सभी राज्यों में समान रूप से प्रयुक्त राष्ट्रीय गरीबी रेखा के बजाय राज्य-विशिष्ट मूल्य सूचकांकों से संगणित राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखा का प्रयोग किया जाना होता है।

(ग) नवीनतम अनुमानों के अनुसार, 1993-94 में, उड़ीसा में 48.56 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे।

[हिन्दी]

बाल श्रम

2565. श्री रामदास आठवले : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में बाल श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को इन क्षेत्रों में श्रम कानूनों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) से (घ) बाल श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में उल्लिखित 13 व्यवसायों तथा 51 प्रक्रमों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन निषिद्ध किया गया है। अन्य व्यवसायों तथा प्रक्रमों में बच्चों की नियोजन शर्तों को अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। केन्द्र सरकार तथा राज्य/संघ राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में श्रम विधानों का प्रवर्तन सुनिश्चित करती हैं। केन्द्र सरकार रेलवे, बड़े पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों तथा केन्द्र सरकार के नियंत्रण वाले प्रतिष्ठानों में बाल श्रम (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के प्रति उत्तरदायी है। उक्त प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण किए जाने का पता नहीं चला है। अन्य सभी मामलों में, अधिनियम के प्रवर्तन हेतु राज्य/संघ राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। अधिनियम के तहत प्रतिषिद्ध व्यवसायों तथा प्रक्रमों में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोक्ताओं पर अधिनियम के उपबंधों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है।

अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य/संघ राज्य सरकारें केन्द्र सरकार को सूचना भेजती हैं। उपलब्ध सूचनानुसार, अधिनियम के तहत वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 तथा 1998-99 में पाए गए उल्लंघन के मामलों तथा शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	उल्लंघन के मामले	जिन पर अभियोजन शुरू किया गया
1996-97	1868	458
1997-98	2329	1749
1998-99 (अनंतिम)	798	1235

श्रम कानूनों के प्रवर्तन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि उनकी कमियों का पता चल सके और उसके लिए उपचारात्मक कदम उठाए जा सकें। बच्चों को कार्यमुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का गठन किया गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे जनजातीय बहुल आबादी वाले राज्यों में बहुत सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

[अनुवाद]

विलंबित परियोजनाएं

2566. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा एक हजार करोड़ रुपये से भी अधिक की सौ से भी अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की देखरेख की जा रही है और इनमें से अधिकांश परियोजनाएं विलंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं और शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में 50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं में निर्धारित समय और लागत हेतु जिम्मेदारी तय करने के लिए स्थायी समितियां गठित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने कोई जिम्मेदारी तय की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं में निर्धारित सीमा से अधिक समय तथा लागत के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) नवंबर 1999 तक 1000 करोड़ रुपये की लागत वाली 35 परियोजनाओं का प्रबोधन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन द्वारा किया जा रहा था। इनमें से 23 परियोजनाएं अपनी अद्यतन अनुमोदित अनुसूची की तुलना में विलंबित हैं।

(ख) विलंब के कारण परियोजना दर परियोजना भिन्न होते हैं। तथापि इसके सामान्य कारणों में प्रशासनिक एवं कार्यविधिक विलंब, भूमि अधिग्रहण में विलंब, कार्य-ठेके देने में विलंब, सिविल ठेकेदारों की असफलता, उपस्करों की आपूर्ति में विलंब, कार्यान्वयन की दोषपूर्ण प्रक्रिया तथा गैर जिम्मेदार प्रबोधन प्रणाली शामिल हैं। इन परियोजनाओं की समय एवं लागत वृद्धि को कम करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

(1) सरकार द्वारा मासिक तथा त्रैमासिक प्रबोधन। अवरोधों को अभिज्ञात करने में ये प्रबोधन अधिकरणों को समर्थ बनाते हैं तथा प्रबंधकों को उपचारात्मक उपाय करने में सहायता प्रदान करते है;

(2) परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन आलोचनात्मक समीक्षा, विलंब को कम करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों, उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा संबंधित अधिकरणों के साथ समन्वय;

(3) अंतरमंत्रालयी प्रकृति की समस्याओं के समाधान के लिए अंतिमंत्रालयी समन्वय;

(4) संविदा पैकेजों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकृत समितियों का गठन;

(5) कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था वाली परियोजनाओं को समय-सूची के अनुसार पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना; और

(6) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमा के अनुसार कार्यान्वयन के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता का पुनर्निर्धारण।

(ग) से (ङ) 50 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं में नियमित आधार पर समय एवं लागत वृद्धि के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए योजना आयोग, व्यय विभाग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ अपर सचिव/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। 15 अक्तूबर, 1999 तक स्थायी समिति की समीक्षार्थ रखी गई 28 परियोजनाओं पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की स्थायी समितियों ने विचार विमर्श किया। समितियों के निर्णयों तथा संबंधित

मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तावित विशेष कार्रवाईयों को संशोधित लागत अनुमान का एक हिस्सा बनाया जाता है तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के समक्ष अनुमोदन एवं निर्देशों हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

गोदावरी कार्य योजना

2567. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से गोदावरी कार्य योजना को केन्द्रीय परियोजना के रूप में लागू करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

राज्य मत्स्य विकास निगम को वित्तीय सहायता

2568. **डा० चरणदास महंत: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय मत्स्य विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान कराई गई है;

(ख) किन-किन तारीखों को उपर्युक्त सहायता उपलब्ध कराई गई और उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए यह उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या उपर्युक्त योजना ठीक प्रकार से कार्यान्वित की गई है और इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता का उपयोग किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त योजना के तहत स्वीकृत राशि का अनुचित उपयोग करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में विभाग क्या कदम उठा रहा है?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) केन्द्रीय मात्स्यिकी विकास योजना के तहत वर्ष 1999-2000 के दौरान "मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम" को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-चीन सीमा

2569. **श्री आर०एल० भाटिया : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन की सीमा दीर्घकालिक समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान ढूँढने के उद्देश्य से सीमा सम्बन्धी प्रश्न के सम्बन्ध में 24 नवम्बर, 1999 को कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने चीन के साथ सीमा संबंधी प्रश्न के सम्बन्ध में कोई प्रगति की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) भारत और चीन के राजनयिक एवं सैन्य अधिकारियों के विशेषज्ञ दल, जो सीमा प्रश्न पर गठित भारत-चीन संयुक्त कार्यदल का उप दल है, की 7वीं बैठक 24 नवम्बर 1999 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपायों सहित सीमा संबंधी मसलों पर चर्चा की गई। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की गई।

(ग) और (घ) दोनों पक्ष संयुक्त कार्यदल की संरचना के भीतर सीमा संबंधी प्रश्न पर बातचीत कर रहे हैं। भारत और चीन ने बातचीत द्वारा सीमा संबंधी विवाद का निष्पक्ष, न्यायोचित एवं परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के उद्देश्य को दोहराया है। दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा क्षेत्र में अमन और चैन कायम करने संबंधी करार (1993) एवं भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वासोत्पादक उपाय संबंधी करार (1996), जिसमें भारत-चीन सीमा क्षेत्र में अमन और चैन कायम करने संबंधी संस्थागत स्वरूप का प्रावधान है, के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। सीमा क्षेत्र सामान्य तौर पर शांतिपूर्ण रहे हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि

2570. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने भविष्य निधि पर इस समय मिलने वाले 12 प्रतिशत न्यूनतम लाभ को बढ़ा कर 13 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज भंडार

2571. **श्री पी. डी. एलानगोवन: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा खोज तथा अनुसंधान के लिए तमिलनाडु में भारी खनिज भंडारों का किया गया मूल्यांकन लाभदायक था;

(ख) क्या तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के हासन तालुक में मोलीबदेनम में भारी खनिजों की उपलब्धता को परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा किए जाने वाले भारी खनिज संसाधनों के शोध और विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है जिसकी आवश्यकता परमाणु शक्ति कार्यक्रम और राकेट प्रणोदक (प्रापलेन्ट) शोध में पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (ए एम डी) द्वारा, तमिलनाडु में 580 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समुद्र तट के साथ-साथ और 170 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अन्त: स्थलीय टैरी बालुका निक्षेपों में मौजूद भारी खनिज निक्षेपों (जिनमें इल्मेनाइट, रूटाइल, जर्कन, मोनाजाइट आदि खनिज और जिन्हें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन विहित पदार्थ घोषित किया गया है) के अन्वेषण और मूल्यांकन के परिणामों से संबंधित उद्योगों को लाभ पहुँचा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ए.एम.डी. के मैंडेट के अनुसार उन खनिज निक्षेपों की विद्यमानता का अन्वेषण और उनका मूल्यांकन करना है जिन्हें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अधीन विहित पदार्थों के रूप में अधिसूचित किया गया है और मोलिब्डिनम विहित पदार्थ नहीं है।

भारत-पाक वार्ता

2572. **श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नये पाकिस्तानी शासन ने ऐसा संकेत दिया है कि वह कश्मीर मुददे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की बजाये विकल्पों पर भारत के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है और सकारात्मक वार्ता का स्वागत करता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा ''लाहौर घोषणा'' के बाद भारत-पाक वार्ता में कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) पाकिस्तान में सेना द्वारा तख्ता पलटने के परिणामस्वरूप भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के आक्रमक दृष्टिकोण, शत्रुतापूर्ण नीतियों और दुष्प्रचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य तथा अन्य भागों में सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन निरन्तर जारी है। पाकिस्तानी सेनाएँ नियंत्रण रेखा और जम्मू तथा कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलाबारी जारी रखे हुए है। सैन्य शासन के प्रवक्ताओं के हाल के वक्तव्यों में जम्मू तथा कश्मीर राज्य पर पाकिस्तान के प्रादेशिक दावे के अधिकार को दोहराया जा रहा है।

सरकार की नीति सुसंगत और सैद्धांतिक रही है। जम्मू और कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग है। इस राज्य का एक भाग पाकिस्तान के जबरन और अवैध कब्जे में है भारत शिमला समझौते तथा लाहौर घोषणा के अन्तर्गत पाकिस्तान के साथ सभी अनसुलझी मसलों को सुलझाने के लिए वचनबद्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सीमा पार के आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण दुष्प्रचार को त्याग कर इन करारों का अनुपालन करने का प्रमाण देगा।

भारत और पाकिस्तान/बंग्लादेश के बीच भूमि-सीमा करार

2573. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान/बंग्लादेश के बीच भू-सीमा करार का कार्यान्वयन भारत के संविधान के अनुच्छेद-3 के सम्बन्ध में संविधान में संशोधन करना अपेक्षित है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संसद के समक्ष ऐसे संशोधन को कब तक लाया जाएगा; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार इस मामले की स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारत-बंग्लादेश भूमि-सीमा करार, 1974 के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित विधिक प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत एक एकीकृत संशोधन आवश्यक है ताकि बांग्लादेश से प्राप्त होने वाले और बंग्लादेश को दिये जाने वाले क्षेत्रों को समाविष्ट करने के जरिए संबध राज्य सीमाओं में परिवर्तन लाया जा सके।

(ग) और (घ) लगभग 6.5 कि.मी. भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा का सीमांकन अभी पूरा किया जाना है। सरकार को दिये गये विधिक परामर्श में यह सुझाव दिया गया है कि एक समर्थनकारी विधान की व्यवस्था करने तथा संविधान में अपेक्षित संशोधन करने के लिए पूर्ण रुप से सीमांकित सीमा का होना आवश्यक है। सरकार का संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से बांग्लादेश के साथ सीमा के निर्धारण का कार्य पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

जून, 1999 में प्रधान मंत्री की ढाका यात्रा के दौरान इस विषय पर चर्चा हुई। भारत सरकार बंग्लादेश के साथ सीमा से संबद्ध सभी मसलों का समाधान शीघ्रातिशीघ्र करने के लिए कृतसंकल्प है।

कृषि कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं

2574. **श्री अशोक प्रधान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और अन्य राज्यों में कृषि कामगारों के लिए प्रति वर्ष क्रियान्वित की गई कल्याण योजनाएं कौन सी हैं;

(ख) इन योजनाओं से कृषि कामगार किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में कृषि कामगारों को और अधिक प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और अन्य राज्यों में विशेष रूप से कृषि कामगारों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई योजनाएं नहीं हैं। तथापि, देश में कृषि कामगारों सहित ग्रामीण कर्मकारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कुछ प्रमुख योजनाएं हैं: जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) जिसे 1.4.99 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है, रोजगार आश्वासन योजना (ई ए एस) एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए) आदि। आई आर डी पी, ट्राइसेम और डी डब्ल्यू सी आर ए जैसी कुछ योजनाओं को मिलाकर अप्रैल, 99 से एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिसे "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" (एस जी एस वाई) के नाम से जाना जाता है। यह एक पुनीत कार्यक्रम है जो स्वरोजगार के सभी पक्षों यथा निर्धनों को स्व सहायता समूहों के रूप में संगठित करना, प्रशिक्षण क्रेडिट, प्रौद्योगिकी अवस्थापना और विपणन को समाहित करता है।

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय व्याप्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है।

(रु० लाखों में)

अखिल भारत वर्ष	योजना का नाम				
	आई आर डी पी	ई ए एस	जे आर वाई	ट्राइसेम	डी डब्ल्यू सी आर ए
1996-97	109721.16	242379.34	223679.48	9025.00	7500.00
1997-98	113351.23	246047.50	249921.18	9025.00	7500.00
1998-99	145627.78	248514.77	259702.50	4500.00	15586.20

इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के लिए निधियों का आबंटन का ब्यौरा इस प्रकार है

(रु० लाखों में)

राज्य•	वर्ष	योजना का नाम				
		आई आर डी पी	ई ए एस	जे आर वाई	ट्राइसेम	डी डब्ल्यू सी आर ए
उत्तर प्रदेश	1996-97	20316.50	26630.94	42334.91	1669.12	1017.00
	1997-98	20988.66	39310.08	47301.56	1669.12	1017.00
	1998-99	27883.22	34075.58	52742.94	858.04	2986.70
बिहार	1996-97	16218.24	26556.25	34075.58	1274.48	760.50
	1997-98	16754.81	22792.50	38073.25	1274.48	760.50
	1998-99	25336.66	23245.00	47925.96	779.64	2715.04
पंजाब	1996-97	521.53	1225.00	1089.39	43.00	165.75
	1997-98	538.77	2300.00	1217.19	43.00	165.75
	1998-99	832.40	3400.00	1574.54	25.61	89.20

[हिन्दी]

विश्व खाद्य कार्यक्रम

2575. डा० रामकृष्ण कुसमरिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में वे जिले कौन-कौन से हैं जहां "विश्व खाद्य कार्यक्रम" के अन्तर्गत भूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के दामोह, पन्ना और छतरपुर जिलों को "विश्व खाद्य कार्यक्रम" के अन्तर्गत शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) मध्य प्रदेश में वानिकी कार्यकलाप के जरिए खाद्य सुरक्षा में सुधार जिन जिलों में विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से चलाई जा रही है, उनके नाम इस प्रकार हैं :-

बस्तर, दांतेवाडा, कांकेर, बालाघाट, मांडला, दिनदोरी, बिलासपुर, कोरया, जानीगेरचम्पा, सुरगुजा, पश्चिमी सुरगुजा, सिधी, शहडोल, रायगढ़, जशपुर, छिन्दवाड़ा, हौशंगाबाद, झाबुआ और सिओनी।

(ख) और (ग) वर्तमान वर्ष में "विश्व खाद्य कार्यक्रम" के अधीन दमोह, पन्ना और छतरपुर जिलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना

2576. **श्री रामपाल सिंह :**
डा० अशोक पटेल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कितनी फसलों को शामिल किया गया है;

(ख) व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किन फसलों को शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या प्रत्येक किसान को किसी भी फसल के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा चाहे उसने सरकार से कोई ऋण लिया हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना को लागू करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया जिसमें राजसहायता वापिस लेना भी शामिल है;

(च) उक्त अवधि के दौरान फसल बीमा योजना का लाभ कितने किसानों को मिला है;

(छ) केन्द्र और राज्य सरकारें फसल बीमा योजना की लागत का कितना भाग आपस में शेयर करने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(ज) प्रस्तावित व्यापक फसल बीमा योजना की विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) और (ख) व्यापक फसल बीमा स्कीम (जो खरीफ, 1985 से खरीफ, 1999 मौसम) के अधीन शामिल की गई फसलें चावल, गेहूं, कदन्न, तिलहन और दलहन थी।

व्यापक फसल बीमा स्कीम का नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम कर लिया गया है जो रबी मौसम 1999-2000 मौसम से लागू है। व्यापक फसल बीमा स्कीम के अधीन शामिल की गई फसलों के अलावा वार्षिक बागवानी/वाणिज्यिक फसलों को भी नई स्कीम के क्षेत्राधिकार में लाया गया है, बशर्ते पिछले उत्पादन आंकड़े उपलब्ध हों।

(ग) और (घ) व्यापक फसल बीमा योजना के अधीन शामिल किसान जिन्होंने अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उपजाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी समितियों, और क्षेत्रीय ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया था, वे भी स्कीम के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति के पात्र हैं। बहरहाल, नई स्कीम के अधीन सभी किसान (ऋणी और गैर ऋणी) शामिल किए जाने के पात्र हैं।

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान फसल बीमा के अधीन निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता तथा लाभान्वित किसानों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु० में)	लाभान्वित किसान
1996-97	110.42	145562
1997-98	110.00	178544
1998-99	110.00	70950*

*29.11.1999 की स्थिति के अनुसार।

(छ) व्यापक फसल बीमा स्कीम के अधीन दावे की देयता में केन्द्र और राज्य सरकारों की भागीदारी 2:1 के अनुपात में थी जबकि नई स्कीम में देयता भागीदारी 1:1 के अनुपात में परिकल्पित है।

(ज) नई स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) बटाई (शेयर क्रापर्स) और काश्तकारों सहित सभी किसानों को शामिल करना।

(2) खाद्यान्न फसलों और तिलहन के अलावा वार्षिक/वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल करना।

(3) किसानों के पास औसत उपज के 150% तक बीमित रकम को चयन करने का विकल्प होगा।

(4) स्थानीय आपदाओं के लिए सकल आधार पर फसल की क्षति का मूल्यांकन, जिसका कुछ क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा।

(5) खाद्य फसलों और तिलहन के संबंध में प्रीमियम दर खरीफ के दौरान 2.5% से 3.5% और रबी के दौरान 1.5% से 2% या बीमांकक दर, जो भी कम हो, होगी। वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के संबंध में प्रीमियम बीमांकक दरों के आधार पर प्रभारित किया जाएगा।

(6) छोटे और सीमान्त किसान 50% की सीमा तक प्रीमियम में राजसहायता के पात्र होंगे जिसे पांच वर्षों की अवधि के लिए चरणबद्ध किया जाएगा।

[हिन्दी]

बस सेवा

2577. **श्री राम शकल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने बंग्लादेश के लिए बस सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो दोनों देश किन मुद्दों पर एकमत हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने चर्चा के दौरान बंग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में बंग्लादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) प्रधान मंत्री की ढाका यात्रा के दौरान, 19 जून, 1999 को कलकत्ता और ढाका के बीच एक यात्री बस सेवा का उद्घाटन किया गया था। इससे पूर्व, 17 जून, 1999 को भारत सरकार और बंगला देश की सरकार ने मोटरवाहन यात्री यातायात विनियमन संबंधी एक करार तथा ढाका और कलकत्ता के बीच यात्री बस सेवा प्रचालन संबंधी एक प्रोतोकोल सम्पन्न किया था। इस करार और प्रोतोकोल में बस सेवा से संबद्ध विभिन्न मसले, जैसे मार्ग विनिर्देशन, आवश्यक अपेक्षित दस्तावेज, सेवाओं की आवृत्ति, भाड़ा और टिकट, सामान, सुरक्षा इत्यादि शामिल हैं।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री की ढाका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बहु आयामी संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने परस्पर लाभ के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने संबंधी अपनी-अपनी वचनबद्धता को दोहराया।

राष्ट्रीय योजना

2578. **श्री योगी आदित्यनाथ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता के पचास साल बाद भी देश के प्रत्येक नागरिक को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की योजना असफल साबित हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) योजना प्रक्रिया के प्रारम्भ से ही सरकार का यह प्रयास रहा है कि देश में सभी लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं। जबकि इस उद्देश्य को पूरा करने के प्रति ठोस प्रगति हुई है। सम्पूर्ण जनसंख्या हेतु पूर्ण कवरेज का लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं किया गया है।

सभी लोगों तक प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा सुरक्षित पेयजल पहुँचाना सुनश्चित करने की दिशा में बहुत अधिक प्रगति की गई है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में कुल निवास स्थानों के 83 प्रतिशत में 1 कि. मी. के पैदल रास्ते के अंदर प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक स्कूलों में 6-11 वर्ष के आयु वर्ग के 19.2 मिलियन बच्चों के नामांकन की तुलना में 1979-98 में नामांकन 108.7 मिलियन था। साक्षरता भी 1951 में 16.6 प्रतिशत से बढ़कर 1997 में 62 प्रतिशत हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के मामले में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं। अखिल भारत स्तर पर उप-केन्द्रों (पी एच सीज) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक तंत्र स्थापित करने के लक्ष्य को मानकों के अनुसार पूरी तरह प्राप्त किया जा चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के मामले में सुधरी हुई स्थिति स्वास्थ्य सूचकांकों में आए स्पष्ट सुधारों से परिलक्षित होती है; अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) 1951 के 25.1 से घटकर 1996 में 8.9 तक आ गई है, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 1951 के 146 से घटकर 1996 में 72 हो गई तथा जीवन प्रत्याशा 1947 के 32 वर्षों से बढ़कर 1991 में 61.1 वर्ष हो गई। जहाँ तक सुरक्षित पेयजल तक अभिगम्यता का संबंध है, अभी तक काफी प्रगति की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों तक जलापूर्ति के संबंध में 1.4.98 की स्थिति के अनुसार, 74.1 प्रतिशत निवास स्थानों की सुरक्षित पेयजल तक अभिगम्यता थी, 21.9 प्रतिशत की पेयजल तक आंशिक अभिगम्यता थी जबकि मात्र 4 प्रतिशत निवास स्थानों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं था। शहरी क्षेत्रों में, 31.3.93 की स्थिति के अनुसार कुल शहरी जनसंख्या के 85 प्रतिशत की, मानकों के अनुसार सुरक्षित पेयजल तक अभिगम्यता थी।

(ग) से (ङ) ग्रामीण व शहरी जनसंख्या, दोनों की बुनियादी सुविधाओं तक पूर्ण अभिगम्यता प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, 1996 में न्यूनतम बुनियादी सेवाएं (बीएमएस) कार्यक्रम शुरू किया गया। सात मूलभूत सेवाओं की प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिए जाने हेतु पहचान की गई। ये सेवाएं हैं, सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, सभी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, सभी आश्रयहीन गरीबों के लिए सार्वजनिक आवास सहायता का प्रावधान, कुछ अलाभप्राप्त वर्गों को पोषण, सभी असम्बद्ध गांवों व निवास स्थानों के लिए संपर्क का प्रावधान, तथा गरीबों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगार बनाना।

राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) की योजनाओं में किए गए न्यूनतम बुनियादी सेवाओं हेतु निधियों के प्रावधान तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से आयी निधियों के अतिरिक्त, 1996 में केन्द्र ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल न्यूनतम बुनियादी सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की एक प्रणाली प्रारम्भ की। 1996-97 में, केन्द्र ने राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को बीएमएस हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में 2244 करोड़ रुपये आबंटित किए जिसे 1997-98 में बढ़ा कर 2970 करोड़ रुपये कर दिया गया तथा 1998-99 में और अधिक बढ़ाकर 3410 करोड़ रुपये कर दिया गया। 1999-2000 में केन्द्र द्वारा बीएमएस हेतु 3700 करोड़

रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। राज्यों के मध्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का वितरण, राज्यों में बीएमएस आधारित संरचना में मौजूद सापेक्ष अंतरों के आधार पर किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कुल बीएमएस परिव्यय उनकी वार्षिक योजनाओं में उद्दिष्ट कर दिया जाता है जिससे उसका गैर-बीएमएस क्षेत्रकों की ओर पथान्तरण सम्भव न हो सके। राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को सात न्यूनतम बुनियादी सेवा क्षेत्रों के मध्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार व्यय करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। बीएमएस कार्यक्रम का कार्यान्वयन पूरी तरह राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों पर निर्भर करता है। सुरक्षित पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा तथा आश्रयहीन गरीबों के लिए आवास के बी.एम.एस. क्षेत्रकों हेतु नौवीं योजना में विशेष कार्य-योजनाएं तैयार की गई हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय श्रम परियोजनाएं

2579. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के भाग के रूप में देश के अन्दर शुरू की गई राष्ट्रीय श्रम परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को किस तरीख को शुरू किया गया था;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि प्राप्त की गई;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम की इन परियोजनाओं से अभी तक कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) क्या इन परियोजनाओं के बन्द होने का खतरा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इन अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रमों को बन्द होने से बचाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई राष्ट्रीय श्रम परियोजना गठित नहीं की गई है। तथापि, भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यक्रम में भाग लेता रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1992-93 से 1998-99 की अवधि के दौरान 154 बाल श्रम परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। परियोजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हुए बालकों की संख्या 90,500 है। 1992-1999 की अवधि के लिए इन परियोजनाओं हेतु की गई कुल वचनबद्धता 69,65,684 अमरीकी डॉलर की है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

दुग्ध पाउडर

2580. **श्री मोहनुल हसन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डेयरी एसोसिएशन ने घरेलू डेयरी क्षेत्र को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने हेतु सरकार का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में राज सहायता प्राप्त और घटिया दुग्ध पाउडर मंगाया जा रहा है;

(ग) क्या भारतीय डेयरी एसोशिएसन के साथ कोई बैठक की गई है; और

(घ) यदि हां, तो घरेलू डेयरी क्षेत्र को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (घ) भारतीय डेयरी संघ ने खुले सामान्य लाइसेंस के तहत शून्य आयात शुल्क दर पर दुग्ध उत्पादों के आयात के संभावित प्रभाग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कृषि मंत्रालय द्वारा संघ के साथ कोई बैठक तय नहीं की गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि सरकार स्किम्ड दुग्ध चूर्ण के आयात पर सीमा शुल्क जो इस समय शून्य पर बंधी हुई है, बढ़ाने के लिए संबंधित व्यापारिक भागीदारों के साथ पहले ही बातचीत कर रही है।

जहां तक देश में घटिया दुग्ध चूर्ण भेजने का सवाल है, यह बताना है कि किसी भी खाद्य वस्तु के आयात का स्तर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम के तहत विनियमित होता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने सभी पत्तन, स्वास्थ्य अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक खाद्य वस्तु परेषण का पहले विश्लेषण किया जाएगा।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

2581. **श्री जे०एस० वराड़ :**
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 1991 में औद्योगिक नीति के उदारीकरण के पश्चात् अनेक विदेशी पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 से सितम्बर, 1999 तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इनमें से कितने प्रस्ताव सौंपे गए;

(ग) क्या अब तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहुत ही कम प्रस्ताव क्रियान्वित किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस तरह के कितने प्रस्ताव अब तक क्रियान्वित किए गए तथा इनमें कितनी विदेशी पूंजी का निवेश हुआ है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जुलाई, 1991 में उदारीकरण से लेकर सितम्बर, 1999 तक प्रसंस्कृत खाद्य के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने लगभग 10518 करोड़ रु० के कुल विदेशी निवेश वाले 631 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में विदेशी निवेश वाली 114 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जून, 1999 तक इस क्षेत्र में लगभग 1944 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा देश में आई है।

[अनुवाद]

कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट

2582. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री अनिल बसु :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से कृषि-वस्तुओं की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०बी०पी०बी०के० सत्यनारायण राव): (क) से (ग) जी, नहीं। कृषि जिंसों के मूल्य धीरे-धीरे रूप से बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित विवरण पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि जिंसों के थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष	कृषि जिंसों के थोक मूल्य सूचकांक में पिछले वर्ष से % वृद्धि
1995	10.4
1996	6.7
1997	4.7
1998	11.6
1999(अ) (नवम्बर'99 तक)	4.4

(अ) अनंतिम

[हिन्दी]

छठा विश्व हिन्दी सम्मेलन

2583. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छठे हिन्दी विश्व सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए और विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा इन नियमों और विनियमों का पालन किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त सम्मेलन में किन-किन व्यक्तियों का नाम प्रतिनिधियों की सूची में था;

(च) छठे हिन्दी विश्व सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य क्या था और सरकार का इसमें क्या योगदान था;

(छ) किन व्यक्तियों से उक्त सम्मेलन के लिए लेखा मंगाए गए थे और किन व्यक्तियों के लेखों को प्रकाशित किया गया; और

(ज) सरकार द्वारा नियमों और विनियमों पर उपयुक्त रूप से कार्रवाई करने और उन पर अमल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी हिन्दी प्रेमियों और हिन्दी संगठनों का स्वागत किया गया और इस समारोह के विवरण का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया गया था। इसे सुसाध्य बनाने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई थी। एक अन्तिम तारीख निश्चित की गई थी जिस तक भागीदारों से अपने भाग लेने की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था। एअर इंडिया ने दिल्ली-लंदन-दिल्ली क्षेत्र के लिए 50 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की थी।

भारत सरकार के सरकारी शिष्टमण्डल में 26 सदस्य थे और इसका नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने किया था। डा० विद्या निवास मिश्र शिष्टमण्डल के उपनेता थे जिसमें हिन्दी के साहित्यकार तथा पत्रकार और प्रकाशक भी शामिल थे। समन्वय समिति और सम्मेलन के दौरान सम्मानित किए जाने हेतु प्रतिष्ठित हिन्दी विद्वानों का चयन करने के लिए गठित समिति के सदस्य भी शिष्टमण्डल में शामिल थे।

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के उपकुलपति श्री अशोक बाजपेयी की अध्यक्षता में एक समिति ने 20 विदेशी और 13 भारतीय विद्वानों का चयन किया था जिन्हें सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया जाना था। इन विद्वानों के लिए विमान के किराये का भुगतान भारत सरकार ने किया था।

(ङ) भारत सरकार ने सरकारी शिष्टमंडल तथा सम्मानित किए गए 33 विद्वानों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(च) विश्व हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ाने, हिन्दी को जनसाधारण तक पहुंचाने और विश्व भर के हिन्दी प्रेमियों और संगठनों को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। ऐसे सम्मेलनों का एक अन्य मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ दैनिक जीवन में प्रभावकारी रूप में प्रयोग की जा रही सक्षम आधुनिक भाषा के रूप में हिन्दी का परिचय कराना है। ये सम्मेलन हिन्दी को संयुक्तराष्ट्र की भाषाओं में स्थान दिलाने के लिए प्रयासों का अनुसरण करने में एक मंच प्रदान करते हैं।

पिछली परम्पराओं के अनुसार स्थल पर व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी स्थानीय आयोजन समिति को सौंपी गई थी जिसमें निम्नलिखित संगठन शामिल थे :

(क) हिन्दी समिति, यू.के., लंदन

(ख) गीतांजलि बहुभाषीय साहित्यिक समुदाय, बर्मिंघम

(ग) भारतीय भाषा संगम, यॉर्क और

(घ) नेहरू केन्द्र, लंदन, भारतीय विद्या भवन, लंदन और संपाद बर्मिंघम जैसे अन्य सहयोगी।

भारत सरकार ने इन क्रिया-कलापों को सक्रिय सहयोग दिया और सहायता प्रदान की। सम्मेलन में भारत सरकार का प्रमुख योगदान इस प्रकार रहा :

(1) तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 26 सदस्यीय सरकारी शिष्टमण्डल को भेजना।

(2) उन 20 विदेशी और 13 भारतीय विद्वानों को विमान किराया देना जिन्हें हिन्दी भाषा और साहित्य में योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया था। समापन समारोह में उन्हें स्मृति चिह्न, शाल और प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए।

(3) डी ए वी पी ने पुस्तक एवं चित्र प्रदर्शनी आयोजित की। सी-डैक द्वारा अद्यतन हिन्दी सॉफ्टवेयर की कम्प्यूटर प्रदर्शनी लगाई गई।

(4) उद्घाटन एवं समापन समारोह तथा अकादमी सत्रों से संबंधित सभी व्यवस्थाएँ।

(5) विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार-प्रभाग ने फिल्म समारोह के लिए फिल्में तथा सम्मेलन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए पत्रकारों का एक दल भेजा।

(छ) और (ज) पूर्व प्रथा के अनुसार, आयोजन समिति द्वारा सम्पूर्ण, विश्व के विद्वानों से विशिष्ट विषयों पर लेख आमंत्रित किए गए। यॉर्क विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान और हिन्दी के प्रोफेसर डा॰ महेन्द्र वर्मा, की अध्यक्षता में शैक्षिक समिति ने इन लेखों की जांच की और उनका चयन किया। शैक्षिक और साहित्यिक गुणता के आधार पर प्राप्त 300 सार लेखों में से 120 लेखों का शैक्षिक सत्र के दौरान पठन के लिए चयन किया। बाद में इन लेखों को स्मारिका में प्रकाशित किया जाएगा।

विवरण

छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन के लिए सरकारी शिष्टमण्डल

1. श्रीमती वसुन्धरा राजे, विदेश राज्य मंत्री — अध्यक्ष
2. श्री विद्या निवास मिश्र — उपाध्यक्ष
3. डा॰ एल.एम. सिंघवी, संसद सदस्य
4. श्री नरेन्द्र मोहन; संसद सदस्य
5. श्रीमती मृदुला सिन्हा
6. श्री विष्णु कांत शास्त्री
7. श्री बालेश्वर अग्रवाल
8. डा॰ देवेन्द्र दीपक
9. श्री अशोक वाजपेयी
10. डा॰ कमल किशोर गोयनका
11. श्री तरूण विजय
12. श्री नामवर सिंह
13. श्री चन्द्रिका प्रसाद शर्मा
14. श्रीमती चित्रा मुद्गल
15. डा॰ दुर्गा प्रसाद गुप्ता
16. डा॰ (प्रो॰) कुमारी रमा सिंह
17. श्री भानु प्रताप शुक्ल
18. श्री मनोहर पुरी
19. श्री विशम्बर शर्मा
20. श्री महेश्वर प्रसाद सिन्हा
21. श्री प्रभात कुमार
22. डा॰ वी॰आर॰ जगन्नाथन
23. सचिव/संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग
24. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
25. संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
26. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
27. महानिदेशक (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्)

उन विद्वानों की सूची जिन्हें छठे विश्व सम्मेलन में सम्मानित किया गया

विदेशों से विद्वान

1. सुश्री मारियोला अफ्रीदी, इटली
2. प्रो॰ श्याम मनोहर पांडे, इटली
3. श्री तोमियो मिजोकामी, जापान
4. सुश्री लिंडा हैस, अमरीका
5. श्री ओंकार नाथ श्रीवास्तव, यू.के.
6. सुश्री सुचित्रा रामदीन, मारीशस
7. श्री राजेन्द्र अरूण, मारीशस
8. श्री विवेकानन्द शर्मा, फिजी

9. श्री महातम सिंह, सूरीनाम
10. श्री रवि महाराज, त्रिनिडाड
11. सुश्री मारिया नेग्याशी, हंगरी
12. श्री सूर्य नाथ गोप, नेपाल
13. श्री फतेह गुवेयामोविच तेशाएवेव, उजबेकिस्तान
14. श्री दिएमस्टाग, नीदरलैंड
15. श्री दांतुका स्टास्लिक, पोलैंड
16. श्री मेलमुट नेसपिटल, जर्मनी
17. श्री बर्खुदारोव, रूस
18. श्री निकोलई बलबीर, फ्रांस
19. श्री विनांत केलवर्ट, बेल्जियम
20. श्री डेविड लारेंजो, मैक्सिको

भारत से विद्वान

1. डा० एल.एम. सिंघवी, संसद सदस्य
2. श्री नरेन्द्र मोहन, संसद सदस्य
3. श्रीमती शिवानी
4. श्री मधुकर राव चौधरी
5. श्रीमती मेहरूनिसा परवेज
6. श्रीयुत श्रीलाल शुक्ल
7. डा० महीप सिंह
8. श्री विश्वनाथ अय्यर
9. श्री कल्याण मल लोढ़ा
10. श्री शौरी राजन
11. श्री नरेश मेहता
12. श्री गोविन्द चन्द पांडेय
13. श्री राम विलास शर्मा

[अनुवाद]

खाड़ी के देशों में काम कर रही भारतीय महिलाओं पर अत्याचार

2584. **श्री तरकला राधाकृष्णन :**
श्री बी. एस. शिवकुमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देशों में भारतीय महिलाओं, विशेषरूप से जिन्हें घरेलू नौकरों के रूप में रखा जाता है, के साथ दुर्व्यवहार करने, उत्पीड़न और यौन-उत्पीड़न करने के बारे में कई रिपोर्टें मिली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन देशों में काम करने वाली भारतीय महिलाओं की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) कुछ खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय महिलाओं, विशेषकर घरेलू कामकाजी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने, उन्हें तंग करने और शारीरिक यातना देने के संबंध में कुछ खबरें मिली हैं। तथापि, खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की बड़ी संख्या को देखते हुए इन शिकायतों की संख्या बहुत कम है।

(ख) कामकाजी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतों पर संबंधित भारतीय मिशन/केन्द्र द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है। मिशन इस तरह की समस्या को पहले नियोक्ता से बातचीत करके हल करने का प्रयास करता है। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता भी ली जाती है। यदि फिर भी समस्या का हल नहीं निकलता है तो फिर संबंधित मिशन प्रभावित कामगार को भारत वापस भेजने की हरसम्भव व्यवस्था करता है।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): महोदय मैं, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय संशोधन नियम, 1999 जो 20 नवम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 386 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 801/99]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 802/99]

(ख) (एक) सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड, एस॰ए॰एस॰ नगर का वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड, एस॰ए॰एस॰ नगर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 803/99]

(ग) (एक) सीएमसी लिमिटेड हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सीएमसी लिमिटेड हैदराबाद का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) की (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 804/99]

(3) सीएमसी लिमिटेड और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 805/99]

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (डा॰ सी॰पी॰ ठाकुर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रेक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रेक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 806/99]

(3) (एक) नेशनल वाटर डेवेलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवेलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 807/99]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): महोदय, मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 808/99]

(2) मैटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और इस्पात और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 809/99]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ—

(1) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 810/99]

(2) इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए

हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 811/99]

(3) इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 812/99]

(4) न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 1999-2000 के लिए हुये समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 813/99]

(5) (एक) टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 814/99]

(6) (एक) इन्स्टीट्यूट फार प्लाजमा रिसर्च, गांधी नगर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्स्टीट्यूट फार प्लाजमा रिसर्च, गांधी नगर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 815/99]

(7) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 816/99]

(8) (एक) नेशनल एमएसटी रेडार फैसिलिटी, गदांकी के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एमएसटी रेडार फैसिलिटी, गदांकी के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 817/99]

(9) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 1998 जो 25 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 130 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (यौन उत्पीड़न निवारण) विनियम, 1998 जो 8 अगस्त, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 143 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 1998 जो 12 सितम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 177 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अखिल भारतीय सेवायें (आचार) संशोधन नियम, 1998 जो 28 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 229 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अखिल भारतीय सेवायें (अध्ययन छुट्टी) संशोधन विनियम, 1998 जो 14 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 57 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) पहला संशोधन नियम, 1998 जो 14 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 60 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) दूसरा संशोधन नियम, 1998 जो 28 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 71 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1998 जो 10 अक्तूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 194 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1998 जो 19 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 244 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1999 जो 12 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 179 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति) संशोधन नियम, 1999 जो 17 जुलाई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 152 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (प्रवीक्षार्थी अन्तिम परीक्षा) नियम, 1999 जो 16 अक्तूबर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 335 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 818/99]

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बैंगलोर का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 819/99]

(ख) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 820/99]

(11) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 821/99]

(12) (एक) सैंट्रल फूटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल फूटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 822/99]

(13) (एक) सैंट्रल फूटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सैंट्रल फूटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 823/99]

(14) (एक) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, आगरा के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 824/99]

(15) (एक) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेटर, मेरठ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेन्टर, मेरठ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 825/99]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ–

(1) (एक) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेन्टर, तंजावूर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेन्टर, तंजावूर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 826/99]

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनिलाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ–

(1) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रशिक्षु (संशोधन) नियम, 1999 जो 30 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 39 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रशिक्षु (संशोधन) नियम, 1998 जो 30 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 40 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) प्रशिक्षु (संशोधन) नियम, 1998 जो 30 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 41 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) प्रशिक्षु (संशोधन) नियम, 1999 जो 27 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 58 में प्रकाशित हुए थे तथा तत्संबंधी शुद्धि पत्र जो 24 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 125 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) प्रशिक्षु (संशोधन) नियम, 1999 जो 28 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 190(अ) प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल॰ टी॰ 827/99]

(2) अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 426(अ) जो 9 जून, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रशिक्षु परिषद का तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन किया गया था तथा केन्द्रीय श्रम मंत्री/राज्य श्रम मंत्री को चेयरमैन, केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और शिक्षा उप मंत्री को वाइस चेयरमैन और उसमें उल्लिखित अन्य व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था तथा तत्संबंधी शुद्धि पत्र जो 7 अगस्त, 1999 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2268 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल॰ टी॰ 828/99]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰बी॰पी॰बी॰के॰ सत्यनारायण राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) फर्टीलाइजर (नियंत्रण) संशोधन आदेश जो, 12 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 329(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का॰ आ॰ 300(अ) जो 4 मई, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 नवम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 759(अ) में संशोधन करना है।

(तीन) का॰ आ॰ 201(अ) जो 31 मार्च, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित उर्वरकों को खरीफ मौसम 1999 के दौरान 30 सितम्बर, 1999 तक पंजीकृत उर्वरक डीलरों को बेचा जायेगा।

(चार) का॰ आ॰ 999(अ) जो 1 अक्तूबर, 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि उसमें विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित उर्वरकों को वे रबी फसल 1999-2000 के दौरान 31 मार्च, 2000 तक पंजीकृत उर्वरक डीलरों को बेचेंगे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल॰ टी॰ 829/99]

(2) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल॰ टी॰ 830/99]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) जम्मू एण्ड कश्मीर हार्टीकल्चर, प्रोड्यूश मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू एण्ड कश्मीर हार्टीकल्चर, प्रोड्यूश मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण का पुनरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जम्मू एण्ड कश्मीर हार्टीकल्चर, प्रोड्यूश मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 831/99]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के सड़सठवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 832/99]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 13 दिसम्बर को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 8 दिसम्बर, 1999 को पारित किये गये खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1999 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्याक 4), विधेयक, 1999 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 9 दिसम्बर, 1999 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मै प्रस्ताव करता हूँ–

"कि यह सभा 14 दिसम्बर, 1999 की सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :-

"कि यह सभा 14 दिसम्बर, 1999 की सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक-एक करके बुलाऊँगा। अगर आप सब एक साथ बोलोगे, तो मैं आपको कैसे अनुमति दे सकता हूँ? **डा० जसवंत सिंह यादव**

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अवसर दूँगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अवसर दूंगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे सभा की कार्यवाही का संचालन करने दीजिए। मैं आपको भी अवसर दूंगा। कृपया इस प्रकार का व्यवहार मत कीजिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की कार्यवाही का संचालन करने दीजिए। आप सबको अवसर मिलेगा। डा० जसवंत सिंह यादव।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० जसवंतसिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भंयकर अकाल की स्थिति है। वहाँ यहाँ तक हालात हो रहे हैं कि या तो राजस्थान के किसान राजस्थान छोड़कर जाएं या आत्महत्या करें। उनकी इतनी दुर्दशा हो रही है और राजस्थान सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई है। वहां की सरकार किसानों के लिए तथा वहां की जनता के लिए कोई कार्य नहीं कर पा रही है। ऐसे-ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं कि राजस्थान के गांव के लोग

अपने पशुओं को तिलक लगा-लगाकर बलिदान के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास खिलाने के लिए चारा नहीं है। राजस्थान सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का पशुधन बचाने के लिए अकाल राहत में कोई चारा डिपो नहीं खोला गया। गांव में सभी हैंडपम्प सूख गए हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही है और फसलें चौपट होती जा रही हैं। आज गांवों की यह हालत हो गई है कि राजस्थान सरकार के पास जो 300 करोड़ रुपये अकाल राहत के पड़े हुए हैं, उनमें से वह एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाह रही है और न खर्च कर रही है। केवल नेशनल केलेमिटी के आधार पर, . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मै सभा का संचालन कर रहा हूँ। प्रत्येक सदस्य को अवसर मिलेगा। यदि आप इसी तरह चिल्लायेंगे तो आपको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आपको अवसर मिलेगा। मैं सूची के अनुसार नाम पुकार रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: डा॰ जसवंत सिंह खड़े हैं और मैंने उन्हें बोलने के लिए बुलाया है। यदि आप सभी एक साथ बोलेंगे तो 'शून्य काल' को रद्द किया जाएगा और हम कार्यसूची की अगली मद को लेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा॰ जसवंतसिंह यादव : महोदय, ये राजस्थान की जनता के हत्यारे हैं। . . .*(व्यवधान)* राजस्थान की निकम्मी सरकार, कांग्रेस की निकम्मी सरकार लोगों को मार रही है। . . .*(व्यवधान)* ये उनके हिमायती हैं। . . .*(व्यवधान)* ये चाहते हैं कि राजस्थान खाली हो जाए. . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम प्रसाद, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

[हिन्दी]

श्री नागमणि (चतरा) : यह गरीबों के नेता, माननीय लालू प्रसाद जी को बदनाम करने की साजिश है। . . .*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष जी, यह अखबार देखो। . . .*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : उपाध्यक्ष जी, महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज का ठीक दाम नहीं मिल रहा है। वहां एक किसान की मृत्यु भी हो गयी है। आज वहां के किसान प्रदर्शन करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : वहां पर कांग्रेस की सरकार है, जो किसान विरोधी है। वहां के किसानों की जान पर बनी हुई है। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइये।

[अनुवाद]

यदि सदस्यों का बर्ताव यह है तो मुझे शून्य काल समाप्त करना पड़ेगा और उसके बाद किसी को भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरएक को बोलने का मौका दिया जाएगा और फिर भी आप अपने स्थान पर क्यों नहीं जा रहे हैं? इस प्रकार मैं शून्य काल का संचालन किस प्रकार कर सकता हूं?

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष जी, गरीबों के नेता लालू जी को बदनाम करने की साजिश हो रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? जिन लोगों ने सूचना दी हुई है उन सभी को अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री नागमणि : पूरे बिहार में इस पर हंगामा हो रहा है. . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यहां भी आप हंगामा कर रहे हैं। आप जाकर अपनी सीट पर बैठिए। हर चीज का आपको जवाब चाहिए, आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए। आपका नाम भी बुलाएंगे।' ऐसा नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जसवंतसिंह यादव को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा॰ जसवंतसिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की बात करना चाहता हूँ। इसलिए पहले इन्हें बैठने के लिए कहा जाए . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री जी इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के कई भागों में जैसे राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश . . .*(व्यवधान)* वहाँ सूखे के कारण गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई है। फसल का क्या होगा, यह भविष्य बताएगा। वर्षा आने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं देती। पेयजल की कमी, एक बड़ा संकट बनकर हमारे सामने आया है। इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकारें कदम उठा रहीं हैं। सरकार चाहती है कि सदन इस पर चर्चा करे। अगर कहीं कमियां हैं तो हम आपस में चर्चा करके तय करें। यह प्रदेश का मामला नहीं है। यह राजनीति का सवाल नहीं है। हमें इस राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आप सब नेताओं से विचार-विमर्श करके कोई तिथि निश्चित कर दें। इस पर एक पृथक चर्चा होनी चाहिए। सरकार भी तैयार होकर आएगी, सारे तथ्य सामने रखेगी और आपके सुझावों का स्वागत करेगी। . . . *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का राज है। वहां किसान की मृत्यु हो गई है। नागपुर में सारे किसान प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। . . .*(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का 11 दिन से आन्दोलन चल रहा है। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो॰ एन॰के॰ प्रेमाजम (बडागरा) : महोदय, इस अवसर के लिए धन्यवाद।

मैं इस माननीय सभा का ध्यान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और "ओटिस" नामक निजी कम्पनी के कठोर, उदासीन और लापरवाही-पूर्ण रवैये की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके चलते इन्होंने सोमवार की सुबह एक आठ वर्ष की लड़की की जान ले ली। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वहां पर न तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के, और न ही ओटिस कम्पनी के कार्मिक थे। लगभग 45 मिनट बीत जाने के पश्चात् भी दु:खद स्थिति से निपटने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। विमानपत्तन के परिसर में न तो एम्बुलेंस और न ही तत्कालिक उपचार किट उपलब्ध थी।

मैं सरकार का ध्यान पिछले वर्ष के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की घोर चूकों की ओर दिलाना चाहूंगी। पिछले शीतकाल के दौरान धुन्ध के कारण विमानपत्तन पर अत्यन्त खराब स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्थिति से निपटने में असफल रहा जिसके कारण करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हुई और यात्रियों को असुविधा और भारी हानि उठानी पड़ी जिससे अत्यन्त जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' के दौरान चर्चा नहीं की जा सकती। आप क्या चाहती हैं कि केन्द्र सरकार को विशेष रूप से क्या करना चाहिए?

प्रो॰ एन॰के॰ प्रेमाजम : महोदय, मैं सभा का ध्यान विमानपत्तन परिसर में सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधों में हुई भारी चूकों की ओर दिला रही हूं। इस वीभत्स घटना के समय वहां ऐम्बुलेंस तक मौजूद नहीं थी। तत्कालिक चिकित्सा किट तक भी उपलब्ध नहीं थी। यह अत्यन्त गंभीर मामला है।

अब शीतकालीन सत्र आ गया है और यदि धुन्ध से निपटा नहीं गया तो इससे स्थिति और गंभीर और खतरनाक हो जाएगी। अत: मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रही हूं ताकि वह पूरी स्थिति के संदर्भ में सुरक्षा उपायों का ख्याल रख सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री तूफानी सरोज बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा है। आप स्वयं को उससे सम्बद्ध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, 45 मिनट तक वहां कोई भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। घटना के समय ऐम्बुलेन्स तक उपलब्ध नहीं थी। अत: इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। . . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के सैदपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वाराणसी-जौनपुर के बीच में औरैया-जौनपुर छोटी रेल लाइन 1994 से बंद पड़ी हुई है जिसके लिये कई बार रेल मंत्रालय का ध्यान दिलाया जा चुका है लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है . . .

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमे पता चला कि उसी समय वहां पर प्रभावित परिवार जनों को धन देने की पेशकश की गई जिसे उन्होंने पूरी तरह नकार दिया था। महोदय, वह समय धन की पेशकश करने का नहीं था। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि क्षतिपूर्ति की पेशकश करने के पश्चात् प्रभावित परिवार जनों ने कहा था "यह क्या है? हम तुम्हें धन देंगे, आप हमें हमारी बेटी दे दीजिए।"

अत: मैं यहां सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं नागर विमानन मंत्री से कल इस संबंध में वक्तव्य देने के लिए कहूंगा। . . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कल सम्बद्ध मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह घटना परसों घटित हुई थी। अब, यह कहते हैं कि सम्बद्ध मंत्री वक्तव्य देंगे यह वक्तव्य

कब देंगे? *(व्यवधान)* उन्हें कल ही स्वयं वक्तव्य देने आना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि वे नागर विमानन मंत्री को वक्तव्य देने के लिए कह देंगे।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट (दौसा) : महोदय, कृपया इस बात का पता लगाइएगा क्या धन की पेशकश की गई थी कि नहीं। उन्होंने ठीक ही प्रश्न उठाया है कि क्या सरकार ने उसी जगह धन देने की पेशकश की थी। यदि यह सत्य है तो यह अत्यन्त दिल दुखाने वाली घटना है। मंत्री जी को इस समय तक सभी तथ्यों की पूरी जानकारी हो जानी चाहिए . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इनके वक्तव्य में सभी चीजें बताई जाएगी। अब, श्री तुफानी सरोज बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने घटना वाले दिन विमानपत्तन में कई वक्तव्य दिये थे। लेकिन लोक सभा में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। अब हमारे अनुरोध पर ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि वे नागर विमानन मंत्री जी को इस संबंध में वक्तव्य देने के लिए कहेंगे . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस विषय पर नोटिस दिया है . . .*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गंभीर मामला है। ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसी घटनायें एअरपोर्ट पर पहले भी हो चुकी हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सम्बद्ध मंत्री कल वक्तव्य देंगे। अब आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, केवल मंत्री जी के स्टेटमेंट देने से बात पूरी नहीं हो जाती। मेरा कहना है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वरिष्ठ सदस्य इस तरह से बर्ताव करेंगे तो मुझे बताइए मैं सभा का संचालन किस प्रकार कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्री तूफानी सरोज : उपाध्यक्ष महोदय, वाराणसी-जौनपुर के बीच में औरिहार जौनपुर छोटी रेल लाइन 1994 से बंद पड़ी हुई है जिसके संबंध में रेल मंत्रालय का ध्यान कई बार दिलाया जा चुका है . . .

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, ऐसे अवसरों पर संबद्ध मंत्री को सभा के समक्ष आना चाहिए और तुरन्त घटना के ब्यौरों के बारे में सभा को सूचित करना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह 'शून्य काल' है। जब अति लोक महत्व के मामले होते हैं तो सरकार उन पर ध्यान देती है। उन्होंने पहले ही कहा है कि संबंधित मंत्री आकर कल वक्तव्य देंगे परन्तु आप पुन: वह मामला उठा रहे हैं। कृपया इस बात को समझिए कि कई महत्वपूर्ण विषय आज के शून्य काल में सम्मिलित किये गये हैं। दूसरों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के सैदपुर लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वाराणसी मंडल के अंतर्गत औरिहार-जौनपुर छोटी लाइन सन् 1994 से बंद पड़ी है जिसके संबंध में कई बार रेलवे मंत्रालय का ध्यान दिलाया जा चुका है, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति अब तक नहीं हुई है। औरिहार रेलवे स्टेशन जौनपुर तहसील और सैदपुर तहसील मुख्यालय से जुड़ा होने के कारण एक चर्चित केन्द्रबिन्दु है जहां से लोगों का आवागमन दूर-दराज के क्षेत्रों में होता रहता है। दूसरी तरफ जौनपुर व्यवसाय का केन्द्रबिन्दु है। व्यापारियों को प्रतिदिन औरिहार से जौनपुर आना-जाना पड़ता है। जौनपुर से औरिहार के बीच सरकारी बस सेवा भी उपलब्ध नहीं है। निजी वाहन चलते हैं जो जनता से मनमाने पैसे वसूलते हैं। सही समय पर जनता अपने कार्यों के लिए पहुंच नहीं पाती है जिससे क्षेत्रीय जनता काफी दु:खी है। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्रालय अविलंब उक्त प्रकरण पर ध्यान देने का काम करेगा। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा।

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : उपाध्यक्ष जी, मैंने तो कुछ दूसरा ही विषय दिया था लकिन यह जो अखबार में छपा मीसा भारती की शादी से संबंधित, यह इतिहास में पहला मौका है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की बेटी की शादी हो, उसको एक पखवाड़ा भी न बीता हो और इनकम टैक्स वाले उनको नोटिस देते हैं। ऐसा लग रहा है कि यह पूर्व नियोजित है और दुर्भावना से ग्रसित है और इसमें पोलिटिकल राइवलरी की भावना से काम किया गया है। जबकि निमंत्रण कार्ड पर भी लिखा गया था कि उपहार कोई नहीं लाएं। यह दुर्भावना से ग्रसित है कि इस देश में कोई पिछड़ी जाति का नेता, कोई अकलियत का नेता, कोई दलित नेता प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री नहीं बने। यह राजनैतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में इनकम टैक्स वालों से पूछा जाए और उनको सस्पेण्ड किया जाए और उनसे पूछा जाए कि ऐसी शादियां क्या इस देश में नहीं हुई। बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं की बेटियों की शादियां हुई, बड़े-बड़े नेताओं की हुई, पर किसी को नोटिस नहीं दिया गया। यह इतिहास का काला अध्याय शुरू कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। . . .*(व्यवधान)* इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा और देश

[श्री राम प्रसाद सिंह]

उनको माफ नहीं करेगा। प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं। यह भी अच्छे पोलिटीशियन हैं, देश का व्यवहार इनके प्रति अच्छा है। इनको देखना चाहिए कि यह राजनैतिक दुर्भावना के साथ काम क्यों किया जा रहा है।. . .*(व्यवधान)*

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : यह काम लालू यादव को अपमानित करने के लिए किया गया है। इसे सहन नहीं किया जा सकता। देश भर के माननीय नेताओं को इस शादी में आमंत्रित किया गया था। हर कोई अपनी लड़की की शादी करता है और अपने कुटुम्बियों को, सगे संबंधियों को आमंत्रित करता है लेकिन इस तरह से हिन्दुस्तान के इतिहास में सबसे पहले यह अपमानित करने का काम हो रहा है, यह केन्द्र सरकार के इशारे पर हुआ। मैं तमाम माननीय सदस्यों का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह के काम करके देश को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। . . .*(व्यवधान)*

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : हम चाहेंगे कि प्रधान मंत्री जी इस पर ध्यान दें।. .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आदित्यनाथ।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : हम चाहेंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।. . .*(व्यवधान)* यह सब बिहार में बदले की भावना से किया जा रहा है। . . .*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान कुछ समाचार पत्रों में छपे हाई कोर्ट के नोटिस की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें इस देश के चार पूर्व प्रधान मंत्रियों और एक पूर्व रक्षा मंत्री पर सेना और वायु सेना का रुपया बकाया है, मैं उसके भुगतान के संबंध में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, आप सभा के समक्ष विषय को उठा चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार उन पर इंकम टैक्स का केस कर रही है इस तरह से बिहार को अपमानित किया जा रहा है . . .*(व्यवधान)* सरकार बिहार के विरुद्ध षड्यंत्र की कार्यवाही कर रही है। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य खुद पीठासीन अधिकारी भी हैं और वह खुद यहां अनुशासन नहीं रखते हैं, हमें क्या अनुशासन सिखायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सेना, वायु सेना और विभिन्न विभागों की बहुत बड़ी धनराशि इस देश के चार पूर्व प्रधान मंत्रियों और पूर्व रक्षा मंत्रियों के ऊपर बकाया है।. . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको मैटर रेज करने की अनुमति दी। श्री राम प्रसाद सिंह कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपने जीरो आवर में मामला उठा दिया है और आपको क्या चाहिए।

श्री राम प्रसाद सिंह : सर, इस बारे में प्रधान मंत्री जी जवाब दें. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा केवल योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वही शामिल किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.33 बजे

इस समय श्री मौहम्मद अनवारुल हक और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

योगी आदित्यनाथ : इसमें एक पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा जी हैं जिन पर 26 करोड़ 46 लाख रुपये, श्री नरसिंहराव पर पांच करोड़ 52 लाख रुपये, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी पर एक करोड़ 86 लाख रुपये, श्री चंद्रशेखर जी पर पांच करोड़ 92 लाख रुपये बकाया है। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक नए सदस्य हैं कृपया अपने स्थान पर जाइए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : पूर्व रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सेना और वायु सेना के विमानों का इस्तेमाल किया था। . . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीटों पर जाइये, जीरो आवर में इस तरह से नहीं होता है। आप अपनी सीटों पर जाइये।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : इन्होंने इन विमानों से 307 यात्राएं की थीं जिनमें से 24 निजी यात्राएं थी और आज भी उन पर 41 करोड़ रुपया सेना और वायु सेना का बकाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि दोहरे मापदंड क्यों अपनाएं जा रहे हैं। एक तरफ अगर किसान पर पांच सौ रुपये राजस्व का बकाया रहता है तो उस किसान को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है, उसके घर की कुर्की कर दी जाती है। वहीं इस देश के चार पूर्व प्रधान मंत्रियों और रक्षा मंत्री पर भारत सरकार का करोड़ों रुपया बकाया है . . . *(व्यवधान)* लेकिन इस बारे में अभी तक कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई है। . . . *(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगहों पर जाइये, नहीं तो आपके बारे में सोचना पड़ेगा। आपने मैंने बोलने का टाइम दिया और आपने जीरो आवर से मामला अठाया है, अब आप अपनी जगहों पर जाइये। आप नये मैम्बर हैं, आपके विरुद्ध सख्त कार्रवाही की जायेगी। आप अपनी जगह पर जाइये। रघुवंश जी, आप अपने मैम्बर्स को अपनी जगह पर जाने के लिए कहिए। देखिये मैंने आपको यह मैटर उठाने की इजाजत दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि नये मैम्बर्स यहां आकर खड़े हो जाएं। जीरो आवर में आप मामला उठा सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हर चीज पर रीएक्ट करे। आप अपने मैम्बर्स को बोलिये कि वे अपनी जगहों पर बैठें। जीरो आवर इसी तरह से होगा तो इसको डिस्पैन्स करना पड़ेगा। रघुवंश जी, आप अपने मैम्बर्स को अपनी जगहों पर जाने के लिए बोलिये।

माननीय सदस्यगण, मैं आपका सहयोग चाहता हूं। हर बात की कोई सीमा होती है। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.35 बजे

इस समय श्री मौहम्मद अनवारुल हक तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप सीनियर मैम्बर हैं, आपको मालूम है कि जीरो आवर में जो मैटर उठाया जाता है उसके ऊपर हम सरकार को रिएक्ट करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, कंपैल नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट यदि रिएक्ट करना चाहे, तो कर सकती है।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उसकी जांच करा लीजिए। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान जनहित से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमे हाईकोर्ट ने इस देश के पूर्व रक्षा मंत्री तथा 4 पूर्व प्रधान मंत्रियों के ऊपर सेना और वायु सेना की बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो इस देश के गरीब किसान पर यदि 500 रुपये बकाया होते हैं तो राजस्व वसूली के समय उसे जेल की सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के ऊंचे पदों पर आरूढ़ रहे व्यक्तियों से वसूली नहीं हो, यह कैसा न्याय है? मैं हाईकोर्ट के नोटिस के आधार पर आपके माध्यम से सदन में यह जानकारी देना चाहता हूं कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा पर 26 करोड़ 46 लाख रुपये, स्व. राजीव गांधी जी पर 1 करोड़ 86 लाख रुपये, नरसिंहराव जी पर 5 करोड़ 52 लाख रुपये, चन्द्र शेखर जी पर 5 करोड़ 92 लाख रुपये बाकी हैं। पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 360 यात्राएं की थीं जिनमें से 24 उनकी निजी यात्राएं थीं और उनके ऊपर 41 करोड़ रुपये बकाया है।

महोदय, मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश में दोहरे मानदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं—500 रुपये की राजस्व वसूली में क्यों गरीब किसान को सीखचों के पीछे खड़ा कर दिया जाता है और क्यों बड़े लोगों पर करोड़ों रुपये बकाया होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है? हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। इस रकम की वसूली होनी चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ जी, आप तो नए मैम्बर नहीं हैं। आप तो सीनियर मैम्बर हैं। आपको तो मालूम है कि जो कुछ आपने यहां हाऊस में कहा है, उसको आपको औथैंटिकेट करना होगा, अन्यथा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या आपने जो यहां आंकड़े बताए हैं, उन्हें आप औथैंटिकेट करने के लिए तैयार हैं?

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े मेरे अपने मन के नहीं हैं। ये तो वे आंकड़े तो हाईकोर्ट के नोटिस में दर्शाए गए हैं। इनको मैं औथैंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। . . . *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी नोटस देता हूं कि. . .

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप भी नोटिस दे दीजिए।

(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ: उपाध्यक्ष महोदय, यह देश भर के समाचार पत्रों में छपा है। हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है, इससे कौन इन्कार कर सकता है। मै जो सदन में बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। . . . *(व्यवधान)* हम उसके लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वह पैसा वसूल होना चाहिए। वह धन सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए। . . . *(व्यवधान)* देश में किसानों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ जी, आप एक ही मामला उठा सकते हैं, दूसरा नहीं।

योगी आदित्यनाथ: उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही मामला उठा रहा हूं, दूसरा नहीं। यह जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। हाइकोर्ट ने नोटिस दिया है। यह पैसा वसूल होना चाहिए। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए॰ सी॰ जोस (त्रिचूर) : महोदय, आजकल ऐसा प्रतीत होता है कि शून्य काल में कुछ भी कहा जा सकता है। यह नियम 377 के अधीन मामलों के समान हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं इसे सही ढंग से संचालित करने का प्रयास कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला (कपड़वंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर नियम 377 में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा हमें मालूम पड़ रहा है। जीरो आवर का एक महत्व होता है कि देश में 24 घंटे में जो कुछ घटनाक्रम घटा है, उसके आधार पर ठीक 12 बजे अध्यक्ष महोदय किसी भी माननीय सदस्य को उसके द्वारा नोटिस दिए जाने पर बोलने के लिए अनुमति प्रदान करें। यह अध्यक्ष महोदय का राइट है कि वे किसको अलाऊ करें और किसको न करें। मैं प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने पानी के बारे में जो अभी बयान दिया है, . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया वहां बैठकर सभा की बैठक का संचालन मत कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेजर जनरल खंडूड़ी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा।

श्री शंकर सिंह वाघेला : अभी क्वश्चन ऑवर में मुलायम सिंह जी ने कहा था, लेकिन पीने के पानी के रायट (वाटर रायट्स) हमारे गुजरात में शुरू हो गए हैं।

कल हमने प्रधान मंत्री जी को नर्मदा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से पीने के पानी के बारे में एक मेमोरेंडम दिया था। इसी समय कल्ला जिला जामनगर में किसानों के ऊपर फायरिंग हो रही थी। तीन किसान प्वाइंट ब्लैंक रेंज से मारे गये हैं। किसान संघ के लोग, आपके लोग 11 दिन से वहां ऐजीटेशन कर रहे हैं। जामनगर सिटी को पीने के पानी देने का सवाल है। वहां ऑल्टरनेटिव दिन आधा घंटे पानी मिल रहा है। राजकोट को तीन दिन में एक दफा पीने का पानी मिलता है। गाँव के लोग—किसान लोगों को दस-दस किलोमीटर जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता। किसान कहते हैं कि हमारा पानी है और अर्बन लोग कहते हैं कि हमारा पानी है। 11 दिन से जो ऐजीटेशन चल रहा था, वह कल हिंसक हो गया और तीन किसान प्वांइट ब्लैंक रेंज से मारे गये। 13 लोग हास्पिटल में हैं। तीनों की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है। जब मुख्य मंत्री जी वहाँ जाएंगे तब वे डेड बॉडी देंगे वर्ना वे नहीं देंगे ऐसा किसानों का कहना है। सिर्फ पोलीटिकल शमशान यात्रा में जाना ठीक नहीं है। मै कहना चाहता हूँ कि यह सिर्फ पोलिटिकल मामला नहीं है। मैं प्रधान मंत्री जी की आभारी हूँ कि आपने इंटरविन किया। संसद में पानी की चर्चा की बात की है। आप नियम 193, शार्ट ड्यूरेशन या अन्य किसी भी प्रकार की औपचारिकता में न जायें। आपको पीने के पानी का इश्यू सब पार्टियों को क्रास करते हुए जल्दी उठाना चाहिए। अभी तो विंटर सैशन चल रहा है। गर्मियों में पता नहीं क्या होगा? हमने खाने के राइट्स सुने थे लेकिन अब पीने के पानी का राइट्स भी शुरू हो गया है। मै कहना चाहता हूँ कि रास्ता रोको आंदोलन में लोगों ने जो कुछ किया, फायरिंग हुआ, उस पर सभी पार्टियों को साथ लेकर आप चिन्ता करें। स्टेट्स में जितनी भी प्रोब्लम्स हैं, उनको राज्य पर ही न छोड़ा जाये क्योंकि राज्यों के अपने रिसोर्सिस बहुत कम हैं। यह कहेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट है, मैं कहूँगा कि बी. जे. पी. की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है। पीने के पानी का न रंग होता है, न कोई सुगंध आती है और पीने का पानी, पानी होता है। इसकी चिन्ता करते हुए आप पूरे हाउस को विश्वास में लेते हुए राज्यों को डिक्टेट किया जाये कि इसमें कम से कम हिंसा न हो। पीने का पानी कहां से दिया जाये, इसके बारे में चिन्ता करनी चाहिए क्योंकि किसान कहता है कि हमको पानी मिलना चाहिए और शहरी इंसान कहते हैं कि हमको पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। आप इस पर चिन्ता करें। सब को पानी मिलना चाहिए।

श्री हरपाल सिंह साथी (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सदन में बहुत सीनियर मैम्बर्स बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में दो तिहाई लोग ऐसे हैं जो हिन्दी वासी हैं। वे हिन्दी बोलते और समझते हैं। हमारे पार्लियामेंट के अंदर तो आपने प्रावधान किया हुआ है जिससे हमको हिन्दी में भी पेपर मिल जाते हैं। हम हिन्दी बोलते और समझते हैं परन्तु आज भारतवर्ष के अनेक ऐसे दफ्तर हैं जहां पर हिन्दी को इग्नोर करके इंगलिश को थोपा जाता है। मै आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हिन्दी हमारी राजभाषा है। हमारी माता है और हम हिन्दी को महारानी और रानी बोलते हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि महारानी का कोई महत्व नहीं है और जो नौकरानी है, वह सिर पर सवार होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री हरपाल सिंह साथी : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं हिन्दी को थोपना नहीं चाहता। मैं कोई भाषा विरोधी नहीं हूँ। . . .*(व्यवधान)* मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ। . . .*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री हरपाल सिंह साथी : मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो प्रदेश हिन्दीवासी है वहां पर हिन्दी का कार्य हिन्दी में ही हो, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और जो हिन्दी प्रदेश हैं, उनमें हिन्दी लागू की जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? आप शोड़ा कंट्रोल कीजिए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके और सभा के ध्यान में एक अत्यंत गम्भीर विषय लाना चाहता हूँ। हाल ही में माननीय मंत्री श्री बची सिंह रावत ने कहा था कि सरकार सेना में अधिकाधिक लोगों की भर्ती करने का विचार रखती है। उन्होंने सेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले नवयुवकों को खुला आमंत्रण दिया है कि वे सेना में भर्ती होने से पहले आर. एस. एस. में भर्ती हों और आर. एस. एस. की शाखाओं में प्रशिक्षण लें। यह एक ऐसा कदम है जिसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं। पहले हमने यह घटना देखी कि भाजपा के सदस्यों को सुरक्षा सम्बंधी मामलों की जानकारी सेना के अधिकारियों द्वारा दी गई थी। अब वे एक कदम आगे बढ़ गए हैं और इस बात का संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। यह फासिज्म की दिशा में एक कदम है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष जी, अभी आपने एक मैम्बर को रोका था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनको रोका नहीं था बल्कि पूरी बात बताई थी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खण्डूड़ी, कृपया व्यवधान न डालें। यदि यह सही नहीं है, तो आप नियम 222 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं।

[हिन्दी]

मेजन जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या यह भी औथेन्टीकेट करेंगे? . . . *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: खण्डूड़ी जी, आप तो दो प्रिविलेज मोशन दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : आप औथेन्टीकेट करने की बात करते हैं।. . .*(व्यवधान)* यू. पी. के मुख्य मंत्री ने टेलीविजन पर कहा था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर कहा कि उन्होंने नहीं कहा। ऐसा कह दीजिए, कि उन्होंने यह नहीं कहा। यह क्या परम्परा बनती जा रही है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री पवन कुमार बंसल : यह केवल सरकार से कुछ कराने का प्रश्न नहीं है परन्तु पूरे देश की अन्तरात्मा कचोट रही है। आर. एस. एस. सरकार की प्रत्येक शाखा पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है। इसमें सशस्त्र सेनाएं भी शामिल हैं। यह अत्यंत गम्भीर मामला है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। संबंधित मंत्री को सभा में आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कहा है या नहीं। देश की सशस्त्र सेनाओं के साथ सरकार इस प्रकार का व्यवहार करना चाहती है।

श्री राजेश पायलट : श्री बची सिंह रावत, इस सभा के सदस्य हैं। उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि डिफेंस मिनिस्टर श्री जार्ज फर्नान्डीज आकर कहें कि यह उन्होंने कहा कि नहीं कहा. . .*(व्यवधान)* यह जम्हूरियत के लिए खतरा है।. . .*(व्यवधान)* यह लोकतांत्रिक संस्था के लिए गम्भीर खतरा है। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : माननीय सदस्य ने अत्यंत गम्भीर मामला उठाया है। आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अगर इसी सदन के किसी सदस्य के विरोध में आपको कुछ कहना है तो–

[अनुवाद]

श्री बंसल को उन्हें पहले सूचना देनी चाहिए थी, उनकी सहमति लेकर और फिर उन्हें सभा में आना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल: वे भारत सरकार के मंत्री हैं।

श्री प्रमोद महाजन: तो क्या? आप एक व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: ये हमारे राइट को कन्डेम करना चाहते हैं।

महोदय, संसदीय कार्य मंत्री सभा में हमारे बोलने के अधिकार पर रोक लगाना चाहते हैं।

इसके अलावा और संस्थानों में भी आर. एस. एस. के लोगों को इन्चार्ज बनाया जा रहा है, हैड बनाया जा रहा है। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य: मंत्री महोदय ने इसका खंडन नहीं किया है। उन्हें इसका खंडन करने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह नियम उस समय लागू होता है जब अपमानजनक टिप्पणी की जाती है। यह अपमानजनक वक्तव्य है। मंत्री महोदय उस बात को दोहरा रहे हैं जो उन्होंने सरकार की ओर से कहा था।

श्री प्रमोद महाजन: उन्होंने यह सरकार की ओर से नहीं कहा था।

श्री पवन कुमान बंसल: मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है। प्रधानमंत्री को कहने दीजिए कि वे स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: कृपया हमें बताइए, क्या एक मंत्री महोदय अपनी ओर से बोल सकते हैं?. . .*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: कोई भी नहीं जानता कि क्या उन्होंने कहा था? माननीय सदस्य किसी समाचार पत्र के समाचार के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं। सरकार इस पर किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती है।

श्री पवन कुमार बंसल: यह वक्तव्य उत्तर प्रदेश के लोहा घाट में दिया गया था। मेरे पास समाचार पत्र की कटिंग है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह समाचार किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था।

श्री पवन कुमार बंसल : यह 'अमर उजाला' में प्रकाशित हुआ था, जोकि एक लोकप्रिय समाचार पत्र है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसकी पुष्टि करनी होगी।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री परिषद के एक सदस्य ने सदन के बाहर कुछ कहा और उसे मुद्दा बनाकर सदन में उठाया जा रहा है। एक-दूसरे के लिए अच्छा होता कि इस तरह के मुद्दे उठाने से पहले उपाध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से भी और संबंधित मंत्री को, संबंधित सदस्य को सूचित कर दिया जाता कि आज यह मामला उठने वाला है, आप सदन में रहिए। वे सदन में रहते, अपनी सफाई देते। इस तरह का वक्तव्य अगर दिया जाएगा तो वह आपत्तिजनक है। सरकार की नीति ऐसी हो, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसी बात कही होगी और अगर कहा है तो वह गलत कहा है। . . .*(व्यवधान)* 'अगर कहा है तो।' . . .*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, अगर पहले से मंत्री महोदय को सूचना दे दी जाती. . .*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : मिनिस्टर्स के लिए भी ट्रेनिंग क्लास होनी चाहिए। . . *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यहां तो पूरे ट्रेंड मालूम होते हैं, मैं क्या कहूं। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सदस्य के साथ-साथ किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री के भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं वहां चालीस साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद इधर आया हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं आपकी बात नहीं करता। आपको नमस्कार करता हूं। और मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं। . . . *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं भी आपको नमस्कार करता हूं।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं यह वक्तव्य नियम 353 के अधीन आता है या नहीं. . .*(व्यवधान)* आपने नियम 353 को पढ़ा। इसमें उल्लिखित है कि सूचना मंत्री महोदय को भेजी जानी चाहिए।. . .*(व्यवधान)* मैं भविष्य में ध्यान रखने के लिए इस बात को जानना चाहता हूं। महोदय, मैं यह बात आपके विनिर्णय के लिए पूछ रहा हूं।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार का विचार बंग भाषियों के लिए एक टेलिविजन चैनल आरम्भ करने का है। उन्होंने पहले ही अपलिंकिंग के लिए विदेश संचार निगम में आवेदन दे दिया है। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी अनुमोदन मांगा है। यह बंग्ला चैनल समाचारोन्मुखी होगा। यह खेलकूद संस्कृति इत्यादि संबंधी समाचारों को भी प्रसारित करेगा। मै माननीय प्रधान मंत्री से इस चैनल को आरम्भ करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध करता हूं। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण चैनल होगा क्योंकि यह पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करेगा। यह समाचारोन्मुखी चैनल होगा। मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदन देने जा रही है। मैं इस पर भारत सरकार की ओर से प्रतिक्रिया चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय उर्वरक निगम की उर्वरक इकाई—जोकि पहली सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था—का 1952 में सिंदरी, बिहार में शुभारम्भ करते हुए कहा था कि वे न केवल एक औद्योगिक इकाई का शुभारंभ कर रहे हैं अपितु यह आधुनिक भारत का मंदिर है।

महोदय, इन आधुनिक भारत के इन मंदिरों को अब एक-एक करके तोड़ा जा रहा है। दस वर्ष पहले, गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया की एक उर्वरक इकाई को बंद कर दिया गया था। इसे अब तक चालू नहीं किया गया है। बरौनी में भी उत्पादन नहीं हो रहा है। दुर्गापुर इकाई कई महिनों से बंद पड़ी है। नामरूप की तीन इकाइयों में से केवल एक इकाई में ही काम हो रहा है। असम की अन्य दो इकाइयां बंद हैं। उड़ीसा में तालचेर की दोनों इकाइयां कोयला आधारित उर्वरक इकाइयां—भी बंद हैं। आंध्र प्रदेश में रामगुण्डम इकाई भी बंद है। यह भी कोयला आधारित उर्वरक इकाई है। हल्दिया उर्वरक इकाई ने अपनी स्थापना से ही उत्पादन शुरू नहीं कर पाई है। पिछले 15 वर्षों से यह बंद पड़ा है।

हम यूरिया के आयात पर निर्भर हैं। हम यूरिया के आयात पर 2300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रहे हैं। भारतीय उर्वरक निगम की एक इकाई को 2200 करोड़ रुपये की लागत से पुनरूद्धार के एक प्रस्ताव को संयुक्त मोर्चा सरकार ने अनुमोदित किया था। जब यह सरकार सत्ता में आई तो इस प्रस्ताव को ताक पर रख दिया गया।

मैं सरकार से विशेषकर माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार भारतीय उर्वरक निगम और फर्टीलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी देश की उर्वरक इकाइयों का पुनरूद्धार करने के लिए ठोस कदम उठाएगी ताकि हमें यूरिया के आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़े। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम यूरिया के आयात पर निर्भर कर रहे हैं जबकि हम अपनी ही उर्वरक इकाइयों का पुनरूद्धार नहीं कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे देश की सरकारी क्षेत्र की घरेलू उर्वरक इकाइयों को पुनर्जीवित करने, पुनरुद्धार करने के लिए तुरंत कदम उठाए।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.56 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर पाँच मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेगी। श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय।

(एक) दामोदर रेल परियोजना के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : महोदय, सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड के अंतर्गत दामोदर रेल विपथन का कार्य वर्ष 1982 में ही प्रारम्भिक प्राक्कलन राशि करीब 200 करोड़ रुपये से आरम्भ किया गया है। वर्तमान में प्राक्कलन राशि में कई गुना वृद्धि हुई है। इसका कारण प्रबंधन द्वारा धीमी गति से कार्य करना और अन्य बातें भी शामिल हैं।

परियोजना के काम में विलम्ब के कारण बोकारो-करगली कोयला खदान बंद के कगार पर है। कोयला मजदूर और कर्मचारी अधिशेष होते जा रहे हैं। कोयला मजदूर काम के अभाव में बैठकर वेतन ले रहे हैं। परियोजना राशि में अप्रत्याशित वृद्धि से सरकारी राजस्व की हानि हो रही है। परियोजना का काम पूरा नहीं हुआ, परन्तु करीब 90 प्रतिशत विस्थापितों की नियुक्ति हो गई है। परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा होने पर इस क्षेत्र के लोगों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे और संबंधित कोयला खदानों में करीब 25-30 वर्षों तक के लिए कोयले प्राप्त होते रहेंगे।

अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि परियोजना कार्य की धीमी गति से चलने वाले व्याप्त अनियमितताओं की जांच कर परियोजना कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए।

(दो) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की मलाजखंड कॉपर परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : महोदय, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तांबे और मैगनीज की अच्छे स्तर की खदानें हैं। इसमें मलाजखंड कापर प्रोजैक्ट ऐसा प्लान्ट है जो सम्पूर्ण कॉपर कम्पनी में आज भी अन्तर्राष्ट्रीय तांबे की कीमत से कम की लागत पर अपने उत्पादन का कीर्तिमान बनाए है। फिर भी देश के अन्य क्षेत्रों के नुकसान के कारण मलाजखंड कॉपर प्रोजैक्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों को इस मंदी का शिकार होना पड़ रहा है। अत: मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मलाजखंड कॉपर प्रोजैक्ट के अच्छे कार्य को ध्यान में रखते हुए लगभग सौ करोड़ रुपये का गैर योजना व्यय प्रदान किया जाए। साथ ही कॉपर के स्मेलिटक प्लांट को मलाजखंड में ही स्थापित किया जाए जिससे मलाजखंड से खेतड़ी राजस्थान तक के परिवहन व्यय को सरकार बचा सके।

(तीन) महाराष्ट्र में इरन्दोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मध्य रेलवे के चालीस गांव पचौरा तथा पश्चिम रेलवे के धर्मगांव–अमवनेर स्टेशनों के बीच शटल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील (इरन्दोल) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में सेंट्रल रेलवे और पश्चिम रेलवे पर कई महत्वपूर्ण स्टेशन आते हैं। जैसे कि सैंट्रल रेलवे में चालीस गांव और पाचौरा और वेस्टर्न रेलवे के धरमगांव और अमवनेर यह सब स्टेशन पर साधारण से 4000 से ज्यादा प्रवासी हर रोज शिक्षा, व्यवसाय और नौकरी पर आना-जाना करते हैं। ये हर रोज के प्रवासी भूसावल से मनमांड तक और भूसावल से नंदूखार तक जाते हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन प्रवासियों के लिए एक स्वतंत्र फास्ट शटल सर्विस शुरू करने का कष्ट करें।

(चार) अमृतसर हवाई अड्डे को शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर०एल० भाटिया (अमृतसर) : महोदय, सरकार ने यह घोषणा की थी कि अमृतसर हवाई अड्डे को शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया जाएगा परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। यद्यपि पंजाब सरकार ने इस कार्य के लिए आवश्यक भूमि ग्रहण कर लिया है लेकिन हवाई अड्डा के प्राधिकारी इस मामले में आगे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

मेरा अनुरोध है कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जाए।

(पांच) महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दिगरस स्थान पर कम शक्ति वाला टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री उत्तमराव पाटील (यवतमाल): महोदय, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में दियारा क्षेत्र में दूरदर्शन के कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जाने के संबंध में काफी माँग है। यह एक पिछड़ा और जनजातीय क्षेत्र है और यहां दूरदर्शन की कोई सुविधा नहीं है इसलिए मेरा माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से अनुरोध है कि दियारा क्षेत्र के लिए इस परियोजना हेतु स्वीकृति दें।

(छह) राजस्थान के जैसलमेर जिले में ताप विद्युत संयंत्रों के सुचारु कार्यकरण के लिए हाई स्पीड डीजल के प्रयोग की आवश्यक अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर) : महोदय, प्राकृतिक संसाधनों के उपलब्ध होने के बावजूद थार जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं। जैसलमैर जिले में अच्छी गुणवत्ता वाली प्राकृतिक गैस भारी मात्रा में उपलब्ध है। इस क्षेत्र की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1994 और 1996 के दौरान दो गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं लगाई गई थी। पहली ताप विद्युत परियोजना भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा सप्लाई की गई कम गुणवत्ता वाली गैस के कारण

[कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी]

बंद हो गई थी। फेज-2 के अंतर्गत 160 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना तैयार की गई थी जिसकी लागत 550 करोड़ रुपये है और उसका 1 × 35.5 मेगावाट पहले ही स्थापित की जा चुकी है। शेष उत्पादन इकाइयों को भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड से एम 3/दिन की 10 लाख अतिरिक्त राशि से स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। जून 1997 के दौरान पैट्रोलियम और गैस मंत्रालय के पास अतिरिक्त मांग को पहले ही पंजीकृत किया गया है।

राजस्थान सरकार ने गैस और हाई स्पीड डीजल पर आधारित 35.5 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र के प्रावधान के लिए 45 करोड़ रुपया निर्धारित किया है। यह परियोजना रामगढ़, जिला जैसलमेर में अच्छी गुणवत्ता वाली गैस और हाई स्पीड डीजल के प्रयोग की अनुमति के अभाव में लंबित पड़ी है। इससे संबंधित विद्युत परियोजना चरण-III का प्रस्ताव पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास भेजा गया है। मैं पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि रामगढ़ को गैस के अन्य कुँओं से अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली गैस उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और गैस के अभाव में हाई स्पीड डीजल के प्रयोग की आवश्यक अनुमति भी जारी करें।

(सात) केरल के कन्नूर और वायनाड जिलों में जंगली जानवरों के आतंक को रोकने के लिए राज्य सरकार को विशेष अनुदान दिए जाने की आवश्यकता

श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : महोदय, केरल के कन्नूर और वायनाड़ जिलों के अनेक गांव जंगली जानवरों के आक्रमण के आतंक से बुरी तरह प्रभावित हैं। जिससे कृषि और जनजीवन को काफी नुकसान हो रहा है।

केरल के कन्नूर और वायनाड़ के उत्तरी जिलों में कर्नाटक राज्य की सीमा से लगा हुआ लगभग 25 किलोमीटर लंबा जंगल का क्षेत्र है।

इनमें से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र वायनाड़ जिले में तिरुनेल्ली पंचायत और कन्नूर जिले में अरालम है।

पिछले वर्ष ही जंगली हाथियों द्वारा छह लोग मारे गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे तथा कृषि को लाखों रुपयों की हानि हुई थी। इस वर्ष नवंबर में सरकार द्वारा संचालित अरालम फार्म वास्तव में हाथियों के एक झुंड द्वारा बर्बाद कर दिया गया था।

समय-समय पर जब जंगल में भोजन और पानी की कमी होती है तो जानवर, विशेषकर जंगली हाथी रिहायशी क्षेत्रों में खाने और पानी की तलाश में जंगल से बाहर आते हैं जिससे जन-जीवन और धन का काफी नुकसान होता है।

इस आतंक को रोकने के लिए जंगल के साथ-साथ बाड़ लगाने और खाइयां खोदने जैसे कदम तुरंत उठाए जाने चाहिए।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या की गंभीरता पर ध्यान दें और आवश्यक कदम उठाएं ताकि इस क्षेत्र के लोगों का जीवन और धन बचाया जा सके। मेरा अनुरोध है कि इस काम के लिए केरल सरकार को विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए।

(आठ) तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में रसोई गैस बॉटलिंग संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

***श्री डी० वेणुगोपाल** (तिरुपत्तूर) : यद्यपि आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया चल रही है फिर भी सरकार की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी काफी अधिक है। पूंजी और निवेश की परवाह न करके सरकार बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगा तो सकती है परन्तु वह काफी व्यापक नहीं होगा। सरकार को औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लाभकारी आधारभूत अवसंरचनात्मक विकास एककों की स्थापना को वरीयता देनी चाहिए। ऐसे समय जब सरकार देश में सभी स्थानों में खाने की गैस उपलब्ध कराने में उत्सुक है, ऐसे समय में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रसोई गैस बोटलिंग संयत्रों की स्थापना की जा सकती है ताकि रोजगार के अधिक अवसर प्रदान किए जा सकें। इण्डेन के अलावा भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम संयंत्र हैं जिनमें से कोई भी मेरे तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र में तिरुवन्नामलाई के जिला मुख्यालय में एक छोटा बोटलिंग संयंत्र की स्थापना की जा सकती है। इससे चेंगम, तन्दरपत्तू, तिरुक्कविलुर, वेट्टावल्लम, कलपक्कम, कलमपुर को लाभ होगा जो तिरुवन्नामलाई के 40 कि.मी. के दायरे में है तथा रेलमार्ग से जुड़े हैं। यह वेल्लौर से अच्छा होगा जिसके राजमार्ग चेन्नई और बंगलौर से जुड़े हुए हैं तथा जिसे रसोई गैस आसानी से मिल सकती है। बोटलिंग संयंत्र घाटे की इकाइयां नहीं होती और इनसे रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं तथा इससे चेंगम और तन्दरपत्तू को अधिक गैस कनेक्शन तथा गैस एजेन्सियां मिल सकेंगी जो अभी वहां नहीं है।

(नौ) सेलम रेलवे जंक्शन को डिवीजन का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री टी०एम० सेल्वागनपति (सेलम) : तमिलनाडु के सात पश्चिमी जिलों में फैली 700 किलोमीटर से अधिक बड़ी लाइन इस समय पालघाट डिवीजन द्वारा नियंत्रित होती है जो सेलम जंक्शन से काफी दूर है। इसलिए, सेलम जंक्शन को डिवीजन बनाए जाने की मांग काफी समय से चल रही है और सेलम तथा तमिलनाडु के अन्य छह पश्चिमी जिलों के लोगों की यह मांग पिछले कई दशकों से पूरी नहीं की गई है। सेलम जंक्शन तमिलनाडु में बड़ी लाइन पर सबसे बड़ा जंक्शन है।

सेलम पांच रेल लाइनों का जंक्शन है। अगर सेलम जंक्शन को डिवीजन बना दिया जाता है तो रेलवे मुंबई, तिरुपति, बंगलौर, चेन्नई, रामेश्वरम और नागूर के लिए गाड़ियां चलाकर लाभ कमा सकती है। इसके अतिरिक्त, इस औद्योगिक शहर में सेलम जंक्शन को डिवीजन में बदलने की आवश्यकता है ताकि औद्योगिक और घरेलू दोनों ही तरह के माल की बढ़ती आवाजाही का काम शीघ्रता से किया जा सके। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय रेल मंत्री ने 1991

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

में सेलम के लोगों को आश्वासन दिया था कि सेलम जंक्शन को 1992-93 के बजट में डिवीजन बना दिया जाएगा। तथापि, अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि 2000-2001 के बजट में सेलम डिवीजन के निर्माण की घोषणा की जाए।

(दस) उड़ीसा में हाल ही में आए भीषण तूफान से प्रभावित बुनकरों और दस्तकारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर) : उड़ीसा में 29/30 अक्तूबर, 1999 को हाल ही में आए भयंकर तूफान के कारण बुरी तरह प्रभावित जगतसिंहपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र के हजारों बुनकर परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभी कार्य स्थल, तन्ताशाला, जो छप्परं और मिट्टी की दिवारों के बने थे, मिट्टी में मिल गए। करघे और उनके सहायक उपकरण जैसे तानी ड्रम, नर्ज गुरिया, बीम, बार्निश बा, सारा फनिया, शटल (मंकू) और डुबी इत्यादि पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। करघे और इसके उपकरणों की लागत लगभग 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) होगी। सोसायटी से मिलने वाले प्रोसेसिंग यार्न नष्ट हो गए हैं। गांव के ये कारीगर बुनाई के अलावा हाथ का अन्य कोई काम नहीं जानते। जगतसिंहपुर जिले में जिन स्थानों में बुनकरों और बुनकरों का समुदाय अधिक संख्या में रहता है वे हैं बड़ा बाग, सिद्दाला, दादापुर, दोंदुआ, कानपुर, अल्लाहाट, केन्दाल, ओडिसा, पुरोहितपुर और कई अन्य गांव। मैं वस्त्र मंत्रालय से और राष्ट्रीय हथकरघा निगम से अनुरोध करता हूं कि बुरी तरह प्रभावित इन दस्तकारों के लिए पर्याप्त अनुदान देकर राहत और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करें ताकि वे नए हथकरघा लगाकर पुन: कार्य शुरू कर सकें; टूटे घरों की मरम्मत कर सकें और मिट्टी में मिले प्रोसेसिंग यार्नों के लिए ऋण माफ करवा सकें। जब तक उनका पुनर्वास नहीं हो जाता तब तक बुनकर परिवारों को अनुग्रह राहत प्रदान की जानी चाहिए।

वस्त्र मंत्रालय को चाहिए कि प्रभावित बुनकरों का पुनर्वास करके उनके जीवन और वित्तीय स्तर में पर्याप्त सुधार लाएं।

(ग्यारह) महाराष्ट्र में रायगढ़ टैलीकॉम सर्कल के महाप्रबंधक का कार्यालय सांताक्रूज मुम्बई से पेण शहर, रायगढ़ में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामशेठ ठाकुर (कुलाबा) : महाराष्ट्र में स्थित रायगढ़ जिले के टेलीकॉम जनरल मैनेजर का कार्यालय रायगढ़ जिले में होने के बजाए यह कार्यालय मुंबई के सांताक्रूज उपनगर में है जिस इलाके का रायगढ़ जिले से कोई संबंध नहीं है।

यह कार्यालय सांताक्रूज मुंबई में होने के कारण सरकार को और रायगढ़ टेलीफोन धारकों को भी बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे जनरल मैनेजर, डी.ई.टी., ओ.सी., एस.डी.ए., जे.ओ., जे.टी.ओ. इस ग्रेड के सब अधिकारी मुंबई में स्थित होने के कारण उन्हें 25 प्रतिशत ज्यादा मकान भत्ता देना पड़ता है। जिसके कारण सरकार को प्रतिवर्ष 2-3 करोड़ रुपये का ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। यह उच्च श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी नित्य हफ्ते, में तीन चार बार रायगढ़ जिले को या रायगढ़ से मुंबई कार्यालय जाते हैं जिसके टी.ए./डी.ए. के सालाना 2-3 करोड़ रुपये तक का अधिक आर्थिक बोझा सरकार को सहन करना पड़ता है। टैलीफोन धारकों के शिकायत निवारण करने के लिए बहुत बार मुंबई जाना पड़ता है और यह शिकायत निवारण तत्काल एक ही बार जाने में कभी नहीं होता, हर शिकायत के लिए बार-बार आने जाने में टैलीफोन धारकों को हर साल अतिरिक्त खर्चा सहन करना पड़ता है और शारीरिक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं।

रायगढ़ टेलीकॉम विभाग की रायगढ़ जिले के पेण शहर में जो दस साल पूर्व से बिल्डिंग पूरी करके तैयार है लेकिन यह कार्यालय अब तक रायगढ़ के पेण शहर में नहीं आ सका।

यह कार्यालय पेण शहर में शिफ्ट किया जाये तो टेलीफोन का नाजायज खर्च बचाया जा सकता है और अच्छी सेवा भी रायगढ़ जिले के टेलीफोन धारकों को प्रदान की जा सकती है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यह रायगढ़ टेलीकॉम जनरल मैनेजर का कार्यालय सांताक्रूज मुंबई से तुरंत ही रायगढ़ पेण शहर में शिफ्ट करें।

अपराह्न 2.20 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला और देश के विभिन्न भागों, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में वृद्धि—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। श्री लाल कृष्ण आडवाणी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले श्री विलास मुत्तेमवार और श्री राजेश पायलट को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरम्भ की है और सदन को यह अवसर दिया कि देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के लिये जो संकट देश के विभिन्न भागों में और विशेषकर जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में पैदा हुआ है, उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें सुझाव दें। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि इस बहस में 23 माननीय सदस्यों ने कुल मिलाकर भाग लिया। हालांकि बहस का समय दो घंटे निर्धारित हुआ था लेकिन यह साढ़े चार-पांच घंटे बहस चली। मैं पूरे तौर पर कह सकता हूं कि यह बहस रचनात्मक थी।

उसमें किसी ने भी कोई प्वाइंट स्कोर करने का नहीं सोचा कि इस सरकार ने ऐसा किया, उस सरकार ने ऐसा किया या उस सरकार ने वैसा किया। सब माननीय सदस्यों के भाषणों में तीन चीजें लगभग

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

समान थीं, पहली चीज कि संकट गंभीर है, उसे कम नहीं मानना चाहिए। दूसरी चीज उसमें एक सामूहिक संकल्प भी उभरता था कि हमें हर स्थिति में इस संकट का निवारण करना चाहिए, देश को उसके ऊपर उभरना चाहिए और तीसरी चीज यह भी बार-बार उभरती थी कि यह सवाल ऐसा नहीं है कि जिसे दलगत दृष्टि से सोचा जाए। हम मिलकर इस बारे में सोचें, मिलकर इसका निवारण करें। वैसे तो यह सारे देश की चर्चा है, लेकिन प्रस्ताव देने वालों विशेषकर जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में इन दोनों हिस्सों से मैं अलग-अलग डील करूंगा। पहले मैं जम्मू-कश्मीर की चर्चा करूंगा उसके बाद मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की चर्चा करूंगा। मैं मानता हूं कि इस शताब्दी के सातवें दशक तक आतंकवाद से हम परिचित नहीं थे। देश में आतंकवाद नहीं था। कहीं-कहीं हिंसा थी। उत्तर-पूर्व के हिस्सों में कहीं-कहीं हमने इमरजेन्सी का मुकाबला किया है। लेकिन आतंकवाद जिसमें बेगुनाह लोगों की हत्या चाहे जब कर दो, बम विस्फोट कर दो, रास्ते चलते किसी की हत्या कर दो या चुन-चुन कर कुछ लोगों को मार दो। इस प्रकार की स्थिति सातवें दशक तक लगभग नहीं थी। मैं कभी-कभी अपने व्यक्तिगत अनुभव को याद करता हूं जब मैं पहली बार सरकार का हिस्सा बना, श्री मेरारजी भाई उस समय प्रधान मंत्री थे, मुझे पाकिस्तान जाने का अवसर मिला। मेरा जन्म स्थान कराची है, मैं वहीं का निवासी रहा हूं। इसलिए जब मुझे उनका निमंत्रण मिला तो मैं वहां गया था। उस समय वहां सैनिक शासन था, जैसा कि आज है। कराची शहर में चारों ओर सेना की टुकड़ियां दिखाई देती थी। जनरल जिया उस समय वहां के राष्ट्रपति थे। मैं कहां दो दिन था। स्वाभाविक रूप से मुझसे वहां के राजदूत पूछा कि आप कहां जाना चाहेंगे। मैंने कहा कि मैं अपने निवास-स्थान और अपने स्कूल जाना चाहूंगा। अपनी पुरानी स्मृतियां सजीव करने के लिए मैंने उनका उल्लेख कर दिया। मेरे साथ पाकिस्तान का अधिकारी था, जो मेरे साथ चलता था, जहां के लिए भी मैं कहता था वह साथ चलता था। जब मैं वहां सहज रूप से घूम रहा था तो कई लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि यह कौन हैं। उन्होंने बताया यह भारत सरकार के एक केन्द्रीय मंत्री हैं। उनको ताज्जुब होता था कि उनके यहां तो इतनी सेना, इतनी सुरक्षा होती है। यह 1978 या अरली 1979 की बात होगी। उन्हें आश्चर्य होता था कि भारत का केन्द्रीय मंत्री बिना सुरक्षा के यहां घूम रहा है और हमारे यहां जितने सांसद, विधायक और मंत्री हैं वे पूरा का पूरा पैराफर्नेलिया लेकर घूमते हैं। यह 1977 की बात है और जब आज सोचता हूं तो अब कितना अंतर हो गया है। आज मेरे साथ ब्लैक कैट कमांडोज जाते हैं, सांसदों के साथ कई सुरक्षाकर्मी जाते हैं। कई-कई प्रदेशों में तो हर एक विधायक के साथ सुरक्षा लगाई गई है। ऐसी स्थिति है, जिसके कारण यह बात उभरकर आती है कि आंतरिक सुरक्षा के वातावरण में पिछले दो दशकों में जमीन और आसमान का अंतर हो गया है। मैं समझता हूं कि वह शायद अजीत चौधरी थे, उनका अपने भाषण के आखिर में जो बयान था, वह मैं सुन रहा था। उन्होंने उल्लेख किया था जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद की उत्पत्ति 1971 के युद्ध में हुई थी। ऐसा ही कुछ आपने कहा था।

अध्यक्ष महोदय, उसमें मैं सच्चाई बताना चाहूंगा, जो कुछ उन्होंने कहा, वह एक प्रकार से सही विश्लेषण है। 1971 में पाकिस्तान की जो भारी पराजय हुई, उसने पाकिस्तान को सोचने के लिए मजबूर किया कि रणभूमि में भारत की सेना के साथ मुकाबला करना सहज नहीं है और फिर उन्होंने अपने मिलिट्री जनरलों के साथ बैठकर रणनीति बदली और रणनीति बदलते हुए, जो उनका विचार-विमर्श हुआ, कहीं कुछ अखबारों में छपा है, जनरल जिया उल हक ने अपने मिलिट्री कमांडरों से बात कर के कहा कि अब हमें एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी और उसके तहत एक ''टीपेक'' नाम से कार्रवाई करना निश्चित किया गया। यह भाषण 1973-94 का भाषण है, लेकिन उसकी तैयारी करते-करते और उसे क्रियान्वित करते-करते उनको समय लग गया। 80वें दशक में इसे कार्यान्वित या लागू किया गया था और योजनाबद्ध रूप से उन्होंने पंजाब से शुरू किया।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : अध्यक्ष महोदय, मैं आडवाणी जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वे इस बात से सहमत होंगे कि पाकिस्तान ने 1985, 1986 और 1987 के आसपास से बेधड़क, निडर होकर के मिलीटेंसी को बढ़ाया, चाहे पंजाब हो या जम्मू-कश्मीर।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं, इसमें इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरा अपना विश्लेषण है कि यह शिमला एग्रीमेंट के बाद, पाकिस्तान ने हमसे जो कुछ कहा, उसके विपरीत काम करते हुए, न्यूक्लीयर बम की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। यह समग्र रणनीति का एक भाग है। शिमला एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ—मैं आज अधिक नहीं कहना चाहता। मैं केवल वही कहना चाहता हूं कि उसके बाद प्राक्सी वार का जन्म हुआ। वह 1971 के युद्ध में से हुआ और प्राक्सी वार में जब पाकिस्तान की चोट लगनी शुरू हुई और उनको एक प्रकार से लगा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार में भी सफल नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी धीरे-धीरे भारत अपना अंकुश जमा रहा है। तब उसमें से कारगिल की उत्पत्ति हुई। कारगिल में से प्रॉक्सी वार को तीव्र कर, आतंकवाद को आगे बढ़ा।

इसलिए, पाकिस्तान के सारे कदम असफलता और कुंठा से पैदा हुए हैं न कि विश्वास और आशा से।

जितनी प्रॉक्सी वार पहले थी, 1971 में जो पाकिस्तान को विफलता मिली, उसकी पराजय हुई और जब वे प्रॉक्सी वार में भी सफल नहीं हुए, तो कारगिल का जन्म हुआ और जब कारगिल में विफल हुए, तो इन दिनों जो हिंसा हम देख रहे हैं, वह उसमें जन्मी है। जो बादामी बाग और इधर-उधर घटनाएं हो रही हैं, ये उसी का परिणाम हैं। ये कभी बन्द नहीं हुई हैं। मैं आंकड़े भी देखता हूं, लेकिन मैं आंकड़ों के आधार पर कभी दावा नहीं करूंगा कि उनके आतंकवादियों की मृत्यु ज्यादा हो रही है और हमारे लोगों की कम, मैं यह नहीं कहूंगा। मैं मानता हूं कि युद्ध में भी हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि प्रॉक्सी वार में हुआ। इसलिए मुतेमवार जी ने कहा कि हमारे जितने लोग प्रॉक्सी वार में मारे गए उतने प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं मरे। मेरे पास पिछले 16 साल के आंकड़े हैं। उनके अनुसार निरीह नागरिक, सिविलियन्स 7,960 मरे हैं। मैं केवल 1988-89 से हुई मृतकों की संख्या ही गिन रहा हूं, मिलीटेंट को सिक्योरिटी वाले मारते रहे हैं।

[अनुवाद]

उसी अवधि के दौरान दस हजार सात सौ सैनिक मारे गए थे जबकि हमें 2039 सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु का सामना करना पड़ा।

[हिन्दी]

2039 सिक्योरिटी मैन हमारे मारे गये। उनका कोई सिक्योरिटी मैन नहीं मारा गया। अप्रत्यक्ष युद्ध, प्रॉक्सी वार का जो सबसे बड़ा नुकसान है, वह यह है कि,

[अनुवाद]

हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे जवान, हमारे सैनिक, हमारी पैरामिलिटरी फौज मारे गए जब पाकिस्तान से एक भी नहीं मरा था। दूसरी तरफ युद्ध होता है तो उसमें हमारे 400 लोग कारगिल में मारे गये तो उनके 600 मारे गये और सब सिक्योरिटी मैन मारे गये। उनके भी सिक्योरिटी मैन मारे गये। उनके कोई मर्सीनरीज नहीं थे। ये सब प्राय: मर्सीनरीज थे। अच्छी बात अगर कोई है, राजेश जी ने उल्लेख किया कि एक बार राजीव जी ने कहीं कहा कि हम कहीं 1990 में वापिस तो नहीं पहुंच जायेंगे। मैं यह मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो उग्रवाद हुआ है, उसमें सबसे खराब वर्ष 1989, 1990 और 1991 थे। ये सबसे खराब वर्ष थे। परन्तु वह चरण काफी लंबे समय तक चला था।

[हिन्दी]

यहां तक कि जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर घाटी, उसमें आजीविका का प्रमुख आधार है, वह पर्यटन है, टूरिज्म है।

पर्यटन बिल्कुल खत्म हो गया है।

मेरे पास टूरिज्म के आंकड़े हैं, जो कि आश्चर्यकारक हैं। 1995 में सारे भारतवर्ष से डोमोस्टिक टूरिस्ट 322 गये। 1996 में 375, 1997 में 7029, 1998 में 99,636 और 1999 में 1,94,32 टूरिस्ट गये हैं। मैंने 1999 के जो आंकड़े बताये उनमें मैं 1,10.345 अमरनाथ के यात्रियों को नहीं गिन रहा हूं। उनमें वैष्णो देवी जो 4 लाख यात्री गये हैं, उनको मैं नहीं गिन रहा हूं। मैं मानता हूं कि यह जो मापदंड है। वहां की स्थिति नार्मेसी की ओर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इसको मापने का. .

मारे गए लोगों की संख्या की बजाय यह अधिक सही मानदण्ड है। कितने लोग मारे गये, कितने लोग नहीं मारे गये, मैं उससे ज्यादा इसको पैरामीटर मानता हूं क्योंकि सेंस आफ सिक्योरिटी जब होगा तभी लोग जायेंगे, नहीं तो नहीं जायेंगे। जैसे 322 लोग एक साल में गये हैं। 375 लोग एक साल में गये हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है। यहां तक कि उन ईयर्स में मैंने देखा कि पहले विदेशी आते थे, देशी नहीं जाते थे। लेकिन जब से एक घटना हुई जिसमें अलग-अलग देशों से आये हुए पांच विदेशियों का अपहरण कर लिया गया और वे गायब हो गये, नहीं मिले। आज तक उनके रिश्तेदार आकर मुझे मिलते हैं। उनके ऐम्बेसेडर आकर मिलते हैं। हम उन्हें नहीं खोज पाये और हो सकता है कि वे बचे भी न हों, खत्म हो गये हों। लेकिन यह जो एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर के आधार पर विश्वास होता है कि चाहे संकटपूर्ण स्थिति है, चाहे हिंसा आज भी है। हम हिंसा को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाये हैं लेकिन हम इसके ऊपर विजय अवश्य पायेंगे, यह एक विश्वास मन में है और वह विश्वास उस विश्वास का एक आधार है हमारा अपना पंजाब का अनुभव। एक समय था जब पंजाब में, मैं कई बार जाता था और लगता था कि यहां तो कुछ बदलेगा नहीं। यहां कुछ परिवर्तन आयेगा नहीं। यहां तो सालों साल तक ऐसे ही चलेगा। शाम को सड़कें सुनसान हो जाती थी और घर से कोई नहीं निकलता था। लेकिन परिवर्तन आया। परिवर्तन आने के लिए मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कहता हूं कि मेरे उत्तर पूर्व के भाई यहां बैठे हैं, जो हमेशा मुझसे आकर आग्रह करते हैं कि पैरामिलिटरी फोर्सेस भेजो, सेना भेजो, यह भेजो आदि। मैं सबको कहता हूं कि पंजाब का अनुभव इस बात को बताता है कि उग्रवाद के ऊपर अगर विजय पानी है, तो यह सहायक होंगे। आर्मी सेना सहायक होगी, अर्द्ध सैनिक बल सहायक होंगे। मुख्यत: वहां की जनता, उस प्रदेश की सरकार, उस प्रदेश की पुलिस यह जो तीन तत्व हैं, उन तत्वों के आधार पर विजय प्राप्त होगी और इसका जम्मू कश्मीर से भी संबंध है। जितनी मात्रा में हम वहां की जनता, वहां की सरकार, वहां की स्थानीय पुलिस उसको इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि हम इसका मुकाबला करेंगे, इसको समाप्त करेंगे, उतनी मात्रा में सफलता मिलेगी।

इस सफलता में केन्द्र सरकार की सेना और पैरा-मिलिट्री पुलिस सहायक होगी। लेकिन केवल केन्द्र सरकार की सेना और पैरा-मिलिट्री फोर्स के आधार पर इस संकट का निवारण संभव नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर की बात कहूं चाहे उत्तर पूर्व की बात कहूं, मैं मानता हूं कि इन दिनों में सबसे अच्छी स्थिति जो हुई है, वह यह है कि 1989-90-91 के प्रारंभिक वर्षों में जितने उग्रवादी थे, वे प्राय: वे थे जिनको पाकिस्तान, आई.एस.आई. के लोग जम्मू कश्मीर से ले जाकर, वहां प्रशिक्षण देकर वापिस भेजते थे। धीरे-धीरे जो लोकल जम्मू कश्मीर के लोगों को ले जाने की बात है, वह खत्म होती गई। विगत वर्षों में जितने लोग गिरफ्तार होते हैं, मारे जाते हैं, प्राय: वे जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, बहुत कम परसेंटेज है, अधिकांश परसेंटेज पाकिस्तान, अफगानिस्तान का है, और भी कई देशों का है। कभी-कभी मैंने किसी सवाल के उत्तर में बताया होगा कि कितने-कितने लोग किस-किस देश के थे जिनको मारा गया। परन्तु इन सभी भाड़े के सैनिकों को पाकिस्तान युद्ध में झोंकने के लिए भेज रहे थे। भेजो उनको, मरवाओ उनको। इसलिए हमारी सेना के लोग भी कहते हैं कि इस लड़ाई में हमारे सिक्युरिटीमैन मरते हैं, उनके नहीं मरते। लेकिन अच्छा लक्षण यह है कि हमारे यहां से लोग नहीं जाते, कम जाते हैं। धीरे-धीरे उनकी संख्या कम होती गई है। जितनी मात्रा में यह होगा उतनी मात्रा में हमको सफलता मिलेगी। यही चीज मैं उत्तर पूर्व के लिए भी कह सकता हूं। विगत वर्षों में खासकर असम में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर नागरिकों ने उग्रवादियों का विरोध किया है और उग्रवादियों को पकड़कर लिंच किया है। सार्वजनिक रूप से विरोध तो किया ही है, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर उन्होंने प्रोटैस्ट किया है कि हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे। मेरे पास अनेक ऐसे उदाहरण आए हैं, सूचनाएं मिली हैं जिसमें कई जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। दुबरी डिस्ट्रिक्ट में दो घटनाएं हुई, बरपेटा में दो घटनाएं हुई, कामरूप में दो घटनाएं हुई, नलबाड़ी में हुई, उदयगिरी नाम के एक स्थान में हुई। मेरे सामने इस प्रकार की आठ अलग-अलग घटनाएं आई हैं जहां पर आम जनता ने सार्वजनिक रूप से हिम्मत करके, साहस करके उल्फा के आतंकवादियों के प्रति अपना रोष प्रकट किया है, क्षोभ प्रकट किया है। हम यह स्थिति जितनी बढ़ा सकेंगे उतना इस मामले में सफल होंगे।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

राजेश जी ने एक बात कही, पता नहीं क्यों कही। उन्होंने कहा कि हम पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपैंडीचर में अंतर क्यों करते हैं। नहीं करते। हम सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपैंडीचर जैसे पंजाब को देते थे वैसे आज जम्मू कश्मीर को भी देते हैं। कहीं-कहीं पर थोड़ा विवाद होता है कि सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपैंडीचर किसको माना जा सकता है। वह विवाद हम तय कर लेते हैं। मैं कह सकता हूं कि हमने आज तक जम्मू कश्मीर राज्य को सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपैंडीचर के नाम से लगभग 1498 करोड़ रुपये दिए। (व्यवधान) मैंने बताया कि अगर कोई विवाद है तो वह इस बात पर है कि इसको सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपैंडीचर माना जाए या नहीं और उसे हम सॉट आउट कर लेते हैं। हमने इसी साल सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपैंडीचर के पहले 18 करोड़ रुपए दिए हैं। वैद्य विष्णु बोले थे और उन्होंने कहा था, सही कहा था कि हमारी सेना, हमारे अर्धसैनिक बल के अलावा आज आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए जो विलेज डिफैंस कोर बनी है, वह बहुत इफैक्टिव है। उनको और बढ़ाने की जरूरत महसूस की। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और उनको जानकारी देना चाहूंगा कि क्योंकि खर्च उस समय प्रदेश की सरकार करती है, सैन्ट्रल गवर्नमेंट उसको रिअम्बर्स करती है। जब इन वी. बी.सीज. को बनाने का निर्णय हुआ था तो 12885 वी.बी.सीज. की संख्या थी, लेकिन हमने उनको कनवे किया है कि हम 18,000 वी. बी.सीज. का खर्च भी रीअम्बर्स करेंगे।

मुझे बहुत खुशी है कि नोर्थ ईस्ट से अनेक सदस्यों ने अपनी-अपनी राय रखी है। नोर्थ ईस्ट ही नहीं, पश्चिम बंगाल के भी चार सदस्य बोले थे। कृष्णा जी जब बोली थीं कि हमारे यहां पर भी आई.एस. आई. का संकट है और उसकी चिन्ता करनी चाहिए। मैं उनको कह सकता हूं कि यह जो चिन्ता उन्होंने प्रकट की, वैसी ही चिन्ता उनके प्रवेश के गृह मंत्री ने आकर मुझसे प्रकट की। वे कुछ ही दिन पहले मेरे पास आये थे और कहा कि आप जब आई.एस.आई. की चर्चा कर रहे थे, आंतरिक सुरक्षा के लिए आई.एस.आई. ने जो संकट पैदा किये हैं, उनका जिक्र कहीं करते हैं तो आपके सार्वजनिक वक्तव्यों में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख होता है, पंजाब का उल्लेख होता है, नोर्थ ईस्ट का उल्लेख होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का उल्लेख नहीं होता है। मैं आपको यह कहने आया हूं कि पश्चिम बंगाल में भी यह समस्या गंभीर है और उसमें केन्द्र की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार दोनों सहकार करके, मिलकर उसका मुकाबला करें, यह बल देने आए थे। मैंने उनको कहा कि मैं तो आपके कथन का स्वागत करता हूं। मैं इतना जानता हूं कि आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में इस सरकार ने देश भर में और विदेश में भी एक वातावरण पैदा करने की एक प्रामाणिक कोशिश की है और यह कहा है कि यह समस्या केवल किसी राज्य की नहीं है। क्रास बोर्डर टैरेरिज्म का अगर हम सामूहिक रूप से विश्व भर के सभी देश मुकाबला करने के लिए मन नहीं बनाएंगे और सोचेंगे कि ठीक है, यह भारत की समस्या होगी, इसमें समस्या का कारण कश्मीर है, इसके कारण पाकिस्तान कुछ कर रहा है, उसकी ओर उदासीन होंगे तो उसका खामियाजा विश्व भर को भुगतना पड़ेगा, सारी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, यह हमने विश्व भर में बोलने की कोशिश की है। मैं कह सकता हूं कि देश में भी इसी प्रकार की जागृति पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं तो देख रहा था कि इन पिछले दो सालों में इतने सवाल माननीय सदस्यों की ओर से आई. एस. आई. की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए आये हैं। उसके पहले की लिस्ट निकालो तो 1991 से लेकर 1997 तक मैंने देखा कि बहुत कम सवाल हैं और यह अच्छी बात है और इसी कारण जब एक बार गृह मंत्रालय की कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उस कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग में दो घंटे का पूरा प्रजेण्टेशन हमारे विभाग ने, गृह मंत्रालय ने किया था कि आई. एस. आई. ने किस प्रकार अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। उसको देखने के बाद सभी सदस्य जितने वहां पर उपस्थित थे, सोमनाथ बाबू यहां पर उपस्थित थे, बनातवाला जी उपस्थित थे, सबने उसी समय कहा, यह कल्पना आई कि इस प्रकार की चीज देश के सामने रखनी चाहिए और वहां पर मांग थी, शायद बनातवाला जी ने मांग कि इस पर व्हाइट पेपर प्रकाशित होना चाहिए। वह व्हाइट पेपर प्रकाशित करने का विचार सरकार का है। उसमें कुछ कारणों से कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन वह शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा और आपके सामने रखा जायेगा। इतना मैं कह सकता हूं।

उत्तर पूर्व में वैसे तो सात राज्य माने जाते हैं . . . (व्यवधान)

श्री श्यामचरण शुक्ल: मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान को हम टैरेटिस्ट स्टेट घोषित करने में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पाकिस्तान को टैरेरिस्ट स्टेट घोषित करें तो उसकी टैरेरिस्ट स्टेट की घोषणा का असर अमेरिका पर होगा, क्योंकि उनके अपने कानून हैं। इसकी मांग तो बहुत समय से होती रही है, लेकिन पाकिस्तान में क्रास बोर्डर टैरेरिज्म के बारे में पहली-पहली बार अमेरिका की तरफ से अगर कोई टिप्पणियां हुई हैं तो इसी 1999 में हुई हैं। इससे पहले तो कोई उसको रिकगनाइज करने को तैयार नहीं था। उसको यह मानते थे कि ठीक है, यह तो चलता है, आपकी तरफ से भी होता होगा, उनकी तरफ से भी होता है, इस बार मुझे याद है कि कारगिल के बाद जो घटना हुई। उसमें पहली बार सार्वजनिक रूप से अमेरिका की ओर से भी उस पर टिप्पणी की गई।

उसकी आलोचना की गई, निन्दा की गई। इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी है, लेकिन मैं मानता हूं, कुल मिलाकर अगर आतंकवाद को समाप्त करना है, तो अपने बलबूते पर करेंगे, जनता के समर्थन से करेंगे। विदेशी ताकतों और अन्तरराष्ट्रीय जनमत सहायक जरूर होगा और सहायक करने के लिए हमारी तरफ से कोई कसर हम उठाकर नहीं रखेंगे, लेकिन कोई दूसरा देश उस देश को टैरेरिस्ट स्टेट घोषित करता है या नहीं करता है, इसके ऊपर हमारी सफलता या विफलता निर्भर नहीं। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का प्रश्न है, सात राज्यों की नार्थ-ईस्ट काउन्सिल बनी हुई है, लेकिन सरकार का विचार है कि सिक्किम को भी इसमें जोड़ें। कुल मिलाकर नार्थ-ईस्ट में आठ राज्य हैं। इन आठ राज्यों में चार राज्य ऐसे हैं, जहां अपेक्षाकृत शान्ति है। वहां पर उग्रवाद, आतंकवाद इस रूप में नहीं है, जैसा कि बाकी चार राज्यों में है। ये चार राज्य हैं - मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय। इन चार राज्यों में, मैं मानता हूं, अपेक्षाकृत शान्ति है। लेकिन

बाकी चार राज्यों अर्थात् असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैण्ड में स्थिति दूसरी है। नागालैंड में आज सीज-फायर नाम से समझौता हुआ है, एन एस सी एम (आई. एम.) और भारत सरकार के बीच। हम आए, उससे पहले हुआ था। वह सीज फायर जारी है और यह थोड़े-थोड़े काल के लिए होता है, लेकिन अब साल भर के लिए चला है। कल नागालैंड के माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं, उनमें वजन है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सीज फायर के जो ग्राउन्ड रूल्स बने हैं, उन ग्राउन्ड रूल्स का उल्लंघन होता रहा है। उनका उल्लंघन न हो और इस बात की व्यवस्था हमारे सुरक्षा कर्मी करें, यह उनको निर्देश दिया गया है। उस दिशा में हम चिन्तित हैं और गम्भीर हैं। पिछले दिनों हमारे नागालैंड के मुख्यमंत्री को एम्बुस करके जिस प्रकार की घटना हुई, वह अत्यन्त गम्भीर घटना है, जिसका हमने नोटिस लिया है। स्वयं माननीय सदस्य ने अपनी सुरक्षा के बारे में कहा है। सुरक्षा की बात मैंने गृह मंत्रालय में बताई है और उसका उपयुक्त प्रबन्ध हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री के० ए० सांगतम (नागालैंड) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण मांग सकता हूँ? चूंकि यह नागालैंड से सीधे संबंधित है, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

महोदय, 29 तारीख को नागालैंड के माननीय मुख्यमंत्री पर हमला किया गया था। मैं उनसे गृह मंत्रालय द्वारा मामले पर की गई जाँच के तथ्यों के बारे में जानना चाहूँगा। दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है और नागालैंड के उन नेताओं की जान की रक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं जिन पर विगत में कई बार जानलेवा हमले हुए हैं?

महोदय, आज सुबह मैं एक उत्तर पढ़ रहा था . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री को अपना उत्तर पूरा करने दें और फिर आप उस पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यहां केवल नागालैंड की ही बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपकी दो बातें सुनी हैं। मैंने उन्हें नोट कर लिया है। अगर कोई अलग प्रश्न है तो मैं निश्चय ही उसका उत्तर दूँगा।

[हिन्दी]

हमारे असम के माननीय सदस्य, श्री बैसीमुथियारी, ने बहुत बार आग्रहपूर्वक एक अलग बोडोलैंड बनाने की बात कही है। वे इसका आग्रह करते आए हैं, लेकिन कल उन्होंने एक बात कही, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। वह बात यह है कि जो उग्रवादी भारत से अलग होने की बात करते हैं, वे उनका विरोध करते हैं और वे इस प्रकार की सिसैशन प्रवृत्ति के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बात के लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। अलग राज्य बोडोलैंड बनाने में अनेक कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों को वे स्वयं जानते हैं, क्योंकि उन्हीं कठिनाइयों के कारण 1993 में एक समझौता हुआ, जिसको बोडो-एकार्ड कहते हैं। बोडो एकार्ड के इम्पलीमेंटेशन में कमियां हैं। इसकी चर्चा मुझे करते रहे हैं। उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बोडो की जनसंख्या जितनी है और जिस प्रकार से वह फैला हुआ और जिस भाग को वे बोडोलैंड बनाना चाहते हैं, वह अलग प्रदेश भी बन जाएगा, उसमें भी बोडो की संख्या शायद 30 35 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बनती।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी (कोकराझार): महोदय, मैं चाहता हूँ, परन्तु मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करना चाहता हूँ। यह बिलकुल सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आपसे सहमत नहीं हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरे किसी तर्क को न मानने का आपको पूरा अधिकार है। पहली बात यह है कि सिसैशन का विरोध सारे सदन ने किया। उसमें हमारे बोडो क्षेत्र के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। दूसरी बात मैं मानता हूँ कि उनकी समस्याओं का हल भी चर्चा से निकलेगा, आतंकवाद से नहीं निकलेगा। अगर कोई सरकार गोली और बंदूक की भाषा सुनती है तो वह देश का भला नहीं करेगी। इसलिए मैं वार्ता करने के हमेशा पक्ष में हूँ, लेकिन वार्ता इस प्रकार से कभी नहीं करनी चाहिए कि ऐसा लगे कि वह वार्ता कम और गोली की संस्कृति का परिणाम है। वार्ता करनी चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। आज अगर मिजोरम में शांति है तो उसका कारण यह है कि वार्ता उस सूरत में हुई, जब बहुत लोगों को लगा कि बम से, गोली और हिंसा से काम नहीं चलेगा। इसलिए जो भी सरकार केन्द्र में आए उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वार्ता को सदैव तत्परता रखते हुए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वार्ता किन परिस्थितियों में की जाए, किन परिस्थितियों में न की जाए और किसके साथ की जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा यह संदेश जाए कि गोली और बम के कारण किसी को अपने राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे, यह कम से कम सरकार स्वीकार नहीं करेगी। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी: महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता हूं जो कुछ उन्होंने असम के बारे में कहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अभी नहीं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय की चर्चा लगातार चलती रही है। मुझे वहां के राज्यपाल ने सूचित किया कि उनकी भी चर्चा होती रही है। हम समझते हैं कि उनकी जो समस्याएं जायज हैं, उनका निराकरण हम कर लेंगे।. . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी: महोदय, क्या समस्या है। बोडोलैंड मुद्दे का समाधान करने के लिए अधिकारी निर्णायक प्राधिकारी नहीं हैं। इस मुद्दे का समाधान बड़े पैमाने पर राजनैतिक रूप में साधनोपाय ढूंढ़कर राजनैतिक नेतृत्व द्वारा किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपसे सहमत हूं। त्रिपुरा के बारे में हमारे समर चौधरी जी ने चिन्ता प्रकट की, उसमें मैं भी भागीदार हूं। वहां बहुत सारे निरीह नागरिकों की हत्याएं हुई और बहुत सारे अपहरण हुए हैं। यह समर जी को मालूम है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चार-पाँच प्रमुख अधिकारी अगस्त से गायब हैं, उनका आज तक पता नहीं। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार, इन दोनों ने मिल कर प्रयत्न किए हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। मुझे पिछले दिनों त्रिपुरा के मुख्य मंत्री मिले थे और प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे। अगर कहीं यह धारणा है कि उसमें केन्द्र सरकार की फोर्सेस की कमी के कारण है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मैं देख रहा था, . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मुझे वहां का दौरा करने का मौका मिला था। अपने दौरे के बाद मैंने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की थी। मैंने गृह मंत्री को भी लिखा था। यह 895 किलोमीटर लम्बी खुली सीमा है जो पंजाब में नहीं है। तराई के कारण यह काफी विरल आबादी वाला राज्य है। सीमा के पास वे तुरंत बंगलादेश पहुँच जाते हैं और लोग यह देख सकते हैं। लोग बंगलादेश नहीं जा सकते, बंगलादेश में 30 कैम्प चल रहे हैं। वे लोग बहुत आसानी से आ जा रहे हैं। वहां मैदानी क्षेत्र भी है और बंगलादेश सड़क के उस पार ही है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। परन्तु यह सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। सुरक्षा बलों की आवश्यकता है। यह तीस लाख लोगों की जनसंख्या वाला एक बहुत ही छोटा सा राज्य है।

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय सोमनाथ जी ने जो कुछ कहा है मैं उसे मानता हूं। यह भूगोल है, इस पर दो मत हो सकते हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, त्रिपुरा में 1995 में सीआरपीएफ की 30 कंपनियां थीं लेकिन आज 1999 में वहां पर 75 कंपनियां हैं। यह ठीक है कि कारगिल के समय में वहां से हमने कुछ कंपनियां हटायी थी। लेकिन आज प्री-कारगिल से भी बेहतर स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद भी कठिनाइयां हैं और कठिनाइयां इस कारण हैं कि. . .

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं त्रिपुरा से भी संबद्ध रहा हूं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वहां असम राइफल्स को तैनात करें क्योंकि त्रिपुरा के लिए यह सबसे अधिक प्रभावशाली सेना है।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वहां सी. आर. पी. एफ. को कोई नहीं चाहता।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री संतोष मोहन देव जानते होंगे कि असम राइफल्स पर सेना का पूरा नियंत्रण है इसलिए मैं उन्हें वहां तैनात नहीं कर सकता।

श्री संतोष मोहन देव : आप इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं अनुरोध कर चुका हूं परन्तु उनकी अपनी भी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के कारण, आज वे संभवत: असम राइफल्स की 18 कम्पनियों को अलग कर सकते हैं। अठारह कम्पनियां अभी भी त्रिपुरा में तैनात हैं।

श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : परन्तु अभी वे वहां नहीं हैं। पहले एक बार वह वहां तैनात की हुई थी। परन्तु सेना त्रिपुरा से हटा ली गई है। एक बार पहले वहां सेना की छावनी थी परन्तु वह पूरी तरह अब पूरी तरह खाली है। अब सेना सुरक्षा की एक बटालियन वहां है जो त्रिपुरा की सुरक्षा कर सकती है। असम राइफल्स में भी कमी कर दी गई थी। वहां ऐसी स्थिति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप वहां जाकर एक बार स्थिति देखिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ठीक है, मैं जाकर भी देखूंगा। अभी मेरी चीफ-मिनिस्टर साहब से विस्तार से बातचीत हुई। हमारे जो आफिसर इस मामले को डील करते हैं वे वहां स्थिति देखकर आये हैं। हमारी फोर्सेज भी अगर किसी तरफ ध्यान दे रही है तो उसमें जम्मू-कश्मीर के बाद त्रिपुरा है, जहां पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मैं जानता हूं वहां का भूगोल जैसा है, सीमाएं जैसी हैं। वहां पर बंगलादेश, नेपाल और सीमावर्ती देशों में आई. एस. आई. जिस प्रकार से अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिशें की है। हमने सब ओर मल्टी-प्रोंग्ड कोशिश की है। नेपाल, बंगलादेश, बर्मा और भूटान से भी हमारी इस विषय में वार्ता होती है कि किस प्रकार इस पर अंकुश लगाया जाए।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : वे तो भूटान में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आज से 6 साल पहले वे सारी की सारी गतिविधियां आसाम से ही चलाते थे। लकिन वहां उनका समर्थन कम होता गया। इसलिए उनको आसाम छोड़कर और कहीं शरण लेनी पड़ी। भूटान से हमारी वार्ता चलती रहती है। अध्यक्ष जी, मैंने चाहे बल सुरक्षा बलों पर ध्यान दिया होगा लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा की ओर ध्यान देना और साथ-साथ विकास की ओर ध्यान देना, ये दोनो बातें साथ-साथ चलती हैं। कभी किसी एक की परीक्षा नहीं हो सकती है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय संबंध में मैं घोषणा करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी से बात हुई है कि जनवरी के मध्य में 20 या 21 जनवरी को नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स के सभी मुख्य मंत्रियों और सभी राज्यपालों

की एक कांफ्रेंस ईस्टर्न थीम को कंसीडर करने के लिए "सुरक्षा और विकास" नाम से हम करने वाले हैं।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसिमुथियारी : महोदय, राजनैतिक समाधान का क्या हुआ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी हां, राजनैतिक समाधान भी होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसिमुथियारी कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उनकी समस्याओं के संबंध में भी केवल राजनैतिक समाधान हो सकते हैं और उसके अलावा और कोई समाधान नहीं हो सकता। परन्तु राजनैतिक समाधान इस प्रकार किया जाना चाहिए कि हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा न मिले।

[हिन्दी]

पिछले दिनों आई. एस. आई. की काफी चर्चा हुई। मैं साथ-साथ एकाउन्ट लेता गया कि एक्चुअली क्या होता है? मुझे यह कहते खुशी है कि पिछले डेढ़-दो वर्षों में कुल मिलाकर जिस को इंटेलिजिएंस की भाषा में मॉडयूल्स कहते हैं, ऐसे 45 आई. एस. आई. बैठक मॉडयूल्स रिजेक्ट किए और उनको स्मैश किया। इन्हें 45 गिरोह कह सकते हैं। उन्हें अड्डा कहना ठीक नहीं होगा। अड्डे का संबंध स्थान से है। 45 गिरोह जो आई. एस. आई. ने संगठित किए, उनकी खोज कर, समाप्त करने में हमें सफलता मिली है। इस में शायद 116 लोग गिरफ्तार किए गए और 8 लोग आपरेशन में मारे गए। इसके आधार पर मन में विश्वास होता है जो राष्ट्रपति जी ने देश और संसद के सामने सार्वजनिक रूप से सरकार की नीति की घोषणा की। उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्बिशियस क्रियान्वयन किया।

[अनुवाद]

यह 25 अक्तूबर को राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के पैराग्राफ 34 में निम्न प्रकार से उल्लिखित है:-

प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि सरकार, आतंकवाद को बिल्कुल सहन नहीं करेगी। साथ ही, सरकार सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के घातक प्रभाव पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करती रहेगी, जिसने सम्पूर्ण विश्व में अनगिनत लोगों की जानें ली हैं। यह दर्शाने के लिए साक्ष्य की कमी नहीं है कि राज्य समर्थित आतंकवाद ने दक्षिण एशिया और उससे परे भी शांति एवं स्थिरता को किस क़दर प्रभावित किया है। भारत विश्व के किसी भी भाग में राज्य-समर्थित आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक अंतरराष्ट्रीय राय बनाने और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अवैध मादक द्रव्यों के व्यापार, मनी-लॉडरिंग और स्वापक-आतंकवाद के खतरे से भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों द्वारा प्रभावी ढंग से निपटना है।

[हिन्दी]

हमने इस वक्तव्य में अपनी नीति की घोषणा की। इसके दो प्रोन्गस हैं। एक देश के भीतर जीरो टौलरेंस का एटिट्यूड टूवर्डस टैरिज्म है और दूसरा अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी दुनिया के देशों को टेरारिज्म के खिलाफ करने का है। मुझे विश्वास है कि सरकार इसमें सफलता पाएगी।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : मैं एक बात उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक या दो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। मैं केवल एक या दो स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दे सकता हूं।

श्री राजेश पायलट: मैंने कल बहुत प्वाइंटिड कवेश्चन्स पूछे थे। आज बहुत सही ढंग से गृह मंत्री ने कुछ बातें कहीं। हमारा कहना यह पूछने का मन था कि मिलिटैंसी जम्मू-कश्मीर में स्क्वेयर हुई या नहीं? आपने कहा कि वहां बाहर के लोग ज्यादा और अन्दर के कम आए हैं। घुसपैठिए पिछले तीन साल के मुकाबले इस साल ज्यादा आए हैं। आप रिकॉर्ड देख कर हमें बताएं। 1999 में घुसपैठ ज्यादा से ज्यादा हुआ है। यहां 40 परसैंट विदेशी घुसपैठिए आए हैं।. . . *(व्यवधान)* जब आडवाणी जी विरोधी दल में थे तो डोडा में कंटोनमैंट बनाने की बात चलती थी। उसमें पैसा एलाट हुआ लेकिन उसमें क्या प्रगति हुई है? वहां कंटोनमैंट बन रहा है या नहीं? इसका यहां जिक्र नहीं किया गया। एन. एस. सी. एन. के साथ बातचीत पिछले तीन साल से चल रही है। क्या संसद का यह पूछने का हक नहीं है कि उसमें क्या प्रगति हुई है? नैगोसिएशन चल रही है। मेरा अन्दाजा यह है कि सरकार की तरफ से सिनसिएरिटी नहीं है। अब इस काम को खत्म करने का मौका मिला है। वह कहीं हाथ से न निकल जाए, इसका आप ध्यान रखें। मुझे लगता है कि इनका समाधान करने का मन है। जैसा आडवाणी जी ने मिजोरम का उदाहरण दिया। सरकार इनिशिएटिव ले और इस नैगोसिएशन को जल्दी सही रास्ते पर लाएं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: मैं कल वाद-विवाद में भाग नहीं ले सका था क्योंकि मेरा विमान साढ़े चार घंटे विलम्ब से पहुंचा था।

अध्यक्ष महोदय: आप आज भी विलम्ब से आए हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं तीन सटीक प्रश्न पूछना चाहता हूं और कुछ नहीं। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या माननीय गृह मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि शांति के द्वीप के रूप में प्रसिद्ध बराक घाटी में आज आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं और इन आतंकवादी गतिविधियों का मुख्य शिकार चाय उद्योग है। प्रत्येक दिन चाय बागाननों के प्रबंधकों और सहायक प्रबंधकों के अपहरण की घटनाएं होती हैं। पुलिस निष्प्रभावी बन गई है। वहां पर आतंकवादियों का सामना करने के लिए सेना नहीं है। केवल सेना और अर्द्ध-सैनिक बल ही उनका मुकाबला कर सकते हैं, इस संदर्भ में मैंने आपको लिखा था। आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

मैं आपका ध्यान उस समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें असम के राज्यपाल और सेना ने कहा है कि वह आतंकवादियों

[श्री संतोष मोहन देव]

को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने में सहायता करेंगे कि उनके विचारों में परिवर्तन होगा। 31 दिसम्बर आने वाला है। मैंने देखा कि श्री पिल्लई ने भी एक बयान दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और यदि सच है तो इस बारे में क्या किया जा रहा है।

तीसरा, मैं समझता हूं कि आप वार्ता शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं ? क्या संवैधानिक ढांचे के भीतर वार्ता होगी? पहले असम के कुछ दलों को आपत्ति थी कि वार्ता किसी अन्य देश में नहीं होनी चाहिए। किंतु अब सभी दल कह रहे हैं कि यदि वार्ता भारत के संविधान के ढांचे के अर्न्तगत होती है तो उन्हें भारत से बाहर भी वार्ता करने में कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से एक सैंसेटिव सवाल पूछ रहा हूं . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप वाद-विवाद में भाग ले चुके हैं। आप केवल विशेष प्रश्न पूछ सकते हैं। अन्यथा वाद-विवाद बन जाएगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं . . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जहां तक टैरेरिज्म का सवाल है, भारत ही अकेला ऐसा देश नहीं है जो इससे परेशान है। अमरीका में और इज्राइल में टैरेरिज्म है। मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से इज्राइल ने अपने आसपास के देशों में टैरेरिज्म की किंगडरगार्टन ऑफ टेरेरिज्म डील करने की नीति अपनाई है, क्या भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी? हमारे बार्डर पर टैरेरिस्ट्स को तैयार किया गया है या जो प्रशिक्षण शिविर तैयार किये गये हैं, उन शिविरों को नष्ट किया जाये, उनको खत्म किया जाये, इस बारे में हमें सोचना होगा, क्या सरकार इन बातों पर विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री के० ए० सांगतम (नागालैंड) : मैंने सभा में एक प्रश्न पूछा था और जो उत्तर मुझे मिला वह यह था कि माननीय मंत्री उस प्रश्न को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह बहुत गंभीर है क्योंकि मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमले के बाद सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई जिसमें कहा गया है कि जब घटना स्थल और उस क्षेत्र में खोज-बीन की गई तो एके-47 राइफल के गोलियों के 14 खाली खोखे और 7.62 के 11 खाली खोखे तथा अन्य वस्तुएं पाई गई। आज मंत्री जी हमें उत्तर देने से इंकार क्यों कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर दें क्योंकि इसका उत्तर जानना इस सभा का विशेषाधिकार है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री के. ए. सांगतम: इस सारे हमले में कौन डायरेक्ट इन्वाल्व्ड है और इस हमले में एक्शन क्या लिया गया, यह पूछना है? मेरा स्टेट क्वश्चन है, इसमें पजल करने की कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : मैं एक प्रस्ताव देना चाहती हूं। यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है . . . *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने इस विषय पर लगभग 4.15 घंटे वाद-विवाद किया है।

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा बोस: कल मैंने गृह मंत्री जी से पूछा था कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के अलावा क्या वे राजनीतिक वार्ता करने पर भी विचार कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे उन गुटों को अलग-थलग करने का प्रयास भी कर सकते हैं जो खुल्लमखुल्ला पाक समर्थक हैं। क्या हम उन कुछ गुटों के बारे में सावधानी से विचार कर रहे हैं जो खुल्लम-खुल्ला पाक समर्थक नहीं हैं ताकि हम ऐसा कुछ न करें कि वे पाकिस्तान के हाथों में चले जाएं। हम उन्हें वार्ता के लिए राजी करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इसका उत्तर नहीं मिला।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मैं गृह मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप से सरकार का रवैया बताया है। लेकिन मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने खुद कहा कि त्रिपुरा की समस्या के हल के लिए हमारे बॉर्डर स्टेट्स के साथ बात चल रही है। क्या मैं आपसे आदर के साथ इतना कह सकता हूं कि त्रिपुरा की समस्या इतनी गंभीर है, आप जल्दी से जल्दी बंगला देश के प्रधानमंत्री के साथ बात करके इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे तो आपको काफी सफलता मिलेगी।

[अनुवाद]

जब तक कूटनीतिक प्रयास न किए जाएं तब तक दोनों देशों के अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों के बीच वार्ता या दोनों देशों के अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा से कोई समाधान नहीं निकलेगा।

श्री टी० एम० सेल्वागनपति (सेलम) : महोदय, मुझे मंत्री जी से उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया यह है कि नियम 193 के अधीन चर्चा मंत्री जी द्वारा उत्तर देने के साथ समाप्त हो जाती है। मामले के महत्व

को देखते हुए मैंने कुछ सदस्यों को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी है। कल आप लोग पहले ही चर्चा में भाग ले चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह वाद-विवाद नहीं बनना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छा नहीं है। आप हर बार खड़े होकर स्पष्टीकरण मांगते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: राजेश पायलट जी ने आज एक प्वाइंटेड सवाल पूछा, मैंने ध्यान नहीं दिया, कल आपने इसका जिक्र किया था, वह यह था कि बहुत सालों से यह डिमांड रही है कि डोडा में एक आर्मी कैन्टोनमैंट बनाया जाए। वर्षों से वह मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन इस पर तय हो गया है और इसे स्वीकार कर लिया है और उसके लिए अमाउंट भी एलोकेट किया गया था, लेकिन बीच में कारगिल आ गया, इसलिए उसकी प्रगति में शायद कुछ गति नहीं आई है। लेकिन मैं इसे परस्यू करूँगा।

दूसरा सवाल आपने इनफिल्ट्रेशन के बारे में पूछा है। यह सही है कि इनफिल्ट्रेशन हुआ है और इनफिल्ट्रेशन का वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण रोक पाना कठिन है। लेकिन यह कहना कि इस साल सबसे ज्यादा हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो अंदाजे आये हैं, वे अलग-अलग आये हैं। अलग-अलग इंटेलीजेंस एजेन्सीज हैं, अलग-अलग आर्मी और स्टेट ऐजेन्सीज का फर्क है। लेकिन इनफिल्ट्रेशन हुआ है इसमें कोई शक नहीं है। संतोष मोहन जी ने ध्यान दिलाया है कि भारत वैली में इस बार हिंसा हुई है। मैं स्टेट गवर्नमैंट से इस बारे में छानबीन करूँगा और उनसे जानकारी मांगूंगा। लेकिन कदम उन्हें ही उठाने पड़ेंगे। आपने एक सवाल और पूछा कि मिलिटैंट्स के साथ कोई डायलाग है या नहीं? उनके साथ कोई डॉयलाग नहीं है, चूँकि वे कांस्टीट्यूशन से बंधने को तैयार नहीं रहते हैं। उल्फा के लोग हमेशा सैपरेट असम की बात करते रहते हैं। इस सरकार का मत यह है कि अगर चर्चा करनी है तो चर्चा कांस्टीट्यूशन के भीतर होनी चाहिए। चतुर्वेदी जी ने हमें इजराइल की नकल करने की सलाह दी है। मुझे पता नहीं है कि इजराइल को लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूँगा . . .*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हम जीरो टोलरेन्स की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जहां टैरेरिजम की जड़े हैं, वहां हमले होने चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने कहा यह कार्यवाही करने के लिए सुझाव है। यह प्रश्न नहीं है। सचमुच में अध्यक्ष जी, अगर इस समय सवाल परमिट करते हैं तो वही सवाल परमिट करते हैं जो पहले बहस में उठाये गये हैं और जिनका उत्तर नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई खड़ा हो जाए। कृष्णा बोस जी ने सुझाव दिया है कि जम्मू-कश्मीर के ऊपर भी चर्चा की जाए, वार्ता की जाए। मैंने वार्ता के बारे में कहा कि सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि अंत में कोई सोल्यूशन निकलता है तो वार्ता से ही निकलता है। लेकिन वार्ता कब की जाए और किससे की जाए, इसके लिए हमेशा विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए और वह करते हुए मैं आज कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में जब वहां पर स्थानीय समर्थन कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, उस स्थिति में सब बातों के बारे में सोचना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बॉर्डर फैन्सिंग के बारे में कुछ करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पूर्वोत्तर सीमा पर कुछ सीमा तक कंटीली तार लगाई गई है किंतु त्रिपुरा में नहीं लगाई गई है। किंतु मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊँगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 15 लेगी। इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय आबंटित किया गया है।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.20 बजे

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गाँधी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ:

> "कि स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय के गठन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

भारत सरकार स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क-घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के हक में सकारात्मक कार्य करने की आवश्यकता के बारे में काफी चिंतित रही है।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि इन व्यष्टियों में व्यापक स्तर की क्षमताएं हैं, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास के रूप में ज्ञात एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना करना चाहती है। उक्त न्यास संप्रवर्तक, सकारात्मक और संरक्षणात्मक प्रकृति का होगा। यह मुख्य

[श्रीमती मेनका गाँधी]

रूप से स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों और उनके कुटुंबों के अधिकारों का समर्थन करने, उनके हितों के विकास और रक्षोपाय का संबंर्धन करने के लिए होगा।

अपराह्न 3.21 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं*]

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय न्यास ऐसे कार्यक्रम का समर्थन करेगा जो स्वतंत्रता का संवर्धन करे और जहां आवश्यक हो, संरक्षकता को सुकर बनाए तथा उन विशेष व्यक्तियों की चिन्ताओं का समाधान करेगा जिनको उनके कुटुंब की सहायता प्राप्त नहीं है। न्यास कुटुंबों को मजबूत करेगा और स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के हितों का उनके माता-पिता की मृत्यु के पश्चात् संरक्षण करेगा।

न्यास अनुदान, संदान, उपकृति, वसीयत और अंतरण प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा। केन्द्र सरकार, न्यास की समग्र निधि में एक अरब रुपए का एक बार अभिदाय न्यास को अपने उत्तरदायित्वों का निवर्हन करने के लिए करेगी।

न्यास की स्थापना एक सर्वाधिक निकाय के रूप में की जाएगी न्याय का पूरा प्रबंधन एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसका गठन आरंभ में सरकार द्वारा किया जाएगा और तत्पश्चात् आंशिक रूप से निर्वाचन द्वारा किया जाएगा।

न्यास अपनी व्युत्पन्न आय, लाभ या अभिलाभ की बावत आयकर या किसी अन्य कर का संदाय करने का दायी नहीं होगा।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय का गठन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदया, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक, 1999, जो मंत्री महोदया ने चर्चा के लिए प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। मेरी जानकारी के मुताबिक यह सदन में 6-12-95 को इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उस पर उस वक्त चर्चा नहीं हुई। कल जब यह चर्चा के लिए यहां रखा गया था, तब कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन कल नहीं, तो आज इस पर चर्चा हो रही है। इसके लिए मंत्री महोदया धन्यवाद की पात्र हैं। यह बहुत पहले आना चाहिए था क्योंकि आज समाज में मानसिक मंदता अपाहिज, आंख के अंधों, कान से बहरे लोगों की संख्या बढ़ रही है। इतना ही नहीं जब कभी हम रास्ते पर या चौराहे पर किसी अंधे सहारा लेकर, लंगड़े घसीटकर रास्ता पार कर रहे होते हैं, तो हम जानते हैं कि उनके मन पर क्या गुजर रही होगी। मानसिक मंदता के कारण जब कभी वे रास्ते पर चलते हुए गिरकर मर जाते हैं, हमने क्या कभी सोचा है कि उनका भी कोई जीवन है? इस दुनिया में वे जीने के लिए आए और वे अपंगता या अपाहिजता या मंदता के कारण वे अपने माँ-बाप को तो कोसते ही हैं, लेकिन साथ-साथ इस दुनिया के बनाने वाले भगवान से भी उनकी श्रद्धा उठ जाती है। इस विधेयक के द्वारा मानसिक मंदता एवं इसी प्रकार से जो अपंग व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए जिस न्यास का गठन हो रहा है उसके लिए 100 करोड़ रुपये की पूंजी रखकर उसकी गु[illegible] करोड़ से कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूँ।

लेकिन जो बच्चा अपाहिज होता है, अपाहिज होना उनके अपने हाथ में नहीं है। आज भारत के अंदर गरीबी है और अधिकतर लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। जो बच्चे को जन्म देने वाली माता है, उसे पूर्ण आहार नहीं मिलता, उसकी देखभाल नहीं होती, उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, उसके लिए हास्पिटल नहीं हैं। परिणामस्वरूप कुछ बच्चे जन्म से ही अपाहिज पैदा होते हैं। आंख से अंधे जन्म लेते हैं। इसके साथ-साथ जो बच्चे जन्म से अंधे नहीं होते, अपाहिज नहीं होते, वे खेल कूद में हिस्सा लेते वक्त कभी गिर जाते हैं तो अपाहिज हो जाते हैं। कभी कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे डरकर वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कभी छोटे-मोटे प्रहार से या खेलने कूदने में चोट लग जाने से अंधे हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि बाद में भी जो लोग अपाहिज होते हैं, वे भी दयनीय स्थिति में आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जन्म से भी अपाहिज नहीं हैं, गिरने से भी अपाहिज नहीं हुए लेकिन उनके शरीर में कुछ ऐसे छोटे-मोटे रोग स्थापित हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप बड़े होकर वे अपाहिज हो जाते हैं। उनको दूसरे के आश्रित होकर जीना पड़ता है। उनका जीना मुश्किल हो जाता है। वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द भगवान उन्हें ऊपर उठा ले।

इसके साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी जिम्मेवार है। आर्थिक स्थिति के कारण जो पौष्टिक आहार उसे मिलना चाहिए, जिस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, वह भी नहीं मिलती, इससे भी अपाहिज का प्रमाण बढ़ता जाता है। आज हमारे देश के अंदर प्रदूषण काफी बढ़ रहा है। प्रदूषण भी अपाहिज होने करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। यह समस्या सबसे ज्यादा विकसित देशों में पायी जाती है। विकसित देशों के अंदर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सन् 2000 तक इनकी संख्या में दो करोड़ लोगों की और बढ़ोत्तरी हो जाएगी जो चिन्ता की बात है। मेरी दृष्टि से इसका एक महत्वपूर्ण कारण औद्योगीकरण है। औद्योगीकरण के कारण भी अपाहिजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा कारण शहरीकरण है। शहरों के अंदर भीड़-भाड़ बढ़ रही है जिसके कारण लोग नदी-नालों के समीप रह रहे हैं। लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। वहां का वातावरण भी इसका एक बड़ा कारण है। इसके साथ ही साथ भारतीयों के जीवन में आमूल परिवर्तन हो रहा है। जीवन जीने की पद्धति में परिवर्तन आ रहा है। मेरी दृष्टि से यह भी एक कारण इसके अंदर है।

इसलिए आने वाली सदी में डिसेबिलिटी का विकराल मुँह हमें देखना पड़ेगा। इसका सामना करने के लिए, उनको सहायता देने के

लिए आज जो विधेयक लोगों को स्वायत्ता देने के लिए आया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। अपने देश में पांच से छ: प्रतिशत लोग डिसेबल्ड हैं—चाहे वे शरीर से हैं या मानसिकता से हैं, यानि कि 60 से 70 मिलियन लोग आज अपने देश में डिसेबल्ड हैं। इसकी चिन्ता भी इस बिल के जरिये होगी, इसलिए भी मैं आनन्द अनुभव कर रहा हूं।

नि:शक्त व्यक्ति को समान अधिकार नहीं मिलता। इतना ही नहीं उसको पूर्ण भागीदारी भी नहीं मिलती। कौन उसे पूछता है कि तेरा हक क्या है? कौन उसको भागीदार देने के लिए तैयार है? कौन उसको हिस्सा देने के लिए तैयार है? घर के अंदर भी अगर कोई अपाहिज है तो उसे कोने में बैठाये रखते हैं कि तू यहां बैठा रह, दो वक्त की रोटी खा ले और कुछ बोलना नहीं। उससे कोई राय नहीं ली जाती, उसे कहीं साथ नहीं ले जाया जाता। उसे कोई मजाक के स्थल पर नहीं ले जाया जाता। कौन बोझ उठाकर घूमेगा, तू बैठकर टी.वी. देखता रहा। वह अपने मन में क्या सोचता होगा? वह अपने पर किस तरह से नाराज होता होगा? टी. वी. तो कुछ अच्छे घराने वाले देखते होंगे लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो गरीब हैं, जिनके घर में टी. वी. भी नहीं है, वह अपना दिन एक जेल में रहने की भांति काटता है। उसी तरह उसका जीवन बीतता है। वह पूरा दिन नहीं काट सकता।

इसके साथ मैंने कहा कि 60-70 मिलियन ये लोग होने वाले हैं, इनको भागीदारी नहीं देते। वे अन्य लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल नहीं सकता। इसी तरह यूनीसेफ के मुताबिक प्रत्येक छह व्यक्ति में से एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में डिसेबल्ड पाया जाता है। रिपोर्ट में लिखा है कि:

[अनुवाद]

"देश मे पुनर्वास के लिए विद्यमान संस्थानों में से नब्बे प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जबकि भारत में अस्सी प्रतिशत नि:शक्त व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित उपचारात्मक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपेक्षित अधिक संसाधनों के कारण नहीं अपितु सरकार को स्थानीय लोकाचार व संस्कृति का समुचित समझ न होने के कारण भी सरकार अकेले इस अन्तर को पूरा नहीं कर सकती है।"

[हिन्दी]

सिर्फ सरकार द्वारा नहीं होगा। सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लेना पड़ेगा, सामाजिक संस्थानों को भी आगे आना पड़ेगा। जब सामाजिक संस्थाएं आगे आएंगी तो यह सवाल हल होगा। हमारे यहां कहा जाता है कि सन् 2000 तक 'ऐजूकेशन फॉर ऑल', सभी के लिए ऐजूकेशन देने की बात हुई। लेकिन क्या मंद बुद्धि वाले, अपाहिज लोग ऐजूकेशन ले पाएंगे? मेरी दृष्टि से सिर्फ एक प्रतिशत मंद बुद्धि वाले, अपाहिज, आँख के अंधों को ही ऐजूकेशन मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती। हमारे यहां सरकार और सामाजिक स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा उनके वैल्फेयर की बात कही जाती है लेकिन मेरी दृष्टि से वैल्फेयर के साथ-साथ उनके अधिकार को भी अधिक महत्व देना चाहिए। जब नौकरी के लिए कहा जाता है तो सुनने को मिलता है कि अपाहिजों को नौकरी दी जाएगी। कहां दी गई है, कौन देता है, कौन नौकरी देने के लिए तैयार है? कोई नौकरी में नहीं रखता, वे भीख मांगते हैं। एक-दो लोगों को नौकरी मिलती है, ट्रेंड होते हुए भी बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्पैशल ऐजूकेशन नहीं दी जा सकती। ट्रेंड डिसेबल्ड व्यक्ति को भी नौकरी नहीं मिली। हमारे क्षेत्र में माँ-बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमारा लड़का एस. एस.सी. पास है, बी.ए. पास है, साहब, कहीं नौकरी में लगाओ। सरकारी नौकरी नहीं मिलती। उनके लिए नौकरी भी नहीं है।

कुछ समय पहले इंडिया-चाइना डिसेबल्ड पर वार्ता हुई थी। उसमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि चीन में 70 प्रतिशत लोगों को नौकरी दी गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक—

[अनुवाद]

"चीन में नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए 1600 कारखानें हैं जहां पर 40 प्रतिशत से अधिक जनशक्ति निशक्त हैं, किसी भी चीनी उपक्रम जिसमें 35 प्रतिशत से अधिक निशक्त कर्मचारी हों उन्हें व्यावसायिक आय-कर का संदाय करने से छूट दी गई है और जिन उपक्रमों में 50 प्रतिशत या अधिक कर्मचारी नि:शक्त हों उन्हें किसी प्रकार के कर का संदाय नहीं करना होता है।"

[हिन्दी]

चीन में सुविधा दी गई है। पचास प्रतिशत से अधिक डिसेबल्ड लोगों को अगर वे नौकरी में रखते हैं तो कोई टैक्स नहीं होता, बाकियों के लिए पचास प्रतिशत टैक्स है। ऐसी सुविधा, ऐसा इन्सैन्टिव, हमारे देश में भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें उन लोगों को यह सुविधा देनी पड़ेगी, तब लोग आगे आएंगे धरना बातों से या प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरह जापान में भी डिसेबल्ड व्यक्तियों की फैक्ट्री बनाई गई है, इंडस्ट्रीज बनी हैं और उनके वहां जो उत्पादन होता है, उसकी मार्किटिंग के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। डिसेबल्ड लोग बहुत सम्मान से जीते हैं, सम्मान से नौकरी करने जाते हैं। हमारे यहां भी डिसेबल्ड लोगों के लिए स्पैशल इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए ताकि वे बैठकर काम कर सकें। हमारे यहां के लोगों के पास ऐसी ताकत हो तो यह काम आगे हो सकता है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मंद बुद्धि अपाहिजों के लिए जो कदम उठाने चाहिए, वे कदम आज तक नहीं उठाए गए हैं। कदम न उठाने का कारण राज्य इच्छा शक्ति का अभाव है। किसी राज्य की इच्छा शक्ति नहीं थी।

आज माननीय मंत्री मेनका जी ने इच्छा शक्ति व्यक्त की है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि राज्य इच्छा शक्ति होने पर ही काम होता है। हमारे यहां सवाल उठाए गए। यह लोक शाही देश में वर्ल्ड बैंक को महत्व दिया गया है। वर्ल्ड बैंक के कारण राष्ट्रीय पार्टियां कभी माईनौरिटी की बात उठाती हैं, कभी मैजोरिटी का सवाल उठाती हैं, कभी शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राईब्स का सवाल उठाती हैं, कभी महिलाओं का सवाल उठाती हैं और कभी दूसरे सवाल उठाकर दो-दो दिन तक हंगामा होता है। क्या कभी किसी ने डिसेबिलिटी, अपाहिज, अपंग, आंख के अंधों के लिए भी सवाल उठाया है?

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

कभी राजकीय पार्टियों ने उसके लिए कुछ कहा कि हम यह करेंगे, उसको कभी अपना मुद्दा बनाया, इसलिए कि राज्य इच्छाशक्ति का अभाव था। इसका परिणाम यह हुआ कि इस देश के अन्दर एक भाई, एक लड़का और हमारे माँ-बाप हैं, वे लोग आज तक दुखी रहे हैं। इसमें मेरा कहना है कि सिर्फ हम कभी-कभी सेमीनार में जाकर अपाहिजों के लिए अच्छे शब्द कहकर चले जाते हैं, उनके लिए अच्छे-अच्छे शब्द बोलते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं, कभी-कभी 2-5 ईनाम लोगों को देते हैं, प्रशस्ति पत्र भी देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद कोई व्यवहार नहीं, उसके बाद उनके साथ कोई प्रेम नहीं करता है, यही हमारी इतिश्री हम कर देते हैं। उनकी आवश्यकता को हमने कभी आज तक समझा ही नहीं। हमने इसको भी समझने का ही प्रयत्न नहीं किया। इन कार्यों में मदद करने के लिए हमें जैसे उत्साहित व्यक्ति चाहिए, मैंने पूरा बिल पढ़ा, इसमें जो उत्साही लोग हैं, उनका सहयोग लेना पड़ेगा, जो विशेष लोग हैं, उनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी, उन्हें सदस्य बनना पड़ेगा। जो स्वयंसेवी संगठन हैं, जो समाज के दुखी, पीड़ित, शोषित, अपाहिज, मानसिक मंद बुद्धि वाले लोगों के प्रति सहायता करना चाहते हैं, उन निस्वार्थ व्यक्तियों की हमें मदद करनी पड़ेगी, उन्हें हमें आगे लाना पड़ेगा। निस्वार्थ व्यक्ति अपने ही घर में कुटुम्ब के साथ सम्मान से जी सकें, उसके लिए उसे आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसे सुविधा भी उपलब्ध करानी पड़ेगी। मैंने पहले बताया कि घर वाले भी उसे अपने ऊपर बोझ मानते हैं और बोझ मानकर उसे बाहर भेज देते हैं कि जाओ, बेटा बाहर जाओ, भीख मांगो। आप सब देखते हैं, जब दिल्ली में हम चौराहे पर खड़े होते हैं तो तुरन्त कोई आकर गाड़ी को कपड़ा लगाता है, कोई हाथ जोड़कर पैसे मांगता है। उनको घर वाले ही भेज देते हैं तो ऐसा न हो, इसलिए हमें उनके प्रति ध्यान रखना चाहिए और कोई भी इस देश के अन्दर ऐसा अपाहिज लावारिस रास्ते पर मरे नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।

मेरा माननीय मंत्री महोदया से निवेदन है कि इसके कार्यालय प्रत्येक राज्य में खुलें और साथ-साथ मुख्य जिलों पर यदि इसके कार्यालय खोले जायें। जो सरकारी सदस्य नियुक्त किये जाने का प्रावधान है, उसमें सिर्फ पद ही नहीं देखना चाहिए। आपने इसके अन्दर पद लिखा है कि इस विभाग के अन्दर नौकरी करने वाले हों, उनको नियुक्ति दी जाएगी। उस विभाग में नौकरी करने से वह उनका हमदर्द नहीं बन सकता। उस विभाग में नौकरी करने से मानवतावादी नहीं बन सकता, नौकरी तो सब को मिल जाती है, लेकिन सहृदय होना अलग बात है। दुखी को देखकर दुखी होना अलग बात है। ऐसी भावना वाले व्यक्ति को ही वहां रखना चाहिए। ऐसी संस्थाओं में जिसको लगाव है, ऐसी सामाजिक संस्थाओं के साथ जो लोग जुड़े हों, ऐसे अधिकारी को ही पसन्द करना चाहिए, यह मेरी आपसे विनती है। बोर्ड के अध्यक्ष में सहकारिता का गुण हो, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए, जो मानव प्रेमी हो। इसके लिए स्पेशल स्कूल बनाने पड़ेंगे। आज जो स्कूल चल रहे हैं, वे बहुत कम हैं। कुछ लोग तो जान-बूझकर इनके पीछे घपलेबाजी करके अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। इसके साथ लैप्रोसी का आप्रेशन सफल करने के लिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए। गुजरात में इसके लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है। आज गुजरात में एक भी लैप्रोसी का व्यक्ति बाहर भीख मांगने वाला देखने को नहीं मिलेगा। आज से एक साल पहले लोग भीख मांगते थे। उन सबको ढूंढ़ ढूंढ़कर एक जगह इकट्ठा किया, उनको रहने की सुविधा दी, उनको रोजगार दिया। उनसे कहा कि तुम रोड पर नहीं जाओगे, भीख नहीं मांगोगे, यहीं रहो। आज एक भी व्यक्ति गुजरात में देखने को नहीं मिलता है। गुजरात सरकार ने जिस प्रकार का कार्य किया है, उसी प्रकार का कार्य देश के अन्य राज्यों में भी हो, यही मैं चाहता हूँ।

आज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून में चल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि आर्थोपेडीकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता में चल रहा है। अली यावार जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि हियरिंग हैंडीकैप्ड, मुम्बई में चल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि मेंटली हैंडीकैप्ड, सिकन्दराबाद में चल रहा है। इसके साथ-साथ इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजीकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली में चल रहे हैं तो ऐसा एक इंस्टीट्यूट गुजरात में बड़े पैमाने पर खड़ा किया जाये, ऐसी मेरी मांग है।

भारत सरकार के इक्वल अपोर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टीसिपेशन एक्ट, 1995 के अन्तर्गत तीन प्रतिशत डिसेबल्ड लोगों को नौकरियों में प्राधान्य देना है। क्या कभी सरकार के द्वारा इसकी इन्क्वायरी की गई कि आपके यहां तीन परसेंट डिसेबल्ड लोगों को नौकरी दी गई? इसके लिए कहीं कोई इन्क्वायरी नहीं हो रही है। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए और जहां नौकरी नहीं दी गई, वहां उनको रखना चाहिए। इन तीन प्रतिशत में एक प्रतिशत इंडीविजुअली बांटा है, एक परसेंट ब्लाइंड्स के लिए है, एक परसेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए है। दोनों के लिए एक परसेंट बांटा गया है। जहां तक एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज की बात है, इनके द्वारा अपाहिजों को नौकरी नहीं मिलती है। एम्पलायमेंट एक्सचेंज सिर्फ नाम लिखा कर आंकड़े इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं। जनसंख्या बताते हैं कि इतने लोग अपाहिज हैं। कारण यह कि भर्ती डायरैक्ट होती है और उनके द्वारा किसी को बुलाया नहीं जाता है। एम्पलायमेंट एक्सचेंज में बहुत मिसमैनेजमेंट है, इसको भी आपको देखना चाहिए। जानकारी के अनुसार देश में 51 प्रतिशत स्पेशल एम्पलायमेंट एक्सचेंज हैं और 39 स्पेशल सैल हैं, लेकिन इनके द्वारा कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता है। दिल्ली की बसों में तो ये चढ़ भी नहीं पाते हैं और होता यह है कि जिसको जाना होता है, वह बाहर रहता है और जिसको नहीं जाना होता है, वह अन्दर होता है। जब यह बसों की हालत है तो अपाहिज उसमें कैसे जा सकते हैं। बसों में इनके लिए व्यवस्था के साथ-साथ मैं रेलवे स्टेशनों पर दिए जाने वाले स्टालों की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशनों पर स्टाल बड़े मजबूत लोगों को दिए जाते हैं, वहां अपाहिज कोई नहीं दिखता है। अपने परीचित लोगों को स्टाल दिए जाते हैं। जहां तक बैंकों से लोन की सुविधा का प्रश्न है, वे लोग जा नहीं पाते हैं। मेरा सुझाव है कि बैंकों पर दबाव डालना चाहिए कि ऐसे लोगों को बुलाकर फार्म इत्यादि भरवाने चाहिए अथवा अधिकारी जाये और इन लोगों को सुविधा प्रदान करें।

इसके साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सैन्टर्स स्कीम के अन्तर्गत देश में 11 सैन्टर्स खोले गए हैं, लेकिन गुजरात में एक भी सैन्टर नहीं है। मेरा निवेदन है कि गुजरात में भी एक सैन्टर खोला जाए।

इसी प्रकार नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डवेलपमेंट कार्पोरेशन 1997 में बना था, इसको गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। कार्पोरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं कि कैसे इससे लाभ उठाया जा सकता है। इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए, ताकि इसकी जानकारी अपाहिज लोगों तक पहुँच जाये। कबीर का एक दोहा है – कबीर हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए डोर के चर्म लोहा भस्म हो जाए। गरीब की आह दिल से निकलेगी, तो भस्म हो जाएगा।

अंत में, इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह विधेयक सही है, लेकिन यह सही रूप से कार्यान्वित हो, सही आफिस खुलें, सही कर्मचारी हो और जिस उद्देश्य से यह विधेयक आया है, वह परिपूर्ण हो। इस बिल का समर्थन करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदया, इस विषय पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या क्रम बदल दिया गया है? . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जाफर शरीफ का नाम पुकारा गया था परन्तु वह उपस्थित नहीं थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस तरह कांग्रेस पार्टी को मिला अवसर खो गया।

सभापति महोदय: दूसरी बारी में, हमने उन्हें अवसर दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: पहली बारी अभी पूरी नहीं हुई है महोदया . . . *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: किसी तरह . . . *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं आपके अधिकार को मानता हूं। मैं उन्हें दिए गए अवसर को भी मानता हूँ।

श्रीमती रेणूका चौधरी: धन्यवाद। यह बात अत्यंत आह्लादकारी और शिष्टतापूर्ण है।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): एक शिष्ट सज्जन पुरुष!

श्रीमती रेणूका चौधरी : जी, हाँ।

यह एक ऐसा विषय है जिस पर काफी समय से विचार नहीं किया गया है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो इस विधेयक को किसी समय राज्य सभा में लाया गया था। फिर यह वापस चला गया था और अब यह वापस आया है। यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है जिस पर शायद देश को प्रतिसंवादित होने की आवश्यकता है, क्योंकि हममें से कई उस समय असहाय हो जाते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो इस तरह की विकृति का शिकार हो। हममें से कई लोग इस प्रकार की बुद्धि मंदता या प्रमस्तिष्क घात का सामना किस प्रकार किया जाए नहीं जानते हैं।

स्वपरायणता के बारे में भी लोगों की समझ अत्यधिक कम है। यह दुख की बात है कि इस संबंध में लोगों की जानकारी कम है क्योंकि साहित्य के अनुसार – यदि मैं गलत नहीं हूँ – 500 में से लगभग एक व्यक्ति किसी न किसी स्वपरायणता से पीड़ित है, जिसे अक्सर समझना बहुत कठिन है। माता-पिता इससे निपटने में सक्षम नहीं हैं। सामाजिक संस्थायें वास्तव में न के बराबर हैं। इसी कारण इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता की बात हमारे ध्यान में आती है? माता-पिता या गोद लेने वाले माता-पिता के रूप में जब हम इन बच्चों की ओर देखते हैं तो एक सपना जो कि हम सब देखते हैं और हम सबको यही चिन्ता होती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? हम अपने बच्चों से कम अवधि तक ही जीवित रहते हैं। सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से, इस रोग अथवा विकृति से पीड़ित लोग एकदम सामान्य जीवन अवधि तक जीते हैं। इसीलिए पहली चिन्ता जिसे दूर किये जाने की जरूरत है, वह यह है कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें माता-पिता अपना धन दे सकें, उसकी निगरानी हो तथा उसे सुरक्षित रखा जाए और उस विशेष बच्चे के कल्याण के लिए ही उसका उपयोग किया जाए। इसका अर्थ होगा पूर्ण विश्वास, अत्यधिक पारदर्शिता और इसका रखरखाव करने की योग्यता जिसमें कि हम अपने जीवन काल में इस बात के प्रति निश्चिंत होकर मानसिक शांति बनाएं रखें कि धन वहीं पर जा रहा है जहाँ पर धन को जाना चाहिए।

वर्तमान प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक पत्र लिखा गया था। यह पत्र माता-पिता और विशेषज्ञों के एक दल द्वारा लिखा गया था। वे इस विधेयक की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो स्वयं निर्णय नहीं ले सकते, एक प्रतिस्थापक ध्यान रखने वाले की नियुक्ति सुरक्षा, देख-रेख और निर्णय लेने के लिए की जा सके। मैं इसमें उन लोगों को भी शामिल करती हूँ जिन्हें इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है और जो उनकी योग्यता और उनकी आकांक्षाओं को कम आँकते हैं। जैसा कि मुझे प्रतीत होता है इस राष्ट्रीय विधेयक की परिकल्पना प्रतिस्थापक देख-रेख करने वाले के रूप में की गई है।

ऐसे व्यक्तियों के माता-पिता के लिए जोकि अनवरत भय की स्थिति में रहते हैं, काफी कुछ किया जाना है और इसको कार्यान्वित करने की पद्धति को अत्यधिक संवेदनशील और एक ऐसी प्रणाली के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए जिसने यह सिद्ध कर रखा हो कि हम हमेशा अच्छे कार्य करने में असफल रहते हैं। इसी प्रकार, इसे ही हम व्यक्तिगत-संविदात्मक क्षमता कहते हैं। मूलत: यह एक संविदात्मक क्षमता होनी चाहिए जिससे कि लोग अपने जीवन काल के बाद भी अपने बच्चों की देख-रेख कर सकें।

मानसिक मंदता में अभिभावक की आवश्यकता होती है। अब जब हम मानसिक मन्दता की बात करते हैं तो दूसरा अन्य जाँच बिन्दु जिस पर मैं जोर देना चाहती हूँ वह ऐसे बच्चों के रोग निदान की अभिधारणा है और माता-पिता के लिए ऐसे बच्चों से पीछा छुड़ाने की योग्यता का दुरुपयोग किया जाता है। ऐसा हुआ है। इसके बारे में सोचकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तथ्य यह है कि एक छोटी सी विकलांगता जैसे कि डिस्लेक्सिया को भी मंदता मान लिया

[श्रीमती रेणूका चौधरी]

जाता है। विभिन्न प्रभावों के कारण हमने शक्तियों का दुरुपयोग किया है और हमने ऐसे लोगों को मानसिक रूप से मंद प्रमाणित करके अलग कर देते हैं। इस अवधारणा से कुछ अलग हटना खतरनाक होगा। ऐसा हमने पागलखाने की महिलाओं के साथ होता हुआ देखा है जो वहां पर बैठी रहती हैं जो कि पूरी तरह सामान्य होती हैं परन्तु उन्हें उनके अपने लोग और समाज कोई भी अपनानना नहीं चाहता है।

जब स्वपरायणता की बात आती है, तो यह माना जाता है कि यह एक दिल दहला देने वाला रोग है। कोई भी वास्तविक रूप से यह नहीं जानता कि स्वपरायणता किस कारण होता है, क्या यह अनुवांशिक है या यह एक ऐसा रोग है जो संक्रमण के कारण हो जाता है। कोई भी इस बात को नहीं जानता है। एक ओर हम डी. एन. ए. स्पलाइसिंग कर रहे हैं, हम जीन इन्टरफेरेन्स भी करते हैं परन्तु हम यह जानने में समर्थ नहीं हैं कि स्वपरायणता किस प्रकार का रोग है। इस रोग से पीड़ित कुछ बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं। उनकी कला अथवा गणित के प्रति पूर्व धारणा होती है।

मैं यह बात सभा की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं। यदि मेरी जानकारी सही है तो रेन्स मैन के रूप में जाने जाने वाले फिल्म स्टार ने पश्चिम में इसे बेहतरीन ढ़ंग से अभिनीत किया है। यह अत्यधिक प्रख्यात फिल्म स्टार डस्टन हाफमैन ने इसमें अभिनय किया था। इससे इस बीमारी की मानसिकता को प्रस्तुत करने में सहायता मिली।

अब स्वपरायणता कई प्रकार से पीड़ित करने वाली समस्या के रूप में आता है। इसका प्रभाव एक प्रकार का ही नहीं होता है। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। इसका अर्थ है इससे चोट लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। इस प्रकार हमारे सामने ऐसे बच्चे देखने में आते हैं जिन्हें, स्वपरायणता रोग है जिन्हें फिर प्रमस्तिष्क घात हो जाता है, डाउन सिन्ड्रोम, वेट सिन्ड्रोम, चेहरे की विकृतियां या सुनने की अक्षमता इत्यादि रोग हो जाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम किसी और को शक्तिसंपन्न बना रहे हैं तो मैं इस संबंध में अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए आग्रह करती हूँ कि हम समस्या को पूर्ण रूप से देखें. स्वपरायणता की पूरी अवधारणा पर ध्यान दें केवल यह न कहें कि यह स्वपरायण है और उसे किसी और की देख-रेख में रख दें। धन का इन रोगों की देख-रेख के लिए आयोग नहीं होता है क्योंकि हमारे पास की लालफीताशाही बीच में आ जाती है। नौकरशाही लालफीताशाही बीच में आता है और कहता है "ओह, इस बच्चे को यह धन स्वपरायणता के लिए दिया गया है और प्रमस्तिष्क घात के लिए नहीं दिया गया है या आप जानते हैं कि यह प्रमस्तिष्क घात के इलाज के लिए है जिसमें दृष्टिहीनता या लकवे का आकस्मिक दौरा सम्मिलित नहीं है यह दृष्टिबाध्यता शीर्षक के अन्तर्गत आता है; लकवे के आकस्मिक दौरे मिरगी की बीमारी हो सकती है। इसीलिए यह इसके अंतर्गत नहीं आता है।

इस प्रकार इस बीमारी को समझने में बहुत ज्यादा जटिलताएं हैं और हम किस प्रकार इसे लागू करेंगे और हम किस प्रकार सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूरा करेंगे। एक ओर भारत को अग्रणी विधानों पर विचार करने में नेता होने पर गर्व हो सकता है। हम स्वयं को शाबाशी दे सकते हैं क्योंकि हमने सामान्य रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधानों पर विचार किया है और हमने अग्रणी अधिनियमों जैसे विकलांग व्यक्ति अधिनियम, समान अवसर अधिनियम, अधिकारों की रक्षा अधिनियम और पूर्ण सहभागिता अधिनियम को पारित कर दक्षिण एशिया में बढ़त ले ली है। हमनें उक्त अधिनियम में स्वपरायणता को सम्मिलित करने पर विचार करके अत्यधिक साहसी और प्रशंसनीय कदम उठाया है क्योंकि स्वपरायणता के बारे में जानकारी नहीं है इसके बारे में अभी भी जानकारी नहीं है यहां तक कि संसद में भी जानकारी नहीं है। यह बेहतर होगा यदि माननीय मंत्री संसद सदस्यों को इस बारे में जागरूक करने के लिए किसी तरह का कार्यक्रम आयोजित कर सकें क्योंकि जब हम हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो हमारे पास लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं और वे नहीं जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या हुआ है। स्थानीय स्तर पर इस रोग को पहचान कर निदान करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसी तरह राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक एक प्रगतिगामी अधिनियम है। देखरेख करने की, संरक्षा प्रदान करने की और मदद प्राप्त करने वाले नागरिकों के लिए वैकल्पिक निर्णय लेने का उत्तरदायित्व पूर्णत: राज्य सरकारों का है। संविदात्मक अक्षमता के कारण मानसिक मंदता इत्यादि से पीड़ित व्यक्तियों को वयस्कता की आयु के पश्चात् भी संरक्षक की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग यह मानते हैं कि इस प्रकार की बीमारी छोटे बच्चों को ही होती है और फिर नहीं होती है और वयस्कों के बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस रोग से प्रभावित बच्चे वयस्क हो जाते हैं और इस बीमारी से ग्रस्त रहते हैं और उन्हें निगरानी, लैंगिक आवश्यकताएं, रूचियों, स्वच्छता इत्यादि पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

1912 के भारतीय पागलपन अधिनियम के अंतर्गत संविदात्मक क्षमता को न रखने वाले व्यक्तियों के लिए संरक्षक को नियुक्त करने की प्रक्रिया उपलब्ध है। पागलपन अधिनियम निरस्त कर दिया गया था और फिर 1987 के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में मानसिक अपंगताओं को सम्मिलित नहीं किया गया जिसके कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार, जिन्हें आवश्यकता हो उनके लिए संरक्षक को नियुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार की विधिक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी। स्वायत्तता के साथ संरक्षण प्रदान करने की अपनी विचारधारा के अनुरूप राष्ट्रीय न्यास विधेयक में उन वयस्कों के लिए जो मानसिक मंदता और स्वपरायणता और प्रमस्तिष्क घात के शिकार हैं और जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है उनके के लिए संरक्षक को नियुक्त करने की प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त अपंगताओं से पीड़ित व्यक्तियों की जीवन की गुणवत्ता की रक्षा करने के लिए ऐसी प्रक्रिया की विशेष आवश्यकता है और शारीरिक अपंगता की स्थिति में इसका कोई महत्व नहीं है।

इसीलिए जब हम ऐसा विधेयक बनाते हैं तो हमें जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारियां दी गई हैं। धनी, विकसित देशों, तथाकथित विकसित देशों जैसे अमेरिका इत्यादि में बुजुर्ग व्यक्तियों की देखरेख में पूरी तरह उपेक्षा की जाती है। वे ऐसे लोग हैं जो देखरेख पर धन खर्च कर सकते हैं जिन्होंने इसके लिए भुगतान किया है परन्तु उनकी पूरी तरह उपेक्षा की जाती है जिसके चलते कुपोषण और अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण उत्पन्न अन्य बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु

हो जाती है। अस्वच्छ परिस्थितियों जैसे बिस्तर पर पड़े रहने के कारण होने वाले फोड़े जिसके कारण मांस गल जाता है और नितम्ब अस्थियां दिखने लगती हैं क्योंकि वहां पर जीवन की गुणवत्ता घटी है।

वे कुपोषण के कारण मर रहे हैं क्योंकि बुजुर्ग व्यक्तियों को समय की आवश्यकता होती है जिससे कि वह चबाकर भोजन को निगल सकें परन्तु सहायक उतनी देर तक रुककर इंतजार करना नहीं चाहते हैं। मैं समझती हूं मानव जाति और अपनी प्रवृत्तियों के और ज्यादा क्रूर असंवेदनशीलता इससे ज्यादा नहीं हो सकती कि हम आगे बढ़कर इन व्यक्तियों की सहायता न करें। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी समान अवसर, पूर्ण भागीदारिता और अपनी स्वयं की क्षमताओं की मान्यता चाहते हैं। वे अपने पक्ष में बोलने का अधिकार मांग रहे हैं।

इसे समाप्त करने के लिए ही विकलांग (अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 1995 अधिनियमित किया गया था। इस राष्ट्रीय न्यास विधेयक में इस शारीरिक विकलांगता को शामिल किया गया है जिसके कारण उनके स्वयं की देखभाल करने की क्षमता को हानि पहुंच रही थी। शारीरिक रूप से विकलांग लोग अब अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपभोग करने में समर्थ हैं जबकि पहले उन्हें इनसे वंचित रखा गया था।

प्रधान मंत्री से यह अपील की जाती है कि वे एक और विषय को इसमें सम्मिलित करें और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर उचित ध्यान देगी। यह विधेयक 1991 में प्रथम राष्ट्रीय न्यास विधेयक के रूप में लाया गया था। इसे दस साल लग गए और मैं समझती हूं कि हम इस विधेयक को इस सहस्राब्दी के अंत में ला रहे हैं यह उपयुक्त अवसर है जिससे हम नई सहस्राब्दी की शुरुआत नई आशा, देखभाल, और आप सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य के साथ कर सकते हैं।

अत: मैं आपका ध्यान इन कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित कर, इस विधेयक का समर्थन करती हूं और प्रधानमंत्री को यह विधेयक लाने के लिए उनको बधाई देती हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदया, यह अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है जिस पर विचार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि यह सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक के लाने पर बधाई देना चाहता हूं। देर आये दुरुस्त आये। मैं श्रीमती रेणूका चौधरी को उनके उद्बोधक भाषण के लिए बधाई देता हूं।

श्री माधवराव सिंधिया : मुझे लगता है सभी महिलाओं के प्रति आपका मिजाज काफी उदारतापूर्ण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महिलाओं की कम संख्या पर मुझे बहुत दुख होता है। मुझे सदन में उनका 33 प्रतिशत चाहिए इसलिए, मैं इस उदारता को कायम रखना चाहता हूं। सिर्फ यही कमी है कि वे मेरी ओर नहीं देखती मैं क्या कर सकता हूं?

सभापति महोदय : सभा में प्रशंसा प्राप्त करने का प्रयत्न मत कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदया, अगर मैं आप तीनों को खुश रख सकूं, तभी मैं खुश हो सकता हूं।

जैसा मैंने कहा, यह विधेयक स्वागत योग्य है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं, वे पूर्व विधेयक की परिधि से बाहर थे, हमें उस विधेयक के कार्यान्वयन और जो कुछ छूट गया है उस संबंध में बहुत कुछ कहना है। उचित कानून का प्रबंध करने की जोरदार मांग थी।

महोदया, आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ समय पहले मैं विकलांग व्यक्तियों पर होने वाले एक सेमिनार में उपस्थित हुआ था और जो कुछ भी मैंने वहां देखा – जैसा हम देश में सर्वत्र देखते हैं उसके अलावा – और जो कुछ मैंने उस दिन सुना, अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही मैं बोलने के लिए प्रेरित हुआ। उसी दिन मैंने इस मामले को सभा में उठाया और विद्यमान सरकार से इस कानून को शीघ्र सम्मुख लाने का अनुरोध किया था। एक महिला मुझसे मिली थी जो उस सेमिनार में अपने इकलौते बेटे के साथ आई थी उसका बेटा मानसिक रूप से अपंग था।

अपराह्न 4.00 बजे

उसने कहा कि वह अपने घर के अलावा कहीं नहीं गई और सम्मेलन में लोगों को, आयोजकों को और इसमें भाषण देने वालों को जो इसमें भाग ले रहे हैं बताने आयी है कि उसकी दशा देखिए वह किस हालत में है। उसने कहा : "मैंने अपने जीवन में किसी भी चीज का अनुभव नहीं किया–कोई नाटक, कोई थियेटर-कोई सिनेमा, किसी भी सामाजिक समारोह में नहीं गई।" इस सच्चाई के अलावा उसके पास जो है, उसके परिवार के पास जो है। उसके माध्यम से वे उस बच्चे की देखभाल करने का प्रयत्न कर रहे है, जो सारी उम्र बच्चा ही रहेगा, क्योंकि दुर्भाग्य से जो बीमारी से वह पीड़ित या ग्रस्त है उसकी देखभाल बच्चे की तरह ही होगी।

माता-पिता के जीवनकाल में भी कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है कि वे बच्चे को उम्रभर सुरक्षा प्रदान करें। इसलिए, मैं एक बात पर थोड़ा चिंतित हूं। माननीय मंत्री खुलासा करें। मंत्री जी ने एक बार अपने वक्तव्य में कहा था कि यह विधेयक उनके लिए नहीं है जिनके अपने परिवार में सदस्य हैं। अगर यह नहीं है तो ठीक है मैं खुश हूं। परिवार के सदस्य भी प्रभावित होते हैं, आर्थिक संसाधनों की कमी के साथ, वे स्वयं भी दिमागी रूप से टूट जाते हैं। इसलिए बीमारी से पीड़ित इन लोगों को उचित संरक्षण की आवश्यकता है, कुछ करने की आवश्यकता है। नि:संदेह माता-पिता ही सबसे चिंतित हैं। यहां तक कि वे ठीक प्रकार से ऐसे बच्चों की देखभाल भी नहीं कर पाते। सिर्फ शुभकामनाओं से कुछ नहीं होगा। इसलिए इस पर भी ध्यान देना होगा।

हाल-ही में मेरी श्री जावेद आबिदी से जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं बात हुई थी। उन्होंने कहा:–"कृपया माननीय मंत्री से यह नम्र विनती कीजिए कि प्रत्येक कानून को ठीक से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।" कार्यान्वयन को सच्चे दिल से करने की आवश्यकता है। जहां तक 1995 के विधेयक का संबंध है, काफी कुछ कहा जा सकता है। यह विकलांग व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं जैसे शिक्षा प्रदान करती है–उस प्रकार का गंभीर स्वरूप की विकलांगता नहीं जिसका विचार इस विधेयक में किया जा रहा है–लेकिन साधारण स्वरूप

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

की अपंगता जैसे, बहरापन, अंधापन और इसी प्रकार की अन्य विकलांगता। इसका 1995 विधेयक में उल्लेख है। उसका भी अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया गया।

कई विषय हैं जैसे उन्हें शिक्षा प्रदान करना। मेरे सहयोगी ने कानून के उस उपबन्ध की ओर ठीक इंगित किया है जिसका अभी तक कार्यान्वयन नहीं किया गया। यहाँ तक कि तीन प्रतिशत आरक्षण भी पेपर पर ही है। जबकि यह कानून का अनिवार्य उपबन्ध है। सरकार के अलावा कोई भी इसे लागू करने की परवाह नहीं करता। हम सुनते हैं कि चीन में इन लोगों के लिए प्रोत्साहित करने वाली कई चीजें हैं। इन प्रोत्साहनों के अलावा वे और भी कई कार्य अभी भी कर रहे हैं। इसलिए जो कार्य अभी तक नहीं हुआ है वह है कार्यान्वयन। सिर्फ शुभकामनाएं और नेक कामनाओं से काम नहीं चलेगा।

इसलिए माननीय मंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि जहाँ तक निगरानी का प्रश्न है माननीय मंत्री इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लें। अगर मुझे गलत न समझा जाए, मैं जानता हूँ कि यह कुछ अन्य मामलों के कार्यान्यन में निर्दयता की सीमा तक कार्य-कुशल हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं उनकी दृढ़ता की भी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन जिस बात की आवश्यकता है वह है अति विश्वसनीयता, ईमानदारी, निष्कपटता और आज जो हम कानून बना रहे हैं और इससे पहले के अधिनियम में भी समुचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

महोदया, मैं एक या दो टिप्पणी करूँगा। मैं इसे विवादास्पद कानून नहीं बनाना चाहता। इस पर विचार किया जा सकता है। मैंने कोई भी संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है? जिस विशाल बोर्ड का गठन किया गया है उसमें एक अध्यक्ष है, माता-पिता श्रेणी से नौ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होगा और आठ व्यक्ति उच्च शासकीय अधिकारियों में से और तीन समाज सेवा से जुड़े लोग होंगे। इसके अलावा कार्यपालक अधिकारी जो संयुक्त सचिव के रैंक के होंगे। और आठ अन्य लोग सहकारी होंगे। कुल मिलाकर 30 लोग होंगे।

मुझे लगता है यह एक विशाल बोर्ड होगा। मुझे एक अन्य परिषद के बारे में बताया गया, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। मैं उस सज्जन का भी नाम नहीं लूंगा जो अपने फोटो छपवाने में ज्यादा व्यस्त हैं। अध्यक्ष महोदया, आप उन्हें जानती होंगी। कोई कहता है कि वे बुकलेट में अपने खूबसूरत फोटो छपवाने में अधिक व्यस्त हैं। लेकिन इससे कार्य में सहायता नहीं मिल रही है। काम से सहायता नहीं मिली है। इस क्षेत्र में काम कर रहे कुछ लोगों को पता है कि हमारे जैसे देश के लिए जहां 7 करोड़ लोग विकलांग हैं 100 करोड़ रुपये की राशि इस बढ़ती महंगाई के दिनों में पर्याप्त नहीं होगी।

मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी के मंत्रालय ने अध्ययन कराया है कि वह देश में कितनों घरों से यह योजना आरम्भ करेंगे, उन आश्रम गृहों में कितने लोगों को वह रखना चाहते हैं और प्रतिव्यक्ति व्यय कितना होगा। अत: क्या 100 करोड़ रुपये की यह राशि जमा रहेगी और इस धन से प्रतिवर्ष अर्जित की गई 10 करोड़ रुपये की राशि इस विशाल कार्य के लिए क्या पर्याप्त होगी? व्यक्तियों द्वारा दी गई राशि उन लोगों अथवा उनके बच्चों के लिए होगी। अत: मैं माननीय मंत्री जी से इस पर विचार करने का अनुरोध करूँगा। यदि आवश्यक हुआ तो वह उपयुक्त समय पर संशोधन ला सकती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण चीज यह है कि विकलांग के अभिभावक और परिवार के सदस्य अधिक महसूस करते हैं। कई अच्छे संस्थान हैं। राष्ट्रीय अभिभावक संघ परिसंघ नामक एक संस्था है यह महसूस किया गया है कि विकलांग के अभिभावक और परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व दूसरों की तुलना में अधिक होना चाहिए। मैं स्वत: नौकरशाहों के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन फिर भी नौकरशाही रवैया वहां आ जाता है। उन्हें बहुत सारे नियमों, विनियमों और प्रक्रिया की छान-बीन करनी पड़ती है। यदि वे उसे नजरअंदाज भी करना चाहें तो वहां नई प्रकार की हिचक, चाहे यह मानसिक है अथवा प्रक्रियात्मक है, होंगी जो न्यास के बोर्ड के कार्यकरण को प्रभावित करेगी।

किन्हें सहभागी बनाया जाएगा? यह खण्ड 3(5) में दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने अवश्य देखा होगा कि विशेषज्ञों को सम्बद्ध किया जाएगा। वे रजिस्ट्रीकृत संगठनों अथवा विशेषज्ञों में से लिए जाएंगे। अत: व्यवसाय से विशेषज्ञ सम्भवत: डाक्टर अथवा अन्य होंगे जो इन लोगों की देखभाल करेंगे। अत: मैं अभिभावकों, विशेषज्ञों और कुशल व्यक्तियों के अधिक प्रतिनिधित्व की पेशकश करूँगा। नि:संदेह कई लोक कल्याणकारी संगठन हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगी कि परीक्षण के पश्चात् इसे बदला जाए अथवा नहीं बदला जाए लेकिन यह संगठन उन संगठनों की तरह नहीं होना चाहिए जो पदेन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी, अधिकारियों कारों अथवा यात्राओं के साज-सामान के लिए ही न बनी रहे। उस कार्य के लिए इस अच्छे धन का प्रयोग अथवा दुरुपयोग न किया जाए।

इस विधेयक के बारे में मैं एक अन्य चीज बताना चाहता हूं, वह न्यास के उद्देश्यों के बारे में है। विधेयक में कहा गया है कि न्यास का उद्देश्य नि:शक्त व्यक्तियों को उनसे अपने कुटुम्ब में रहने में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को दृढ़ करना, और नि:शक्त व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता देना है। अब इन दोनों क्षेत्रों की अत्यन्त गम्भीरता से छानबीन की जाए जैसा कि मैंने कहा था संरक्षक के अलावा परिवार में रहने वालों को सहायता की आवश्यकता होगी जो यहां प्रदान की गई है। ऐसी सहायता परिवारों को किस प्रकार दी जाएगी। यही मामला है जिस पर अत्यन्त गम्भीरता से गौर किया जाए। एक और बात स्थानीय स्तर की समिति के बारे में है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति है।

स्थानीय स्तर की समिति अध्याय 6 के अधीन उन लोगों को चुनेगी जो उनके अनुसार संरक्षक आदि को सहायता दिये जाने के लिए हकदार होंगे। महोदया, यदि आप खण्ड 13 देखें तो स्थानीय स्तर की समिति में सिविल सेवा के अधिकारी शामिल हैं जो जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिले का जिला आयुक्त से नीचे का नहीं है। इसके अलावा एक प्रतिनिधि पंजीकृत संगठन तथा एक नि:शक्त व्यक्ति होगा जैसा कि दूसरे अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (न) में दिया गया है। अब मुझे इसकी उपयोगिता के बारे में कुछ सन्देह है क्योंकि मैं नहीं जानता कि पंजीकृत संगठन किसके हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे अथवा वह किससे मिलकर बनेंगे। श्रीमती चौधरी ने ठीक ही कहा कि ये विशेष प्रकार की बीमारियां साधारण क्षति, साधारण नि:शक्तता से भिन्न है जैसा कि मैंने कहा वे नि:शक्तता की बिगड़ी हुई स्थिति है और इन विशेष प्रकार के रोगों से ग्रस्त लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया

जाना चाहिए। मान लो, एक अन्धा व्यक्ति है, उसके बेहतर प्रयास के बावजूद यह आवश्यक नहीं कि वह यह कर सकें।

जहां तक जिलाधीशों का संबंध है यहां एक बार फिर नौकरशाही रवैया होता है। मैं किसी जिला आयुक्त अथवा जिलाधीश के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन यह जो मामला है जिसे विभिन्न दृष्टिकोण से निपटाना होगा अत: मैं नहीं जानता कि इन स्थानीय स्तर की समितियों में तीन व्यक्तियों को ही क्यों रखा गया है। किसी एक का भी इससे संबंध नहीं हो सकता है, दूसरा सदस्य तो नौकरशाही नेतृत्व देने के लिए इसमें शामिल किया गया है और तीसरा किसी संगठन का प्रतिनिधित्व है – यह अभिभावक संगठन को नहीं भी हो सकता है। यह सन्देह है जो वहां काम कर रहे लोगों ने व्यक्त किये हैं। आज जब तक वह संशोधन नहीं लाती है तब तक मैं अभी कानून में परिवर्तन करने के लिए नहीं कह सकता हूं।

अब इसमें संरक्षक की नियुक्ति के लिए प्रावधान है। क्या वे अवैतनिक व्यक्ति होंगे? यदि नहीं तो उनके भुगतान के लिए प्रावधान करना होगा। मैंने यह प्रावधान यहां नहीं देखा और वह पर्याप्त होना चाहिए। मंत्री जी अपना सिर हिला रहीं हैं और मैं समझता हूं उन्हें अदायगी की जाएगी। उस मामले में यह अदायगी पर्याप्त होनी चाहिए। केवल प्रतीक मात्र नहीं होना चाहिए। इससे किसी को फायदा नहीं होगा। हम कुछ सुझाव देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यह विधेयक ज्यादा से ज्यादा बेहतर और कार्यसंगत बनाया जा सके। अत: यह ऐसा मामला है जिस पर अवश्य ही गौर किया जाना चाहिए।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। अन्तिम बात यह है कि बोर्ड को केवल चल सम्पत्ति के बारे में वसीयत से लेने की शक्ति दी गई है। मान लो किसी परिवार ने एक मकान दिया है आप उसे गृह में परिवर्तित कर सकते हैं अथवा आप उसे बेच सकते हैं। आप उस परिवार को उस मकान को बेचने और उसे आपको देने पर मजबूर क्यों करते हैं? आप किसी व्यक्ति की वसीयत में अचल सम्पत्ति को विकलांग लोगों की भलाई के लिए क्यों नहीं प्राप्त करते हैं। इस मामले पर भी गौर किया जाए।

महोदया, मैं एक पत्र जिसे एक मां ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि एक दो पंक्तियों को पढ़ रहा हूं:

> ''मैं और मेरे पति अपने पुत्र को शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और व्यवसाय देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य उसे सामान्य सुविधाएं, अवसर और जीवन के साधन उपलब्ध ,कराना है जो इस देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध होते हैं। (अत्यन्त उपयुक्त विचार) वह कहती है:

हम सभी इस सार्वभौम प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। ''हमारे बाद कौन?'' यह उत्तर उन लोगों के अभिभावकों को दिया जाना चाहिए जो मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क घात और स्वपरायणता से ग्रस्त हैं जिनके लिए राष्ट्रीय न्यास सरकार द्वारा दिये जा रहे धन से और उसके द्वारा एकत्र किये गए दान से आश्रय गृह स्थापित कर रही है।

अत: यह प्रश्न है जो उन लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है जिनके बच्चे दुर्भाग्यवश इस बीमारियों से ग्रस्त हैं। हालांकि अत्यन्त कठिनाई के साथ मैं उसकी देखभाल कर रही हूं लेकिन मेरे बाद उसका क्या होगा और कौन उसकी देखभाल करेगा''।

ये मामले हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि इन लोगों की देखभाल, सहानुभूति, प्यार और चिन्ता के रवैये के बिना किसी भी कानून को उचित प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। हमने केवल कानून पारित कर दिया है और यह भी उन कानूनों की तरह होगा जो विधान पुस्तिका का भाग है। धनराशि प्रदान की जाएगी लेकिन जिनको इसकी आवश्यकता है उन तक यह कितनी पहुंच पाएगी?

मैं यह आशा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय मंत्री जी देखेंगी कि यह कानून मात्र कागजी प्रावधान बनकर न रह जाए। इसे लागू किया जाना चाहिए और मुझे विश्वास है कि जिन लोगों के लिए यह कानून बनाया गया है यह उनकी रक्षा करेगा यह ऐसा कानून होगा जिसे विधान पुस्तिका में ही देखकर हमें प्रसन्नता नहीं होगी बल्कि यह देखकर भी प्रसन्नता होगी कि इसे उचित प्रकार से लागू किया गया है।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : सभापति महोदया, क्या मैं एक सुझाव दे सकती हूं?

एक माननीय सदस्य मुझे बता रहे थे कि जब वह इन बच्चों की देख रेख करने वाले एक केन्द्र को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में से धन देना चाह रहे थे तो उन्हें इस आधार पर अनुमति नहीं दी गई कि यह योजना के अंतर्गत नहीं आता है। हमें इसे बदलने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। मैं नलकूप या किसी ऐसे कार्य की अपेक्षा एक संस्थान को निधि देना चाहूंगी।

महोदया, दूसरी बात जिस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वह 'अलझेइमर' रोग है। 'अलझेइमर' मानसिक अक्षमता है जो कि आयु के बढ़ने पर हो जाता है। भारत में इस बात के प्रति जागरूकता नहीं है। भारत में भी, विशेष रूप से जीवनकाल में वृद्धि के कारण, 'अलझेइमर' रोग पाया जाता है।

क्या माननीय मंत्री महोदय 'अलझेइमर' रोग को भी इस विधेयक की परिधि में लाएंगे जिससे कि हम उनकी भी देखभाल कर सकें?

सभापति महोदय : अगली वक्ता, श्रीमती जयश्री बनर्जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री अनादि चरण साहू।

श्री अनादि चरण साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : जब मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, सभापति महोदया, मुझे एक विचित्र संयोग याद आ रहा है। जब आप केन्द्र में युवा मामलों संबंधी राज्य मंत्री थी उस समय मैं उड़ीसा सरकार में निदेशक (खेलकूद और युवा सेवाओं) था। आपने विकलांग व्यक्तियों, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो मंद बुद्धि थे, के लिए एक 'एथलीटिक मीट' आयोजित करने के लिए धनराशि स्वीकृत की थी।

महोदया, मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि अत्यधिक मार्मिक है और मेरी स्मृति में बसी हुई है। यह एक ऐसे 14 वर्षीय मंद बुद्धि बच्चे से संबंधित है जिसे उसके माता-पिता बोलनगीर से इस 'एथलीटिक मीट' में भाग लेने के लिए लाए थे। यह एक अत्यंत साधारण सी एथलीटिक मीट थी जिसे डाक्टरों की सहायता से संचालित

[श्री अनादि चरण साहू]

किया गया था। इस मीट में कूदने, दौड़ने और फेंकने संबंधी खेल थे। उन सभी मंदबुद्धि बच्चों में उस बच्चे ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उसके माता-पिता उसके आगे-पीछे ही घूम रहे थे।

उस लड़के ने दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाया था। उसकी मां खुशी से रोने लगी—हालांकि उस बच्चे की आयु 14 वर्ष की थी परन्तु वह दो साल के बच्चे के समान व्यवहार कर रहा था—उस बच्चे ने अपनी मां के पास जाकर उसके गले से लिपट कर उसे चूमकर उस पुरस्कार को खुशी से हवा में फेंक दिया। उस बच्चे का पिता चुपचाप इस दृश्य को देख रहा था और रो भी रहा था और हंस भी रहा था। यह घटना मेरी स्मृति में बनी रही और यह विचित्र संयोग है कि मैं इसका वर्णन यहां पर फिर से कर रहा हूं।

महोदय, यह विधेयक बहुत ही अच्छा विधेयक है और इसे अच्छे उद्देश्य से लाया गया है। वर्ष 1991 से ही जब विकलांगों को भी समान अवसर दिए जाने के बारे में सोचा गया था, भारत असमर्थ व्यक्तियों के संबंध में विचार करता रहा है। 1994 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन के आधार पर, मंदबुद्धि व्यक्तियों संबंधी 1995 के अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था जो 1996 में अधिनियम बन गया था। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिनियम शिक्षा और रोजगार के बारे में था। जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा, हमने एक अधिनियम बना तो लिया है परन्तु हमने इसे अभी तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया है।

सभापति महोदया, इस विधेयक में उच्च आदर्श हैं। महोदया, मंत्री महोदय के पास ऊँचे आदर्श हैं परन्तु इसे क्रियान्वित करने के लिए कुछ ऐसे अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो इस बात से अवगत हों कि समस्या से किस प्रकार निपटा जाना है। जैसा कि श्री रेणुका चौधरी द्वारा उल्लेख किया गया है, इस अधिनियम का उद्देश्य रोगों को नये सिरे से परिभाषित करना और इस बारे में एक प्रयास किया गया है।

इसका उद्देश्य इस संसार में शिशु को लाने वाले माता-पिता के मन में सार्थकता की भावना को भरना है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। कवित्वपूर्ण तरीक़े से कहें तो उन्हें ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए ''मुझे शोकपूर्ण शब्दों में मत बताओ कि जीवन एक खाली सपना है'' धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रसन्नता की अनुभूति होनी चाहिए और उसे यह महसूस होना चाहिए कि वह अपने जैसे लोगों के ही बीच में है। बेशक उसे बेहतर ढंग से न भी रखा जा सके परन्तु उद्देश्य यह है कि उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो उसके अधिकारों की रक्षा तथा सम्वर्धन किया जाये और विकलांग बच्चे के हितों की रक्षा और उसका विकास हो।

कठिनाई यह है कि अधिनियमों की भरमार है। 1965 के अधिनियम में, धारा 3 में बोर्ड का एक प्रावधान है। इसमें कुछ जिला और स्थानीय स्तर की समितियों का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में भी खण्ड 3 में बोर्डों का प्रावधान है और खण्ड 13 में जिला स्तरीय समितियों का प्रावधान है। 1995 के अधिनियम के अनुसार बोर्डों का एक समूह है। इस अधिनियम के अनुसार बोर्डों का एक और समूह बन जाएगा। जैसाकि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा इससे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। हमने इसके लिए 100 करोड़ रुपए की समग्र निधि बनायी है परन्तु बोर्डों के सदस्यों पर ही यह सारी धनराशि खर्च की जाएगी।

इस अधिनियम के खण्ड 10 में एक उपबंध है जिसका अन्य बातों के साथ-साथ यह अर्थ भी हो सकता है कि संरक्षक को भी निधियां दी जा सकती है। यदि हम इस के निहितार्थ पर जायें तो हमें पता चलेगा कि उसमें यह व्यवस्था है। लेकिन इन निधियों को संरक्षक को किस प्रकार दिया जाये उसके लिए एक विनियम बनाना होगा अन्यथा, इसका कार्यान्वयन कठिन होगा। खण्ड 17 में एक और उपबंध है जो यह कहता है कि यदि संरक्षक कोई कदम नहीं उठाता है, तो बच्चे, रोगी या विकलांग व्यक्ति को हटा लिया जाना चाहिए। यहां पर एक कठिनाई आ सकती है कि कोई दण्डात्मक उपबंध नहीं है। मान लीजिए कोई अन्तर्राज्यीय सम्पत्ति है, यदि विकलांग व्यक्ति को हटा लिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस सम्पत्ति को वापस कैसे प्राप्त किया जाएगा? एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कोई भी आदर्श व्यक्ति नहीं है। हो सकता है महोदया, मंत्री महोदया अपनी सोच में आदर्श हों परन्तु कानून को कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति धन लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए, इस उपबंध के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि लोक मांग वसूली अधिनियम को ध्यान में रखना होगा। ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके गुप्त उद्देश्य हों जो निधियों का दुर्विनियोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वित्तीय सहायता के साथ जिम्मेदारी भी क्यों न सौंपी जाए जैसा कि खंड 14 में दर्शाया गया है; जिसमें यह कहा गया है कि स्वयं मातृ-पिता संरक्षक होने चाहिए। किसी और आदमी को क्यों नियुक्त किया जाए? ये कुछ बातें हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए।

जैसाकि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि बोर्ड बहुत ज्यादा बड़े आकार के यानी कि 29-30 सदस्यों वाले नहीं होने चाहिएं। विद्वान व्यक्तियों और चिकित्सा अधिकारियों को बोर्ड का सदस्य बनाया जाना चाहिए, विधेयक में इसका उल्लेख नहीं गया है। जिला स्तरीय समिति में जिला मजिस्ट्रेट कुछ भी नहीं कर सकता है। जिला प्रशासन में मेरे अनुभव के आधार पर मैं जानता हूं कि एक जिला मजिस्ट्रेट साठ या सत्तर समितियों का अध्यक्ष होता है। वह समितियों की बैठक में भाग लेने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करता। कभी-कभी तो जिला मजिस्ट्रेट को इस बात का भी पता नहीं होता है कि जिस समिति की वे अध्यक्षता कर रहे हैं वह किसलिए गठित की गई है।

यदि यह सम्भव हो, यद्यपि अब इसमें संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो इसमें इस बात का उपबंध किया जाना चाहिए कि समिति का अध्यक्ष मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी होना चाहिए और कुछ विद्वानों और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए। जैसाकि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि यदि उन्हें समिति में लिया जाता है तो मंत्री महोदय ने जो उद्देश्य सोचा है उस पर जोर दिया जा सकेगा। अन्यथा, परिवार की सहायता की व्यवस्था करना बेहतर होगा। बेहतर होगा कि परिवार को कुछ धनराशि दे दी जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि वे इन मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए तत्काल कार्य करना शुरू कर दें।

यह सम्भव है। यदि आप उनके लिए बेहतर वातावरण दें तो वे चमत्कार कर सकते हैं। इसे 'लंदन चार्टर' में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिसमें सम्भवत: सितम्बर, 99 में मंत्री महोदया, सम्मिलित हुई थी। तीसरी सहस्राब्दि के लिए विकलांगता संबंधी प्रारूप घोषणा पत्र को लन्दन में अन्तिम रूप दिया गया था जिस में यह अपेक्षा की गयी है कि ऐसी सहानुभूतिपूर्ण तीति होनी चाहिये जिसमें सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाये और उसमें लोगों की विविधतापूर्ण विभिन्नताओं पर आधारित सहज योजनाओं और लाभों का उल्लेख हो। इस अधिनियम में मुख्य रूप से इसी बात पर जोर दिया गया है।

मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा। मैं अन्य बातों के विस्तार में नहीं जाऊँगा। इसलिए क्या अपेक्षायें हैं? ये अपेक्षायें हैं पर्यावरण के अपरिहार्य विनाश के कारण होने वाली शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षतियों को दूर करने के लिए पर्याप्त आनुवांशिक सेवाओं की, यदि संरक्षकों को शामिल न करके इसमें माता-पिता को सम्मिलित किया जाता है तो इस कार्य को किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि एक संरक्षक एक व्यक्ति की देख रेख कैसे कर सकता है जो कि मानसिक मंदता से ग्रस्त है और जिसे अत्यधिक स्नेह की आवश्यकता है। केवल अधिनियम बनाकर या कुछ व्यक्तियों की पंजीकृत संस्था बनाकर हम इस अधिनियम को बेहतर ढंग से कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं।

इसीलिए यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ फिर भी मैं अनुरोध करता हूँ कि नियमों और विनियमों को अन्तिम रूप प्रदान करते समय कृपया इन सब बातों पर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, अपराह्न 4.30 बजे मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जाना है। इसीलिए अगले वक्ता के भाषण में व्यवधान पड़ सकता है या वे अपना भाषण वक्तव्य के पहले समाप्त कर सकते हैं।

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं मंत्री महोदया को स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय के गठन और उसे संसक्त अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देती हूँ।

यह सही बात है कि आज हमारे समाज में जिन्हें हम विकलांग कहते हैं, वह समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है। विकलांगों के पुनर्वास का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर हमें करने की जरूरत है और यह हमारा अनिवार्य कर्तव्य भी बनता है कि हम उनके प्रति बड़ी गम्भीरता से, सहृदयता से और अपने अन्दर एक कोमल भावना से सोचें।

एस. एस. ओ. द्वारा 1991 में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत विकलांग निरक्षर व्यक्ति हैं। शहरी क्षेत्रों में 46 परसेंट विकलांग निरक्षर हैं।1991 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी का 48 परसेंट बिना पढ़े-लिखे हैं। इससे पता चलता है कि सामान्य व्यक्तियों की तुलना में विकलांग शिक्षा के क्षेत्र में कितने पिछड़े हुए हैं। आज ग्रमीण क्षेत्रों में चार परसेंट और शहरी क्षेत्रों में 12 परसेंट विकलांग माध्यमिक शिक्षा स्तर तक पहुंच पाते हैं। आज देश में करीब नौ करोड़ विकलांग व्यक्ति हैं, जिनमें मानसिक विकलांगों की संख्या 2.40 करोड़ के करीब है। देश के सभी तरह के विकलांग व्यक्तियों का सही आंकड़ा अभी भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान के अनुसार 1991 में अपंग व्यक्तियों की जनसंख्या 80.44 लाख थी। नेत्रहीनों की संख्या 36.26 लाख, बहरों की संख्या 29.24 लाख और गूंगों की संख्या 17.68 लाख। देश की कुल विकलांग आबादी का 80 परसेंट हमारे गांवों में रहते हैं और देश में 97 परसेंट गांवों में विकलांग स्कूल नहीं हैं। सबसे ज्यादा समस्या गांवों में ही विकलांगों के लिए है। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से इस सदन में दूसरी बार चुनकर सांसद आई हूँ। हम महसूस करते हैं कि विकलांगों के लिए पैंशन की सुविधा है, अन्य सुविधाएं हैं, लेकिन वे उनको उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। वे हमारे पास भागकर आते हैं, फार्म भरते हैं, इसकी एक लम्बी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के दौर से गुजरकर भी वे उन सुविधाओं से वंचित रहते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप वहां पर विशेष माहौल उत्पन्न करता है। विकलांग व्यक्ति एक तो वैसे भी शरीर से इतना सक्षम नहीं होता कि वह सामान्य व्यक्ति की तरह दौड़-भाग करके सुविधाओं को प्राप्त कर सके, इसीलिए सबसे पहले हमारी यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि उनके लिए हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, उसकी जो प्रक्रिया हैं, वह सामान्य और सहज होनी चाहिए।

वह सुविधा प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों को परेशानी न हो। समाज में पुरुष विकलांग की स्थिति फिर भी ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन महिला विकलांगों की समस्या जटिल है। मानसिक रूप से वह समाज में अपने आपको स्थापित नहीं कर पाती हैं और समाज में उनको सहानुभूति या परिवार का जो माहौल मिलना चाहिए, वह पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा खराब है। विकलांग व्यक्तियों को दया की जरूरत नहीं है, हमें प्यार, मोहब्बत और पारिवारिक माहौल देने की जरूरत है। इस दिशा में हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी विकलांगों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। गांवों में, जैसा कि कहा गया है, विकलांगों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। विकलांगों के लिए नौकरियों में जो सुविधा प्रदान की गई है, सरकारी आंकड़ों को आप देखें, तो तीन प्रतिशत आरक्षण का लक्ष्य भी पूरा नहीं होता है। कोई विकलांगों को नौकरी नहीं देना चाहता है। निजी क्षेत्रों में सिर्फ 0.23 परसेंट ही नौकरियां मिल पाती हैं, जबकि 1995 में बने विकलांग कानून के अनुसार पांच प्रतिशत रोजगार देने की व्यवस्था है। अपंग व्यक्तियों को नौकरी देने पर टैक्स इत्यादि में छूट दी जाती है, फिर भी इस दिशा में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है।

एक बात, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी सीमाओं पर लड़ते हुए सैनिक अपने किसी अंग को खो देते हैं, उनकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति जब अपने किसी अंग को खो देता है, तो आप उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति होने पर शुरू में तो ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन धीरे-धीरे हमारे रवैये और दृष्टिकोण में परिवर्तन होता जाता है। यह एक कटु सत्य है। ऐसी स्थिति होने पर बाद में उसको अपने जीवन-यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए यदि कोई बोर्ड गठित किया जाता है, तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए।

[श्रीमती रीना चौधरी]

महोदय, औद्योगिक प्रदूषण के माध्यम से भी बच्चों के अन्दर मानसिक अपंगता देखने में आई है, जो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इस ओर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। मुझे खुशी है कि उन्होंने ट्रस्ट का गठन किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इसमें माता-पिता को रखा जाएगा, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि माता-पिता से अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र, अच्छा शुभ चिन्तक दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। मेरे विचार से ब्युरोक्रेट्स को इससे दूर रखा जाए। इसके साथ ही अगर जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो जाती है, तो उचित रहेगा, यह मेरा सुझाव है। जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आई हूं, वहां ऐसे व्यक्ति मदद लेने के लिए आते हैं।

मंत्री महोदय ने बहुत ही अच्छा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है और मुझे विश्वास है कि हम लोग इसके माध्यम से समाज में एहसास करा सकेंगे कि वे इस समाज का हिस्सा हैं और हमारे साथ-साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने के योग्य हैं।

अपराह्न 4.35 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली पर 13 दिसम्बर, 1999 को हुई दुर्घटना

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : महोदय, मुझे अत्यंत अफसोस के साथ सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि 13-12-1999 को दुबई से आने वाली एअर इंडिया की उड़ान संख्या 720 के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद जब यात्री इमिग्रेशन क्षेत्र की ओर जा रहे थे तो एक दर्दनाक दुर्घटना में सात वर्ष की एक युवा बालिका ज्योत्सना की मृत्यु हो गई और चार यात्री घायल हो गए।

इस दुर्घटना का कारण 0252 बजे एक यात्री के बैग के स्ट्रेप का नीचे जा रहे एस्केलेटर की सीढ़ियों में फंस जाना था। चूंकि यात्री स्ट्रेप को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा और एस्केलेटर से उत्तर नहीं पाया, जिससे पीछे रुके अन्य यात्रियों के बीच आपा-धापी मच गई। यह भी प्रतीत होता है कि जिस यात्री का स्ट्रेप फंसा था उनके द्वारा इस्तेमाल की गई ताकत से एस्केलेटर की आखिरी सीढ़ी की लोहे की प्लेट बाहर आ गई। इसके परिणामस्वरूप, इससे एस्केलेटर के फर्श में एक खाली स्थान बन गया।

सबसे पहले एक महिला गिरी और उनकी टांग एस्केलेटर की सीढ़ियों तथा साइड की दीवार में बने खाली स्थान में फंस गई। उसके बाद सात वर्षीय लड़की ज्योत्सना गिरी और उसका सिर एस्केलेटर की अंतिम सीढ़ी से टकरा गया और एस्केलेटर की चलती सीढ़ियों से पिचक गया। एस्केलेटर संभवत: जाम हो जाने के कारण अपने आप रुक गया।

इमीग्रेशन हाल में ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस कर्मचारी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ एयरपोर्ट प्रबंधक को सूचित किया, जिसने ड्यूटी पर मौजूद डाक्टर तथा तकनीशियन को बुलाया। वरिष्ठ प्रबंधक तथा डाक्टर लगभग पांच मिनट में घटना स्थल पर पहुंच गए। कुछ ही देर बाद तकनीशियन भी पहुंच गया।

एस्केलेटर को हाथ से उल्टा चलाया गया और लड़की के शरीर तथा महिला की टांग को निकाला गया। डाक्टर ने लड़की की जाँच करने के बाद 03.20 बजे उसे मृत घोषित कर दिया और उसके शरीर को पुलिस को सौंप दिया। महिला को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई, लेकिन भारी चोटों के कारण प्रात: लगभग 3.20 बजे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उन्हें अपोलो अस्पताल भेज दिया गया। दुर्घटना में घायल चार यात्री ये हैं—1. राजेश जेठानी, आयु 30 वर्ष, लिंग पुरुष, इनको अनेकों खरोंचें आई, 2. जी. पी. कत्याल, आयु 64 वर्ष, लिंग पुरुष, इनको खरोंचें तथा हाथ पर छोटा घाव था, 3. परमानन्द जेठानी, आयु 60 वर्ष, लिंग पुरुष, इन्हें हल्का घाव आया था, 4. श्रीमती उषा रानी नागपाल, आयु 55 वर्ष को गहरा घाव लगा। जब कि तीन व्यक्तियों को मामूली खरोंचें तथा चोटें आईं। श्रीमती उषा रानी नागपाल को उनकी बांई टांग पर गंभीर घाव आए जिसके लिए प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता थी। उन्हें अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में दाखिल करवाया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उनके इलाज के लिए सभी प्रबंध किए हैं। परिवार के शेष सदस्य 13 तारीख की शाम को जोधपुर रवाना हो गये थे तथा इस यात्रा के लिए सारे प्रबंध भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अपने किस्म की घटना है और इसके लिए हमें बहुत खेद है। पीड़ित परिवार के प्रति हम अपनी पूरी सहानुभूति प्रकट करते हैं। यह सच है कि कोई भी शब्द अथवा कार्य परिवार को हुई क्षति की भरपाई नहीं कर सकता, मंत्रालय ने प्रभावित परिवार को पांच लाख रुपए की राहत राशि दिए जाने की घोषणा की है।

एस्केलेटर को ओटिज कम्पनी द्वारा 1986 में लगाया गया था, जो एक अंतरराष्ट्रीय अग्रणीय सप्लायर है। इसका रख-रखाव, मासिक जाँच तथा आवश्यकतानुसार बुलाए जाने के आधार पर एक विस्तृत अनुरक्षण ठेके के आधार पर किया गया है। इसके लगाए जाने से लेकर आज तक इस प्रकार की कोई घटना इससे पहले कभी नहीं हुई।

दुर्घटना के कारणों की जांच करने तथा विस्तृत ब्योरे सहित घटना के घटित होने के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के श्री एस.एच. खान, कार्यकारी निदेशक तथा डाक्टर के. रामलिंगम, महाप्रबंधक शामिल हैं, जो अपनी रिपोर्ट 48 घंटों में, आज शाम तक प्रस्तुत कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है। मैं इस तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूं कि यह घटना राजधानी में 13 दिसम्बर को घटी थी और मंत्री जी 48 घंटे बाद सदन में वक्तव्य देने आए हैं। ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण मंत्री जी कल वक्तव्य देने नहीं आ सके?

दूसरे, इस घटना की जाँच करने के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रमुख को समिति में एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

प्रो० चमन लाल गुप्त : मैडम, वैसे तो यहां ऐसी कोई बात नहीं है। . . . *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम मैडम की इजाजत लेकर बोल रहे हैं। आप इस बात को इतना लाइटली मत लीजिए।

[अनुवाद]

सुरक्षा और प्रबंध की पूरी जिम्मेदारी भारतीय विमानपत्तन की है और सरकार ने इसके प्रमुख को इस घटना की जाँच करने के लिए नियुक्त किया है। क्या आप इस मामले को मामूली समझते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में यह बताया गया है कि 45 मिनट तक लिफ्ट चलती रही थी। इसे रोकने वाला कोई नहीं था। इसे रोकना कोई नहीं जानता था। मंत्री जी ने केवल यही कहा कि लिफ्ट चलती रही और बच्ची पिस गयी क्योंकि उसके पीछे कोई था। यह सच नहीं है। मंत्री जी को सच्चाई सही ढंग से प्रस्तुत करना होगा। यह 45 मिनट तक चलती रही और इसे रोकने वाला कोई नहीं था। सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जाँच आयोग का सदस्य क्यों नियुक्त किया जो स्वयं देश के प्रति जवाबदेह है? सरकार को किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए था।

यह बताया गया कि सरकार ने उक्त परिवार को तुरंत 5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दी परन्तु उन्होंने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। क्या आप मानवता के प्रति जरा भी चिन्तित हैं? उस समय क्या किसी ने धन के लिए कहा था ? दोषी व्यक्ति को सजा देने के बजाय सरकार ने तुरंत धन दिया।

यह एक गंभीर घटना है। हम वक्तव्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। क्या सरकार इस घटना की जांच करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी को बदलकर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त हो?

सभापति महोदय : मैं इस पर कोई चर्चा करने की अनुमति नहीं देता। चूंकि यह एक गंभीर मामला है इसलिए सदस्यों को कुछ बातें कहने की अनुमति दी जाती है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं यह कहना चाहूँगा कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके लिए किसी वर्तमान न्यायाधीश को घटना की जांच करनी चाहिए अन्यथा वही संदेह न केवल भारतीयों बल्कि विदेशियों के दिलों में भी कायम रहेगा। उनकी भावनाओं को शांत करने तथा विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यकरण के संबंध में होने वाले किसी भी संदेह को दूर करने के लिए वर्तमान न्यायाधीश द्वारा जाँच की जानी चाहिए।

यह कहा जा रहा है कि "ओटिस" कंपनी द्वारा व्यापक रूप से इसका रखरखाव किया जाता है जिसकी मासिक आधार पर जाँच की जाती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अंतिम बार इसकी जाँच कब की गई थी?

[हिन्दी]

प्रो० चमन लाल गुप्त : मैडम हमें बताया गया है कि पिछली बार 25 नवम्बर को बाकायदा इसकी चैकिंग हुई थी और हर समय उनका आदमी वहां रहता है और उसकी कोशिश होती है कि इस तरह की कोई घटना न हो। पहले इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि इस वजह से थोड़ा बहुत समय पर पहुंचने में कमी रह गयी।

सभापति महोदय: पेपर में आया था कि पहले भी घटना हुई थी।

प्रो० चमन लाल गुप्त : परसों घटना हुई, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और मैं उसी समय मौके पर गये थे और हमने सब चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। लड़की माता से हमने सम्पर्क किया और उनके परिवार से हम मिले हैं। जब ये तीन साल पहले हिंदुस्तान आये थे तो इनकी एक साल की बच्ची थी जिसकी मृत्यु हो गयी। जो घटना हुई, उसे हम किसी तरह से छिपाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस घटना से और भी जो मैल-प्रैक्टिस वहां चल रही हैं उसको हम दूर कर लें। मैं अपने सांसदों का इसमें सहयोग चाहूँगा। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो वे हमें बताएं। जैसा इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट एथॉरिटी के मैम्बर उस कमेटी में हैं। यह कमेटी बनाने की घोषणा एयरपोर्ट एथॉरिटी ने पहले से ही कर दी थी। यदि आवश्यकता हुई तो. . .*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप यह नहीं समझते कि यह एक गंभीर मामला है। आप क्या कह रहे हैं?. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० चमन लाल गुप्त : जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता।. . .*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मंत्री जी ने बताया कि चेयरमैन ने पहले घोषण कर दी। आपकी हाउस के समाने जिम्मेदारी है। आपने यदि समझा कि उन्होंने पहले घोषणा कर दी तो आप जिम्मेदारी लेकर उसे चेंज कर सकते थे। आप मंत्री हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर आवश्यकता होगी तो बाद में देखेंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप किसी वक्तव्य पर चर्चा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र हिल गया है। मैं मंत्री जी की मदद करना चाहता हूँ। परन्तु वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० चमन लाल गुप्ता : अगर इस दुर्घटना में किसी को दोषी पाया गया तो हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे।. . .*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसमें यह नहीं बताया कि दुर्घटना कितने बजे हुई और कितने बजे उन्हें अस्पताल ले जाया गया।. . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं एक उत्तर की अपेक्षा कर रहा था जिसमें इसके लिए जिम्मेदार विमानपत्तन के उस व्यक्ति को निलंबित करने के तथ्य के बारे में है। मैंने सोचा था कि आप कोई जांच करेंगे। परन्तु आपने इस मामले को सभापति पर ही छोड़ दिया है। . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : बयान में यह नहीं दिया गया कि कितने बजे घटना घटी और कितने बजे घायल लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया। इस बयान में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें घटना का समय नहीं दिया गया है।. . .*(व्यवधान)*

प्रो० चमन लाल गुप्त : एयरपोर्ट एथॉरिटी के तीन आफिसर्स जिन की जिम्मेदारी थी, उनको सस्पैंड किया गया है।. . .*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदय, यह बयान अधूरा है। . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप जानकारी को दबा क्यों रहे हैं? उन्होंने वक्तव्य में ऐसा नहीं कहा था। परन्तु अब वे तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सही तरीका नहीं है। आप इस सभा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने सूचना को छुपाया क्यों था? महोदया, उन्हें इस निलंबन की सच्चाई के बारे में उल्लेख करना चाहिए . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उन्हें उत्तर देने का अवसर दें।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अगर मंत्री जी कोई वक्तव्य देते हैं और उसमें निलंबन के मौलिक तथ्य को दबाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि सभा को जानकारी देने का यह सही तरीका है?. . .*(व्यवधान)* महोदया अगर मैं यह बात नहीं उठाता तो सभा इस तथ्य से अनभिज्ञ रह जाती।. . .*(व्यवधान)* मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं। मैं मंत्री जी से बोल रहा हूं। महोदया, यह विशेषाधिकार का हनन है।

सभापति महोदय : अगर यह विशेषाधिकार का हनन है तो आपके पास इसे उठाने के कई तरीके हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री आचार्य जी, हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, मंत्री जी उन्हें निलंबित कर चुके हैं। वे उनके विरुद्ध कार्रवाई कर चुके हैं। परन्तु खुश होने की बजाय वे आपत्ति कर रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप मंत्री नहीं हैं। मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से मंत्री जी से बात कर रहा हूं।

मंत्री जी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ नहीं है। परन्तु वे मूल तथ्य को नजरअंदाज करके और दबाकर कोई वक्तव्य कैसे दे सकते हैं कि उन्होंने कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कार्रवाई की थी। मेरी जांच के बाद वे सामने आए। क्या वह सदन के लिए ठीक है?

श्री खारबेल स्वाइं : अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसमें आपत्ति क्या है? तथ्यों को छुपाकर उन्हें क्या मिलता ? वे भूल गए होंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, वे मंत्री नहीं हैं।

श्री खारबेल स्वाइं : मैं जानता हूं कि आपका इरादा ऐसा हो ही नहीं सकता।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हमें बताया गया था कि आज वक्तव्य दिया जाएगा। जब हमने शून्य काल के दौरान मामला उठाया था तब वक्तव्य नहीं दिया गया था। उसकी बजाय हमें वक्तव्य के लिए पौने पांच बजे तक इन्तजार करना पड़ा था। यह घटना 13 दिसम्बर की सुबह हुई थी। आज वे पूरे तथ्यों के बिना वक्तव्य दे रहे हैं। वे तथ्यों को छुपा रहे हैं। जब वे वक्तव्य दे ही रहे हैं तो उन्हें पूरे तथ्य सामने रखने चाहिए। अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? उन्हें सभा को बताना चाहिए कि उन्होंने तथ्यों को क्यों छुपाया?

सभापति महोदय: उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि सभा में परिचालित किया जा चुका है। श्री दासमुंशी ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या उन्होंने किसी को निलंबित किया है ? मंत्री ने कहा, हाँ, उन्होंने तीन व्यक्तियों को निलंबित किया है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: यह बतायें कि एक्सीडेंट कितने बजे हुआ?

सभापति महोदय: स्टेटमैंट में टाइम दिया हुआ है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: श्री दासमुंशी ने एक स्पष्टीकरण मांगा था और एक प्रश्न पूछा था कि क्या किसी को निलंबित किया गया है ? तब मंत्री ने उत्तर दिया कि कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया है। यह बात उन्होंने वक्तव्य देते समय क्यों नहीं कही थी? तब उन्होंने तथ्यों को छुपाया क्यों था?

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोंगा): महोदया, आपकी अनुमति से मैंने माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछा है। उन तीन अधिकारियों को कब निलंबित किया गया था? . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रत्येक व्यक्ति इस प्रश्न पर नाराज है। उन्हें दो मिनट तक अपने विचार प्रकट करने दें फिर हम इस बात को समाप्त करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्हें कब निलंबित किया गया था?

सभापति महोदय: श्री आचार्य जी, आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री एस. बंगरप्पा: मैं मंत्री जी से केवल एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। उन तीन अधिकारियों को कब निलंबित किया था? उनके नाम क्या हैं? कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें।

सभापति महोदय: वही प्रश्न। इससे इस बात का अंत हो जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो० चमन लाल गुप्त: सभापति महोदय, मैंने यह कहा कि कल हम स्टेटमेंट देना चाहते थे लेकिन उस समय हाउस का जो माहौल था, नहीं दे पाये। आज प्रीलमनरी इंक्वायरी थी। उसके बाद उन्होंने तीन आफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जिनमें एक टेलीफोन एक्सचेंज का इंचार्ज, इलैक्ट्रीकल ग्रुप का इंचार्ज और तीसरा आदमी जो एस्कलेटर ड्यूटी पर था। जैसे ही उनको महसूस हुआ,

[अनुवाद]

कि उनकी गलती थी, वे ड्यूटी पर नहीं थे और वे अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं कर रहे थे इसलिए प्राधिकरण ने उन्हें निलंबित कर दिया है।

सभापति महोदय: यह मामला समाप्त हो गया है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): यह कैसे समाप्त हो सकता है?

सभापति महोदय: मैं इस सभा में मंत्री जी से जांच बदलने के लिए नहीं कह सकता हूँ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० आर० कुमारमंगलम): पहले प्राथमिक जांच रिपोर्ट आने दीजिए। अगर जरूरी हुआ तो हम इसे बदलेंगे।

सभापति महोदय: उन्होंने ऐसा कहा है। अगर आवश्यक हुआ तो हम इसे बदलेंगे। उनके पास प्राथमिक रिपोर्ट आने दीजिए फिर देखेंगे कि क्या घटना घटी है।

श्री बसुदेव आचार्य: यह घटना इतनी गंभीर है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए।

मैं जानना चाहूँगा कि क्या वह इससे सहमत है या नहीं। कृपया यह आज ही बताइए . . . *(व्यवधान)*

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर): महोदया, मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी दुर्घटना हुई और एक छोटे बच्चे की जान चली गई। . . . *(व्यवधान)* अब विपक्ष के माननीय नेता सच जानने में रुचि नहीं ले रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वे हमेशा केवल आरोप ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं और सभा को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: आप बताइए कि क्या आप ज्यूडीशियल इनक्वायरी कराएंगे? आप हाउस में बताएंगे या बाहर बताएंगे?. . . *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): आप बिना इनक्वायरी के सब काम करना चाहते हैं? कुछ इनक्वायरी होने दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए। अब यह मामला समाप्त हो गया है। अब हमने दूसरे वक्ता को बोलने के लिए बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री एस० बंगरप्पा: इस सरकार को कौन चला रहा है—मंत्री या संसद के कुछ सदस्य सरकार चला रहे हैं? मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। . . . *(व्यवधान)* उस तरफ के कुछ सदस्य भी उत्तर दे रहे हैं। यह सब क्या है? पहले मुझे यह बताइए। . . . *(व्यवधान)*

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: जब आप उत्तर दे रहे हैं तो हमारा भी ऐसा करने का अधिकार है। . . . *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: श्री बंगरप्पा, आप संसद के सदस्य हैं। मैं भी संसद का सदस्य हूँ। . . . *(व्यवधान)* आप अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। मैं एक मंत्री के रूप में उत्तर नहीं दे रहा हूँ। मैं एक सदस्य के रूप में बोल रहा हूँ। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा: जब मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा जाता है तो उस पक्ष से अन्य सदस्य उठकर उसका उत्तर देने लगते हैं। यह क्या है?. . . *(व्यवधान)*

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: जब आप उत्तर दे रहे हैं हम भी ऐसा कर सकते हैं. . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: हमें चिन्ता है कि जो इनक्वायरी कराई जा रही है उसके बाद ज्यूडीशियल इनक्वायरी नहीं कराई जाएगी। . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री कुमारमंगलम, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री कुमारमंगलम कुछ कहना चाहते हैं। हम उनकी बात सुनें और उसके बाद हम इसे समाप्त करेंगे।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम: महोदया, जो कुछ मेरे मित्र माननीय नागर विमानन मंत्री ने कहा है मैं उसी में कुछ और जोड़ना चाहता हूं। मैं इसमें केवल स्पष्ट कर रहा हूं और तथ्यों को इस प्रकार प्रकाश में ला रहा हूं . . *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: इसका विद्युत से कुछ लेना देना नहीं है . . .*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. कुमारमंगलम: यह हाल ही में हुई अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में से एक है . . . *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, यह नहीं कह सकते कि कल सभा में व्यवस्था नहीं थी क्योंकि कार्यवाही आठ बजे के बाद तक चली थी। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वातावरण अच्छा नहीं था? यह ऐसा किस प्रकार कह सकते हैं? . . .*(व्यवधान)* जब प्रधान मंत्री कल रात वक्तव्य देने आ सकते हैं तो क्या मंत्री जी नहीं आ सकते थे और वक्तव्य नहीं दे सकते थे? वह क्या कह रहे हैं?. . .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: कल चार बजे से साढ़े आठ बजे तक हाऊस चला था आप कैसे कहते हैं कि माहौल नहीं था? . . . *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, उन्हें बताना अच्छी बात नहीं है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम: कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने कभी नहीं कहा कि यहां व्यवस्था नहीं थी. . .*(व्यवधान)* महोदया, क्या मुझे बोलने की अनुमति दी जाएगी अथवा नहीं? अन्यथा मैं बैठ जाऊँ। . . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। मैंने मंत्री जी को कुछ कहने की अनुमति दी है। बात यह है कि आप उत्तर चाहते हैं। यदि आप इस प्रकार करेंगे तो आप उत्तर प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: वे हर समय सभा को डरा धमकाकर काम नहीं करा सकते. . .*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. कुमारमंगलम: श्री मुंशी क्या आप बोल रहे हैं? अथवा मैं बोलूं? मैं नहीं जानता . . . *(व्यवधान)* मुझे खेद है यह गलत है। अत्यंत विनम्रता के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: खुद प्रधान मंत्री आ गए और मंत्री नहीं आ सके? . . .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभपति महोदय: श्री मुंशी, आपने अपनी बात कह दी है। आप जवाब चाहते हैं। मंत्री महोदय को कुछ कहने दीजिए वह उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या उनकी सहायता करना मेरा कर्त्तव्य है? मैं उन्हें सचेत कर सकता हूं. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अत: वे आपके अति आभारी हैं . . . *(व्यवधान)*

श्री पी. आर. कुमारमंगलम: महोदया, श्री दासमुंशी मेरे नेता थे। अत: मुझे अधिक नहीं कहना चाहिए। उन्हें हमेशा पूरा अधिकार है कि वे मुझे बैठने के लिए कहें . . . *(व्यवधान)* लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि उन्हें हस्तक्षेप करने का व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन सभा में यह साधारण शिष्टाचार रहता है कि जब मंत्री को छोड़कर कोई सदस्य बोल रहा होता है तो हम सदस्य को अपनी बात समाप्त करने के लिए कहे बिना दखल नहीं देते हैं। मैं उन्हें केवल इस बारे में याद दिला रहा हूं। निसंदेह मेरे व्यक्तिगत मामले में वह हमेशा ऐसा कर सकते हैं। यदि मुझे अनुमति दी जाए तो मैं अनुरोध करता हूं कि मैंने कभी कुछ भी नहीं कहा है. . .*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हमने आपका अच्छा व्यवहार देखा है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम: मैंने उससे अधिक कुछ नहीं कहा है। हमारे इरादे हमेशा अच्छे रहे। यह मामला अत्यंत गंभीर है। हम नहीं कह रहे हैं कि यह छोटा सा मामला है। माननीय मंत्री जी ने एक बात सभा के ध्यान में लाने की कोशिश की थी . . . *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: वह किस क्षमता से बोल रहे हैं?

श्री पी. आर. कुमारमंगलम: मैं केबिनेट सदस्य की हैसियत से बोल रहा हूं। उन्होंने एक बात कही थी . . . *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: जब सम्बद्ध मंत्रालय के मंत्री यहां उपस्थित हैं तो वह यह उत्तर किस प्रकार दे सकते हैं?

श्री पी. आर. कुमारमंगलम: मुझे खेद है। मेरे विचार से यह इस प्रक्रिया के अनुसार स्पष्ट की जानी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसे स्पष्ट करने दीजिए। महोदया, कृपया अपना विनिर्णय दीजिए।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम: मैं इससे सहमत हूं।

सभापति महोदय: मैं समझती हूं कि यह संयुक्त जिम्मेदारी है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मंत्री मंडलीय प्रणाली में प्रधान मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है लेकिन माननीय मंत्री जी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह संयुक्त जिम्मेदारी है।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : मैं समझता हूं कि विनिर्णय अत्यंत स्पष्ट है। हमारी सांझी जिम्मेदारी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि सम्बद्ध मंत्री यहां उपस्थित नहीं होते तो वह निस्संदेह बोल सकते थे. . .*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

श्री पी. आर. कुमारमंगलम: महोदया, मैंने तो केवल यही कहा था कि माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसी में केवल कुछ जोड़ना चाहता हूं।

सभापति महोदय: मैंने सोचा आप समस्या को हल करने में मदद कर रहे हैं।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम: मैंने सोचा मैं मदद कर रहा हूं लेकिन मेरे मित्र जी प्रियरंजन दासमुंशी नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, मैं चाहता हूं कि उन्हें अपना काम करना चाहिए और गलत तरीके से उनका बचाव नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उनका भविष्य हमेश उज्जवल हो।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम: मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार के रूप में हमने उसे गंम्भीरता से लिया है और हम इसकी छानबीन कर रहे हैं।

अपराह्न 5.01 बजे

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक-*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब हमारे समक्ष प्रस्तुत विधेयक पर विचार-विमर्श करेगी। अब श्री सुदर्शन नाच्चीयपन बोलेंगे। श्री नाच्चीयपन कृपया संक्षेप में बोलिए, क्योंकि हमें 5.30 बजे तक समाप्त करना है, जब हम आधे घंटे की चर्चा लेंगे।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदया, सभा के समक्ष प्रस्तुत यह विधेयक सचमुच बहुत भावनात्मक और, संवेदनशील है। यह उन लोगों से संबंधित है जो संसद के समक्ष आकर अपनी शिकायत नहीं कर सकते हैं और अपने लिए कुछ मांग नहीं सकते हैं या अपने कल्याण के लिए आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं।

मैं इस विधेयक के इतिहास में जाना चाहूँगा। वर्ष 1993 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, इस विधेयक का निशक्तता विधेयक के साथ मसौदा तैयार किया गया था और वर्ष 1995 में सदन में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन दूरसंचार घोटाले के कारण जिसमें श्री सुखराम लिप्त थे, सभा लगातार लगभग दो सप्ताह तक स्थगित होती रही। इस बीच, विकलांग व्यक्तियों ने आंदोलन किया और अपनी शिकायत तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समक्ष रखी, उस वक्त सिर्फ निशक्तता विधेयक ही पारित हो सका और यह विधेयक लम्बित पड़ा रहा। इसे अभी प्रकाश में लाया गया है। इसलिए मैं सभा से इस विधेयक को शीघ्र पारित करने का अनुरोध करता हूं, ताकि विकलांग लोगों के कल्याण हेतु कार्यों का शीघ्र आरम्भ किया जा सके।

हमें 1995 के विधेयक का अनुभव है जिसमें मुख्य कार्यपालक, केन्द्रीय समन्वय समिति और केन्द्रीय कार्यपालक समिति सहित बनाई गई थी। तीन स्तरीय प्रणाली इस समिति के गठन में लगभग दो साल लग गए, मुख्य कार्यपालक के नामांकन में लगभग चार साल लग गए और अतत: 1.9.1998 को संपूर्ण समिति का गठन किया गया। इसका गठन विधेयक के पारित होने के तीन साल बाद ही हो सका और अभी भी, यह समिति पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है। मैं आशा करता हूँ कि यही गति इस न्यास की नहीं होगी जिसकी कल्पना इस विधेयक में की गई है, क्योंकि विकलांग बच्चे अपने मामलों को किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। वे काफी दु:ख उठा रहे हैं। इसलिए इस विधेयक, जो 20वीं सदी का विधेयक है, को 21वीं सदी के आरम्भ होने से पूर्व अधिनियम बन जाना चाहिए।

महोदया, माननीय मंत्री को जानवरों के प्रति अत्यधिक सहानुभूति है, लेकिन विकलांग व्यक्ति भी मनुष्य ही हैं और वह अपने मामलों को किसी के समझ नहीं रख सकते हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे न्यास को 1 जनवरी, 2000 से पूर्व गठित करने की पहल करें और इसे विकलांग बच्चों को नए वर्ष के उपहार के रूप में प्रस्तुत करें जिससे वे बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकें। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस चुनौती को स्वीकार करें और देखें कि यह समिति 1 जनवरी, 2000 से पहले अपना कार्य करना आरंभ कर दें।

2 दिसम्बर, 1999 को हेलन केलर अवार्ड वितरण समारोह में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष ने कहा था:

"नि:संदेह कानून पर्याप्त नहीं है। नि:शक्तता सिर्फ कानूनी या कल्याण संबंधी मामला नहीं है यह मानव अधिकार से संबंधित मामला है। 60 मिलियन निशक्त भी हमारे देश के नागरिक हैं और वह राज्य का कर्त्तव्य है कि उनकी विशेष आवश्यकताओं और उनकी भलाई के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएँ। अधिक आबंटन की आवश्यकता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वर्ष 2000-2001 का बजट प्रस्तुत करते समय इस वास्तविकता में लाए। यह निवेदन श्रीमती सोनिया गाँधी ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के रूप में एक कार्यक्रम में 2 दिसम्बर, 1999 को किया था।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 100 करोड़ रुपये इतने सारे लोगों, जो गांवों में रहते हैं और बहुत अधिक दु:ख का सामना कर रहे हैं, के लिए पर्याप्त नहीं है। खासकर मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में स्थानीय समिति का गठन होना चाहिए। शिवगंगा में काफी विकलांग हैं। ऐसे मानसिक रूप से विकलांग लोग गांवों में रहते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

समिति के गठन के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि खंड 13 में अभिभावकों के प्रतिनिधियों का भी प्रावधान होना चाहिए। अभिभावकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यह केवल पंजीकृत संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए है जबकि अन्य खंड जोकि शीर्ष निकाय से संबंधित हैं, में अभिभावकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस खंड में भी अभिभावकों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

[श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

अध्याय छः में संरक्षक के कर्त्तव्य और संरक्षकता के लिए नियुक्ति हेतु प्रावधान है। इसका पूर्ण रूप से अनुकरण किया जाना चाहिए ताकि संरक्षक बच्चों के हितों की रक्षा कर सके।

अंततः मैं यह निवेदन करूँगा कि इसे लागू करने में उदारता बरती जाए। पूर्ण इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। इसके बाद ही उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह उपलब्धि हमें सच्ची सभ्यता की ओर ले जाएगी जिसमें हम रहते हैं, जिसमें अन्य सभ्य इंसानों द्वारा जिनके पास धन होगा लेकिन साथ ही उनके पास अन्य पीड़ित इंसानों को स्वीकार करने और उनकी सहायता करने के लिए हृदय भी होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों में अपनी रुचि दिखाए और इनके कल्याण हेतु पहल करें। भारत में यह अग्रणी होना चाहिए। वास्तव में, हम वह लोग हैं जो अन्य लोगों के प्रति सेवा का भाव रखते हैं जिन्हें यह अनुभव बिल्कुल नहीं होता कि उनकी देखभाल की जा रही है।

[हिन्दी]

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, जो विधेयक की प्रति हम लोगों को मिली है उसमें सबसे पहले तो नाम का जो हिन्दी अनुवाद हुआ है उसमें भारी भूल हुई है। उसे देखने से वह हास्यास्पद लगता है। शुरू में लिखा है कि "राष्ट्रीय स्वपरायणता", यह नैशनल ट्रस्ट का अनुवाद किया गया है, जो हास्यास्पद है। जिस किसी ने भी हिन्दी का अनुवाद किया है उसने भूल की है। जो "राष्ट्रीय" शब्द सबसे शुरू में है, उसको अन्त में यानी "कल्याण" और "न्यास" शब्दों के बीच में रखना चाहिए। इस प्रकार से यह-स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण राष्ट्रीय न्यास विधेयक, 1999 होना चाहिए। जब नाम में त्रुटि होगी और जब आप लोग टाइटिल इनैक्टिंग फार्मूला इत्यादि पास करेंगी तो वह गलत हो जाएगा। यह ठीक है कि अंगरेजी में तो वह ठीक होगा, लेकिन हिन्दी में गलती होगी। इसलिए इसको सुधारा जाए। जहां कहीं "नैशनल ट्रस्ट" होगा वहां "राष्ट्रीय न्यास" लिखा जाना चाहिए। "स्वपरायणता" के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ना हास्यास्पद है। इसलिए इसके नाम में ही संशोधन की जरूरत है। नंबर एक त्रुटि तो यह हो गई।

महोदया, कोई भी सभ्य समाज, अविकसित या विकासशील मुल्क और जिस समाज में इंसानियत की मर्यादा बची है, उनके लिए यह सोचने का विषय है। जो कोई भी सक्षम व्यक्ति होता है, वह अपनी बुद्धि का विकास कर लेगा, अपनी शिक्षा का विकास कर लेगा।

लेकिन भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से अथवा किसी अन्य कारण से कुपोषण से, कुव्यवस्था से या जिस किसी भी कारण से मानसिक रूप से कमजोर, कमहोश, कमसकून बच्चे पैदा होते हैं। स्वपरायणता भी बड़ी कलिष्ठ हिन्दी है। हमारे ख्याल में औटिज्म को कमहोश, कमसकून कहा जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर इतना लम्बा नाम हमने आज तक किसी विधेयक का नहीं देखा है। इसका नाम स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता, बहुनि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसका संक्षिप्त नाम होना चाहिए। यह प्रयास बहुत अच्छा है, इसकी भावना अच्छी है लेकिन विधेयक को बनाने में लोगों ने खूब ध्यान नहीं दिया है। किसी भी विधेयक का नाम छोटा होना चाहिए। जो मानसिक रूप से कमसकून है, क्या बनाने वाले भी मानसिक रूप से कमसकून हैं? मतलब इसका नाम परसकून आदमी भी न ले सके। सोमनाथ दादा मशहूर वकील हैं। इतना लम्बा नाम पढ़ने में दिक्कत होती है। . . . *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): नाम में क्या रखा है।. . . *(व्यवधान)* आप नाम को छोड़िये।. . .*(व्यवधान)*

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: इस विधेयक का आप क्या नाम बोलेंगे, हमें बता दीजिए। कानून क्या है? नेशनल ट्रस्ट फॉर वेल्फेयर ऑफ पर्सन विद ओटिज्म माने डेफिनेशन आदि सब एक ही में आ गया, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण विधेयक, 1999 मतलब विकलांग और कमहोश के लिए है लेकिन उसका नाम भी इस तरह से दिया गया है। कैसे कोई इसका उच्चारण करेगा?

सभापति महोदय: आपने सुझाव दिया है, मंत्री जी उसे देख लेगी। अब आप आगे बोलिए।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: हम उसका सुधार चाहते हैं। इसका संक्षिप्त और शुद्ध नाम हो जाए। जो अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया गया, उसमें भारी त्रुटि हुई। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या कोई अनुवाद ठीक करें। . . . *(व्यवधान)*

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : नाम से ही शुरूआत है। आम आदमी कैसे बोलेगा। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, आप उधर उत्तर मत दीजिए।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: कानून हमारा बन गया। हम क्या बोलें? इसका नाम बोलने में पढ़े-लिखे लोगों को दिक्कत हो जायेगी। इसलिए कहते हैं कि अपने देश में 6 से 7 परसेंट लोग हैं। उस दिन श्री जसपाल रेड्डी 6 परसेंट कह रहे थे। मानसिक विकलांग, शारीरिक विकलांग, मानसिक कमजोर, मंद बुद्धि आदि सभी तरह के करीब 6 परसेंट लोग हैं यानी 6 करोड़ 42 लाख है। 6 करोड़ से ज्यादा और 7 करोड़ के बीच लोगों ने अनुमान लगाया हैं। मतलब काफी बड़ी संख्या में लोग इस पीड़ा से, इस रोग से ग्रस्त हैं। इनसे समाज में लोग घृणा भी करते हैं। एक तो प्रकृति, खुदा की तरफ से नाराजगी और दूसरा समाज में लोग उनसे घृणा करते हैं। उनके कल्याण के लिए कोई भी विधेयक, कोई भी प्रयास स्वागतयोग्य है और वह प्रशंसनीय कार्य है।

श्री नीतीश कुमार: आप इस पर समर्थन कर दीजिए। काहे को आप भाषण दे रहे हैं।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: इसमें त्रुटि भी है। ऐसा नहीं है कि जो विकलांग है, वह नाकाबिल है। अपने इतिहास में ही देख लीजिए। अष्टावक्र बहुत बड़े विद्वान थे। वे ज्ञान में ठीक शरीर वाले को टिकने ही नहीं देते थे। सूरदास जी, अंग्रेजी के कवि मिलटन अंधे थे लेकिन उनकी प्रतिष्ठा, उनकी क्षमता बलिहारी है। इसलिए विकलांग होने के

चलते समाज में उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता है, उसको रोकने के लिए और उसके कल्याण के लिए कोई भी सार्थक प्रयास स्वागतयोग्य है और उसका हम लोग स्वागत करते हैं। इसके लिए 1995 में कानून बना था और जो छूट गया, वह अभी बन रहा है। हम लोग इसका समर्थन करते हैं। इस तरह के अच्छे काम के हम खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जो विधेयक में त्रुटि है जैसे लिखा गया है कि राष्ट्रीय निकाय का गठन होगा। फिर कहते हैं कि बोर्ड बनेगा। अब यह ट्रस्ट यदि होगा या ट्रस्ट अलग होगा और बोर्ड अलग होगा, यह कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है।

धारा 3 में दिया है कि व्यक्ति न्यास के नाम से एक निकाय का गठन किया जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि एक बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। वह निकाय बोर्ड होगा, ट्रस्ट बोर्ड होगा या ट्रस्ट अलग होगा, बोर्ड अलग होगा, हमें बड़ा कन्फ्यूजन लगता है। इसे देख लेना चाहिए। . . . *(व्यवधान)* ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के परियोजना के लिए 'राष्ट्रीय स्वपरायणता' है, यह हमको बहुत अस्वाभाविक लगता है, राष्ट्रीय अलग होना चाहिए, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण राष्ट्रीय न्यास के नाम से एक निकाय का गठन किया जाएगा। जब निकाय का गठन हो गया तो बोर्ड क्या होगा। आगे है—न्यास के कार्यकलापों और कारोबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध बोर्ड में निहित होगा। जब निकाय का गठन हो गया तो वही बोर्ड हुआ। ट्रस्ट बोर्ड हुआ तो अलग से निकाय का गठन होगा, फिर बोर्ड का गठन होगा, हमको लगता है कि एक ही बात को कहीं निकाय कहा गया है और कहीं बोर्ड कहा गया है। इसलिए कानून साफ और स्पष्ट होना चाहिए।

यह कहा गया हैं कि लोकल लैवल कमेटी बनाई जाएगी। लोकल लैवल कमेटी में एरिया नहीं बताया गया है। कहा गया है कि उस समय विचार होगा कि एरिया क्या होगा। यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रैंक अथवा डिस्ट्रिक्ट कमीशनर कमेटी का प्रेसीडैंट होगा। हम जिले का एरिया माने, कमीशनरी एरिया माने या और छोटा कुछ एरिया मानें। हम देख रहे हैं कि इसमें वह भी स्पष्ट है। हमको लगता है कि जो एकक संबंधी नियमावली का निर्माण होगा, उसमें इस पर विचार किया जाएगा और सुधार किया जाएगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि जो सौ करोड़ रुपये मिलने हैं, उससे ये विकलांग और मानसिक रूप से कमजोर लोगों की कैसे मदद करेंगे। छः या सात करोड़ लोगों के लिए सौ करोड़ रुपये बहुत कम हैं, यह हमको लगता है। जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग तरह-तरह के विकलांग लोगों को ले आते हैं। यह पहले से है कि विकलांग का सैर्टीफिकेट चाहिए। वह विलांग का सैर्टीफिकेट लेने के लिए दौड़ता रहता है। कहा जाता है कि फोटो खिंचवाइए, फार्म लगाइए। यह सारी प्रक्रिया बहुत उलझनपूर्ण है जिससे विकलांग की मदद के बजाए ज्यादा परेशानी हो जाती है। देश में सात करोड़ विकलांग लोगों के कल्याण के लिए एक सहज प्रक्रिया का होना आवश्यक है जिससे उनको कुछ मदद मिल सके और समाज में सम्मान मिल सके । तीन प्रतिशत नौकरी वाला मामला कहीं लागू नहीं होता। बेचारे विकलांग लोग दौड़ रहे हैं लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। अच्छे व्यक्ति को देखने वाला कोई नहीं है तो इस सरकार और इस राज में विकलांग को क्या पूछेगा। माननीय मंत्री जी हैं, हम नहीं जानते कि इनकी नजर में इंसान की क्या कद्र है लेकिन मैं सुनता हूं कि ये जानवर, कुत्ते, बिल्ली की देखभाल के लिए ज्यादा करती है। ये हमारे यहां गई थी। अखबार में निकला था कि इन्होंने गधे की छान खुलवा दी थी। देहात में धोबी लोग गधे को चरने के लिए छोड़ देते हैं। इन्होंने खुलवाकर उसे आजादी दिलवा दी। धोबी बेचारा खोज रहा होगा। हम समझते हैं कि प्राणी के लिए ज्यादा उदार, ज्यादा करूणा, ज्यादा महत्व दिया जाए। उसके बाद और ज्यादा कोई उदार है तो जानवर और कुत्ते बिल्ली की भी हिफाजत की जाये, लकिन मनुष्य प्राणी इन्सानियत को कम करके कुत्ते बिल्ली पर ज्यादा ध्यान दें, यह सोच हमको अच्छी नहीं लगती है। सम्पूर्ण प्राणी मात्र पर करूणा की भावना को मानवता कहते हैं और इसमें यह होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि व्यवहार में इंसान के लिए एक बढ़िया कहावत है, दिनकर जी ने कहा, 'खानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं'। बड़े लोगों के घरों में कुत्ते दूध भात खा रहे हैं और गरीब आदमी के बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है तो विकलांग को कौन पूछेगा। यह सोच और यह दृष्टि जो इंसान है जो मनुष्य प्राणी है, विकलांग भी है, उसके लिए समाज, सरकार और हम सभी जिम्मेदारी लें कि यदि भगवान खुदा के घर से वह बदकिस्मत है तो हम उनके लिए ऐसी व्यवस्था करें कि दुनिया में, विश्व में सभ्य समाज या सभ्य सरकार कही जाये, नहीं तो जिस समाज में इन्सानियत की कदर नहीं है, वह समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता, विकसित तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस हिसाब से इस विधेयक की जो दृष्टि है, दिशा है, भाव है, इससे हम सहमत हैं, लेकिन इसको लागू करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव लगता है और इसपर कम ध्यान दिया जा रहा है, कम खर्च किया गया है। इसलिए ज्यादा खर्च हो और ठीक ढंग से इसको इम्प्लीमेंट किया जाये, जिससे उनको सहुलियत हो और कल्याण के लिए सहयोग मिल सके।

यही मैं अपेक्षा करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि अभी भी सात लोग हैं जो बोलेंगे और 5.30 बजे आधे घंटे की चर्चा भी ली जायेगी। मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि कृपया संक्षेप में बोलें क्योंकि सभी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं और कोई संशोधन नहीं है। अगर आप कृपया संक्षेप में बोलें और अपनी बातों को दोहराए नहीं तो यह अच्छा होगा। मंत्री जी इसे समाप्त करने के इच्छुक हैं क्योंकि इस विधेयक को राज्य सभा में भी जाना है।

श्री राम मोहन गाड्डे (विजयवाड़ा): अध्यक्ष महोदया, भारत अहिंसा के संदेशवाहक महात्मा गाँधी का देश है। इसका अर्थ है कि न केवल जाति और धर्म अनुयायियों के मध्य बल्कि स्वस्थ्य मनुष्य और विकलांग मनुष्यों के मध्य भी कोई भेद नहीं किया जाए लेकिन इसके विपरीत, भारत में प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए मुश्किल से ही कोई सुविधा उपलब्ध है।

भारत में मानसिक मंदता के शिकार और विकलांग व्यक्तियों की हालत बहुत खराब है। देश मानसिक कमियों और बीमारियों की पहचान करने और उनके पुनर्वास के क्षेत्र में बहुत पीछे है।

[श्री राम मोहन गाड्डे]

अपराह्न 5.24 बजे

[डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

अधिकांशत: मानसिक रूप से विकलांग या अन्य विकलांग लोगों के अभिभावकों को समस्या की पूर्ण समझ ही नहीं होती है, इसलिए विकलांगों के लाभप्रद रोजगार के संबंध में तो क्या बोला जाए। कुछ विकलांग ऐसे हैं जो बौद्धिक रूप से सजग हैं, इसके बावजूद भी इन्हें रोजगार से वंचित रखा जाता है क्योंकि मालिक की यह चिंता है कि अगर इन्हें कार्यस्थल पर लगाया गया तो उत्पादन में संभवत: कमी होगी। इसके कारण वे परिवार व समाज पर बोझ बने हुए हैं।

वर्तमान में परिवार की समस्या को पूर्ण समाज के मुद्दे में बदल देना चाहिए ताकि संयुक्त रूप से प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए कुछ कार्यवाही की जा सके।

देश में वर्तमान आधारभूत सुविधाएं बहुत सीमित हैं इसलिए इन व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना कठिन है। जैसा कि राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक सरकार की ओर से एक स्वागतयोग्य कदम है क्योंकि इस प्रकार के न्यास मानसिक मंदता के शिकार व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार करेंगे जिससे वह प्राथमिक और तृतीय श्रेणी के कार्यों में भाग ले सकें। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय न्यास का गठन करने के प्रयासों के अलावा सरकार को मानसिक मंदता और निशक्त व्यक्तियों के लिए संबंधित कार्यों में प्रशिक्षण देने के लिए कुछ संस्थान खोले जाने चाहिए, न कि किसी विशेष कार्य के लिए।

ऐसे उपायों में नवीकरण करने को बढ़ावा दिया जाता है जिसके लिए धन की भी आवश्यकता होती है और ऐसे न्यासों से इस मामले में सहायता मिलेगी।

इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस न्यास से मानसिक रूप से मंदबुद्धि और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों की समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी।

मैं अपनी तेलुगु देशम पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर): सभापति महोदय, मुझे एक तमिल पोएट की बात याद आ रही है, जिन्होंने लिखा था :

[अनुवाद]

मनुष्य के रूप में जन्म लेना भाग्य की बात है और बिना किसी अपंगता के जन्म लेना और भी अधिक भाग्य की बात है।

अभी-अभी आपने अपने भाषण में अष्टावक्र का जिक्र किया था। मैं भी अपने भाषण की शुरूआत वहीं से कर रही हूँ। जब जनक के दरबार में अष्टावक्र ने प्रवेश किया था, तब सारे सभासद उस पर हंस रहे थे। तब दो श्लोक अष्टावक्र ने बोले थे, जो आज के समय में भी बहुत मौजूं हैं। उन्होंने कहा था जब गुस्से में उनकी तरफ देखा कि राजा इनकी तरफ क्रोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरे शरीर में जो आठ जगह से तोड़ा-मरोड़ा गया है, और ये हंस रहे हैं, मैं इनको चर्मकार से ज्यादा कुछ नहीं समझता। लेकिन इसके साथ-साथ मैं अपने माँ-बाप के प्रति और अपने गुरू के प्रति आभारी हूँ कि मेरा शरीर जो इसके लिए जिम्मेदार है या तो ईश्वर जिम्मेदार है या कोई और, लेकिन मेरे मां-बाप और मेरे गुरू ने मुझे शिक्षा दी, ताकि आठ वर्ष की उम्र में मैं आपके दरबार में आ सकूँ। तीसरा प्रश्न वह राजा की तरफ उछालते हैं कि मुझ से पूछिए कि आप दरबार में क्यों आए। उत्तर भी स्वयं देते हैं कि एक संवेदना का सागर आपके हृदय में है। आज जरूरत इस बात की है कि जो डिसएबल्ड हैं, उनमें संवेदनशीलता है। मूक पशु-पक्षियों की वाणी सुनने के बाद आपने इस तरफ रुख किया है तो हमें पूरा विश्वास है कि इस ट्रस्ट के साथ-साथ बहुत कुछ यहां गुजरेगा। लेकिन दो रूपों में हमें इसको देखना पड़ेगा। मेंटली रिटार्डेड और मल्टीपल डिसएबल्ड। उस दृष्टि से भी तीन भागों में इनका विभाजन करना पड़ेगा, एक तो बच्चे, दूसरे एडल्ट और तीसरी महिलाएं। मुश्किल यह होती है जब हम डिसएबल्ड की बात करते हैं तो सबको एक ही श्रेणी में ले लेते हैं। बच्चों को यदि शुरू में निदान मिलता, उनका बचपन कुछ अंशों में उनको लौटा दिया जाए तो वे आगे चलकर अपना जीवनयापन कर सकते हैं। लेकिन शुरू से ही जैसा कि मुझे मालूम है लोजन ने अपनी किताब 'कंडेमंड मीन' लिखी थी। उस किताब की प्रिफ्रेंस में उन्होंने लिखा कि जब मैंने टूटे पैरों और हाथों से अपने घर में जन्म लिया, उस वक्त से लेकर, स्कूल तक के दरवाजे और उसके बाद की जिंदगी भी मुझे अभिशापित मिली। यदि मुझे बचपन सही मिल जाता तो आज जो मैं लेखक के रूप में उभर कर आया, सम्भवत: 20 वर्ष की उम्र में नोबल पुरस्कार ले लेता। मुझे पता नहीं उनकी बात कहां तक ठीक थी। लेकिन बच्चों की विकलांगता के सम्बन्ध में मां-बाप में कोई अवेयरनेस नहीं है, वे उसको अभिशापित समझकर विशेषकर गांव के इलाके में, जहां से आप आते हैं, वहां तो इसे कोई रोग समझ लेते हैं और इसके निदान के लिए मंदिर वगैरह में जाकर इतिश्री कर लेते हैं। अभी जिक्र हो रहा था, आपने भी कहा था कि सात करोड़ में से केवल एक लाख को नौकरी दे पाए हैं, लेकिन पांच लाख ऐसे हैं जिन्हें कुछ साधन मिले होंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि बच्चों के लिए अलग से योजना बनाएं और उनके बचपन के छोटे से संसार में उनको ढालने की कोशिश करें।

मैं खासकर महिलाओं का जिक्र करना चाहूँगी। दोनों ही स्थितियों में चाहे वह शारीरिक रूप से दुर्बल हो या मानसिक रूप से दुर्बल हो, विशेषकर मानसिक रूप से हम कितनी ही महिलाओं को देखते हैं जो अपनी असुरक्षा के कारण मातृत्व तो झेल लेती हैं, लेकिन उनको घर में नहीं रख सकते। महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं बनाकर लाएं। व्यवस्था की दृष्टि से आर्थिक व्यवस्था आवश्यक है। मैं आपका बिल देख रही थी और आपके स्टेटमेंट को पढ़ रही थी। उसमें आर्थिक व्यवस्था का जिक्र ज्यादा नहीं है। यह जिक्र है कि उनके अभिभावकों की मृत्यु के बाद उनको लेने की कोशिश की जाएगी। मेरा प्रश्न है कि उनकी प्रोपर देखभाल की जाएगी या टोटल देखभाल की जाएगी। इस सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं है। जब उसके अभिभावकों की मृत्यु हो जाए, तब टोटल केयर का जिक्र किया जाना चाहिए, अन्यथा प्रोपर केयर का जिक्र किया जाना चाहिए।

इसी तरह से सामाजिक संरक्षण की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनके अभिभावकों और उनके गुरुओं तथा स्वयं को समझना आवश्यक है। सुरक्षा की दृष्टि से सोशियल सिक्योरिटी आवश्यक है। सरकार ने इस संबंध में नया कानून बनाया है।

महोदय, मैं अधिक बात न कहते हुए, इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। संवेदनात्मक दृष्टिकोण से घर-परिवार के लोगों को एवेयर करना आवश्यक है। कड़ा कानून आवश्यक है और इसके साथ-साथ सरकार का संरक्षण तथा राजनैतिक निदान आवश्यक है। यदि आपके अन्य कानूनों की तरह भी यदि आपमें राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो यह कानून भी बेकार साबित होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि जो परिवार में सुप्त अवस्था में है, उसे समग्र दृष्टि से सरकार और सामाजिक संस्थाओं तथा उसके साथ-साथ सभी लोगों का इसमें सहयोग मिले और इस बिल का भी संरक्षण मिल जायेगा तो अपाहिजों के कल्याण की दृष्टि से यह एक अच्छा बिल होगा। मैं इसका समर्थन करती हूँ। माननीय मंत्री महोदय जिस प्रकार से बेजुबानों को जुबान देने की कोशिश कर रही हैं, वे अपनी इच्छा शक्ति से इस बिल को शक्ति दे पायेंगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ।

अपराह्न 5.32 बजे

आधे घंटे की चर्चा

शिशु देखभाल और सुरक्षित मातृत्व के लिए धनराशि

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): सभापति महोदय, इस 23 नवम्बर को एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम जो अब प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से 15 अक्टूबर 1997 से जाना जाता है, के अन्तर्गत तीन वर्षों में देश के सभी जिलों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जायेगा। इस आरसीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन और जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य तथा यौन संबंधी बीमारियों की रोकथाम पर लगभग 5112.53 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नौवीं पंचवर्षीय योजना में एक बिलियन अमरीकन डालर विदेशी आर्थिक सहायता इस कार्यक्रम पर खर्च की जायेगी। प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह भी स्वीकार किया है कि गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रांतों को आर्थिक अनुदान भी दिया गया। भाग (ग) के उत्तर में माना है कि राष्ट्रीय एवं राज्यीय स्तर पर समीक्षा होती है और केन्द्र से दल भेजे जाते हैं और साथ ही साथ जिला स्तर पर भी समीक्षा होती है। मैंने अनुपूरक प्रश्न पूछ कर कुछ जानकारी चाही थी लेकिन मुझे खेद है कि वह जानकारी मुझे माननीय सदन में नहीं मिल पायी। इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया और मुझे आधे घंटे की चर्चा की अनुमति मिली है, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, यह सही है कि आरसीएस कार्यक्रम के अंतर्गत करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इस राशि का सदुपयोग तभी सही है जब इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो और पर्याप्त स्टाफ हो। मंत्री महोदय ने माना है कि अस्पताल और स्टाफ से संबंधित विषय राज्यों का है। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूँ। जब सारा का सारा पैसा केन्द्र से अनुदान के रूप में जाना है तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को पूरा अधिकार है कि वह इस कार्यक्रम की जानकारी प्रदेशों से ले। जो प्रदेश अच्छा काम करें, उनको प्रोत्साहित करें और जो सही काम नहीं करते हैं उनको दंडित करें और यह आवश्यक हो कि उनकी जवाबदेही हो।

मंत्री जी ने यह भी कहा कि समय-समय पर सर्वेक्षण होता है। मैंने जानना चाहा था कि इस सर्वेक्षण का परिणाम क्या है, वह उत्तर मुझे नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी आज उसे विस्तार से बताएंगे कि उसका क्या परिणाम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1998-99 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार मात्र मृत्यु की दर 200 से 250 गर्भ धारणों पर औसतन एक महिला दर्शाई गई है, जो विकसित देशों की तुलना में 40-50 गुना अधिक है और शिशु मृत्यु दर 24.2 प्रतिशत बतोई गई है।

महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में घरों में प्रसव करवाए जाते हैं तथा ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए परामर्शी सेवाओं की भी कमी है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में अनेकों जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ही नहीं हैं। स्टाफ की कमी है, विशेषकर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा कमी है। रोगी के लिए ठीक से कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं पर लेबर रूम नहीं है, इस प्रकार की अनेकों कमियां हैं।

महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी एवं सारे सदन के समक्ष कुछ सुझाव रखना चाहूँगा, यदि उचित समझें तो आरसीएच कार्यक्रम के अंतर्गत इनका समावेश किया जाए। कोई भी स्वास्थ्य संस्थान खोलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए—चाहे सब सेंटर हों, पीएचसी हो या सीएचसी हो। वर्तमान में केवल जनसंख्या को आधार माना जाता है। मेरे विचार से केवल जनसंख्या आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी आधार होनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य सुविधा जनसाधारण तक पहुंच सके। मैं हिमाचल प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,000 स्कवेयर किलोमीटर है। वहां जनसंख्या लगभग 60 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन सब-सेंटर, जो कि केन्द्र सरकार की योजना है, उप स्वास्थ्य केन्द्र, उनकी संख्या केवल 2069 बैठती है अर्थात् 2900 लोगों के लिए एक सब-सेंटर है। वहां जो काम करने वाले हैं, उन्हें 26.7 स्कवेयर किलोमीटर में घूमना पड़ता है। जहां सड़क भी नहीं है तो वे कैसे घर-घर तक पहुँच सकते हैं। सरकार ने दो वर्ष में दो बार टीकाकरण कार्यक्रम बनाया, यह सराहनीय है। रिकार्ड में कहा जाता है कि यह टीकाकरण 90 प्रतिशत हो रहा है, लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे कि यह बात सत्यता से दूर है। यह कहां संभव है कि एक सब-सेंटर में लगा हुआ स्वास्थ्य कार्यकर्ता 26 स्कवेयर किलोमीटर के एरिया में घूम सके। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, होम्योपैथी के अनेकों औषधालय, डिस्पैंसरियां हर जगह खोली हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह जो टीकाकरण का कार्य है वह केवल स्वास्थ्य कर्मचारी से, जो

[श्री महेश्वर सिंह]

कि सब-सेंटर में लगा है उससे ही क्यों लिया जाता है। अगर आपके पास स्टाफ की कमी है तो यह कार्य जो आयुर्वेद, होम्योपैथी सब-सेंटर या डिस्पेंसरियों में लगे हुए हैं, उनसे क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि उनका उस एरिये में जाना संभव होगा और सरल रहेगा। गांव में सब-सेंटर, पीएचसी डिस्पेंसरी और सीएचसी में भवन की पर्याप्त सुविधा नहीं है। जैसे मैंने प्रारम्भ में कहा कि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं घर में प्रसव करती हैं, उसका कारण यह है कि वहां कोई प्रसूति कक्ष नहीं है।

महोदय, मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि जो सीएचसी कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत कम से कम जो हमारे प्राइमरी हैल्थ सेंटर हैं, वहां सबसे पहले प्रसूति कक्ष बनाने का निर्देश दें ताकि इस पैसे का सदुपयोग हो।

इसी प्रकार महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि गांवों में आज ट्रेंड दाई भी नहीं हैं। जब इनका चयन होता है तो या तो जिला या प्रदेश स्तर पर होता है। यह महिला कार्यकत्री है और यह फिर उन दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाती नहीं हैं। आज इनका बहुत ज्यादा अभाव है। क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम हर गांव में एक स्थानीय महिला को प्रशिक्षित करके, उसे पूरी किट देकर सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए ताकि वह गांव-गांव में जाकर घर में प्रसव कराने वाली महिलाओं की सहायता कर सके। यह महिला कार्यकत्री उस गांव की बहू होनी चाहिए न कि उस गांव की कन्या। मैं अनुभव से कह रही हूं कि वह शादी होने के बाद जब दूसरे गांव में चली जाती है तो वहां फिर दाई का अभाव हो जाता है। उसका लाभ उस गांव को नहीं हो पाता है। मुझे विश्वास है कि आज मंत्री महोदय एक विस्तृत जवाब देकर हम सब की और इस माननीय सदन की संतुष्टि करवायेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि शायद वे भारत के गांवों की परम्पराओं से भलिभांति परिचित नहीं हैं। जब तक उप-स्वास्थ्य केन्द्र छोटे गांवों में नहीं थे तब तक वहां कोई न कोई पुरानी दाई वहां प्रसव कार्य कराने में बड़ी चतुर और निपुण होती थी और गांव के लोग अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा अनुसार उसको ईनाम और पारिश्रमिक दिया करते थे। लेकिन जब से ये केन्द्र खुले हैं जिनको केन्द्र सरकार सारा खर्चा और किट दे रही है, चाहे आरसीएच कार्यक्रम हो या सीएफसी कार्यक्रम हो, मातृत्व और शिशु कल्याण केन्द्र के माध्यम से सरकार सारा खर्चा दे रही है तो यह भी निश्चित होना चाहिए कि जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर प्रसूति गृह तथा प्रसूति कराने वाली नर्सें अवश्य हों। गांवों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता जाते नहीं हैं। अगर उनका गांवों में ट्रांसफर हो जाता है तो भी वह केवल हाजिरी भरकर वापस शहरों में आ जाते हैं। इसलिए मॉनिटरिंग और निरीक्षण का काम भी केन्द्र सरकार कराये। छोटी-छोटी इकाइयों के लिए किट के माध्यम से जो अनुदान दिया जा रहा है, उसका भी निरीक्षण कराया जाना चाहिए कि उनका उपयोग सही प्रकार हो रहा है या नहीं। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अपने स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था कराये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री आज सदन को आश्वस्त करेंगे कि सरकार अपने स्तर पर भी इस आरसीएच, सीएफसी और मैटरनिटी और चाइल्ड वैलफेयर के कार्यक्रम को मॉनिटरिंग करने के लिए विशेष ध्यान देगी। साथ ही जो परम्परागत गांव में दाईयां होती थी उन्हीं को दाईयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या सरकार आवश्यक कदम उठायेगी।

डॉ॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा शिशु जीवन रक्षा और मातृत्व सुरक्षा के अन्तर्गत जो पैसा दिया गया उसका जिस प्रकार से नीचे तक उपयोग होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। एक ऐसी एजेंसी नियुक्त होनी चाहिए जो यह देखे कि इस पैसे का ठीक उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार को जो पैसा दिया गया, क्या आपने उसका निरीक्षण कराया कि उसका उपयोग ठीक हो रहा है? क्या आपके पास ऐसी एजेंसी है या नहीं है।

दूसरा निवेदन यह है कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिस प्रकार प्राइमरी हैल्थ सेंटर से नीचे तक जाकर गांव में जो दाइयों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी आज व्यवस्था नहीं है। वहां प्राइमरी हैल्थ सैंटर नहीं हैं। उपस्वास्थ्य केन्द्रों में मिड वाइव्स और नर्सों के रहने और ठहरने की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए। उस पैसे का ठीक से सदुपयोग हो, इसके बारे में राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएं। आप पैसा देते हैं लेकिन मिड वाइव्स नहीं होती हैं। मध्य प्रदेश में उपस्वास्थ्य केन्द्र बहुत संख्या में बन कर तैयार हैं लेकिन ताले लगे हैं। यहां से पैसा जाता है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। मिड वाइव्स के साथ सहायक मिड वाइव्स रखने की बात कहीं गई थी। शिशु प्रजनन और बाल स्वास्थ्य की बात नहीं है। मातृत्व सुरक्षा की दृष्टि से व शिशु जीवन रक्षा के लिए भी यह जरूरी है। अगर मिड वाइव्स नहीं हैं तो सहायक मिड वाइव्स को रखें और उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। राज्य स्तर पर इनकी ट्रेनिंग की ठीक पूरी तरह व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नीचे जाकर काम करें, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आज यह केवल कागजों में है। उपस्वास्थ्य केन्द्रों में निश्चित रूप से मिड वाइव्स हों। इसके लिए राज्य सरकारों को जो पैसा दिया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए करोड़ों रुपया दिया जाता है लेकिन उसका ठीक उपयोग नहीं होता। मुझे इतना ही कहना था। कृपया मंत्री जी इनका उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या निशक्त व्यक्ति हेतु राष्ट्रीय न्यास विधेयक संबंधी चर्चा का उत्तर मंत्री जी कल देंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इसके बाद विधेयक पर बहस होगी।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० टी० चणमुगम): सभापति महोदय, आर. सी. एच. कार्यक्रम के लिए सरकार ने 1535 करोड़ रुपये और अन्य दाता देशों ने 3577 करोड़ रुपये का योगदान किया है। इस प्रकार वर्ष 1997 से 2002 की अवधि के लिए आर० सी० एच० के लिए कुल परिव्यय लगभग 5112.53 करोड़ रुपये है। माननीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में कोई नर्स और मिड-वाइफ उपलब्ध नहीं है और सरकार को पूरा अधिकार है कि राज्य सरकारों से कहे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सेवाएं प्रदान करे। महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में उप केन्द्रों में हम ए०एन०एम० और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए वेतन दे रहे हैं। हालांकि अस्पताल बनाना और इसके कर्मचारियों की भर्ती करना राज्य सरकारों का काम है। हम अधिक जरूरतमंद और पर्याप्त सुविधा रहित क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाफ प्रदान करने के लिए निधियां भी दे रहे हैं। उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हम उन्हें ठेका आधार पर नर्सों की भर्ती करने के लिए भी अनुमति दे रहे हैं। प्रसव के समय गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किट क और फिर ख नामक दो किटें जारी कर रहे हैं।

भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा निधियों के उपयोग की भी निगरानी कर रही है। मैं केवल आंकड़े दे रहा हूं।

प्रो० रासा सिंह रावत: महोदय, माननीय मंत्री को केवल सटीक उत्तर देना चाहिए।

श्री एन० टी० चणमुगम: जी हां, मैं उत्तर दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह: सभापति महोदय, सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है लेकिन हमारे प्रश्न हैं, उसका जवाब आना चाहिये नहीं तो इस आधे घंटे की चर्चा का क्या अर्थ है? हमने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनका जवाब आना चाहिये।

[अनुवाद]

उन्हें उन सवालों का उत्तर देना चाहिए। जो ब्यौरे वे अब दे रहे हैं वे हमारे पास पहले से ही हैं।

श्री० एन० टी० चणमुगम: महोदय, भारत सरकार यह देख रही है कि राज्यों को आवंटित किया गया धन उनके द्वारा सही ढंग से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। आंध्र प्रदेश का ही उदाहरण लीजिए। 1997-98 के दौरान उन्हें कुल 266.33 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। उन्होंने उसमें से केवल 86.60 करोड़ रुपये ही उपयोग किए थे। इसका अर्थ है कि उन्होंने उन्हें जारी की गई कुल निधि का केवल 25 प्रतिशत ही उपयोग किया था।

महोदय, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की राज्य सरकारों द्वारा निधियों के उपयोग का भी वही हाल है। उन्होंने भी केन्द्र द्वारा दी गई कुल राशि का केवल 25 प्रतिशत ही उपयोग किया था।

इसी प्रकार, अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, चंडीगढ़, दमन और दीव की राज्य सरकारें ने भी उन्हें निर्धारित कुल निधि का 25.50 से 30 प्रतिशत तक ही उपयोग किया। परन्तु मिजोरम उन्हें दिए गए धन का 75 प्रतिशत तक खर्च कर सका है।

महोदय, माननीय सदस्यों ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वास्तव में, इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। हम अस्पतालों के निर्माण, लेबर रूम और लेबर कार्य से संबंधित अन्य खरीद कार्यों के लिए धन दे रहे हैं। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों को मजबूत बनाने के लिए भी जोर दे रहे हैं। इस कार्य के लिए हम प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये दे रहे हैं। मुख्य बात यह है कि राज्य सरकारों को अपनी योजनाओं के साथ आगे आना चाहिए और यह बताना चाहिए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों को बढ़ाने और विकास करने के लिए उन्हें कितने धन की आवश्यकता होगी। प्रति वर्ष आर०सी०एच० के आधार पर हम राज्य सरकारों को सहायता दे रहे हैं। मूल स्कीम थी "बाल जीवन और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम।" उस योजना के अंतर्गत, पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में जन्म के समय प्रसव परिचारिकाओं को प्रसव के समय गर्भवती महिला की सहायता करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था। परन्तु अब यह काम गैर सरकारी संगठनों को सौंप दिया गया है। अब वे प्रसव परिचारिकाओं को ऐसे प्रशिक्षण देंगे।

कुछ सदस्यों ने कहा कि अधिक जनसंख्या के कारण हम हर जगह जाकर बड़ी संख्या में होने वाली गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और सहायता नहीं कर सकते। महोदय, इस संबंध में भी हम निधियां प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकारें ठेका आधार पर नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर सकती है। गर्भवती महिलाओं की देख रेख के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला डाक्टरों की अनुपलब्धता के कारण प्रसव और गर्भवती महिलाओं के लिए ठेका आधार पर महिला डाक्टरों की भर्ती के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं। हम प्रत्येक डाक्टर को 200 रुपये, प्रत्येक, नर्स को 100 रुपये और प्रत्येक सहायक को 50 रुपये दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह: डाक्टर तो बहुत बड़ी चीज है। हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रेन्ड दाई हैं वह गांव की किसी महिला को बनाएंगे ताकि घरों में जो प्रसव होते हैं वहां जाकर गर्भवती महिला की सहायता हो सके?

दूसरा हमने जानना चाहा था कि जो एच सेन्टर खोले थे, इनके लिए केन्द्र से फाइनेन्स जाता है। मंत्री महोदय विवरण दे रहे हैं कि इन प्रदेशों ने पूरा खर्च नहीं किया। मैं जानना चाहूंगा कि सर्वेक्षण के बाद क्या सरकार ऐसे निर्देश इन प्रांतों को देगी कि इन क्षेत्रों के लिए अधिक सब सेन्टर खोले जाएं और जो लोअर स्टाफ है उसकी ज्यादा भर्ती की जाए? डाक्टर न जाने कब इन दुर्गम क्षेत्रों में जाएंगे? वहां डाक्टर जाते ही नहीं हैं। वहां ट्रेन्ड दाई होगी।

सभापति महोदय: अभी कहना बाकी है।

श्री महेश्वर सिंह: फिर आप कहेंगे कि आधा घंटा हो गया।

श्री रासा सिंह रावत (अजमेर): आप निर्देश दिलवाएं कि सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों तक जाएं ताकि प्रभावी ढंग से कार्यक्रम हो सके।

सभापति महोदय: जवाब सुन लीजिए।

डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि मध्य प्रदेश में 25 प्रतिशत ही व्यय हुआ है। कोई ऐजेन्सी है जिससे आप चेक कर सकें कि पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा है और जो खर्च हुआ, मेरा कहना है कि यह भी ठीक से खर्च नहीं हुआ। किस प्रकार से रिमोट एरियाज में यह सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके बारे में कोई ऐजेन्सी है? अगर नहीं है तो केन्द्रीय ऐजेन्सी स्थापित करें ताकि पैसे का यूटिलाइजेशन हो सके।

[अनुवाद]

श्री एन०टी० चणमुगम: आर. सी. एस. कार्यक्रम का उपयोग सामुदायिक आवश्यंकता के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। यह सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन क्या है? ए. एन. एम. एल. उस क्षेत्र में जाकर पता लगाएगा कि किन-किन चीजों की आवश्यकता है। वह प्रत्येक ऐसे घर में जाएगी जहां वह काम कर रही है और यह पता लगाएगी कि बच्चे के लिए किस-किस सामान की आवश्यकता है। समुदाय और गैर सरकारी संगठनों से परामर्श करके वह जिला मुख्यालयों को इसकी रिपोर्ट देगी। जिला मुख्यालयों से यह राज्य सरकारों को पहुँचेगी। राज्य सरकार उस क्षेत्र की सामूदायिक आवश्यकताओं को पूरा करने की योजनाएं बना रही है। हम केवल उसी आधर पर राज्य सरकार को आवंटन कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि क्या वे सुदूर और जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे। पहले हम यह काम 1990 से 1997 तक, शिशु देखभाल और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत कर रहे थे। जब यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो महिला सेवक को प्रसूती के समय संबंधी प्रशिक्षण दिया गया था। अब हमने यह काम गैर सरकारी संगठनों को सौंप दिया है।

मैं इस कार्य के लिए राज्यों को दी गई राशि और ग्रामीण दोनों में अनुसूचित जनजाति के लोगों को अतिरिक्त ए. एन. एम. के प्रावधान का ब्यौरा देना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह: सभापति महोदय, पैसे की जानकारी हमें नहीं चाहिए। वह पहले ही रेकार्ड में दी हुई है। मूल प्रश्न चार-पाँच थे। क्या जो इस प्रकार के दूरगामी क्षेत्र हैं, प्रांतीय सरकारों को ऐसे निर्देश देंगे कि वहां पर मिडवाइफ्स की भर्ती करें और स्थानीय महिलाओं को ट्रेन्ड करें, उनको सरकारी नौकर घोषित करें ताकि वे यह काम करें। क्या आप लेबर रूम प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स में बनाना सुनिश्चित करेंगे? यह जानकारी हम चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि आपका अधिकार है, आप सर्वे भी कराते हैं तो उनको निर्देश भी दे सकते हैं कि यह कार्य करें और इस पैसे का यूटिलाइजेशन हो।

सांय 6.00 बजे

[अनुवाद]

श्री एन. टी. चणमुगम: माननीय सदस्य ने एक अच्छा सुझाव दिया है। हम ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए इस सुझाव पर विचार करेंगे। हम इस पर विचार करने के बाद इसकी व्यवस्था करेंगे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हमने कुछ प्रशिक्षित की हैं, हमारे पास प्रशिक्षित नर्सेज और मिड वाइव्स हैं और आप गुड सजेशन दे रहे हैं, आप विरोधाभासी सटेटमैंट दे रहे हैं। . . . *(व्यवधान)*

श्री महेश्वर सिंह: मेरा रोगी वाहन के बारे में एक सुझाव है कि जो रोगी वाहन की सुविधा उपलब्ध करनी है, अगर उसके लिए प्रांतीय सरकारें गाड़ियां नहीं खरीदती हैं तो उन्हें यहां से गाड़ियां खरीदकर भेज देनी चाहिए।

सभापति महोदय: सब सुझावों को देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर अमल करने के लिए पहले ही तैयार हो चुके हैं।

डा० राम चन्द्र डोम (बीरभूम): मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सभी माननीय सदस्यों के सुझावों को देखेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदय, मंत्री जी ने माननीय सदस्यों के सुझावों को मान लिया और उन्हें लागू करने का आश्वासन दिया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका नाम लिस्ट में नहीं है।

[अनुवाद]

डा० राम चन्द्र डोम: चूंकि मैं एक डाक्टर हूँ इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा।

इस प्रकार कार्यक्रम की सफलता पूरी तरह परम्परागत दाइयों पर निर्भर करती है। इन परम्परागत दाइयों के प्रशिक्षण की स्थिति क्या है? इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। आप इस कार्यक्रम पर पूरी तरह ध्यान दें। अन्यथा, सुरक्षित मातृत्व नहीं हो पाएगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप आसन ग्रहण कीजिए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है।

सदन की अवधि बढ़ाने के लिए यदि सभा की सहमति हो तो समय बढ़ाया जाए। चूँकि विधेयक पर अभी बहस चल रही और अभी थोड़ी बहस बाकी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदय, विधेयक पर जो चर्चा चल रही है, वह आधा घंटे की चर्चा के रूप में थी, मेरे ख्याल से विधेयक पर चर्चा सम्पूर्ण होने और रिप्लाई होने तक हाउस का समय बढ़ा दिया जाए। शेष बिजनेस कल किया जाए।

सभापति महोदय: इस बिल के पास होने तक हाउस की अवधि बढ़ाई जाती है।

सायं 6.02 बजे

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक—*जारी*

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति जी, आदरणीय मेनका जी के द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक, 1999 का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह विधेयक वास्तव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक है और मेनका जी इसे बहुत कम समय में ही ले आई हैं। यद्यपि पहले की सरकारों के समय में भी इस पर बहुत चिंतन हो चुका था, लेकिन देर आयद, दुरूस्त आयद, मैं इसका स्वागत करता हूँ और इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। विकलांगों के कल्याण के लिए कानून तो बहुत बने और जैसा कहा गया कि हमारे देश में लगभग नौ करोड़ लोग विकलांग हैं और उनमें मानसिक विकलांगों की संख्या भी करीब दो करोड़ हैं। इस बिल की विशेषता यह है कि इसमें स्वपरायणता को परिभाषित कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि विषम कौशल विकास की वह अवस्था जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के सम्प्रेषण और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करता है और इसके साथ-साथ प्रमस्तिष्क घात का जो विषय है उसके बारे में भी डिलीवरी के समय या प्रसवकाल के दौरान या बालावधि में जो दिमागी आघात या क्षति पहुंचती है, उसके कारण जो असामान्य स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसे विकलांगों के लिए और जिनमें अनेक प्रकार की विकलांगताएं हो और जो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हों, इन सबके लिए यह नया विधेयक लाया गया है।

सभापति महोदय, इस विधेयक में ऐसे लोगों के लिए आत्मीयता की आवश्यकता है, सहानुभूति की आवश्यकता है तथा विकलांगों के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा न्यास के गठन के बारे में इन्होंने इसमें जो प्रावधान रखे हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि सारे देश में और सब राज्यों की राजधानियों में जब इसके कार्यालय खुलेंगे, केन्द्र में एक कार्यालय होगा और इसमें 78 के लगभग एन.जी.ओज. हैं।

सभापति महोदय, जो इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको अनुदान भी दिया जाएगा, तो उसके लिए एक अरब रुपए का प्रावधान प्रारंभ में किया गया है, जो मैं समझता हूँ कि कम पड़ेगा। हालांकि इसमें लिखा है कि विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों और मातापिता के जो संगठन होंगे या जो साधन संपन्न लोग होंगे या दानदाताओं से दान लेकर या बड़े-बड़े सामर्थ्यवान व्यक्तियों से दान लेकर उनसे यह राशि बढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रारंभ में ही धन का अधिक प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि निशक्त का संरक्षक तय करने समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि आज का जमाना बहुत चालाक लोगों का है। ऐसे कामों के अंदर जैसा स्वामी विवेकानन्द ने कहा था—दुखी मानवता की सेवा करने से बड़ी और सच्ची उपासना कोई नहीं है, यह भावना रखनी चाहिए। हमारी संस्कृति के नीतिकारों ने भी कहा है—

न त्वाहं कामये राज्यं, न स्वर्गनच पुनर्भव।
कामये दुखतप्रानां प्राधिनाम् आर्तिनाशवम्।।

हे परमपिता परमात्मा मैं आपसे राजपाट की इच्छा नहीं करता, मैं स्वर्ग की कामना भी नहीं करता, मैं पुनर्जन्म की भी कामना नहीं करता, दुखी संतप्त, अशक्त और विकलांग इस प्रकार की कैटेगरी में आने वाले लोग हैं उनकी सेवा करने की सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाए, उनका दुख दूर करने की सामर्थ्य आ जाए, ऐसी शक्ति चाहता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज मानसिकता में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को हमदर्दी चाहिए, प्यार चाहिए, आत्मीयता चाहिए और यह एक मानवीय समस्या है और मानवीय समस्या का निराकरण मानवता के आधार पर होना चाहिए। जिन परिवारों के अंदर ऐसे बच्चों को रखा जाए या जिनको संरक्षक बनाकर उनको सौंपा जाए, कहीं वे उनसे गलत काम न कराएं, जैसे भीख आदि मंगवाने का काम न कराएं।

सभापति महोदय, मंत्री महेदय से निवेदन है कि एन. जी. ओज. को जो सहायता देते हैं उसकी कल्याण मंत्रालय को मानिटरिंग करनी चाहिए। वह उन संगठनों के बारे में पता लगाए कि उनके पास साधन है या नहीं, भवन है या नहीं, स्कूल है या नहीं, वर्कशाप लगाने के लिए व्यवस्था है कि नहीं, तभी उनको अनुदान दिया जाए। इस बारे में कानून तो ठीक है, लेकिन कानून का सही अर्थों में पालन हो जाए, सार्थकरूप में क्रियान्वित हो जाए, तभी इसकी मंशा पूरी होगी। हमें ऐसे लोगों के लिए नियम बनाकर मार्गदर्शन का काम करना होगा, क्योंकि समाज में जीने का सबको अधिकार है और विकलांगों को स्वतंत्र, संपूर्ण जीवन जीने का पूरा हक है। उन्हें ऐसी संस्थाओं को सौंपते समय या उनका पुनर्वास किए जाने के समय हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन शब्दों के साथ आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

डा॰ वी॰ सरोजा (रासीपुरम): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। भारत सरकार राष्ट्रीय स्वपरायण, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नामक एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना करना चाहती है। इस न्यास का आशय

[डा० वी० सरोजा]

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के हितों की उनके माता-पिता की मृत्यु के बाद रक्षा करने और उनके परिवारों को सुदृढ़ता प्रदान करना है।

इस न्यास को गठित करने का अन्तिम उद्देश्य—मानसिक मंदता से ग्रस्त समाज की सेवा—पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि न्यास में चिकित्सा क्षेत्र से सम्बद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। इस न्यास में आवश्यक रूप से एक फिजियोथेरोपिस्ट, एक आक्यूपेशनल थेरोपिस्ट और एक न्यूरो सर्जन या न्यूरो फीजिशियन होना चाहिए। विकलांग समाज, जिनके बारे में हम विचार कर रहे हैं, से यह समस्याएं जुड़ी रहती हैं। वे अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। उन्हें समझना या उनकी देखरेख करना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए, यदि हम इस न्यास का गठन ऐसे व्यक्तियों द्वारा करते हैं जिन्हें ऐसे समुदाय की देखरेख करने का कोई अनुभव नहीं है, तो न्यास को गठित करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए न्यास में चिकित्सा व्यवसाय से सम्बद्ध व्यक्ति या एक फिजियोथेरोपिस्ट का होना अत्यावश्यक है। इसमें सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, जो विकलांग बच्चों की पहचाल करने और उन्हें वर्गीकृत करने में सक्षम हैं, का इस समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जहाँ तक पुनर्वास का संबंध है, आवासीय विद्यालयों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। सरकार ने आवासीय अस्पतालों और आवासीय होस्टलों का तो उल्लेख किया है परन्तु आवासीय विद्यालयों का उल्लेख नहीं है। रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को आरम्भ किया जाना चाहिए। पुनर्वासित समाज के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होनी चाहिए जिससे कि उन्हें उपयुक्त जगह पर नौकरी मिल सके। संरक्षक को नियुक्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण उन्हें संरक्षण और भोजन देना है।

अध्याय 4 में बोर्ड की शक्तियों और कर्त्तव्यों के बारे में उल्लेख है। मैं विकलांग व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को दिये जा रहे परामर्शों और प्रशिक्षण की प्रशंसा करती हूँ। यह स्थानीय समितियों के गठन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सामुदायिक भागीदारी में विश्वास रखती हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि सामुदायिक भागीदारी के बिना कोई भी योजना नहीं चल सकती है यहाँ तक कि कोई सरकार शत प्रतिशत सफल नहीं हो सकती है। इन स्थानीय समितियों के गठन में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे विधायक, सांसदों, इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां तक निगरानी तन्त्र का संबंध है, धनराशियों या समुदाय को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाले सेवा कार्य की गुणवत्ता की भी कोई निगरानी नहीं है।

सरकार ने इस प्रयोजनार्थ संचित निधि के लिए 100 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। क्या यह धनराशि 16 मिलियन विकलांग व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है जो कि कुल जनसंख्या का 6 प्रतिशत हिस्सा है ? क्या कोई कार्यविधि है? सरकार द्वारा अन्य स्रोतों से निधियों को नहीं जुटा पाने की स्थिति में क्या विधेयक में किसी विकल्प का उल्लेख किया गया है? हमारे द्वारा धन को नहीं जुटा पाने की स्थिति में, सरकार के पास कोई विकल्प होना चाहिए।

महोदय, इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ। तमिलनाडु जैसे राज्यों में कई स्व वित्त पोषित फिजियोथेरपिस्ट कालेज हैं जिनका ध्येय सेवा प्रदान करना है। वे इन बच्चों को गोद लेने या उनकी मदद करने के लिए अवश्य ही आगे आएंगे। इससे दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। इन छात्रों को इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण भी मिलेगा और इन बच्चों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त होगी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ऐसे कई फिजियोथेरोपिस्ट कालेज हैं जिन्हे इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है। वे लोग इन रोगियों की देख रेख कर सकते हैं। यह केवल चिकित्सा प्रदान करने का प्रश्न नहीं है। न्यूरोसर्जन को बीमारी की प्रकृति को पहचानना होता है और फिजियोथेरोपिस्ट को दैनिक आधार पर रोगियों की चिकित्सा करनी होती है। यह क्रमिक प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है जहाँ आप रातोंरात ठीक होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से इन सभी बातों पर विचार करने का अनुरोध करती हूँ।

महोदय, विधेयक के अनुसार, सचिवालयीय सहायता के लिए व्यय 15 लाख रुपये है। आप आवर्ती और अनावर्ती व्यय के बारे में कल्पना कर सकते हैं। परन्तु जहां तक विधेयक का संबंध है, इसमें उल्लिखित है कि इसका किसी भी प्रकार का आवर्ती और अनावर्ती व्यय नहीं होगा। महोदय, मैं इन शब्दों को समझने में असमर्थ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इन मुद्दों को स्पष्ट करें।

महोदय, मैं अन्त में अध्याय 3 में दिए गए महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर चर्चा करना चाहूँगी। उद्देश्य तो अच्छे हैं परन्तु इस कार्य को कार्यान्वित कौन करेगा ? वे लोग मुख्यत: नौकरशाह हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करती हूँ कि एक निगरानी करने वाली संस्था होनी चाहिए जो कार्यालयी तंत्र से मुक्त हो। यद्यपि हम संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो मैं नहीं जानता कि इतने सारे अधिकारी किस तरह कार्य कर पाएंगे। कार्यान्वयन करने वाले तंत्र में सुधार किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर जिलाधीश अध्यक्ष होगा और जिला स्वास्थ्य अधिकारी कार्यकारी निदेशक होगा। समाज कल्याण संगठन साथ ही स्थानीय फिजियोथेरोपिस्ट इस क्षेत्र में सहायता कर सकते हैं। वे हमेशा अपनी निशुल्क सेवाएं देने के लिए आगे आते हैं। वे राष्ट्र की सहायता कर सकते हैं।

डा. ए. डी. के. जयशीलन (तिरूचेंदूर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को यह महत्वपूर्ण विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूँ। मैं इस विधेयक को सहस्राब्दि का उपहार मानता हूँ। हम नयी सहस्राब्दि की दहलीज पर खड़े हैं और मैं इसे मानवता और विशेष रूप से लाखों विकलांग व्यक्तियों के लिए उपहार मानता हूँ। यह मेरा पहला भाषण है और इस कारण अपने प्रख्यात और अत्यंत कर्मठ नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलाइंगर को धन्यवाद ज्ञापित करना मेरा कर्त्तव्य है। मैं अपने आदरणीय गुरू, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री मुरासोली मारन और अपने निर्वाचन-क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ।

मैं वास्तव में मानता हूँ कि इस विधेयक पर विचार विकलांग व्यक्तियों के लिए न्यायोचित कार्य माना जाएगा। पिछले 52 वर्षों में

कई सरकारें ऐसा नहीं कर पायी हैं। परन्तु मैं इस विषय पर विचार करने के लिए राज्य सरकार और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इस विधेयक के उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । परन्तु वे चुनौतीपूर्ण हैं क्योंकि हमें 2.5 करोड़ मानसिक मंदताग्रस्त व्यक्तियों की देखरेख करनी है। मैं तमिलनाडु राज्य का उदाहरण दे सकता हूं जोकि कल्याणकारी उपाय करने वाला अग्रणी राज्य है।

मैं अपने कर्मठ मुख्य मंत्री की प्रशंसा करता हूं। वे इन कल्याणकारी उपायों को विशेष रूप से दलित और विकलांग व्यक्तियों के लिए इस प्रकार के उपायों को निरूपित करने में माहिर हैं। मैं कह सकता हूं कि तमिलनाडु विकलांग व्यक्तियों के साथ अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समान व्यवहार करना चाहता है उन्हें यह व्यवहार बन्दूकों के साथ नहीं अपितु उन्हें सम्मान देकर उन्हें देय प्रतिष्ठा और राजसहायता प्रदान कर और शिक्षा के लिए सहायता और ऋणों और आरक्षणों के लिए सहायता प्रदान करना चाहता है। मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह सकता हूं कि वहां पर सरकार 20,000 विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से और लाखों विकलांग व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

यहां पर हम विकलांग व्यक्तियों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं; वे हैं समाज पर निर्भर विकलांग व्यक्ति और समाज पर निर्भर न होने वाले विकलांग। जब हम समाज पर निर्भरता की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि वे अपने कौशल को विकसित नहीं कर सकते हैं और समाज पर निर्भर न होने वाले विकलांगों से तात्पर्य है कि वे अपने कौशल का विकास कर सकते हैं और समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित हो सकते हैं। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार और सभी अन्य राज्यों को समाज पर निर्भर व्यक्तियों को गोद लेना चाहिए। समाज पर निर्भर न होने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार को उन्हें अपने कौशल को निखारने के लिए पर्याप्त अवसरों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए और समय के साथ-साथ उन्हें स्वयं के लिए रोजगार के अवसर मिलने चाहिए या वे सम्मानपूर्वक अपने रोजगार को चलाने में सक्षम होने चाहिए।

वित्तपोषण के संबंध में कई लोगों ने कई तथ्यों के बारे में बात की है। किसी भी योजना की सफलाता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कर्मठ नेतृत्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मंत्री महोदया कर्मठ नेतृत्व प्रदान करेंगी। परन्तु वित्त की सबसे पहली आवश्यकता है। उनके पास इस महान लक्ष्य के लिए संचित निधि के रूप में 100 करोड़ रुपए हैं। जहां तक निधियों को एकत्रित करने का संबंध है तो यह मंत्री महोदया का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। अब निधियों को एकत्रित करना मंत्री महोदया का कार्य है। मेरे विचार से यह बात वहां पर अन्तर्निहित है। मैं प्रतिवर्ष सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार का सहयोग भी चाहता हूं।

हमें अपने लोगों से सहायता लेनी होगी। कई समृद्ध मानवतावादी हैं। हम आयकर हटाकर या उसमें छूट देकर इस उद्देश्य के लिए योगदान के लिए धनियों और मानवतावादियों के पास सहायता के लिए जा सकते हैं। हम अनिवासी भारतीयों, हमारे सम्पन्न भारतीय बन्धु जो विदेशों में रह रहे हैं, के पास सहायता के लिए जा सकते हैं। वे भारतीय लोगों के साथ अपनी सम्पत्ति बांटना चाहते हैं। वस्तुत: यदि हम उन्हें आकर्षित करने के लिए कुछ रास्ते या उपाय ढूंढें तो वे इस लक्ष्य हेतु कार्य करना चाहेंगे। हम विदेशी दानदाता एजेंसियों से भी सहायता मांग सकते हैं जो गरीब व्यक्तियों, दलितों और दुर्भाग्य से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं।

संसद सदस्यों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये प्रदान किये जाते हैं। हम इस योजना के लिए प्रति वर्ष एक या दो लाख रुपये अलग रख सकते हैं। मैं समझता हूं इस लक्ष्य हेतु प्रत्येक संसद सदस्य योगदान देगा। आप इस प्रकार से धन इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह, यह संपूर्ण मानवता का कर्तव्य है कि इन दुर्भाग्यशाली और कम सौभाग्यशाली लोगों की मदद करना। मुझे लगता है कि धन की महत्ता सबसे अधिक है। हमारे मंत्री जी के योग्य नेतृत्व और मार्गदर्शन से, मुझे लगता है यह योजना सचमुच सफल रहेगी। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार): अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ही मुद्दे पेश करने हैं। मैं माननीय मंत्री को इस देश के विकलांगों के प्रति दिखाई गई उनकी प्रतिबद्धता और चिंता के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश की लगभग 25 प्रतिशत आबादी जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकार दिये जाने की आवश्यकता है, के हितों की देखभाल के लिए कोई केबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है। पहले, एक केबिनेट मंत्री और इस मंत्रालय के लिए राज्य स्तर का मंत्री हुआ करता था। यह मंत्रालय 25 करोड़ लोगों के लिए है। हमने एस.सी. और एस. टी. सभा के संसद सदस्यों और महासचिव से कई बार निवेदन किया है। विभिन्न संगठनों और एस. सी., एस. टी. संघ ने कई बार लिखा है कि इस मंत्रालय के स्तर को कम करके उसे राज्य स्तर के मंत्री के अधीन क्यों रखा गया है। महोदया मेनका गाँधी केबिनेट मंत्री के रूप में काफी समर्थ हैं। वे अच्छा कार्य कर रही हैं। इस महीने की पांच और छह तारीख को एस.सी., एस. टी. मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया था।

अपने स्वागत भाषण में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उन्होंने उस भाषण में कहा कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिए 'नवोदय' स्तर के स्कूल चलाए जा रहे हैं। हम सचमुच उनका आभार मानते हैं।

इसके बाद जो कोई भी स्वयंसेवक संगठन इस वर्ग के लोगों के लिए उचित कार्य कर रहे हैं, हमें उन्हें विद्यालय चलाने के लिए उनको बढ़ावा देना चाहिए। जहां कहीं भी अनुसूचित जातियों के लोगों का घनत्व अधिक है, नये स्कूल खोले जाने चाहिए।

जहां तक विकलांग लोगों का संबंध है, हम इस विधेयक की प्रशंसा करते हैं। प्रत्येक जिले में, विकलांग लड़के व लड़कियों के लिए विशेष निवासीय शालाओं की आवश्यकता है। साथ ही, जिला स्तर पर विकलांग लोगों के लिए आवास की भी सुविधा होनी चाहिए। प्रत्येक तहसील में दस्तकारों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा स्थापित की जानी चाहिए। यह इन लोगों के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा।

[श्री के. एच. मुनियप्पा]

यह तीन मुद्दे हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता था। मैं इस मामले पर सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धन मुहैया किया जा रहा है वह बहुत कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन है। जिससे हमें अधिक निधि मिल सकती है। नौकरियों में आरक्षण अनिवार्य होना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, उन्हें इस संबंध में प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले के उपायुक्त को इन विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण करके इन्हें परिचय पत्र प्रदान करना चाहिए। इन्हें मुफ्त रेलवे पास व मुफ्त यातायात की सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सरकार इस विधेयक को लाई है। हम इस विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्य से सचमुच सहमत हैं। अधिक जानकारी हमारे पास है। मैं इसे माननीय मंत्री को लिखित में देना चाहता हूं।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मंत्री का वास्तव में आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक को पेश किया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं। मंत्री जी जो काम कर रही हैं, उससे मुझे प्रिंसेज डायना की याद आ रही है। उन्होंने भी काफी काम किया था और उनकी मृत्यु के बाद पूरा इंग्लैंड वहां जमा था। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे। उन्होंने तमिल के एक पोयट का उल्लेख किया, जिसको मैं भी कहना चाहता हूं–

[अनुवाद]

"एक मानव के रूप में जन्म लेना एक सौभाग्य की बात है और इससे भी अधिक है बिना किसी विकलांगता के।"

[हिन्दी]

"मेरे क्षेत्र में डा॰ शिरोडकर नाम का एक स्कूल है, जहां इस किस्म के बच्चे आते हैं। उसके प्रिंसिपल डा॰ सुभाष पाठक मेरे दोस्त हैं। इन बच्चों को सम्भालना बहुत मुश्किल होता है। कभी तो ये ठीक होते हैं और कभी-कभी सिखाने वाल टीचर को काटते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया कि यह देखो मुझे भी काटा है। लकिन फिर भी वे इस काम में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप जो पैसा संस्था को देने जा रही हैं, उसमें यह भी देखें कि उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं।

देश में 17 लाख लोग इससे पीड़ित हैं। उसमें से पांच प्रतिशत ज्यादा गम्भीर हैं, उन्हें सम्भालना बहुत मुश्किल होता है। घर और संस्था में भी सम्भालना मुश्किल होता है। 20 प्रतिशत उससे कम गम्भीर हैं और 70 प्रतिशत के करीब सामान्य मंद बुद्धि के हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल होने चाहिएं जो 20 से 75 प्रतिशत के बीच हैं, उनको अगर वोकेशनल गाइडेंस की ट्रेनिंग दी जाए तो वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। विदेशों में मंद बुद्धि बच्चों की जिम्मेदारी सरकार लेती है। हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में जो बिल पेश किया है, सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं।

विदेशों में उनके लिए अनेक केन्द्र खोले गये हैं जबकि हमारे यहां केन्द्रों की संख्या बहुत ही कम है। साथ ही मां-बाप के चले जाने के बाद उनको रास्ते में फेंक दिया जाता है। जबकि विदेशों में उन बच्चों को पालते तथा बड़ा करते हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि आप 1991 के आंकड़ों को देखेंगे तो पायेंगे कि नेत्रहीनों की संख्या 36.26 लाख है, विकलांगों की संख्या 80 लाख है, बहरों की संख्या 29.24 लाख है, गूंगों की संख्या 70.68 लाख है। हमारी सरकार उनके लिए आरक्षण करना चाहती है लेकिन उनको आरक्षण मिलता भी है या नहीं, इस बात को कोई नहीं देखता है।

हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं और उनका कहना है कि विकासशील देशों में अगर कानून सख्त होंगे तो वे उनका बढ़ावा देंगे। नेशनल सेंटर फार डिसेबल्ड पर्सन्स ने 100 कंपनियों का सर्वेक्षण किया था जिनमें 63 कंपनियां निजी हैं, 23 सरकारी हैं और 14 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। लेकिन अन्य 39 कंपनियों ने उनको जवाब ही नहीं दिया।

आज हमारे यहां 70 लाख विकलांग लोग रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही लाख लोगों को नौकरी मिली है। हमारी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण रखा है जबहि 0.49 प्रतिशत लोगों को ही अभी तक नौकरी मिली है। कुल नौकरियों की संख्या 6,25,242 इतनी है तथा इनमें से केवल 2100 विकलांग लोगों को ही रोजगार मिला है।

ऐसे लोगों को टेलीफोन बूथ देने के लिए जब मैं अपने निर्वाचक क्षेत्र में सिफारिश करता हूं तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। और यदि कभी कार्यवाही होती भी है तो ऐसे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पीठासीन महोदय ने स्वयं कहा है कि ऐसे लोगों को बहुत कठिनाई होती है और वे लोग कहां जाएंगे। मेरी केन्द्रीय सरकार से विनती है कि वह सभी मंत्रालयों से इस विषय में बातचीत करें और टेलीफोन के साथ-साथ अन्य कोई सुविधा भी ऐसे लोगों को अगर दी जा सके तो वह दी जानी चाहिए। तीन प्रतिशत जो आरक्षण है अगर वह पूरा नहीं होता है तो उस दिशा में भी कदम उठाये जाने चाहिए। इसके साथ मैं यह कहता हूं कि रेलवे स्टेशनों पर स्टाल आदि की सुविधाएं देने के लिए ऐसे लोगों को अग्रता मिलनी चाहिए, जिससे इन लोगों में स्वावलम्बन की भावना का विकास किया जा सके। मेरा निवेदन है कि मानवता के आधार पर इन सुझावों पर गौर किया जाए। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह संवेदनशीलता और मां के अंत:करण का परिचय देने वाला बिल है। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारे महाराष्ट्र में नामेश्वर मां हो गई। उन्होंने संस्कृत की गीता मराठी भाषा में लिखी। दूसरी माँ साने गुरूजी महाराष्ट्र की मां बन गई। उनकी शताब्दी मनाई जा रही है। उन्होंने विकलांगों,

पतितों और गरीबों के बारे में कविताएं की थी। उन्होंने गरीब और विकलांगों को सहारा देना, उनको जगाना और शिक्षा देने की बात कही थी।

महोदय, अब यह होता है कि आग सोमेश्वर में जलती है और बम रामेश्वर में रहता है, इतना अंतर पड़ जाता है। मैं एक सम्मेलन में गया था, वहां छोटे-छोटे विकलांग बच्चे बैठे थे, लेकिन वहां परिचय देने वाले और सम्मेलन का मार्गदर्शन करने वाले अंग्रेजी बोल रहे थे। उन विकलांग बच्चों को अंग्रेजी के बारे में क्या मालूम है। उन्हें तो प्यार और सहानुभूति की भाषा चाहिए। जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे तो उस समय में भी यह बिल लाया गया था, अब इसे मेनका गांधी जी लाई हैं, यह बहुत अच्छा काम किया। सब लोगों ने कहा कि जो विकलांग एवं अंधा होता है, उनको सुविधाएं देना जरूरी है। इनके लिए तीन प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन इसको राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया। टेलीफोन तथा अन्य सुविधाओं के बारे में प्राथमिकता दी जाए। हमारे नासिक में एक मूक, बधिर माईलेले नाम की शाला है, वह रचना विद्यालय ने चलाई है। वह अच्छा काम कर रही है। मूक, बधिर, अंधे और विकलांग लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा पाठशालाएं खोलनी चाहिए। बाबासाहेब अम्बेडकर को सब मानते हैं। उनके नीचे कारगो मूक, बधिर थे। उन्हें एक आदमी ने संभाला और यह बड़े आदमी बन गए। संस्कार बहुत बड़ी चीज है। सुभद्रा का बेटा जब उसके पेट में था तो चक्रव्यूह की बात चली, तब उसने भेदने की बात सुनी लेकिन बाहर निकलने की बात नहीं सुनी, इसलिए वह मर गए। विकलांगों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। यह समाज और अधिकारियों का सवाल है। आपने बोला कि प्रभु जन्म देता है, यह ठीक बात है, लेकिन कहीं-कहीं सरकार और मानवता से आपत्ति हो जाती है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में अभी भी एक दिन की कमाई 38 नये पैसे है, इसलिए लोग भूखे मरते हैं। कुपोषण होता है इस कारण से वे अंधे, विकलांग और मूक-बधिर हो जाते हैं और सरकारी साधनों की कमी से भी वे ऐसे होते हैं। इसके लिए आप कोई उचित व्यवस्था करें ताकि ये ऐसे न हों, यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): महोदय, सभा ने इस विधेयक पर कई सार्थक और प्रभावशाली विचार-विमर्श सुने, जिसमें एक भाषण मेरे दोस्त श्री अनादि साहू का था। मैं यहां लंबा भाषण नहीं देना चाहता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से केवल कुछ मुद्दों पर बोलना चाहता हूं।

यह विधेयक राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक, 1999, मामूली कानून नहीं है। यह अधिनियम मानवता को समर्पित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उनकी देखभाल, इलाज और संरक्षण के लिए है जिनकी इन्हें सर्वाधिक आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कानून बचनबद्धता, सहानुभूति और प्रेम का कानून उनके लिए होगा जिन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। इसलिए इसका सभी ने समर्थन किया। इसका सर्वसम्मत समर्थन किया गया। इसे सदन का सर्वसम्मत अनुमोदन मिला। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह इस सहस्राब्दी का विधेयक है। भगवान माननीय मंत्री को इस प्रकार का अधिनियम लाने पर कृपादृष्टि रखें। पर उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि वे सब श्रीमती मेनका गांधी नहीं हैं। इसलिए, आवश्यक संशोधनों की आवश्यकता है। संस्थानों में, व्यवस्था आवश्यक सुधार की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में यह विधेयक अपने लक्ष्य से न भटके जिसके लिए यह अधिनियमित किया गया है। इसलिए मैंने अधिक नहीं सिर्फ थोड़े से सुझाव प्रस्तुत किए हैं। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने उसे देखा है कि नहीं। यह संशोधन नहीं है केवल कुछ सुझाव हैं। मैं समझता हूं कि इन सुझावों को यहां और अभी स्वीकार कर लिया जाएगा श्री सोमनाथ चटर्जी पूछ रहे थे कि क्या वे यहां और अभी इसे स्वीकार करेंगे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने पहले ही यहां संशोधन प्रस्तुत कर दिया है ताकि माननीय मंत्री इस विधेयक में आवश्यक सुधार लाकर इसे लागू करने के लिए संपूर्ण बनाए।

इसलिए, मेरा पहला सुझाव अध्यक्ष या बोर्ड के अध्यक्ष से संबंधित है। इसकी व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि यह निष्पक्ष और सटीक हो। इसे राजनैतिक और अधिकारी वर्ग के हस्तक्षेप से दूर रखना चाहिए। आप जानते हैं कि भविष्य में कई बातें दो कारणों से बिगड़ गईं वे बुराइयां हैं सार्वजनिक संस्थानों का राजनैतिकरण और अफसरशाही। आप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हालत को जानते ही हैं। हम तथाकथित उदारीकरण की ओर पलट गये हैं। क्यों ? क्योंकि हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से वांछित परिणाम नहीं पा सके जैसा हम चाहते थे। हम कई अच्छे परिणाम चाहते थे लेकिन संस्थानों के कमजोर प्रबंध के कारण हम इसे नहीं पा सके। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इसे राजनैनिक व अफसर-शाही के दबाव से मुक्त रखा जाए। केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष का निर्वाचन करे इसके बजाय, मैंने सुझाव दिया था कि संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, भारत के न्यायाधीश, विपक्ष के नेताओं लोक सभा और राज्य सभा में साथ विचार-विमर्श करके अध्यक्ष का चयन किया जाना चाहिए जिससे न केवल विद्वान व्यक्ति बल्कि वह व्यक्ति जिसे इन समस्याओं से पीड़ित जैसे प्रमस्तिष्क घात इत्यादि के प्रति प्रेम व सहानुभूति व निष्ठा हो, कि नियुक्ति हो सके। इसलिए, इस कार्य के लिए इस प्रकार के बोर्ड का गठन किया जा सके। सिर्फ केन्द्रीय सरकार ही सर्वशक्तिशाली न हो। आज, आप यहां हैं। कल, इसका स्थान कोई अन्य व्यक्ति ले लेगा, वह महिला या पुरुष शायद आपसे बेहतर हों।

अगर वह आपसे अच्छे नहीं हुए थे, महोदया, इस विधेयक के उद्देश्य को झटका लगेगा। इसलिए, मैं कह रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार इतनी शक्तिशाली न हो और वे मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति करें।

इसलिए, मैं सोचता हूं कि बोर्ड ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति करे। अगर ऐसे बोर्ड का गठन किया, तो बोर्ड ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्त करें ताकि यह ठीक से कार्य कर सके।

तीसरा मुद्दा इसके उद्देश्यों से संबंधित है। इस न्यास के उद्देश्य को पृष्ठ 4 खंड 10 में उल्लेखित किया गया है। मैंने इसे व्यापक और सर्वांग-संपूर्ण बनाने के लिए मैंने दो बातों को और जोड़ा है। पहला है:-

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

"विभिन्न कार्यक्षेत्रों से सम्बद्ध विकलांग व्यक्तियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बढ़ावा देने और पुरस्कारों के लिए सिफारिश करने को पूर्ण समर्थन देना"

यह एक बात है जो मैं कहना चाहता हूं तथा दूसरी बात है विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और, देखभाल के लिए बोर्ड जो भी उपयुक्त समझे कार्य करे।"

ये दो नई चीजें हैं जिसे मैं इस न्यास के उद्देश्यों में जोड़ना चाहता हूं। मैंने यह भी बताया है कि पृष्ठ 5 . . . *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पहले ही तीन मुद्दे उठा चुके हैं और कितने मुद्दे आप उठाना चाहते हैं?

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, मैं आपको अपने आदर्श के रूप में देखता हूं आप मेरे आदर्शस्वरूप हैं. . . *(व्यवधान)*

महोदय, मैं नहीं चाहता कि पृष्ठ 5 खण्ड 11(1)(ग) के अनुसार केन्द्र सरकार न्यास को और धन न दें। अत: मैंने कहा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार से उतनी राशि प्राप्त की जाएगी जितनी न्यास के किसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझी जाए। "अत: मैं नहीं चाहता कि बोर्ड को केन्द्र सरकार से सहायता न मिले।

महोदय, ये मेरे सुझाव हैं। मै आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसकी छानबीन करेगी।

महोदय, अन्त में मैं उड़ीसा के नेत्रहीन संत के उद्धरण को उद्धृत करना चाहूंगा जो मेरे लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक के लिए निर्देशित सिद्धान्त होगा :-

"पुनिंका अरेत् दुख: अपरमिता देखू देखू केब सहू,
मो जीवन पछे नरके पड़िथाउ
जगत उद्धार होऊ।"

यह इस न्यास का निर्देशन सिद्धान्त है। यह उद्धरण किसी के समझ में नहीं आया है क्योंकि मैंने इसे 3 दिन में पढ़ा है। इस उद्धरण का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूं:

"इन लोगों के दुखों और तकलीफों को कौन सहन करेगा। ये कई और भिन्न प्रकार के हैं। मुझे नरक मिले लेकिन विश्व और इसमें जो लोग सुरक्षित और सुखी हों।" वह 10वीं शताब्दी के नेत्रहीन संत-भीमा थे। मैं समझता हूं यह इस अधिनियम का निर्देशन सिद्धान्त होगा। मैं आशा करता हूं कि यह अधिनियम अच्छा साबित होगा। मुझे विश्वास है और मैं आशा करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह अधिनियम सहस्राब्दि का अधिनियम हो और भविष्य में मार्गदर्शक साबित हो। जहां तक इसके कार्य निष्पादन का सम्बन्ध है इस अधिनियम में कोई कमी या खामी नहीं होनी चाहिए। इस अधिनियम को इस तरह से कार्यान्वित किया जाए ताकि भविष्य में इसके बेहतर परिणाम सामने आएं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० राम चन्द्र डोम (बीरभूम): धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक 1999 विधेयक लाने के लिए मंत्री जी को मुबारकवाद देता हूं।

इस सभा में भिन्न वक्ताओं द्वारा कई बातें बताई गई हैं। मैं उन सभी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं मैं अत्यंत संक्षेप में बोलूंगा।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह ठीक ही बताया गया है कि राष्ट्रीय न्यास का गठन करते समय, मुख्य उद्देश्य आक्रमणरोधी, सकारात्मक और संरक्षणात्मक प्रकृति का होगा। इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन पूर्व में हमारे अनुभव इस विधेयक के उद्देश्यों से मेल नहीं खा रहे हैं। यह विधेयक एक कल्याणकारी विधेयक है, हमारे समाज के अत्यन्त असहाय वर्ग के लिए न्यास का गठन करने संबंधी यह विधेयक काफी पहले लाया जाना चाहिए था। लेकिन मैं अवश्य कहूंगा कि देर आए दुरस्त आए और इसीलिए इस विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

चिकित्सा सम्बन्धी दृष्टिकोण को किसी भी प्रकार की नि:शक्तता, विशेषकर स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तता जैसी निशक्तताओं हेतु जिसके लिए यह कानून बनाया जा रहा है, के कुछ कारण होते हैं। यद्यपि, ऐसे मामलों में चिकित्सा सम्बन्धी घटक प्रकृति में जनन सम्बन्धी हो सकते हैं अथवा कोई चोट हो सकती है अथवा जन्म पूर्व अथवा जन्म के बाद के हो सकते हैं लेकिन मैं अवश्य कहूंगा कि इनकी रोकथाम की जा सकती है। यदि आप अन्य विकासशील देशों अथवा विकसित देशों के साथ अपने देश में इस सभी बीमारियों से विकृति स्वरूप की तुलना करे, तो आप देखेंगे कि यहां तस्वीर अत्यंत विकराल है। यह राष्ट्र विशेष के सामाजिक-आर्थिक स्तर से संबंधित है। यदि आर्थिक स्तर ऊंचा है तो इन सभी बीमारियों के कारण होने वाली नि:शक्तता की घटनाएं बहुत कम होती हैं।

हमारे देश में किये गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि विभिन्न कारणों के परिणामस्वरूप लगभग 60 से 70 मिलियन लोग अपंग हैं। अत: यह अत्यन्त दुखद स्थिति है। मात्र कल्याणकारी दृष्टिकोण रखकर हम उनकी समस्याओं को कम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के मामले में विशेषकर विकलांगों के बारे में हमारा दृष्टिकोण मात्र सहानुभूति अथवा दिखावे करने तक ही रहा है। यह एक कल्याणकारी कार्यक्रम है लेकिन मैं कहूंगा कि इसे केवल कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। यह योजना कार्यक्रम का हिस्सा केवल हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक राष्ट्र के लिए होना चाहिए।

समस्या हमारे समाज के कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है। यह समस्या संवेदनशील है इसीलिए मैंने यह आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह विनम्र निवेदन किया है। ये सभी बातें एक विभाग विशेष अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं आ सकती हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण है। रोग का निवारण कल्याण विभाग से सीधे सम्बन्धित नहीं है। जब तक हम निवारक कार्यक्रमों विशेषकर इस सभी बीमारियों के निवारण और इनके लिए जेनेटिक परामर्श के मामले में उपयुक्त कार्यवाही नहीं करेंगे इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये अत्यन्त आवश्यक है लेकिन उपलब्ध नहीं है। इसीलिए निवारक पक्ष पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

समाजिक आर्थिक मानकीकरण व्यापक मानदण्ड हैं। मानसिक विक्षिप्ता पूर्णत: कुपोषण पर आधारित है। यदि आप उस भाग को नहीं देखते और यदि आप यहां मानसिक विक्षिप्त लोगों के लिए कहते हैं तो हम इसे रोक नहीं सकते। आपको समस्या की तह में जाना होगा। कुपोषण को समाप्त करना गरीबी और निरक्षरता की समाप्ति पर निर्भर करता है जो व्यापक मानदण्ड है। इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह केवल एक विभाग की जिम्मेदारी न होकर सरकार की जिम्मेदारी भी है। इसीलिए यह व्यापक दृष्टिकोण है।

अन्त में मैं कहूंगा कि हमारा उद्देश्य उन्हें स्वतंत्र जीवन देना है। किसी भी प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी सुविधा के अनुसार जिला स्तर तक शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। काफी वक्ताओं ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है कि हमारी आजादी के 52 वर्षों के पश्चात् भी ये प्रावधान नहीं किये गए हैं। केवल शोर मचाना ही समाधान नहीं है। हमारे यहां नेत्रहीन, मूक और बधिर व्यक्तियों के लिए विद्यालय हैं लेकिन देश में मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा प्रमस्तिष्क घात और बहु-नि:शक्ततागस्त व्यक्तियों के लिए कोई विद्यालय नहीं है। उनके लिए विद्यालय खोलने के कार्य को योजना कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उनमें व्यवसायिक पाठ्यक्रम होने चाहिए ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह महत्वपूर्ण बात है।

अगली बात इनके व्यवसाय के बारे में है। कई वक्ताओं ने उनके लिए रोजगार हेतु किसी प्रावधान के न होने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है यह वास्तव में अव्यवस्थित स्थिति है। आप आंकड़े देख सकते हैं। आज तक पूरे देश में 100 करोड़ की जनसंख्या में केवल एक लाख विकलांग व्यक्तियों के पास रोजगार हैं। इन दिनों न केवल सार्वजनिक क्षेत्रों में बल्कि निजी क्षेत्रों में भी रोजगार कम किये गए हैं सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की नीति के कारण कमी की गई है। इसका प्रभाव विकलांग व्यक्तियों पर भी पड़ा है। उनके लिए रोजगार अवसरों में कमी आ रही है। उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होना चाहिए और इस कार्य की केन्द्रीय स्तर पर निगरानी होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि निजी क्षेत्र में भी ऐसे विकलांग लोगों के लिए रोजगार देना अनिवार्य हो और इसके लिए उपयुक्त विधान बनाया जाना चाहिए . . . *(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, इससे संबंधित 1995 में अधिनियम बनाया गया था।

सायं 7.00 बजे

डा० राम चन्द्र डोम: मैं निजी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं और चूंकि विधेयक के भिन्न खण्डों पर अन्य सदस्यों द्वारा पहले ही सुझाव दिये जा चुके हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा कहना है कि इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी विवरण में दिये गए कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकार के पास इच्छा शक्ति और सामाजिक वचनबद्धता होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसे लागू करने का प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक 1999 का मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने समाज के इन उपेक्षित लोगों की तरफ पहली दफा ध्यान दिया और इस न्यास को गठित करने के लिए पहली दफा विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। समाज कल्याण और सोशल वैलफेयर के संबंध में जो हमारे पिछले अनुभव हैं, यह बहुत कटु हैं। उनके संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के अंदर कफन चोरों की कमी नहीं है। उस पर माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से ध्यान देना होगा और सौ करोड़ रुपये की जो धनराशि इस न्यास के लिए दी जा रही है, मेरी समझ में यह धनराशि बहुत कम है। इस धनराशि में और ज्यादा वृद्धि होनी चाहिए। ज्यादातर इससे प्रभावित होने वाले लोग गरीब तबके से निकल कर आ रहे हैं। उसके पीछे कुपोषण, बच्चे की सही ढंग से पालन-पोषण न होना तमाम ऐसे कारण हैं, जिनके कारण आज इस तरह के दुष्परिणाम हमारे समाज के सामने उभरकर आ रहे हैं। उन बीमारियों को दूर करने के लिए, भी हमें सार्थक प्रयास करने चाहिए। मैं इस पर कोई लम्बी-चौड़ी बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जिस पवित्र भाव से जिस नेक इरादे से आपने इस बिल को प्रस्तुत किया है, भविष्य में भी अपकी यह सोच परिलक्षित होती रहे, आप इस कुर्सी पर न रहें तब भी इसका कोई दुरुपयोग न करने पाये, इसके लिए भी हमें इस विधेयक में कठोर प्रावधान करने होंगे। हमें केवल अधिकारियों पर ही निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि हमें समाज की उन समाज सेवी संस्थाओं और व्यक्तियों को चिन्हित करना होगा जिनकी वास्तविक रूप में इन पीड़ित लोगों की सेवा करने में रुचि है। यदि इन्हें हम इस न्यास से जोड़ने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जिस पवित्र भाव से यह विधेयक लाया गया है वह अपनी मंशा में फलीभूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): माननीय सभापति जी, मैं कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं मात्र दो वाक्यों में अपनी बात कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों ने आदि से अंत तक जो कुछ भी कहा है मैं अपनी भावनाएं उनके साथ जोड़ता हूँ। बहुत स्वाभाविक है मेनका जी जैसा व्यक्तित्व इस बिल को लेकर आई हैं। जो व्यक्ति पशुओं की पीड़ा से द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता, वह माननीय पीड़ा से कैसे अछूता रह सकता है। इसलिए स्वाभाविक है कि आप यह बिल लेकर आई हैं। और इतनी देर की बहस में जो थकान आई हैं मैं उस थकान को चंद लाइने कहकर कम करने की कोशिश करूँगा—

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

"हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए,
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए,
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): मैं उस प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में पूरे मनोयोग से भाग लिया है। वास्तव में यह मेरा विधेयक नहीं है अपितु हर किसी का विधेयक है जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, अपनी बात शुरू करने से पूर्व मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में कहना चाहती हूं। जब मैं संसद सदस्या बनी और संसद सदस्य के लिए 1 करोड़ रुपये की सीमा नियत की गई—जो मेरे मंत्री बनने से काफी पूर्व नियत की गई—मैं उसमें से 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष विकलांग लोगों पर खर्च करती हूं।

और प्रति माह मेरी आय का एक बड़ा हिस्सा न केवल परिवारों अपितु विकलांगों, विधवाओं, और जीवन द्वारा उपेक्षित या आहत लोगों को भी जाता है। इसलिए जब मुझे मंत्री बनाया गया तो मैंने इस मंत्रालय की मांग की। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझती हूं कि मुझे इन लोगों की सहायता करने का यह अवसर मिला है।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस मंत्रालय में आने के बाद हमने नि:शक्तता प्रभाग में किस प्रकार बदलाव किए हैं। हमारे यहां दृष्टि बाधित लोगों, शारीरिक विकलांगों, और मानसिक विकलांगों व बहरे लोगों के फिर चार राष्ट्रीय संस्थान और दो शीर्ष संस्थान अर्थात् आई पी एच और एन आई आर टी एच ए है। ये इस क्षेत्र के विशेषज्ञ निकाय हैं। दुर्भाग्यवश यदि आप उनके पास जाते हैं तो वे अनुसंधान या पुनर्वास के सिवाए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए वे बहुत सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैंने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने अर्थात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र और प्रत्येक जिले पर विशेष बल दिया है ताकि प्रसुविधाएं और सेवाएं प्रत्येक जिले और नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों के द्वार तक पहुंचे। यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने आप सभी लोगों को एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि यदि आप इसमें भाग लेना चाहें तो मैं आप लोगों के निर्वाचन क्षेत्रों में शिविर लगाऊंगी। वस्तुत: मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के निर्वाचन क्षेत्र में शिविर लगाकर अभी लौटी हूं।

पिछले एक वर्ष में अब तक लगभग दो लाख लाभार्थियों को सहायता व उपकरण दिए गए हैं। यह इससे पूर्व के पचास वर्षों की उपलब्धि से अधिक है। अब प्रत्येक सप्ताह शिविर लगाए जाते हैं। ये शिविर केवल शारीरिक विकलांगों अर्थात् कृत्रिम टांग या कुर्सियों के लिए उपकरण देने के लिए ही नहीं लगाए गए अपितु दृष्टिबाधित लोगों और बहरे लोगों के लिए भी लगाए गए हैं। अत: अपने निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार आप जो चाहें, यदि आप समय-समय पर इस बारे में मुझे अवगत कराते रहें तो मुझे आपकी सहायता करने में खुशी होगी।

जब मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला तो देश में कृत्रिम अंग बनाने वाली शीर्षस्थ कंपनी ए एल आई एम सी ओ अपनी क्षमता के 44 प्रतिशत का उपयोग कर रही थी और लगभग 15 करोड़ रुपये घाटे में थी तथा औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड के हाथों में जाने वाली थी। आज एक वर्ष में यह कंपनी अपनी क्षमता के 93 प्रतिशत का उपयोग कर रही है और यह 15 करोड़ रुपये से अधिक लाभ अर्जित कर चुकी है जो तीस प्रतिशत का अन्तरण है। मुझे यह कहते खुशी है कि हमने इस कंपनी को अमरीकी सहायता दिलाई है, और हम कृत्रिम अंगों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में है ताकि वे अधिक सस्ते और अधिक उपयोग में लाए जा सकें। यह इस मंत्रालय की एक सफलता है। मैं सभी संस्थानों को सुदृढ़ व उनका आधुनिकीकरण करना चाहती हूं और यह प्रक्रिया चल रही है। हम देश में कम लागत वाली नई प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं जिसके लिए मेरे मंत्रालय से काफी वित्तीय सहायता मिल रही है।

नि:शक्त लोगों के रोजगार के बारे में मैं भी उतनी ही निराश हूं विशेष रूप से अस्थायी रूप से मंत्री के रूप में मैं बहुत निराश हूं, मुझे उन लोगों को देखकर दु:ख होता है जिनमें विश्वास नहीं है और जिनके लिए भारत में कोई आशा नहीं है, जो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश हमारे यहां मानसिक व सामाजिक अड़चनें अत्यधिक हैं।

मैं नहीं जानती कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं किंतु पी डब्ल्यू डी अधिनियम एक सीमित अधिनियम है। इसमें सरकारी सेवा में केवल तीन प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है। जैसा कि आपने सही कहा है कि वह भी नहीं दिया जाता है। अब पिछले एक वर्ष से मैं इस अधिनियम से जूझ रही हूं। मैं इसे अगले सत्र में लाऊंगी ताकि इसके प्रावधानों को सशक्त बनाया जाए और उन्हें अनिवार्यत: लागू किया जाए। मैं हर विभाग से भी कह रही हूं, "ले लो। 100 ले लो, 50 ले लो या 10 ले लो।" ताकि हम दस लोगों को इस देश में आशा की मुख्य धारा में ला सकें। पी डब्ल्यू डी अधिनियम की समीक्षा की जा रही है। इसे संसद के समक्ष लाने के लिए तैयार किया जा रहा है।

मैंने कुछ नए कार्य भी शुरू किए हैं। उनमें से एक विशेष सेवा नियोजन केन्द्र है। जैसा आपने कहा है कि हमारे यहां बहुत से नि:शक्त व्यक्ति हैं। हमने उन अधिकारियों को पुरस्कृत करना शुरू किया है जिन्होंने नि:शक्त लोगों को सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराया है। इस वर्ष भी हमने अनेक अधिकारियों को पुरस्कृत किया है जिनमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व गुजरात के एक-एक अधिकारी हैं। उन्होंने जिन नि:शक्त व्यक्तियों ने उनसे रोजगार के लिए आवेदन किया उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कराया, इसलिए हमने उन्हें पुरस्कृत किया है।

मैंने एक और नई बात भी शुरू की है। मैं निजी सेवा नियोजन केन्द्र शुरू करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को धन दे रही हूं। मैं इस बारे में माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं।

ये मात्र सेवा नियोजन केन्द्र नहीं होंगे। मान लीजिए मैं नि:शक्त व्यक्ति हूं। मैं आपके पास आती हूं और कहती हूं कि मैं नि:शक्त हूं और मुझे रोजगार चाहिए। साधारण सेवा नियोजन केन्द्र आपका नाम

दर्ज करते हैं और कहते हैं देखेंगे। किंतु ये सेवा नियोजन केन्द्र आपसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं? फिर वे उन्हें किसी गैर सरकारी संगठन में भेजेंगे ताकि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। वे जो कार्य करना चाहते हैं या जिस कार्य को वे समझते हैं कि वे कर सकते हैं उसमें प्रशिक्षण दिए जाने के बाद उक्त सेवा नियोजन केन्द्र, जो एक गैर-सरकारी संगठन है, प्रत्यंक कंपनी को लिखेगा कि उनकी सूची में फलां-फलां व्यक्ति है और उसे अमुक कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया अत: आप उन्हें रोजगार देकर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं उक्त कार्य को वह अन्य लोगों की तरह ही कार्य कर सकता है। इसलिए उसे अपनी कंपनी में लें। हम इतने सेवा नियोजन केन्द्र स्थापित करने जा रहे जितने निजी क्षेत्र में नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए हम कर सकते हैं। यह एक नई पहल है।

महोदय, एक अन्य अधिनियम—भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम भी समीक्षाधीन है। जब मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला तो भारतीय पुनर्वास परिषद एक ऐसा निकाय था जिसकी वर्ष में एक बार बैठक होती थी और जो एक बातचीत करने के स्थान के समान होती थी जिसमें लोग आते थे और जाते थे तथा आराम से रहते थे इसका कारण यह था कि बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर में होती थी "खा-पीकर निकल गए", हमने क्या किया - उन लोगों के बारे में उल्लेख किए जाने के बावजूद जो अपने फोटो खिंचवाना चाहते थे माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने पहली बार डाक्टरों और अर्द्ध-चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य हाथ में लिया है ताकि वे नि:शक्त लोगों का उपचार करने में विशेषज्ञता हासिल कर सके या उनमें उनका उपचार करने की क्षमता हो। पिछले एक वर्ष में हमने 25000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया है। हमने अनेक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं और हम तेजी से संस्थानों को मान्यता दे रहे हैं। संस्थानों को मान्यता प्राप्त करने के लिए पांच-छह वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और इन संस्थानों को देने के लिए उनका निरीक्षण करने के लिए किसी के पास समय नहीं होता था। अब इस आशय का आदेश जारी किया गया है कि जिन संस्थानों ने मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है उनका निरीक्षण किया जाएगा और यदि वे सक्षम पाए गए तो उन्हें आवेदन करने की तारीख से दो सप्ताह या अधिक से अधिक एक माह के भीतर मान्यता प्रदान की जाएगी अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। किंतु निर्णय लेना होगा। हमने सैकड़ों संस्थान पंजीकृत किए हैं और हमने उन्हें नि:शक्त लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता दी है।

महोदय, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक कुछ ऐसी श्रेणियों को सामाजिक सुरक्षा और सहायता प्रदान करने की दिशा में अग्रणी कदम जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है। श्रीमती रेणुका चौधरी इस तथ्य को सामने लाई थी कि इन चार श्रेणियों को बहुत कम लोग समझते हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनके लिए शैक्षिक प्रशिक्षण होने चाहिए। इन चार श्रेणियों के व्यक्ति विद्यालय जाने में सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिलाया जा सकता है और इसीलिए हमें विशेष सहायता ढ़ांचा तैयार करने की आवश्यकता है। क्योंकि वे कभी भी आजीविका अर्जित नहीं कर पाएंगे और उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकेगी, यह अलग तरह का मामला है कि मैं बैठूं और उन्हें पढ़कर सुनाऊं या उस तरह की व्यवस्था करें जो क्रिस्टोफर रीव के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिनकी टांग टूट गई है और जिन्हें अधरंगघात है। वह चल सकता है किंतु विदेशों से उस तरह की कुर्सी मंगाने की कीमत 1 करोड़ रुपये या 50 लाख या 30 लाख रुपये हो सकती है। हमने इस श्रेणियों के लोगों को चुना है क्योंकि उनके पास, जीवन में बहुत कम विकल्प है। अत: व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा उन पर लागू नहीं होती है। उनके लिए सहायक सेवाएं चाहिए। जिन परिवारों में इस श्रेणी के व्यक्ति हैं उनमें से अधिकतर पूरी तरह पंगु बन गए हैं। जैसा श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि वे बाहर नहीं जा सकते; वे फिल्म नहीं देख सकते; वे अपने बच्चों विशेषरूप से बालिकाओं को अकेले नहीं छोड़ सकते और उनका अपना कोई जीवन नहीं हो सकता है। अत: यह बच्चे से अधिक उन लोगों के लिए राहत देने के लिए है जो बच्चे के आस-पास रहते हैं जो बच्चे व व्यस्क से प्यार करते हैं। ऐसा इसलिए कि वे स्वयं पर दबाव महसूस न करे। यह विधेयक नि:शक्त व्यक्तियों के आस-पास की सामाजिक प्रणाली को राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया है। हमने इस विधयेक की परिधि में शारीरिक नि:शक्तता को शामिल नहीं किया है क्योंकि यह बदतर क्षेत्र है।

महोदय, अल्जाइमर को इस विधेयक की परिधि में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। अल्जाइमर एक क्रमिक बीमारी है और प्रत्येक व्यक्ति में यह जन्मजात होती है। हमने अल्जाइमर को विधेयक में शामिल नहीं किया है। किंतु हमने अपना दृष्टिकोण व्यापक रखा है। मेरे लिए यह कहना अच्छा होता कि मैं इस विधेयक की परिधि में किसी अन्य बीमारी को कभी भी शामिल नहीं करूंगी किंतु एक समय ऐसा भी होगा जब अन्य बीमारियां व अन्य नि:शक्तताएं भी होंगी। एकबार यह न्यास अपना कार्य शुरू कर दे और हम अपनी गलतियों व अनुभव-हीनता को महसूस करें तथा हम इस बारे में सोचें कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं तो शायद हम कुछ समय बीतने के बाद सुधार कर सकें।

मैंने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की बात की है। मैंने माननीय अध्यक्ष और अन्य विभागों को लिखकर पूछा है कि क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का उपयोग नि:शक्तता से संबंधित कार्यकलापों के लिए किया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाए तो यह बहुत अच्छा होगा। किसी ने आपत्ति की है कि राष्ट्रीय न्यास का संचालन बोर्ड द्वारा क्यों किया जाए। बार-बार यह कहा गया है कि इसमें नौकरशाही का बोलबाला होगा। मैं भी गैर-सरकारी संगठन से जुड़ी रही हूं और नौकरशाहों से अन्य सभी संसद सदस्यों से अधिक डरी रही हूं जैसा कि मेरे मंत्रालय के नौकरशाह भी बार-बार इस बात को साबित करते हैं। इस बोर्ड में मूल संगठनों, विशेषज्ञों व गैर-सरकारी संगठनों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। हालांकि ऐसा लगता है किंतु नौकरशाही को अधिक महत्व नहीं दिया गया है क्योंकि सभी अधिकारी पदेन अधिकारी हैं। वे आते हैं या नहीं आते हैं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। किंतु आपको उन्हें बोर्ड में लेना होगा क्योंकि मैं 100 करोड़ रुपये नहीं ले सकती हूं और उन्हें किसी ऐसे संगठन को नहीं दे सकती जैसे संगठन से मैं जुड़ी रही हूं। वे ऐसे विभागों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो इस विषय के लिए प्रासंगिक हैं।

[श्रीमती मेनका गांधी]

जहां तक भुगतान, नियुक्ति आदि के ब्यौरों का सम्बन्ध है उन्हें नियमों में शामिल किया जाएगा जिन्हें न्यास अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा। हम उन्हें जहां तक सम्भव हो त्रुटिहीन बनाने का प्रयास करेंगे।

हम विकलांगों का ध्यान रखने वाले व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। यह अवधारणा है कि उनके अभिभावकों से अधिक उन्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। यह बिल्कुल सही है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि मेरे अभिभावक आज मर जाते हैं तो मेरी देखभाल कौन करेगा? क्या मुझे अनाथालय में छोड़ दिया जाएगा? मुझे लावारिश छोड़ दिया जाएगा? मुझे फैंक दिया जाएगा? इस से बचने के लिए हमें उनकी देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उनकी आवश्यकता अभिभावकों के मरने के पश्चात् ही नहीं है बल्कि अभिभावकों के जीवित रहने पर भी है तब भी है। मैं उन अभिभावकों को साधारण जीवन व्यतीत करने देना चाहती हूं ताकि वह उन बच्चों को अधिक प्यार कर सकें। इसीलिए हम अभी से देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जब मैं वृद्धावस्था नीति लाई थी, जो इस देश में पहली बार लाई गई थी, इस वर्ष के आरम्भ होने तक हमने बूढ़े लोगों की देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण देने के लिए इसका अनुपालन किया था वे बूढ़ों के घरों में जाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। आपके पास उपचारिकाएं (नर्स) हैं जो आपके बीमार होने पर आपकी देख भाल करती हैं लेकिन यदि आप बूढ़े हैं और यदि आपको दिन में एक बार गरमा गरम भोजन खाना है तो आपकी देखभाल करने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। इसी प्रकार हम देखभाल करने वालों को प्रशिक्षण देंगे। हमने पहले ही प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार कर लिया है पुनर्वास परिषद जैसा कि मैंने आपको बताया है तैयार हो गया है और अगले छ: महीनों के भीतर इसका अपना प्रशिक्षण भवन होगा और वहां प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरा यह भी विश्वास है, जैसा कि आपने कहा है, कि सौ करोड़ की धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए यदि मुझे स्वतंत्रता होती तो धनराशि इससे भी अधिक की होती लेकिन मैं सरकार और केबिनट की आभारी हूं कि उन्होंने इसे जैसे का तैसा स्वीकार कर लिया। नि:संदेह मैं एक करोड़ अथवा सौ करोड़ रुपये की अत्यंत अनन्तिम अपेक्षा कर रही थी लेकिन वह इतने उदार थे कि उन्होंने मुझे 100 करोड़ रुपये दे दिये। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि उन्होंने इतनी उदारता दिखाई है। यदि यह न्यास कार्य नहीं करता तो कम से कम 100 करोड़ रुपये तो डूब ही जाएंगे। और यदि यह काम करती है तो मुझे विश्वास है कि निजी क्षेत्र, संसद सदस्य जो अपने क्षेत्रों में इसके कार्यकरण को देखेंगे और इससे लाभान्वित होने वाले लोगों सहित शेष भारत इसमें पर्याप्त धन लगा देगा। तभी वह इसमें धन लगाएंगे और वह समय भी आएगा जब हम सरकार से धनराशि को बढ़ाने के लिए कह सकेंगे।

अन्य बातें भी हैं कि यदि हम धन का दुरुपयोग करते हैं तो क्या होगा? जैसाकि किसी अन्य कानून में है इसमें भी दण्ड देने का प्रावधान होगा। इसे बोर्ड द्वारा क्यों चलाया जाए? यह इसलिए है क्योंकि आपके पास कोई न्यास नहीं है जिसके पास बोर्ड होता हो। किस प्रकार के व्यक्ति इसका नेतृत्व करेंगे? जब तक मैं यहां हूं इसकी अध्यक्षता सम्भवता श्रेष्ठतम व्यक्ति द्वारा कराई जाएगी। मेरे दिमाग में किसी का विचार है लेकिन मुझे उन्हें राजी कराना होगा कि वह इसे स्वीकार करने के लिए अपने विद्यमान कार्य को छोड़ दे। यह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने पूरे जीवन भर नि:शक्तता के साथ जुड़ा हुआ हो और जो विशाल हृदय और दया से भरा हो और पद का दुरुपयोग न करने वाला हो।

कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें बोर्ड का आकार बढ़ाना चाहिए। कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें इसे अधिक छोटा और सार्थक बनाना चाहिए। मैं समझती हूं जो हमारे पास है वह मिला जुला और उचित है। हमने इस विधेयक को तैयार करते हुए गैर सरकारी संगठनों, अभिभावक संघों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ काफी लम्बा विचार-विमर्श कर लिया है और जो कुछ यहां दिया गया है उसपर सभी ने अपनी सहमति जताई है।

अब जिला स्तर पर जिलाधीश, एक विकलांग व्यक्ति और एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन को इसमें शामिल किया गया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मैं विकलांग व्यक्ति के कार्य के साथ एक साधारण कारण हेतु सहमत होऊंगी जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि उसकी अपंगता अन्य नि:शक्तता हैं। वह इस को समझने में असमर्थ होगा। लेकिन दूसरी ओर, विकलांग व्यक्ति की किसी अन्य की अपेक्षा अधिक रुचि हो सकती है। अत: वह अपने कार्य को, जिसके लिए उसे रखा गया है, अधिक ईमानदारी के साथ करने में समर्थ होगा। मुझे संदेह है कि नेत्रहीन व्यक्ति प्रमस्तिष्क घात पर इसे करने में समर्थ होगा लेकिन जानती हूं कि नेत्रहीन व्यक्ति स्वपरायणता वाले व्यक्ति के लिए आपके और मेरे बजाय अधिक अच्छी तरह से महसूस करेगा।

महोदय, कुछ सदस्यों ने सैनिकों के मामले को भी उठाया है। जो युद्ध में विकलांग हुए हैं हालांकि इसका इस न्यास से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि जैसे ही कारगिल युद्ध की समाप्ति हुई हमें पता चला कि कितने सैनिक विकलांग हुए हैं हमने सभी सैनिकों को स्पाइन इंजुरी सेंटर जिसे हमने वित्तपोषित किया था में निशुल्क पुनर्वास के लिए हरसंभव सहायता देने की पेशकश की। कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका वित्तपोषण हमने किया है, ने सैनिकों को सहायक और उपकरण देने की पेशकश की है और हम विकलांगों के लिए, सशस्त्र बल हमसे जो चाहता है, देखे हैं। यह युद्ध के समाप्त होने पर ही किया गया था।

महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने भी कहा था कि "मैं आशा करता हूं कि आप देखभाल करने वाले को समुचित धनराशि प्रदान करने जा रहे हैं" बिल्कुल सही है, यदि हम खराब चीजों से धन कमा सकते हैं तो अच्छी चीजों में हम क्यों नहीं कमा सकते हैं? देखभाल करने वाला व्यक्ति अमीर तो होगा नहीं कि वह इसे कराने में समर्थ हो।

ब्रिज खेलने के बीच में या कपड़े खरीदने के बीच में।

मैं गम्भीर और जिम्मेदार व्यवसायिक चाहती हूं। इसलिए, मैं उन्हें गम्भीरतापूर्वक और जिम्मेदारीपूर्वक भुगतान करना चाहूंगी। जब मैंने मंत्री का पद ग्रहण किया तो मैंने देखा कि नेत्रहीन संस्थाओं, अन्य

संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के लिए हमें देखभाल करने वाले नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें बहुत ही कम राशि अदा कर रहे हैं। इसलिए गैर सरकारी संगठन छोड़ते जा रहे हैं और उद्योग की ओर जा रहे हैं। अब हमने प्रत्येक का वेतन बढ़ा दिया है ताकि *[हिन्दी]* बिना पेट काटे या बिना अपने परिवार को सताए *[अनुवाद]* व्यवसायिक लोग आ सकें। और इस देखभाल करने वालों को उसी तरह से भुगतान किया जाएगा ताकि वह देखभाल करने वाले के रूप में रख सकें। अन्यथा यदि लोगों को इनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता तो पूरा न्यास बेकार हो जाएगा।

डा० वी० सरोजा ने बताया था कि इसमें चिकित्सा संबंधी व्यवसायिकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उनका प्रतिनिधित्व है। वास्तव में खण्ड 3(5) ऐसे व्यक्तियों की सहयुक्ति का प्रावधान करता है जिसकी सहायता, सलाह को न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो जिसमें चिकित्सा से संबंधित लोग होंगे।

श्री विनोद खन्ना ने संरक्षकों को प्रशिक्षण देने और अनुसंधान के लिए कुछ धनराशि देने के बारे में भी कहा है। अनुसंधान उपस्कर मेरे अंतर्गत नहीं आते। वह स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं। एक अच्छा भाषण प्रसवपूर्व एहतियातों के बारे में दिया गया था क्योंकि अधिकतर अपंगता कुपोषण दुर्घटनाओं और खराब स्वास्थ्य से आती है जो काफी हद तक सही भी है। दुर्भाग्यवश मेरे पास चिकित्सा वाला हिस्सा नहीं है। मेरे पास पुनर्वास का भाग है। मुझे क्षति हो जाने के पश्चात् उनकी देखभाल करनी पड़ेगी।

श्री विलास मुत्तेमवार ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं और वह इसे 22 के स्थान पर बढ़ाकर 27 करना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं हमारे पास जितने अधिक सदस्य होंगे तो उतना ही संभालना और कठिन होगा। यदि आप मेरे पर छोड़े तो मैं 22 सदस्य नहीं रखना चाहूंगी मैं केवल 3 सदस्य रखना चाहूंगी। प्रश्न यह है कि मुझे 22 सदस्य लेने होंगे। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दा है। मैं इसे और बड़ा नहीं करना चाहती कि इसको नियन्त्रित करना कठिन हो जाए।

इसके बाद उन्होंने सुझाव दिया है कि खण्ड 4(1) में अध्यक्ष अथवा सदस्य का पद तीन वर्ष के बजाय 5 वर्ष का होना चाहिए और आयु सीमा 65 वर्ष के बजाय 60 वर्ष होनी चाहिए। मैं इसे तीन वर्ष का रखना चाहती हूं इसका एक कारण है क्योंकि यदि अध्यक्ष बहुत अवांछित हो जाए तो उसे बदला जा सके। 5 वर्ष के कार्यकाल में यदि वह मुझे जाने के लिए कह सकता है तो वह हर एक को जाने के लिए कह सकता है।

महोदय, यदि वह अच्छा व्यक्ति है तो उसकी सेवाओं को कभी भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन यदि वह खराब है तो कम से कम हम उसे हटा तो सकते हैं।

दूसरा मैं इसे 65 वर्ष रखना चाहती हूं क्योंकि कई अच्छे व्यक्ति हैं जो 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उसके बाद मैं उनका उपयोग उनकी अच्छाईयों का, उनके दायित्वों और अनुभवों को इस न्यास में करूंगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि इसे 65 वर्ष ही रहने दिया जाए।

आगे खण्ड 10 में उन्होंने दो और उद्देश्यों का सुझाव दिया है, "नामत: (एक) देश के सभी भागों में विकलांगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराया जाये और ऐसे लोगों का पंजीकरण किया जाए और (दो) प्रत्येक राज्य में ऐसे केन्द्र खोले जाए जहां वह पंजीकरण करा सकें।"

अब इसका पहले ही नि:शक्तता अधिनियम में प्रावधान किया गया है। उन्होंने पहले ही सर्वेक्षण करा लिया है और पंजीकरण की व्यवस्था की है। अत: मैं इस न्यास को यह कार्य नहीं सौंपना चाहती हूं। यह न्यास केवल देखभाल करने के लिए है। यह पंजीकरण करने के लिए नहीं है। यह सर्वेक्षण अथवा किसी अन्य काम के लिए नहीं है।

जिस क्षण हमने इसके प्रभाव को कम किया इस अधिनियम में अपेक्षित प्रभाव नहीं रह जाएगा। यह निधि का मामला है। जिस क्षण मैं इस प्रभाव को कम करूंगी पचास और चीजें करनी होंगी और वास्तविक कार्य कभी नहीं होगा। फिर केवल सर्वेक्षण, बातचीत, संगोष्ठियां और चर्चाएं होंगी। मैं चाहती हूं कि वास्तविक कार्य किया जाए।

श्री अनादि साहू ने यह सुझाव देते हुए खंड 3 में संशोधन पेश किया है कि प्रतिनिधिक संगठनों, माता-पिता के संगमों आदि के सदस्यों की संख्या 9 के बजाय 6 की जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड में तीन सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षण व्यवसाय से नाम-निर्देशित किए जाने चाहिए। यदि मैं मूल संगठन से सदस्यों की संख्या कम करते हैं तो इससे न्यास के गठन के उद्देश्य समाप्त हो जाएंगे और बोर्ड का नौकरशाहीकरण होगा। यदि बोर्ड में इस क्षेत्र से वास्तव में जुड़े लोग होंगे क्योंकि वे ऐसे बच्चों के माता-पिता हैं, तो अधिक ईमानदारी से कार्य होगा और उनकी समस्या पर शायद पूरा ध्यान दिया जाएगा।

जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों के नाम-निर्देशन का संबंध है तो बोर्ड में शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व पहले से है। अत: इसमें और शिक्षक नहीं होने चाहिए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो ने प्रस्ताव किया है कि केन्द्रीय सरकार के स्थान पर भारत का राष्ट्रपति प्रतिस्थापित किया जाए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा में विपक्ष के नेता और राज्य सभा में विपक्ष के नेता के परामर्श से बोर्ड का गठन करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्ति ऐसे प्रत्येक अन्य विधान में प्रचलित व्यावहारिक परिपाटी के अनुरूप है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: आपकी बात ठीक है किंतु यदि आने वाले वर्षों में बोर्ड में कुछ अच्छे लोग आते हैं तो ठीक है किंतु यदि उनके स्थान पर कुछ बुरे लोग आते हैं तो इसका उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा। इसलिए मैंने यह सुझाव दिया है कि उस संस्था को निष्पक्ष एवं दोष रहित बनाया जाए। मेरा संशोधन इसके लिए था।

श्रीमती मेनका गांधी: नहीं, आपने जो प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया था मैंने उसे शामिल नहीं किया है। आपने चार व्यक्तियों से परामर्श करने का सुझाव दिया है। मेरे विचार से अधिकतर विधानों में सामान्यतया ऐसा नहीं होता है, किंतु मैं आपसे वायदा कर सकती हूं कि वहां पर रहते हुए यदि कोई आता भी है तो हम उच्च मानक स्थापित करेंगे

[श्रीमती मेनका गांधी]

जो नि:संदेह मेरे से बेहतर होगा। किंतु यदि उसकी रुचि नहीं होगी तो वह ऐसा कार्य नहीं कर सकेगा। मेरे विचार से ऐसे मानक होने के कारण लोग उसे संदर्भिका के रूप में लेंगे।

आपने खंड 8 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति केन्द्रीय सरकार के बजाए बोर्ड में निहित होनी चाहिए। समस्या यह है कि न्यास की समग्र निधि 100 करोड़ रुपये की है। मेरे लिए इसे वित्तीय मानकों और सरकार के अनुशासन से बाहर ले जाना मुश्किल है क्योंकि वित्त मंत्रालय ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: आपका, दया, प्रेम, तथा बोर्ड व अध्यक्ष की क्षमता व प्रतिबद्धता में विश्वास है। किंतु आप कहती हैं कि जहां तक बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति का संबध है आपका बोर्ड में विश्वास नहीं है। यह ठीक नहीं है। यह ऐसे विधानों के अनुरूप नहीं है।

श्रीमती मेनका गांधी: एकमात्र समस्या 100 करोड़ रुपये के न्यास हैं मुझे वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: यह नियमों से संबंधित नहीं है अपितु यह परम्पराओं और गलत परम्पराओं से संबंधित है।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं यह करने का प्रयास कर रही हूं कि हम नियमों में कुछ परिवर्तन करें ताकि यह सुनिश्चित हो कि जिस किसी की भी नियुक्ति की जाए उसके बारे में हर कोई सहमत हो।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: जब तक आप मंत्री पद पर हैं तब तक यह ठीक है।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं कह रही हूं कि हम नियमों में कुछ प्रावधान करेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो कि प्रत्येक सदस्य सहमत हो या लगभग सहमत हो। किंतु केवल उसके लिए मैं वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों को नहीं तोड़ सकती हूं। वित्त मंत्रालय मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा और हम न्यास का गठन नहीं कर पाएंगे और यह यहीं समाप्त हो जाएगा।

आपने यह भी कहा है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों में से उत्कृष्ठ प्रतिभावाले व्यक्तियों को बढ़ावा देने या उन्हें पुरस्कृत करने के लिए उसकी सिफारिशों का समर्थन किया जाए। जैसा मैंने आपको बताया है कि हमने पहले ही एक पुरस्कार योजना चलाई है। पिछले वर्ष और इस वर्ष हमने वास्तव में बहुत अच्छे लोगों को अनेक उत्कृष्टता पुरस्कार दिए हैं। इसका प्रावधान इस अधिनियम में करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं बोर्ड को नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों की देखभाल और कल्याण के लिए किसी अन्य कार्य को करने, जिसे वह उचित समझे, कि खुली छूट नहीं देना चाहती हूं क्योंकि इस स्थिति में न्यास को क्षति पंहुचाई जा सकती है और संगोष्ठियां जैसे अन्य कार्य – जैसा कि आप गोवा में आयोजित संगोष्ठी के बारे में जानते हैं–किए जा सकते हैं और 100 करोड़ रुपयों को यूं ही उड़ाया जा सकता है और वह इसका अन्त होगा। मैं इसकी खुली छूट नहीं देना चाहती हूं।

अन्त में आपने प्रस्ताव किया है कि बोर्ड "रजिस्ट्रीकृत संगठनों को अनुमोदित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार से ऐसी धनराशि प्राप्त करेगा" शब्दों के स्थान पर "न्यास के किन्ही भी उद्देश्यों को अग्रसर करने में," शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। यह संशोधन स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस उपबंध को शामिल करने का उद्देश्य है कि न्यास द्वारा मेरे मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही कुछ अन्य विद्यमान योजनाओं को सहायता देना। मैं उन्हें और धन लेने की अनुमति नहीं दूंगी। यदि न्यास कार्य करना शुरु करता है तो मैं चाहती हूं कि वे अन्य योजनाओं का भी लाभ उठाएं।

इसलिए मैं उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं जिन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई है कि अपने प्रस्तावित संशोधनों को वापस ले और इस विधेयक का समर्थन करें।

मैं आप सभी लोगों को मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने, पूरे दिन यहां बैठने और कई रचनात्मक सुझाव देने के लिए धन्यवाद देती हूं। . . . *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, चेयरमैन के लिए आपके अमेंडमेंट में जो 65 की ऐज है उसके बारे में सोचा जाए।

सभापति महोदय: ठीक है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय के गठन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

सभापति महोदय: श्री विलास मुत्तेमवार उपस्थित नहीं हैं। श्री अनादि साहू, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री अनादि साहू: मैं अपने संशोधन वापस लेता हूं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मैं विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं किंतु मैं चाहता हूं कि मेरे संशोधन कार्यवाही वृतान्त में शामिल हो

ताकि वे भविष्य में मार्गनिर्देश का कार्य कर सके हालांकि उन्हें यहां अस्वीकृत किया जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 6,-

''केन्द्रीय सरकार'' के स्थान पर

''भारत के राष्ट्रपति द्वारा (एक) प्रधान मंत्री (दो) भारत के मुख्य न्यायाधीश और (तीन) लोक सभा और राज्य सभा के विपक्ष के नेता'' प्रतिस्थापित किया जाये। (12)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11,

''केन्द्रीय सरकार'' के स्थान पर

''भारत के राष्ट्रपति'' प्रतिस्थापित किया जाये। (13)

सभापति महोदय: अब मैं श्री त्रिलोचन कानूनगो द्वारा प्रस्तुत खण्ड 3 में संशोधन संख्या 12 और 13 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4

सभापति महोदय: श्री त्रिलोचन कानूनगो, क्या आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री त्रिलोचन कानूनगो: यद्यपि मैं पूरे मन से विधेयक का समर्थन करता हूं, फिर भी मैं अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि यह भविष्य के लिए मार्गनिर्देशक का कार्य करेंगे।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 35,–

''केन्द्रीय सरकार'' के स्थान पर

''भारत के राष्ट्रपति'' प्रतिस्थापित किया जाये। (14)

सभापति महोदय: मैं श्री त्रिलोचन कानूनगो द्वारा प्रस्तुत खण्ड 4 में संशोधन संख्या 14 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5

सभापति महोदय: श्री त्रिलोचन कानूनगो, क्या आप अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री त्रिलोचन कानूनगो: सभापति महोदय, अपने संशोधनों को वापस नहीं ले रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4, पंक्ति 9-

''केन्द्रीय सरकार'' के स्थान पर

''भारत के राष्ट्रपति'' प्रतिस्थापित किया जाये। (15)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10, 11,–

''केन्द्रीय सरकार'' के स्थान पर

''भारत के राष्ट्रपति'' प्रतिस्थापित किया जाये। (16)

सभापति महोदय: मैं श्री त्रिलोचन कानूनगो द्वारा प्रस्तुत खंड 5 में संशोधन संख्या 15 और 16 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 8

सभापति महोदय: श्री त्रिलोचन कानूनगो, क्या आप अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री त्रिलोचन कानूनगो: जी, हां मैं उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4, पंक्ति 24,–

''केन्द्रीय सरकार'' के स्थान पर

''बोर्ड'' प्रतिस्थापित किया जाये। (17)

पृष्ठ 4, पंक्ति 27,–

''केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से'' का लोप किया जाये। (18)

सभापति महोदय: मैं श्री त्रिलोचन कानूनगो द्वारा प्रस्तुत खण्ड 8 में संशोधन संख्या 17 और 18 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10

सभापति महोदय: श्री त्रिलोचन कानूनगो, क्या आप अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री त्रिलोचन कानूनगो: जी हाँ, मैं संशोधनों को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 5, पक्ति 11 के पश्चात,–

"(ज) समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों में से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्तियों को बढ़ावा देने तथा/या मान्यता तथा पुरस्कार के लिए संस्तुति के लिए समर्थन प्रदान करना" अंत:स्थापित किया जाये। (19)

पृष्ठ 5, पंक्ति 12 के स्थान पर–

"(झ) ऐसा कोई कार्य करना जो कि बोर्ड नि:शक्तताग्रस्त व्यक्तियों की देखभाल और कल्याण के लिए उपयुक्त, समझें" प्रतिस्थापित किया जाये। (20)

सभापति महोदय: मैं अब श्री त्रिलोचन कानूनगो द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 और 20 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11

सभापति महोदय: श्री त्रिलोचन कानूनगो, क्या आप अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री त्रिलोचन कानूनगो: जी हाँ, मैं अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 5, पंक्ति 27 और 28,–

"किसी अनुमोदित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए" के स्थान पर

"न्याय के किन्ही भी उद्देश्यों को अग्रसर करने में" प्रतिस्थापित किया जाये। (21)

सभापति महोदय: अब मैं श्री त्रिलोचन कानूनगो द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 12 से 36 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि विधयेक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब लोक सभा कल 16 दिसम्बर, 1999 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 16 दिसम्बर, 1999/ 25 अग्रहायण, 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद(हिन्दी संस्करण)

बुधवार, 15 दिसम्बर, 1999/24 अग्रहायण, 1921(शक)

का

शुद्धि - पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (ii)	6	245 और 260	245 से 260
विषय-सूची (iii)	1	विल्वन्नामलाई	तिरुवन्नामलाई
12	7	श्री नवल किशोर राय	श्री नवल किशोर राय
221	नीचे से 4	(ग)	(ग) और (घ)
228	नीचे से 6 और नीचे से 10	(घ) (च)	(च) (घ)
229	13	(छ·) से (छ)	(घ) से (छ)
237	15	समोक्त काट प्रबंधन	समोक्त कीट प्रबंधन

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।